अनुक्रमणिका/Index

01. अनुक्रमणिका /Index 01
02. क्षेत्रीय सम्पादक मण्डल/सम्पादकीय सलाहकार मण्डल 06/07
03. निर्णायक मण्डल 08
04. प्रवक्ता साथी 10/11

(Science / विज्ञान)

05. Study on Trophic Status of River Bichhia of District Rewa, M.P. India, through Database findings of Macrophytes and Fish Biodiversity (Suman Singh) 12
06. Study On Avian (Birds) Biodiversity In The Surguja District (Chhattisgarh) (Namita Minj, Dr. Shewata Sao, Dr. R. K. Singh) 18
07. Spectroscopy (Dr. Neeraj Dubey) 23
08. Pollution Assessment Through Bioluminescence (Dr. Kumud Dubey, Dr. Avinash Dube) 26
09. Theory Of Congestion Control In Manet (Raksha Sharma) 28

(Home Science / गृह विज्ञान)

10. A Study Of Vocational Interest Of School Students (Dr. Madhu Mishra) 31
11. बालकों की शैक्षिक उपलब्धि पर अभिभावकों की शिक्षा के प्रभाव का अध्ययन (कानपुर शहर, उ.प्र. के विशेष संदर्भ में) (पारूल सारस्वत, कंचन दुबे, डॉ. मंजु दुबे) 33
12. नारी सशक्तिकरण के आधार के रुप में डॉ. श्याम नारायण पाण्डेय का साहित्य (जौहर, हल्दीघाटी के संदर्भ में) (डॉ. दीपशिखा पाण्डेय) 36

(Commerce & Management / वाणिज्य एवं प्रबंध)

13. Prospects And Challenges In The Implementation Of Indian Accounting Standards (IND As) (Anjali Batreja, Dr. Sumeet Khurana, Dr. Navindra Kumar Totla) 38
14. मध्यप्रदेश में औद्योगिक विकास एक परिदृष्य (डॉ. प्रवीण ओझा) 41
15. भारत में प्रबन्ध में श्रमिकों की सहभागिता की योजनाएँ एवं सरकार की नीति (मनीषा जैन) 44
16. उज्जैन नगर में सामाजिक प्रदूषण के विस्तार केन्द्र के रूप में गंदी बस्तियों की भूमिका (डॉ. ललित किशोरी तिवारी) ... 47
17. भारतीय अर्थव्यवस्था में निर्धनता अनुपात का निर्धारण एवं उसमें सुधार हेतु कार्यक्रम (नीलम कुशवाह, डॉ. धीरज शर्मा) 50

18. भारत के अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता सोना – एक आर्थिक सर्वेक्षण (डॉ. राजू रैदास) 52
19. सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अध्ययन (मेघा अग्रवाल, डॉ. एन.के. पाटीदार) 54
20. भारत में आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन लाने में दुग्ध सहकारिता का महत्व (प्रदीप कुमार रावत) 56
21. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और अर्थव्यवस्था में योगदान (अरूण सारडा, डॉ. धीरज शर्मा) 58
22. मेक इन इण्डिया का सर्वोत्तम विकल्प – स्टार्ट अप (डॉ. अनिल तौहेल) 60
23. महिलाओं के विकास में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता (डॉ. रायकू जमरा) 61

(Economics / अर्थशास्त्र)

24. जनजातियों में विवाह के स्वरूप – शहडोल जिले के विशेष संदर्भ में (डॉ. शाहीन परवीन) 63
25. भारत में मानव विकास एवं जलवायु परिवर्तन (डॉ. सपना भालेकर) 65

(Political Seience / राजनीति विज्ञान)

26. मध्यप्रदेश में त्रि–स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जनजाति के नेतृत्व की भूमिका (दीवानसिंह बारिया) ... 67
27. भारत में न्यायपालिका –'कॉलेजियम' व्यवस्था (डॉ. कान्ता अलावा) 70
28. गाँधी एवं सत्याग्रह (संजय कुमार यादव) 73
29. महात्मा गाँधी एवं सत्य की अवधारणा (संजय कुमार यादव) 75

(History / इतिहास)

30. परिवर्तनों का युग – सल्तनत युग (डॉ. शुक्ला ओझा) 77
31. भारत के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थान बेजोड़ है (डॉ. संदीप श्रीवास्तव) 80
32. नमक आन्दोलन में काशी की नारियों का योगदान (डॉ. संजय कुमार सिंह) 83
33. विन्ध्य प्रदेश में कल्चुरि स्थापत्य कला और भग्नावशेष (सुभाष कुमार तिवारी) 85

(Sociology / समाजशास्त्र)

34. मजदूरों के बच्चों में शैक्षिणिक समस्याओं का अध्ययन (आकाश गुप्ता) 87

(Geography / भूगोल)

35. विकासखण्ड घरघोड़ा में गोंड जनजातीय शिक्षा का स्वरूप (डॉ. काजल मोइत्रा, मंगल सिंह जाँगड़े) 89

(English Literature / अंग्रेजी साहित्य)

36. Human Predicament and Meaninglessness of Life in the Works of Arun Joshi 91
(Dr. Ajay Bhargava, Batul Attarwala)

37. The Romantic Revival (Dr. Rashmi Nagwanshi) 93

(Hindi Literature / हिन्दी साहित्य)

38. मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यासों में स्त्री विमर्श (प्रीति शुक्ला) 94

39. नवीन आर्थिक दृष्टिकोण – बदलते पारिवारिक रिश्ते और उभरते नये मूल्य 97
(हिन्दी के प्रमुख उपन्यासों के विशेष संदर्भ में) (डॉ. आई. के. बेक, डॉ. दीपक कुमार गुप्ता)

40. दिनकर के संस्मरण – एक विवेचनात्मक अध्ययन (डॉ. रेखा सनवाल) 100

(Education / शिक्षा)

41. A Study Of Pupil Teacher's (B. Ed Students) Attitude Towards Awareness Of Internet 103
(Dr. Anjani Kr. Mishra)

42. शासकीय एवं अशासकीय हाईस्कूल के छात्र–छात्राओं की बुद्धिलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन 105
(ग्वालियर शहर के सन्दर्भ में)(विभा तिवारी, डॉ. रमा त्यागी)

(Physical Education / शारीरिक शिक्षा)

43. Effect of motivational training on performance of racers of Uttar Pradesh 110
(Dr. Gajender Singh Saroha, Ashish Kumar)

(Law/ विधि)

44. वैकल्पिक विवाद निवारण सम्बन्धी विधियाँ एवं उनका मूल्यांकन (डॉ. सीमा राजपूत) 112

45. महिला उत्पीड़न और घरेलू हिंसा अधिनियम (डॉ. रेखा माली) 115

(Others / अन्य)

46. Status Of Women's Legal Right In India (Dr. Deepika Bhatnagar) 117

47. Open Access Initiatives Only LIS Literature : India (Devendra Prasad Kushwah) 119

48. वायु–प्रदूषण : बढ़ता हुआ खतरा (अनिता सिंह, रागिनी सिंह) 121

49. वैदिक ज्ञान के वैज्ञानिक पक्ष (डॉ. किरण अग्रवाल, डॉ. बी. एस. धुर्वे) 123

50. मौद्रिक नीति की समीक्षा और राजनीतिक दृष्टिकोण (क्षितिज कुशवाह) 124

राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी – भारत में महिलाओं की स्थिति (मानवाधिकार और कानून के परिप्रेक्ष्य में) (दि. 18 व19 नवम्बर 2016) ज्ञान मन्दिर विधि महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.) में आयोजित शोध संगोष्ठी में प्रस्तुत शोध पत्र एवं आलेख

51. Domestic Violence In India - Causes, Consequences, Remedies And Legal Remedies ..... 125 (Aditya Jain)
52. Status Of Women In The Society And Impact Of Laws On Women (Prerana Choudhary) 129
53. An Overview Of Dowry Prohibition Act, 1961 And Protection Of Women From Domestic ..... 132 Violence Act 2005 (Purva Porwal)
54. Women's Rights And Labour Statutes (Dr. V. K. Jain, Dr. N. K. Patidar) 135
55. Securities And Laws For Women Wokingforce In India (Anita Sen) 137
56. Dowry Prohibition & Domestivilence Act & Women (Madhuri Sameer) 139
57. कामकाजी महिलाएं और कानून (संगीता निमवाल) 141
58. नई भूमिकाओं में महिलाएँ एवं उभरती हुई चुनौतियाँ (डॉ. संजय जोशी) 145
59. महिलाओं की सुरक्षा हेतु अपराध विधि एवं प्रतिकर – एक परिचय (कृष्ण वल्लभ विश्वकर्मा) 148
60. भारतीय समाज में महिलाओं की सामाजिक स्थिति और लैंगिक न्याय के परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन परक अध्ययन ..... 151 (अंसीम कुमार शर्मा)
61. समाज में महिलाओं की स्थिति और कानूनों का उस पर प्रभाव (संध्या वर्मा) 154
62. दहेज प्रतिषेध एवं घरेलू हिंसा रोकथाम कानूनों का क्रियान्वयन और महिलाएं (आरती पालीवाल) 157
63. महिला सुरक्षा – मानवाधिकार व कानून के संदर्भ में (पूजा पालीवाल) 160
64. विभिन्न विवाह कानून और महिलाएं (नम्रता ताम्रकर) 163
65. भारत में महिलाओं की स्थिति मानवाधिकार और कानून के परिप्रेक्ष्य में (अश्विन पालीवाल) 166
66. मातृत्व का विकल्प दत्तक ग्रहण या सरोगेट मदर (अश्विन लोया) 168
67. विभिन्न दण्ड कानूनों का क्रियान्वयन और महिलाओं की स्थिति (दीक्षा तनेजा) 170
68. कामकाजी महिलाओं की शौषण से सुरक्षा और श्रम कानून (डॉ. बद्रीलाल मालवीय) 172
69. दहेज प्रतिषेध अधिनियम और घरेलू हिंसा रोकथाम कानूनों का क्रियान्वयन और महिलाएं (डॉ. सुनीता श्रीवास्तव) ... 174
70. भारतीय महिलाएँ एवं मानवाधिकार (डॉ. कविता शर्मा, प्रियंका भालिया) 176
71. भारतीय समाज में वृद्ध महिलाओं की स्थिति एवं वैधानिक संरक्षण (सलिल पाण्डेय) 178
72. घरेलू हिंसा की शिकार होती महिलाएं –जन–जन से जुड़ी दास्तान (रश्मि बोरीवाल) 180
73. घरेलू हिंसा की विभिन्न गतिविधियाँ एवं स्वरूप (राजेन्द्र सिंह परमार) 182

74. भारतीय रेलों में महिलाओं की सुरक्षा, मानवधिकार और कानून के संदर्भ में (शिव कुमार कुर्रे) 184

75. महिलाओं के विधिक अधिकार का सच – मालती जोशी की कहानियों के संदर्भ में (डॉ. बीना चौधरी) 186

76. महिलाएं और मानवाधिकार – नीमच जिले के ईंट भट्ठा उद्योग के विशेष सन्दर्भ में 188
(डॉ. एम.एस. सलूजा, डॉ. विवेक नागर)

77. भारत में महिलाओं की स्थिति मानवाधिकार और कानून के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न विवाह कानून और महिलाएं – 190
मुस्लिम विधि के अंतर्गत (अर्पिता संघवी)

78. समाज में महिलाओं की स्थिति और कानूनों का उस पर प्रभाव (डॉ. रश्मि शर्मा) 192

79. भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति और कानूनों का उस पर प्रभाव (डॉ. नरेन्द्र शर्मा) 194

80. श्रम कानून और महिलाएं (रूचि वर्मा) 196

81. विभिन्न विवाह कानून और महिलाएं (राघवेन्द्र गौड़) 198

82. कामकाजी महिलाओं की शोषण से सुरक्षा और श्रम कानून (माया जजवानी) 200

83. महिलाओं के विरूद्ध अपराध के स्वरूपों में परिवर्तन (डॉ. निधि कुमार तिवारी) 202

84. घरेलू हिंसा और मानवाधिकार – विधि एवं नीति घरेलू हिंसा अधिनियम एवं कमियाँ (नीति निपुणा) 204

85. घरेलू हिंसा के भारत में बढ़ते मामलों का अध्ययन (आशीष रावल) 206

86. समाज में महिलाओं की स्थिति और कानूनों का उन पर प्रभाव (निशां कंठालिया) 208

87. दहेज प्रतिषेध अधिनियम और घरेलू हिंसा रोकथाम कानूनों का क्रियान्वयन और महिलाएं (अनिता सिंह) 209

88. समाज में महिलाओं की स्थिति ओर कानून का उन पर प्रभाव (नेहा मंडोवरा, श्वेता मंडोवरा) 210

89. समाज में महिलाओं की स्थिति और कानूनों का उन पर प्रभाव (डॉ. गुलाब सिंह मेवाड़ा) 211

90. MEMBERSHIP CUM AUTHOR'S BIO-DATA FORM 212

****

क्षेत्रीय सम्पादक मण्डल अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय (Regional Editor Board- International & National) मानद्

(01) डॉ. मनीषा ठाकुर ..... फुल्टन कॉलेज, एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी, अमेरिका
(02) श्री अशोककुमार ..... एम्प्लॉयब्लिटी ऑपरेशन्स मैनेजर, एक्शन ट्रेनिंग सेन्टर लि. लन्दन, यूनाईटेड किंगडम
(03) प्रो. डॉ. सिलव्यू बिस्यू ..... वाईस डीन (वाणिज्य एवं प्रबन्ध) कृषि एवं ग्रामीण विकास महाविद्यालय, बूचारेस्ट, रोमानिया
(04) श्री खगेन्द्रप्रसाद सुबेदी ..... सीनियर सॉयकोलॉजिस्ट, पब्लिक सर्विस कमीशन, सेन्ट्रल ऑफिस, अनामनगर, काठमाँडू, नेपाल
(05) प्रो. डॉ. ज्ञानचंद खिमेसरा ..... पूर्व प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.) भारत
(06) प्रो. डॉ. प्रमोद कुमार राघव ..... शोध निदेशक, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्व विद्यालय, जयपुर (राज.) भारत
(07) प्रो. डॉ. एन.एस.राव. ..... संचालक, जनार्दनराय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत
(08) प्रो. डॉ. अनूप व्यास. ..... (पूर्व) संकायाध्यक्ष, वाणिज्य, देवी अहिल्या विश्व विद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत
(09) प्रो. डॉ. पी.पी. पाण्डे ..... संकायाध्यक्ष, वाणिज्य (डीन), अवधेश प्रतापसिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत
(10) प्रो. डॉ. संजय भयानी. ..... अध्यक्ष, व्यवसाय प्रबंध विभाग, सौराष्ट्र विश्व विद्यालय, राजकोट (गुजरात) भारत
(11) प्रो. डॉ. प्रताप राव कदम ..... अध्यक्ष, वाणिज्य, शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खण्डवा (म.प्र.) भारत
(12) प्रो. डॉ. बी.एस. झरे . ..... प्राध्यापक वाणिज्य विभाग, श्री शिवाजी महाविद्यालय, आकोला (महाराष्ट्र) भारत
(13) प्रो. डॉ. राकेश शर्मा ..... अध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गुड़गांव (हरियाणा) भारत
(14) प्रो. डॉ. संजय खरे ..... प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग, शास. स्वशासी कन्या स्नात. उत्कृष्टता महा., सागर (म.प्र.) भारत
(15) प्रो. डॉ. आर.पी. उपाध्याय ..... परीक्षा नियंत्रक, शासकीय कमलाराजे कन्या स्वशासी स्नातकोत्तर महा., ग्वालियर (म.प्र.) भारत
(16) प्रो. डॉ. प्रदीप कुमार शर्मा ..... प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग, शासकीय हमीदिया कला एवं वाणिज्य महा., भोपाल (म.प्र.) भारत
(17) प्रो. अखिलेश जाधव ..... प्राध्यापक, भौतिकी, शासकीय जे. योगानन्दम् छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़) भारत
(18) प्रो. डॉ. कमल जैन ..... प्राध्यापक, वाणिज्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरगोन (म.प्र.) भारत
(19) प्रो. डॉ.डी.एन. खड़से ..... प्राध्यापक, वाणिज्य, धनवते नेशनल कॉलेज, नागपुर (महाराष्ट्र) भारत
(20) प्रो.डॉ. वन्दना जैन ..... प्राध्यापक, हिन्दी, शासकीय कालिदास कन्या महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
(21) प्रो. डॉ. हरदयाल अहिरवार ..... प्राध्यापक, अर्थशास्त्र, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शहडोल (म.प्र.) भारत
(22) प्रो. डॉ. शारदा त्रिवेदी ..... सेवानिवृत्त प्राध्यापक, गृहविज्ञान, इंदौर (म.प्र.) भारत
(23) प्रो. डॉ. उषा श्रीवास्तव ..... अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, आचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रेच्यूट स्टडी. सोलदेवानली, बैंगलुरू (कर्ना.) भारत
(24) प्रो. डॉ. गणेशप्रसाद दावरे ..... प्राध्यापक, वाणिज्य, शासकीय महाविद्यालय, बड़वाह (म.प्र.) भारत
(25) प्रो. डॉ. एच.के. चौरसिया ..... प्राध्यापक, वनस्पति, टी.एन.वी. महाविद्यालय, भागलपुर (बिहार) भारत
(26) प्रो. डॉ. विवेक पटेल ..... प्राध्यापक, वाणिज्य, शासकीय महाविद्यालय, कोतमा, जिला अनूपपुर (म.प्र.) भारत
(27) प्रो. डॉ. दिनेशकुमार चौधरी ..... प्राध्यापक, वाणिज्य, राजमाता सिन्धिया शासकीय कन्या महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.) भारत
(28) प्रो. डॉ. आर.के. गौतम ..... प्राध्यापक ,वाणिज्य, शासकीय मानकुंवर बाई कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) भारत
(29) प्रो. डॉ. जितेन्द्र के. शर्मा ..... प्राध्यापक, वाणिज्य एवं प्रबंध, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय केन्द्र, पालवाल (हरियाणा) भारत
(30) प्रो. डॉ. गायत्री वाजपेयी ..... प्राध्यापक, हिन्दी, शासकीय महाराजा स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.) भारत
(31) प्रो. डॉ. अविनाश शेन्द्रे ..... विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र, प्रगति कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, डोम्बीवली, मुम्बई (महाराष्ट्र) भारत
(32) प्रो. डॉ. जी.सी. मेहता ..... पूर्व अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल वाणिज्य, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत
(33) प्रो.डॉ. बी.एस. मक्कड़ ..... अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल वाणिज्य, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
(34) प्रो.डॉ. पी.पी. मिश्रा ..... विभागाध्यक्ष, गणित, छत्रसाल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पन्ना, (म.प्र.) भारत
(35) प्रो.डॉ. सुनील कुमार सिकरवार.... प्राध्यापक, रसायन, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, झाबुआ (म.प्र.) भारत
(36) प्रो.डॉ. के.एल. साहू ..... प्राध्यापक, इतिहास, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नरसिंहपुर (म.प्र.) भारत
(37) प्रो.डॉ. मालिनी जॉनसन ..... प्राध्यापक, वनस्पति, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महू (म.प्र.) भारत
(38) प्रो.डॉ. विशाल पुरोहित ..... एम.एल.बी. शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, किला मैदान, इन्दौर (म.प्र.) भारत

सम्पादकीय सलाहकार मण्डल (Editorial Advisory Board, INDIA) मानद्

(01) प्रो. डॉ. नरेन्द्र श्रीवास्तव ..... प्रसिद्ध वैज्ञानिक 'इसरो' बैंगलुरू (कर्नाटक) भारत
(02) प्रो. डॉ. आदित्य लूनावत ..... निदेशक, स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल (म.प्र.) भारत
(03) प्रो. डॉ. संजय जैन ..... पूर्व सहायक नियंत्रक, म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल (म.प्र.) भारत
(04) प्रो. डॉ.एस.के. जोशी ..... प्राचार्य, शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.) भारत
(05) प्रो. डॉ. जे.पी.एन. पाण्डेय ..... प्राचार्य, शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.) भारत
(06) प्रो. डॉ. सुमित्रा वास्केल ..... प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरगोन (म.प्र.) भारत
(07) प्रो. डॉ. पी.आर. चन्देलकर ..... प्राचार्य, शासकीय कन्या महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.) भारत
(08) प्रो. डॉ. मंगल मिश्र ..... प्राचार्य, श्री क्लॉथ मार्केट, कन्या वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत
(09) प्रो. डॉ.आर.के. भट्ट ..... प्राचार्य, शासकीय महिला महाविद्यालय, नरसिंहपुर (म.प्र.) भारत
(10) प्रो. डॉ. अशोक वर्मा ..... पूर्व संकायाध्यक्ष, वाणिज्य (डीन) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत
(11) प्रो. डॉ. टी.एम. खान ..... प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, धामनोद, जिला–धार (म.प्र.) भारत
(12) प्रो. डॉ. राकेश ढण्ड ..... संकायाध्यक्ष, विद्यार्थी कल्याण विभाग विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
(13) प्रो. डॉ. अनिल शिवानी ..... अध्यक्ष, वाणिज्य एवं प्रबंध विभाग श्री अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत
(14) प्रो. डॉ. पद्मसिंह पटेल ..... अध्यक्ष, वाणिज्य विभाग शासकीय महाविद्यालय, महिदपुर (म.प्र.) भारत
(15) प्रो. डॉ. मंजु दुबे ..... संकायाध्यक्ष (डीन), गृह विज्ञान संकाय, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत
(16) प्रो. डॉ.ए.के. चौधरी ..... प्राध्यापक, मनोविज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत
(17) प्रो. डॉ. प्रदीप सिंह राव ..... प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, सैलाना, जिला–रतलाम (म.प्र.) भारत
(18) प्रो. डॉ. पी.के. मिश्रा ..... प्राध्यापक ,प्राणी शास्त्र, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बैतूल (म.प्र.) भारत
(19) प्रो. डॉ. के. के. श्रीवास्तव ..... प्राध्यापक ,अर्थशास्त्र, विजया राजे शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत
(20) प्रो.डॉ. कान्ता अलावा ..... प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान, शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत
(21) प्रो. डॉ. एस. के. जैन ..... प्राध्यापक ,वाणिज्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, झाबुआ (म.प्र.) भारत
(22) प्रो. डॉ. किशन यादव ..... एसोसिएट प्रोफेसर (राजनीति विज्ञान) शोध केन्द्र, बुन्देलखण्ड कॉलेज, झांसी (उ.प्र.) भारत
(23) प्रो. डॉ. बी.आर.नलवाया ..... प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.) भारत
(24) प्रो. डॉ. नट्वरलाल गुप्ता ..... अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल वाणिज्य, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत
(25) प्रो.डॉ. पुरुषोत्तम गौतम ..... संकायाध्यक्ष, वाणिज्य (डीन) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,इन्दौर (म.प्र.) भारत
(26) प्रो. डॉ. एस. सी. मेहता ..... प्राध्यापक एवं अध्यक्ष, शासकीय भगत सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जावरा (म.प्र.) भारत

****

निर्णायक मण्डल (Referee Board) मानद्

**** विज्ञान संकाय ****

गणित:– ..... **(1) प्रो. डॉ.वी.के. गुप्ता,** संचालक वैदिक गणित एवं शोध संस्थान, उज्जैन (म.प्र.)

भौतिकी:– ..... **(1) प्रो. डॉ. आर.सी. दीक्षित**, शासकीय होल्कर विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)

(2) प्रो.डॉ. नीरज दुबे, शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)

कम्प्यूटर विज्ञान:– ..... **(1) प्रो. डॉ. उमेश कुमार सिंह** अध्यक्ष कम्प्यूटर अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)

रसायन:– ..... **(1) प्रो. डॉ. मनमीत कौर मक्कड़,** शासकीय कालिदास कन्या महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)

वनस्पति:– ..... **(1) प्रो. डॉ. सुचिता जैन,** राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोटा (राज.)

(2) प्रो.डॉ. अखिलेश आयाची, शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

प्राणिकी:– ..... **(1) प्रो.डॉ. मंजुलता शर्मा,** एम.एस.जे., राजकीय महाविद्यालय, भरतपुर (राज.)

(2) प्रो. डॉ. अमृता खत्री, माता जीजाबाई शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मोती तबेला, इन्दौर (म.प्र.)

सांख्यिकी:– ..... **(1) प्रो. डॉ. रमेश पण्ड्या,** शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.)

सैन्य विज्ञान:– ..... **(1) प्रो. डॉ. कैलाश त्यागी,** शासकीय मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)

जीव रसायन:– ..... **(1) डॉ. कंचन डींगरा,** शासकीय एम.एच. गृह विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

भूगर्भ शास्त्र:– ..... **(1) प्रो. डॉ. आर.एस. रघुवंशी,** शासकीय मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)

(2) प्रो. डॉ. सुयश कुमार, शासकीय आदर्श महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)

चिकित्सा विज्ञान:– ..... **(1) डॉ. एच.जी. वरूधकर,** आर.डी. गारड़ी मेडिकल महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)

सूक्ष्म जीव विज्ञान:– ..... **(1) अनुराग झँवेरी,** बायो केयर रिसर्च (आई) प्रा.लि., अहमदाबाद (गुजरात)

**** वाणिज्य संकाय ****

वाणिज्य :– ..... **(1) प्रो. डॉ. पी.के. जैन,** शासकीय हमीदिया महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)

(2) प्रो. डॉ. शैलेन्द्र भारल , शासकीय कालिदास कन्या महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)

(3) प्रो. डॉ. लक्ष्मण परवाल, शासकीय वाणिज्य महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.)

**** प्रबंध एवं व्यवसाय प्रशासन संकाय ****

प्रबंध :– ..... **(1) प्रो. डॉ. रामेश्वर सोनी** , अध्यक्ष अध्ययन शाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)

(2) प्रो. डॉ. आनन्द तिवारी , शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर कन्या उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)

मानव संसाधन:– ..... **(1) प्रो. डॉ. हरविन्दर सोनी** , पैसेफिक बिजनेस स्कूल, उदयपुर (राज.)

व्यवसाय प्रशासन:– ..... **(1) प्रो. डॉ. कपिलदेव शर्मा ,** राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोटा (राज.)

**** विधि संकाय ****

विधि:– ..... **(1) प्रो. डॉ. एस.एन. शर्मा,** प्राचार्य, शासकीय माधव विधि महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)

(2) प्रो. डॉ. नरेन्द्र कुमार जैन, प्राचार्य श्री जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर विधि महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.)

**** कला संकाय ****

अर्थशास्त्र:– ..... **(1) प्रो. डॉ. पी.सी. रांका,** श्री सीताराम जाजू शासकीय कन्या महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.)

(2) प्रो. डॉ. जे.पी. मिश्रा, शासकीय महाराजा स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

(3) प्रो. डॉ. अंजना जैन, एम.एल.बी. शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, किला मैदान, इन्दौर (म.प्र.)

राजनीति:– ..... **(1) प्रो. डॉ. रवींद्र सोहोनी,** शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.)

(2) प्रो. डॉ. अनिल जैन, शासकीय कन्या महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.)

(3) प्रो. डॉ. सुलेखा मिश्रा, मानकुंवर बाई शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

दर्शनशास्त्र:– ..... **(1) प्रो. डॉ. हेमन्त नामदेव,** शासकीय माधव कला-वाणिज्य-विधि महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)

समाजशास्त्र:– ..... **(1) प्रो. डॉ. एच.एल. फुलवरे,** शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धार (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. इन्दिरा बर्मन , शासकीय गृह विज्ञान महाविद्यालय, होशंगाबाद (म.प्र.)
(3) प्रो. डॉ. उमा लवानिया , शासकीय कन्या महाविद्यालय, बीना, जिला-सागर (म.प्र.)

हिन्दी:– ..... **(1) प्रो. डॉ. चन्दा तलेरा जैन,** अध्यक्ष अध्ययन मण्डल, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र)
(2) प्रो. डॉ. जया प्रियदर्शनी शुक्ला, वनस्थली विद्यापीठ (राज.)
(3) प्रो. डॉ. कला जोशी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)

अंग्रेजी:– ..... **(1) प्रो. डॉ. अजय भार्गव,** शासकीय महाविद्यालय, बड़नगर (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. मंजरी अग्निहोत्री, शासकीय कन्या महाविद्यालय, सीहोर (म.प्र.)

संस्कृत:– ..... **(1) प्रो. डॉ. भावना श्रीवास्तव,** शासकीय स्वशासी महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. बालकृष्ण प्रजापति, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गंजबासौदा जिला विदिशा (म.प्र.)

इतिहास:– ..... **(1) प्रो. डॉ. नवीन गिडियन,** शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)

भूगोल:– ..... **(1) प्रो. डॉ. राजेन्द्र श्रीवास्तव,** शासकीय महाविद्यालय, पिपलियामण्डी, जिला मंदसौर (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. काजल मोइत्रा , डॉ. सी वी रामन् विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

मनोविज्ञान:– ..... **(1) प्रो. डॉ. कामना वर्मा,** प्राचार्य, शासकीय राजमाता सिंधिया कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. सरोज कोठारी, शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इंदौर (म.प्र.)

चित्रकला:– ..... **(1) प्रो. डॉ. अल्पना उपाध्याय,** शासकीय माधव कला-वाणिज्य-विधि महाविद्यालय उज्जैन (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. रेखा श्रीवास्तव, महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)

संगीत:– ..... **(1) प्रो. डॉ. भावना ग्रोवर (कथक),** स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय, मेरठ (उ.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. श्रीपाद अरोणकर, राजमाता सिन्धिया शासकीय कन्या महाविद्यालय, छिन्दवाडा (म.प्र.)

****** गृह विज्ञान संकाय ******

आहार एवं पोषण विज्ञान:– .... **(1) प्रो.डॉ. प्रगति देसाई,** शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इंदौर (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. मधु गोयल, स्वामी केशवानन्द गृह विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर (राज.)
(3) प्रो. डॉ. संध्या वर्मा, शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

मानव विकास:– ..... **(1) प्रो. डॉ. मीनाक्षी माथुर,** अध्यक्ष, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर (राज.)
(2) प्रो. डॉ. आभा तिवारी, अध्यक्ष अध्ययन मण्डल रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

पारिवारिक संसाधन प्रबंध:– ... **(1) प्रो. डॉ. मंजु शर्मा,** माता जीजाबाई शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मोती तबेला, इंदौर (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. नम्रता अरोरा, वनस्थली विद्यापीठ (राज.)

****** शिक्षा संकाय ******

शिक्षा ..... **(1) प्रो. डॉ. मनोरमा माथुर,** महींद्रा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बैंगलुरू (कर्नाटक)
(2) प्रो. डॉ. एन.एम.जी. माथुर, प्राचार्य एवं डीन पेसेफिक शिक्षा महाविद्यालय, उदयपुर (राज.)
(3) प्रो. डॉ. नीना अनेजा, प्राचार्य, ए.एस. कॉलेज ऑफ एजुकेशन,खन्ना (पंजाब)
(4) प्रो. डॉ. सतीश गिल, शिव कॉलेज ऑफ एजुकेशन, तिगाँव, फरीदाबाद (हरियाणा)

****** आर्किटेक्चर संकाय ******

शारीरिक शिक्षा ..... **(1) प्रो. किरण पी. शिंदे ,** प्राचार्य, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, आई.पी.एस. एकडेमी, इंदौर (म.प्र.)

****** शारीरिक शिक्षा संकाय ******

शारीरिक शिक्षा ..... **(1) प्रो. डॉ. अक्षयकुमार शुक्ला,** अध्यक्ष शारीरिक शिक्षा पेसेफिक विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.)

****** ग्रन्थालय विज्ञान संकाय ******

ग्रन्थालय विज्ञान ..... **(1) डॉ. अनिल सिरौठिया,** शासकीय महाराजा महाविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

प्रवक्ता साथी (मानद्)

(01) प्रो. डॉ. देवेन्द्र सिंह राठौड़ ..... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.)
(02) प्रो. श्रीमती विजया वधवा ..... शासकीय कन्या महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.)
(03) डॉ. सुरेंद्र शक्तावत ..... ज्ञानोदय इंस्टीट्यूट ऑफ मेनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, नीमच (म.प्र.)
(04) प्रो. डॉ. देवीलाल अहीर ..... शासकीय महाविद्यालय, जावद, जिला नीमच (म.प्र.)
(05) श्री आशीष द्विवेदी ..... शासकीय महाविद्यालय, मनासा, जिला नीमच (म.प्र.)
(06) प्रो. डॉ. मनोज महाजन ..... शासकीय महाविद्यालय, सोनकच्छ, जिला देवास (म.प्र.)
(07) श्री उमेश शर्मा ..... कृष्णा शिक्षा महाविद्यालय, जावी, जिला– नीमच (म.प्र.)
(08) प्रो. डॉ. एस.पी. पंवार ..... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.)
(09) प्रो. डॉ. पूरालाल पाटीदार ..... शासकीय कन्या महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.)
(10) प्रो. डॉ. क्षितिज पुरोहित ..... जैन कला–वाणिज्य–विज्ञान महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.)
(11) प्रो. डॉ.एन.के. पाटीदार ..... शासकीय महाविद्यालय, पिपलियामंडी, जिला मन्दसौर (म.प्र.)
(12) प्रो. डॉ. वाय.के. मिश्रा ..... शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.)
(13) प्रो. डॉ. सुरेश कटारिया ..... शासकीय कन्या महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.)
(14) प्रो. डॉ. अभय पाठक ..... शासकीय वाणिज्य महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.)
(15) प्रो. डॉ. मालसिंह चौहान ..... शासकीय महाविद्यालय, सैलाना, जिला रतलाम (म.प्र.)
(16) प्रो. डॉ. गेंदालाल चौहान ..... शासकीय विक्रम महाविद्यालय, खाचरौद, जिला उज्जैन (म.प्र.)
(17) प्रो. डॉ. प्रभाकर मिश्र ..... शासकीय महाविद्यालय, महिदपुर, जिला उज्जैन (म.प्र.)
(18) प्रो. डॉ. प्रकाश कुमार जैन ..... शासकीय माधव कला वाणिज्य विधि महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
(19) प्रो. डॉ. कमला चौहान ..... शासकीय कालिदास कन्या महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
(20) प्रो. डॉ.आभा दीक्षित ..... शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
(21) प्रो. डॉ. पंकज माहेश्वरी ..... शासकीय महाविद्यालय, तराना, जिला उज्जैन (म.प्र.)
(22) प्रो. डॉ. डी.सी. राठी ..... स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, इंदौर
(23) प्रो. डॉ. अनिता गगराड़े ..... शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)
(24) प्रो. डॉ. संजय पंडित ..... शासकीय एम.जे.बी. कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मोती तबेला, इन्दौर (म.प्र.)
(25) प्रो. डॉ. रामबाबू गुप्ता ..... शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)
(26) प्रो. डॉ. अंजना सक्सैना ..... शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इंदौर (म.प्र.)
(27) प्रो. डॉ. सोनाली नरगुन्दे ..... पत्रकारिता एवं जनसंचार अध्ययनशाला देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर (म.प्र.)
(28) प्रो. डॉ. भारती जोशी ..... आजीवन शिक्षण विभाग देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)
(29) प्रो. डॉ. एम.डी. सोमानी ..... शासकीय एम.जे.बी. कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मोती तबेला, इन्दौर (म.प्र.)
(30) प्रो. डॉ. प्रीति भट्ट ..... शासकीय एन.एस.पी. विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)
(31) प्रो. डॉ. संजय प्रसाद ..... शासकीय महाविद्यालय, सांवेर, जिला इन्दौर (म.प्र.)
(32) प्रो. डॉ. मीना मटकर ..... सुगनीदेवी कन्या महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)
(33) प्रो. मोहन वास्केल ..... शासकीय महाविद्यालय, थांदला, जिला – झाबुआ (म.प्र.)
(34) प्रो. डॉ. नितिन सहारिया ..... शासकीय महाविद्यालय, कोतमा, जिला अनूपपुर (म.प्र.)
(35) प्रो. डॉ. मंजु राजोरिया ..... शासकीय कन्या महाविद्यालय, देवास (म.प्र.)
(36) प्रो. डॉ. शहजाद कुरैशी ..... शासकीय नवीन कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, मूंदी, जिला खण्डवा (म.प्र.)
(37) प्रो. डॉ. शैल बाला सांधी ..... महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)
(38) प्रो. डॉ. प्रवीण ओझा ..... श्री भगवत सहाय शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)
(39) प्रो. डॉ.ओमप्रकाश शर्मा ..... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, श्योपुर (म.प्र.)
(40) प्रो. डॉ. एस.के. श्रीवास्तव ..... शासकीय विजया राजे कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)
(41) प्रो. डॉ. अनूप मोघे ..... शासकीय कमलाराजे कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)
(42) प्रो. डॉ. हेमलता चौहान ..... शासकीय महाविद्यालय, बड़नगर (म.प्र.)
(43) प्रो. डॉ. महेशचन्द्र गुप्ता ..... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरगोन (म.प्र.)
(44) प्रो. डॉ. मंगला ठाकुर ..... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वाह, जिला खरगोन (म.प्र.)
(45) प्रो. डॉ. के.आर. कुम्हेकर ..... शासकीय महाविद्यालय, सनावद, जिला खरगोन (म.प्र.)
(46) प्रो. डॉ. आर.के. यादव ..... शासकीय कन्या महाविद्यालय, खरगोन (म.प्र.)
(47) प्रो. डॉ. आशा साखी गुप्ता ..... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.)

(48) प्रो. डॉ. बी. एस. सिसोदिया ..... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धार (म.प्र.)
(49) प्रो. डॉ. प्रभा पाण्डेय ..... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मैहर, जिला– सतना (म.प्र.)
(50) डॉ. राजेश कुमार ..... शासकीय महाविद्यालय अमरपाटन, जिला–सतना (म.प्र.)
(51) प्रो. डॉ. रावेन्द्रसिंह पटेल ..... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना (म.प्र.)
(52) प्रो. डॉ. मनोहरलाल गुप्ता ..... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजगढ़ ब्यावरा (म.प्र.)
(53) प्रो. डॉ. मधुसुदन प्रकाश ..... शासकीय महाविद्यालय, गंजबासोदा, जिला–विदिशा (म.प्र.)
(54) प्रो. युवराज श्रीवास्तव ..... सी.वी. रमन विश्वविद्यालय, कोटा–बिलासपुर (छ.ग.)
(55) प्रो. डॉ. सुनील वाजपेयी ..... शासकीय तिलक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कटनी (म.प्र.)
(56) प्रो. डॉ. ए.के. पाण्डे ..... शासकीय कन्या महाविद्यालय, सतना (म.प्र.)
(57) प्रो. डॉ. यतीन्द्र महोबे ..... शासकीय महिला महाविद्यालय, नरसिंहपुर (म.प्र.)
(58) प्रो. डॉ. शशि प्रभा जैन ..... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, आगर–मालवा (म.प्र.)
(59) प्रो. डॉ. नियाज अंसारी ..... शासकीय महाविद्यालय,सिंहावल, जिला सीधी (म.प्र.)
(60) प्रो. डॉ. अर्जुनसिंह बघेल ..... शासकीय महाविद्यालय, हरदा (म.प्र.)
(61) डॉ. सुरेश कुमार विमल ..... शासकीय महाविद्यालय, भैंसादेही, जिला बैतूल (म.प्र.)
(62) प्रो. डॉ. अमरचन्द्र जैन ..... शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)
(63) प्रो. डॉ. रश्मि दुबे ..... शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)
(64) प्रो. डॉ. ए.के. जैन ..... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बीना, जिला– सागर (म.प्र.)
(65) प्रो. डॉ. संध्या टिकेकर ..... शासकीय कन्या महाविद्यालय, बीना, जिला– सागर (म.प्र.)
(66) प्रो. डॉ. राजीव शर्मा ..... शासकीय नर्मदा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, होशंगाबाद (म.प्र.)
(67) प्रो. डॉ. रश्मि श्रीवास्तव ..... शासकीय गृह विज्ञान महाविद्यालय, होशंगाबाद (म.प्र.)
(68) प्रो. डॉ. लक्ष्मीकांत चंदेला ..... शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, छिंदवाड़ा (म.प्र.)
(69) प्रो. डॉ. बलराम सिंगोतिया ..... शासकीय महाविद्यालय सौंसर, जिला–छिन्दवाड़ा (म.प्र.)
(70) प्रो.डॉ. विम्मी बहल ..... शासकीय महाविद्यालय, काला पीपल, जिला – शाजापुर (म.प्र.)
(71) प्रो. डॉ. अमित शुक्ल ..... शासकीय ठाकुर रणमतसिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
(72) प्रो. डॉ. मीनू गजाला खान ..... शासकीय महाविद्यालय, मक्सी, जिला–शाजापुर (म.प्र.)
(73) प्रो. डॉ. पल्लवी मिश्रा ..... शासकीय महाविद्यालय, नई गढ़ी, जिला– रीवा (म.प्र.)
(74) प्रो. डॉ. एम.पी. शर्मा ..... शासकीय महाविद्यालय, दतिया (म.प्र.)
(75) प्रो. डॉ. जया शर्मा ..... शासकीय कन्या महाविद्यालय, सीहोर (म.प्र.)
(76) प्रो. डॉ. सुशील सोमवंशी ..... शासकीय महाविद्यालय, नेपानगर, जिला बुरहानपुर (म.प्र.)
(77) प्रो. डॉ. इशरत खान ..... शासकीय महाविद्यालय, रायसेन (म.प्र.)
(78) प्रो. डॉ. कमलेशसिंह नेगी ..... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सीहोर (म.प्र.)
(79) प्रो. डॉ. भावना ठाकुर ..... शासकीय महाविद्यालय रेहटी, जिला सीहोर (म.प्र.)
(80) प्रो. डॉ. केशवमणि शर्मा ..... पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शाजापुर (म.प्र.)
(81) प्रो. डॉ. रेणु राजेश ..... शासकीय नेहरु अग्रणी महाविद्यालय, अशोक नगर (म.प्र.)
(82) प्रो. डॉ. अविनाश दुबे ..... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खण्डवा (म.प्र.)
(83) प्रो. डॉ. वी.के. दीक्षित ..... छत्रसाल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पन्ना (म.प्र.)
(84) प्रो. डॉ. राम अवेधश शर्मा ..... एम.जे.एस. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भिण्ड (म.प्र.)
(85) प्रो. डॉ. मनोज कुमार अग्निहोत्री ..... सरोजिनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)
(86) प्रो. डॉ. समीर कुमार शुक्ला ..... शासकीय चन्द्र विजय महाविद्यालय, डिण्डोरी (म.प्र.)
(87) प्रो. अपराजीता भार्गव ..... अध्यापक ,आर. डी. पब्लिक स्कूल, बैतूल (म.प्र.) भारत
(88) प्रो. डॉ. अनूप परसाई ..... शासकीय जे. योगानन्दन छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)
(89) प्रो. डॉ. अनिलकुमार जैन ..... वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (राज.)
(90) प्रो. डॉ. अर्चना वशिष्ठ ..... राजकीय राजऋषि महाविद्यालय अलवर (राज.)
(91) प्रो. डॉ. कल्पना पारीख ..... एस.एस.जी. पारीख स्नातकोत्तर कॉलेज, जयपुर (राज.)
(92) प्रो. डॉ. गजेन्द्र सिरोहा ..... पेसिफिक विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.)
(93) प्रो. डॉ. कृष्णा पैन्सिया ..... हरिश आंजना महाविद्यालय, छोटीसादड़ी, जिला– प्रतापगढ़ (राज.)
(94) प्रो. डॉ. प्रदीप सिंह ..... केंद्रीय विश्व विद्यालय हरियाणा, महेंद्रगढ़ (हरियाणा)
(95) प्रो. डॉ. स्मृति अग्रवाल ..... शोध सलाहकार, नई दिल्ली
(96) प्रो. डॉ. कविता भदौरिया ..... शासकीय कन्या महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत

Study on Trophic Status of River Bichhia of District Rewa, M.P. India, through Database findings of Macrophytes and Fish Biodiversity

Suman Singh *

Abstract - This study was conducted in 2015-16 for trophic status of Bichhia, a significant river of District Rewa (24°322 N 81°182 Eÿþ/ 24.53°N 81.3°Eÿþ / 24.53; 81.3) M.P., India which flows through Rewa town, (M.P.) and fulfils the water needs of the town through finding the status of aquatic vegetation and fish diversity. Abundance of spp. Wolffia ,*Vallisnaria*, *Potemogeton*, *Ipomea*, *Lemna*, *Azolla*, *Pistia*, *Hydrilla*, *Chara* and *Myriophyllum* was recorded. Fish diversity and population dynamics of major carps has greatly changed. Abundance of Amphpnous, Channa , Xenentedon Chela ,Puntius were recorded. Trophic structure indicated dominance of herbivore with 19 fish species (33.33%) followed by carnivore 15species (26.31%) and omnivore with 16 species (28.07%) while 4 species (7.01%) was not evaluated.

Key Words - Bichhia River, Ichthyofaunal diversity, Macrophytes, population dynamics,Threatening Status of fishes.

Introduction - Species diversity is a property of the population level while the functional diversity concept is more strongly related to ecosystem stability and stresses, physical and chemical factors for determining population dynamics in the aquatic ecosystem. Various organisms including the plankton play a significant role in the dynamics of the ecosystem (Kar & Barbhuiya, 2004). Ichthyodiversity refers to variety of fish species depending on context and scale, it could refer to alleles or genotypes within piscian population, to species of life forms within a fish community and to species or life forms across aqua regimes (Burton et al., 1992).

The assessment of trophic indicator or biota and the development of floristic-ecological river zones in the Bichhia River may reflect impact on the trophic gradient (and other variable habitat factors, Fig. 2) due to Bansagar Dam of Vindhya region of Madhya Pradesh. The reduction in catch of major carps and increase of weed fishes accompanied by change in species favouring flowing water are replaced by species favouring still water was observed in the river. Studies have been done on the fish population dynamics, ichthyodiversity and conservation of fishes in the aquatic ecosystems in north-eastern India by many investigators (Kar et al., 2003), other places in India (Jhingran & Tripathi, 1969) and the world (Janzen, 1981) but very few efforts have been made in Vindhya region of Madhya Pradesh .

Objective :

1. This study focuses on biological indicators of trophic conditions in the river reaches, the importance of macrophytes as trophic indicators in river ecosystems and status and conservation of biological diversity.
2. This study was for impact on fish faunal diversity by going through population dynamics of fish species and hydrobiological parameters of water brought from Sone River through Canal of Silpara hydel Project of Rewa District being used for bringing waters from Bansagar multipurpose valley project (M.P.) of River Sone.

Material and Methods - The study has been carried out over a period from March 2014 to February 2016 covering middle stretch of river Bichhia of District Rewa (24°322 N 81°182 Eÿþ/ 24.53°N 81.3°Eÿþ / 24.53; 81.3) which flows through Rewa town, Madhya Pradesh (**Fig. 1**) and fulfils the water needs of the town. A compilation of trophic indicator values of macrophyte species was done according to Ryder et.al. (1974) Junk et.al (1989) and Canfield & John (1996) based on indicator species groups.

Collection of fish samples - Fish samples were collected / recorded from each sampling station according to Jackson, D.C. and Q. Ye (2000) Bose et.al. (2013), Vinnote et.al. (1980) Jayram (1991) and Joshi et.al. (2014). The sampling was carried out seasonally covering pre-monsoon, monsoon, post-monsoon and winter season with the help of local fishers using gill net, cast net, drag net, scoop net including hooks and lines having different mesh sizes according to the size of the fishes to be caught. Fish samples were also collected from landing centres associated with the river in stretch to monitor and verify the presence of any species which was not available during experimental fishing.

Results and Discussion - Investigations during study period showed that a change in trophic conditions was followed by a change in the distribution pattern of aquatic

*Professor (Zoology) Govt. Model Science College, Rewa (M.P.) INDIA

macrophytes and due to that fact, a change of the floristic-ecological river zones. In contrast to diatoms e.g., submerged macrophytes are capable of taking up nutrients from both the sediment pore water and the overlying water. Therefore, macrophytes can provide a more comprehensive assessment of river ecosystems.

Ecological indicator groups could be found on the basis of the distribution pattern of species in different river sections.

Table-1 (see in last page)

(i)- Species which are found only in the cleanest, sewage free sections of the headwaters: e.g. *Potamogetonnatans*,*Hydrilla Spp., Ceratophyllum spp*.

(ii)- Species with greatest density in slightly eutrophic reaches (upper and middle reaches of the river), which are absent from sections with higher nutrient levels: e.g. *Hippuris Spp.,Potamogeton natans., Chara Spp*,.

(iii)- Species which occur in more eutrophic reaches, but are absent from reaches without trophic impact: e.g. *Ranunculus Spp.,* , *Potamogeton crispus*. *Chara Spp*, Nitella Spp.. *Eichornia Spp.*

(iv)- Species which are frequent in all reaches: *Ranunculus Spp EichorniaSpp*.

With the help of floristic species groups, four floristic-ecological river zones were differentiated

Zone A (S4 & S1): Characterised by *Potamogeton natans, Ceratophyllumspp*. -group (no trophic impact).

Zone B (S3): Characterised by the euryecous Jussiaea repens Linn, Ipomoea aquatica (Forsk), . *Eichornia spp.* -group, and by the absence of the *Potamogeton spp* and *Ranunculus fluitans*-group (little trophic impact).

Zone C (S2a): Characterised by the co-occurrence of *Eichornia spp. Ranunculus fluitans*- Chara vulgaris Nitella sp. and *Eichornia Spp* Azolla pinnata (willd). -group (medium trophic impact). Zone D (S2b): Dominance of. Lemna minor Lemna , Wolffia, Spirodella *Ranunculus spp, Chara spp.* Azolla pinnata (willd)Ceratophyllum demersum Linn Utriculareia Flexuosa - (medium to high trophic impact).

This study focuses on macrophytic indicators of trophic conditions in different sampling stations of the river according to development projects like Barrage and canal systems which has led to increased sedimentation and choking of flowing water severely affecting the fish strongly linked to the ecological processes. The analytical programme was designed so that the location of the sampling points covers the gradient defining the macrophyte distribution in the range from the lowest to the highest polluted stretch. The Study is supported by research findings and formulations of Canfield and John (1996) which mirror the trophic gradient in this running water system.

The present study revealed that 43 fish species belonging to 35 genera, 14 families and 08 orders have so far been identified (**Table 2**). Cypriniformes represents 5 families 19 genera and 34 species out of them family Cyprinidae represents 17 genera and 32 species, family Balitoridae and Cobitidae represents 1 genus and 1 species each.

Table: 2 (see in last page)

Investigations during study period showed that a change in trophic conditions was followed by a change in the distribution pattern of aquatic macrophytes and a change of the floristic-ecological river zones.

Adult fish tend to overcome food shortages by their ability to feed on diverse items. Catch per unit of effort (gill net) was on average 240 g m^{-2} day^{-1} at S3 as compared to 78 g m^{-2} day^{-1} in the S2, 348 gm^2day^1 and the catches are highest during the falling and low water levels during water discharge from Bansagar dam. A dense aquatic vegetation called 'floating meadows', composed of the Eichornia *repens* and *Pomatogon*, interspersed with several other plant species (Fig.S3b). During the high water season connected by channels to the Beeher river and municipality discharge and the grasses form floating mats with submerged mass of rhizomes and roots which support a rich invertebrate fauna. These, together with detritus, provide an important food for small fish species and juveniles of important carnivorous and omnivorous species such as Glossbius giuris, Ophiocephalus, Xenentodon cancilla, Badis badis, Mastambelus, Amphipnus cuchia, Clarias batrachus, heteropneustus fossilis, A. cuchia spawn in floating meadow at the beginning of the flood and their juveniles inhabit and feed among the floating plants. (Fig.S2).

Aquatic macrophytes are preferred by juvenile fish not because they are a good food, but because they offer shelter and a large variety of food items, such as detritus, periphyton, perizoon, and terrestrial invertebrates. As the juveniles become larger, they move to other habitats, such as the open water or the floodplain forest and change their diet. The indirect importance of macrophytes as a food resource for fish, for example, in the form of macrophyte-feeding terrestrial and aquatic invertebrates, detritus and associated bacteria and fungi as well as in the form of dissolved organic carbon from decaying macrophytes via the microbial loop, has not yet been evaluated (Junk *et al.*, 1997).

Abundance and status of aquatic vegetation show that trophic parameters ammonium and reactive phosphate showed a clear gradient in the river. Submerged macrophytes respond to changes in the nutrient concentrations in their environment.

Table - 3 : Fish Fauna FamilyPercentagewise

S.	Family	Individuals	Percent%
1	Cyprinidae	206	79.01
2	Heteropneustidae	4	1.35
3	Siluridae	5	1.69
4	Bagridae	6	2.03
5	Mastacembelidae	5	1.69
6	Gobidae	7	2.37
7	Ambassidae	5	1.69
8	Ophiocephalidae	12	4.06

9	Belonidae	6	2.03
10	Clupidae	3	1.01
11	Sisoridae	1	0.32
12	Percidae	6	2.03
13	Claridae	4	1.35
	Total	295	100

Table 4: Species Richness

S.	Stations	Species	Richness
1	S1BeforeBichhia Bridge	19	2.521
2	S2Bihind Bichhia bridge	30	2.913
3	S3Near pumping station	38	3.874
4	S4Beehar Bichhia junction	39	3.902

The river is divided into mapping sections of different lengths, based on uniformity of morphological characteristics, substrate conditions, flowing velocity and homogeneity of vegetation (Fig.S2a,S2b,S3a,S3b and S4; Macrophytes).. Fish species recorded were 39 (S4), 38 (S3) 29 (S2) and 19 at (S1) site (Table-4). The Cyprinidae family (herbivorous) is dominant and subdominant family is Ophiocephalidae (carnivorous ;Table-3). With increasing TP, the contribution of piscivorous fish to total CPUEw decreased substantially (P<0.0001), the piscivores, perch dominated in the nutrient-poor zone, S4 (Fig-9) whereas Glossogobius giuris, Xenentodon cancilla, Spp. of Chanda, Chela Amphipnous cuchia were most abundant in nutrient-rich zone S2 and S3 (Fig.7&8). The CPUEw of Spp. of order Perciformes was negatively related to TP and mean depth, while CPUEw of other weed fishes were unrelated to both variables. Benthivorous sps (Mrigala, *Mastambelus sps*.) was significantly (P<0.0001) unimodally related to TP (Fig-8 & 9). Findings are supported by Devendra (2012), Kar (2003) and Khanna, Bhatt (2012).

The dominant species, *Puntius sophore* has total 108 individuals (34.95%), Labeo gachua (28.7%) *Labeo bata* 25 individuals (8.09%) and *Puntius ticto* 21 individuals (6.79%) respectively (Herbivoros). The least abundant fish was Lepidocephalchthyes guntea *Nemacheilus botia, Puntius chola, Puntius, Amblypharyngodon mola (Mastacembelus armatus,* three species *(Herbivorous), three* spp. of *Mystus (2.69%), Channa (2.69%) and Wallago Notopterus, Clarius, Heteropneustus Ompok,* with one individual each (0.96%). Very first record of fish diversity of Narmada, Madhya Pradesh was on hill stream of Satpura ranges (Hora & Nair 1941) reported 41 species. Vyas *et al.,* (2009) studied on fish fauna of tributaries of Narmada and recorded 52 species belonging to 28 genera, 13 families and 7 orders. Bose *et al.,* (2013) have reported 57 species, belonging to 35 genera, 13 families and six orders from Middle Stretch of River Tawa.

How the species richness and diversity of the fish community change along a trophic gradient, depth and intensity of flow of water is not clear. The catch of planktivorous fish by weight increased significantly. Study get support by findings of Canfield &John (1996) .

Conclusion - Abundance of submerged aquatic vegetation has shown that trophic parameters ammonium and reactive phosphate are indicative of clear gradient in the water. The study has shown that species richness of fish is in accordance with the theory of island biography. Habitat diversity is strongly found and fish species diversity to be independent of water area.

Today, India's Rivers, riverine biodiversity and river dependent communities are facing major threats from large dams, pollution, encroachment, sand mining, deforestation & bad management practises as India does not have any strong law, policy or framework for protecting its riverine biodiversity & dependent communities from this onslaught. Prior to the field survey landscape ecological factors which influence the water body must be evaluated. Field surveys, aerial photographs and maps are used for the location of urban centres, sewage treatment plant influences, aquaculture, power plants and impoundments, river regulation, land use types in the adjacent land, all of which influence the composition of the macrophyte vegetation. To present a scheme for the assessment of trophic levels in rivers prior to the field survey, landscape, ecological factors which influence the water body must be evaluated and prime attention must be paid to pollution-indicating parameters of the water and sediment.

References :-

1. Adoni, A.D., G. Joshi, S.K. Chourasia, A.K. Vyas, M. Yadav and Varma. (1985) *: "Workbook on Limnology". Pratibha Publ. Sagar (MP*). 216.
2. Bose, A.K., Jha,. V. R. B.C Suresh, Das A.K., Parasher, A. And Ridhi.**(**2013)
3. Fishes of Middle Stretch of River Tawa, Madhya Pradesh, India. *J. Che. Bio. and* Phy. Sci. India, **3**(1):**7**06-716.
4. Canfield,T.H.and J.R.John.(1996),Zooplankton abundance,biomass and size distribution in selected Midwestern water bodies and relation with trophic state .*J.Freshwater ,Ecol.,**11**,*171-181
5. Day, F. The Fishes of India, Being a Natural History of the Fishes Known to Inhabit the Seas and Freshwaters of India, Burma and Ceylon, vols I & II, pp xx+ 778,pls . cxiv
6. Das,B.P.Impact of Mahanadi Basin Development on Ecology of Chlka,12 Lake Congress.
7. Dandekar P. Damaged Rivers, (2012)Collapsing Fisheries: Impacts of Dams on Riverine Fisheries in India, *South Asia Network on dams, Rivers and People*,
8. Davendra S.and Kamal Singh Negi Mahseer Fish Bionomics andPopulation:Barrage impact on Fish Biology Cumulative impacts of Hydropower Dams on Alaknanda And Bhagirathi Rivers on Aquatic and Terristial Ecosystem , Wild Life Institute of India 2012.Ed mondson, W.T.: Freshwater Biology *(2n d Edn.).*
9. Datta Munshi. J. and J. S. Datta Munshi.Lakes and reservoir.In: Fundamentals of Freshwater Biology. *Narendra Pub.House.Delhi*.222.(**2006**)

10. Dudgeon, D., 1995. River Regulation in Southern China: Ecological Implications, Conservation and Environmental Management. Regulated Rivers: Research and Management 11(1): 35-54.
11. Jackson, D.C. and Q. Ye, 2000. Riverine Fish Stock and Regional Agronomic Responses to Hydrological and Climatic Regimes in the Upper Yazoo River Basin. In: Proceedings of the Symposium on Management and Ecology of River Fisheries (ed. I. Cowx). The University of Hull International Fisheries Institute. Blackwell Science. London, United Kingdom. Pp. 242-257.
12. Hora,S.L.and Nair,K.K..(1941)Fishes of Satpura ranges ,HoshangabadDistrict,Central Provinces.Records of Indian Museum 42:365-375.
13. Jayaram, K.C. (2010)The freshwater fishes of the Indian region. *Narendra Publishing House*, Delhi,pp: 614.
14. Junk, W.J., P.B. Bayley and R.E. Sparks(1989). The Flood Pulse Concept in River-floodplain Systems. In: Proceedings of the International Large River Symposium (ed. D.P. Dodge). Canadian Special Publication of Fisheries and Aquatic Sciences 106. Ottawa. Pp. 110-127.
15. Joshi, K.D., D.N. Jha, M. A. Alam, S.K. Srivastava, Vijay Kumar and A.P. Sharma,(2014)Environmental Flow requirements of River Sone: Impacts of low discharge on fisheries. *Current Science* .
16. Kar, D.A., C. Kumar, Bohra and L.K. Sigh, (Eds) ,(2003).Fishes of Barak drainage, Mizoram and Tripura; In: Environment, pollution and management, *APH publishing corporation, New Delhi*, pp: 604: 203-211
17. Khanna D.R., Bhutiani R. and Ruhela M.(2013) Fish Diversity and their Limnological Status of Ganga River System in Foot Hills of Garhwal Himalaya, Uttarakhand, India. *J. Environ. Res. Develop.* **,7** (4) 1374-1380,
18. Ryder, R.A., S.R. Kerr, K.H. Loftus and H.A. Regier(1974). The Morphoedaphic Index, a Fish Yield Estimator - Review and Evaluation. Journal of the Fisheries Research Board of Canada. 31: 663-688
19. Vinnote,R.L..Minshell,G.W.Cummiins,K.W.Sedell,J.R. and Cushing,C.E.(1980).The river continuous concept.Can.J. Fish.Aquat.Sci.37:130-137.
20. Vyas ,V.(2007) Mesoesohabitat mapping of Narmada River ,J Fish.Chimes,Vol.27 (9)50-52

Fig. -1 Map Site of study Fig.2 Bichhia River Connect with Beehar River Fig.3(S2a)High Trophic& (S2b)High Trophic

Fig.3(S3a)medium Trophic Fig.4 S3b)MediumTrophic Fig. 5(S4)Low Trophic

Fig.5 (S1)1Herbivourus Weed Fish Fig.6(S1) Weed Fishes Fig.7 (S2)Dominance Weed fishes Fig.8(S3) Dominance Carnivorous Fishes Fig.9 (S4) Carp Fishes

Table-1. Composition, systematic position and dominance of macrophytes in Bichhia River

S.	Name of Species	Common Name	Family	dominance			
I.	**Floating Hydrophytes**						
1.	Azolla pinnata (willd)	Water velvet	Salviniaceae	+++	+++	++	++
2.	Spirodella	Great Duck weed	Lemnaceae	++++	+++	++	++
3.	Lemna minor	Lesser duck weed	Lemnaceae	+++	+++	++	++
4.	Wolffia	Water meal	Lemnaceae	++++	+++	++	++
5.	Jussiaea repens Linn	Primrose willow	Onagraceae	++	+++	++	++
6.	Eichornia crassipes	Water Hyacinth	Pontederiaceae	++++	++	++	++
7.	Cruptocoryne	Water Trumpet	Araceae	++	+++	++	++
II.	**Submerged anchored Hydrophytes**						
8.	Chara vulgaris	Stone Worts	Characeae	++++	+++	++	++
9.	Hydrilla verticellata (Linn)	Choie	Hydrocharitaceae	++++	+++	++	++
10.	Myriophyllum heterophyllum (Michx)	Water mifoil	Haloragaceae	++	+++	++	++
11.	Ceratophyllum demersum Linn	—-		++	+++	++	++
12.	Najas minor (Linn)	Bushy pond weed	Najadaceae	++	+++	++	
13.	Nitella sp	Stone worts	Characeae	+++	+++	++	++
14.	Potamogeton crispus (Linn)	Pond weed	Potamogetonaceae	++++	+++	++	++
15.	Potamogeton natans (Linn)	Pond weed	Potamogetonaceae	+++	+++	++	++
16.	Potamogeton pectinatus (Linn)	Pond weed	Potamogetonaceae	++	+++	++	++
17	Utriculareia Flexuosa	Bladderwort	Lentibulariaceae	++	+++	++	++
18.	Hydrocharis	Frog bit	Hydrocharitaceae	+	+++	++	++
III.	**Floating leaved anchored Hydrophytes**						
19.	Salvinia natanus Hoffim	Water fern	Pteridophytes	+	+++	++	++
20.	Salvinia cuculatta Roxb.	Water fern	Pteridophytes	+	+++	++	++
IV.	**Emergent anchored Hydrophytes**						
21.	Cyperus rotundus (Linn)	Sedge	Cyperaceae	+++	+++	++	++
22.	Ipomoea aquatica (Forsk)	Water spinach	Convolvulaceae	+	+++	++	++

Table: 2- Ichthyofauna of Bichhia-Trophic Status &Abundance

S.	Name of Species	P	H	C	O	S1	S2	S3	S4
1	*Gudusia chapra (R)*		+			-	++	+++	++
2	*Chitala chitala (R)*			+		-	-	+	+
3	*Notopterus notopterus (MA)*			+		-		+	+
4	*Amblypharyngodon mola (A)*		+			-	-	+++	++
5	*Catla catla (LA)*	+				-	-	+++	+++
6	*Cirrhinus mrigala (MA)*	+				-	+	++	++
7	*Cirrhinus reba (MA)*				+	-	+	+	++
8	*Cyprinus carpio (A)*				+	-	-	++	+
9	*Danio devario (LA)*		+			+	+	++	+
10	*Esomus danricus (LA)*		+			+	+	++	+
11	*Labeo bata (R)*		+			-	+	++	-
12	*.Labeo calbasu (MA)*		+			-	+	+++	+
13	*Labeo gonius (LA)*		+			-	+	+	-
14	*Labeo rohita (LA)*	+				-	+	++	+++
15	*Puntius conchonius (A)*	+				-	-	++	++

16	*Puntius sarana sarana (R)*	+				+	+	+	+
17	*Puntius ticto (A)*	+				+	+	+	+
18	*Rasbora daniconius (LA)*		+			-	+	+	+
19	*Salmostoma bacaila (LA)*	+				-	+	++	+
20	*Lepidocephalus guntea (A)*		+			-	-	-	++
21	*Nemacheilus nemacielus*		+			-	-	-	+
22	*Mystus cavasius (R)*			+		-	-	+	+
23	*Mystus tengara (LA)*			+		-	-	++	++
24	*Mystus vittatus (A)*			+		+	+	+	+
25	*Ompok bimaculatus (LA)*			+		-	-	+	+
26	*Wallago attu (A)*			+		-	-	++	+
27	*Ailia coila (LA)*		+			+	+	+	-
28	*Clupisoma garua (MA)*		+			+	+	++	+
29	*Clarias batrachus (MA)*			+		+	+	++	+
30	*Heteropneustes fossilis(A)*			+		+	+	++	++
31	*Xenentodon cancila (A)*			+		++	++	++	++
32	*Channa gachua (A)*			+		-	++	+++	++
33	*Channa marulius (R)*			+		-	+	+	-
34	*Channa punctatus (A)*			+		-	+	+	-
35	*Channa striata (R)*			+		-	-	-	+
36	*Amphipnous cuchia (MA)*		+			++	++	-	+
37	Chanda nama (A)			+		+	-	+	++
38	Chanda ranga (A)		+			-	-	+	++
39	Badis badis (A)			+		-	-	+	+
40	Nandus nandus (LA)			+		-	-	++	-
41	Glossogobius giuris (A)			+		+	++	+	++
42	Anabas testudineus (A)			+		+	+	-	++
43	Colisa fasciatus (MA)		+			+	+	+	++
44	Macrognathus pancalus (A)		+			+	+	+	+
45	Mastacembelus armatus (A)		+		+	+	+	+	+

Trophic Status : Abbreviation- P-Planktivorous, H-Herbivorous, C-Carnivorous, O-Omnivorous
+-Present,_ - Absent. R (+), LA (++), A(+++)

****

Study On Avian (Birds) Biodiversity In The Surguja District (Chhattisgarh)

Namita Minj * Dr. Shewata Sao ** Dr. R. K. Singh ***

Abstract - Birds are one of the most populous life forms on the planet.Its diversity leads to a richness of life a beauty. A past from this birds have always fascinated mankind with their intrinsically beautiful plumage,melodious songs an artistic behavior.Shrath there are around 9000 species of birds living in the world today, with a tremendous diversity of life style. Beside this birds are valuable for many aspect, *i.e.,* sensitive indicator of pollution also play great role in pest control. The geographical extent Surguja district (Chhattisgarh). Species diversity and dominance of birds were calculated. Totally 64 birds belonging to 36 families were recorded, out of these 64 species 35 water birds and 29 terrestrial bird species. Maximum diversity of birds was recorded in Ghunghutta dam. Bird abundance and vegetation cover were recorded. The highest numbers of birds were recorded in Manpath (21) followed by Ghunghutta dam (19), Pilkha pahaar (15) and Sanjay park (13).Three near threatened species, namely threatened Indtianvulture(*Gyps indicus)*, Indian Black Ibis*(PesudibisPapillosa)*and Oriental White Ibis*(Threskiornismelanocephalus*)were recorded. This pond has abundant maximum occasionally birds and maximum number of birds. Ghunghutta dam has good population of birds and this site could be protected for the birds.This study investigates the possibility of using geostatistics to predict the diversity of bird species over a given area and using these predictions as a basis for the conservation of ecosystem.
Key Words - Bird diversity, geographical, species, abundance, Conservation.

Introduction - We know in the world so many birds & different kinds of bird are present.Some are domestic&wild birds*ex.* Parrot(Phaethontidacpsittaciformes), pigeons (*Columba livia*) golden and silver duck, king fisher *(Alcedootthis)*,king of bird woodpeacker(*Yaffle)*extra.They have two legs,two eyes,two ears.They are mostly white brown,black & goldencolor etc.Wings are very useful.They eatrice,grains.Maize also they eat chilly. An important bird and biodiversity area is an area identified using an internationally agreed set of criteria as being globally important for the conservation of bird's population. The program was developed and sites are identified by bird life international. A Bird (Class Aves) has been described as a feathers biped. This description is apt precise and can apply to no open animals. Birds are vertebrate warm blooded animals.The body temperature of birds in about 30°C – 44°C, higher than that of the most mammals.

"The variability among living organisms from all sources including Inter alia,Terrestrial, Marine and other Aquatic Ecosystems and the Ecological Complexes of which they are part; this includes diversity within species, between species, and of Ecosystems".

Biologically biodiversity is a term used to describe the number, variety and variability of organisms.This diversity can be studies at many levels.Mostly it use as an indication of number of species in a particular habitat or ecosystem. Birds are a group of endothermic vertebrates characterized by feathers,toothless beaked jaws the laying of hard- shelled eggs high metabolic rate, a four chambered heart and a light weight but strong skeleton, birds live worldwide and rang in size from the 5cm bee humming bird (*Triochilidacapodiformes)* to 2.75 m 9 ft.ostrich (*Struthio camelus*).They rank as the class of tetra pods with the most living species, at approximately ten thousand with more than half of these being passerines sometime know as perching birds or less accurately as songbirds.(Bird Life international, 2001)

The digestive and respiratory system of birds are also uniquely adapted for flight. Some bird species of aquatic environments, particularly thefore mentioned flightless penguins and also members of the duck family, have also evolved for swimming.Birds are social communicating with visual signals, calls and bird songs, and participating in such social behaviors as cooperative breeding and hunting,flocking and mobbing predators.Bird life International held its world conference in Buenos Aires in 2008 and launched a'State of the world's birds publication which declared that 'common birds are in decline across the world providing evidence of a rapid deterioration in the global environment that is affecting all life on earth'(Bird life international ,2008)

This is a list of the bird species of India and includes

*Department of Zoology, Dr. C.V. Raman University, Kargi Road, Kota, Bilaspur (C.G.) INDIA
** Department of Zoology, Dr. C.V. Raman University, Kargi Road, Kota, Bilaspur (C.G.) INDIA
*** Department of Zoology, Dr. C.V. Raman University, Kargi Road, Kota, Bilaspur (C.G.) INDIA

extant and recently extinct species recovered within the political limits of the republic of Indian Government are known to have around 1266 Species as of 2016.All birds are in the animalia,kingdom phylum of Chordata.Class – Aves (Birds).A birds diversity is one of the most important biotic components for any type of ecosystem.(Dhindsa MS, Saini HK, 1994).Birds are found from pole to equator almost everywhere in the world and exhibit great diversity by their habitat and geographical conditions. In temperate and tropical forests, bird communities have well being studied.(Willson MF. and Comet TA. (1996).Avian fauna acts as an important bio-indicator. (Bilgrami KS. (1995). that assesses different habitats qualitatively as well as quantitatively.Birdlife recorded worldwide over 10,000 different species of birds. (Rapoport EH., 1993). that worldwide decline of avian fauna is due to anthropogenic activities and climatic changeuse.According to bird population has declined only because of change in land use patterns.(*Journal of Environmental Science,Toxicology and food Technology,* volume.I, Issue 6,pp. 41-44)have reported around sixteen million birds being destroyed annually. India stands at 7th position with 88 threatened bird species over the world. (*Bird life International,*2010). Our purpose for this brief study is to explore the bird'sdiversity of a particular area.

Study Site - The Surguja district is located between 23^{0}37'25''to 24^{0}06'17''north latitude and 81^{0}34'40''to 84^{0}04'40'' east longitude.244.62 Kilometers long east to west and 67.37 kilometers broad north to south, this land has as area of about 16359 square kilometer.The high land of Surguja district have peculiar pat, formations highland with small table land.

The Mainpat,the Jarang pat, the Jonka pat, the Jamirapatand theLahsunpatare the major parts of the distrects. The average height of area is about 600 meters.Sampling site Mainpat, Pilkha Pahaar, kamleshpur, Ghunghutta dam are main sampling point. The wetlands consist of *Ipomea Carnea* biomass and some micro and macro fauna which support the migratory bird species.Ecologicallyit is an important wetland providing habitat to migratory and local bird species.Dense vegetation and pollution free environment in wetlands has attracted the large number of birds in winter season.The migratory birds like Gadwall, Pintail, Pochard, Shoveller & Herons (*Ardeacinerea)* etc.visit in winter season.

Material And Methods - Surguja district is the largest and the oldest place of Chhattisgarh state.The Surguja districts have rich presence of flora and fauna.There is a popular temple and offerings to this temple also attract a number and variety of birds.We used "watching and visual survey method for this study.Birds were observed in morning 06:00 to 10:00 am and in evening 05:30 to 06:30 pm with the field binocular (8x40 magnifications) and photographs were clicked by digital camera (Cannon 12.1 megapixel). The identification of birds was based on the standard literature and with the help of local people**.** (Ali S and Futehally L., 2008 and Ali S., 2012)

Result – Present study on avian fauna revealed the presences of Sixty Four (64) bird species belonging to 29 genera.Observed species were placed taxonomically under 36 families of 10 orders. Order Passeriformes is the dominating group with 19 bird species. During our study period, most abundant species found are Red–Vented Bulbul, House Sparrow,Blue-Rock Pegion, Green Bee Eater, NorthernPaintail, CoppersmithBarbet, RoseRing Parakeet and Cattel Egret, all of which were found in more than 64 in number.(BirdLife International and Nature Serve, 2011 and Cornell Lab of Ornithology, 2011-2016).

Discussion - For an ecosystem, birds are an essential component which tells about environment of the particular place that acts as ecological indicator. (Schwartz CW and Schwartz ER., 1951). Birds play an important role in scheming insects and pest population. They is also helpful in dispersal of seeds of vegetation. In this way, birds have shown an economic importance for society. (Chittampalli and Bhatkhande, 1993). To define the pattern of local landscape, it is essential to understand the avian fauna. (Kattan GH, and Franco P., 2004).

At present our natural ecosystems are destroyed by anthropogenic activities like cutting forests, destruction of natural water bodies and also industrialization of area that produce pollution. All these activities are a threat for the local environmental conditions that finally affects the bird diversity qualitatively as well as quantitatively.(Bilgrami, 1995).In conservation of biodiversity, green-spaces of urban area have an important role to play. (Mason CF., 2006**).** According to **Loss et al., (2009)** it is estimated that by the year 2050, the majority of the global population will live in urban areas. Such rapid urbanization will come with a great threat for avian fauna. In maintaining ecosystems, birds play an important role that support biodiversity. In this concern, researchers are trying to work on their protection and conservation.

Short term study on bird diversity is always accepted and it gives much importance to the preparation of checklist of birds.(Charavarthy A.K. and Sridhar S., 1995).This is a short span study which documented 64 bird species.For further investigation,a plan with objectives like population abundance,reproductive behavior,nesting mechanism, nesting site selection, feeding behavior,*etc.*to gain additional knowledge on bird diversity of present study area.

Acknowledgment - We are grateful to Dr.Jai Prakash Gupta,Guest lecturer,Chemistry (Govt. R.G. P.G. College Ambikapur),Chhattisgarh for his valuable cooperation to carry out the research work.

References :-

1. Ali S. (2012). The Book of Indian Birds, Bombay Natural History Society, Hornbill House Shaheed Bhaght Singh Road,Mumbai,400023.Co-Published by Manzar Khan, Oxford University Press, YMCA Library Building, Jai Singh Road, New Delhi,110001.

2. Ali S and Futehally L.(2008).About Indian Birds, Wisdom Tree, 4779/23 Ansari Road,Darya Ganj, New Delhi- 110002.
3. Bilgrami KS. (1995). Concept and Conservation of Biodiversity. CBS Publishers and distributors, Delhi.
4. Bird life International (2008). Europe –wide monitoring schemes highlight declight in widespread formland birds. Retrieved December 2008, from bird life state of the world birds.
5. Bird Life International and Nature Serve (2011) Bird species distribution maps of the world.
6. Bird Life International, Cambridge, UK and Nature Serve, Arlington, USA. [Species records]
7. Bird life International (2010). IUCN Red List for birds. http://www.birdlife.org / Birdlife International. Undated. Global IBA criteria. www.birdlife.org/datazone/info/ibacritglobCornell Lab of Ornithology. 2011-2016. eBird. [Species records]
8. Charavarthy A.K. and Sridhar S. (1995). Bird diversity and conservation. Ornithology Society of India. Bangalore.
9. Dhindsa MS, Saini HK. (1994). Agricultural ornithology: an Indian perspective Journal of Biosciences, 19: pp. 391–402.
10. Kattan GH, and Franco P. (2004). Bird diversity along elevational gradients in the Andes of Colombia: area and mass effects. Global Ecology and Biogeography, 13(5), 451-458.
11. Mason CF. (2006). Avian species richness and numbers in the built environment: can new housing developments be good for birds? Biodiversity and Conservation 15, 2365–2378.
12. Rapoport EH. (1993). the process of plant colonization in small settlements and large cities. In: Mac Donell, M.J. and Pickett, S. (Eds.), Humans as components of ecosystems Springer–Verlag, New York, 190–207.
13. Schwartz CW and Schwartz ER. (1951). An ecological reconnaissance of the pheasants of Hawaii. Auk. 68: 281–314.
14. Volume Issue 6,pp 41-44. IOSR;Journal of Environmental Science, Toxicology and food Technology.
15. Willson MF. and Comet TA. (1996). Bird Communities of Northern Forests: Patterns of Diversity and Abuendance the Condor Vol**. 98**, No. 2 (May, 1996).

Rare Birds:

Indian Vulture/*Gyps* indicusPheasant TaiiledJacona/*HydrophasianusChiruigus*

Red wattled Lapwing/Warellus indicusBlack Kite/*Milvus Migrdns*

Black Ibis/*Antigone*BrahminyStaplin/*StatnasPagodarum*

Jungle Babbler/*Turdoides stri* Jungle owlet/*Glaucidium radiatum*

S.	Local Name	Scientific Name	Order	Family
1.	Indian Spot-billed Duck	*Anaspoecilorhyncha*	Anseriforme	Anatidae
2.	White Headed Duck	*AnatidacAnseriformes*	Anseriforme	Anatidae
3.	Northern pintail	*Anasacuta*	Anseriformes	Anatidae
4.	Large whistlingduck	*Dendrocyna bicolor*	Anseriformes	Anatidae
5.	Common shelduckr	*Tadornatadorna*	Anseriforme	Anatidae
6.	Grey Heron	*Ardeacinerea*	Pelecaniformes	Ardeidac
7.	Cattle egretd	*Bubulcus ibis*	Pelicaniformesd	Ardeidae
8.	Cattle egret	*Bubulcus ibis*	Pelicaniformes	Ardeidae
9.	Indian eagle	*Clangacalanga*	Accipitriformes	Accipitridae
10.	Shikra	*Accipiter*	Accipitriformes	Accipitridae
11.	Indian vulture	*Gyps indicus*	Accipitriformes	Accipitridae
12.	Grey headed fish eagle	*Iethyophagoichthyaetus*	Accipitriformesd	Accipitrida
13.	Black eagled	*Ictinactusmalaiensic*	Accipitriformesd	Accipitridae
14.	Eurasian sparrowhawkd	*Accipiler nisus*	Accipitriformes	Accipitridae
15.	Pallid harrier	*Circus macrourus*	Accipitriformes	Accipitridae
16.	Western marsh harrier	*Circus aeruginosus*	Accipitriformes	Accipitridae
17.	Common kingfisher	*Alcedootthis*	Coraciformes	Alcedinidac
18.	White throated king fisher	*Halcyon smyrnensis*	Coraciformes	Alcedinidac
19.	Jerdons Bush-Lark	*Mirafraaffinis*	Passeriformes	Alaudidae
20.	Green Pegion	*Treon bicinctus*	Columbiformes	Columbidae
21.	Blue rock pegion	*Columba livia*	Columbiformes	Columbidae
22.	Eurasian collared dove	*Streptopeliadecaocto*	Columbiformes	Columbidae
23.	Indian Cuckoo	*Cuculusmicropterus*	Cuculiformes	Cuculidac
24.	Common Koel	*Eudynamysscolopaceus*	Cuculiformes	Cuculidac
25.	Dromgo Cuckoo	*Surniculuslugubris*	Cuculiformes	Cuculidac
26.	The greater coucal	*Centropussinensis*	Cuculiformes	Cuculidae
27.	Lassercoucal	*Centropusbengalensis*	Cuculiformes	Cuculidae
28.	House crowd	*Corvussplendens*	Passeriformes	Corvidac
29.	Black drongo	*Dicrurusmacrocercus*	Passeriformes	Dicruidae
30.	Bronzed drongo	*Dicrurusaeneus*	Passeriformes	Dicruridae
31.	Indian silverbill	*Euodicemalabarica*	Passeriformes	Estrildidac
32.	Scaly breasted munia	*Lonchurapunctulata*	Passeriformes	Estrildidae
33.	Red avadavat	*Amandavaamandava*	Passeriformes	Estrildidae
34.	Saras Crane	*Anligoneantigone*d	Gruiformesd	Gruidac
35.	Bay Backed Shrike	*Laniusvittatus*	Passeriformes	Laniidae
36.	Coppersmith barbet	*Megalaimahaemacephala*	Piciformes	egalaimidae
37.	Green bee eater	*Meropsorientalis*	Coraciformes	Meropidae
38.	Indian robin	*Saxicoloidesfulicatus*	Passeriformes	Mucicapidae
39.	Oriental magpie-robin	*Copsychussaularis*	Passeriformes	Mucicapidae
40.	Variable wheatear	*Oenanthepicata*	Passeriformes	Mucicapidae
41.	White browed wagtail	*Motacillamadaraspatensis*	Passeriformes	Motacillidae
42.	Paddy field pipit	*Anthusrufulus*	Passeriformes	Motacillidae
43.	Coppersmith barbet	*Megalaimahaemacephala*	Piciformes	Megalaimidae
44.	Crimson backed sunbird	*Nectarniia minima*	Passeriformes	Nectariniidae
45.	Indian Parrot	*Psittoculdcupatia*	psittaciformes	Psittaculidae
46.	Rose ringed parakeet	*Psittaculakrameri*	psittaciformes	Psittaculidae
47.	House sparrow	*Passer domesticus*	Passeriformes	Passeridac

48.	Red vented bulbul	*Pycnonotus*	Passeriformes	ycnonotidae
49.	Indian peacock	*Pavocristatus*	Galliformes	Phasianidae
50.	Read jungle fowl	*Gallus gallus*	Galliformes	Phasianidae
51.	Little Grebe	*Tachyboptusruficolli*	Phoenicopteriform	Podicipedidae
52.	Indian black ibis	*PesudibisPapillosa*	Pelecaniformesd	Phasianidae
53.	Oriental white ibis	*Threskiornismelanocephalus*	Pelecaniformesd	Phasianidae
54.	Baya weaver	*Ploceusphilippinus*	Passeriformes	Ploceidae
55.	Little Black Cormorant	*Phalacrocoraxniger*	Suliformes	Phalacrocoracidae
56.	Jungle owelet	*Glucidiumradiodium*	Strigiformes	Strigidae
57.	Rock egale owl	*Bubo bengalinsis*	Strigiformes	Strigidae
58.	Common myna	*Acridotherestristis*	Passeriformes	Sturnidae
59.	Jungle myna	*Acridotheresfuscus*	Passeriformes	Sturnidae
60.	Rosy starling	*Pastor rosens*	Passeriformes	Sturnidae
61.	Brahminy starling	*Sturnuspagodarum*	Passeriformes	Sturnidae
62.	Asian pied starling	*Sturuns contra*	Passeriformes	Sturnidae
63.	Humming birds	Trichilidacapodiformes	Apodiformes	Trichilidac
64.	Common barn owl	*Tyto alba*	Strigiformes	Tyonidae

****

Spectroscopy

Dr. Neeraj Dubey *

Introduction - Spectroscopy is the study of the interaction between matter and electromagnetic radiation. Historically, spectroscopy originated through the study of visible light dispersed according to its wavelength, by a prism. Later the concept was expanded greatly to include any interaction with radiative energy as a function of its wavelength or frequency. Spectroscopic data is often represented by an emission spectrum, a plot of the response of interest as a function of wavelength or frequency.

Spectroscopy and spectrography are terms used to refer to the measurement of radiation intensity as a function of wavelength and are often used to describe experimental spectroscopic methods. Spectral measurement devices are referred to as spectrometers, spectrophotometers, spectrographs or spectral analyzers.

Daily observations of color can be related to spectroscopy. Neon lighting is a direct application of atomic spectroscopy. Neon & other noble gases have characteristic emission frequencies (colors). Neon lamps use collision of electrons with the gas to excite these emissions. Inks, dyes and paints include chemical compounds selected for their spectral characteristics in order to generate specific colors and hues. A commonly encountered molecular spectrum is that of nitrogen dioxide. Gaseous nitrogen dioxide has a characteristic red absorption feature, and this gives air polluted with nitrogen dioxide a reddish-brown color. Rayleigh scattering is a spectroscopic scattering phenomenon that accounts for the color of the sky.

Spectroscopic studies were central to the development of quantum mechanics and included Max Planck's explanation of blackbody radiation, Albert Einstein's explanation of the photoelectric effect and Niels Bohr's explanation of atomic structure and spectra. Spectroscopy is used in physical and analytical chemistry because atoms and molecules have unique spectra. As a result, these spectra can be used to detect, identify and quantify information about the atoms and molecules. Spectroscopy is also used in astronomy and remote sensing on earth. Most research telescopes have spectrographs. The measured spectra are used to determine the chemical composition and physical properties of astronomical objects.

One of the central concepts in spectroscopy is a resonance and its corresponding resonant frequency. Resonances were first characterized in mechanical systems such as pendulums. Mechanical systems that vibrate or oscillate will experience large amplitude oscillations when they are driven at their resonant frequency. A plot of amplitude vs. excitation frequency will have a peak centered at the resonance frequency. This plot is one type of spectrum; with the peak often referred to as a spectral line, and most spectral lines have a similar appearance.

In quantum mechanical systems, the analogous resonance is a coupling of two quantum mechanical stationary states of one system, such as an atom, via an oscillatory source of energy such as a photon. The coupling of the two states is strongest when the energy of the source matches the energy difference between the two states. The energy (E) {\displaystyle (E)}of a photon is related to its frequency (í) {\displaystyle (\nu)}by E = h í {\displaystyle E=h\nu } where h {\displaystyle h} is Planck's constant, and so a spectrum of the system response vs. photon frequency will peak at the resonant frequency or energy. Particles such as electrons and neutrons have a comparable relationship, the de Broglie relations, between their kinetic energy and their wavelength and frequency and therefore can also excite resonant interactions.

Spectra of atoms and molecules often consist of a series of spectral lines, each one representing a resonance between two different quantum states. The explanation of these series, and the spectral patterns associated with them, were one of the experimental enigmas that drove the development and acceptance of quantum mechanics. The hydrogen spectral series in particular was first successfully explained by the Rutherford-Bohr quantum model of the hydrogen atom. In some cases spectral lines are well separated and distinguishable, but spectral lines can also overlap and appear to be a single transition if the density of energy states is high enough. Named series of lines include the principal, sharp, diffuse and fundamental series.

Type of radiative energy - Types of spectroscopy are distinguished by the type of radiative energy involved in the interaction. In many applications, the spectrum is determined by measuring changes in the intensity or frequency of this energy. The types of radiative energy

* **Prof. & Head (Physics) Govt. Arts & Commerce P.G.College, Sagar (M.P.) INDIA**

studied include:

1. Electromagnetic radiation was the first source of energy used for spectroscopic studies. Techniques that employ electromagnetic radiation are typically classified by the wavelength region of the spectrum and include microwave, terahertz, infrared, near infrared, visible and ultraviolet, x-ray and gamma spectroscopy.
2. Particles, due to their de Broglie wavelength, can also be a source of radiative energy and both electrons and neutrons are commonly used. For a particle, its kinetic energy determines its wavelength.
3. Acoustic spectroscopy involves radiated pressure waves.
4. Mechanical methods can be employed to impart radiating energy, similar to acoustic waves, to solid materials.

Nature of the interaction - Types of spectroscopy can also be distinguished by the nature of the interaction between the energy and the material. These interactions include:

1. Absorption occurs when energy from the radiative source is absorbed by the material. Absorption is often determined by measuring the fraction of energy transmitted through the material; absorption will decrease the transmitted portion.
2. Emission indicates that radiative energy is released by the material. A material's blackbody spectrum is a spontaneous emission spectrum determined by its temperature; this feature can be measured in the infrared by instruments such as the Atmospheric Emitted Radiance Interferometer (AERI). Emission can also be induced by other sources of energy such as flames or sparks or electromagnetic radiation in the case of fluorescence.
3. Elastic scattering & reflection spectroscopy determine how incident radiation is reflected or scattered by a material. Crystallography employs the scattering of high energy radiation, such as x-rays and electrons, to examine the arrangement of atoms in proteins and solid crystals.
4. Impedance spectroscopy studies the ability of a medium to impede or slow the transmittance of energy. For optical applications, this is characterized by the index of refraction.
5. Inelastic scattering phenomena involve an exchange of energy between the radiation and the matter that shifts the wavelength of the scattered radiation. These include Raman and Compton scattering.
6. Coherent or resonance spectroscopy are techniques where the radiative energy couples two quantum states of the material in a coherent interaction that is sustained by the radiating field. The coherence can be disrupted by other interactions, such as particle collisions and energy transfer, and so often require high intensity radiation to be sustained. Nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy is a widely used resonance method and ultrafast laser methods are also now possible in the infrared and visible spectral regions.

Type of material - Spectroscopic studies are designed so that the radiant energy interacts with specific types of matter.

Atoms - Atomic spectroscopy was the first application of spectroscopy developed. Atomic absorption spectroscopy (AAS) and atomic emission spectroscopy (AES) involve visible and ultraviolet light. These absorptions and emissions, often referred to as atomic spectral lines, are due to electronic transitions of outer shell electrons as they rise and fall from one electron orbit to another. Atoms also have distinct x-ray spectra that are attributable to the excitation of inner shell electrons to excited states.

Atoms of different elements have distinct spectra and therefore atomic spectroscopy allows for the identification and quantitation of a sample's elemental composition. Robert Bunsen and Gustav Kirchhoff discovered new elements by observing their emission spectra. Atomic absorption lines are observed in the solar spectrum and referred to as Fraunhofer lines after their discoverer. A comprehensive explanation of the hydrogen spectrum was an early success of quantum mechanics and explained the Lamb shift observed in the hydrogen spectrum, which further led to the development of quantum electrodynamics. Modern implementations of atomic spectroscopy for studying visible and ultraviolet transitions include flame emission spectroscopy, inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy, glow discharge spectroscopy, microwave induced plasma spectroscopy, and spark or arc emission spectroscopy. Techniques for studying x-ray spectra include X-ray spectroscopy and X-ray fluorescence (XRF).

Molecules - The combination of atoms into molecules leads to the creation of unique types of energetic states and therefore unique spectra of the transitions between these states. Molecular spectra can be obtained due to electron spin states, molecular rotations, molecular vibration and electronic states. Rotations are collective motions of the atomic nuclei and typically lead to spectra in the microwave and millimeter-wave spectral regions; rotational spectroscopy and microwave spectroscopy are synonymous. Vibrations are relative motions of the atomic nuclei and are studied by both infrared and Raman spectroscopy. Electronic excitations are studied using visible and ultraviolet spectroscopy as well as fluorescence spectroscopy.

Studies in molecular spectroscopy led to the development of the first maser and contributed to the subsequent development of the laser.

Crystals and extended materials - The combination of atoms or molecules into crystals or other extended forms leads to the creation of additional energetic states. These states are numerous and therefore have a high density of states. This high density often makes the spectra weaker and less distinct, i.e., broader. For instance, blackbody radiation is due to the thermal motions of atoms and molecules within a material. Acoustic and mechanical

responses are due to collective motions as well. Pure crystals, though, can have distinct spectral transitions, and the crystal arrangement also has an effect on the observed molecular spectra. The regular lattice structure of crystals also scatters x-rays, electrons or neutrons allowing for crystallographic studies.

Nuclei - Nuclei also have distinct energy states that are widely separated and lead to gamma ray spectra. Distinct nuclear spin states can have their energy separated by a magnetic field, and this allows for NMR spectroscopy.

Applications

1. Cure monitoring of composites using optical fibers.
2. Estimate weathered wood exposure times using near infrared spectroscopy.
3. Measurement of different compounds in food samples by absorption spectroscopy both in visible and infrared spectrum.

References :-

1. Crouch, Stanley; Skoog, Douglas A. (2007). Principles of instrumental analysis. Australia: Thomson Brooks/ Cole. ISBN 0-495-01201-7.
2. Orr BJ; Haub J G; He Y; White RT (2016). “Spectroscopic Applications of Pulsed Tunable Optical Parametric Oscillators”. In Duarte FJ. Tunable Laser Applications (3rd ed.). Boca Raton: CRC Press. pp. 17–142. ISBN 9781482261066.
3. Murray, Kermit K.; Boyd, Robert K.; Eberlin, Marcos N.; Langley, G. John; Li, Liang; Naito, Yasuhide (2013). “Definitions of terms relating to mass spectrometry (IUPAC Recommendations 2013)”. Pure and Applied Chemistry. **85** (7): 1. doi:10.1351/PAC-REC-06-04-06. ISSN 0033-4545.
4. John M. Chalmers; Peter Griffiths, eds. (2006). Handbook of Vibrational Spectroscopy. New York: Wiley. doi:10.1002/0470027320. ISBN 0-471-98847-2. 5 Volume Set.
5. Jerry Workman; Art Springsteen, eds. (1998). Applied Spectroscopy. Boston: Academic Press. ISBN 978-0-08-052749-9.

****

Pollution Assessment Through Bioluminescence

Dr. Kumud Dubey* **Dr. Avinash Dube****

Abstract - Some organisms possess the quality to emit light from their body. This unique biophysical process of bioluminescence is important for the organism. It also has specific applications. Intensity of luminous light varies, if some chemicals are present in the medium, because some organisms are sensitive to these chemicals. This characteristic of bioluminescence is used to access presence of toxic material in water bodies and thus become helpful in management of water pollution.
Key Words - *bioluminescence, water pollution.*

Introduction - All living creatures are gift of nature. They have unique characters. Some organisms possess specific characters and bioluminescence is one of them. It is an antique biophysical process, where light is emitted by the living organisms. Light emitted by living beings is known as living light. The colour of bioluminescence differs in various organisms.The colour produced during bioluminescence may be blue–green, red-yellow or yellow green. The wavelength of emitted light is measured from 460 to 680 nm. The emission of light may be extra or intra cellular, but some organisms may produce light, when a symbiotic organism is present with them. Many organisms are able to produce living light. With microbes as dinoflagellates and other bacteria, many marine invertebrates, arthopods, mollusks, fishes and mushrooms have capability of bioluminescence. Marine invertebrates have extracellular bioluminescence while other organisms have intracellular bioluminescence. They possess photogenic cells or photogenic granules. The heat produced by the bioluminescent light is less then 0.001^0C and for this it is known as cold light. The appearance of bioluminescent light depends on the habitat. Few organisms can glow in more than one colour. The rail road worm (larva of a beetle) posses red head and green body glowing. Most organisms flash for periods of less than a second to about ten seconds. The flashes occur in specific spots or illuminate the entire body. Because emission of coloured light is an unique phenomenon, it has many uses. The present study is made to see the applied aspect of bioluminescence, with special reference to water pollution assessment. As this phenomenon act as natural indicator to assess the concentration of different water pollutants in the water bodies.

Mechanism and applied aspects - The light emitted by organisms is a unique light source based on the luciferin-luciferase reaction. These luciferases are good reporter enzymes in the field of bioresearch.

All applications of biolumisence systems are based on the principal of a chemical reaction, that is light intensity as the measurable product depends on the amounts of luciferase, luciferin and cofactors. In bioluminescence, the light produced by a chemical reaction so also known as chemiluminescence. In nature, bioluminescence is used by living things to hunt preys,defend against predators, find mates and execute other vital activities. Biologists and engineers are studying the chemical events involved in the process and trying to make the use of process for other purposes. GFP(Green Fluroscent Protein) is used as reporter gene. It is a photoprotein found in crystal jellies. Some bioluminisence bacteria are sensitive to many toxic substances. If any toxic substance is found in the sample containing the bacterium, the intensity of bioluminescence decreases considerably.

Water pollution assessment - For assessment of toxic substance in water a serial dilution of solution containing a particular pollutant is prepared. Without adding pollutant a control solution is also prepared. A known volume of bacterial culture is inoculated in each solution. After incubation for about 30 minutes, the bioluminescence is measured at 600nm using a spectrophotometer. A standard graph is prepared for bioluminescence and concentration of pollutant.

For determination of any pollutant in a sample, the sample is incubated with a fixed volume of bacterial culture. After incubation the absorbance is measured at 600nm and matched with the standard graph to determine the pollutant in the sample.

Many water pollutants like DDT, mercuric chloride,

*Asst. Professor (Botany) M.L.C. Govt. Girls College, Khandwa (M.P.) INDIA
** Asst. Professor (Physics) S.N. Govt. P. G. College, Khandwa (M.P.) INDIA

lindane, BHC, silver nitrate, phenol, hexane, decanol, ethyl alcohol, dichlorophenol etc. can be detected by intensity of bioluminescence created by some bacteria.

Similarly some antibiotics and other chemicals like penicillin,streptomycin, chloramphenicol etc. also determined by this process.

The bacteria frequently used for this process is *Vibrio fischeri*, *Vibrio karveyi* and *Photobacterium leiognathi.*

Concluding remarks - Safe drinking water is essential for all living organisms. Detection of pollutants is an essential step for management of water pollution. Luminous light from the specific organism make it easy to detect some chemicals in the water bodies. It will be safe biological measure for management of our surroundings. Experiments are going on to construct bioluminescent trees so that they could help light area and also function as indicator to fulfill their requirement for nutrients and water.

References :-

1. Haddock S.H.D. (2010) Bioluminescence in the sea. Annual review of marine science (2) pp 443-493 .
2. Kumarsen V. (2015), Principles and techniques of Biophysics. pp 117-123.
3. Warrant E. s(2004) Vision in the deep sea. Biology review.79-671-712.

****

Theory Of Congestion Control In Manet

Raksha Sharma *

Abstract - In MANET have limited bandwidth and are more prone to error than wired networks which further impose limits on the amount of data that can be sent. In order to conserve the limited resources, it is highly desirable that transmission should be as efficient as possible with minimal loss. The objective of congestion control is to limit the delay and buffer overflow caused by network congestion and provide better performance of the network. The traditional congestion control mechanism, applied by the transport control protocol is unable to catch up the network dynamics of ad-hoc networks. Congestion control assumes all losses induced by congestion. In this paper, a novel approach of congestion control for supporting applications like multimedia streaming over MANET is being proposed.
Keywords - Link failure, Congestion Control,Congestion window size, Wireless sensor network

Introduction - A mobile Adhoc network is composed of a group of mobile computing devices (nodes) that are equipped with wireless-LAN capability. In contrast to infrastructure wireless network, which uses base station to manage nodes in its area, MANET does not require any fixed infrastructure. Nodes in multi hop MANET help each other to forward packets from hop to hop such that two nodes that cannot hear each other can transmit data to each other. In this way, the connectivity of a MANET is greatly enhanced. In expensive deployment of MANET due to absence of fixed infrastructure as well as mobility feature for all nodes have considered MANET as a subject of research. In a MANET environment, communication links are unstable due to various reasons such as interference of radio signal, radio channel contention, mobility of the nodes and battery depletion. The wireless network have limited bandwidth and are more prone to error than wired networks which further impose limits on the amount of data that can be sent. Hence, in order to conserve the limited resources, it is highly desirable that transmission should be as efficient as possible (minimal loss and transmission). The main objective of congestion control is to limit the delay and buffer overflow caused by network congestion and provide better performance of the network[1].

Related Work - Sender should recognize state of MANET and wireless link to act accordingly. For example, specifying available buffer of intermediate nodes that assess congestion can greatly influence recovery operations. Measuring remained energy of nodes can assists sender to change route before link breakage. Calculating distance between nodes based on signal strength can help sender to predicate future link failure and switch into another route before breakage. All these information can be either measured explicitly with support from intermediate nodes or estimated implicitly from information in received acknowledgment. In First mechanism, TCP sender entirely does the job and estimate MANET situation implicitly without any support from intermediate node. It does not create processing overhead at intermediate routers. The main drawback of it is the lack of detailed information about state of wireless link at the sender [16]. For example, Fixed RTO interprets two successive timeout as routefailure.

Then retransmit unacknowledged packet while it keeps value of RTO unchanged [9]. However two successive timeout can be sign of congestion in congested MANET and is highly based on existing traffic pattern. That's why it is not precise enough. In feedback (cross layers) approaches, sender get detailed information from network state by collaborating between TCP layers of intermediate nodes. For example, since congestion control is not aware from losses due to wireless medium contention over 802 MAC protocol, it must collaborate with MAC layer to address these losses. Although Feedback methods are more precise than end-to-end approach [13], modifications in intermediate nodes make implementation complicated for WAN. Moreover, extra overhead produced due to transmission notification packet. In addition, it reduces flexibility [5]. intermediate node detects link breakage, route notification message informs source to stop sending further packets and freeze state variable such as RTO. When route rebuilt, route reconstruction notification packet informs source to resume transmission with old RTO. Westwood VT is an end-to-end approach, which classifies packet loss by estimating existing data packet in buffer of intermediate nodes. It is too resemble to TCP-Veno [2]. Actually both inherit policy of TCP Vegas to differentiate causes of packet loss [6]. After received acknowledgment, they measure the difference between expected rate and actual rate and assign

*Guest Faculty (Computer Science) Vivekanand College, Maihar (M.P.) INDIA

it to which is indication of amount of buffer in queue of middle nodes. Interpreting causes of loss is done based on two predefined threshold α and β and available buffer of intermediate nodes as Δ. If it becomes smaller than α, buffers of intermediate nodes still can accommodate incoming packets. So WestwoodVT relates any loss due to the wireless error. If Δ is larger than β, it shows that buffers are approximately full and any packet loss is due to congestion [6]. If Δ estimated becomes between two thresholds, decision is postponed to next losses. Main drawback of WestwoodVT that degrades performances (throughput and energy consumption) is revealed when Bit Error Rates (BER) increases[17]. In addition, WestwoodVT cannot address link failure. TCP-Feno introduces another challenge on TCP VEGAS proponents (WestwoodVT and TCP-Veno). It claims TCP VEGAS performance degrades in network when nodes use small buffer size [7]. MANET with nodes carrying small buffer size can quickly enter into congestion mode. However, since TCP VEGAS does not contribute maximum buffer size in estimation, it just compares with threshold α and find out it is less than it. So TCP VEGAS declares loss as non-congestion loss while congestion exists. However, TCP-Feno still cannot cope with two first mentioned problems.

LDA_RQ is an implicit end-to-end approach which tries to estimate queue usage rate of intermediate nodes. It does not need any support or feedback from middle nodes. Available Information in transport layer is congestion window size (cwnd), round trip time (RTT) [14].

Proposed Work - Work done by [1] uses ODMRP, which is not a popular reactive protocol for implementation of multicasting in MANET. It applies measurement based detection and accusation-based reaction techniques which are applied when attack has been detected means attacks already exist in the system and might have harm the performance and theft data. It bounds the impact of attacks means minimizes it.

In this work I will be using a proactive mechanism for avoiding the security threats and attacks in the system using following Algorithm:

Step 1: A Network topology shall be created using Network Simulator Software Version with moving nodes

Step 2: Nodes shall be placed randomly to map the wireless sensor network

Step 3: Nodes will be using AODV routing protocol for routing between them

Step 4: Nodes will be initialized with Constant Bit Rate (CBR) traffic for mapping the communication between them.

Step 5:Nodes will communicate with neighbours which are lying under a minimum and maximum distance between them

Step 6: Distance shall be measured by storing their current position in each node.

Step 7: Throughput and End-to-end delays shall be measured for existing network without modification and with modification to compare.

Step 8: The experiments shall be executed with different number of nodes and different communication packet sizes.

This work proposes a new approach technique to initialize the routing protocol for wireless networks application. The proposed work steps has been discussed and for implementation of the proposed work, we have modified mac_802_11.h and mac_802_11.cc files to include the authentication and keys generated for AODV protocols. It also includes functions for generating keys, authentication status, malicious nodes, performing checks for the various nodes data transfer requests.

Generally speaking, network simulators try to model the real world networks. The principal idea is that if a system can be modeled, then features of the model can be changed and the corresponding results can be analyzed. As the process of model modification is relatively cheap than the complete real implementation, a wide variety of scenarios can be analyzed at low cost (relative to making changes to a real network). NS-2 is an Object-Oriented, discrete event network Simulator developed at UC Berkeley.

It is written in C++ and OTcl (Object-Oriented Tcl) and primarily uses OTcl as Command and Configuration Language. NS is mainly used for simulating local and wide area networks. It simulates a wide variety of IP networks. It implements network protocols such as TCP and UDP, traffic source behavior such as FTP, Telnet, Web, CBR & VBR, router queue management mechanisms such as Drop Tail, RED and CBQ, routing algorithms such as Dijkstra and more. NS also implements multicasting and some of the MAC layer protocols for LAN simulations. The NS project is now part of the VINT project that develops tools for Simulation results display, analysis & converters that convert n/w topologies generated by well-known generators to NS formats.

As shown in Figure 1-(a), in a simplified user's view, NS is Object-oriented Tcl (OTcl) script interpreter that has a simulation event scheduler and network component object libraries, and network setup (plumbing) module libraries (actually, plumbing modules are implemented as member functions of the base simulator object).

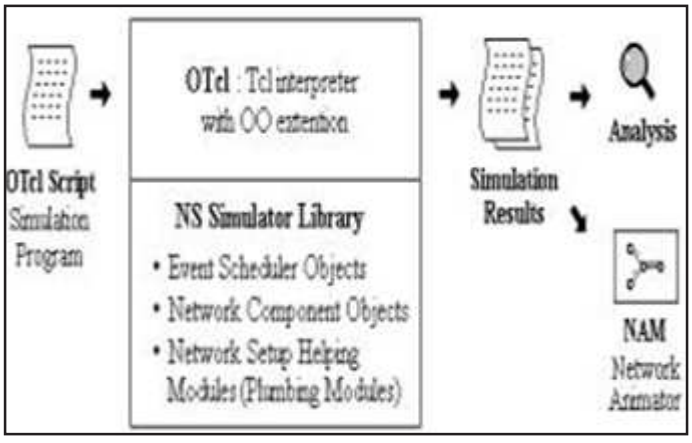

Figure 1: Working of NS2 Simulation Environment

Conclusion - This paper motivated the need for loss classification in mobile ad-hoc networks and presented a novel approach which manages the mobility of node proactively, is easy to implement and imposes minimal computational burden on the resource constraint device. This approach will be required to less number of acknowledgement packets than Enhance congestion control techniques are used to address link failure and to control the congestion [11]. Result from this paper have shown that MANET performance can be improved by using novel approach as it reduces packet loss ratio (Thereby reducing the number of retransmission) and increase transmission efficiency. Moreover, as its computational burden is negligible, it is ideally suited for resource constrained environment such as MANETs.

References :-

1. C.E. Perkins, "Highly Dynamic Destination-Sequenced Distance-Vector Routing (DSDV) for Mobile Computers" Proc. ACM SIGCOMM, pp.234-344, 1994.
2. C. P. Fu and S. C. Liew, "TCP Veno: TCP Enhancement for Transmission over Wireless Access Networks," IEEE J. Sel. Areas Communications, Vol. 21, No. 2, pp. 216–228, Feb 2003.
3. D. Kim, C.K. Toh, Y. Choi, "TCP-BUS: Improving TCP performance in wireless ad hoc networks", IEEE International Conference on Communications, Vol. 3, pp. 1707 – 1713, New Orleans, LA, USA, 2000.
4. Ghanem T.F, Elkiliani, W.S, Hadhoud, M.M "Improving TCP performance over Mobile Ad Hoc Networks using an adaptive back off r e s p o n s e a p p r o a c h " , I E E E Conferences on Networking and Media Convergence, ICNM, pp.16-21, Cairo, 2009.
5. HM El-Sayed, O Bazan, U Qureshi M. Jaseemuddin, "Performance Evaluation of TCP In Mobile Ad-Hoc Networks", The Second International Conference on Innovations in Information Technology, 2005.
6. J. Postel, "RFC 793: Transmission Control Protocol", 1981.
7. T. Dyer and R. Boppana. "A comparison of TCP performance over three routing protocols for mobile ad hoc networks" In Proceedings of the 2001 ACM International Symposium on Mobile Ad Hoc Networking & Computing (MobiHoc 01), Long Beach, pp.56-66 CA, USA, 2001.
8. Ad-Hoc Networks", ICC '03, IEEE International Conference, pp. 1080– 1084, 2003.Kai Chen, Yuan Xue, Nahrstedt K" On Setting TCP Congestion Window Limit in Mobile
9. Kim K W, Lorenz P, lee MMO, A new tuning maximum congestion window for improving TCP performance in MANET", System Communications, Proceedings in IEEE Conferences, 2005.
10. K. Chandran, S. Raghunathan, S. Venkatesan and R. Prakash, "A feedback based scheme for improving TCP performance in ad-hoc wireless networks", IEEE Journals Personal Communications Magazine, Vol. 8 pp.34–39, Amsterdam 2001
11. Mi-Young Park, Sang-Hwa Chung, "Analyzing Effect of Loss Differentiation Algorithms on Improving TCP Performance" the 12th IEEE International Conference on, (ICACT), Vol.1 pp.737– 742, Phoenix Park 2010.
12. Yao-Nan Lien; Ho-Cheng Hsiao, "A New TCP Congestion Control Mechanism over Wireless Ad Hoc Networks by Router-Assisted Approach", 27th IEEE International Conference on Distributed
13. Samaraweera N . K . G, "Non - Congestion packet loss detection for TCP error recovery wireless links" Communications, IEE Proceedings-IET Journals , 1999.
14. Mohammad Amin Kheirandish Fard, Sasan Karamizadeh, Mohammad Aflaki, "Enhancing Congestion control to address link failure loss over mobile ad-hoc network", International Journal of Computer Networks & Communications (IJCNC) Vol.3, No.5, Sep 2011.

****

A Study Of Vocational Interest Of School Students

Dr. Madhu Mishra *

Abstract - The present study is aimed to investigate the vocational interest of school students. This was done by administering a questionnaire on a sample of 100 students of Class-X. Vocational Interest questionnaire by Dr. S.P. Kulshreshth was used to assess the Vocational Interest of Secondary School Students. Results revealed that students show highest preference for Executive interest area & least preference for constructive area. Boys and Girls of secondary school students differ significantly on two vocational interest areas i.e. Executive & Artistic while there was no significant difference in other vocational interest areas between male and female students.
Key Words - Vocational interest.

Introduction - During the secondary education courses, all students in one or other manner think of choosing a profession after passing secondary school. Sometime they do this on the basis of their achieved excellence in academics. However, many a times students are never sure as which vocation they should persue in future. Vocational interest questionnaire is the method by which one can assess the capabilities of a student and guide students to persue the profession in which he or she is likely to succeed. In the present paper Vocational Interest of the students has been assessed to know the aptitude of students.

Objectives :

1. To measure the extent of Vocational Interest of school students.
2. To check the difference in Vocational Interest of school students on the basis of gender.

Hypothesis - There is no significant difference in Vocational Interest of School Students on the basis of gender.

Sample - An overall sample of 100 students was drawn. Out of which 50 boys and 50 girls of Class-X studying in Anand Vihar School were selected.

Tool - Vocational Interest Record (VIR) by Dr. S.P. Kulshreshth has been used.

Analysis and Interpretation :

Objective-1: To measure the extent of Vocational Interest of School Students.

Table-1

Mean and SD of Vocational Interest Scores along with vocational Interest rank for students.

S.	Vocational Interest Area	Mean	SD	Rank
1.	Literary	6.23	3.89	6
2.	Science	8.04	3.90	3
3.	Executive	8.56	4.47	1
4.	Commercial	4.28	3.15	8
5.	Constructive	2.80	2.77	10
6.	Artistic	8.50	4.90	2
7.	Agriculture	4.12	3.89	9
8.	Persuasive	7.20	4.57	5
9.	Social	7.58	4.98	4
10.	Household	4.50	4.14	7

From table-1, it has been found that students show highest preference for Executive Vocational Interest area and least preference for constructive area. Students preferred Artistic and Science as their second & third preferences respectively.

Objective - 2 : to check the difference in Vocational Interest of school students on the basis of gender.

Table - 2 (See in next page)

It is evident from table-2 that there is significant difference in Executive and Artistic vocational Interests between boys & girls. There is no significant difference in Literary, Science, Commercial, Constructive, Agriculture, Persuasive, Social & Household vocational Interests. Hence, the hypothesis "There is no significant difference in Vocational Interest of School Students on the basis of gender" is partially accepted and partially rejected.

Conclusion - It can be concluded that means of the boys were a little more than the girls in all fields except Artistic field. So the boys were slightly more interested in Literary, Science, Executive, Commercial, Constructive, Agriculture, Persuasive, Social & Household. In case of Artistic field, girls were more interested than that of boys. There is significant difference in Executive & Artistic Interest areas between boys & girls while no significant difference in other Vocational Interest areas.

It is suggested that students should be helped to make right choice of subjects to enable him enter the vocation of

* **Principal, Anand Vihar College for Women, Bhopal (M.P.) INDIA**

his choice. They should be given occupational information. Vocational guidance can help the individual by organizing various programmes like career counseling, orientation tasks. Opportunities should be provided to the students to contact the various officers, owners of industrial units factories etc. Contrary to this failure in guiding the students may result in their failure in choosing the right profession.

References :-

1. Baron, R.A. and Byrne, B. (1977) Social Psychology. Boston : Allyn of Balan.
2. Mouley, G.J. (1964) : The Science of Educational Research, Delhi, Eurassia Publishing House.
3. Nandwana, Shoba & Asawa, Ninmi (2007) : Vocational Interest of High & Low Creative Addoloscents. Journal of Social Science 14(2) : 185-190 (2007).
4. Reddy, P. Adinarayana, Devi, D. Uma & Reddy E. Mahadeva (2011). A study of the Vocational Educational Preferences & Interests of the Indian Under graduate students, Bulgarian Journal of Science and Education, Policy (SJSEP) Volume 5, number 1, 2011.
5. Yadav, R.K. and Yadav Arti (2011) A Comparative Study of the Adjustment & Values of B.Ed., Arts & Science Students of Rewari District (Hariyana). Educational & Psychological Research Vol. 1.

Table - 2 : Comparison of Vocational Interest of Students on the basis of Gender

S.	Vocational Interest Area	Boys (50)		Girls (50)		SED	CR	Significance
		Mean	SD	Mean	SD			
1.	Literary (L)	6.48	4.39	5.92	3.33	0.780	0.717	P < 0.05
2.	Science (SC)	8.6	3.91	7.48	3.85	0.777	1.44	P < 0.05
3.	Executive(E)	9.64	4.35	7.48	4.38	0.873	2.47	P > 0.05
4.	Commercial (C)	4.8	3.09	3.76	3.17	0.626	1.66	P < 0.05
5.	Constructive(Co)	3.12	3.24	2.48	2.19	0.554	1.15	P < 0.05
6.	Artistic(A)	7.52	4.73	9.48	4.91	0.964	2.03	P > 0.05
7.	Agriculture(Ag)	4.2	3.76	4.04	4.04	0.781	0.204	P < 0.05
8.	Persuasive(P)	8.0	4.81	6.40	4.22	0.906	1.76	P < 0.05
9.	Social(S)	8.04	4.50	7.12	5.42	0.996	0.922	P < 0.05
10.	Household(H)	4.92	3.99	4.08	4.27	0.827	1.01	P < 0.05

✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻

बालकों की शैक्षिक उपलब्धि पर अभिभावकों की शिक्षा के प्रभाव का अध्ययन (कानपुर शहर, उ.प्र. के विशेष संदर्भ में)

पारूल सारस्वत * कंचन दुबे ** डॉ. मंजु दुबे ***

प्रस्तावना – परिवार बालक की प्रथम पाठशाला होती है। जहाँ वह अपने अभिभावकों से शिक्षा एवं संस्कार ग्रहण करता है। अभिभावक बालक के सम्पूर्ण विकास हेतु प्रयत्नशील रहते हैं। अभिभावकों के द्वारा दी गई प्रेरणाओं एवं प्रोत्साहन के फलस्वरूप ही बालकों का रूझान अध्ययन, खेलकूद, हस्तकला, नृत्य, तैराकी एवं अन्य विभिन्न गतिविधियों की ओर बढ़ता है। अभिभावक द्वारा ही बालकों की नैतिक एवं मूल्यपरख शिक्षा प्रदान की जाती है। वे अपने बच्चों के लिए उचित पाठशाला का चयन कर प्रवेश कराते हैं। उनके लिए संसाधन जुटाते है परिवार में अनुकूल वातावरण निर्मित कर तथा प्रगति के मार्ग खोलते हैं। बालकों का नियमित पाठशाला में उपस्थित होना, प्रोजेक्ट बनाना तथा नियमित मासिक टेस्ट देना व अच्छे अंक लाना विद्यालय में शिक्षकों का सम्मान करना व साथियों से सद्व्यवहार करना आदि समस्त पहलुओं पर अभिभावक ही नजर रखते हैं व अपने बच्चे का मूल्यांकन करते हैं। क्या अभिभावकों की शिक्षा बालकों की शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करती है? यह ज्ञात करने हेतु शोधार्थी ने अपने शोध का विषय – 'बालकों की शैक्षिक उपलब्धि पर अभिभावकों की शिक्षा के प्रभाव का अध्ययन' चुना है।

उद्देश्य –

1. अभिभावकों का शैक्षिक स्तर ज्ञात करना।
2. बालकों की शैक्षिक उपलब्धि ज्ञात करना।
3. बालकों की शैक्षिक उपलब्धि पर अभिभावकों की शिक्षा का प्रभाव ज्ञात करना।

परिकल्पनायें –

- माता–पिता के शैक्षिक स्तर में सार्थक अंतर नही पाया जाता।
- बालकों की शैक्षिक उपलब्धि पर अभिभावकों की शिक्षा का प्रभाव नहीं पाया जाता।

शोध प्रविधि – शोध अध्ययन हेतु कानपुर शहर से 12 विद्यालय दैव निदर्शन विधि से चयनित किए गए। इन विधालयों से 150 बालक शिक्षित अभिभावकों के तथा 150 बालक अशिक्षित अभिभावकों के कुल 300 बालक चयनित किए गए। तथ्यों के संकलन हेतु प्रश्नावली का उपयोग किया गया। सांख्यिकीय विश्लेषण माध्य, मानक विचलन एवं टी–परीक्षक द्वारा किया गया। (देखिये तालिका क्रंमाक 1,2,3)

तालिका क्रंमाक –1 : अभिभावकों का शैक्षिक स्तर

शैक्षिक स्तर	माता		पिता	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
हाईस्कूल/हायर सेकेण्ड्री	07	2.33	02	0.66
इन्टर	23	7.66	14	4.66
स्नातक	50	16.66	75	25.00
स्नात्कोत्तर	70	23.33	59	19.66
अशिक्षित	150	50	150	50.00
योग	**300**	**100**	**300**	**100**

तालिका क्रंमाक – 1 में सर्वेक्षित विद्यार्थियों के माता–पिता का शैक्षिक स्तर प्रदर्शित किया गया है। तालिका दर्शाती है कि 07 (2.33%) माता तथा 2 (0.66%) पिता इन्टर/हाईस्कूल शिक्षित पाए गए। 23(7.66%) माता तथा 14 (4.66%) पिता इन्टर शिक्षित पाए गए। 50 (16.66%) माता तथा 75 (25%) पिता स्नातक शिक्षित पाए गए। 70 (22.33%) माता 59 (19.66%) पिता स्नातकोत्तर शिक्षित पाए गए। तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है, कि स्नातकोत्तर शिक्षित माताओं की संख्या 70 (23.33%) सर्वाधिक तथा स्नातक शिक्षिक पिताओं की संख्या 75 (25%) सर्वाधिक पाई गई।

तालिका क्रंमाक – 2 : सर्वेक्षित बालकों की शैक्षिक उपलब्धि

श्रेणी	संख्या	प्रतिशत
प्रथम श्रेणी	58	19.33
द्वितीय श्रेणी	153	51.00
तृतीय श्रेणी	89	29.66
योग	**300**	**100**

तालिका क्रंमाक – 2 में सर्वेक्षित बालकों की शैक्षिक स्थिति प्रदर्शित की गई है। तालिका दर्शाती है कि सर्वेक्षित बालकों में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण बालकों की संख्या 58 (19.33%), द्वितीय श्रेणी उत्तीर्ण बालकों की संख्या 153 (51.00%) तथा तृतीय श्रेणी उत्तीर्ण बालकों की संख्या 89 (29.66%) पाई गई। इस प्रकार द्वितीय श्रेणी उत्तीर्ण बालकों का प्रतिशत सर्वाधिक पाया गया तथा प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण बालकों का प्रतिशत न्यूनतम पाया गया।

* शोधार्थी (गृह विज्ञान) शासकीय कमलाराजे कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी (गृह विज्ञान) शासकीय कमलाराजे कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत
*** प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (गृह विज्ञान) शासकीय कमलाराजे कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत

तालिका क्रंमाक –3 में सर्वेक्षित बालकों की शैक्षिक उपलब्धि प्रदर्शित की गई है। तालिका दर्शाती है कि 58 (19.33%) बालक प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण पाये गये। जिनमें शिक्षित अभिभावकों के बालकों की संख्या 49 (16.33%) तथा अशिक्षित अभिभावकों के बालकों की संख्या 09 (3.00%) पाई गई। इस प्रकार प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाले बालकों में शिक्षित अभिभावकों के बालक की संख्या अशिक्षित अभिभावकों के बालकों की तुलना में अधिक पाई गई।

द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाले बालकों की संख्या 153 (51.00%) पाई गई जिसमें अशिक्षित अभिभावकों के बालकों की संख्या 70(23.00%) तथा अशिक्षित अभिभावकों के बालकों की संख्या 83(27.66%) पाई गई। इस प्रकार अशिक्षित अभिभावकों के बालकों का प्रतिशत शिक्षित अभिभावकों के बालकों की तुलना में अधिक पाया गया।

तृतीय श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाले बालकों की संख्या 89 (29.66%) पाई गई जिसमें शिक्षित अभिभावकों के बालकों की संख्या 31(10.33%) तथा अशिक्षित अभिभावकों के बालकों की संख्या 58 (19.33%) पाई गई। इस प्रकार अशिक्षित अभिभावकों के बालकों का प्रतिशत शिक्षित अभिभावकों के बालकों के प्रतिशत की तुलना में अधिक पाई गई। (ग्राफ क्र.–1)

तालिका क्रंमाक – 4 दर्शाती है कि माता के शैक्षिक स्तर का माध्य 4.22 व पिता के शैक्षिक स्तर के माध्य 4.27 की तुलना से कम है। तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है, कि टी–परीक्षण का परिगणित मूल्य 298 स्वांतत्र्यांश पर 0.5885 है। जो कि 0.05 स्तर पर असार्थक है। अत: शून्य परिकल्पना 'माता एवं पिता' के शैक्षिक स्तर में सार्थक अंतर नहीं पाया जाता स्वीकृत होती है। इस प्रकार माता–पिता के शैक्षिक स्तर में सार्थक में अंतर नहीं पाया गया।

तालिका क्रंमाक – 5 दर्शाती है कि शिक्षित अभिभावकों के बालकों की शैक्षिक उपलब्धि का माध्य 2.12 है तथा अशिक्षित अभिभावक की शैक्षिक उपलब्धि का माध्य 1.67 है। इससे स्पष्ट है कि शिक्षित अभिभावकों के बालकों की शैक्षिक उपलब्धि का माध्य अशिक्षित अभिभावकों के बालकों की शैक्षिक उपलब्धि के माध्य की तुलना में अधिक है। तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि टी–परीक्षण का परिगणित मूल्य 298 स्वातंत्र्यांश पर 5.8831 है, अत: शून्य परिकल्पना – 'बालकों की शैक्षिक उपलब्धि पर अभिभावकों की शिक्षा का प्रभाव नहीं पाया जाता' अस्वीकृत होती है। इससे स्पष्ट होता है कि बालकों की शैक्षिक उपलब्धि पर अभिभावकों की शिक्षा का प्रभाव पाया जाता है। अत: कहा जा सकता है, कि शिक्षित अभिभावकों के बालकों की शैक्षिक उपलब्धि अशिक्षित अभिभावकों के बालकों की तुलना में अधिक पाई गई।

निष्कर्ष –

1. कानपुर शहर के विधायलीन बालकों के माता–पिता के शैक्षिक स्तर में सार्थक अंतर नहीं पाया गया।
2. बालकों की शैक्षिक उपलब्धि पर अभिभावकों की शिक्षा का सार्थक प्रभाव पाया गया। शिक्षित अभिभावकों के बालकों की शैक्षिक उपलब्धि अशिक्षित अभिभावकों की शैक्षिक उपलब्धि की तुलना में अधिक पाई गई।

संन्दर्भ ग्रंथ सूची :–

1. पाठक, पी.डी. 'शिक्षा मानो विज्ञान' अग्रवाल पब्लिकेशन्स आगरा 2012.
2. सिंह, एस.डी. 'सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण के मूल तत्व' कमल प्रकाशन इन्दौर 1995
3. श्रीवास्तव, डी.एन., वर्मा, प्रीति, 'बाल मनोविज्ञान एवं बाल विकास'
4. राय, पारसनाथ 'अनुसंधान परिचय' अग्रवाल प्रकाशन, आगरा
5. श्रीवास्तव, डी.एन. 'अनुसंधान विधियाँ' साहित्य प्रकाशन आगरा 1992

तालिका क्रंमाक–3 : अभिभावकों की शिक्षा के अनुसार बालकों की शैक्षिक उपलब्धि

शैक्षिक स्तर	बालकों की शैक्षिक उपलब्धि						योग	
	प्रथम श्रेणी		द्वितीय श्रेणी		तृतीय श्रेणी			
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
शिक्षित	49	16.33	70	23.33	31	10.33	150	50
अशिक्षित	09	3.00	83	27.66	58	19.33	150	50
योग	58	19.33	153	51.00	89	29.66	300	100

तालिका क्रंमाक – 4 : माता–पिता के शैक्षिक स्तर के माध्य, मानक, विचन एवं टी–परीक्षण की तालिका

लिंग	माध्य	मानक विचलन	मानक त्रुटि	स्वांतत्र्यांश	टी–परीक्षण का मूल्य	रिमार्क
माता	4.22	0.87	0.07	298	0.5885	P>0.05
पिता	4.27	0.68	0.06			P>0.5566
सार्थक						

तालिका क्रंमाक – 5 : अभिभावकों की शिक्षा के अनुसार बालकों की शैक्षिक उपलब्धि के माध्य, मानक, विचलन एवं टी–परीक्षण की तालिका

शैक्षिक स्तर	माध्य	मानक विचलन	मानक त्रुटि	स्वांतत्र्यांश	टी–परीक्षण का मूल्य	रिमार्क
शिक्षित अभिभावक	2.12	0.72	0.06	298	5.8831	P>0.05 (P=Less than 0.0001)
अशिक्षित अभिभावक	1.67	0.59	0.05			
सार्थक						

ग्राफ क्र. 1 – अभिभावकों की शिक्षा के अनुसार बालकों की शैक्षिक उपलब्धि

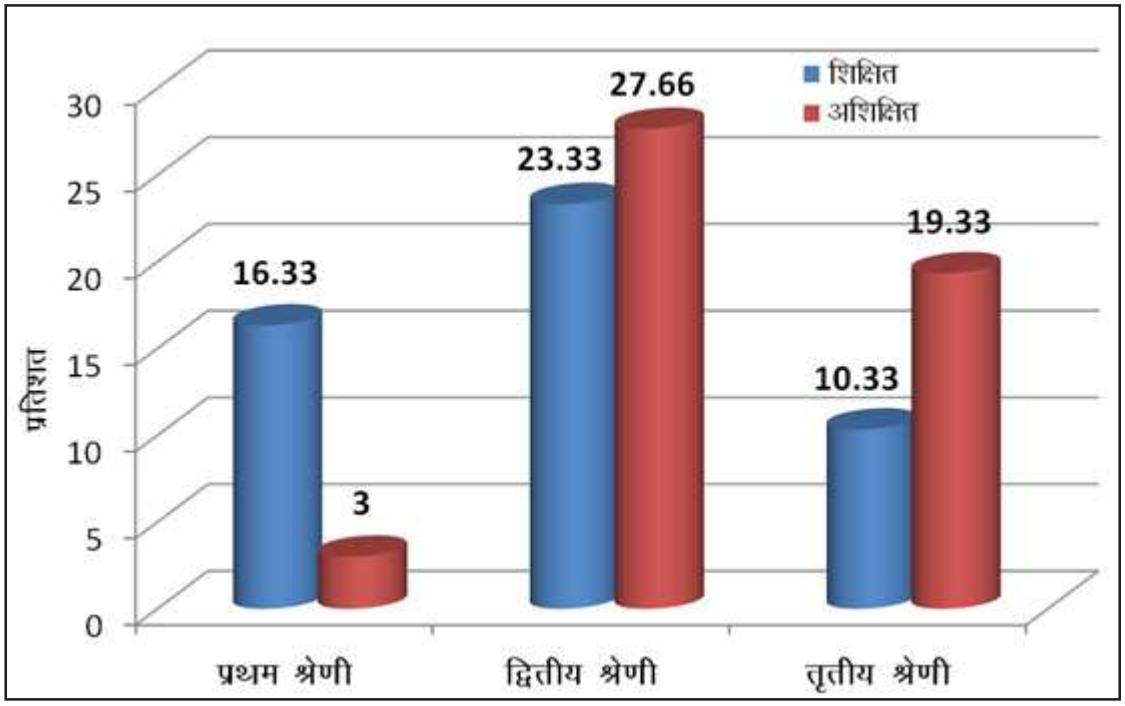

****

नारी सशक्तिकरण के आधार के रुप में डॉ. श्याम नारायण पाण्डेय का साहित्य (जौहर, हल्दीघाटी के संदर्भ में)

डॉ. दीपशिखा पाण्डेय *

प्रस्तावना – प्रस्तुत शोध प्रपत्र नारी सशक्तिकरण के आधार के रुप में डॉ. श्याम नारायण पाण्डेय का साहित्य (जौहर एवं हल्दीघाटी के संदर्भ में) पर आधारित हैं। जिसमें यह वर्णित करते हुए कहा गया है कि जब सम्पूर्ण साहित्य महिलाओं के दुर्बल एवं उत्पीड़न के रुप को प्रस्तुत कर रहा था और यदि नारी के सशक्ति की बात भी की जा रही थी, जिसमें केवल नारी के भावनात्मक सबलता को सर्वोपरी रखा जा रहा था। ऐसे में डॉ. पाण्डेय ने हल्दीघाटी एवं जौहर के माध्यम से नारी की पवित्रता एवं देश प्रेम को प्रस्तुत कर नारी सशक्तिकरण के नये आयाम का लोकार्पण किया।

सामाजिक ढ़ाँचे में मनुष्य और साहित्य का बेहद सघन संबंध है, जिसमें स्त्री केन्द्र बिन्दु रही है। वह जननी है और सृष्टि को आगे ले जाने की अग्रदूत भी है। उसके पीछे चलने वाला समाज ही समाज है वरना समाज मनुष्य विहीन हो जायेगा। आज विज्ञान ने तो तरक्की की है, परन्तु देश दुनिया के फलक पर तमाम बुनियादी सुविधाओं की आड़ में स्त्री शोषण का नया अध्याय शुरु हो गया हैं। स्त्री व साहित्य विमर्श को क्रमवार देखा जाय तो ऐसा लगता है, जैसे नारी का अस्तित्व युगों युगों से संघर्ष और समर्पण के दो पाटों में होकर गुजर रहा है। हमारे ऐतिहासिक वैदिक ग्रंथों में स्त्री पुरुष को जीवन के दो पहियों के रुप में चित्रित किया गया है। नारी ओस की नन्हीं बूँदों की कोमलता, गुलाब की ताजा फूलों की मधुर गंध, चिड़ियों की चहचहाट, रिमझिम बरसती बरखा की फुहारों का संगी और पूरब दिशा में भोर की फटते सूरज की लालिमा का उल्लास इन सब को मिलाकर कोई रंग, कोई आकार बन सके तो वह निश्चय ही औरत की तस्वीर होगी। इस तरह के भुलावे में नारी बहुत दिनों तक बँधी रही।

बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से ही समाज के विविध क्षेत्रों में स्त्री ने अपनी एक अलग पहचान बनानी शुरु कर दी थी। नारियों की दशा उत्तर वैदिक काल में प्रशंसनीय रही। मध्य युग में प्रवेश करें तो मीराबाई रत्नावली और रानी दुर्गावती की आत्मचिन्तनशील छवियाँ उभर आती हैं परन्तु यह चमकती छवियाँ बहुत दूर तक नहीं जा सकी।

हिन्दी साहित्य में नारी के भावानात्मक चित्र एवं सबल पक्ष को प्रेमचन्द ने अपने साहित्य के माध्यम से प्रस्तुत कर दिया था। उनके साहित्य, गबन, गोदान और सेवा सदन की नारियों नें नारी सशक्तिकर की एक नई दृश्य प्रस्तुत किया और प्रेमचन्द का साहित्य नारी की स्थिति में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन लेकर आया। प्रेमचन्द के साहित्य की नायिकाऍ अन्याय के प्रति झुकना नहीं जानती और अपने आत्मसम्मान को ठुकराया जाना नहीं देख सकती है।

इसी प्रकार महादेवी वर्मा ने अपने साहित्य में भारतीय नारी की विषम परिस्थितियों को अनेक दृष्टियों से देखा। 80–90 का दशक आते आते स्त्री की आजादी एंव अस्तित्व के लिए स्वर और तेज होने लगा। ऐसे में सभी साहित्यकारों ने नारी के भावनात्मक एवं समस्या संबंधित पक्षों को उकेरा। किसी ने नारी के भीतर के आक्रोश को जगाने की कोशिश नहीं की। ऐसे में डॉ. श्यामनारायण पाण्डेय ने अपनी रचना जौहर एवं हल्दीघाटी के माध्यम से नारी के पति प्रेम के साथ देश प्रेम की भावना को भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया। उनकी नायिकाओं में पति प्रेम के साथ एक देश भक्ति की भावना भी थी जो उनके आक्रोश को दिखाने का प्रयास करता है।

डॉ. श्याम नारायण पाण्डेय द्वारा रचित 'हल्दीघाटी' की बात की जाए तो जब महाराणा प्रताप अकबर की पराधीनता स्वीकार नहीं करते हैं और जंगलों में पत्नी और दुधमुहें बच्चों के साथ रहने में विवश हो जाते है, और बच्चों की व्याकुलता देख संधि करने के लिए विवश हो जाते है तो उनकी पतिव्रता पत्नी भी देश प्रेम की भावना से ओत प्रोत होकर राजा को संधि करने से रोकते हुए कहती है–

तू भारत का गौरव है,
तू जननी सेवारत है,
सच कोई मुझसे पूछे तो
तू ही तू भारत है।
तू प्राण सनातन का है
मानवता का जीवन है
तू सतियों का आँचल है,
तू पावनता का धन है।
यदि तू ही कायर बनकर
बैरी से संधि करेगा
तो कौन भला भारत का
बोझा माथे पर लेगा।
थक गया समर से तो अब
रक्षा का भार मुझे दे।
मैं चण्डी सी बन जाँऊ
अपनी तलवार मुझे दें।

डॉ. श्याम नारायण पाण्डेय नें अपनी रचना में नारी के दुर्बल पक्ष की जगह सबल पक्ष को दर्शाया जो उपरोक्त रचना में स्पष्ट झलकता है।

हल्दीघाटी की रचना में रानी के आक्रोश नें एक नयी क्रांती का संचार महाराणा प्रताप के अंदर किया और यह आक्रोश ही राणा को देश सेवा के लिए प्रेरित किया।

इसी संदर्भ में यदि 'जौहर' की बात की जाए तो रानी पद्यमिनी ने पतिव्रता धर्म को निभाते हुए जौहर करना स्वीकार कर अलाउद्दीन खिलजी की जीत

* वरिष्ठ प्रवक्ता (गृह विज्ञान)चन्द्रकांति रमावती देवी आर्य महिला स्नातकोत्तर कालेज, गोरखपुर (उ.प्र.) भारत

को भी हार में बदल दिया। जौहर में उल्लेखित करते हुए श्याम नारायण पाण्डेय नें रानी के आक्रोश एवं देश-प्रेम भी भावना को वर्णित करते हुए कहा है कि चितौड़ के कहारों से दिल्ली के सम्राट अलाउद्दीन खिलजी का पराजित होकर लौट जाना कम अपमान की बात न थी। वह रानी पद्यमिनी को पाने की बलवती इच्छा रखने लगा। तब यही डॉ. पाण्डेय नें रानी पद्यमिनी के उग्र रुप और देश सेवा की भावना को प्रकट करते हुए बताया कि रानी चितौड़ के राजपूतों में उत्साह भरते हुए कहती है कि '**धर्म की बलिवेदी पर बलि हो जाना चितौड़ ने सीखा है और किसी देश ने नहीं। माँ बहनों के सम्मान पर मिट जाना राजपूतों ने समझा है और किसी जाति ने नहीं तुम रण के लए तैयार हो जाओं हम जौहर के लिए। पुरुषों के व्रत में सबसे आगे मेरे पतिदेव और नारियों के व्रत में मैं रहूँगी। स्वाभिमान की रक्षा के लिए यही एक उपाय है बस।**'

डॉ. पाण्डेय की रचना में नारी का यह रुप निश्चय ही नारी सशक्तिकरण की नींव को मजबूत करता है। डॉ. पाण्डेय ने कहा है कि मैं साहित्य के माध्यम से नारी के उस रुप को दर्शाना चाहता हूँ जिससे हमारा साहित्य कब से दूर हो चुका है। मैं अन्य साहित्यों की भाँति नारी को स्वंयचिन्तन करने वाली, दुर्बल, अबला के रुप में प्रस्तुत न करके नारी के स्वाभिमान और देश प्रेम में उनके सहयोग को प्रस्तुत करना अधिक उचित समझता हूँ। मैंने हल्दीघाटी में वीरांगना नारी का आदर्श रखा और जौहर लिखकर एक भारतीय सती नारी का जिससे भारतीय नारी महाराणा प्रताप की रानी और वीरांगना पद्यमिनी को पहचाने।

जौहर में डॉ. पाण्डेय ने पथिक और पुजारी के माध्यम से चितौड़ को सभी तीर्थो से बढ़कर बताते हुए कहा है कि पाथिक गंगासागर काशी, और रामेश्वरम छोड़कर चितौड़ देखने की लालसा व्यक्त करते हुए कहता है कि-

मुझे न जाना गंगा सागर
मुझे न रामेश्वर काशी
तीर्थ राज चितौड़ देखने को
मेरी आँखे प्यासी
सुन्दरियों ने जहाँ देश-हित जौहर व्रत करना सीखा, स्वतंत्रता के लिए जहाँ बच्चों ने भी मरना सीखा।

जौहर कविता में पथिक के माध्यम से डॉ. पाण्डेय नें सति नारियों के पद धूल को महत्व देते हुए कहते हैं

कि वही जारहा पूजा करने लेने सतियों की पद धूल,
वहीं हमारा दीप जलेगा, वहीं चढ़ेगा माला फूल।
जहाँ पद्यमिनी जौहर व्रत कर चढ़ी चिता की ज्वाला पर
क्षण पर वहीं समाधि लगेगी, बैठ इसी मृगछाला पर।

इस प्रकार हम कह सकते है कि डॉ. श्याम नारायण पाण्डेय ने नारी के सबल पक्ष को अपने साहित्य में स्थान दिया। उनकी नायिका अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी को चरितार्थ नहीं करती है बल्कि उन्होंने चित्तौड़ की भूमि को पद्यमिनी के जौहर का स्थान बता कर नारियों को यह संदेश दिया कि रानी पद्यमिनी ने अपने जौहर से चित्तौड़ को तीर्थस्थान से बढ़कर भी बना दिया। उनकी नायिकाएँ, रोने, बिलखने वाली दुर्बल नारियॉ नहीं थी बल्कि पुरुषों के आत्मसम्मान को जगाने और देश-भक्ति की चित्तकार और नारी सम्मान के लिए मिट जाने के लिए प्रेरित करने वाली सबला महिलाएँ थी।

इसी प्रकार डॉ. श्याम नारायण पाण्डेय ने जौहर और हल्दीघाटी की कविता के माध्यम से नारी सशक्तिकरण की क्रांति का संचार किया था, जिसे भूला नहीं जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. जौहर - श्री श्याम नारायण पाण्डेय
2. हल्दीघाटी - श्री श्याम नारायण पाण्डेय
3. आजकल - मासिक पत्रिका मार्च 2016 'बहस में स्त्री'

****

Prospects And Challenges In The Implementation Of Indian Accounting Standards (IND AS)

Anjali Batreja * Dr. Sumeet Khurana ** Dr. Navindra Kumar Totla ***

Abstract - India is one of the emerging economies in the world. For the purpose of economic development it is necessary that there is foreign direct investment (FDI) in our country and in order to facilitate such investment it is necessary to integrate our financial reporting with rest of the economies of the globe. Therefore, it was necessary for our country to adopt the set of Accounting Standards which are in line with the internationally accepted accounting standards i.e., International Financial Reporting Standards (IFRS) to ensure comparability and transparency of financial information. This Research Paper focuses on the various advantages and challenges in the implementation of Ind AS in India and the paper also focuses on the ways through which these challenges are addressed.
Key words - Ind AS, IFRS, Accounting Standards, Convergence, Challenges.

Introduction - The necessity to communicate across the borders of our country has increased with the increase in global trade. This has raised the need of harmonization of accounting standards. In India at present Indian Generally Accepted Accounting Principles are followed and at the international level most of the countries follow the International Financial Reporting Standards (IFRS) issued by the International Accounting Standards Board (IASB). In order to harmonise its accounting standards with the internationally accepted accounting standards India made a commitment at the G20 summit in 2009 towards the convergence of its accounting standards with IFRS which will lead to a globally accepted accounting system for the Indian Companies and will also ensure that these standards are suitable for application in the Indian environment.Such Converged Accounting Standards are popularly referred to as Indian Accounting Standards (Ind AS).The Ministry of Corporate Affairs (MCA) has made it mandatory to implement Ind AS in a phased manner with effect from 01st April, 2015. The implementation of Ind AS will lead to many challenges that will be faced by the corporates and the stakeholders, however the advantages of its implementation will override these challenges.

Literature Review - Due to Globalisation, it was necessary to examine the rationale behind adopting IFRS in Indian accounting scenario. The development of IFRS in India ideally will lead to the worldwide use of a single set of high-quality accounting standards. IFRS implementation will provide opportunity for comparability of financial statements prepared all over the world for cross-border investment (Ray, 2011).IFRS is also in the interest of the industry since compliance with them would be able to create greater confidence in the mind of investors and reduce the cost of raising foreign capital (Das, 2014).

IFRS follows a fair valuation approach and have more transparent disclosures and Indian GAAP is a conservative approach (Swamynathan & Sindhu, 2011). It is a completely changed approach from the one which is currently followed in India which will lead to various challenges in its implementation.Awareness and proper Training will contribute to the process of smooth IFRS implementation (Jain, 2011).

To make sure adoption of IFRS in India, skilled and trained professional accountants and auditors in IFRS are required in large numbers. Transition to Ind AS will have a considerable impact on the computation of revenue, operating profit, net profit, and net worth of the listed companies. It has also been analysed that the new norms will increase revenues by 4-5%, while overall Earnings before Interest, Tax, Depreciation and Amortization (EBITDA) may drop by 2-3% which will ultimately have an impact on the decision making of the Investors (Shyam, 2016).

The Implementation of Ind AS will have a major impact on the financial statements of the Corporates.Most of the studies state about the positive impact of the implementation of IFRS and some of the studies have given a contradictory view stating about the difficulties and complications faced in first time adoption of IFRS. However, the measures are being taken by the regulatory authorities to overcome these challenges.

Objectives of the Study - Following are the objectives of

*Chartered Accountant, Research Scholar, Indore (M.P.) INDIA
** Professor & Dean, Acropolis Technical Campus, Indore (M.P.) INDIA
*** Reader, Institute of Management Studies, D.A.V.V., Indore (M.P.) INDIA

the study :

1. To Study the Prospects of the implementation of Ind AS in India.
2. To Study the Challenges to be faced due to implementation of the Ind AS.
3. To focus on the Measures taken to address these Challenges.

Research Methodology - For the purpose of the present study, the secondary data has been used. The required secondary data was collected through various websites, Journals and Research Papers to make this study more effective.

Prospects for Ind AS in India :

Easy access to Cross-Border Capital Markets - On the global economic framework, Indian economy has emerged as strong economy during last decade. The Indian firms are not only establishing plants in other countries but also acquiring other entities across the world. To meet the regulatory requirements of the foreign countries, Indian entities should manage their financial reports according to IFRS guidelines. Hence the adoption and implementation of Ind AS will help these Indian firms to a greater extent in accessing global markets for the requirement of funds at a reduced cost.

Comparability with Global Firms - At present across the world, firms are using IFRS to report their financial results. The adoption of Ind AS by the Indian firms will lead to easy comparison of two entities. With this reporting process Investors, Bankers and Lenders can easily compare the two financial statements which will help the firms in getting easy accessibility to international markets.

Listing in International Market - The availability of funds is essential for the expansion plans of the Indian firms. Indian firms are taking over firms across the globe. In order to raise funds from European and American Markets, these firms get listed in both European and American Capital Markets. One of the important requirements for the getting listed on European Markets is the preparation of accounts according to IFRS. The Indian corporate companies who have raised funds from the European markets have already started preparing their Accounts and Financial Statement according to IFRS regulations and by complying with Ind AS will reduce their burden to a huge extent of preparing financial statements as per IFRS.

Enhancement in the Quality of Financial Reporting - Implementation of Ind AS will ensure better quality of financial reporting due to regular application of Accounting Principles and will improve the reliability of financial statements and accounting. Ind AS follows a concept of fair value which will help Indian entities to reflect their true worth of Assets in the financial statements.Implementation of Ind AS would help in bringing excellence in financial reporting, as these standards are based on the premise that the financial statements should be transparent and should faithfully represent the actual financial position and performance of the entity.

Reduction in the Cost of Capital of Companies - Ind AS will enable comparability of financial information, which will boost investors' confidence, thereby enabling companies to raise capital at lower costs. It will provide better access to global capital markets and reduction in the cost of capital will lead to overall economic growth.Ind AS would bring financial reporting in India at par with the international financial reporting.

Challenges in implementation of Ind AS in India : In spite of several benefits there will be some challenges that will be faced on the way of implementation of Ind AS which are:

Awareness of International Financial Reporting Practices - Adoption of Ind AS means a complete set of different reporting standards will be implemented. The awareness of these reporting standards is still not there among the stakeholders like Firms, Banks, Stock Exchanges, commodity exchanges etc. Bringing awareness about Ind AS and its impact among the stakeholders is a challenging task.

Training - Professional Accountants are looked upon to ensure successful implementation of Ind AS. Along with these Accountants, Government officials, Chief Executive Officers, Chief Information officers are also responsible for a smooth adoption process. India lack training facilities to train such a large group. It has been observed that India does not have enough number of fully trained professionals to carry out this task of adoption of Ind AS in India.

Taxation - Ind AS implementation will affect most of the items in the Financial Statements and consequently, the tax liabilities would also undergo a change. A complete overhaul of Tax laws is the major challenge faced by the Indian Law Makers. Enough changes are to be made in Tax laws to ensure that tax authorities recognize Ind AS compliant financial statements otherwise it will duplicate the administrative work for the Firms. In this regard Income Computation and Disclosure Standards (ICDS) have already been issued by Central Board of Direct Taxes (CBDT) but still more clarity is required for better implementation.

Use of Fair Value as Measurement Base - Ind AS uses fair value to measure majority items in financial statements. The use of Fair Value Accounting can bring a lot of volatility and subjectivity to the financial statements. Indian Corporate World which has been preparing its Financial Statements on Historical Cost Basis will have tough time while shifting to Fair Value Accounting.

Measures Taken To Address the Challenges - In order to minimise the challenges in the implementation of Ind AS various measures have been taken by the regulatory authorities:

1. The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) on 11 January 2016 announced the formation of the Ind AS Transition Facilitation Group (ITFG) in order to provide clarifications on issues arising due to applicability and/or implementation of Ind AS in order

to avoid any kind of confusion and to ensure smooth implementation of Ind AS.

2. In order to resolve several rigid interpretational issues the ICAI has issued interpretations of these Ind AS.
3. To facilitate discussions at seminar, workshops, etc., ICAI has issued background material on newly established Ind AS.

Conclusion - Ind AS will enable the Indian corporates to secure the benefits of global accounting standards. It will significantly change the reporting of corporate financial statements. The mandatory Ind AS implementation will improve information comparability across countries. Indian Government and the regulatory bodies are taking every possible step for a smooth transition process. The transition to Ind AS may cause short term hindrances, but in the long run, the benefits of investments and consistency will definitely compensate the costs and other challenges. Ind AS based financial statements will enable entities to recognise their relative standing looking beyond country and regional milestones. This will facilitate companies to set targets and milestones based on global business environment, rather than merely local ones.

References :-

1. Bavishi, A. (2015). Ind AS Converged with IFRS: An Overview. Cited at: http://taxguru.in/finance/indian-accounting-standards-converged-ifrs-ind-asan-overview.html.
2. Das, S. K. (2014). Indian Accounting Standards and IFRS. International Journal of Innovative Research and Practices 2(7), 18.
3. Ernst & Young LLP (2015). Guide to First Time Adoption of Ind AS. Cited at: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-guide-to-first-time-adoption-of-ind-as/%24FILE/ey-guide-to-first-time-adoption-of-ind-as.pdf.
4. Gurpreet, K., & Kumar, Amit (2014). IFRS and India: Problems and Challenges. Research Directions Journal, 1(7), 1-5.
5. Jain, P. (2011). IFRS implementation in India: Opportunities and challenges. World Journal of Social Sciences, 1(1), 125-136.
6. Patil, M. D. D (2015). Implementation of Converged Ind AS.Research Front, 3(2), 39-44.
7. Rawat, D. S., &Maheswari, D (2015). A Study on Challenges and Prospects of IFRS in Indian Accounting System.International Journal of Core Engineering & Management (IJCEM), 2(4), 142-149.
8. Ray, S. (2011). Emergence of International Financial Reporting Standard in India's Accounting Scenario. Emergence, 2(12).
9. Shyam, A. (2016). How New Accounting Standards will Impact Indian Companies. Cited at: http://economictimes.indiatimes.com/markets/stocks/policy/how-new-accounting-standards-will-impact-indian companies/articleshow/53200549.cms? from = mdr.
10. Swamynathan, S. H. O. B. A. N. A., & Sindhu, D. (2011). Financial Statement Effects on Convergence to IFRS: A Case Study in India. International Journal of Multidisciplinary Research, 1(7).
11. The Institute of Chartered Accountants of India (2016). Ind AS Transition Facilitation Group (ITFG) Clarification Bulletins. Cited at: http://resource.cdn.icai.org/41254asb31060.pdf.

****

मध्यप्रदेश में औद्योगिक विकास एक परिदृष्य

डॉ. प्रवीण ओझा *

प्रस्तावना – भारत के हृदय स्थल में स्थित होने के कारण 01 नवम्बर 1956 को स्थापित इस प्रदेश का नामकरण मध्यप्रदेश किया गया तथा 01 नवम्बर 2000 को नवीन राज्य छत्तीसगढ़ बनने पर इसका नवीन स्वरूप स्थापित हुआ। सन् 1956 में इसका गठन मध्यभारत, महाकौशल, विंध्य प्रदेश तथा भोपाल आदि चार अलग–अलग इकाइयों को मिलाकर किया गया था। औद्योगिक दृष्टि से इसे बहुत समृद्ध नहीं माना जाता है। यहां प्रति एक लाख व्यक्तियों पर कारखानों की संख्या 5.24 प्रतिशत है, जबकि देश में कारखानों का औसत 14.23 है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में भी द्वितीय क्षेत्र का योगदान लगभग 28.26 प्रतिशत रहा। यहां बड़े उद्योगों की स्थापना 20वीं शताब्दी के आरंभिक काल में हुई थी परन्तु वास्तविक खनिज की दृष्टि से सम्पन्न राज्य होने के बाद भी औद्योगिक क्षेत्र में वह मुकाम हासिल नहीं कर पाया है, जिसका वह हकदार है। विकास के क्रम में यहां पर खनिज, कृषि एवं वनों पर आधारित विविध उद्योगों की स्थापना की गयी। जिसके परिणाम स्वरूप आज प्रदेश की कुल आय में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 14 प्रतिशत से अधिक है, जिसमें और अधिक वृद्धि होना लक्षित है। यद्यपि छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के पश्चात यहां के अधिकांश खनिज संसाधन छत्तीसगढ़ में चले जाने के कारण उद्योगों के लिए संकट उत्पन्न हो गया था तथापि प्रदेश ने इलेक्ट्रोनिक्स, दूरसंचार, मोटरवाहनों, सूचना प्रौद्योगिकी आदि उच्च तकनीकी उद्योगों के क्षेत्र में प्रवेश इस क्षेत्र में विकास की गति को तीव्र किया है। आज यह राज्य दूरसंचार प्रणालियों के लिये ऑप्टिकल फाइबर का उत्पादन कर रहा है, यहां सार्वजनिक क्षेत्र में भोपाल में हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल, देवास में नोट छापने की प्रेस, नेपानगर में अखबारी कागज की मिल एवं नीमच में अल्कालॉइड फैक्ट्री आदि सुस्थापित उद्योग हैं।

मध्यप्रदेश के जिन जिलों में उद्योग स्थापित है, उनमें से मात्र पांच जिलों इन्दौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, एवं उज्जैन को ही औद्योगिक दृष्टि से विकसित माना जा सकता है, शेष जिलों की स्थिति उत्तम नहीं है।

औद्योगिक विकास की दृष्टि से ऐसी विषम परिस्थितियों के बाद भी मध्यप्रदेश इस क्षेत्र में तीव्र विकास हेतु दृढ़संकल्प है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012) में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर का प्रतिशत 7.9 था, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र की भागीदारी 6.6 प्रतिशत थी। बारहवीं पंचवर्षीय योजना (01 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017) में इसमें वृद्धि का लक्ष्य 7.9 से बढ़ाकर 8.2 प्रतिशत करना रखा है, जिसमें औद्योगिक उत्पादन का प्रतिशत बढ़ाकर 8.1 प्रतिशत करना प्रस्तावित है, जो निम्न तालिका से स्पष्ट है–

तालिका क्रमांक –01

क्र.	मद	ग्यारहवीं योजना (वास्तविक)	बरहवीं योजना (लक्ष्य)
1	सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर	7.9	8.4
	(क) कृषि	3.6	4.0
	(ख) उद्योग	6.6	8.1
	(ग) सेवाऐं	9.8	9.1

तालिका क्रमांक –02 : ग्यारहवीं तथा बारहवीं पंचवर्षीय योजना में कुल सार्वजनिक परिव्यय में उद्योग एवं खनिज का हिस्सा

क्र.	मद	ग्यारहवीं योजना	बारहवीं योजना
01	प्रस्तावित राशि	1,53,600 करोड़ रू.	3,77,302 करोड़ रू.
02	कुल व्यय का प्रतिशत	4.2 प्रतिशत	4.9 प्रतिशत

भारत विगत दो दशकों में विश्व की सर्वाधिक तीव्र गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गया है। राज्यों के औद्योगिक विकास के आधार पर ही संयुक्त रूप से देश का औद्योगिक विकास संभव होता है। यही कारण है कि मध्यप्रदेश राज्य भी इस हेतु विशेष रूप से सक्रिय है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना की व्यय की मद में से प्राप्त राशि के आधार पर अधिकाधिक विकास की नीति का यहां पूर्णत: परिपालन किया जा रहा है। प्रगतिशील लोकोन्मुखी नीतियों के दम पर मध्यप्रदेश आज विकास पथ पर तेजी से अग्रसर हो रहा है। इसने पिछले दो वर्षों में पहले से ही आठ प्रतिशत की औद्योगिक विकास दर बनाये रखी है। पिछले 10 वर्षों की उपलब्धियों के बदौलत निकट भविष्य में यह दोहरे अंकों की सरल विकास दर (जीएसडीपी) अर्जित करने के लिये कृत संकल्प है। स्पष्ट दृष्टिकोण एवं सही प्रयासों के माध्यम से औद्योगिक दृष्टि से कमजोर राज्य भी प्रगतिशील राज्य बनने की इबारत लिख रहा है। इस दिशा में अभी तक किये गये प्रयास निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट हैं,

तालिका क्रमांक –03

मध्यप्रदेश के प्रमुख औद्योगिक कॉम्पलेक्स

क्र.	कॉम्प्लैक्स	स्थान
1	इलैक्ट्रोनिक कॉम्प्लेक्स	इन्दौर
2	लैदर कॉम्प्लेक्स	देवास
3	एग्रो कॉम्प्लेक्स	छिन्दवाड़ा
4	स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स	सागर

* प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (वाणिज्य) डॉ. भगवत सहाय शासकीय महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत

तालिका क्रमांक –04

क्र.	केन्द्र	जिला
1	पीथमपुर	धार
2	मुरैना	पन्ना
3	मालनपुर	भिण्ड
4	मेघनगर	झाबुआ
5	मनेरी	मण्डला
6	पीलूखेड़ी	राजगढ़

इसके साथ–साथ मध्यप्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना सन् 1964 में की गयी। निगम के सहयोग से प्रदेश में औद्योगिक विकास कार्यों को लागू करने हेतु राज्य सरकार ने 26 औद्योगिक केन्द्र स्थापित किए है। जो विकास में महती योगदान दे रहे हैं। वर्तमान समय में यहां जो विकास की धारा प्रवाहित होती दिखाई दे रही है उसमें इन केन्द्रों की क्रियाशीलता छिपी हुयी है। इस दिशा में विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) का योगदान भी विशिष्ट है, इसके अन्तर्गत स्थापित उद्यमों में अकेला मल्टी प्रोडक्ट एस. ई. जैड, इन्दौर ही लगभग 4000 लोगों को रोजगार देने की क्षमता रखता है। ऐसे अन्य उद्यम भी प्रस्तावित हैं जो निम्न तालिका से स्पष्ट हैं।

तालिका क्रमांक –05 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

औद्योगिक विकास का वर्तमान परिदृश्य– सामान्यत: औद्योगिक ढ़ांचे को विकसित करने में सभी प्रकार के उद्योगों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए यहां अलग से एक एसएमएस ई विभाग का गठन किया गया है। राज्य सरकार की एमएसएम ई संवर्धन नीति के क्रियान्वयन के बाद 50,000 इकाइयों को उद्योग आधारित विवरणिका में पंजीकृत किया गया है। जबकि सन् 2016 में एक लाख इकाइयों को पंजीकृत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्तमान में ये इकाइयां 5000 करोड़ रूपये के निवेश के साथ 2 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान कर रही हैं। प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र में न्यूनतम 20 प्रतिशत स्थान इन इकाइयों के लिएआरक्षित करे गए हैं। उन्हें पूंजी लागत सहायता, ब्याज सब्सिडी, वेट, बिजली, टेरिफ, मंडी कर, प्रवेश शुल्क आदि से छूट प्रदान की गयी है। सरकारी खरीद में उनका हिस्सा बढ़ाने के उद्देश्य से स्टोर पर्चेज एवं सर्विस प्रोक्योरमेंट नियमों में संशोधन किया गया है।

इनके अतिरिक्त 19 नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की लगभग 2046 हैक्टेयर भूमि में 501 करोड़ रूपये की परियोजनाओं पर तेजी से कार्य चल रहा है। साथ ही 13 वर्तमान औद्योगिक क्षेत्रों में 7481 हैक्टेयर के विकास हेतु 480 करोड़ रूपये का कार्य भी प्रगति पर है। प्रदेश का समुचित औद्योगिक विकास तब तक संभव नहीं है, जबकि इस क्षेत्र में प्रशिक्षित व्यक्ति क्रियाशील नहीं हो। यही कारण है कि औद्योगिक क्षेत्र में आवश्यकतानुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन योजना के अन्तर्गत 50,000 से अधिक युवकों को तकनीकी कौशल संबंधी प्रशिक्षण देना प्रस्तावित है। सरकारी आई टी आई की संख्या 141 बढ़ाकर 213 एवं निजी क्षेत्र के आईटीआई की संख्या 30 से बढ़ाकर 385 कर दी गयी है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के उत्तम संचालन हेतु 135 कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना की गयी है। राज्य में स्थापित उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप विषयों एवं पाठ्यक्रमों में संशोधन कर नवीन पाठ्यक्रम लागू किए जा रहे हैं। मेक इन इण्डिया एवं स्किल इण्डिया के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु आईटीआई एवं औद्योगिक घरानों के मध्य फ्लेक्सी एमओयू पर भी हस्ताक्षर हुए हैं। अल्पकालिक कौशल विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए मध्यप्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एमपी सीबीईटी) का गठन किया गया है। यह 135 सरकारी केन्द्रों को संचालित कर रहा है। इसके साथ ही साथ मॉड्यूलर एप्लॉयबल स्किल स्कीम के अन्तर्गत परिषद द्वारा तीन लाख से अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है। प्रत्येक जिले में कम से कम एक पॉलीटेक्निक एवं प्रत्येक ब्लॉक में आईटीआई की स्थापना की गयी है। जिससे प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा रहा है।

मध्यप्रदेश शासन औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार हेतु विशेष सुविधाएं भी उद्यमियों को प्रदान कर रहा है। श्रम कानूनों के उचित परिपालन ने इस क्षेत्र को सुव्यवस्थित रूप प्रदान किया है। देश में एकमात्र राज्य मध्यप्रदेश ही है। जो वैट रिफंड पेमेंट सीधे निवेशक के खाते में डाल देता है इसके अतिरिक्त भी अनेक नवीन सुविधाएं यहां उपलब्ध करवाई जा रही हैं यथा मदर एवं वैंडर दोनों ही यूनिट को एक समान प्रोत्साहन देना, वेट, सीएसटी, प्रोफेशनल टैक्स, लक्जरी टैक्स एवं मनोरंजन कर के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा, भूमि आवंटन, भवन निर्माण अनुमति, वाटर कनेक्शन, वित्तीय प्रोत्साहन के लिए www.invest.mp.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा, अभिरूचि की अभिव्यक्ति, (एक्सप्रेशन ऑफ इन्टेरेस्ट) की ऑन लाइन फाइलिंग की व्यवस्था इत्यादि।

मध्यप्रदेश में समय–समय पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट भी आयोजित की जाती रही हैं। ऐसी ही इन्दौर में दिनांक 22, 23 अक्टूबर 2016 को आयोजित समिट में मुख्यमंत्री द्वारा जो प्रदेश का औद्योगिक परिदृश्य प्रस्तुत किया गया, उसमें बताया गया कि यहां अनेक नवीन परियोजनाएं क्रियाशील हैं जो आगामी समय में यहां का परिदृश्य ही बदल देंगी। इनमें बडे पैमाने पर निवेश किया गया है । जिसमें प्रमुख उद्यम परियोजनाएं इस प्रकार हैं – पीथमपुर में जापानी औद्योगिक टाउनशिप एवं दक्षिण पूर्व तथा सुदूर पूर्व एशियाई देश औद्योगिक टाउनशिप प्रोजेक्ट, पीथमपुर में रत्न एवं आभूषण पार्क, खरगोन में इण्डस मेगा फूड पार्क, रायसेन जिले में टामोट में प्लास्टिक पार्क, कीरतपुर के औद्योगिक क्षेत्र में ग्रीन फील्ड मल्टी प्रॉडक्ट इन्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं होशंगाबाद जिले में इण्डस्ट्रियल एरिया मोहासा बाबई का विकास, सीतापुर मोरेना जिले में एक मल्टी प्रोडक्ट औद्योगिक क्षेत्र लॉजिस्टिक पार्क शिवपुरी –पूरब–पश्चिम एवं उत्तार–दक्षिण गलियारे के जंक्शन पर देहेवारा में लॉजिस्टिक इन्फ्रास्ट्रेक्चर, युरकालथापा–जबलपुर क्षेत्र में मल्टी प्रॉडक्ट औद्योगिक क्षेत्र आदि। विक्रम उद्योगपुरी, उज्जैन में डीएमआईसी इन्फ्रुएंस एरिया के अन्तर्गत औद्योगिक टाउनशिप एवं एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट भी महत्वपूर्ण है। ग्वालियर में प्रिन्टेड सर्किलन बोर्ड क्लस्टर, भोपाल में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, इन्दौर में सेज के अन्तर्गत इन्दौर प्रोडक्ट एसईजेड एवं आईटी पार्क, क्रिस्टल आईटी पार्क, यहीं पर आईटी– आईटीईएस के लिए प्लग एण्ड प्ले इन्फ्रास्ट्रक्चर, अनलोग सेमीकंडक्टर फैब ईएमजीपी, पीथमपुर आदि अत्यन्त महत्वकांक्षी प्रोजेक्ट हैं।

प्रदेश में इस दिशा में विकास हेतु अनेक संस्थाऐं प्रयासरत है। सरकारी उद्योगों का संचालन एवं संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना में सहायता करने के लिए राज्य में मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम स्थापित है। प्रदेश के बड़े तथा मध्यम श्रेणी के उद्योगों की स्थापना के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने का काम मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम या मध्यप्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन करता है। निजी एवं

सरकारी क्षेत्रों में स्थापित उद्योग वित्तीय सहायता मध्यप्रदेश वित निगम से प्राप्त करते हैं। मध्यप्रदेश एग्रो इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन कृषि आधारित उद्योगों को सहायता प्रदान करने हेतु एवं मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम लघु उद्योगों हेतु कच्चामाल व अन्य सहायता प्रदान करने हेतु स्थापित किए गए हैं। शासन के अधीन कपड़ा मिलों के संचालन हेतु मध्यप्रदेश वस्त्रोद्योग निगम एवं हैण्डलूम, पावरलूम की स्थापना के लिये मध्यप्रदेश हैण्डलूम संचालनालय कार्यरत है। प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में ग्रामोद्योग के विकास, प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता पहुँचाने का काम मध्यप्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड करते हैं। हस्तशिल्प को प्रोत्साहित एवं बेरोजगारों को प्रशिक्षित करने के लिए सन् 1981 में मध्यप्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम स्थापित किया गया तथा सन् 1999 में इसे हथकरघा सम्बन्धी कार्य भी सौंपने के कारण इसका नाम बदलकर मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम कर दिया गया। मध्यप्रदेश चर्म विकास निगम को चर्म उद्योग को बढ़ावा देने, उद्योग संबंधी प्रशिक्षण एवं उपकरण प्रदान करने का दायित्व सौंपा गया है। मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम की स्थापना हथकरघा वस्तुओं के विकास एवं वस्त्र उद्योग के विस्तार के उद्देश्य से की गयी थी। इस दायित्व को यह सफलता पूर्वक निभा भी रहा है। इन समस्त संस्थाओं के अथक प्रयास, शासन का कुशल नेतृत्व एवं उत्साहपूर्वक महत्वाकांक्षी योजनाओं का निर्माण एवं परिपालन का ही यह सुपरिणाम है कि आज मध्यप्रदेश का तीव्र गति से औद्योगिक विकास होना संभव हो सका है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. गौतम राकेश - मध्यप्रदेश एक परिचय
2. सिंह रमेश - इण्डियन इकोनोमी
3. देवधर वाय सतीश - डे टू डे इकोनोमी
4. उद्योग संवर्धन नीति 2014
5. मीणा पी एस - मध्यप्रदेश
6. www.mpakunindore.com

तालिका क्रमांक -05 : मध्यप्रदेश -विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEG)

क्र.	एस.ई.जेड.	विकासकर्ता एजेन्सी	स्थल
1	मल्टी प्रोजेक्ट एस.ई. जेड, इन्दौर	औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इन्दौर	जिला -धार
2	क्रिस्टल आई.टी. पार्क, इन्दौर	औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इन्दौर	जिला-इन्दौर
3	मल्टी प्रोडक्ट एस.ई.जेड, ग्वालियर	औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, ग्वालियर	जिला-ग्वालियर
4	आई.टी./आई.टी.ई. एस.ई. जेड इन्दौर	मेडिकैप्स लिमिटेड, इन्दौर	जिला-इन्दौर
5	आई.टी./आई.टी.ई. एस.ई. जेड इन्दौर	पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड, नई दिल्ली	जला-इन्दौर
6	प्रोडक्ट स्पेसिफिक (एल्युमिनियम) एस.ई.जेड, सीधी	मैसर्स हिन्डाल्को	जिला -सीधी
7	मिनरल एण्ड मिनरल बेस्ड प्रोडक्टस	औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, जबलपुर	जिला -जबलपुर

****

भारत में प्रबन्ध में श्रमिकों की सहभागिता की योजनाएँ एवं सरकार की नीति

मनीषा जैन *

प्रस्तावना – भारत में श्रमिकों की सहभागिता का सिद्धांत मुख्यत: 1947 के पूर्व TISCO में सामान्य मजदूरी समाधान मशीनरी के रूप में अनौपचारिक संयुक्त परामर्श के द्धारा प्रारम्भ किया गया था। हालाँकि उसके पूर्व शाही श्रम आयोग, 1931 ने एक ऐसी आंतरिक मशीनरी की आवश्यकता महसूस की थी, जिसके द्धारा श्रमिकों तथा नियोक्ताओं के बीच के मनमुटाव को दूर किया जा सके। आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुये तत्काल तो कोई प्रावधान नहीं किया गया, किंतु 1947 में पारित औद्योगिक विवाद अधिनियम का धारा 3 के अंतर्गत कार्य समितियों के गठन का प्रावधान लाया गया। 1947 के औद्योगिक संधि प्रस्ताव में श्रमिकों के कौशल तथा उत्पादकता में सुधार लाने के लिए औद्योगिक प्रतिष्ठानों में इकाई उत्पादन समितियों के गठन पर जोर दिया गया। 1948 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में द्धिदलीय उत्पादन समितियों की स्थापना की अनुशंसा की गई। 1948 में ही केन्द्रीय सरकार ने इकाई उत्पादन समितियों के गठन के लिए एक आदर्ष प्रारूप तैयार किया तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत गठित की गई कार्य समितियों द्धारा उत्पादन समितियों के रूप में काम करने पर जोर डाला गया। औद्योगिक नीति प्रस्ताव, 1956 के अंतर्गत पुन: संयुक्त परामर्श पर प्रकाश डालते हुए औद्योगिक शांति की स्थापना के लिये श्रम एवं प्रबन्धकों के संबंधों पर बल दिया गया। सरकार ने द्धितीय पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में संयुक्त प्रबंध परिषदों की स्थापना में अभिरूचि दिखाई। तत्पश्चात् 1958 में देश में संयुक्त प्रबंध परिषदों की स्थापना की गई। 1962 में केन्द्रीय श्रम मंत्रालय द्धारा संयुक्त प्रबंध परिषदों की कार्यप्रणाली का अध्ययन करने के लिए एक अध्ययन दल का गठन किया गया, जिसने इस योजना की सफलता के लिए तथा उसे उपयोगी बनाने के लिये श्रमिक शिक्षा की जरूरत पर बल दिया।

1975 में श्रमिकों की प्रबंध में सहभागिता को बढ़ाने के लिए दो योजनाएँ, कर्मशाला परिषद् तथा संयुक्त परिषद् शुरू करने का निर्णय लिया गया, जिन्हें 30 अक्टूबर, 1975 से लागू कर दिया गया। यह प्रावधान किया गया कि वैसे सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र, उत्पादन या खनन क्षेत्र, जहाँ 500 या उससे अधिक श्रमिक नियोजित है, कार्यशाला परिषदों तथा संयुक्त परिषदों का गठन किया जाएगा। पुन: 1977 में सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक एवं सेवा संगठनों के लिए अलग से श्रम प्रबंध सहयोग की संस्थाओं की स्थापना की गई। 1976 में ही संविधान संशोधन अधिनियम,1976 के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 43। में संशोधन लाकर यह प्रावधान किया गया कि सरकार कानून बनाकर या अन्य योजनाओं के माध्यम से उद्योगों तथा प्रतिष्ठानों व अन्य संगठनों में प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित कराएगी। 1980 में श्रम मंत्री रवीन्द्र वर्मा की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपनी सिफारिशों को श्रम मंत्रियों की बैठक में प्रस्तुत किया। उनकी सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए 1983 में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के लिए 1975 तथा 1977 की योजनाओं के स्थान पर प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारी की एक नई योजना शुरू की गई।

परिकल्पनाएँ–

1. भारत में प्रबंध में श्रमिकों के मध्य योजनाओं के क्रियान्वयन का अभाव हैं।
2. भारतीय श्रमिकों में शिक्षा का अभाव हैं।
3. भारतीय श्रम संघों पर बाहरी व्यक्तियों तथा राजनीतिक दलों का प्रभाव हैं।
4. भारत में मजबूत तथा प्रभावशाली श्रम संघों का अभाव हैं।
5. भारत में प्रबंध में सहभागिता की योजनाओं का बाहुल्य हैं।
6. प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता की अवधारणा में अंतर विद्यमान हैं।

भारत में वर्तमान में प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता के लिए अग्र तीन प्रकार की योजनाएँ या व्यवस्थाएँ की गई हैं–

1. कार्य समिति
2. संयुक्त प्रबंध परिषद्
3. प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता की योजनाएँ

1. कार्य समितियाँ, 1947– कार्य समितियों की शुरूआत औद्योगिक शान्ति तथा औद्योगिक समरसता स्थापित करने की दिषा में महत्वपूर्ण कदम हैं। यह उद्योगों के अन्तर्गत औद्योगिक प्रजातंत्र की स्थापना की दिशा में प्रथम वैधानिक संस्था हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 3 के अन्तर्गत कार्य समितियों की स्थापना की व्यवस्था की गई है, जिसमें कहा गया है कि वैसे प्रतिष्ठान जहाँ 100 या उससे अधिक संख्या में श्रमिक कार्य करते है या नियोजित हैं अथवा जहाँ विगत 12 महीने में किसी भी दिन कार्य किया हो, कार्य समितियों की स्थापना करना अनिवार्य हैं। इसमें नियोजकों एवं कर्मचारियों के प्रतिनिधि समान संख्या में होते हैं और दोनों को मिलाकर अधिकतम सदस्य संख्या 20 ये अधिक नहीं होगी। अधिकारियों के पदों पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव हो सकते है, जबकि उपाध्यक्ष पद के लिए श्रमिकों के प्रतिनिधियों का चयन किया जाता हैं। सचिव तथा संयुक्त सचिव के लिए प्रतिनिधियों में से किसी का भी चयन कर लिया जा सकता हैं। समिति के गठन के बाद इसकी अवधि 2 वर्ष के लिए होगी तथा समिति 3 महीने में कम से कम एक बार अवश्य बैठक आयोजित करेगी। समिति की बैठक कार्य दिवस में ही की जाएगी तथा मीटिंग में उपस्थित श्रमिकों को कार्य पर उपस्थित माना जाएगा। किसी भी प्रतिनिधि द्धारा

* शोधार्थी, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

लगातार तीन बार मीटिंग में शामिल नहीं होने पर उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। समिति अपनी अर्धवार्षिक विकास रिर्पोट की तीन प्रतियाँ क्षेत्र से सम्बन्धित सुलह पदाधिकारी के पास भेजेगी।

2. संयुक्त प्रबन्धन परिषद् , 1958– संयुक्त प्रबन्ध परिषदें प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता का एक उच्च प्रारूप हैं। लोक उद्योगों में इन परिषदों की स्थापना सरकार के प्रशासनिक आदेशों के अनुसार होती है, जबकि निजी उद्योग में असकी स्थापना नियोक्ता तथा श्रम संघ के बीच अनुबन्ध के अनुसार की जाती हैं। इन परिषदों में सदस्यों की संख्या प्राय: 10 से 12 तक की होती है तथा प्रबन्धकों एवं कर्मचारियों के प्रतिनिधि बराबर–बराबर संख्या में होते हैं। श्रम प्रतिनिधियों का चुनाव नामांकन द्धारा तथा गुप्त मतदान द्धारा होता हैं। सामान्यत: श्रमिक प्रतिनिधि श्रमिकों से ही होते हैं, किन्तु कभी–कभी कुछ बाह्य पक्षकारों में से भी नियुक्त किए जा सकते हैं। प्रबंधकों के प्रतिनिधियों का मनोनयन प्रबन्धन द्धारा किया जाता हैं। संयुक्त प्रबन्ध परिषदों की स्थापना का मूल उद्देश्य उद्योग के अन्तर्गत औद्योगिक प्रजातन्त्र की विचारधारा को बढ़ावा देना तथा श्रमिक एवं प्रबन्ध के सम्बन्धों को मजबूत बनाना हैं। हालांकि भारतीय श्रम सम्मेलन द्धारा आदर्श आदेशों के संयुक्त प्रबन्ध परिषदों के उद्देश्यों एवं कार्यों न्म्निलिखित हैं–

1. उद्योग, कर्मचारियों तथा देश के सामान्य लाभ के लिए उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास करना।
2. उद्योग के कार्यों तथा उत्पादन प्रक्रिया में कर्मचारियों को असकी भूमिका तथा उसके महत्व के बारे में अधिक समझ के अवसर प्रदान करना।
3. श्रमिकों की आत्माभिव्यक्ति की भावना को संतुष्ट करना।
4. उत्पादकता में वृद्धि करना।
5. कर्मचारियों के बीच सुझावों को प्रोत्साहित करना।
6. कानूनों और समझोतों के पालन में सहायता प्रदान करना।
7. प्रबन्ध एवं कर्मचारियों के बीच विश्वसनीय संचार माध्यम का कार्य करना।
8. कर्मचारियों में सहभागिता की भावना का विकास करना।

3. प्रबन्ध में श्रमिकों की सहभागिता की योजनाएँ– उद्योगों में श्रमिकों की सहभागिता की अनेक योजनाएँ कार्यशील है जो निम्नलिखित हैं–

1. उद्योग में श्रमिकों की सहभागिता की योजनाएँ, 1975– केन्द्रीय सरकार द्धारा 30 अक्टूबर, 1975 से एक द्धिस्तरीय भागीदारी योजना प्रारम्भ की गई हैं, जिसे उद्योगों में कर्मचारी भागीदारी या सहभागिता कहा गया हैं। 1975 में देश में बींस सूत्री कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया, जिसकी सफलता के लिए प्रबंध एवं श्रमिकों की सहभागिता की नई योजनाएँ लागू करने के निर्देश दिए गए थे। इन निर्देशों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने कार्यशाला स्तर तथा प्रतिष्ठान के स्तर पर श्रमिकों की सहभागिता की योजना बनाई। वास्तविक तौर पर श्रमिकों की प्रबंध में सहभागिता बढ़ाने के लिये भारत के संविधान के अभिलेख 43। में संशोधन लाकर तथा नीति निर्देशक सिद्धांतों में परिवर्तन लाकर एक उपयुक्त अधिनियम बनाने के प्रयास की बात कही गई। उसी के प्रतिफल के रूप में 'उद्योग में श्रमिकों की सहभागिता' की योजनाएँ लाई गई। प्रथम चरण में योजनाओं को सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रों की ऐसी विनियोजी तथा खनन इकाईयों में लागू करने का निर्णय लिया गया, जिनमें 500 से अधिक श्रमिक नियोजित हो। इन योजनाओं के अंतर्गत कार्यशाला विभाग के स्तर पर कार्यशाला परिषद् तथा उद्योग या प्रतिष्ठान के स्तर पर संयुक्त परिषदों की स्थापना की व्यवस्था की गई। ये दोनों ही योजनाएँ द्धिस्तरीय भागीदारी योजना प्रबन्ध में कर्मचारी सहभागिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं।

2. प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी की योजना, 1977– प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्धारा 1975 की योजनाओं की तरह 1977 में एक नई योजना की शुरूआत की गई। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक एवं सेवा संगठनों के लिए, जिसमें 100 से अधिक कर्मचारी नियोजित है तथा जिसमें सार्वजनिक लेन–देन बड़ी मात्रा में होता है, इस योजना को लागू किया। इस योजना को लागू करने के लिए अस्पतालों, डाक और तार कार्यालयों, रेलवे स्टेशनों, टिकट कार्यालयों, बैंकों तथा सार्वजनिक वितरण संस्थाओं को प्राथमिकता दी गई। 1977 में स्थापित नई जनता दल की सरकार ने प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए विशेष त्रिपक्षीय समिति का गठन किया। समिति ने त्रिस्तरीय सहभागिता के लिए बोर्ड संयंत्र तथा कार्यशाला स्तर पर श्रमिकों की सहभागिता की सिफारीश की। इस योजना को पर्याप्त रूप से लचीला बनाने के प्रयास किए गए। इस प्रकार इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित तीन स्तरीय भागीदारी का प्रावधान किया गया–

1. इकाई परिषद
2. संयुक्त परिषद इकाई परिषद
3. कार्यशाला परिषद

3. समता अंशों में श्रमिकों का हिस्सा, 1985– इस योजना को सर्वप्रथम सहगल सैनिट्री फिटिंग्स में जालंधर के नजदीक लागू किया गया, जिसमें 40 प्रतिशत अंश श्रमिकों को आबंटित किए गए थे। उसी प्रकार के प्रयास राजस्थान स्पिनिंग एंड विभिंग मिल्स लिमिटेड में किए गए, जहाँ कम्पनियों ने अच्छा मुनाफा कमाया। दूसरी ओर निजी क्षेत्र के उपक्रम Heavy Machinery Manufacturing Firm, Rourkela में ऐसा किया गया, जिसे Employees' Share Participation Loan Scheme के नाम से जाना ताता हैं। हाल के दिनों में Tata Consultancy Services Ltd तथा Tata Group की अन्य कम्पनियों के साथ–साथ राष्ट्रीयकृत बैकों में भी इसी प्रकार की योजनाओं के तहत समता अंश जारी किए गए है, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया आदि ने भी अपने कर्मचारियों को अंश खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की हैं। इन दिनों यह योजना अधिक लोकप्रिय होती चली जा रही हैं।

भारत में प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी योजनाओं की असफलता के कारण एवं उपाय :

1. ऐच्छिक आधार पर क्रियान्वयन– भारत में प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी योजनाओं की असफलता का मूल कारण इन योजनाओं को वैधानिक रूप न देना तथा ऐच्छिक आधार पर लागू किया जाना हैं। ऐच्छिक योजनाओं के क्रियान्वयनों के कारण नियोजक इसे लागू करने में कोई दिलचस्पी नहीं लेते हैं। यदि भारत में इन योजनाओं को ठीक ढंग से क्रियान्वित करने की इच्छा है, तो सरकार को इसे कानूनी रूप देना होगा। इसके लिए आवश्यकता है कि प्रबंध में कर्मचारियों की सहभागिता विधेयक, 1990 को कुछ संशोधन के आधार पर कानूनी रूप प्रदान किया जाए ताकि उसके क्षेत्र में आने वाले सभी प्रतिष्ठान व उद्योग इसे अनिवार्य रूप से लागू कर सकें।

2. श्रमिकों की अशिक्षा एवं अज्ञानता– भारतीय श्रमिकों में शिक्षा का अभाव है तथा अपनी अशिक्षा के कारण वे प्रबंध के तथा उद्योग की

गतिविधियों, कार्यकलापों, बाजार की प्रवृतियों, तकनीक उपभोक्ता की माँग एवं प्रवृत्ति, प्रबंधकों की इच्छाओं को नहीं समझ पाते हैं। अत: वे प्रबंध के विभिन्न स्तरों पर निर्णय लेने की स्थिति में नहीं रहते। इससे प्रबंधकों को अनावश्यक अन्य कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अकुशल व्यक्तियों द्वारा लिए गए निर्णय संस्था के हित को प्रभावित कर सकते हैं। अत: आवश्यक है कि श्रमिकों को श्रमिक शिक्षा योजना के माध्यम से शिक्षित व प्रशिक्षित कर योग्य बनाया जाए, ताकि वे प्रबंध के विभिन्न स्तरों पर अपना बहुमूल्य सलाह व निर्णय दे सके।

3. मजबूत श्रम संघ का अभाव– भारत में मजबूत तथा प्रभावशाली श्रम संघों का अभाव हैं। कमजोर श्रम संघ तथा अप्रभावशाली श्रम संघ नियोक्ता पर अपना प्रभाव नहीं बना पाते हैं। वे दबाव डालकर योजनाओं को लागू नहीं करा पाते। अत: वे अपने अधिकार से वंचित रह जाते हैं और प्रबंध में उन्हें भागीदारी नहीं मिल पाती हैं। तमाम योजनाओं के बावजूद श्रम संघ के अभाव में योजनाएँ नियोक्ताओं द्वारा लागू नहीं की गई हैं। अत: श्रमिकों को एकजुट होकर एक शक्तिशाली श्रम संघ का निर्माण करना होगा तथा उसे नियोजकों द्वारा मान्यता दिलाना होगा। तभी सहभागिता की विभिन्न योजनाओं को कार्यरूप दिया जा सकेगा।

4. श्रमिक संघों की मान्यता के लिए प्रावधान– भारत में श्रमिक संघों की मान्यता के लिए कोई वैधानिक प्राधान नहीं हैं। इसके कारण श्रमिक संघों को मान्यता मिलने में कठिनाई होती हैं। मान्यता प्राप्त श्रम संघों के अभाव में प्रबंध में सहभागिता की विभिन्न योजनाओं में विभिन्न स्तर पर श्रमिकों के प्रतिनिधियों के चयन में कई बाधाएँ आ सकती हैं। अत: नियोक्ता उन्हें उचित प्रतिनिधित्व नहीं प्रदान कर पाते हैं। अत: आवश्यकता हैं कि श्रमिक संघों को मान्यता प्रदान करने के लिए वैधानिक प्रावधान श्रम संघ अधिनियम, 1926 को संशोधित कर लाया जाए ताकि श्रमिक संघों को मान्यता दी जा सके।

5. विभिन्न संयुक्त निकायों का गठन– भारत में प्रबंध में सहभागिता की योजनाओं का बाहुल्य हैं। कार्य समिति के साथ–साथ 1958 में लागू विभिन्न योजनाओं में श्रमिकों एवं नियोक्ताओं के साथ गठित विभिन्न निकायों के कारण उसके लागू करने में कई कठिनाईयाँ उत्पन्न हो जाती हैं। कुछ निकाय वैधानिक हैं जैस– कार्यसमिति, कल्याण समिति, सुरक्षा समिति, कैंटीन समिति इत्यादि। अत: इन विषयों की बहुलता तथा एक स्पष्ट प्रारूप न रहने के कारण इन निकायों को लागू करने में कठिनाई हो रही हैं। अत: आवश्यकता है कि वैधानिक प्रावधान के अंतर्गत एक स्पष्ट प्रारूप के साथ विभिन्न स्तरों के लिए योजनाएँ बनाई जाएं, जिन्हें कार्यरूप दिया जा सके।

6 प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता की अवधारणा में अंतर– प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता की अवधारणा में भी अंतर हैं। अलग–अलग दर्शनशास्त्रियों ने उसे अलग–अलग तरीके से देखने का प्रयास किया हैं। भागीदारी का अर्थ होता है शक्ति ख अधिकार में सहभागिता, किंतु मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्री तथा कानूनविद् इसे विभिन्न स्वरूपों में देखते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. Pandit, k.(2009) "Industrial Relation and Trade Unions", Novelty & Co; Patna.
2. Rao, V.S.P. (2009) Human Resource Management, Excell Books, New Delhi.
3. Sinha, P.R.N. (2004) " Industrial Relation' Trade Unions and Labour Legislation, "Pearson, New Delhi.
4. K. Pandit & Jha Prabhakar (2011): Human Resource Management : Sahitya Bhawan Publishing, Agra.
5. C.S. Venkata Ratnam (2006): " Industrial Relation, Oxford University Press, " New Delhi.

****

उज्जैन नगर में सामाजिक प्रदूषण के विस्तार केन्द्र के रूप में गंदी बस्तियों की भूमिका

डॉ. ललित किशोरी तिवारी *

प्रस्तावना – आज से 20 वर्ष पूर्व तक विश्व के नगरों में 70 करोड व्यक्ति रह रहे थे। आज यह संख्या लगभग 180 करोड़ हो गई है। इसी नदी के अंत में यह संख्या लगभग 300करोड़ हो जाएगी अर्थात विश्व की अनुमानित जनसंख्या का आधे से अधिक भाग 21वी शताब्दी के आरंभ में नगरो में रहा होगा। शहरो में बढती हुई यह आबादी विकसित देशों को ही नहीं वरन विकासशील देशो को भी ग्रास कर रही है। इन नगरों में यातायात तथा जल मल व्यवस्था उनकी आबादी के कितने अनुरुप होगी यह तो समय ही बता सकता है।

20वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में भारत में जिस तेजी से औद्योगिक विकास हुआ उस विकास के दबाव को हमारे नगर इसी कारण झेल गये कि इस औद्योगिक विकास ने नगरो के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज यही औद्योगिक विकास नगरों के लिए अभिशाप बन गए है।

आज सभी छोटे बडे नगरों में भूमि पर अवैध कब्जे तथा झोपड़ियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। आज नियोजित नगर चंडीगढ, श्री गंगा नगर आदि भी इस स्थिति से बच नहीं पाए है। इस वृहत समस्या का एक प्रमुख पक्ष यह है कि गंदी बस्तियों में शिक्षा की कमी के कारण जनसंख्या वृद्धि दर शहर की आबादी की वृद्धि दर से अधिक तीव्र हो रही है। इसके निराकरण के लिए उद्योगों का विकेन्द्रीयकरण तथा उपनगरों की स्थापना जब लंदन की आबादी 1 करोड़ को पार कर गई। तब लंदन से 10 मिल के अर्द्ध व्यास में 20 लाख आबादी के 5 उपग्रह उपनगरों की स्थापना की गई।

नये शहरी क्षेत्रों में उद्योगों को विकसित कर रोजगार के अवसर जुटाए जा सकते है। इस समस्या को हल करने में सोवियत रुस को अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। सोवियत रुस में इन उपनगरों को स्पूतनिक नगर कहा जाता है।

उज्जैन नगर की गंदी बस्तियों की जनसंख्या 1971 में 35000 थी वर्ष 1991 में बढ़कर 66826 हो गई। 1971 में मात्र 20 गंदी बस्तियां थी। विगत 20 वर्षो में बढ़कर इनकी संख्या 71 हो गई। यही कारण है कि नगर में जनसंख्या का घनत्व 3908.36 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी हो गया जो प्रदेश के अन्य नगरों जैसे भोपाल 2355, ग्वालियर 1860 से अधिक है। यह वृद्धि लगातार कई शताब्दियों तक रहेगी। नगर प्रशासन, नगर पालिका निगम, विकास प्राधिकरण उज्जैन द्वारा दी गई सुविधाओं के बढते अनुपात में बढ़ायी नहीं जा सकती। विशेषकर गंदी बस्तियों इन सुविधाओं से वंचित रह जाती है। यह गंदी बस्तियां अधिकतर शहरी भूमि पर अतिक्रमण करती है।

बम्बई में आवास समस्या एक गंभीर स्थिति है। शहर में लगभग 77.6 प्रतिशत व्यक्ति एक कमरे में या गंदी बस्तियों में निवास करते है। यहाँ लगभग 2 लाख 71 झुग्गियों में 13 लाख व्यक्ति निवास कर रहे है। 15 प्रतिशत व्यक्ति ऐसे मकानों में निवास कर रहे है। जो प्राय: नष्ट अवस्था में है। लगभग 5 लाख लोग बम्बई के फूटपाथों पर निवास कर रहे है। बम्बई की धारावी गंदी बस्ती जो भारत में ही नहीं वरन एशिया की सबसे बड़ी बस्ती है। यहाँ 5 लाख व्यक्ति निवास करते है। यहा निचली सतहों पर दलदली भूमि होने के कारण सम्पूर्ण भूमि पर नगर विकास प्राधिकरण, नगर निगम एवं जिला प्रशासन ने किसी भी प्रकार की विकास योजना के बारे में विचार नहीं किया और भूमि को खाली रहने दिया। यहाँ समाज में पाई जाने वाली प्रत्येक बुराइया जैसे वैश्यावृति, भिक्षसावृत्ति, चोरी, बलातकार, हत्याये, जुआखोरी, बाल अपराध, शराब, योन अपराध निरक्षरता, हिंसा आदि सभी वारदाते सामान्य रुप से प्रतिदिन होती है।

पिछले दस वर्षो में शहरी आबादी की वृद्धि 70 प्रतिशत भाग प्रथम श्रेणी एक लाख से अधिक आबादी वाले नगरो में पाया जाता है। 1901 में कलकत्ता देश में एक मात्र शहर या जहा की आबादी 10 लाख से अधिक थी। 1951 में बम्बई, दिल्ली, मद्रास तथा हैदराबाद शहर इस श्रेणी में सम्मिलित हुए। 1981 की जनगाना के अनुसार देश में 12 नगरो की जनसंख्या 10 लाख से अधिक थी।

तीव्र औद्योगिक विकास वाले भारतीय नगरों जैसे कानपुर, अहमदाबाद, कलकत्ता, बम्बई, बैंगलोर, हैदराबाद, इंदौर आदि नगरों में गंदी बस्तियां तेजी से फैली है। अनेक प्रयास के बाद इनका सुधार असहाय हो जाता है। इन गंदी बस्तियों की स्थिति का पता इस बात से लगाया जाता है कि मद्रास की चोरिया गंदी बस्ती को देखकर गांधीजी ने कहा था कि इन बस्तियों में मनुष्य तो क्या जानवर भी नहीं रह सकते है।

पर्यावरण प्रदूषण का एक अभिन्न अंग होता सामाजिक प्रदूषण। चोरी लूट, हिंसा, हत्या, शराबखोरी, जुआखोरी, बाल अपराध, यौन अपराध, वैश्यावृति, भिक्षावृत्ति, गरीब निरक्षरता आदि अस्वास्थ्यकर तथा असामाजिक दशाए सामाजिक प्रदूषण के विभिन्न तत्व है। ये तत्व वर्तमान में गंदी बस्तियों का अविभाज्य अंग बन गए है। अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, आर्थिक शोषण तथा बहुत हद तक यहा के निवासियों की गंदी आदते इन्हे सामाजिक कुरुतियों की ओर ले जाती है। सामाजिक तथा नैतिक मूल्यों की गिरावट, इन्हीं गंदगी बस्तियों में शुरु होती है तथा शुरु होता है, विभिन्न अपराधों का अंतहीन सिलसिला। आज देश की लगभग 18 प्रतिशत जनसंख्या इन गंदी बस्तियों में निवास करती है। प्रतिवर्ष गंदी बस्तियों की जनसंख्या में जैसे वृद्धि हो रही है। सामाजिक प्रदूषण भी उसी अनुपात में बढ़ रहा है।

सामाजिक प्रदूषण का सबसे घृणित भाग वेश्यावृति से संबंधित है। वेश्यावृति से संबंधित आकडे एकत्रित करना अत्यंत कठिन है क्योंकि अपने

* शासकीय आर्टस एवं कॉमर्स (नवीन) महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

बारे में कोई नहीं बताता दूसरी औरत का बता देती है और तो है वे अपने पति के बारे में ऐसी कोई बात बताना नहीं चाहती। चिकित्सकों, वहाँ के निवासियों पुलिस थाने से पता चला है, वेश्यावृत्ति से संबंधित अपराध श्रमिक क्षेत्र की गंदी बस्तियों में अधिक होते है। श्रमिकों की गंदी बस्तियों में जैसे श्रीराम नगर, शांति नगर, कमला नेहरुनगर, दमदमा आदि गंदी बस्तियों में 12 वर्ष से अधिक उग्र वाले लगभग 70 प्रतिशत महिलाये

इस कार्य में संलग्न है। इसका कारण गंदी बस्तियों में 25 प्रतिशत एक कमरे के मकान में निवास करते है। अत: ये शीघ्र समझदार हो जाते है। महिलाएं ये कार्य अधिकाशत: किसी के दबाव जैसे पति या किसी रिश्तेदार घर में आने वाले मेहमानों से या पड़ोसियों के कारण वेश्यावृति में जाती है। पति अपने शरारब के पैसे के लिए स्त्री को इस कार्य के लिए प्रेरित करता है।

समाज का अन्य वर्ग भी यहाँ के निवासियों को हमेशा घृणित दृष्टि से देखता है यही कारण है कि यहा की लडकियों का विवाह किसी अच्छे परिवार में नहीं हो पाता है मजबूर होकर वह यही घृणित कार्य करने को बाध्य होती है।

वेश्यावृति से संबंधित अधिकांश महिलाओं या लड़कियों के संबंध आस पडोस या परिवार के किसी मित्र से होते है। वे इन महिलाओं को उनकी आवश्यकता की वस्तुएं लाकर देते है। यही कारण है कि गंदी बस्तियों के निकट के थाने से प्राप्त आकड़े यह दशति है कि यहाँ होने वाले अपराधों में लगभग 75 प्रतिशत अपराध महिलाओं के कारण होते है। इनमे स्त्री का दूसरे आदमी के साथ भाग जाना, औरत का दूरे व्यक्ति से संबंध होने पर उसे मारना, लड़के का किसी लड़की के पीछे मारपीट करना तथा औरत या लड़की को खुश करने के लिए चोरी करना, छेड़छाड़ करना शराब पीकर दूसरी स्त्री को मजबूर करना आदि अपराध सम्मिलित है।

निजी चिकित्सालयों एवं नर्सिंग होम तथा चिकित्सकों से गंदी बस्तियों के निवासियों की बीमारियों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने पर पता चला कि यहाँ के अधिकांश निवासियों में शराब, धूम्रपान तथा वेश्यावृति से संबधित बीमारियां अधिक पाई जाती है। इन बीमारियों में मुख्य रुप से सिफलीस, गनेरिया, लिम्फोग्रेन्यूलोमा, बनेरिया आदि है। कल्जानाइटल सिफलिश बीमारी गंदी बस्तियों के बच्चो में अधिकाशंत: पायी जाती है, जो इन्हें मां से निवारसत में मिलती है।

उज्जैन नगर में एक ओर जहां बड़ी–बड़ी भव्य ईमारते है वही दूसरी ओर टॉट, लकडी, मिटटी, प्लास्टिक आदि से बनी गंदी बस्तियां है। वहीं समाज में व्याप्त: आर्थित विषमता का सबसे बड़ा उदाहरण है। गरीबी आदमी को कोई भी कार्य करने को मजबूर करती है जो व्यक्ति नहीं चाहते हुए भी करता है। गंदी बस्ती में गरीबी ने मानव को नारकीय जीवन जीने को बाध्य कर दिया है। यहा के आदमियों की इतनी आ नहीं कि वे दोनों समय ठीक से भोजन कर सके, लेकिन शराब, जुआ, सिगरेट, वेश्यावृति पहले करते है फिर भोजन को प्राथमिकता देते है यही कारण है कि नगर की गंदी बस्तियों में अशिक्षा, बेरोजगारी, भुखमरी, आर्थिक शोषण, चोर लूट, हिंसा हत्या, शराबखोरी, जुआखोरी, बाल अपराध, देह व्यवसाय आदि अनेक सामाजिक बुराइयां बढ रही है। बाल अपराध सभी गंदी बस्तियों में तीव्र गति से बढ रहा है अधिकांश प्रकरणों में इन्हें बाल अपराधी बताकर छोड़ दिया जाता है कई बार बच्चों को रिमांड होम भेजा जाता है, जहां उनके सुधारने के आसार कम ही दिखाई देते है। क्योंकि वहाँ से लौटने पर उन्हें वही वातावरण मिलता है। यही बच्चें बड़े होकर बड़े–बड़े अपराध करते है। यही कारण है कि नगरो में प्रतिवर्ष अपराधो की संख्या में वृद्धि होती जा रही है।

अपराधिक घटनाऐं विशेषकर चोरी, लूटपाट, बलात्कार, हत्या में लगभग 80 प्रतिशत घटनाओं में नगर की गंदी बस्तियों के व्यक्ति संलग्न है। यहां के निवासियों की आय इतनी कम होती है कि वे उस आय से अपने परिवार की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाते इनकी आय का एक बडा भाग व्यसन में चला जाता है। यहा के लगभग 75 प्रतिशत व्यक्ति जिनमें स्त्री पुरुष तथा बच्चे भी सम्मिलित है, धूम्रपान करते है, जुआ खेलना तथा शराब पीने का कार्य यहाँ के छोटे समुह में होता है। छोटी बातो में हत्या जैसा जघन्य अपराध कर देते है और हत्यारे को जेल होती है और उसके परिवार के सदस्य कई गलत कार्य करने को मजबूर हो जाते है।

सामाजिक प्रदूषण के विस्तार में सर्वाधिक कारण निरक्षरता है। व्यक्ति के पास कितना ही पैसा हो उसके परिवार के सदस्य अशिक्षित है, तो सम्पत्ति का उपयोग भी ठीक से नहीं कर पाते है। गंदी बस्तियों में मात्र 22 प्रतिशत लोग माध्यमिक या उससे अधिक पढ़े है। यही कारण है कि सरकार द्वारा गंदी बस्तियों के उत्थान के लिए किए कार्य का यहा के निवासी ठीक से लाभ नहीं उठा पातें कई विकास कार्य सिर्फ फाईलों पर ही चलते है।

नगर की गंदी बस्तियों में भिक्षावृत्ति समस्या सर्वाधिक है। कई माता पिता मजबूरीवश या अनिच्छा से यह कार्य करवाना पड़ता है। कई बार माता पिता को पता भी नहीं रहता और बच्चे अपनी पेट की भूख या गंदी आदतो की पूर्ति के लिए भीख मांगते है। यह दृश्य बरसात के मौसम में अधिक दिखाई देता है क्योंकि उस समय इन्हें मजदूरी नहीं मिलती है। ये लोग सार्वजनिक स्थल जैसे मंदिर, स्कूल, रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड, फल के नीचे अपना अस्थाई निवास बनाकर वही भीख मांगने लगते है।

भिक्षावृत्ति में लगे अधिकांश व्यक्ति रात्रि में चोरी करते है। इसका कारण बेकारी, शारीरिक अपंगता है, अपराध मनुष्य को पतन की ओर धकेलता है। एक बार व्यक्ति इस रास्ते पर चलने लगता है, तो उसके सामने नैतिक मूल्य चरित्र का विकास, राष्टीय उन्नति, शिक्षा सभी किसी भी काम की नहीं होती है।

गंदी बस्तियों में रहने के अस्वास्थ्यकर दशाए अत्यंत गंभीर है। नगर में एक ओर जहां प्रतिदिन कुछ कालोनियों में दो बार सफाई होती है वही गंदी बस्तियों में वर्ष में एक या दो बार होती है।परिणामस्वरुप गंदी बस्ती और गंदी होती जाती है। जो बीमारियों को खुला निमंत्रण देती है। यही कारण है कि नगर में सबसे अधिक बीमारियां गंदी बस्तियों में होगी। पक्की नालियों का अभाव, शौचालयों की कमी, धरातल में नमी, दूषित जल का वितरण, व्यसन की अधिकता, वेश्यावृति गरीबी आदि अनेके ऐसे कारण है, जो इन बस्तियों में रहने की अस्वास्थ्यकर में वृद्धि सहायक है। अशिक्षा के कारण यहा के निवासी बीमारी पर खर्च करना पसंद नहीं करते जब बीमारी गंभीर रुप से ले लेती है तब जाते है।

गंदी बस्तियों के निवासी अपने जीवन में कोई परिवर्तन के लिए प्रयास या आशा ही नहीं करते है। समय के साथ साथ यह गंदी बस्ती तथा यहाँ के रहवासी नगरवासियों के लिए धूत की बीमारी का काम करत है। अत: यह समाज तथा प्रशासन का कर्तव्य हो जाता है कि वह उच्च प्राथमिकता के साथ इस समस्या का समाधान करने का प्रयास करे और मुख्य रुप से जब तक यहाँ के निवासी अपने आपको बदलने की इच्छा नहीं रखेगे इनमें कोई सुधार नहीं हो सकता।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. Bergel, E.E. : “The nature of slums” in Desai A.R. & Pillai S.D. PP 39-43 1995

2. Clinard M.B.S. Chatterjee : Urban Community Development in India, the Delhi Pilot Project in Turner R (Ed.)
3. Carter, N : The study of Urban Geography, Edward Arnald, London
4. Desai A.R. & Pillai S.D. : Slum of Urbanization popular Prakashan, Bombay 1970
5. Dickinson R.E : The West European City a Geographical Integration Roullage & Kegan Paul Ltd London 1962
7. Jain K.C. : Malwa througha the ages Delhi 1972
8. Kain, J.F. :"Post Ward changes in land use in the American City" in Moynihan D.P. (ed.) PP 81-92
9. Malkani, H.C.: "A socio Economics Survey of Baroda City, M.S. University of Baroda, P. 32, 1957.
10. Stokes, C.J. "A Theory of slums" in Desai, A.R. and Pilai S.D. (ed.) PP. 55-71, 1962
11. बसंत सुरेशचन्द्र, नगरीय भूगोल, पृ 180–190
12. गांधी शांति प्रतिष्ठान, देश का पर्यावरण पृ. 53, 1984
13. संतराम,अलबरुनी का भारत प्रयाग 1924
14. सिंह ओमप्रकाश, नगरीय भूगोल
15. वाकणकर, वी.एस और आर्य एस.के., मालवा एक सर्वेक्षण उज्जैन 1972
16. विध्यालकर एस मध्यभारत: जनपद अभिनंदन ग्रंथ नई दिल्ली 1954

****

भारतीय अर्थव्यवस्था में निर्धनता अनुपात का निर्धारण एवं उसमें सुधार हेतु कार्यक्रम

नीलम कुशवाह * डॉ. धीरज शर्मा **

प्रस्तावना – गरीबी अथवा निर्धनता का अर्थ उस स्थिति से है, जिसमें समाज का एक भाग अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में असमर्थ रहता हैं। निर्धनता की परिभाषा विभिन्न देशों में भिन्न-भिन्न प्रकार से दी गई है। तथापि इन सबका आधार न्यूनतम या अच्छे जीवन स्तर की कल्पना है, उदाहरण के लिए अमेरिका में निर्धनता की धारणा भारत से बिलकुल ही अलग होगी, क्योंकि अमेरिका में साधारण व्यक्ति कहीं अधिक ऊँचे जीवन स्तर पर जी रहा है, जबकि भारत में गरीबी का आकंलन पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा उपभोग न कर पाने की क्षमता के आधार पर किया जाता है। उस व्यक्ति को निर्धनता की रेखा से नीचे माना जाता है। जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 2400 कैलोरी व शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी भोजन प्राप्त करने में असमर्थ है, लेकिन तेंदुलकर समिति ने इस अवधारणा को बदल दिया है। डॉ. सी. रंगराजन समिति ने भी निर्धनता रेखा के निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2090 कैलोरीयुक्त भोजन के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 48 ग्राम प्रोटीन एवं 28 ग्राम वसा तथा शहरी क्षेत्रों में 50 ग्राम प्रोटीन एवं 26 ग्राम वसायुक्त भोजन कपड़ों, किराया आने-जाने एवं शिक्षा पर व्यय और अन्य गैर खाद्यान व्यय को शामिल करते हुए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग निर्धारण रेखा निर्धारित की है।

निर्धनता रेखा निर्धारण हेतु विभिन्न समितियों की रिपोर्ट :

1. सुरेश तेंदुलकर समिति – तेंदुलकर समिति ने निर्धनता रेखा के निर्धारण हेतु उपयोग व्यय को आधार माना है, जिसके अनुसार 2004-05 में देश में 27 फीसदी के स्थान पर 37 फीसदी जनसंख्या को निर्धनता रेखा से नीचे माना है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह अनुपात 41.8 फीसदी पाया गया है, जो पहले 28.3 फीसदी आकलित किया गया था। तेंदूलकर समिति की संशोधित आकलन विधि के अनुसार वर्ष 2004-2005 में 37.2 फीसदी जनसंख्या निर्धनता रेखा से नीचे रह रही थी। ग्रामीण निर्धनता अनुपात 42.0 प्रतिशत तथा शहरी निर्धनता अनुपात 25.5 प्रतिशत था।

2. रंगराजन समिति – पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष रहे डॉ. सी. रंगराजन की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञों की समिति ने देश में निर्धनों की संख्या व निर्धनता अनुपात के संबंध में अपनी रिपोर्ट 1 जुलाई 2014 को प्रस्तुत की। समिति ने 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों में 32 रू प्रतिदिन तथा शहरी क्षेत्रों में 47 रू प्रतिदिन से कम खर्च करने वाले को निर्धन स्वीकार किया है। रंगराजन समिति के नए पैमाने से 2009-10 में देश में 38.2 प्रतिशत जनसंख्या निर्धनता रेखा से नीचें थी ,जो घटकर 2011-12 में 29.5 प्रतिशत रह गई थी। रंगराजन समिति के ताजा आंकलन में 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता अनुपात 30.9 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में यह 26.4 प्रतिशत तथा पूरे देश में अखिल भारतीय स्तर पर 29.5 प्रतिशत आकंलित किया गया हैं।

3. लकड़ावाला फॉर्मूला – लकड़ावाला फॉर्मूले के अंतर्गत सभी राज्यों एवं संघ प्रदेशों में अलग-अलग निर्धनता रेखा अर्थात कुल 35 रेखाए होगी। देश में 1993-94 में निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों की संख्या लकडावाला फॉर्मूलें के अनुसार 35.97 प्रतिशत आंकलित की गई थी। 1999-2000 में यह 26.10 प्रतिशत थी। बिहार में निर्धनता अनुपात 42.60 प्रतिशत आंकलित किया गया था। एन एस एस ओ के 61 वें चक्र के अनुसार वर्ष 2004-05 के दौरान भारत में गरीबी का अनुपात 21.8 प्रतिशत था। किन्तु इसकी तुलना वर्ष 1999-2000 के दौरान आंकलित 26.1 प्रतिशत के अनुपात से नहीं की जा सकती, क्योंकि 2004-05 के लिए गरीबी का अनुपात भिन्न वस्तुओं की कीमतों पर आधारित था।

भारत में निर्धनता अनुपात एवं उसके निर्धारण हेतु न्यूनतम उपभोग व्यय को निम्न तालिकाओं द्वारा स्पष्ट रूप से समझा जा सकता हैं-

निर्धनता रेखा के निर्धारण हेतु न्यूनतम उपभोग व्यय(2011-12)

समिति	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
रंगराजन समिति	रू 1407 प्रतिमाह (रू 47 प्रतिदिन)	रू 972 प्रतिमाह (रू 32 प्रतिदिन)
तेंदुलकर समिति	रू 1000 प्रतिमाह (रू 33 प्रतिदिन)	रू 816 प्रतिमाह (रू 27 प्रतिदिन)

भारत में निर्धनता अनुपात (प्रतिशत में)

	ग्रामीण क्षेत्र		शहरी क्षेत्र		सम्पूर्ण भारत	
	2009-10	2011-12	2009-10	2011-12	2009-10	2011-12
तेंदुलकर समिति	33.8	25.7	20.9	13.7	29.8	21.9
रंगराजन समिति	39.6	30.9	35.1	26.4	38.2	29.5

एशियाई विकास बैंक द्वारा निर्धनता रेखा का पुनर्निर्धारण :- मनीला स्थित एशियाई विकास बैंक ने निर्धनता रेखा का पुनर्निर्धारण अगस्त 2014 में किया हैं। तथा 1.51 डॉलर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन को अब इसके लिए आधार स्वीकार किया हैं। विश्व बैंक द्वारा 1.25 डॉलर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आय को निर्धनता रेखा के लिए आधार माना जाता है, निर्धनों की पहचान के लिए आय का स्तर ऊपर उठाने से एशियाई विकास बैंक के नए आकंलन

* स्काई हाईटस इनस्टीट्यूट , इन्दौर (म.प्र.) भारत
** सहायक प्राध्यापक,शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

में भारत में निर्धनों की संख्या 40.2 करोड से बढ़कर 58.4 करोड़ मानी जाएगी।

निर्धनता अनुपात कम करने हेतु सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रम :

1. लघु तथा मध्यम कस्बों के समन्वित विकास की योजना प्रारंभ की गयी थी। इस योजना के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वालें कस्बें की अधिकतम जनसंख्या सीमा 3 लाख से बढाकर 5 लाख कर दी गई हैं।
2. शहरी विकास मंत्रालय के तत्वावधान में शहरी गरीबी समाप्त करने के लिए 1997 से पहले निम्नलिखित कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहें थे–1. नेहरू रोजगार योजना ,2. गरीबों के लिए शहरी आधारभूत सेवाए ,3. प्रधानमंत्री की समन्वित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। इन तीनों कार्यक्रमों को 1 दिसम्बर ,1997 से स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना में समन्वित कर दिया गया था।
3. वर्ष 2013–14 में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के स्थान पर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना प्रारंभ की गयी ।
4. निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए एक राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना 15 अगस्त ,1995 से प्रारंभ की गई। इस योजना के तीन घटक हैं–

- 65 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों को 400रू प्रतिमाह की वृद्धावस्था पेंशन देना।
- परिवार के मुख्य आय अर्जक की मृत्यु की स्थिति में 10,000 रू की एकमुश्त सहायता करना।
- 19 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं का पहले दो प्रसवों के अवसरों पर प्रसव पूर्व व प्रसवोपरान्त पोषाहार हेतू 500 रू की वितीय सहायता। वर्ष 2014–15 के बजट में इस कार्यक्रम हेतु 14391 का आबंटन किया गया हैं।
- वर्ष 2002–03 के बजट में देश के सर्वाधिक गरीबी वाले जिलो में रोजगार की गारन्टी देने के उद्देश्य से एक नई जयप्रकाश नारायण रोजगार गारन्टी योजना प्रारंभ की गई थी।
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी विधेयक 2005 के तहत 2006–07 के बजट में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना प्रारंभ की गयी थी। इसे अब मनरेगा योजना के नाम से जाना जाता है, इस योजना का उददेश्य ग्रामीण इलाकों में निर्धनों की आजीविका सुरक्षा में वृद्धि करना हैं। वर्ष 2015–16 के बजट में इस योजना हेतु 34699 रू करोड़ आबंटित किए गए हैं।

निष्कर्ष – उपर्युक्त तथ्यों के अनुसार कहा जा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में निर्धनता निर्धारण हेतु अनेक समितियां गठित की गई है, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में निर्धनता दर हेतु अलग–अलग आधार बताए हैं। इन समितियों की रिपोर्टो में रंगराजन समिति की रिपोर्ट ज्यादा प्रभावी और वास्तविक प्रतीत होती है। इन समितियों के द्वारा निर्धनता अनुपात के निर्धारण के पश्चात एशियाई विकास बैंक द्वारा भी निर्धनता रेखा का पुन: निर्धारण किया गया है।

भारतीय अर्थ व्यवस्था में सरकार द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता दर को कम करने हेतु समंवित विकास योजना नेहरू रोजगार योजना, मनरेगा, खेतीहार मजदूर योजना जैसे अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जिनका उददेश्य निर्धनता को समाप्त करना है तथा गरीब तबके को आधारभूत सुविधाएं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा आदि मुहैया करवाना है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. समाचार पत्र– रोजगार निर्माण, दैनिक भास्कर, बिजनेस भास्कर
2. प्रतियोगिता दर्पण भारतीय अर्थ व्यवस्था
3. इंटरनेट से प्राप्त जानकारी

****

भारत के अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता सोना - एक आर्थिक सर्वेक्षण

डॉ. राजू रैदास *

शोध सारांश – भारत प्रतिवर्ष 50 अरब डालर का 1000 टन से अधिक सोना का आयात करता है, जो कि आयातित कच्चे तेल के बाद दूसरे क्रम पर आता है। इससे भारत का चालू खाता नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। विश्व स्वर्ण परिषद के अनुसार भारत में सोने का भंडार 20 हजार मीट्रिक टन से अधिक है। आयातित सोने की यह लागत भारत के जी डी पी के तीन प्रतिशत है। सोने की बढ़ती कीमतें,मानव द्वारा सोने में बचत के प्रयास वित्तीय, आर्थिक और मौद्रिक समस्याओं के लक्षण हैं, उनका कारण नहीं है और इन समस्याओं का निदान आकर्षक बचत और निवेश के विकल्प उपलब्ध कराने में है क्योंकि बैंको के माध्यम से की गई बचत पर ब्याज की मात्रा काफी कम है तथा सोने जैसी बहुमूल्य धातु लोगों के घरों में बेकार पड़ी रहती है तथा इसका 3/4 हिस्सा पूँजी में नहीं बदल पाता है। लोगों की सोने में रूचि को हतोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने काफी प्रयास किये लेकिन आपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं हुई। आयात शुल्क बढ़ाने का असर काला बाजार के निर्माण पर हुआ।

प्रस्तावना – भारत में सोने की मांग कई कारणों से बढ़ती है क्योंकि जब भी अमरीकी अर्थव्यवस्था में सुधार के लक्षण दिखते हैं, तो लोग सोने की अपेक्षा अमरीकी बाजार में निवेश करना शुरू कर देता हैं। इससे सोने की खरीद कम हो जाती हैं और खरीद कम होने से सोने के भाव गिर जाते हैं भाव गिरने से सोना अधिक लोगों की पहुँच में आ जाता हैं और भारत में इसकी मांग बढ़ जाती हैं। विश्व स्वर्ण परिषद के अनुसार भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश हैं जिसमें 2014-15 में सबसे अधिक स्वर्ण का उपयोग हुआ हैं। भारत में सरकार द्वारा सोने के आयात पर प्रतिबंध के बावजूद शादी एवं त्यौहारों में अत्यधिक खरीदारी होने से सोने के उपयोग के मामले में जहाँ भारत में 2014 में 842.7 टन सोने की मांग की गई वहीं सोने की अत्यधिक मांग करने वाले प्रमुख्य देश में यह मांग इसी वर्ष 814 टन होने की थी। यद्यपि चीन में साल दर साल सोने की मांग 33 प्रतिशत घटी हैं। विगत 10 सालों में भारत और चीन में संयुक्त मांग की मात्रा लगभग 71 प्रतिशत बढ़ी है। वैष्विक स्तर पर सोने की वार्षिक मांग 3924 टन रही, जो कि 2013 की तुलना में 4 प्रतिशत कम हैं। सोने से निर्मित विविध प्रकार के आभूषणों की मांग 2014 में वैश्विक स्तर पर 2153 टन रही हैं। भारत में सोने की आयात में आगे रहने का मुख्य कारण हम भारतीयों में सोने के आभूषण धारण करना, बचत के रूप में संग्रह करना और विकल्प के रूप में सुरक्षित रखना प्रमुख हैं। भारत में कुल आबादी का एक बड़ा भाग सोने को ही सुरक्षित निवेश मानती है इसका कारण भारत सरकार अभी तक कोई वैकल्पिक निवेश का रास्ता निश्चित नहीं कर पाये है जो सोने जैसा सुरक्षित माध्यम हो। भारत में सोने का केवल निवेश संबंधी महत्व ही नहीं है, बल्कि सोने के निवेश के साथ-साथ पद प्रतिष्ठा से भी आंका जाता है तथा यह कम जगह में रखा जा सकता है। जिसके कारण हम जब चाहें तब इसको मुद्रा में परिवर्तित कर सकते हैं, रूपये का मूल्य तो परिवर्तित होता रहता है इसलिए रूपये की तुलना में सोने का निवेश अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित रहता है। निवेश के अन्य सुरक्षात्मक विकल्प न होने के कारण लोगों का सोने में निवेश के प्रति आकर्षण बढ़ता ही जाता है, यह अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का विषय बनता है क्योंकि जैसे-जैसे लोग सोना क्रय करेंगें तो रूपये का भाव भी चढ़ेगा।

आज देश में सबसे बड़ी जरूरत बैंकिंग सेवा की पहुँच गाँव तक बढ़ाने की है जब गाँव-गाँव तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचेंगी तो व्यक्ति बचत करने के प्रति आकर्षित होंगे तब तक तो उनकी सोने पर निर्भरता बनी रहेगी। अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक क्षेत्र में लाने की जरूरत है। इस दिशा में प्रधानमंत्री जनधन योजना एक महत्वपूर्ण कदम है। आयात शुल्क में वृद्धि से सोने का आयात कम होता है, लेकिन इससे सोने का आभूषण क्षेत्र प्रभावित होता है। स्वर्ण एवं स्वर्ण आभूषण के प्रति भारतीयों के अत्यधिक आकर्षण का परिणाम ही है कि वर्तमान में जितने देशों में सोना आयात किया जाता है। उनमें भारत देश सबसे अग्रणी पंक्ति में खड़ा हैं। इसका असर भारत के व्यापार घाटे में परिलक्षित हो रहा है। यही कारण था कि यूपीए 2 सरकार को सोना न खरीदने की अपील के साथ ही सोने के आयात पर अंकुश लगाने पड़े। एनडीए की नई सरकार ने यूपीए 2 सरकार द्वारा लगाई बंदिशों को सोने के आयात पर लागे अंकुशों में छूट दी, छूट देने का ही परिणाम था कि सोने का आयात पुन: बढ़ना शुरू हो गया और भारत का व्यापार घटा भी।

भारत में सोने की आयात की	स्थिति, सन् 2007-08 से 2013-14 तक
वर्ष	करोड़ रूपये
2007-08	67.330
2008-09	95.324
2009-10	1.35.878
2010-11	1.84.741
2011-12	2.69.563
2012-13	2.92.152
2013-14	1.66.242

सत्र 2014-15 में पहली तिमाही में (अप्रैल 2014-15 अगस्त) में 65,436 करोड़ रू0 का सोना आयात किया गया।

* अतिथि विद्वान (वाणिज्य) शासकीय महाविद्यालय, उमरिया (म.प्र.) भारत

स्वर्ण मौद्रीकरण योजना – भारतीयों का सोने के प्रति भावनात्मक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से जुड़ाव पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है इसी वजह से भारत सरकार भी यही सोचती है कि भारतीयों का सोने के प्रति आकर्षण कम करना असान नहीं होगा इसलिए 28 फरवरी 2015 को भारत सरकार के वित्तमंत्री अरूण जेटली जी ने सोने के प्रति भारतीयों के आकर्षण कि समस्या का निराकरण करते हुए भारत के 20 हजार टन सोने के रिजर्व के पूँजी करण की ओर कदम बढ़ाने का प्रयास किया हैं। वित्तमंत्री महोदय ने संसद में स्वर्ण मौद्रीकरण योजना की घोषणा की। इस मौद्रीकरण योजना में यदि भारतीयों द्वारा अपना सोना जमा किया जाता है तो उस पर ब्याज दिया जायेगा। इस अवसर पर वित्तमंत्री ने गोल्ड़ बांड़ योजाना शुरू किए जाने कि घोषणा की जो एक निश्चित दर वाली ब्याज योजना होगी तथा जिसे आवश्यकता पर रूपये में भी बदला जा सकेगा। यह सोने को भौतिक रूप से जमा करने के बजाय सोने के मूल्य के अनुसार कागजी विनिमय भी संभव बनायेगा और आभूषणों पर इसकी निर्भरता कम करेगा।

निष्कर्ष – सन् 2007–2014 तक सोने के आयात की स्थिति पर जब दृष्टि जाती है, तो ज्ञात होता है कि सरकार द्वारा समय समय पर सोने के आयात पर प्रतिबंध जगाना ज्यादा असरकारक नहीं रहा क्योंकि व्यापार घाटे के बढ़ने में एक प्रमुख कारण निर्यात का कम होना भी होता है। आज हमें जरूरत है कि हमारा मैन्यूफैक्चरिंग जैसे क्षेत्र में निर्यात में आशातीत वृद्धि हो जिससे व्यापार घाटे में सुधार हो सके। मुद्रा स्फीति से भी बचा जाना चाहिए क्योंकि मुद्रा स्फीति में कमी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिग सुविधाओं के विस्तार से भारत की जनता सोने में ज्यादा निवेश नहीं करेगी। आज हम मुक्त अर्थव्यवस्था के दौर में सिर्फ प्रतिबंधों के जरिए ही समस्या का समाधान नहीं कर सकते। सरकार को चाहिए कि वह सोने के विकल्प के रूप में सुरक्षित जमा के रास्ते खोले जहाँ पर लोग अपना पैसा निवेश कर सकें तथा कुछ रचनात्मक उपाय कारगर रूप से प्रयोग में लाए जाने चाहिए जिससे सोने के आयात पर नियंत्रण लग सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. आर्थिक सर्वेक्षण।
2. नव भारत 2016
3. google.com/wikipedia.com

****

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अध्ययन

मेघा अग्रवाल * डॉ. एन.के. पाटीदार **

शोध सारांश – सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थापना 1950 में खाद्य समस्या के समाधान के एक पहलु के रूप में की गई थी, योजना काल में विभिन्न माध्यमों से खाद्य वितरण प्रणाली में सुधार किया गया। खाद्यान्न वितरण प्रणाली में सुधार के प्रयास का एक प्रमुख लक्ष्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक कारगार बनाना है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आशय एक ऐसी प्रणाली से है, जो सार्वजनिक रूप से पूरी तरह सरकार द्वारा संचालित की जाती है। इसमें शासकीय नियमानुसार पात्र प्रत्येक उपभोक्ताओं को शासकीय दरों पर निर्धारित मांग में खाद्यान्न उपलब्ध कराकर उनकी जीविका में अहम योगदान दिया जाता है। इस प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न माध्यमों के द्वारा लोगों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध की जा रही हैं। यह प्रणाली केन्द्र व राज्य सरकार के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा संचालित की जाती है।

प्रस्तावना – विश्व के अन्तर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रारंभ ब्रिटिश शासन द्वारा किया गया था। भारत में यह नीति सन् 1942 में प्रारंभ की गई। अत: यह पूर्णत: सरकार से जुड़ी हुई है। इसी के फलस्वरूप इसका नेटवर्क बहुत विस्तृत है। भारत के अन्तर्गत 4.9 लाख से भी ज्यादा उचित मूल्य की दूकानें हैं। इसी के साथ मध्यप्रदेश के अन्तर्गत 21 हजार उचित मूल्य की दूकानें हैं। हमारे देश में आम लोगों को समय-समय पर विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं के अभाव का सामना करना पड़ा है। उपभोक्ता वस्तुओं के अभाव का सामना करना पड़ा है। उपभोक्ता वस्तुओं के अभाव एवं मूल्य वृद्धि का उपचार सरकार द्वारा सामान्यतया उनकी वितरण प्रणाली के नियंत्रण के आधार पर किया गया।

मार्च 1978 में राष्ट्रीय विकास परिषद् ने जन सामान्य की न्यूनतम आवश्यकता की उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण की समीक्षा करते हुए यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि सामान्य उपभोक्ता को उसके दैनिक आवश्यकता की उपभोक्ता वस्तुएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार किया जावे तथा उसे सुदृढ बनाया जाए। ग्रामीण उपभोक्ता योजना के अधीन परियोजना में चयनित प्रमुख एवं सम्बद्ध संस्थानों से यह अपेक्षा की गई है कि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत निर्धारित आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण कार्य को प्राथमिकता से सम्पादित करें। राज्य सरकार की भी सही नीति रही है कि उचित मूल्य की दूकानों का आवंटन करने जहां तक संभव हो सहकारी संस्थाओं को ही अवसर दिया जावे।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में निम्नलिखित बातों को सम्मिलित किया गया है :

1. गरीब व जरूरतमंद लोगों को बुनियादी वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना।
2. जमाखोरी के व्यवहार की जाँच करना।
3. आपूर्ति में कमी के मामले में सामग्री उपलब्ध कराने की सहमति देना।
4. कीमतों में स्थिरता सुनिश्चित करना।

परिचय – सार्वजनिक वितरण प्रणाली वह प्रणाली है, जिसके अंतर्गत उपभोक्ता वस्तुएँ सार्वजनिक रूप से उचित मूल्य एवं उचित मात्रा में उपभोक्ताओं को प्राप्त हो सके। यह प्रणाली शासकीय सहयोग से क्रियान्वित होती है। इस प्रणाली में शासन द्वारा निर्धारित मध्यस्थ विक्रेता, विक्रय कार्य करते हैं। इन मध्यस्थों का लाभ निश्चित होता है। विक्रय की जाने वाली वस्तुओं के मूल्य भी निश्चित होते हैं। इस मूल्य से कम या अधिक में वस्तु का विक्रय नहीं किया जा सकता। प्रत्येक मध्यस्थ विक्रेता को विक्रय का पूर्ण हिसाब रखना पड़ता है। जिसकी जाँच समय-समय पर सरकारी अधिकारी करते हैं। यदि विक्रेता द्वारा कोई अनियमितता की जाती है, तो उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है। जिससे उसका लायसेन्स रद्द किया जा सकता है और उसके द्वारा जमा की गयी अमानत राशि भी जप्त की जा सकती है तथा गम्भीर अपराध में भारतीय दण्ड संहिता के अनुसर उसे दण्ड भी दिलाया जा सकता है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत विविध श्रेणी के आधार पर उपभोक्ता वस्तुओं के कारोबार में संलग्न सभी सहकारी संस्थाओं की राज्य व्यापी विशाल संरचना का अध्ययन करना व्यावहारिक दृष्टि से एक दुष्कर कार्य है। इसी कारण यह अध्ययन निदर्शन एवं प्रतिदर्श पद्धति से सम्पादित करना अधिक व्यवहारिक एवं उचित समझा जायेगा। अध्ययन के लिए संस्थानों के चयन हेतु वर्गीय निर्देशन पद्धति का चयन किया गया है और प्रतिदर्श पद्धति का चयन इसलिए किया गया, ताकि सहकारी संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके।

यदि हम मानवीय सभ्यता के इतिहास की ओर दृष्टिपात करें तो मनुष्य प्रारम्भ से ही सहकारिता के अभाव में निर्धनता, शोषण तथा अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रसित रहा है। परन्तु आज के इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चारों तरफ से आधुनिकीकरण एंव विशिष्टीकरण की बाढ़ सी आ गई है, जिसके फलस्वरूप वृहत् पैमाने पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन

* शोधार्थी, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
** प्राध्यापक एवं अध्यक्ष (वाणिज्य)शासकीय महाविद्यालय, पिपल्या मण्डी, जिला-मन्दसौर (म.प्र.) भारत

एवं विपणन तो इस युग की महती आवश्यकता बन गया है। उसके लिए सहकारिता की लहर अपने राष्ट्र में नहीं, बल्कि विदेशों तक पहुँचाना अत्यन्त आवश्यक हो गया है।

इसी तारतम्य में उपभोगजन्य वस्तुओं के निर्माणकर्ता एवं उपभोक्ता दोनों का संरक्षण करना प्रत्येक राष्ट्र का कर्त्तव्य है क्योंकि आधुनिक परिवेश में वस्तुओं के उत्पादन से लेकर विपणन तक की सम्पूर्ण प्रक्रियाओं में मध्यस्थों की कड़ी इतनी विशाल हो गई है कि वस्तु के विक्रय मूल्य का अधिकांश भाग इनके पास चला जाता है एवं कुछ हिस्सा विज्ञापन से सम्बंधित गतिविधियों में व्यर्थ हो जाता है। जिसके फलस्वरूप वस्तुओं की लागत बढ़ती चली जाती है और उपभोक्ताओं को उसका अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है। इसके अलावा धन को ही परमात्मा की संज्ञा देकर व्यापारियों द्वारा वस्तुओं में मिलावट, नापतौल में कमी, निम्न किस्म की वस्तुएँ देना, वस्तु की किस्म के सम्बंध में गलत सूचना देना तथा वस्तुओं का कृत्रिम अभाव उत्पन्न कर उपभोक्ताओं का शोषण करना अपना प्रथम कर्त्तव्य मानते हैं। उपभोक्ताओं से अधिक मूल्य प्राप्त करने के प्रयास में ये अनैतिकतापूर्ण कार्य को भी अंजाम दे देते हैं। इस प्रकार असहाय उपभोक्ता व्यापारियों के हाथों की कठपुलती बन कर रह गया है, जिसके फलस्वरूप निर्धन वर्ग और निर्धन होते चले गए हैं।

उपभोक्ताओं का शोषण न हो, उन्हें संरक्षण प्रदान हो, उन्हें वस्तुएँ उचित मूल्य पर तथा अच्छी किस्म की प्राप्त हों, ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता महसूस की गई जिससे उपभोक्ता स्वयं ही संगठित होकर इसका मुकाबला करे एवं आपस में सहकार्य की भावना पैदा करे, तभी मध्यस्थों के कार्यों से छुटकारा पाया जा सकता है। इस प्रकार इन्हीं धारणाओं के क्रियान्वन को साकार रूप देने के लिए उपभोक्ता सहकारिता का जन्म हुआ। उपभोक्ता सहकारिता के जन्म का श्रेय राबर्ट ओवन को जाता है। उन्होंने तो इस समस्या को हल करने के लिए यहाँ तक कह दिया कि,तुम स्वयं ही अपने व्यापारी एवं उत्पादक बन जाओ, ताकि अच्छे गुण वाली वस्तुओं की पूर्ति निम्नतम मूल्यों पर प्राप्त कर सकें।

सुझाव – सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना का क्रियान्वन सही तरीके व ईमानदारी के साथ किया जाए तो यह गरीब वर्ग के लिए अत्यंत उपयोगी है। यह गरीब वर्ग के उपभोग स्तर या जीवनस्तर में वृद्धि करके एक तरह से मानवपूँजी के विकास में प्रेरक तत्व का कार्य कर सकती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सफलता के लिए निम्नलिखित सुझाव हैं :-

1. भ्रष्टाचार एवं कालाबाजार निरोधी उपाय कठोरता से लागू करना।
2. पीडीएस व्यवस्था के हर स्तर पर कठोर नियंत्रण तथा जाँच
3. गरीब वर्ग की पहचान व प्रतिशत संख्या जानने के लिए पर्याप्त सर्वे करना
4. प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार
5. उपभोक्ताओं को पीडीएस संबंधी पर्याप्त जानकारी उपलब्ध कराना
6. पर्याप्त कोटा/वस्तुओं की मात्रा में वृद्धि करना
7. सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उचित क्रियान्वन करना
8. सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अन्य आवश्यक वस्तुएँ उपलब्ध/वितरित कराना।

निष्कर्ष – यदि सार्वजनिक वितरण प्रणाली खत्म हो जाती है, तो देश के 30 करोड़ यानी लगभग 30 फीसदी आबादी के सीधे-सीधे खुले बाजार में जाना पड़ेगा खाद्यान्न खरीदने के लिये। इसका मतलब यह है कि बाजार को नये उपभोक्ता मिलेंगे। वे भले ही गरीब हों, पर बाजार उन्हें आमंत्रित कर रहा है क्योंकि वह उनका मनमाफिक शोषण कर पायेगा।

यदि सार्वजनिक वितरण प्रणाली बंद हो जाती है तो फसल के हर मौसम में सरकार जो 1.4 करोड़ टन अनाज खरीदती है वह खरीद भी बंद हो जायेगी। और खुले बाजार में बहुराष्ट्रीय कम्पनी उनका उपयोग कर सकेगी।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बंद होने से न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था पर भी सीधे प्रभाव पड़ेगा और अभी एक हद तक किसानों को मिलने वाला सरकारी संरक्षण खत्म हो जाएगा।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बंद होने से खाद्यान्न के उतार-चढ़ाव पर राज्य का नियंत्रण नहीं रहेगा और काला बाजारी के कारण दाम बढ़ेंगे जिससे व्यापक समाज पर आर्थिक बोझ आयेगा।

जरूरत पड़ने पर सरकार को विदेशों से आयात करना पड़ेगा। इतिहास बताता है कि खाद्यान्न के आयात के साथ भारी शर्तें भी आती रही हैं और बाजार का राजनैतिक सत्ता पर नियंत्रण बढ़ता जाता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मध्यप्रदेश आवश्यक वस्तु मेन्युअल
2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं सहकारिता
3. साप्ताहिक अर्थशास्त्र एवं राजनीति, मुम्बई
4. जनरल ऑफ अकाउन्ट एण्ड फायनेंस, जयपुर
5. शासकीय राजपत्र

****

भारत में आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन लाने में दुग्ध सहकारिता का महत्व

प्रदीप कुमार रावत *

शोध सारांश – आज आर्थिक उन्नति का युग है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी आय बढ़ाकर समाज में अपना अस्तित्व प्रदर्शित करना है भारत में सन् 1946 से आणंद में डेयरी सहकारिता की शुरूआत होकर उत्तरोत्तर डेयरी उद्योग स्थापित किया था। आज भारत पूरे विश्व में सबसे अधिक दूध उत्पादन वाला देश बन गया है आज भारत में दूध समितियों के माध्यम से लगभग 104 लाख दूध उत्पादक जुड़ गये है। अब ये समितियॉ डेयरी उद्योग को रूप ले लिया है इससे विशेष रूप से उन लोगों का जीवन निश्चित रूप प्रभावित हुआ है, जो इस उद्योग से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुडे है।

शब्द कुंजी – दुग्ध, डेयरी आय उत्पादन, समिति, उत्पादक, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष सहकारिता।

प्रस्तावना – भारत कृषि प्रधान देश है, परन्तु जन संख्या वृद्धि का प्रभाव कृषि पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। कृषि भूमि के टुकड़े होते जा रहे है। जहां पहले एक कृषक 50 एकड़ भूमि का मालिक होता था, परन्तु आज वही कृषक लघु एवं सीमान्त कृषकों में बदल गये, जबकि व्यक्ति की अपेक्षाएँ महत्वाकांक्षाऐं बढ़ रही है। प्रत्येक ग्रामीण चाहता है कि उसके पास रंगीन टेलीविजन से मोटर साइकिल हो बच्चों की शिक्षा अच्छे स्कूल में हो परन्तु ये अपेक्षाएं केवल 2–4 एकड भूमि पर नहीं कर सकती गांवों में अन्य कोई उद्योग भी नहीं होते इसलिए किसान का ध्यान पशुपालन की ओर जाने लगा तथा इसे उद्योग के रूप में अपनाने हेतु अग्रसर हुआ है। पशुपालन खेती का पूरक व्यवसाय है, जिसे किसान अच्छे से कर सकते है।

ग्रामीण भारतीय परिवेश में पशुओं का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रहा है। दुधारू पशु ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के आधार स्तम्भ है। आर्यो के समय से ही गाय को माता के सदृश्य मानते हुए पूजा की जा रही है। धार्मिक भावना से जुडने के साथ पशुपालन आर्थिक उद्देश्य से भी जुड गया तो कालान्तर में डेयरी उद्योग के रूप में विकसित हुआ जिसका महत्व वर्तमान परिस्थितियों में और भी अधिक हो गया है। गाय, भैंस हमारे जीवन के लिए के लिए उपयोगी दूध प्रदान करती है। गाय का दूध तो अमृत तुल्य होता है। विश्व में कुल दूध उत्पादन का लगभग 36 प्रतिशत भाग भारत का है। भारत में संसार की कुल पशु संख्या 1/5 भाग मौजूद है। विश्व में 90 करोड गायों में से 18 करोड़ अकेले भारत में ही है। विश्व की 10 करोड़ भैसों में से 6 करोड से अधिक भारत में है।

उद्देश्य :

1. दुग्ध सहकारिता से लोगों की जागरूकता बढ़ाना।
2. ग्रामीण युवाओं को दुग्ध समितियों के माध्यम से रोजगार तथा उनको आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनाना।
3. दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना।
4. कृषि पर निर्भरता को कम करना।

परिकल्पना – भारत में कृषक अपने परिवार का पालन पोषण कुशलतापूर्वक कर सके और उन्हें रोजगार को तलाश में शहरों की ओर पलायन नहीं करना पड़े। इसे दृष्टि से पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन को सर्वथा उपयुक्त माना गया है।

शोध प्रविधि – प्रस्तुत शोध पत्र पूर्णत: मौलिक है। तथा जानकारी एवं आंकडों को एकत्र करने में द्वितीयक संमकों का सहारा लिया गया है।

आर्थिक एवं समाजिक परिवर्तन – भारत में पशुओं की संख्या विश्व की पशु संख्या की लगभग 20 प्रतिशत है किन्तु प्रति पशु दूध उत्पादन बहुत कम (1.5 से 2.0ली. प्रति पशु) है। भारत का 14.3 प्रतिशत भाग मध्यप्रदेश में उत्पादित होता है। म.प्र. की पशु संख्या 366.6 लाख है। इनमें से 34 प्रतिशत पशु प्रजनन योग्य है। क्षेत्रफल के मान से म.प्र. में प्रति वर्ग किलोमीटर 108.7 पशु है एवं जनसंख्या के मान से प्रति व्यक्ति 0.728 पशु है। भारत में प्रति व्यक्ति के मान से वर्ष 1950–51 में 107 मि ली दुग्ध उत्पादन था जो सन् 1999–2000 में बढ़कर 212 मिली प्रति व्यक्ति हो गया है। मध्यप्रदेश में प्रति व्यक्ति उत्पादन 200 मि.ली. है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की अनुशंसा के अनुसार प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 220 मिली लीटर होना चाहिए। परन्तु विश्व में दूध उत्पादन के क्षेत्र में प्रथम स्थान होने के बावजूद भारत में प्रति व्यक्ति 196 मिली लीटर दूध का उपलब्धता है।

भारत में सन् 1946 से आणंद में डेयरी सहकारिता की शुरूआत होकर उत्तरोत्तर डेयरी उद्योग म0प्र0 की देन है। आज भारत पूरे विश्व में सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला देश बन गया है। आज म.प्र. दूग्ध समितियां बनाकर लगभग 104 लाख दूध उत्पादक कृषक जुड़ चुके है। अब यह सॉची दूग्ध उद्योग का रूप ले लिया है। इससे विशेष रूप से उन लोगों का जीवन निश्चित रूप से प्रभावित हुआ है। जो इस उद्योग से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े है। इसके अतिरिक्त जहां इन कार्यक्रमों को एक समेकित रूप से कार्यान्वित किया गया है।

सामाजिक प्रभाव – दुग्ध सहकारिता के माध्यम से शहरी उपभोक्ताओं के जेब का पैसा सीधे गांवों में पहुँचता है। जिससे ग्रामीणों की सामाजिक दशा में काफी परिवर्तन आ गया है जैसे –

1. महिलाओं में पर्दा प्रथा अन्धविश्वास रूढ़िवादिता की कमी।

* शोधार्थी (वाणिज्य) अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत

2. शहरी उपभोक्ता का पैसा ग्रामीण दुग्ध उत्पादक की जेब में आने से ग्रामीणों की कृषि पर निर्भरता कम होकर आत्म निर्भर हो गए है।
3. ग्रामीण युवाओं को दुग्ध समितियों के माध्यम से रोजगार मिला है तथा उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ हुई है।

निष्कर्ष – पूर्व 10 वर्षों से हरित क्रांति पर जोर दिया जा रहा है और दूध उत्पादन अर्थात स्वेत क्रान्ति का पतन होता चला जा रहा है और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की अनुशंसा के अनुसार प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, दूध उत्पादन की मानक पर ध्यान देना आवश्यक है। भविष्य में पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम के माध्यम से दुग्ध उत्पादन में वृद्धि की अपार संभावना है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. दुग्ध सहकारी समिति प्रशिक्षण निर्देशिका।
2. मध्य प्रदेश संदर्भ (जन संपर्क विभाग)
3. मध्य प्रदेश भौगोलिक अध्ययन।

****

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और अर्थव्यवस्था में योगदान

अरूण सारडा * डॉ. धीरज शर्मा **

प्रस्तावना – एन एस एस ओ के 70 वें दौर के सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 59 प्रतिशत किसानों का सरकार द्वारा वित्त पोषित फार्म अनुंसधान संस्थानों और विस्तार सेवाओं से वृहत तकनीकी सहायता एवं जानकारी नहीं मिलती है। अत: उन्हें तकनीकी मदद के लिए प्रगतिशील किसानों, मीडिया और निजी व्यवसायिक एजेंटो पर निर्भर रहना पड़ता है। तकनीकी एवं सूचना जरूरतें पूरी करने हेतु विस्तार सेवाओं को सुदृढ करने की देश में आवश्यकता हैं। इसी दिशा में सरकार का एक कदम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हैं।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना– 29 मई 2007 को राष्ट्रीय विकास परिषद की 53 वीं बैठक में राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय किया गया। ताकि वे अपने राज्य की योजनाओं में कृषि के हिस्से में वृद्धि कर सकें। तदनुसार 16 अगस्त 2007 को सरकार ने पांच वर्षों के लिए रू. 25000 करोड़ के आवंटन के साथ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को मंजूरी दे दी। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का उद्देश्य कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का सम्पूर्ण विकास सुनिश्चित करके, 11 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि में 4 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि प्राप्त करना है। राष्ट्रीय कृषि विकास के तहत कोष राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा सौ प्रतिशत अनुदान के रूप में प्रदान किया जाता है। वर्ष 2012–13 के लिए रू. 9217 करोड़ का प्रावधान किया गया था। वर्ष 2013–14 के बजट में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए रू. 9954 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

इस योजना के मुख्य उद्देश्य यह है–

1. राज्यों को प्रोत्साहित करना ताकि कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश में वृद्धि की जा सके।
2. कृषि और संबद्ध क्षेत्र की स्कीमों के आयोजन और कार्यान्वयन की प्रक्रिया में राज्यों को लचीलापन और स्वायत्तता प्रदान करना।
3. जिलों और राज्यों के लिए कृषि योजनाओं की तैयारी कृषि–जलवायु परिस्थितियों, प्रौद्योगिकी और प्राकृतिक स्त्रोतों की उपलब्धता पर सुनिश्चित करना।
4. यह सुनिश्चित करना कि स्थानीय जरूरतों, फसलों, प्राथमिकताओं को राज्यों की कृषि योजनाओं में बेहतर ढंग से प्रतिबिम्बित किया जाए।
5. कृषि और संबंद्ध क्षेत्रों में किसानों को अधिकतम रिटर्न दिलाना।

देश में कृषिगत उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हेतु 12 वीं पंचवर्षीय योजना में संचालित केंद्रीय मिशन एवं अन्य योजनाएं :

मिशन:

1. नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन (एनएफएसएम)
2. नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (एनएमएसए)
3. नेशनल मिशन ऑन ऑइल सीड्स एण्ड ऑयल पाम (एनएमओओपी)
4. नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी (एनएमएईटी)
5. मिशन ऑफ इण्टिग्रेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टीकल्चर (एमआईडीएच)

केंद्रीय योजनाएं :

1. नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम (एनसीआईएस)
2. इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर को–ऑपरेशन (आईएसएसी)
3. इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग (आईएसएएम)
4. इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर सेंसज इकोनॉमिक्स एण्ड स्टेटिस्टिक्स (आईएसएसीई एण्ड एस)
5. सेकेटेरिएट इकोनॉमिक सर्विस (एसईएस)

राज्य योजना के तहत योजना :

1. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाय.)

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का अर्थव्यवस्था में योगदान –भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि विकास योजना के योगदान को निम्न बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है :

1. राष्ट्रीय आय में योगदान – कृषि विकास योजना के अंतर्गत विस्तार सेवाओं के माध्यम से कृषि से संबंधित विभिन्न समस्याओं के निवारण हेतु कृषि फार्म स्कूल स्थापित किए गए है। इन स्कूलों के माध्यम से कृषक अपनी कृषि संबंधी समस्याओं जैसे अच्छी गुणवत्ता के बीज, प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में वृद्धि, प्रति हेक्टेयर सिंचाई हेतु जल की उपलब्धता, प्रति हेक्टेयर खाद की मात्रा आदि बातों का ज्ञान प्राप्त करके बेहतर पैदावार कर रहे है। जिससे उनकी प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि होगी। जिसके फलस्वरूप उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने के साथ–साथ राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी। जिसका देश की अर्थ व्यवस्था में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

2. औद्योगिक विकास में योगदान – भारत में अधिकांश उद्योग कृषि आधारित उद्योग है। इन उद्योगों को कच्चा माल कृषि से ही प्राप्त होता है। कृषि विकास योजना के अंतर्गत बेहतर उपज हेतु जैव प्रौद्योगिकी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, नवीनीकरणीय ऊर्जा, प्रौद्योगिकी तथा नैनों प्रौद्योगिकी का समागम किया गया है। इन नवीन प्रौद्योगिकियों के माध्यम से कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी, जिससे उद्योगों को कच्चा माल सही समय, उचित मात्रा तथा उचित कीमत पर प्राप्त होगा। फलस्वरूप देश के औद्योगिक आय में वृद्धि होगी। साथ ही साथ भारतीय अर्थव्यवस्था भी सुदृढ होगी।

* स्काई हाईटस इनस्टीट्यूट, इन्दौर (म.प्र.) भारत
** सहायक प्राध्यापक,शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

3. सकल घरेलू उत्पाद में योगदान – कृषि विकास योजना के अंतगर्त पूरे देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यप्रणाली प्रभावी रूप क्रियांवित की गई है। जिसका उद्देश्य अति उत्पादन की स्थिति में उपज के मूल्य को गिरने से रोकना तथा किसानों के हितों का संरक्षण करना हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यप्रणाली के क्रियान्वयन से किसानों को अति उत्पादन के स्थिति में मूल्य गिरने का भय नहीं होगा तथा वह अधिक से अधिक उत्पादन हेतु प्रेरित होंगे। फलस्वरूप सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र के योगदान वृद्धि होगी।

4. रोजगार में योगदान – कृषि विकास योजना से देश के कृषिजनित औद्योगिक क्षेत्र तथा कृषि क्षेत्रों का विकास होगा। परिणामस्वरूप रोजगार के नये अवसरों का सृजन होगा तथा देश कि आर्थिक स्थिति को एक सुदृढ. आधार मिलेगा।

5. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में योगदान – कृषि विकास योजना के फलस्वरूप भारत कपास, चावल, काली मिर्च और शर्करा का महत्वपूर्ण निर्यातक बनकर उभरा है। इस योजना के अंर्तगत किसानों को सस्तें दर पर ऋण एवं कृषि सुविधा मुहैया होने से कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी। जिसके फलस्वरूप भविष्य में विदेशी निर्यातों में वृद्धि होने से आय में वृद्धि की संभावनाएं अधिक होगी तथा भारतीय अर्थव्यवस्था अंर्तराष्ट्रीय स्तर पर एक सशक्त अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगी।

निष्कर्ष – उपर्युक्त विवरण से सारांश के रूप में कहा जा सकता है कि राज्य सरकार को कृषि क्षेत्र में वृद्धि हेतु प्रोत्साहित करने हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का निर्माण किया गया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों का सम्पूर्ण विकास करते हुए कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के अंतगर्त सार्वजनिक निवेश में वृद्धि, कृषि क्षेत्र से संबधित योजनाए के कार्यान्वयन में स्वायतता आदि मुद्दों पर बल दिया गया है। इसके अतिरिक्त देश में कृषिगत उत्पादन में वृद्धि हेतु 12 वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अनेक केंद्रीय मिशन एवं योजनाओं का निर्माण किया गया है, जिनका उद्देश्य कृषि क्षेत्र का विकास करना हैं ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में कृषि क्षेत्र अपना योगदान दें सकें। इस योजना से कृषक वर्ग को सस्ते दर पर ऋण, महिलाओं को सहायता सेवाएं, कृषि क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग, जल के कुशलतम उपयोग, न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यप्रणाली का कार्यान्वयन कृषकों को सामाजिक सुरक्षा योजना जैसे अनेक लाभ प्राप्त हो रहे हैं। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान भी फलीभूत हो रहा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. प्रतियोगिता दर्पण भारतीय अर्थव्यवस्था
2. समाचार पत्र– दैनिक भास्कर
3. कृषि अर्थशास्त्र– डॉ के.सी. भटनागर

****

मेक इन इण्डिया का सर्वोत्तम विकल्प - स्टार्ट अप

डॉ. अनिल तौहेल *

प्रस्तावना - वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था की संभावनाएं पिछली अर्द्धशताब्दी की अपेक्षा, काफी बेहतर लगती हैं, आर्थिक सुधारों ने भारत की संभावनाओं को बेहतर करने में अच्छी भूमिका निभाई हैं। भारत की तरह बहुत कम विकासशील देश उन उल्लेखनीय परिवर्तनों का लाभ उठा पाते है, जो उत्पादन, प्रौद्योगिकियों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पूँजी के प्रवाह और कुशल मानव शक्ति के विस्तार में उभरे हैं। आज भारत के पास विविध प्रकार के उत्पादों और सेवाओं को उत्पादित व संसाधित करने का ज्ञान और कौशल हैं।

दुनियाभर में स्आर्टअप रैंकिंग में भारत पांचवे स्थान पर है, इकोनॉमिक ग्रोथ के चलते यहां पर हर साल 500-800 स्आर्टअप जन्म ले रहे हैं। इन्वेंटरी से लेकर मार्केट प्लेस में लांच होने तक उपलब्ध संसाधनों व फंडिंग प्लेटफार्म्स की व्यवस्थाओं ने देश में स्आर्टअप कल्चर को बढ़ावा दिया है। असल में फंडिग माध्यमों तक आसान होती पहुंचने युवाओं को स्आर्टअप की ओर आकर्षित किया हैं, खास तौर पर आई आई टी व आई आई एम ग्रेजुएट्स लाखों के पैकेज छोड़कर स्टार्टअप से जुड़ रहे हैं, यही वजह है कि सही प्लेटफार्म के साथ अब किसी मजबूत स्टार्टअप आईडिया को कामयाब बिजनेस में बदलना इतना मुश्किल नहीं रह गया हैं। स्टार्टअप यात्रा को सही दिशा में ले जाना के लिए आज निम्न विकल्प मौजूद है-

1. इन्क्यूवेटर्स - ये अधिकतर सरकारी सहयोग प्राप्त संस्थाऐं होती है जैसे- आई आई टी या आई आई एम तकनीकी संस्थान या प्राइवेट बिजनेस इन्क्यूवेटर्स, इन्क्यूवेटर संसाधन सेवाएं उपलब्ध करवाते हुए उनके बिजनेस आईडिया को विकसित करने में मदद करते हैं। ऑफिस स्पेस, कानूनी अनुमतियां, मैनेजमेंट ट्रेनिंग मेंटरिंग और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स तक पहुंचने के अलावा एंजल इन्वेस्ट्र्स या बी सी के जरिये फंडिग हासिल करने में मदद करते हैं।

2. एंजल इन्वेस्टर्स - वास्तविक फंडिग की पहली स्टेज सीउ फंडिग है जिससे आइडिया वर्कशाप से बाजार तक पहुंचता है। एंजल इन्वेस्टर्स एकल या इंडस्ट्री प्रोफेशनल का समूह होता है, जो इक्विटी हिस्सेदारी के बदले आपके वेंचर की फंडिग करना चाहते हैं।

3. वेंचर कैपिटालिस्ट - सीड फंडिग स्टेज के बाद वेंचर की ग्रोथ के चलते बड़ी राशि की जरूरत होती है, यहां वेंचर कैपिटलिस्ट की भूमिका सामने आती हैं।

4. क्राउडफंडिग - सोसल नेटवर्क्स के जरिये पूंजी जुटाने का कांसेप्ट क्राउट फंडिग है, जहां एन्टप्रेन्योर अपना आइडिया ऑनलाईन शेयर कर फंडिग हासिल कर सकता है और प्रेजेन्टेशन अपलोड करना होता है, जिसमें उनका बिजनेस आइडिया निवेशक का आकर्षित करें।

5. सी जी टी एम एस ई लोन - क्रेडिट गांरटी फार माइक्रो एण्ड स्माल एन्अरप्राईजेज स्कीम के तहत कोलेटरल के बिना भी एक करोड़ तक का लोन हासिल किया जा सकता है।

6. सरकारी योजनांए - प्रधानमंत्री मुद्रा (माइक्रो यूनिसट्स रिफाइनेंस एजेंसी) योजना के तहत 50,000 से 10,00,000 का लोन छोटे उद्यमी प्राप्त कर सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा मुद्रा स्कीम के तहत लोन उपलब्ध करवाता हैं।

7. एक्सलरेटर्स - एक्सलरेटर्स भी इन्क्यूवेटर के समान होते है, लेकिन वे बिजनेस आईडिया को विकसित करने में कम समय 2 से 3 महीने लेते है। स्टार्टअप शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1976 में फोब्स मैंगजीन में किया गया था। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बडा स्र्टअप हब हैं। 2020 तक भारत में 3 लाख नौकरियाँ पैदा कर सकता है। 2020 तक 11500 स्टार्टअप शुरू हो सकते है। इनोवेशन से ही नये स्टार्टअप शुरू होते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा स्टार्टअप अमेरिका में हुए।

एक बिजनेस मॉडल की नई कंपनियों के लिए स्टार्टअप शब्द का प्रयोग होता है। गूगल, ऐप्पल और डेल की शुरूआत स्टार्टअप के तौर पर हुई थी।

भारत में युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने और जमीनी स्तर पर उन्हें सुविधांए जुटाने में सहायता करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा महत्वाकांक्षी योजना- 'स्टार्टअप इण्डिया' का शुभारंभ 16 जनवरी 2016 को किया गया, जिसका लाभ देश के करोड़ो लोगों को मिलेगा स्टार्टअप के लिए सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है। नये आइडिया की, नई सोच की जो प्रचलित न हो, कुछ अलग औरों से हटकर जिसे अन्य सर्विस या प्रोडक्ट के क्षेत्र में लागू कर सके। स्टार्टअप के लिये अहम पहलू है, बाजार। आपने जिस उत्पाद या सर्विस के लिए नया काम शुरू किया है, उसके लिए बाजार अनुकूल है या नहीं यह जानना बेहद जरूरी हैं।

स्टार्टअप की शुरूआत होती है, प्लान(योजना) से, क्या करना है?, शुरू कहां से करना है?, प्रोडक्ट को आगे कैसे बढ़ाएगें? आदि मुद्द हो सकते है, इसके लिए पहले ब्लू प्रिंट तैयार करना होगा। इसके साथ ही काम को और ज्यादा स्मार्ट कैसे बनाया जा सकता हैं, इस बार में भी काम करना पड़ेगा। फाइनेस और इन्फ्रास्ट्रक्चर भी इसका अभिन्न हिस्सा हैं।

आई आई टी, आई आई एम और सी ए जैसी प्रोफेशनल डिग्री लेकर लाखों रूपये की नौकरी करने के बजाए शहर के युवा अब स्टार्टअप कंपनियों शुरू कर रहे हैं वर्ष 2015 में शहर में 10 से ज्यादा स्टार्टअप कंपनियों ने काम शुरू कर बाजार से करोड़ो रूपये जुटाए और मिलियन डॉलर की कंपनी में बदल रही हैं, और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रही हैं:-

1. मालगाड़ी डाट नेट
2. एस्प्रीकोट
3. कैंप मॉल
4. मैड इन
5. पेंडोरम टेक्नोलॉजी आदि।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. विमल जालान, 21वी शदी में भारतीय अर्थ व्यवस्था।
2. दैनिक भास्कर, दिनांक 28.09.2016।
3. दैनिक भास्कर, दिनांक 13.03.2016।
4. दैनिक भास्कर, दिनांक 02.01.2016।
5. जी. बिजनेस बुलेटिन 15.01.2016।

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय तिलक महाविद्यालय, कटनी (म.प्र.) भारत

महिलाओं के विकास में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता

डॉ. रायकू जमरा *

प्रस्तावना –

'नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में,
यूँ पीयूष स्रोत –सी बहा करो, जीवन के सुन्दर समतल में।'

ये पंक्तियाँ जन–जन की जुबान पर चढ़ गई ! हमने एक जीते –जागते मनुष्य को सिर्फ एक भावनात्मक रूप दे दिया उसे 'देवी' बना दिया, लेकिन कभी भी उसकी आकांक्षाओं की परवाह नहीं की, जो सिर्फ एक सामान्य मनुष्य के रूप में जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरूष की सहचरी बनना चाहती है, पुरूष की भाँति जीवन में घर से बाहर निकलकर संघर्ष करना चाहती है । हमने कभी मॉ के रूप में, कभी पत्नी के रूप, कभी बहन के रूप में, तो कभी बेटी के रूप में, हमेशा उसका मानसिक दोहन किया। वह घर के अन्दर एक ऐसी श्रमिक बन गई है, जो बिना पारिश्रमिक लिए अत्यन्त आत्मीयता से सभी सदस्यों की सेवा करती है।

अपनी निजी स्वतंत्रता और स्वयं के फैसले लेने के लिए महिलाओं को अधिकार देना ही महिला सशक्तिकरण है। महिला जिसे कभी मात्र भोग एवं संतान उत्पत्ति का जरिया समझा जाता था, आज वह पुरूषों के साथ हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। जमीन से आसमान तक कोई क्षेत्र अछुता नहीं है, जहाँ महिलाओं ने अपनी जीत का परचम न लहराया हो । हालाँकि यहाँ तक का सफर तय करने के लिए महिलाओं को काफी मुश्किलों एवं संघर्ष के दौर से गुजरना पड़ता है । देश समाज और परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए महिला सशक्तिकरण बेहद आवश्यक हैं। महिलाओं के कई क्षेत्र में विकास की जरूरत है। हमारे देश में उच्च स्तर की लैंगिक असमानता है जहॉ महिलाएँ अपने परिवार के साथ ही बाहरी समाज के भी बुरे बर्ताव से पीड़ित है । नारी सशक्तिकरण का असली अर्थ तब समझ में आयेगा जब भारत में उन्हें अच्छी शिक्षा दी जाएगी और उन्हें इस काबिल बनाया जाएगा कि वह हर क्षेत्र में स्वतंत्र होकर फैसले कर सके ।

पंड़ित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया है कि 'लोगों को जगाने के लिए' महिलाओं का जाग्रत होना जरूरी है। एक बार जब महिलाएँ अपना कदम उठा लेती है, तो परिवार आगे बढ़ता है, गॉव आगे बढ़ता है, राष्ट्र विकास की और बढ़ता हैं। भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले समाज में उनके अधिकारों और मूल्यों को मारने वाले उन सभी राक्षसी सोच को मारना जरूरी है । जैसे – अशिक्षा, दहेजप्रथा, यौन हिंसा, बलात्कार, वैश्यावृति, मानव तस्करी और ऐसे ही दूसरे विषय आदि ।लैगिंग समानता को प्राथमिकता देने से पूरे भारत में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है ।

महिला सशक्तिकरण के उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसे हर एक परिवार में बचपन से प्रचारित व प्रसारित करना चाहिए। ताकि महिलाएँ शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से मजबूत हो। आज भी कई पिछडे क्षेत्रों में माता–पिता की अशिक्षा, असुरक्षा और गरीबी की वजह से कम उम्र में विवाह और बच्चें पैदा करने का चलन है। महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए महिलाओं के खिलाफ होने वाले दुर्व्यवहार, लैंगिंक भेदभाव, सामाजिक अलगाव तथा हिंसा आदि को रोकने के लिए सरकार कई कदम उठा रही हैं। महिलाओं की समस्याओं का उचित समाधान करने के लिए महिला आरक्षण बिल– 108वाँ संविधान संशोधन का पास होना बहुत जरूरी है। सरकार को महिलाओं के वास्तविक विकास के लिए पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में जाना होगा और वहाँ की महिलाओं को सरकार की तरफ से मिलने वाली सुविधाओं और उनके अधिकारों से अवगत कराना होगा जिससे उनका भविष्य बेहतर हो सकें।

महिलाओं का जन्मसिद्ध अधिकार है कि उन्हें समाज में पुरूष के बराबर महत्व मिलें।वास्तव में सशक्तिकरण को लाने के लिए महिलाओं को अपने अधिकार से अवगत होना चाहिए। न केवल घरेलू और पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ हो, बल्कि महिलाओं को हर क्षेत्रों में सक्रिय और सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए।

महिला सशक्तिकरण में ये ताकत है कि वो समाज और देश में बहुत कुछ बदल सकें। वह समाज किसी समस्या को पुरूषों से बेहतर ढंग से निपट सकती हैं। वह देश और परिवार के लिए अधिक जनसंख्या के नुकसान को अच्छी तरह से समझ सकती है। अच्छे पारिवारिक योजना से वह देश और परिवार की आर्थिक स्थिति का प्रबंधन करने में पूरी तरह से सक्षम हैं। पुरूषों की अपेक्षा महिलाएं किसी भी प्रभावकारी हिंसा को संभालने में सक्षम है चाहे वह पारिवारिक हो या सामाजिक। महिला सशक्तिकरण की मदद से बिना अधिक प्रयास किए परिवार के हर सदस्य का विकास आसानी से हो सकता हैं। महिलाएं अपने स्वास्थ्य, शिक्षा, नौकरी तथा परिवार, देश और समाज के प्रति जिम्मेदारी को लेकर ज्यादा सचेत रहती हैं।

कानूनी अधिकार के साथ महिलाओं को सशक्त बनाने के लिये संसद द्वारा पास किए गए कुछ अधिनियम है– पारिश्रमिक एक्ट 1976, दहेज रोक अधिनियम 1961, अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम 1956, मेडिकल टर्मनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट 1987, बाल विवाह रोकथाम एक 2006, लिंग परीक्षण तकनीक (नियंत्रक और गलत इस्तेमाल के रोकथाम) एक्ट 1994, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण एक्ट 2013। आदि कानूनी अधिकार महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। किन्तु कानून के बारे में बात कर लेने से महिला सशक्तिकरण नहीं हो

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य)शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धार (म.प्र.) भारत

सकता हैं। इसके लिए सामाजिक सोच में परिवर्तन लाना होगा।

'जिसने घुटन से अपनी आजादी खुद अर्जित की' एक आव्हान की नारी और नर को समान अधिकार है और लिंगभेद। जेंडर के आधार पर किया हुआ अधिकारों का बँटवारा गलत है और अब गैर कानूनी और असंवैधानिक भी, बँटवारा केवल क्षमता आधारित सही होता है। इसके बावजूद, उसे अभी मीलों लम्बा सफर तय करना हैं, जो कंटकपूर्ण एवं दुर्गम है, लेकिन वह मानती है कि–

'वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या?
जिसमें बिखरे शूल न हो,
नाविक की धैर्य–परीक्षा क्या?
यदि धाराएँ प्रतिकूल न हों।'

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. हिन्दी निबंध, अरिहन्त पब्लिकेशन लिमिटेड।
2. hindi ki duniya.com
3. प्रतियोगिता दर्पण।

****

जनजातियों में विवाह के स्वरूप - शहडोल जिले के विशेष संदर्भ में

डॉ. शाहीन परवीन *

प्रस्तावना – विवाह समाज की एक प्रमुख संस्था है। विवाह संस्था का उदय मानव में यौन इच्छाओं की पूर्ति के कारण हुआ। परिवार में विवाह के माध्यम से यौन आवश्यकताओं की पूर्ति को वैध माना जाता है, जबकि परिवार के बाहर विवाह के बिना किए गए यौन संबंधों को अवैध माना जाता है। विवाह संस्था का प्रत्येक समाज में अपना विशिष्ट स्थान है। भारतीय समाज में हिन्दू धर्म व्यवस्था के अन्तर्गत व्यक्ति के जीवन को चार भागों ब्रम्हचर्य,गृहस्थ, वानप्रस्थ, और सन्यास आश्रम में विभक्त किया गया है। ब्रम्हचर्य आश्रम के पश्चात् प्रत्येक व्यक्ति का प्रवेश गृहस्थ आश्रम में होता है और इस गृहस्थ आश्रम की सदस्यता के लिए व्यक्ति को विवाह करना पड़ता है अर्थात् सामाजिक व्यस्था में विवाह संस्था का एक महत्वपूर्ण संस्था है। जनजातीय समाज में भी संस्था का महत्वपूर्ण स्थान है।

जनजातीय समाज में विवाह का मूल उद्देश्य वंश की निरंतरता के साथ-साथ आर्थिक एवं सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति करना होता है। इन उद्देश्यों के लिए जनजातीय एवं जनजातीय श्रमिक समाज में विवाह के विविध स्वरूप पाए जाते हैं, जिसका उल्लेख निम्नानुसार है –

1. एक विवाह
2. बहु विवाह

1. एक विवाह – जनजातीय श्रमिक समाज में एक विवाह, विवाह संस्था का सबसे आदर्श स्वरूप माना गया है। विवाह के इस आदर्श स्वरूप का जनजातियों में बहुत कम प्रचलन है। यह प्रथा म0प्र0 की कमंर जनजातियों में एक विवाह का प्रचलन है। म0प्र0 के अलावा केरल के कादर, असम के खसी, बिहार के संथाल की जनजातियों में भी एक विवाह का प्रचलन है। सभ्यता के सम्पर्क में आने एवं शिक्षा के प्रसार के फलस्वरूप अब गोंड़ जनजातियों में भी एक विवाह को ही प्राथमिकता दी जा रही है।

2. बहु विवाह – बहु विवाह का वह स्वरूप है जिसमें एक पुरुष एक से अधिक लड़कियों या एक महिला एक से अधिक लड़कों से विवाह करती है। विभिन्न प्रकार हैं और शहडोल जिले में तथा म0प्र0 की जनजातीय श्रमिक समाजों में सामान्यत: बहु विवाहों का ही प्रचलन देखने को मिलता है –

(अ) बहु पत्नी विवाह
(ब) बहु पति विवाह

(अ)बहु पत्नी विवाह – जनजातीय समाजों में अधिकांशत: बहु पत्नी विवाह प्रथा का विशिष्ट रूप से प्रचलन देखा गया है। आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने के बावजूद जनजातियों में बहुपत्नी विवाह एक सामान्य बात है। शहडोल जिले की बैगा, कोल भील,अगरिया, पनिका,नागा, जनजातियों में बहु पत्नी विवाह पाया जाता है।

(ब) बहु पति विवाह – बहु पति विवाह को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है–

(1) भ्राता बहुपति विवाह – भ्राता बहुपति विवाह में एक स्त्री के अनेक पति परस्पर भ्राता अर्थात भाई होते हैं। इस विवाह में बड़े भाई का विवाह होने पर उसकी पत्नी स्वत: ही दूसरे भाइयों की पत्नी हो जाती है। भारतीय जनजातियों में नीलगिरी के टोडा , उत्तरप्रदेश की जौनसार बाबर और तिब्बत , असम, काश्मीर की जनजातियों में भ्राता बहुपति विवाह पाया जाता है। मध्यप्रदेश में शहडोल जिसे में बहुपति विवाह किसी जनजाति समाज में नहीं होता है।

(2) अभ्राता बहुपति विवाह – जनजातीय श्रमिक समाज में अभ्राता बहुपति विवाह में एक स्त्री के अनेक पति परस्पर भाई नहीं होते । एक ही स्त्री अगल-अलग पुरुषों के साथ विवाह कर समय-समय पर एक-एक पुरुष के साथ-जीवन-यापन करती है। वह विवाह नायर, कोटा जनजातियों में पाया जाता है। मध्यप्रदेश और शहडोल जिले में इस विवाह का प्रचलन नहीं है।

(3) द्विविवाह – द्विविवाह से तात्पर्य ऐसे विवाह से हैं, जिसमें एक ही व्यक्ति दो पत्नियों से वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करता है। अधिकांश भारतीय जनजातियों में द्वि विवाह प्रथा देखने को मिलती है। इस विवाह में अधिकांश: पुरुष अपनी की बहन से विवाह करता है। प्रथम पत्नी के बच्चे न होने पर पुरुष उसकी छोटी बहन से विवाह कर लेता है। कुछ जनजातियों में एक पुरुष का परिवार की बड़ी बहन लड़की से विवाह करने पर उसकी छोटी बहनें स्वत: ही उसकी पत्नी कहलाने लगती हैं। शहडोल जिलें की बैगा, गोंड़, भील, भारिया तथा अन्य क्षेत्रों की सहरिया, भरिया, मुड़िया शोबा जनजातियों में द्विविवाह पाया जाता है।

जनजातियों में जीवन साथी चयन की विधियाँ – जनजातीय समाज अपनी पृथक संस्कृति के लिए पहचाना जाता है। सभ्य समाजों में अलग जीवन यापन , भाषा , वेशभूषा , सामाजिक मान्यताओं के साथ ही साथ जनजातियों में विवाह के लिए जीवन साथी चयन करने की भी विभिन्न विधियाँ प्रचलित हैं। इन विभिन्न विधियों के माध्यम से जनजातियाँ जीवन साथी चुनती हैं। जीवन साथी चयन की विभिन्न विधियाँ निम्नानुसार हैं –

1. अपहरण विवाह – अपहरण विवाह जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि अपहरण द्वारा विवाह किया जाता है। बहुत सी जनजातियों में जब कोई पुरुष एक स्त्री को बल पूर्वक उसके घर से छीनकर उससे विवाह कर लेता है तो उसे अपहरण विवाह कहते हैं। इस प्रकार के विवाह के जनजातियों में वीरता और शौर्य का प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार का विवाह नागा, गोंड़, भील , संथाल मुण्डा आदि जनजाति में अपहरण विवाह का प्रचलन है।

2. विनिमय विवाह – विनिमय विवाह प्रथा का प्रारंभ दुल्हन के ऊचें

* अतिथि विद्वान (अर्थशास्त्र) प. शंभूनाथ शुक्ल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शहडोल (म.प्र.) भारत

मूल्य में बेचने के साधन के रूप में हुआ है। इसमें दो परिवारों की लड़कियों का विनिमय एक दूसरे के साथ किया जाता है। जिससे परिवार दुल्हन मूल्य भुगतान से बच जाते हैं। विनिमय विवाह में एक पुरुष अपनी बहन या अपने घर की किसी अन्य लड़की को अपनी पत्नी के बदले में देता है। शहडोल जिले में इस प्रकार प्रचलन किसी भी जनजाति में नहीं है। यह प्रचलन असम की खासी जनजाति में पाया जाता है।

3. क्रय विवाह – जनजाति समाज में क्रय विवाह पद्धति एक महत्वपूर्ण पद्धति है। वधू मूल्य इस प्रकार के विवाह में केन्द्रीय विषय होता है। इसका भुगतान नगद या किसी वस्तु के रूप में किया जाता है। क्रय विवाह महिलाओं की उपयोगिता का प्रतीक है। जिसमें उससे परिवार को मुआवजा दिया जाता है। दुल्हन का मूल्य अदा का विवाह करने की परम्परा मुण्डा जनजाति नागा जनजाति मुें मुख्यत: पाई जाती है।

4. परिवीक्षा विवाह – परिवीक्षा विवाह आधुनिक कोर्टशिप की पद्धति की आदिम रूप है। इसके अन्तर्गत भावी पति या पत्नी को दुल्हन के घर में कुछ समय के लिए साथ-साथ रहने का अवसर दिया जाता है। ताकि वे एक-दूसरे को पसन्द कर विवाह का निर्णय ले लें। इनके निर्णय लेने पर बुजुर्ग विवाह की व्यवस्था करते हैं। यदि दोनों का स्वभाव एक दूसरे के विपरीत रहता है, तो वे एक दूसरे के अलग हो जाते हैं और पुरुष को लड़की के माता-पिता को इनका मुआवजा देना पड़ता है। परिवीक्षा अवधि में यौन सम्बन्ध भी स्थपित हो सकते हैं। यदि स्त्री के गर्भधारण करने क्षमता होती है तो प्राय: विवाह हो जाता है। जनजातियों में इस विवाह को राजी खुसी कहा जाता है।

5. सेवा विवाह – सेवा विवाह की प्रथा जनजातियों में इन लोगों के लिए है जो कन्या मुल्य चुकाने में असमर्थ रहते हैं। इस विवाह के अन्तर्गत वर को निश्चित अवधि तक लड़की के घर में रहकर सेवा करनी पड़ती है। दूल्हा, दुल्हन के घर में नौकरी करता है।

6. परीक्षा विवाह – परीक्षा विवाह का जनजातियों में मूल उद्देश्य युवक के साहस और शौर्य तथा शक्ति की परीक्षा करना पड़ता है। भावी दूल्हे को अपनी मनचाही लड़की का हाथ माँगने का दावा करने से पूर्व अपनी शक्ति को सिद्ध करना पड़ता हैं। विवाह के लिए जनजातियाँ विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताए करती हैं जैसे- होली के अवसर पर एक खम्भे या वृक्ष में सबसे ऊपर नारियल और गुड़ बांध दिया जाता है और वृक्ष या खम्भे के चारों तरफ गांव के युवक युवती नृत्य करती है। जब कोई इच्छुक युवक खम्भे या वृक्ष पर चढ़कर नारियल और गुड़ खा लेता है, तो उसे वैवाहिक परीक्षा में सफल घोषित किया जाता है, तथा मनचाही लड़की से विवाह हो जाता है।

7. हठ विवाह – हठ विवाह को घुसपैठ विवाह भी कहा जाता है। इस विवाह में इच्छुक लड़की किसी अनिच्छुंक लड़के से विवाह करने की अभिलाषा रखती है जिसके लिए वह जबरजस्ती लड़के घर में घुस जाती है और विवाह की हठ करती है। लड़की को भगाने के लिए लड़के के घर वाले अनेक प्रयास करते हैं। लड़की को मारा पीटा जाता है एवं अपमानित किया जाता है लेकिन इसके बाद भी लड़की अड़ी रहती। अन्तत: उसे घर की बहु के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। यह विवाह शहडोल जिले में प्रचलित नहीं है।

8. सहमति विवाह – जनजातियों में विवाह की एक पद्धति सहमति विवाह भी है। कभी-कभी युवक -युवती अपने समाज के स्वीकृति तरीकों से विवाह नहीं कर पाते हैं तो वे समाज की अवहेलना कर भाग कर प्रेम विवाह कर लेते हैं। कुछ समय बाद समाज उन्हें माफ कर देता है। सहमति विवाह अधिकांशत: राजस्थान की भील जनजाति में पाया जाता है। शहडोल जिले में कोल, गोड़ आदि जनजातियों में भी यह विवाह सर्वाधिक प्रचलित है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. शहडोल जिले के आदिवासी- राममित्र चतुर्वेदी।
2. मध्य प्रदेश की जनजातियां समाज एवं व्यवस्था- डॉ एस.के तिवारी, डॉ श्रीकांत शर्मा
3. मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति- प्रो. विजय शंकर उपाध्याय।
4. भारत में जनजातीय संस्कृति- डॉ शिवकुमार शर्मा।
5. गोंड जाति का समाजिक उत्थान- रामभरोसे अग्रवाल।

****

भारत में मानव विकास एवं जलवायु परिवर्तन

डॉ. सपना भालेकर *

प्रस्तावना – औद्योगिक क्रांन्ति के बाद से बढ़ती मानवजनित गतिविधियों के कारण वातावरण में बड़े पैमाने पर ग्रीन हाउस गैसों(GHG)2 का उत्सर्जन हो रहा है। जलवायु परिवर्तन एक नकारात्मक भूमण्डलीय प्रभाव है। जिसका प्राथमिक कारण वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती मात्रा है। जलवायु परिवर्तन की समस्या को हल करने के लिए आवश्यक है कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम से कम किया जाए, साथ ही जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए अनुकूलन की क्षमता भी अर्जित की जाए। एक विकासशील देश के परिप्रेक्ष्य से विचार करे तो अनुकूलन का विशेष महत्व है। क्योंकि इन देशों में जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक दुष्प्रभाव दृष्टिगोचर होता है।

जलवायु परिवर्तन पर चिंतन क्यों – ग्रीन हाउस गैसों का जलवायु परिवर्तन पर जो प्रभाव होता है। उसका संबंध उस स्थान से नहीं होता जहां कि उनका उत्सर्जन हो रहा है। बल्कि इस उत्सर्जन की कीमत वर्तमान और आगामी पीढ़ी को ही चुकानी पड़ती है, जो कि उत्सर्जकों की क्षतिपूर्ति के उपायों से आवरित नहीं होती । इसी तथ्य को ध्यान में रखकर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक समन्वित नीतिगत कार्यवाही तथा जलवायु परिवर्तन के लिए एक संधि – वार्ता प्रणाली की आवश्यकता अनुभव की गई। 1992 में यून.एफ.सी.सी.सी. की स्थापना हुई। इस संस्था का विषय क्षेत्र अन्तराष्ट्रीय है। यह विविध पक्षों की प्रतिबद्धताओं/उत्तरदायित्वों के बीच ऐतिहासिक जिम्मेदारियों व आर्थिक संरचनाओं के आधार पर अंतर करता है। यह समत्व तथा सी.बी.डी. आर जैसे सिद्धान्तों के आधार पर भी प्रतिबद्धताओं के बीच अन्तर करता है। जो कि जलवायु परिवर्तन विमर्शो के मूलभूत तत्व है।

ऐतिहासिक और वर्तमान भूमण्डलीय GHG उत्सर्जन में सबसे बडा हिस्सा विकसित देशों का है। वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन के वैश्विक सकंट का कारण GHG वर्तमान उत्सर्जन स्तर को उतना नहीं मानते जितना कि पहले से वायुमण्डल में जमा होते इन गैसों के स्टॉक को मानते है। अधिकतर देश, जिनका आज के उत्सर्जन स्तर मे बड़ा भाग है। वही विशेषकर औद्योगिक देश, पूर्व मे भी अधिक GHG उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है , और इस तरह जलवायु परिवर्तन के लिए भी उत्तरदायी है।

इसलिए अभिसमय विकसित देशों की ऐतिहासिक भूमिका एवं जिम्मेदारियों को ध्यान में रखकर उनके लिए कानूनी रुप से बाध्यकारी प्रतिबद्धताओं का प्रावधान करता है। इसके साथ ही वह इन विकसित देशो के लिए यह दायित्वों को निर्धारित करता है। कि वे विकासशील देशों को वित्तिय सहयोग देने के अतिरिक्त प्रौद्योगिकी एवं तकनीक का भी हस्तान्तरण करें।

अभिसमय यह स्वीकार करता है कि विकासशील देशों के स्तर से जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रयास है। उनको उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करते है।

अध्ययन का उद्देश्य –

1. विकास के संदर्भ में भारत में जलवायु परिवर्तन का विश्लेषण करना।
2. भारत और विश्व की जलवायु परिवर्तन की स्थिति का अवलोकन करना।
3. जलवायु परिवर्तन की समस्या को दुर करने एवं आवश्यक प्रयासों का अध्ययन करने के लिए।

अध्ययन निम्न परिकल्पना पर आधारित है।

1. कृषि, जल, प्राकृतिक पारिस्थितिक तन्त्र, जैव विविधता तथा स्वास्थ्य से जलवायु परिवर्तन की गति का पता चलता है।
2. भारत में जलवायु परिवर्तन आर्थिक विकास का आईना है।

भारत और जलवायु परिवर्तन – यद्यपि GHG उत्सर्जनों के संदर्भ में भारत का नंबर पहले पांच में आता है। लेकिन यदि पहले किए गए उत्सर्जनों को हटा भी दिया जाए तो भी विकसित देशों की तुलना में भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन बहुत कम है। उत्सर्जनों के उच्च स्तर का कारण यहा कि बडी जनसंख्या , भौगोलिक आकार तथा बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारतीय जलवायु परिवर्तन मुल्यांकन नेटवर्क (INCCA) द्वारा मई 2010 मे किए गए मूल्यांकन भारत के लिए उपलब्ध अघतन आकड़े है। मूल्यांकन के अहम परिणाम यह है। कि वर्ष 2007 में भारत से कुल निवल GHG उत्सर्जन 1727.71 मिलियन टन सम संयोजक (ईक्यु) हुआ, जिसमें से कार्बन डाइ आक्साइड उत्सर्जन 1221.76 मिलियन टन, मिथेन 20.56 मिलियन टन तथा नाइट्रस डाइ आक्साइड 0.24 मिलियन टन था।

ऊर्जा , उद्योग, कृषि तथा अपशिष्ट क्षेत्रों से 2007 मे हुए GHG उत्सर्जन निवल CO2 ईक्यु उत्सर्जनो का क्रमश : 58 प्रतिशत, 22 प्रतिशत, 17 प्रतिशत, 3 प्रतिशत, गठित करते है। भूमि उपयोग, भूमि उपयोग परिवर्तन तथा वानिकी (LULUCF) सहित भारत के प्रति व्यक्ति CO2 ईक्यु उत्सर्जन वर्ष 2007 में 1.5 टन प्रति व्यक्ति थे।

भारत के लिए जलवायु परिवर्तन के खतरे – जलवायु परिवर्तन का प्राकृतिक संसाधनों तथा लोगो की आजीविका पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। इसके पर्यावरणीय तथा सामाजिक आर्थिक संबंधित क्षेत्रों पर व्यापक प्रभाव होगे। विभिन्न अध्ययन दशति है कि भारत में कृषि, जल प्राकृतिक पारिस्थितिकी तन्त्र, जैव विविधता तथा स्वास्थ्य जैसे अहम क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील हैं। यह ठीक उसी समय हो रहा है। जब वह भारी विकास जरूरतों से जुझ रहा है। भारत की खाद्य और पोषक सुरक्षा काफी हद तक गेहूँ और चावल के उत्पादन जो कि कुल खाद्यान्न उत्पादन का लगभग 75 प्रतिशत होता है। पर निर्भर है। सेमलेशन मॉडल का सुझाव है

* (अर्थशास्त्र) सी–6 शरद नगर, धार (म.प्र.) भारत

कि अनुकूलन और उर्वरक लाभो की गैर मौजूदगी में तापमान में 1 सेण्टीग्रेड की बढ़ोतरी ही अकेले गेहूँ उत्पादन में 6 मिलियन टन की कमी ला सकती है। दूग्ध उत्पादन जो कि हमारी खाद्य सूची में बहुत महत्वपूर्ण घटक बन रहा है। डेयरी पशुओं के कारण वैश्विक जलवायु परिवर्तन से संबंध ऊष्मा दबाव के बढने से प्रतिकुल रुप से प्रभावित हो सकता है, इसी प्रकार ग्लेशियरों के पिघलने, वर्षा के घटने, आबादी के लगातार बढ़ते जाने से जल उपलब्धता प्रभावित होगी और बढती हुई आबादी पानी से संबंधित दबाव को और ज्यादा बढाएगी।

भारत कें जंगल भी जलवायु परिवर्तन की सक्रियता और विविधता के चलते वन के स्वरुप को बदलने वाले हो जाएंगे और इस प्रकार वन उत्पादो पर आधारित आजीविकाएँ भी प्रभावित होगी।

जलवायु परिवर्तन के बाद स्वास्थ्य भी प्रतिकुल रुप से प्रभावित होगा लू (गर्म हवाएँ) छुआ–छुत से फैलने वाली बीमारियों, जल संक्रमण के प्रमुख प्रभाव है। जो जलवायु परिवर्तन के कारण हो सकते है। उदा0 के तौर पर उष्णकटिबंधीय देशों के समान, भारत भी छुआ – छुत से फैलने वाले रोगो जैसे मलेरिया के बहुत व्यापक और तेजी से फैलने का अन्देशा है।

निष्कर्ष – (भारत द्वारा उठाए गए पर्यावरण एवं जलवायु सरंक्षण हेतु आठ राष्ट्रिय मिशन) – भारत प्राथमिक रुप से अपनी चिंतांओ के तहत जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरणीय मुद्दों के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएँ एवं नीतियां बनाने को प्रवृत्त हुआ है। जो दुनिया भर के लोगों की बेहतरी के लिए उसकी मजबूत इच्छाशक्ति का परिचालक है। तथापि संसाधानों के अभाव तथा बढ़ती हुई मांग बड़ी चुनौतियॉ है।

1. जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रिय और मिशन (JNNSS)।
2. ऊर्जा सरंक्षण तथा दक्षता।
3. जलवायु परिवर्तन हेतु राजनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन (NMASKCC)।
4. राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिक जीवन तन्त्र के सम्पोषण हेतु मिशन (NSSHE)।
5. राष्ट्रीय जल मिशन।
6. ग्रीन इण्डिया मिशन।
7. राष्ट्रीय धारणीय पर्यावास मिशन (NMSH)।
8. राष्ट्रीय धारणीय कृषि मिशन (NNSA)।

राजनीतिक गठजोडो के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के एजेण्डे के लिए विज्ञान एवं प्राद्योगिक पर अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग बढाने तथा धारणीय विकासात्मक एजेण्डा के लिए नीतियों को प्रतिपादित करने में सहायक है। जलवायु परिवर्तन की समस्या से पार पाने के लिए आवश्यक प्रयासों मे एक और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना तो दुसरी और समाज के विभिन्न वर्गो पर जलवायु परिवर्तन के विपरीत प्रभावों का सामना करने की क्षमताओं तथा अर्थव्यवस्था का निर्माण करना शामिल है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. आर्थिक सर्वेक्षण 1213 , MOF\GOI
2. NAPCC, Ministry of Forest & environment , Goi ,Final Draft March 31, 2011, N.Delhi.
3. Economic Surrey 2012-13 MoF, goi, N.Delhi p. 259
4. A Technical paper on environmental subsidies in India Role and Reforms by the madras school of economics (January 2012) as guated by the economic survey 2012-13 , p.264
5. Stockholm environment Institute comparison of Annex 1 and non Annex 1 pledges under the can cun Agreements , as cited by the economic survey 2012-13 MoF, GoI n.Delhi p.268
6. Jeffery sachs common wealth economics for a crawded earth penguin Books , Great Britain (GB) , London 2009 pp.29-35 , 55-155

****

मध्यप्रदेश में त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जनजाति के नेतृत्व की भूमिका

दीवानसिंह बारिया *

प्रस्तावना – महात्मा गांधी के अनुसार 'स्वतंत्रता स्थानीय स्तर से आरम्भ होनी चाहिए।' प्रत्येक ग्राम एक पंचायत होगा जिसे पूर्ण शक्तियाँ प्राप्त होगी। इसका अर्थ यह हैं कि प्रत्येक ग्राम को आत्मनिर्भर होना चाहिए और उसमें अपना प्रबंध स्वयं करने का इतना सामर्थ्य होना चाहिए कि वह सम्पूर्ण संसार के विरूद्ध भी अपनी रक्षा कर सके। अंग्रेजी शासन काल में सत्ता का केन्द्रीकरण हो गया था और दिल्ली सरकार पूरे भारत पर शासन करने लगी परिणाम यह हुआ कि यहाँ प्रशासन का परम्परागत रूप करीब-करीब समाप्त हो गया और पंचायतों का महत्व काफी घट गया।

महात्मा गांधी के इस सपने को साकार रूप देकर मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य बना, जहाँ पंचायत राज व्यवस्था लागू की गई। 1 नवम्बर, सन् 1956 को मध्यप्रदेश राज्य का गठन हुआ। सन् 1981 के पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत राज्य में त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जारी रखने की बात स्वीकार की गई। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 के अनुरूप प्रदेश में पंचायत राज अधिनियम 1993 दिनांक 25 जनवरी, 1994 को लागू किया गया। इस अधिनियम के अनुरूप प्रदेश में त्रि-स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत राज्य के पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत राज स्थापित करना है। इसलिए विकेन्द्रीकरण और सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण प्रशासन को सफल बनाने के लिए त्रि-स्तरीय पंचयाती राज संस्थाओं की स्थापना की जानी चाहिए, जिसमें पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत, विकासखण्ड स्तर पर पंचायत समिति या जनपद पंचायत तथा जिला स्तर पर जिला पंचायत। वर्तमान समय में राज्य में त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कायम है, जिनकी अवधारणा में एक या एक से अधिक गांवों के लिए ग्राम पंचायत, प्रत्येक विकास खण्ड के लिए जनपद पंचायत व प्रत्येक जिला के लिए जिला पंचायत की बात शामिल है।

तालिक क्रमांक - 01 : त्रि-स्तरीय पंचायत व्यवस्था का विवरण

क्र.	वर्ष	जिला पंचायतें	जनपद पंचायतें	ग्राम पंचायतें
1	1994-95	45	459	31138
2	2001-02	45	313	22029
3	2004-05	48	313	23051
4	2006-07	50	313	23012

स्त्रोत : पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश

सन् 1993 के अधिनियम में संविधान में त्रि-स्तरीय पंचायतों के प्रमुखों के निर्वाचन की स्थिति के संदर्भ में यह व्यवस्था की गई हैं कि केवल ग्राम पंचायतों के सरपंच के मामले में निर्वाचन प्रक्रिया का जिम्मा राज्य सरकार के विवेक पर निर्भर करेगा, जबकि जनपद एवं जिला पंचायतों के मामले में सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के माध्यम से तथा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव चुने हुए सदस्यों द्वारा किया जायेगा।

मध्यप्रदेश में पंचायती राज के माध्यम से जनजाति विकास के लिए निरन्तर प्रयास कर जनजाति वर्ग के जनजीवन में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। वर्तमान पंचायती राज के माध्यम से जहाँ जनजाति विकास को विशेष महत्व प्रदान किया गया हैं पंचायती राज के माध्यम से विकास कार्यक्रमों का तथ्यात्मक मूल्यांकन किया जाए ताकि सत्ता के विकेन्द्रीकरण से ग्रामीण विकास पर पड़े प्रभावों का मूल्यांकन संभव हो सके।

मध्यप्रदेश में पंचायती राज की स्थापना एवं विकास – पंचायती राज संस्थाओं के कार्य निर्देशित एवं समन्वित करने के लिए वर्ष 2004 में अलग से Ministry of Panchayati Raj की स्थापना की गई। इससे पूर्व इस मंत्रालय से संबंधित सभी प्रकार के कार्य ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा निर्वाहित होते थे। इस मंत्रालय के द्वारा पंचायती राज सशक्तिकरण हेतु राज्यों में समन्वय स्थापित करना भी एक नया कार्य था। आज यह कदम उचित ही जान पड़ता हैं।

तालिका क्रमांक - 02 : पंचायतों में नेतृत्व की स्थिति एवं सशक्तिकरण(वर्ष 2008-09 की रिपोर्ट के आधार पर)

क्र.	पंचायती राज	संख्या	चुने गए प्रतिनिधि	महिला प्रतिनिधि
1	जिला पंचायत	542	15,613	5,810
2	जनपद पंचायत	6,094	1,56,794	58,191
3	ग्राम पंचायत	2,32,855	26,45,883	9,72,057
	कुल योग	2,39,491	28,18,290	10,39,058

Source – Pratiyogita Darpan, September 2014, P.-89

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता हैं कि पंचायती राज स्तर पर चुने गए प्रतिनिधियों में महिलाओं की संख्या में वृद्धि स्पष्ट नजर आती हैं। परन्तु मानव विकास रिपोर्ट 2014 के आंकड़े बताते हैं कि संसद में महिलाओं का प्रतिशत केवल 10.9% ही हैं। यहाँ यह भी एक विरोधाभास हैं, क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व में अनुसूचित जनजाति में महिलाओं का सशक्तिकरण पंचायतों से लेकर संसद तक पूर्णत: होना चाहिए।

ई-पंचायत-लगभग 2.5 लाख पंचायतों को शासन की गुणवत्ता सुधार हेतु केन्द्र सरकार ने ई-सक्षम करने के लिए 'ई-पंचायत' Mission Mode Project (MMPs) नामक परियोजना तैयार की हैं, जिससे इन्हें स्वशासन

* शोधार्थी (राजनीतिशास्त्र) विक्रम विश्वविधालय, उज्जैन(म.प्र.) भारत

की आधुनिक संस्थाओं के रूप में तैयार किया जा सके। यह एक नई पहल हैं परन्तु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि पूर्ण शिक्षित नहीं होंगे तो यह पहल तो पहल ही रह जाएगी। अत: शिक्षित प्रतिनिधियों का स्थानीय राजनीति में होना अति आवश्यक है।

भारत में निर्धनता कम करने के लिए जो कार्यक्रम शुरू किए गए उनमें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार परियोजना (NREP), काम के बदले अनाज, जवाहर रोजगार योजना (JRY), रूरल लेण्डलेस इम्पलॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम (RLEGP) और इम्पलायमेंट एसुरेन्स स्कीम (EAS) विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। अब Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MNREGA) योजना शुरू की गई हैं जो एक वृहद् स्तर की पहल हैं। परन्तु पंचायती राज संस्थाओं द्वारा चलाई जा रही विकास योजनाओं का समुचित लाभ गरीब लघु एवं सीमांत किसान, खेतीहर मजदूर, ग्रामीण कारीगर, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को नहीं मिल पा रहा हैं। गांवो में चल रही योजनाएँ, राष्ट्रीय विस्तार योजना, सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के लागू किए जाने के बावजूद दो दशकों के उपरांत भी आज ग्रामीण समुदाय (लगभग 28% जनसंख्या) निर्धनता के नीचे जीवन व्यतीत कर रहा हैं।

पंचायत–ग्राम पंचायत ग्राम सभा की कार्यकारी समिति हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित इकाई हैं। यही वह आधारशीला हैं जिस पर पंचायती राज संस्थाओं के अन्य स्तरों का ढ़ाँचा आधारित हैं। विभिन्न राज्यों में इसे भिन्न–भिन्न नामों से जाना जाता हैं ।

त्रि–स्तरीय प्रणाली के अंतर्गत आने वाली इस लघु इकाई की संरचना के बारे में यह कहा गया हैं कि 1000 तक जनसंख्या वाली ग्राम पंचायत में कम से कम 10 वार्ड तथा उससे ऊपर की जनसंख्या वाली ग्राम पंचायत के लिए अधिकतम 20 वार्ड जरूरी हैं, इस व्यवस्था में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति व अन्य पिछडा वर्ग को आरक्षण का लाभ दिया गया हैं। साथ ही मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य हैं, जिसने इस व्यवस्था में महिलाओं को 50 प्रतिशत का आरक्षण भी दिया हैं। मध्यप्रदेश में ग्राम पंचायतों के चुनाव दलीय आधार पर नहीं होते है। इसी आरक्षण के कारण आज महिलाए राजनीतिक क्षेत्र में आगे आकर अपने समाज का प्रतिनिधित्व करने में सफलता हासिल कर रही हैं।

ग्राम पंचायत का निर्वाचन–पंचायतों के सभी स्तर के सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्येक पाँचवें वर्ष किया जाता हैं। ये चुनाव राज्य के निर्वाचन आयोग द्वारा सम्पन्न कराए जाते है। ग्राम पंचायत के राजनीति नेतृत्व पद हेतु चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष हैं तथा ग्राम पंचायत के राजनीतिक नेतृत्व पद के लिए मतदान करने की आयु 18 वर्ष है। ग्राम पंचायत का नेतृत्वकर्ता ऐसा व्यक्ति होगा जो सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। वह किसी भी प्रकार की सेवा से दुराचार के कारण पदच्युत न किया गया हो तथा वह पंचायत संबंधी किसी भी अपराध के लिए दोषी न हो।

ग्राम पंचायत की अवधि–प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने प्रथम सम्मेलन के लिए नियत तारीख के पाँच वर्ष तक के लिए बनी रहेगी और इससे अधिक नहीं, जब तक कि इस समय से पहले विघटित नहीं कर दी जाए।

ग्राम पंचायत की जिम्मेदारियाँ–ग्राम पंचायत के परिवारों के पंजीकरण के आवेदन प्राप्त करना, उनका सत्यापन करना, जॉब कार्ड जारी करना, काम के लिए आवेदन प्राप्त करना, पावती जारी करना, रिकार्डों का रखरखाव करना, जागरूकता फैलाना और सामाजिक एकजुटता लाना, आयोजन और सामाजिक लेखा–परीक्षा के लिए ग्राम सभा की बैठक आयोजित करना, ग्राम में कार्यान्वयन की निगरानी करना आदि जिम्मेदारिया ग्राम पंचायत की होती है।

जनपद पंचायत–पंचायत समिति भारत की ग्रामीण स्थानीय शासन की पंचायती राज व्यवस्था का मध्यवर्ती स्तर हैं। इसका नाम सर्वत्र एक नहीं है। आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में इसे पंचायत समिति के नाम से, उत्तर प्रदेश में क्षेत्र समिति के नाम से, असम में आंचालिक पंचायत समिति के नाम से, पश्चिम बंगाल में आंचलिक परिषद् के नाम से, गुजरात में तालुका परिषद के नाम से, मध्य प्रदेश में जनपद पंचायत के नाम से, कर्नाटक में तालुका विकास परिषद् के नाम से और तमिलनाडु में पंचायत संघ परिषद् के नाम से जाना जाता है।

त्रि–स्तरीय पंचायत प्रणाली के अंतर्गत आने वाली मध्यम इकाई की संरचना के बारे में कहा गया हैं कि यह प्रणाली विकास खण्डों के दायरे में संभव की जाएगी। प्रत्येक 5000 मतदाता की जनसंख्या पर एक जनपद पंचायत होगी और निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 25 से अधिक नहीं होगी।

जनपद पंचायत ग्राम व जिले के मध्य सम्पर्क करती हैं। जनपद पंचायत में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता हैं। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता हैं।

जनपद पंचायत की संरचना–जनपद पंचायत निम्नलिखित से मिल कर बनेगी– इसके सदस्यों में क्षेत्र की समस्त पंचायतों के प्रधान निर्वाचित सदस्य, लोकसभा एवं विधानसभा के वे सदस्य जो उस क्षेत्र का नेतृत्व करते हो, परन्तु राज्य विधान सभा का ऐसा सदस्य जिसका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतया नगरीय क्षेत्र में पड़ता हैं, जनपद पंचायत का सदस्य नहीं होगा। राज्य सभा व राज्य विधान परिषद् के वे सदस्य जो उस क्षेत्र के मतदाता हो, सदस्य हैं। परन्तु कोई भी सरपंच जो इस खण्ड के अधीन एक अवधि के लिए सदस्य हैं, दूसरी अवधि के लिए सदस्य होने के लिए पात्र नहीं होगा।

जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन एवं आरक्षण–विहित प्राधिकारी, सदस्यों के निर्वाचन के पश्चात् यथा शक्ति शीघ्र जनपद पंचायत के निर्वाचित सदस्यों का एक सम्मिलित अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन करने के लिए बुलाएगा। जनपद पंचायत के अध्यक्ष का पद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रखा जाएगा और जिले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित अध्यक्ष के पदों की संख्या का अनुपात उस जिले में ऐसे पदों की कुल संख्या के साथ यथासाध्य वही होगा। जो उस जिले में यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का जिले की कुल जनसंख्या के साथ हैं।

जनपद पंचायत की जिम्मेदारियाँ–जनपद पंचायत जिला स्तर पर जिला पंचायत को अंतिम मंजूरी भेजने हेतु ब्लॉक स्तरीय योजना अनुमोदित करना, ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर शुरू की गई परियोजनाओं का पर्यवेक्षण तथा निगरानी करना, ऐसे अन्य कार्य करना, जो राज्य परिषद् द्वारा समय–समय पर सौंपे जाएं।

जिला पंचायत–जिला पंचायत भारत के ग्रामीण स्थानीय शासन की पंचायती राज व्यवस्था का शिखर हैं। सब राज्यों में इसका नाम एक ही नहीं है। आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में इसे जिला परिषद् तथा असम में महकमा परिषद् कहते है। तमिलनाडू तथा कर्नाटक में जिला पंचायत का नाम जिला विकास परिषद् है। जिला पंचायत जिला स्तर पर गठित ऐसा

स्थानी निकाय हैं। जिसे जिलों में विकास योजनाओं व कार्यक्रमों के सफल निष्पादन हेतु पर्यवेक्षकीय भूमिका का दायित्व सौंपा गया हैं।

त्रि-स्तरीय पंचायत प्रणाली के अंतर्गत आने वाली दीर्घ इकाई की संरचना के बारे में कहा गया हैं कि इसके अंतर्गत 50,000 जनसंख्या के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र निश्चित किया जायेगा। जिस जिले की जनसंख्या 5 लाख से कम हैं वहाँ कम से कम 10 निर्वाचन क्षेत्र तथा अधिक जनसंख्या की स्थिति में कुल निर्वाचन क्षेत्र 35 से अधिक नहीं होंगे फिर भी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या की समानता होनी जरूरी हैं। वर्तमान समय में राज्य में 51 जिला पंचायतें क्रियाशील हैं। इसके सदस्यों के चुनाव में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व महिलाओं के लिए आरक्षण की भी व्यवस्था हैं। इसके अध्यक्ष का चुनाव सदस्यों द्वारा सम्पन्न किया जाता हैं।

जिला पंचायत का गठन-प्रत्येक जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचित सदस्यों, मध्यप्रदेश राज्य से निर्वाचित राज्य सभा के समस्त ऐसे सदस्य जिनका नाम जिले की ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में आया हैं तथा जिले की समस्त जनपद पंचायतों के अध्यक्ष से मिलकर बनेगी। जिला पंचायत जिले में जनपद पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों के कार्य में तालमेल उत्पन्न करती हैं। उनको परामर्श देती हैं तथा उनके कार्यों की देखभाल करती हैं। इस पंचायत को स्वास्थ्य, शिक्षा तथा समाज कल्याण आदि के क्षेत्रों में कार्यकारी कार्य भी करने पड़ते हैं।

जिला पंचायत की जिम्मेदारियाँ-वार्षिक ब्लॉक योजनाओं का जिला योजना में समेकन करना, एक से अधिक ब्लॉकों में किए जाने वाला ऐसा कोई कार्य जोड़ना, जो रोजगार का अच्छा स्त्रोत सिद्ध हो, जिले में क्रियान्वित योजनाओं की निगरानी और पर्यवेक्षण करना, ऐसे अन्य कार्य करना जो राज्य परिषद् द्वारा समय-समय पर सौंपे जाए।

त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जनजातीय प्रतिनिधियों के नेतृत्व की भूमिका-पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में जनजाति वर्ग के विचारों के बारे में कहा जाए तो विशेष रूप से महिला नेतृत्व की स्थिति की बात की जाए तो वह शोचनीय हैं। क्योंकि आज भी महिलाएँ अपने पद का उचित उपयोग स्वयं नहीं कर पाती हैं। उनकी जगह उनके पति या अन्य कोई सगे सम्बन्धी व्यक्ति द्वारा उनके पद पर स्थानीय स्तर पर कार्य किया जाता हैं। इसी कारण महिलाओं को पंचायतों में गणपूर्ति तथा बैठकों के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी आज भी नहीं है। यदि इस प्रकार की स्थिति रही हो महिला नेतृत्व के बारे में विचार करना आवश्यक हो जाता हैं। आज पंचायतों में महिलाओं की संख्या 50 प्रतिशत तो दिखाई देती हैं परन्तु महिलाओं के पदों का उपयोग लगभग 90 प्रतिशत पुरूष वर्ग ही करता हैं। इसका मुख्य कारण शिक्षा का अभाव के साथ जागरूकता की कमी तथा राजनीति के प्रति चेतना का अभाव होना हैं।

पंचायतों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्य आर्थिक विपन्नता के कारण कृषि एवं मजदूरी कार्यों में इतने अधिक व्यस्त हो जाते हैं कि ग्राम पंचायतों की बैठकों में भाग लेना जनजाति के लिए घाटे का सौदा होता हैं। कुछ प्रतिनिधियों का कहना हैं कि वे समयाभाव के कारण पंचायतों की बैठकों में भाग नहीं ले पाते हैं। वर्तमान समय में सामाजिक रूढ़ियों तथा परम्परावादी व्यवस्थाओं के कारण पंचायतों की महिला प्रतिनिधि राजनीति नेतृत्व में सक्रिय भाग नहीं लेती। इससे पति सरपंच की एक नवीन अवधारणा का विकास पंचायती राज व्यवस्था में हुआ हैं। जिसके अन्तर्गत सरपंच का स्थान तो महिला के लिए सुरक्षित हैं लेकिन उसके आधिकारों का प्रयोग पति द्वारा किया जाता हैं, पत्नि केवल हस्ताक्षर करने का कार्य करती हैं। अभद्र व्यवहार होने के संकोच के कारण भी महिलाएँ राजनीति में अपनी सहभागिता नहीं दे पाती।

निष्कर्ष-वर्तमान समय में 73 वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद अनुसूचित जनजाति वर्ग के नेतृत्व की स्थिति में काफी सुधार आया हैं। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग आज पंचायतों में सफल नेता के रूप में कार्य करते हैं। ऐसे कई ग्राम हैं, जिनकी काया पलट केवल जनप्रतिनिधियों की ईमानदार जिम्मेदारियों के कारण हुई हैं। वे ग्राम आज विकसित तथा विकासशील ग्रामों के अंतर्गत आते हैं। शिक्षा के प्रचार प्रसार तथा दुरसंचार माध्यमों से जनप्रतिनिधियों में जागरूकता अवश्य देखी जा सकती हैं। इसी के परिणाम स्वरूप उनमें निर्णयन की क्षमता का विकास हुआ हैं और जवाबदारियों को निभाने की कला का भी विकास हुआ हैं। फिर भी नेतृत्व के सम्बन्ध में कहा जाए तो पंचायतों में जनप्रतिनिधियों की स्थिति आज भी शोचनीय हैं क्योंकि अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में शिक्षा के अभाव के कारण या तो वे पूर्णत: जागरूक नहीं हो पाये या तो उनमें राजैनीतिक नेतृत्व के प्रति लगाव की कमी हो सकती हैं।

सुझाव :

1. पंचायत राज संस्थाओं को अधिक शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए।
2. ग्रामीण क्षेत्र में राजनीतिक नेतृत्व के लिए उम्मिद्वार खडा होता है वह शिक्षित होना चाहिए।
3. पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और अन्त में पंचायतों पर विश्वास करना होगा, वे गलतियां करेगी और हमारा दृष्टिकोण उनके प्रति उदार होना चाहिए।
4. पंचायती राज संस्थाओं को भूमि सम्बंधी नीतियों में परिवर्तन कर अनुसूचित जनजाति तथा अन्य निर्धन व्यक्तियों को कृषि हेतु भूमि उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सबलोक, संदीप, पंचायती राज में ग्रामीण विकास, अमन प्रकाशन, सागर, 2002, पृ.क्र.-18
2. सिसोदिया, यतीन्द्र सिंह, पंचायत राज एवं अनुसूचित, जाति महिला नेतृत्व, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 2000, पृ.क्र.-101
3. wwww.mobibharatdiscovery.org/india, 31/10/2014
4. वार्षिक रिपोर्ट, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, वर्ष 2013-14, पृ. क्र.-152, 153
5. जोशी, आर.पी. एवं रूपा मंगलानी, पंचायती राज के नवीन आयाम, युनिवर्सिटी बुक हाउस, जयपुर, 1998, पृ.क्र.-61
6. म.प्र. पंचायत राज अधिनियम, खेत्रपाल पब्लिकेशन्स प्रा.लि., इन्दौर, 1998, पृ.क्र.-21

****

भारत में न्यायपालिका – 'कॉलेजियम' व्यवस्था

डॉ. कान्ता अलावा *

प्रस्तावना – वर्तमान में न्यायपालिका की सक्रियता काफी बढ़ी है। न्यायपालिका की सक्रियता बुद्धिजीवियों और राजनीतिज्ञों के बीच चर्चा और विवाद का केन्द्र भी बनी हुई है। भारत में इन दिनों सरकार और न्यायपालिका के बीच टिकी स्थिति उत्पन्न हो गई है। क्या न्यायालय अपनी सीमा–रेखा से बाहर जाकर कार्य कर रही है? क्या न्यायालय सरकार के परामर्श के अनुसार निर्णय देने को बाध्य है? क्या न्यायालय अपने मूल कर्तव्य के प्रति गंभीर हैं? न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कौन करेगा? न्यायालय में इतनी बड़ी संख्या में मामले लंबित क्यों हैं? आदि अनेको ऐसे प्रश्न है, जिन पर गंभीर चिंतन व मनन करने की आवश्यकता हैं।

भारतीय संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 का अनुसरण किया गया है। हमारे यहाँ न्यायालयों की एक ही धारा है। संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों के और राज्य द्वारा बनाए गई विधियों के प्रवर्तन के लिए एक ही न्यायालय में जाना पड़ता है। 1950 में जो संविधान बना था। उसके अनुसार प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश थे। अब वृद्धि क्रमश: 1952 में 10, 1960 में 13, 1977 में 171985 में 25, 2008–09 में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 31 कर दी गई है। संसद को यह शक्ति है कि वह विधि बनाकर न्यायाधीशों की संख्या विहित करें।

न्यायाधीशों की नियुक्ति – सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 124(2) में यह उपबंध है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के और राज्यों उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से '**परामर्श करेगा**' जिनसे वह परामर्श करना आवश्यक समझे। मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से सदैव परामर्श किया जायेगा। राष्ट्रपति मंत्री–परिषद की सलाह पर ही यह कार्य करेगा। संविधान का समुचित उपबंध सादा, सरल और एकार्थी था। जिसमें मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीशों को परामर्शदाता की भूमिका देकर निर्णय का अधिकार कार्यपालिका को दिया गया था।[1] उच्चतम न्यायालय ने भिन्न रीति से निर्वचन किया है। उच्चतम न्यायालय के अग्रांकित तीन निर्णय है:–

1. **न्यायाधीशों वाले पहले निर्णय में** – उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में स्वयं को सर्वशक्तिमान बना लिया है। **मुख्य न्यायमूर्ति से जो परामर्श** की बात कहीं गई थी, उसे सहमति का अर्थ दे दिया गया। जबकि संविधान के उपंबंध में कोई संदिग्धता नहीं थी।
2. **न्यायाधीशों वाले दूसरे निर्णय में –** (9 न्यायाधीश की पीठ) न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की राय के अनुरूप ही की जा सकती है, अन्यथा नहीं। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के दृष्टिकोण को सर्वोपरि मानना होगा। मुख्य न्यायमूर्ति अपने दो ज्येष्ठतम सहकर्मियों के मत पर विचार करेगा और उनकी राय लेना आवश्यक होगा, यह सामूहिक राय होगी।

न्यायाधीशों वाले दूसरे निर्णय के पश्चात् न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिक की भूमिका निर्णायक नहीं है। इस प्रकार न्यायाधीशों के उपबंध को उच्चतम न्यायालय ने एक प्रकार से फिर से लिख दिया है। अनुच्छेद 124 में प्रयुक्त शब्द है **परामर्श करने के पश्चात**। न्यायाधीशों वाले दूसरे निर्णय में इसका अर्थ बदल दिया है, परामर्श का अर्थ **आदेश** हो गया है। कार्यपालिका भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की सलाह मानने के लिए बाध्य है। सब कुछ मुख्य न्यायमूर्ति की राय पर अवलंबित हो गया।

3. **उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 143 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा किए गए निर्देश 4 में** । उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की रॉय सर्वोपरि है। किन्तु न्यायालय ने उसमें यह और जोड़ दिया कि मुख्य न्यायमूर्ति केा उच्चतम न्यायालय के 4 ज्येष्ठतम न्यायाधीशों के मण्डल की राय लेनी होगी। जहाँ न्यायाधीशों वाले दूसरे निर्णय में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को सर्वोपरि स्थान दिया गया था। तीसरे निर्णय में उसे वहां से उठाकर अब चयन मण्डल के अन्य सदस्यों के बराबर कर दिया गया है। इस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के उपंबंध को उच्चतम न्यायालय ने एक प्रकार से फिर लिखकर अपनी शक्ति और अधिकार में वृद्धि कर रहा हैं।

मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति में वरिष्ठता का आधार – अनुच्छेद 124(2) में जिस प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, वह भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को भी लागू होती है। यदि उच्चतम न्यायालय का ज्येष्ठतम न्यायाधीश पद धारण करने के लिए उपयुक्त समझा जाता है तो उसे ही भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। यह अब गुणानुक्रम (मेरिट) के आधार पर चयन का विषय नहीं है। ज्येष्ठता को पहला स्थान, योग्यता को दूसरा स्थान दिया गया है।

संविधान लागू होने की तिथि से यह परम्परा स्थापित की गई है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय सर्वोच्च न्यायालय के 'वरिष्ठतम' न्यायाधीश को ही मुख्य न्यायाधीश बनाया जाए। 1973 तक बिना अपवाद के ज्येष्ठतम न्यायाधीश को मुख्य न्यायमूर्ति के पद पर नियुक्त किया जाता रहा, लेकिन अप्रैल, 1973 में इस परम्परा का प्रथम बार उल्लंघन किया गया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति पर तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों को छोड़कर एक कनिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। बार एसोसिएशनों, अधिवक्ताओं

* विभागाध्यक्ष (राजनीति विज्ञान) शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत

विरोधीदलों और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों ने कांग्रेस सरकार का कड़ा विरोध किया, लेकिन सरकार पर इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। सरकार द्वारा न्यायाधीश की नियुक्ति से न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रहार किया गया हैं, सरकार द्वारा 1977 में पुन: उसी गलती को दोहराया गया। जनता पार्टी के शासनकाल में पुन: वरिष्ठतम न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश बनाने की परम्परा को स्थापित किया। तब से इस परम्परा का अभी तक निर्वाह किया जा रहा हैं

कॉलेजियम व्यवस्था – दुनिया के किसी देश में कॉलेजियम जैसी व्यवस्था नहीं है। भारतीय संविधान में भी कहीं कॉलेजियम की व्यवस्था का उल्लेख नहीं है। इसके लिए कभी संविधान संशोधन भी नहीं किया गया। न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश के परामर्श को लेकर उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों को लेकर संशय की स्थिति को दूर करने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से विधिक राय मांगी। उच्चतम न्यायालय ने अपनी राय में कहा कि मुख्य न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय में किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए अनुशंसा करने से पूर्व उच्चतम न्यायालय के चार वरिष्ठम न्यायाधीशों की कॉलेजियम से परामर्श करना चाहिए। इसी प्रकार उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए किसी न्यायाधीश की अनुशंसा करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा उच्चतम न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों की कॉलेजियम से परामर्श करना चाहिए। कॉलेजियम उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश करता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद नियुक्तियाँ होती हैं।

16 अक्टूबर, 2015 को उच्चतम न्यायालय ने 99 वाँ संविधान संशोधन निरस्त कर पुरानी कॉलेजियम व्यवस्था को पुन: लागू कर दिया। 1993 से कॉलेजियम व्यवस्था का प्रारंभ हुआ जो अभी तक चलती रही है।

कॉलेजियन ही सर्वश्रेष्ठ क्यों ?

उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जिनकी नियुक्तियाँ अभी कॉलेजियम कर रहा है, इस प्रक्रिया में अगर पदोन्नति से न्यायाधीश बनते है तो उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व वरिष्ठ न्यायाधीश ऐसे लोगों के फैसलों का अध्ययन करते हैं, उनकी व्याख्या की जाती है। उसके बाद ही निर्णय होता है। इसी तरह से वकीलों को न्यायाधीश बनाते समय भी यही विशेषज्ञ उनके काम को देखते है, उनकी न्याय के प्रति आस्था और समर्पणता तक को देखा जाता है। ऐसा सिर्फ वे विशेषज्ञ देख सकते है या परख कर जाँच सकते हैं, जो प्रतिदिन उस कार्य से जुड़े होते है। ऐसे में अगर दो ऐसे सदस्य जिनका इस क्षेत्र से लेना–देना नहीं हो और वे वीटो के प्रयोग से विशेषज्ञों के निर्णय को प्रभावित करता है, तो वह न्याय व्यवस्था में दखल होगा।

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग – (एनजेएसी) – भारत सरकार ने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण के लिए संसद ने दिसम्बर, 2014 में 99वाँ संविधान संशोधन अधिनियम बनाकर 13 अप्रैल, 2015 को एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की। इस न्यायिक नियुक्ति आयोग में 6 सदस्य है। –

अध्यक्ष – उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश (पदेन)

सदस्य–सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश(पदेन)

सदस्य – केन्द्रीय कानून मंत्री (पदेन)

सदस्य – दो प्रबुद्ध नागरिक सदस्य है। इनका चयन प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की तीन सदस्यों वाली समिति करेगी।

आयोग गलत इसलिए – छ: सदस्यों का आयोग बनाया गया हैं। इसमें मुख्य न्यायाधीश व दो वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल है। भारत के विधिमंत्री एवं दो और सदस्य बनाए गए। लेकिन अगर कोई भी दो सदस्य भी किसी भी नियुक्ति में अगर वीटो ले आते है, तो वह नियुक्ति नहीं होगी। ऐसे में आयोग के वे दो सदस्य जो न्यायिक क्षेत्र से भिन्न ही होंगे, पहले तो वे होंगे कौन यह भी तय नहीं हैं? अगर वे सदस्य वीटो ले आते है, तो नियुक्तियाँ नहीं होगी। जो पूरी तरह से न्यायपालिका की निजता के विरूद्ध होगा। क्योंकि वे दो सदस्य विधिवेत्ता नहीं होंगे। वह राजनीतिक या शिक्षाविद या अन्य किसी क्षेत्र से हो सकते हैं।

न्यायिक नियुक्ति आयोग और कॉलेजियम के विवाद में अटकी नियुक्तियाँ – देश में न्यायिक व्यवस्था निश्चित ही ध्वस्त हो रही है, लेकिन क्या इसकी जवाबदेही न्यायपालिका पर भी नहीं हैं? पिछले 23 वर्षों से न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था सरकार को स्वीकार्य नहीं है। इस संदर्भ में 31 दिसम्बर, 2014 को सभी दलों की आम सहमति के बाद संसद ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन के लिए एक संविधान संशोधन को मंजूरी दी थी। जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक बताते हुए खारिज कर दिया, उससे तय हो गया कि भविष्य में कॉलेजियम प्रणाली कायम रहेगी। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने अजीब तर्क दिया कि छ: सदस्यीय आयोग में विधिमंत्री की उपस्थिति से न्यायिक स्वायतता समाप्त हो जायेगी। यदि इस तर्क को सही माने तो कॉलेजियम व्यवस्था तो और भी अधिक दोषपूर्ण है, क्योंकि इसमें न्यायाधीश ही न्यायाधीश की नियुक्ति करते है। ऐसा दुनिया के किसी भी अन्य लोकतांत्रिक देश में नहीं है।

कॉलेजियम व्यवस्था के तहत अभी तक यही होता आया है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में वरिष्ठ न्यायाधीश ही सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के लिए अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को अंतिम रूप देते है और राष्ट्रपति इसे मंजूरी देते है। इसलिए इस व्यवस्था को पारदर्शी और अधिक जवाबदेह बनाने की सर्वोच्च न्यायालय की पहल बेहद अहम है। क्योंकि नियुक्ति में भाई–भतीजावाद, अयोग्य उम्मीद्वारों का चयन, योग्य न्यायाधीशों को पदोन्नति न मिलना एवं सबसे बड़ी शिकायत निर्णयों में पारदर्शिता के अभाव की रही है। अन्तत: फैसला कॉलेजियम के सदस्य न्यायाधीशों की निजी पसंद–नापसंद के आधार पर होता है। एनजेएसी के गठन के लिए संविधान संशोधन पर संपूर्ण राजनीतिक सहमति बनी तो उसके पीछे ऐसे ही आरोप थे। मगर सर्वोच्च न्यायालय ने उस संशोधन को संविधान के बुनियादी ढ़ांचे के खिलाफ माना और उसे रद्द कर दिया। लेकिन सरकार का मत है कि सर्वोच्च और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया और पात्रता तय करने का हक संसद का है।

उपसंहार – संविधान के अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से सलाह–मशविरे के आधार पर ही राष्ट्रपति अंतिम निर्णय लेंगे। जाहिर है सरकार और संसद सर्वोपरि है और सुप्रीम कोर्ट की भूमिका सिर्फ सलाहकारी है। ऐसे में सरकार और सर्वोच्च न्यायालय को मिलकर काम करना होगा और यह प्रयास करना होगा कि न्यायाधीश के रूप में सर्वोत्तम व्यक्ति की ही नियुक्ति हो। न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में अकेले सर्वोच्च न्यायालय को

एकाधिकार मिलना आज की तिथि में स्वीकार्य नहीं हो सकता। ऐसे बीच का रास्ता क्या हो, इस पर स्वयं सर्वोच्च न्यायालय को ही विचार करना होगा अर्थात दोनों की भागीदारी आवश्यक है। संविधान निर्माताओं की मूल भावना भी यही थी कि लोकतंत्र के दो प्रमुख स्तंभों के बीच किसी तरह का टकराव न हो।[7]

संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. ब्रजकिशोर शर्मा - 'भारत का संविधान एक परिचय' - नौवां संस्करण 2012, पृष्ठ 248-250
2. वही, एस.पी.गुप्ता बनाम भारत संघ, ए.आई.आर.1982 एस.सी.149/ 1981 सप.एस.सी.सी.87पृष्ठ 248
3. वही, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स बनाम भारतीय संघ (1993) 4 एस.सी. सी.441, पृष्ठ 248
4. वहीं, 1998 का विशेष निर्देश सं.1 (1998) 7 एस.सी.सी.739, पृष्ठ 249
5. प्रतियोगिता दर्पण - राजनीति विज्ञान- विशेषांक 2016, पृष्ठ 136
6. दैनिक भास्कर, शनिवार, 17 अक्टूबर, 2015, पृष्ठ 1, 3
7. सुभाष कश्यप - 'संसद के अधिकारों में दखल' दैनिक नई दुनिया, शनिवार, 17 अक्टूबर, 2015, पृष्ठ 8

****

गाँधी एवं सत्याग्रह

डॉ. संजय कुमार यादव *

प्रस्तावना – मोहनदास करमचन्द गांधी का जन्म 2 अक्टूबर, 1869 को काठियावाड (पोरबंदर, गुजराज) में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचन्द गांधी था एवं माता का नाम पुतली बाई था। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम कस्तुरबा गांधी था। महात्मा गांधी युग दृष्टा व युग पुरूष कहे जाते है उन्होंने अपने काल की चिरन्तन समस्याओं का चिरकाल हल निकाला है उनके विचार कालजयी सिद्ध हुए। गांधी न केवल भारत के ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं बल्कि सम्पूर्ण विश्व में उनकी प्रतिष्ठा है। वर्तमान समय में गांधी दर्शन व गांधीवादी साधनों की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिकता एवं महत्व बढ़ता ही जा रहा है। आज सम्पूर्ण विश्व में मानवीय मूल्यों, स्वतंत्रता, समानता, सत्य, अंहिसा और बंधुत्व का लोप होता जा रहा है तथा इसके स्थान पर असत्य, हिंसा एवं पशु बल का उत्थान हो रहा है, व्यक्ति व्यक्ति में कटुता और अविश्वास की भावना बलवती होती जा रही है। आज मानवीय सभ्यता विनाश के उस कगार पर पहुंच गई है, जहां चन्द क्षणों में ही सदियों से विकसित सभ्यता एवं संस्कृति का पल भर में ही अंत हो सकता है। ऐसे में हिंसा से आतंकित एवं अशान्त विश्व के समक्ष गांधी जी ने सत्य एवं अंहिसा पर आधारित सत्याग्रह पद्धति को अन्याय के विरूद्ध परम्परागत पद्धतियों की तुलना में एक बेहतर विकल्प प्रस्तुत किया है।

आज सम्पूर्ण विश्व में सभी अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर गांधी जी का नाम प्रमुख रूप से लिया जा रहा है। देश व विदेश में सभी नेता एवं लोग कमोबेश किसी न किसी रूप में गांधी दर्शन व विचारधारा से बहुत प्रभावित है जो भी नेता या लोग अपने-अपने आन्दोलनों की तुलना गांधीवादी आन्दोलनों से कर बैठते हैं। वर्तमान समय में विभिन्न देशो में गांधी जी की मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है, जैसे आस्ट्रेलिया में, 16 मार्च 2015 को विश्व की प्रथम संसद (ब्रिटेन) में महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण किया तथा 12 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जर्मनी (हैनुवर) में गांधी जी की मूर्ति का अनावरण करते हुए कहा कि सम्पूर्ण विश्व में यदि शांति स्थापित करनी है तो हमें गांधीवादी साधनों, सिद्धांतों एवं दर्शन को अपनाना होगा। इससे पता चलता है कि आज के परमाणु युग एवं वैश्वीकरण के युग में गांधी के दर्शन की क्या प्रासंगिकता है।

उदारीकरण, निजीकरण और भुमण्ड़लीकरण के इस युग में सामाजिक मूल्यों को चुनौती मिल रही है। समाज टूट रहा है, संस्कृति का क्षरण होता जा रहा है, ऐसे में गांधी के सत्य व सत्याग्रह जैसे विचारों की महत्ता अपने आप ही बढ़ जाती है। आज भारतीय समाज व राजनीति के शुद्धीकरण के लिए गांधी व उनके सत्याग्रह की आवश्यकता है। सत्याग्रह ने भारतीय राजनीति को मर्यादित रखने में अहम भूमिका निभाई है। अत: सम्पूर्ण विश्व में यदि मानवता शांति एवं भाईचारा रखना है। तो हमें गांधीवादी सिद्धातों एवं दर्शन को अपने जीवन में ढालना होगा।

अत: गाँधी दर्शन (सत्याग्रह) से सामाजिक मूल्यों व भारतीय संस्कृति की प्रवृतियों को पुन: प्रतिष्ठित करना है। विश्व में शांति एवं सौहार्द कायम रखने के लिए सत्याग्रह की आवश्यकता स्वयं सिद्ध है। राष्ट्र की राजनीतिक समस्याओं को हल करने में सत्याग्रह की बड़ी भूमिका हो सकती है, जो वर्तमान समय में बहुत आवश्यक है।

कुछ आलोचकों एवं विद्धानों का मत है कि महात्मा गाँधी के सत्याग्रह की अवधारणा अपना महत्त्व खोती जा रही है। तथा वर्तमान परमाणु युग में इसकी प्रासंगिकता समाप्त होती जा रही है। भूमण्डलीकरण वैश्वीकरण एवं उदारीकरण के इस युग में गाँधी के विचारों कि सार्थकता नहीं रही है। तथा सत्याग्रह अपना महत्व खोता जा रहा है। यह सही है कि वर्तमान विश्व व्यवस्था में सत्याग्रह कि अवधारणा का विभिन्न लोगों एवं नेताओं तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपने सीमित लाभ के लिए सत्याग्रह जैसे पवित्र एवं सत्य पर आधारित सिद्धांतों का समय-समय पर काफी सीमा तक दुरूपयोग किया है यह कमी गाँधी के सिद्धांतों में नहीं अपितु करने वाले लोगों में है। जो इसका दुरूपयोग करते है जैसे [1]भारत में जिस व्यक्ति ने वास्तव में अनशन किया गाँधी जी जैसी आन्तरिक शक्ति का परिचय दिया है वह राष्ट्रीय पटल पर कहीं नहीं है। जो पिछले 12 साल से आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट हटाए जाने को लेकर अनशन जारी है। जबकि आन्ध्रप्रदेश के नेता के चन्द्रशेखर राव (के.सी.आर.) ने दिसम्बर 2009 में अपना अनशन जारी कर अलग से तेलांगाना राज्य की मांग कर दी, जिसके सामने केन्द्र सरकार झुकते हुए मात्र 9 दिन में पृथक तेलांगना राज्य के निर्माण की घोषणा कर दी तथा सम्पूर्ण देश में चन्द्र शेखर राव राष्ट्रीय प्रिंट मिडिया व इलेक्ट्रोनिक मिडिया की सुर्खिया बटोरते रहे। विडम्बना यह है कि जिस व्यक्ति ने गाँधी के समान अनशन करने की आन्तरिक शक्ति का परिचय दिया वह राष्ट्रीय टी.वी. के नक्शे पर कहीं नहीं है। पिछले 12 साल हो गए है। इम्फाल के एक अस्पातल के एक कमरे में कैद इरोम शर्मिला चानू को सरकार द्वारा जबरदस्ती नली से खाना खिलाया जाता है। अत: इरोम शर्मिला शांतिपूर्ण प्रतिरोध की गाँधीवादी विरासत की सच्ची वाहक हैं। के सी.आर. सिर्फ एक महत्त्वाकांक्षी नेता है।[1] जो अपने कैरियर को पुन: सुधारना चाहते है। ऐसे कई उदाहरण जो सामने आए हैं। भारत में वर्तमान समय में अन्ना हजारे अरविन्द केजरीवाल व अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह का सहारा लेकर राजनीति में घुसने की कोशिश कि गई जिसका गाँधी के सत्याग्रह में कोई स्थान नहीं है। जहां पर गाँधी जी के वास्तविक सत्याग्रह का प्रयोग शांतिपूर्वक तरीके से किया जा रहा है। वहीं सरकार ध्यान तक नहीं देती है ? बल्कि उसको दण्ड दिया जाता है और दूसरी तरफ कुछ लोग राजनीतिक

* शोधार्थी, मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

पहुंच को माध्यम बनाकर उपवास, अनशन का गाँधीवादी तरीकों से करार देते हुए अपनी मांगों को सरकार से मनवा लेते है। यह गाँधी जी का सत्याग्रह नहीं है।

सत्याग्रह का प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति अपने लाभ के लिए करेगा, तो वह सत्याग्रह का असली रूप नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में निम्न कारणों पर यदि ध्यान दिया जाए तथा इसका विश्लेषण किया जाए तो वर्तमान समय में भी इसके सत्याग्रह कि प्रासंगिकता नजर आती है।

वर्तमान में सत्याग्रह के रूप – सत्याग्रह एक प्राचीन अवधारणा है, जैसा कि गाँधी ने कहा था कि सत्य और अहिंसा उतने ही पुरातन मूल्य है, जितने कि नदी व पहाड़ अर्थात सत्याग्रह गाँधी की मौलिक अवधारणा नहीं है, किन्तु गाँधी द्वारा इस संकल्पना को एक स्वरूप प्रदान किया गया। गाँधी ने जिस सत्य, निष्ठा व ईमानदारी से 'सत्याग्रह' का प्रयोग सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक समानता और स्वतन्त्रता के लिए किया वह न केवल प्रवर्तनीय है वरन उसमें सफलता भी मिली है। जैसे चौरी-चौरा कांड (5 फरवरी 1922) के कारण चरम पर चल रहे असहयोग आन्दोलन को स्थगित कराना। नौआखली (बंगाल) में हुए दंगों में 'उपवास (सत्याग्रह का एक रूप) रखकर शांति की स्थापना करना। दाण्डी मार्च (12 मार्च 1930) या नमक कानून तोड़कर राष्ट्र को एकजुट कर 'अन्याय का' सफलता पूर्वक विरोध कर ब्रिटिश सरकार को विमर्श पर मजबूर करना।

इन्हीं कतिपय कारणों से गाँधी के सत्याग्रह को मानक माना जाता है और भारत में जब भी कोई आन्दोलन या धरना प्रदर्शन उपवास आदि होते हैं, तो उन्हें 'गाँधीवादी सत्याग्रह' का नाम दे दिया गया है।

अत: सत्याग्रह एक कालजयी अवधारणा है, सामान्यत: भारत में इसे गाँधीय सत्याग्रह के नाम से ही जाना जाता है। इसलिए भारत में होने वाले तमाम सत्याग्रही आन्दोलनों को गाँधीवादी चश्मे से ही देखा जाता है। इसलिए गाँधी के सत्याग्रह की प्रासंगिकता का प्रश्न उठता है। इसका यह अर्थ कतई नहीं है कि हम गाँधी के योगदान का मूल्यांकन करके सन्तुष्ट हो जाए वरन इसका यह आशय है कि गाँधी द्वारा किए गए सत्याग्रह जैसे अनेक आन्दोलनों की आज भी महती आवश्यकता है। हम पुन: सत्याग्रह का प्रयोग करके वर्तमान सामाजिक समस्याओं का समाधान कर सकते है।

- वर्तमान में भारत में अनेक आन्दोलन हुए हैं, जिन्हें गाँधीवादी आन्दोलन का नाम दिया जाता है जैसे – [2]पूर्वोत्तर राज्यों (मेघालय मणिपुर) में भारत सरकार द्वारा एक कानून बनाया गया, जिसमें सेना को सन्देह के आधार पर किसी को भी बंदी बनाकर पूछताछ करने और मुकदमा चलाने का अधिकार दिया गया। इसे आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पॉवर एक्ट कहा जाता है। वहाँ की एक युवती इरोम शर्मिला चानू ने इस एक्ट के खिलाफ आमरण अंनशन किया, उनका यह अनशन विगत 12 वर्षो से जारी है, इन 12 वर्षो से उन्हें सरकार द्वारा नली के माध्यम से आहार दिया जा रहा है। हाल ही में उन्हें लेखक गणों ने पुरूस्कृत करना चाहा, जिसे उन्होंने लेने से इंकार कर दिया। इसे एक सत्याग्रह के रूप में पहचान मिली।[2]
- आन्ध्र प्रदेश के ख्याती नाम नेता के. चन्द्र शेखर राव ने (2009) पृथक तेलंगाना राज्य की मांग की। इस हेतु उन्होंने 9 दिन का उपवास रखा कांग्रेस सुप्रीमों द्वारा इस मांग को मान लिया गया। इसे भी सत्याग्रह का एक रूप माना गया।
- अगस्त 2011 में दिल्ली में सिविल सोसायटी के नुमाइन्दों (श्री अन्ना हजारे और अरविन्द केजरीवाल आदि ने जनलोकपाल को लागू करने के लिए सरकार से आग्रह किया और उपवास भी रखा। यद्यपि सरकार ने उन्हें आश्वस्त किया और विशाल जन आन्दोलन स्थगित हुआ। इसे भी एक सत्याग्रह का रूप माना जाता है।
- [3]मध्य प्रदेश (अक्टूबर 2012) में सत्याग्रह का एक नया व अनोखा आन्दोलन हुआ। यह एक कृषक आन्दोलन था जो जल-जंगल और जमीन के लिए किया गया था इसमें वहाँ के कृषक पानी के अन्दर उकडू (घूटने के बल) बैठकर निरन्तर अनशन करते रहे। इसे 'जल सत्याग्रह कहा गया।

इसके अतिरिक्त भी भारत में अनेक ऐसे आन्दोलन हुए है, जिन्हें सत्याग्रह के रूप में चित्रित व उपस्थित किया जाता है। किन्तु ये सभी आन्दोलन एक विमर्श के अधीन है, इन पर बहस व चर्चा की जानी चाहिए। उपर्युक्त आन्दोलन में से जहाँ तक इरोम शर्मिला चानू का सत्याग्रह है। वह उचित माना जा सकता हैं क्योंकि इसमें सत्याग्रह का कोई न लाभ न लोभ दृष्टीगोचर नहीं होता है। इस आन्दोलन की अपनी निरंतरता भी है।

दूसरी ओर के. चन्द्रशेखर राव और श्री अन्ना हजारे के आन्दोलन में दबाव की राजनीति है।[4] गाँधी किसी भी बात के लिए सहज स्वीकृति के पक्षधर थे अर्थात हृदय परिवर्तन के पक्षधर थे जबकि इन दोनों आन्दोलनों तेलंगाना व जनलोकपाल में न तो जनता का हृदय परिवर्तन हुआ और न सरकार का। इस आन्दोलन में अपने वचनों व कार्यो से हिंसा हुई है।[4]

मध्यप्रदेश का 'जल सत्याग्रह' उचित माना जा सकता है क्योंकि यह आन्दोलन सत्याग्राहियों की रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है। किन्तु इस प्रकार के आन्दोलनों को किसी सीमा में नहीं बांधना चाहिए। क्योंकि सत्य अनन्तकाल तक चलने वाला मील का पत्थर है, तो आन्दोलन भी एक कालावधि में बार-बार हो सकने वाले है। सरकार या किसी संस्था को समय सीमा में बांधकर 2-3 दिन या 10-15 दिन कि मौहलत देकर अपनी मांगे मनवाना, सत्याग्रह की मूल भावना के विरूद्ध है तथा सरासर धमकी है। जो कि हिंसा का प्रतीक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अनशन की ताकत 14 दिसम्बर, 2010
2. जनसत्ता एवं दैनिक भास्कर अक्टूबर, 2012
3. कुमारप्पा जे.सी-गॉधी आन्दोलन क्यों ? अखिल भारतीय सेवा संघ वाराणासी-1960
4. हरिभाऊ उपाध्याय-बापू कथा सर्व सेवा संग वाराणासी - 1969

****

महात्मा गाँधी एवं सत्य की अवधारणा

डॉ. संजय कुमार यादव *

प्रस्तावना – महात्मा गांधी ने जीवन–पर्यन्त सत्य को सर्वोपरि माना है। क्योंकि सत्य ही उनके जीवन के समस्त कार्यों के अन्तिम लक्ष्य और नैतिकता की कसौटी पर खरा उतरा। गोपीनाथ धावन ने **'दी पालिटीकल फिलोसफी ऑफ महात्मा गांधी'** में गांधीजी के सत्य के संबंध में लिखा है कि 'सत्य का सिद्धान्त केवल मात्र भाषण के सत्य तक सीमित नहीं हैं, इसमें कर्म का सत्य भी निहित है। विचार या चिन्तन का सत्य भी समान रूप से महत्वपूर्ण है।'सत्य गांधीजी के जीवन दर्शन का आधार है, जिसका जीवन के समस्त क्रियाकलापों में प्रथम स्थान है।

सत्य का अर्थ – सत्य शब्द का प्रादुर्भाव 'सत्' से हुआ है, जिसका आशय है– किसी वस्तु का अस्तित्व में होना। गांधीजी का विचार था कि संसार में सत्य का अस्तित्व कुछ भी नहीं है, जहां तक ज्ञान है और जहां ज्ञान का अभाव है, सत्य वहां ठहर ही नहीं सकता है।

हमारे लिए वही सत्य है, जो दूसरे से पृथक किया जा सके तथा जिस पर विचार करना संभव हो। अर्थात सत्य तार्किक दृष्टि से प्रमाणित और अप्रमाणित हो सकता है। यदि हम किसी विशेष समय में एक विशेष अर्थ रखते हुए कोई कथन कहते और फिर दूसरे कथन में पहले कथन का अर्थ रखते हुए कुछ कहते हैं, तो ऐसे संगत वाक्यों को सत्य से विभूषित किया जा सकता है। इसके विपरीत यदि हम हर क्षण अपने कथनों का अर्थ बदलते रहे तो ऐसे असंगत वाक्यों को असत्य कहा जायेगा। परन्तु सत्य का यह अर्थ उचित नहीं हैं। इसे हम आत्म–संगति या आत्म–सामंजस्य कह सकते है। तर्क शास्त्र में सत्यता संगति और यथार्थवाद तीनों अलग–अलग अर्थ रखते हैं। संगति का अर्थ दो कथनों के आपसी संबंध में देखा जा सकता है। सत्यता और असत्यता किसी प्रतिज्ञप्ति के गुण है, परन्तु यथार्थता और अयथार्थता किसी भी तर्क प्रणाली के धर्म होते हैं। इस प्रकार इस अर्थ में सत्य, ज्ञान, धर्म हो सकता है। सत्य के इस अर्थ को ज्ञानमीमांसीय अर्थ कहते हैं।

सत्य का दूसरा अर्थ – वास्तविक सत्ता से है। इस अर्थ में सत्य तत्वमीमांसीय हो जाता है। यह सभी प्रकार की सत्ता के मध्य रहने वाली निरपेक्ष सत्ता का सूचक है। इसके अन्तर्गत सापेक्ष सत्य भी आ जाता है, परन्तु अस्तित्ववादियों के सत्य की भांति सत्य केवल देशकालिक सत्य नहीं है। इन दो अर्थों के अतिरिक्त सत्य का एक मूल्यात्मक अर्थ भी है। इस दृष्टि से यह एक प्रकार के नैतिक मूल्य का सूचक है। इस प्रकार उपर्युक्त तीनों अर्थों को समक्ष रखने पर, सत्य के तीन विपरीतार्थक शब्द हो जाते है– असत्य, आभास और झूठ।

गांधीजी की सत्य की धारणा इन तीनों अर्थों में व्यक्त होती है। जब गांधीजी सत्य की व्युत्पत्ति संस्कृत के 'सत्' शब्द से करते हैं, और इसका अर्थ 'निरपेक्ष सत्ता' लेते हैं, तो वे सत्य का प्रयोग तात्विक अर्थ में करते हैं, जब वे सत्य को परिभाषित करते हुए उसे अन्तरात्मा में स्थित ईश्वर की वाणी मानते हैं, तो वहां वे सत्य का प्रयोग नैतिक मूल्य के अर्थ में करते हैं। भारतीय प्रत्ययवादी दार्शनिक अवधारणा में ज्ञान और तत्व का ऐक्य स्वीकार किया गया है। अत: जो चरम तत्व है वह ज्ञान स्वरूप भी है। गांधीजी सत्य को ज्ञान मानते थे। इसे ज्ञानमीमांसात्मक प्रयोग कहते हैं। परन्तु यह अर्थ आधुनिक तर्क शास्त्र से भिन्न अर्थ है क्योंकि गांधीजी ज्ञान के लिए केवल निर्णय को ही पर्याप्त नहीं मानते थे। अत: गांधीजी का सत्य किसी निर्णय का धर्म नहीं बल्कि स्वत: ज्ञान स्वरूप है।

गांधीजी कहते हैं कि सत्य ही ईश्वर है। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा कि सत्य वही है, जिसकी सत्ता होती है। ईश्वर की सत्ता तीनों कालों में व्याप्त है, अत: वह सत्य है। उनके अनुसार सत्य, शिव और सुन्दर में भेद नहीं किया जा सकता। ईश्वर को वे इन तीनों की त्रयी मानते थे अर्थात् गांधीजी ने कला के लिए कला सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया। वे ऐसी परिपूर्ण कला की बातें करते थे– उस सच्ची कला से जिससे सुख–संतोष और कलाकार के जीवन की सात्विकता प्रकट होती हो।

गांधीजी ने अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में सत्य के साथ निरन्तर प्रयोग किए। उन्होंने लिखा था 'स्वभाव से ही सत्य स्वयंप्रकाश है जैसे ही अविद्या रूपी आवरण हट जायेगा वैसी ही सत्य रूपी सूर्य पुन: प्रकाशित हो उठेगा।'[1] सत्यान्वेशण के लिए आत्मशुद्धि आवश्यक है। गांधीजी प्राचीन हिन्दू नीति शासन के आधार पर कहते थे कि व्यक्ति जब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान और माया के प्रभाव में रहेगा, वह सत्य का दर्शन नहीं कर सकता। जो स्वयं नैतिक रूप से शक्तिमान हो, वही सत्य को जान सकता है।

गांधीजी के अनुसार निरपेक्ष सत्य का अर्थ है वह जो वास्तव में है या जिसकी सत्ता है। उनका मत है कि ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य समस्त तत्व नश्वर है इसलिए उनकी सत्ता वास्तविक नहीं है अत: ब्रह्म या ईश्वर को ही निरपेक्ष सत्य के रूप में समझा जा सकता है। गांधी के अनुसार निरपेक्ष सत्य सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान और शाश्वत होता है। इस निरपेक्ष सत्य को गांधी ने इतना महत्वपूर्ण माना कि ईश्वर ही सत्य है की अपेक्षा उन्होंने सत्य ही ईश्वर कहना अधिक उपयुक्त समझा। गांधीजी के मत में व्यक्ति निरपेक्ष सत्य की ओर बढ़ने के लिए सापेक्ष सत्य को माध्यम बना सकता है। उन्होंने सापेक्ष सत्य अन्तरात्मा की पुकार, अथवा किसी समय–विशेष में किसी विशेष परिस्थिति के विषय में निर्मल हृदय से सोची हुई बात के रूप में परिभाषित किया है। उनके अनुसार 'सापेक्ष सत्य', 'निरपेक्ष सत्य का निषेध नहीं करता। वस्तुत निरपेक्ष सत्य में विश्वास रखते हुए, सापेक्ष सत्य पर दृढ़तापूर्वक चलकर ही व्यक्ति, निरपेक्ष सत्य को प्राप्त कर सकता है।

* शोधार्थी, मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

अहिंसा की भांति सत्य को भी गांधीजी मनुष्य के लिए अनिवार्य नैतिक नियम के रूप में स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा है कि जो तथ्य जिस रूप में देखा, सुना, जाना या अनुभव किया गया है, उसे उसी रूप में– कोई परिवर्तन अथवा संशोधन किए बिना– व्यक्त करना ही सत्य है। दूसरे शब्दों में अपने वचन अथवा कर्म द्धारा किसी प्रकार का छल न करना और छल करने का विचार भी न करना सत्य के व्रत का पालन करने के लिए अनिवार्य है। इस प्रकार सत्य सभी प्रकार के मिथ्या आचरण का पूर्णतया निषेध करता है। यही कारण है कि गांधीजी सत्य को अत्यधिक महत्व देते थे और सदैव इसके अनुसार निष्ठा पूर्वक आचरण करना अनिवार्य मानते थे। उनका सम्पूर्ण जीवन इसका साक्षी है कि वे स्वयं सत्य का सदैव दृढ़ता पूर्वक पालन करते रहे और अनेक कष्ट सहन करने पर भी उन्होंने इसका त्याग नहीं किया। उनके समस्त राजनीतिक एवं सामाजिक कार्य मूलत: सत्य पर ही आधारित थे। इसी कारण वे अपने उस आंदोलन को सत्याग्रह कहते थे, जो उन्होंने सामाजिक तथा राजनीतिक समस्याओं का समाधान करने के लिए आरंभ किया था। स्वयं सत्य का दृढ़ता पूर्वक पालन करने तथा उसमें अखण्ड श्रद्धा रखने के कारण गांधीजी किसी भी रूप में अथवा किसी भी दशा में सत्य का उल्लघंन करना उचित नहीं मानते थे। उनका कथन है कि 'गाय को बचाने के लिए झूठ बोलना चाहिए या नहीं, ऐसी समस्याएं उठा कर दैनिक जीवन में सत्य की उपेक्षा करना अथवा उसके महत्व को कम करना अनुचित है। मनुष्य को ऐसे गहरे प्रश्नों में न उलझकर अपने दैनिक व्यवहार में दृढ़ता पूर्वक सत्य के अनुसार आचरण करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ही सत्य की वास्तविक साधना संभव है। यदि मनुष्य अपने व्यावहारिक जीवन में सत्य का दृढ़ता पूर्वक पालन करे तो उसे इस समस्या का समाधान स्वत: प्राप्त हो जायेगा कि किसी कठिन अवसर पर वास्तव में उसका क्या कर्त्तव्य है।'[2]

सत्य का महत्व – मानव के अंत:करण तथा आचरण की शुद्धि के लिए सत्यानुकरण अनिवार्य है। अहिंसा की भांति सत्य कोई नवीन सिद्धान्त नहीं है क्योंकि इसका प्रतिपादन भी भारतीय मनीषियों ने बहुत प्राचीन काल में ही कर लिया था। वेदों में सत्य की महिमा का वर्णन मिलता है। उदा.– ऋग्वेद में कहा गया है कि 'सम्पूर्ण सृष्टि के उत्पन्न होने से पूर्व ऋत् तथा सत्य की उत्पत्ति हुई और सत्य से ही पृथ्वी, आकाश, वायु आदि पंच महाभूत उत्पन्न हुए।'[3] इसी प्रकार महाभारत में सत्य को ही सबसे बड़ा धर्म माना गया है और कहा गया है कि 'यदि सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञों से सत्य की तुलना की जाए तो उनकी अपेक्षा सत्य का महत्व ही अधिक होगा।'[4] हिन्दू धर्म की भांति संसार के अन्य धर्मों में भी सत्य को अत्यधिक महत्व दिया गया है और यह कहा गया है कि मनुष्य को सदैव सत्य के अनुसार आचरण करना चाहिए। इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि अहिंसा की भांति सत्य ही प्राय: सभी धर्मों का मूल आधार तथा सार तत्व है।

गांधीजी ने तो सभी व्रतों की अपेक्षा सत्य को ही अधिक महत्व दिया है और इसे साध्य मानकर अन्य सभी व्रतों को इसकी प्राप्ति का साधन माना है। वस्तुत: यदि सत्य को उनके सम्पूर्ण नैतिक दर्शन का प्राण कहा जाएं तो अनुचित न होगा क्योंकि उनके विचार में सम्पूर्ण नैतिक सिद्धान्त मूलत: सत्य पर ही आधारित हैं। उनके मतानुसार सत्य ही ईश्वर है। उसी में ज्ञान तथा आनंद निहित है और उसी के कारण सम्पूर्ण जगत का अस्तित्व है।

शब्दोत्पत्ति की दृष्टि से सत्य की व्याख्या और दार्शनिक दृष्टि से उसके महत्व का विवेचन करते हुए गांधीजी ने लिखा है कि सत्य शब्द सत् से बना है। 'सत् का अर्थ है– अस्तित्व। सत्य के अतिरिक्त किसी दूसरी वस्तु की सत्ता नहीं है। परमेश्वर सत्य है, यह कहने की अपेक्षा सत्य ही परमेश्वर है कहना अधिक उचित है। सत्य के साथ शुद्ध ज्ञान अवश्यंभावी है। जहां सत्य नहीं है, वहां शुद्ध ज्ञान की संभावना नहीं है। इससे 'ईश्वर' नाम के साथ चित् अर्थात् ज्ञान शब्द की योजना है और जहां ज्ञान है, वहां आनंद की शाश्वतता होती है। इसी कारण ईश्वर को हम सच्चिदानंद कहकर पहचानते हैं।'[5] इस उदाहरण से स्पष्ट है कि दार्शनिक दृष्टि से गांधीजी सत्य का समस्त नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का आधार और सर्वव्यापक तथा निरपेक्ष तत्व मानते हैं।

उक्त दार्शनिक अर्थ के अतिरिक्त सत्य का नैतिक अर्थ भी है और वह है– मन, वचन, कर्म से जीवन में सदैव सत्य के अनुसार आचरण करना अर्थात् जो सत्य जिस रूप में देखा, सुना या अनुभव किया गया है, उसे उसी रूप में व्यक्त करना। इस नैतिक दृष्टि से ही गांधीजी ने मनुष्य को अनिवार्य व्रत के रूप में सत्य का पालन करने का उपदेश दिया वे स्वयं भी अपने जीवन में सत्य का दृढ़ता पूर्वक पालन करते रहे और अनेक कष्ट सहन करने पर भी उन्होंने इसका त्याग नहीं किया। उनके समस्त राजनीतिक एवं सामाजिक कार्य मूलत: सत्य पर ही आधारित थे। गांधीजी स्वयं सत्य का दृढ़ता पूर्वक पालन करने तथा उसमें अखण्ड श्रद्धा रखने के कारण किसी भी रूप में अथवा किसी भी दशा में सत्य का उल्लंघन करना उचित नहीं मानते थे।

दार्शनिक दृष्टि से सत्य को निरपेक्ष तत्व मानते हुए भी गांधीजी ने नैतिक दृष्टि से उसकी सापेक्षता को स्वीकार किया है। वे यह मानते थे कि जो एक के लिए सत्य है, वही दूसरों के लिए असत्य हो सकता है। अत: किसी व्यक्ति को सत्य के संबंध में बलपूर्वक अपने विचार मनवाने के लिए अन्य व्यक्तियों को कभी बाध्य नहीं करना चाहिए। क्या सत्य है और क्या असत्य, इसका निर्णय व्यक्ति स्वयं ही अपने विवेक बुद्धि द्धारा कर सकता है।

जीवन में सत्य का दृढ़ता से पालन करने के लिए गांधी जी अनेक सुझाव प्रस्तुत किए हैं, उनका कहना है कि सत्य की साधना करने वाले व्यक्ति को मनसा, वाचा, कर्मणा किसी भी प्रकार के असत्य का आश्रय कभी नहीं लेना चाहिए और निरन्तर सत्य के अनुसार आचरण करने का अभ्यास करना चाहिए। इसके अतिरिक्त सत्य का पूर्ण रूप से पालन करने के लिए मनुष्य को यथा संभव कम बोलना चाहिए और अतिशयोक्ति, पक्षपात, तथ्यों को छुपाने या परिवर्तित करने का कभी प्रयत्न नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसा करना स्पष्टत: सत्य का उल्लघंन करना है। सत्य का पालन करने के लिए, मौन को आवश्यक मानते हुए उन्होंने कहा कि 'सत्य के पुजारी के लिए मौन का सेवन उचित है, थोड़ा बोलने वाला बिना विचारे न बोलेगा, अपने प्रत्येक शब्द को तोलेगा।'[6] इस उदाहरण से स्पष्ट है कि गांधीजी ने अहिंसा की भांति सत्य की भी बहुत व्यापक व्याख्या की है और केवल वाणी द्धारा ही नहीं प्रत्युत विचार तथा कर्म द्धारा भी सत्य के अनुसार आचरण करना अनिवार्य माना है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. यंग इंडिया, 3, पृ. 222.
2. हरिजन, 7 सित्मबर, 1935.
3. नवजीवन 31 मार्च, 1929.
4. प्रेमबेन कंटक को लिखा पत्र, 5 फरवरी, 1932
5. कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, खण्ड, 50, पृ. 207.
6. हरिजन, 19 दिसम्बर, 1936

****

परिवर्तनों का युग - सल्तनत युग

डॉ. शुक्ला ओझा *

प्रस्तावना - परिवर्तन समाज का शाश्वत नियम है। समाज में परिवर्तन प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक अथवा आधुनिक सभी प्रकार के समाजों की विशेषता रही है, भले ही उसकी गति कहीं तीव्र तो कहीं मंद हो सकती है। समूह के आकार में वृद्धि, शासन एवं अर्थव्यवस्था में परिवर्तन सामाजिक संरचना का रूपान्तरण, धार्मिक विश्वासों का नवीन महत्व, विज्ञान दर्शन का विकास, युद्ध एवं आपदा इत्यादि ऐसे तत्व हैं, जो परिवर्तन के कारक बनते हैं। एक समाज का राजनैतिक ढांचा बहुधा परिवर्तित होता रहता है। परिवर्तन एक व्यापक प्रतिक्रिया है। प्राय: राजनैतिक ढांचे का बदला हुआ स्वरूप ही सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, नैतिक एवं भौतिक परिवर्तनों का आधार बनता है। सभी समाजों में मूलभूत संरचना हर वक्त परिवर्तन के दौर से गुजरती रहती है। भारतीय इतिहास में ऐसे ही अनेकानेक परिवर्तन सल्तनत काल में विशेषत: दिखाई देते हैं।

सन् 1192 ई. के तराइन के युद्ध में राजपूतों पर मोहम्मद गौरी की विजय को भारतीय इतिहास का परिवर्तन कारक वर्ष माना जाता है। इसके बाद ही भारत में तुर्क शासन एवं दिल्ली सल्तनत की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। सन् 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी द्वारा विजित प्रदेश पर दिल्ली सल्तनत की नींव रख दी जो सन् 1526 ई. तक रही। यहीं से भारत के इतिहास में अर्थात सन् 1206 ई. से लेकर 1739 तक का काल मध्यकाल माना जाता है, जो मुस्लिम शासन का युग था। जिसमें सल्तनत एवं मुगल काल दोनों ही सम्मिलित हैं। सल्तनत काल में भारत के इतिहास में यह प्रथम अवसर था जबकि यहां स्थायी रूप से विदेशी शासन एवं मुस्लिम शासन स्थापित हुआ था। यह शासन पूर्णत: इस्लामी कानून शरिअत पर आधारित होने के कारण पिछली राजव्यवस्था से नितान्त भिन्न था। इसके कारण देश की राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक इत्यादि सभी व्यवस्थाओं में परिवर्तन आये। यही कारण है कि सल्तनत युग को यदि परिवर्तन का युग कहा जाये तो उपयुक्त होगा।

राज्य के स्वरूप एवं शासकों की नीति में परिवर्तन:। युग में जातिवाद पर आधारित राजनैतिक संगठन का स्थान ऐसी राजनीतिक व्यवस्था ने ले लिया जो जिसमें सामाजिक समानता को महत्व दिया गया था एवं वंश के महत्व को कम करके समस्त सामाजिक बंधनों को झकझोर कर रख दिया था। जबकि इससे पूर्व शासन पर लगभग एक ही वर्ग राजपूत वर्ग का ही आधिपत्य था एवं उसमें भी एक ही राजपूत वंश के व्यक्तियों का ही राजसत्ता पर हक माना जाता था। इसके विपरीत सल्तनत युग में तो प्रारंभ में गुलाम वंश में तो शासकों में ऐसे शासकों की प्रधानता रही जो अपने जीवन काल में कभी न कभी, किसी के गुलाम रह चुके थे तथा न ही वे उच्च वंशीय थे। राजनैतिक क्षेत्र में यह परिवर्तन पहली बार दिखाई देता है। बिखरे-बिखरे राजपूत शासन की तुलना में सल्तनत शासक केन्द्रीयकरण में विश्वास रखते थे एवं उन्होंने संपूर्ण साम्राज्य में सुदृढ़ शासन की स्थापना की। इस दिशा में बाधक बने विद्रोहियों का दमन करने स्वयं बलबन दोआब गया। सल्तनत युग में नवीन परिवर्तन लाने वाले शासक के रूप में बलबन का स्थान सर्वोपरि है, जिसने सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिये विशेष प्रयास किये। उसने राजपद के गौरव को बढ़ाया एवं लौह एवं रक्त नीति का अनुसरण कर राज्य में शांति एवं सुव्यवस्था स्थापित की जो लम्बे समय से भारतीय राजनीति में उपलब्ध नहीं थी। यही परिवर्तन विकास का कारण बना, सल्तनत काल में प्रशासन में नवीन प्रयोगों का भी प्रारंभ हुआ। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था बड़ा आर्थिक परिवर्तन था। मुहम्मद -बिन-तुगलक के दोआब में कर वृद्धि की योजना ने आय बढ़ने के साथ कर बढ़ने के सिद्धांत को स्थापित किया। उसने अपनी दूसरी योजना राजधानी परिवर्तन योजना में सभी नागरिकों का दिल्ली से दौलताबाद जाना अनिवार्य कर दिया। जिसमें अनेकों नागरिकों की देवागिरि में मौत भी हो गयी। किंतु वास्तविकता यह है कि यह एक नवीन परिवर्तनकारी प्रयोग था जो सुल्तान की योग्यता को दर्शाता है। इसी प्रकार एक नया परिवर्तन लाने का प्रयास 'सांकेतिक मुद्रा प्रचलन' योजना थी जिसे मुहम्मद-बिन-तुगलक ने चीनी व ईरानी शासकों की प्रेरणा से चलाया था। जिसमें सांकेतिक मुद्रा चलाकर बहुमूल्य धातुओं का क्षरण रोकने का प्रयत्न दिया गया किंतु स्वार्थवश प्रजा ने घरों में नकली सिक्के ढालने शुरू कर दिए। इसी प्रकार खुरासान विजय का प्रयास भी सल्तनत युग में सुल्तान मोहम्मद तुगलक द्वारा आक्रमक नीति के चयन के रूप में परिवर्तन का संकेत देता है। इसी प्रकार कराजल अभियान की भी योजना बनायी गई जो इसी की एक कड़ी मानी जाती है। सुल्तान मोहम्मद तुगलक प्रयोगधर्मी, बुद्धिजीवी, प्रकाण्ड विद्वान था किन्तु उसका इतना विरोध होने पर भी वह शासक बना रहा। इस परिवर्तन से दृष्टिगोचर होता है कि सुल्तान का पद वंशानुगत हो गया था।

आर्थिक परिवर्तन का युग - सल्तनत युग में भारत के इतिहास में यह प्रथम अवसर था। जबकि इस्लाम पर आधारित धार्मिक शासन स्थापित हुआ था। मुस्लिम सत्ता की स्थापना केवल राजसत्ता का परिवर्तन मात्र नहीं था। इससे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तनों का नया दौर प्रारंभ हुआ। इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू यह था कि यह अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी महती परिवर्तन आये। सल्तनत कालीन प्रशासन ने राजपूती सामंती समाज की तुलना में उत्तम आर्थिक व्यवस्था का निर्माण किया। नवीन शासक दस्तकारी के माध्यम से विभिन्न उत्पादनों में रूचि रखते थे। उन्हें दस्तकारों की जाति से कोई लेना देना नहीं था। प्रो. मोहम्मद हबीब के मत में यह परिवर्तन इतना आधारभूत था कि इसे शहरी क्रान्ति तथा ग्रामीण क्रान्ति का नाम दिया है।

* प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (इतिहास) डॉ. भगवत सहाय शासकीय महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत

इस युग में शहरी अर्थव्यव्स्था के स्वरूप में अनेक नवीन परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। विशेष रूप से देखा जाए तो तकनीकी क्षेत्र में विकास के परिणामस्वरूप उत्पादन में सुधार हुआ एवं वृद्धि हुई। शहरों का आकार एवं संख्या भी बढ़ी। जिसके परिणाम स्वरूप व्यापार एवं वाणिज्य का भी विकास हुआ।

तकनीकी क्षेत्र में परिवर्तन – इस युग में पूर्वी इस्लामी देशों से आए कारीगरों के साथ नवीन तकनीक के प्रवेश ने इस युग के भारत के तकनीकी क्षेत्र में अनेक नवीन परिवर्तन दिखाई देने लगे। अनेक दस्तकार, व्यापारी, कला प्रेमी विविध कारणों से जब भारत आए तो उन्होंने अपनी तकनीक को यहां व्यवहारिक रूप प्रदान कर उत्पादन प्रारंभ किया। ये शिल्प, तकनीक एवं व्यवसाय में अत्यन्त पटु थे। यह काल दास प्रथा का भी युग था। इन दासों को भी विविध प्रशिक्षण दिए जाते थे। जिसमें उन्हें तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया गया तथा तकनीक का विकास होता चला गया। इन दास श्रमिकों का भी इस दिशा में उल्लेखनीय योगदान रहा। इस युग में दस्तकारों के एक नवीन वर्ग का उदय हुआ। इससे पूर्व शिल्पी जातिगत आधार पर उत्पादन कार्य में लगे होते थे, जैसे चर्मकार चमड़े का, लुहार लौहे की सामग्री का उत्पादन करते थे किंतु सल्तनत युग के अधिकांश दस्तकार मुस्लिम थे जो जाति प्रथा के कठोर बंधन से मुक्त थे तथा स्वदेशी एवं भारतीय दोनों तकनीक से परिचित थे। यह प्रथम अवसर था, जबकि भारतीय दस्तकारी एवं तकनीकी उत्पादन के क्षेत्र में व्यावसायिक प्रतिद्धन्दिता का प्रारंभ हुआ। वस्त्र, धातु, कागज, जहाज निर्माण, चमड़ा आदि उद्योगों में नवीन तकनीकी विकास हुआ धातुओं से रसायन बनाने का कार्य भी इसी युग की देन है। पत्थर, सोने और चांदी पर मीनाकारी का काम, जामदानी कलाबत्तु, जरदोजी, किमखाब आदि तकनीक भी सल्तनत काल की ही देन है।

बाजार एवं व्यापारिक क्षेत्र के अधिकारी – सल्तनत काल का एक नवीन परिवर्तन राज्य में बाजारों का उचित प्रबंध लागू करने हेतु तथा व्यापारियों की सहायता एवं संरक्षण देने हेतु राज्य की ओर से पृथक से कर्मचारियों के पद सृजत किए गए एवं उन पर योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति की गयी। जितने भी शाही कारखाने थे। वे एक प्रथम श्रेणी के मालिक के निरीक्षण में कार्य करते थे। इन मालिकों को मुतसर्रिफ कहते थे, जो अपना हिसाब दीवान-ए-वजारत में प्रस्तुत करते थे। मुतसर्रिफ के अतिरिक्त अन्य कर्मचारी शहना एवं गुमाश्ता थे जो बाजार का प्रबंध देखते थे। बाजार का सबसे बड़ा अधिकारी 'दीवान-ए-रियासत कहलाता था जिसकी नियुक्ति स्वयं सुल्तान करता था। उसके नीचे भी विभिन्न कर्मचारी कार्य करते थे- शाहनाज (निरीक्षक), बरीद (लेखक), मुहमिन। शाहनाज बाजार के कार्यो पर नियंत्रण एवं देखरेख करता था। बरीद बाजार में घूम-घूम कर वहां की समस्त सूचनाएं शाहनाज को भेजता था। मुहमिन वेश बदलकर बाजार में घूमता था तथा अनियमित कार्यों की सूचना प्रशासन तक पहुंचाता था। बाजारों की व्यवस्था का यह परिवर्तन शुभ संकेत था।

नवीन आर्थिक प्रयोगों का युग – इस युग में सुल्तानों ने प्रयोगधर्मिता की नीति अपनाई। सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था के रूप में मूल्य नियंत्रण का सिद्धांत लागू किया, जिसके अंतर्गत वस्तुओं के मूल्य, पूर्ति, विक्रय स्थान इत्यादि सुल्तान द्धारा निर्धारित कर दिये गये तथा बाजार पर पूर्णत: नियंत्रण स्थापित किया गया यह एक अभिनव प्रयोग था। इसी प्रकार सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक ने जहां राजधानी परिवर्तन योजना लागू की वहीं आर्थिक क्षेत्र में सांकेतिक मुद्रा प्रचलन योजना लागू की जिसके अंतर्गत सुल्तान की साख पर सस्ती धातुओं की मुद्राएं चलायी गयी। यद्यपि यह योजना विफल हुई तथापि यह अभिनव प्रयोग बहुत दूरगामी कदम था। आज इतनी शताब्दियों के बाद भारत में सांकेतिक मुद्रा ही प्रचलित है और न केवल भारत में वरन् लगभग सभी देशों में भी मुद्रा सांकेतिक ही प्रचलन में है। सल्तनत युग में लाया गया यह परिवर्तन दर्शनीय है।

राज्य द्धरा संचालित उद्योग या शाही कारखाने – इस युग में औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन कार्य कई प्रकार के कारखाने कर रहे थे। राज्य द्धारा संचालित उद्योग या शाही कारखाने निजी स्वामित्व वाले उद्योग इत्यादि। राजपरिवार एवं उससे जुड़ी हुई वस्तुओं का उत्पादन राज्य द्धारा संचालित उद्योगों द्धारा किया जाता था। इसमें श्रेष्ठ कारीगर अपनी कला को प्रदर्शित करते थे तथा इनका उत्पादन उच्चस्तरीय होता था। बेकारी की समस्या को कम करने में भी इनका महत्वपूर्ण स्थान था। इनके उपकरण भी श्रेष्ठ होते थे। ये कारखाने दिल्ली तथा प्रान्तों के बड़े नगरों में स्थापित थे। शाही आवश्यकताओं को पूर्ण करने का दायित्व इनका ही होता था। अकेले फीरोज तुगलक ने ही 36 कारखानों की स्थापना की थी। इनमें दासों को भी काम दिया जाता था। शम्से शिराज अफीफ लिखता है कि '12000 दास शिल्पकार बन गए।' ये शाही कारखाने इस युग की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा थे।

सिक्कों के प्रचलन में वृद्धि – यद्यपि प्राचीन काल में व्यापारिक लेनदेन में सिक्कों का प्रचलन हो गया था फिर भी वस्तुविनियम प्रणाली भी विद्यमान थी। सल्तनत युग में सिक्कों के प्रचलन में अभूतपूर्व उन्नति हुई जिससे व्यापार वाणिज्य एवं अर्थव्यवस्था का चहुंमुखी विकास संभव हो सका। इत्तुतमिश के काल से इस युग में सिक्के ढाले गए जिसने 175 ग्रेन वजन का पूर्णत: अरबी ढंग का चांदी का सिक्का ग्रेन चलाया जिसे टंका कहते थे। इसके अतिरिक्त जीतल, बहलोली सिक्का, ताँबे का टंका इत्यादि अन्य महत्वपूर्ण सिक्के थे, जो व्यापारिक लेन देन के आधार थे। यह युग सिक्कों में सुधार के लिये भी जाना जाता है। मुहम्मद तुगलक ने सांकेतिक सिक्के चलाने का असफल किंतु महत्वूपर्ण प्रयास किया। फीरोज तुगलक ने जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुये आधा जीतल और चौथाई जीतल बराबर एक टंका तथा 256 चौथाई जीतल बराबर एक टंका भी चलाया। व्यापारियों द्धारा मार्ग की जोखिम को टालने हेतु बीमा करवाना भी इस काल की विशेषता रही।

स्थायी सेना की नींव – अलाउद्दीन खिलजी (1296 – 1316 ई) प्रथम सुल्तान था,जिसने भारत में स्थायी सेना की नींव रखी। उसकी सेना में पैदल सेना के अतिरिक्त 4,75,000 अश्वारोही थे। मिश्रित राष्ट्रीयता वाली सेना भी इस युग की विशेषता थी। सल्तनत की सेना में तुर्की, ईरानी, मंगोल, अफगान, हब्शी, भारतीय मुसलमान, हिन्दु आदि विविध भांति के धर्म एवं राष्ट्रीयता के सैनिक सम्मिलित होते थे।

शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन – प्राचीन भारत में शिक्षा पद्धति वैदिक परम्परा पर आधारित थी। गुरूकुल, पाठशालाएं प्राचीन भारत में शिक्षा प्रदान करने का केन्द्र थी। किन्तु सल्तनत काल इस्लामी शासन का युग था। धर्म परिवर्तन की नीति के कारण अब भारत में मुसलमानों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही थी। यह कारण है कि भारत के शैक्षिक जगत में इस्लामी शिक्षा भी सम्मिलित हो गयी, जिसके केन्द्र के रूप में मकतब एवं मदरसे स्थापित होने लगे थे, जहां मौलवी शिक्षा देने का कार्य करते थे। हिन्दू पाठशालाओं के साथ पण्डित या पुजारी भी मंदिरों में हिन्दुओं को शिक्षित कर रहे थे।

संगीत के क्षेत्र में परिवर्तन – तुर्को के साथ संगीत की इस्लामी पद्धति एवं शैली का भारत में आगमन हुआ। भारतीय संगीत पहले ही यहां समृद्ध स्थिति में था। सल्तनत युग में इस क्षेत्र में समन्वय एवं मिलन के अभिनव प्रयोग

किए गए। भारतीय एवं ईरानी संगीत शैली के समन्वय से एक नवीन समन्वित संगीत शैली का जन्म हुआ। भारतीय वीणा एवं ईरानी तंबूरे के सम्मिश्रण से सितार का जन्म हुआ। इसी प्रकार प्राचीन भारतीय वाद्य मृदंग ने परिवर्तित होकर तबले का रूप धारण कर लिया। नये राग-रागिनियों का भी इस युग में विकास हुआ। खयाल, कव्वाली का विकास इसी युग की देन है। संगीत की शैलियों में सम्मिश्रण एवं विकास की एक नवीन परम्परा इस युग में प्रारंभ हुई, जो मुगलकाल में विकास के चरम शिखर तक पहुंची।

भक्ति एवं सूफी आन्दोलन – सल्तनत युग में नवीन शासन के साथ इस्लाम का भी बडे पैमाने पर प्रसार होने के कारण यहां के धार्मिक क्षेत्र में हलचल पैदा हुई। इस क्षेत्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य भक्ति आन्दोलन का आरंभ होना हौ कहा भी गया है –

'भक्ति द्राविड़ ऊपजी, लय आय रामानंद'

निराशा एवं रूढ़ियों से भरे भारतीय समाज को झकझोरने का काम भक्ति आन्दोलन ने किया तथा उन्होंने सामाजिक एकता का सन्देश दिया। इसी प्रकार मुस्लिम समाज की बुराइयों के निवारण का कार्य सूफी आन्दोलन ने किया। इसने शासक एवं शासित वर्ग के मध्य कड़ी के रूप में कार्य किया तथा समन्वयवादी दृष्टिकोण से हिन्दू-मुस्लिम एकता का वातावरण तैयार किया। इनके चिश्तिया सम्प्रदाय ने तो समाज में नवीन परम्पराएं भी विकसित की जो हिन्दू एवं बौद्ध प्रथाओं से मिलती जुलती थीं। इसी प्रकार शेख निजामुद्दीन औलिया से शिक्षा लेने हजारों लोग दूर-दूर से आते थे। इन दोनों आन्दोलनों ने सामाजिक एवं धार्मिक जीवन में नवीन शक्ति एवं गतिशीलता का संचार किया। इस युग के सन्त कवि जायसी, कुतुबन, मुल्ला दाउद, अमीर खुसरो, कबीर, गुरूनानक, दादू, संत बाबा फरीद, हजरत निजामुद्दीन औलिया आदि समन्वयवादी संस्कृति के जीवन्त प्रतीक बन गये।

स्थापत्य कला के क्षेत्र में हिन्दू-मुस्लिम शैली का विकास – तुर्क आक्रमणकारियों के साथ मुस्लिम स्थापत्य शैली में निपुण अनेक शिल्पकार, वास्तुकार, चित्रकार, संगीतकार इत्यादि भी साथ आये। उनके आगमन से पूर्व भारत में हिन्दू शैली स्थापित थी। नवीन वास्तुकारों ने जब भारतीय कारीगरों एवं सामग्री के माध्यम से यहां निर्माण कार्य करवाए, उनमें इस्लामी के साथ हिन्दू शैली का प्रभाव भी स्पष्टत: दिखाई देता है। इसे ही आगे चलकर हिन्दू-मुस्लिम शैली का नाम दिया गया। मुस्लिम शैली पर ईरानी इत्यादि अनेक शैलियों का प्रभाव पड़ा था, हिन्दू वास्तुकला की विशेषताएं थी स्तंभ, शिखर, अलंकरण, ईंट व पत्थर की जुड़ाई में मिट्टी के गारे का प्रयोग इत्यादि। इस प्रकार दोनों ही शैलियों में मूलभूत अन्तर होते हुए भी दोनों के तत्वों के समन्वय के फलस्वरूप हिन्दू-मुस्लिम कला शैली का विकास हुआ। सल्तनत के अतिरिक्त क्षेत्रीय राज्यों में भी वास्तुकला का विकास हुआ। इनकी शैली दिल्ली की हिन्दू-मुस्लिम शैली से थोड़ी भिन्न थी तथा उसमें स्वयं की मौलिक विशेषताऐं भी थी। इस प्रकार स्थापत्य या वास्तुकला के क्षेत्र में अनेक नवीन परिवर्तन आए। यही स्थिति चित्रकला के क्षेत्र में भी थी किन्तु तत्कालीन साक्ष्य नष्ट हो जाने से आज वह प्रत्यक्ष रूप में उपलब्ध नहीं है तथापि अमीर खुसरो की नूरे सिपेहर, देवल देवी रिवज़ खां, मुल्ला दाऊद के हिन्दी काव्य 'चांदायन' में चित्रों का व्यापक वर्णन मिलता है।

संगीत कला के क्षेत्र में परिवर्तन – तुर्क जब भारत आये तब अपने साथ ईरान व मध्य एशिया में पल्लवित उनकी संगीत परम्परा भी लाये। उनके पास अनेक वाद्य थे जैसे रवाब, सारंगी, इत्यादि। संगीत को धर्म नियमों के विरूद्ध मानने के कारण सुल्तानों ने इसे प्रश्रय नहीं दिया फिर भी अलाउद्दीन खिलजी, मुहम्मद -बिन-तुगलक, कैकुबाद, जलालुद्दीन खिलजी आदि स्वंय संगीत प्रेमी होनेके कारण इसके विकास के सहयोगी बने। अलाउद्दीन खिलजी के समय में अमीर खुसरो श्रेष्ठ संगीतकार था जिसने सितार, तबले, ख्याल, कब्बाली आदि का निर्माण कर संगीत जगत को उपकृत किया। फीरोज तुगलक के समय संगीत ग्रंथ राग दर्पण का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। जौनपुर तोड़ी, भैरवी, सिंदूरा, रसूली तोड़ी आदि का आविष्कार किया गया। ग्वालियर के राजा मानसिंह तथा काश्मीर दरबार भी इस क्षेत्र में विशेष योगदान दे रहे थे। राजा मानसिंह को भी राग ध्रूपद का जन्मदाता माना जाता है।

भाषा एवं साहित्यिक क्षेत्र में परिवर्तन – दिल्ली के सुल्तानों की मातृभाषा तुर्की थी, धर्म की भाषा अरबी तथा प्रशासन की भाषा फारसी थी। तुर्कों ने अरबी, फारसी के शब्दों के प्रयोग से अनेक क्षेत्रीय भाषाओं को समृद्ध बनाया तथा इस सम्मिश्रण से 'उर्दू' भाषा का जन्म हुआ जो लिपि से अरबी फारसी जैसी तथा उच्चारण में हिन्दी जैसी थी। यह एक नया परिवर्तन था। इसे उत्तर भारत में हिन्दवी तथा दक्षिण भारत में दक्कनी कहा जाता था। इस युग में क्षेत्रीय भाषाएं एवं उनका साहित्य भी बहुत उन्नति करता है। जिसमें पंजाबी, बंगाली, गुजराती, अवधी, ब्रज, भाषा का विशेष योगदान रहा। इस समय अनुवाद की परम्परा ने भी साहित्य जगत को समृद्ध बनाया।

इस प्रकार सल्तनत युग परिवर्तन ही परिवर्तनों का युग है। इसने समाज के सभी वर्गों, परंपराओं, रहन-सहन के स्तर आदि में अनेक परिवर्तन किये। इसी कारण सल्तनत युग को परिवर्तनों का युग कहा जाता है जो पूर्णत: उचित है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मदन जी.आर. -परिवर्तन एवं विकास का समाजशास्त्र - पृष्ठ क्रमांक 01
2. श्रीवास्तव आशीर्वादी लाल - भारत का इतिहास - पृष्ठ क्रमांक 264
3. डायनेस्टिक हिस्ट्री - वॉल्यूम II - पृष्ठ क्रमांक 720
4. प्रसाद ईश्वरी - हिस्ट्री ऑफ मिडीवल इण्डिया - पृष्ठ क्रमांक 197
5. बदायूंनी - मुन्तख बुत्तवारीख - भाग एक - पृष्ठ क्रमांक 237
6. बरनी जियाउदीन - तारीख-ए-फीरोजशाही - पृष्ठ क्रमांक 434
7. श्रीवास्तव ए.एल. - दि सल्तनत ऑफ देहली - पृष्ठ क्रमांक 283
8. रिजवी, ए.ए. - तुगलक कालीन भारत भाग एक
9. तुगलक फिरोज शाह - तारीख-ए-फीरोजशाही - रामपुर पोथी - पृष्ठ क्रमांक 301
10. अबुल फजल- तबकात-एक-अकबरी, भाग एक - पृष्ठ क्रमांक 204
11. इसामी -फुतुह-उस-सलातीन- अनुवाद -ए.ए. निजामी - - पृष्ठ क्रमांक 445
12. शर्मा एस.आर. - दि क्रीसेन्ट ऑफ इण्डिया - - पृष्ठ क्रमांक 102
13. निजामी ,के.ए. -रिलीजियस एण्ड पॉलिटिक्स - पृष्ठ क्रमांक178
14. बरनी जियाउद्दीन - तारीख-ए-फिरोजशाही - पृष्ठ क्रमांक 344

****

भारत के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थान बेजोड़ है

डॉ. संदीप श्रीवास्तव *

प्रस्तावना – 19वीं शताब्दी के मध्यभाग में भारत में राष्ट्रीय चेतना का विकास प्रारंभ हो चुका था। नये तकनीकी ज्ञान–विज्ञान तथा आधुनिक व पाश्चात्य विचारधाराओं से पश्चिम ज्ञान प्राप्त कर लेने के कारण भारत के सुशिक्षित व्यक्ति यह अनुभव करने लगे थे कि अपनी राजनीतिक व राष्ट्रीय आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए उन्हें संगठित होना व संगठित आंदोलन करना चाहिए। इसी उद्देश्य की शुरूआत सर्वप्रथम मध्यमवर्ग को राजनीति में प्रवेश कराने हेतु सिविल सर्विस से बर्खास्त होकर कलकत्ता में अध्यापकी करते हुए श्री सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी ने 26 जुलाई 1875 को एक पूर्ण राजनीतिक मंच, कलकत्ता में लार्ड लिटिन के शासनकाल में स्थापित किया, जिसका शासनकाल ब्रिटिश दमन नीति व साम्राज्य विस्तार की नीति के लिए प्रसिद्ध था। इस राजनीतिक मंच का नाम इंडियन एसोसिएशन था, जो चार प्रमुख उद्देश्यों को लेकर स्थापित की गई।

1. देश में सर्वत्र लोकमत का निर्माण।
2. समान राजनीतिक उद्देश्यों तथा आकांक्षाओं के आधार पर भारत की विभिन्न जातियों का एकीकरण।
3. हिन्दुओं और मुसलमानों में एकता व मैत्री की स्थापना।
4. सार्वजनिक आंदोलनों में किसानों का सहयोग प्राप्त करना।

संस्था के स्थापना वर्ष के समय ही 'अमृत बाजार पत्रिका' के सम्पादक शिशिर कुमार घोष ने 'इंडियन लीग' की स्थापना की जो बाद में 'इंडियन एसोसिएशन' के साथ हो गई। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना के पीछे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन मुख्य कारण था जो कलकत्ता में अब भी विद्यमान थी जिस पर कुलकों का अधिकार था, जिनके लिए राजनीतिक आंदोलनों का संचालन करना सक्रिय रूप से संभव नहीं था। 1877 में सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी ने जब उत्तर भारत की यात्रा की तब उनके मन में यहीं से विचार उत्पन्न हुआ, कि ऐसे अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन की आवश्यकता है, जिसमें सब प्रांतों के प्रमुख व्यक्ति शामिल हों। इसी उद्देश्य को लेकर बैनर्जी ने 1885 में इंडियन एसोसिएशन का 'अखिल भारतीय' सम्मेलन बुलाया। जिसमें सेन्ट्रल मोहम्मडन एसोसिएशन ने भी भाग लिया। बैनर्जी को पूरे भारत में मुलतान से लेकर ढाका तक लोकप्रियता मिली। '1885 राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से 'इंडियन एसोसिएशन' का महत्व कम होता चला गया।'[1] 1857 के विद्रोह से 1885 तक संगठित आंदोलन को संचालित करने के प्रयोजन से 'कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन, पूना में सार्वजनिक सभा, बम्बई में 'बाम्बे प्रेसीडेन्सी एसोसिएशन', मद्रास में 'मद्रास महाजन सभा'[2] आदि संस्थाओं का संगठन हुआ जो समाज के सुशिक्षित उच्च वर्ग के व्यक्तियों तक ही सीमित थी, पर साधारण जनता के साथ उनका कोई सम्पर्क नहीं था। भारत की अत्यधिक जनसंख्या निरक्षर व अशिक्षित थी। विदेशी शासन के दुष्परिणामों के कटु फल उसे ही भोगना पड़ता था। जनता ऐसे नेतृत्व से वंचित थी, जो उसके असंतोष को विद्रोह व क्रांति का रूप दे सके।

भारत के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थान बेजोड़ है। इस संस्था ने ब्रिटिश शासन से मुक्ति पाने के लिए 60 साल से भी अधिक समय तक अविराम संघर्ष किया है। डॉ. पट्टाभि सीता रमैया ने ठीक ही कहा था – 'कांग्रेस का इतिहास वास्तव में भारत की स्वतंत्रता का इतिहास है।'[3] 1885 से भारत के इतिहास में एक नया युग आरम्भ होता है। इस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से एक अखिल भारतीय राजनीतिक संस्था का जन्म हुआ। सन् 1883 में यह महसूस किया जाने लगा कि कोई अखिल भारतीय राजनीतिक मंच हो। इस अनुभूति की पहली लोकप्रियता सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी को 1877–78 में लाहौर अधिवेशन उत्तर भारत के इतिहास में राजनीतिक जागरूकता लाने में मिली। इंडियन एसोसिएशन, मद्रास में महाजन सभा, पुणे की सार्वजनिक सभा द्वारा एक नया वातावरण तैयार हो रहा था। भारतीय संसद (नेटिवपार्लियामेंट) की चर्चा भी इन दिनों चली। इन परिस्थितियों में 1883 में 'इंडियन नेशनल यूनियन' नाम नई संस्था की शुरूआत हुई। इस संस्था की स्थापना के पीछे ह्यूम ने भारतीय जनता के इस आवेग को उचित दिशा देने के लिए मार्च 1883 को कलकत्ता विश्वविद्यालय के नाम एक पत्र लिखा जिसका उद्देश्य अखिल भारतीय स्तर पर 'वैधानिक आंदोलन' चलाने के लिए 'इंडियन नेशनल यूनियन' का गठन किया गया। भारतीय सामाजिक उत्थान व राजनीतिक जागरूकता के लिए ह्यूम ने यह यूनियन बनायी व पूना में अधिवेशन करने का विचार किया।

एलन ओक्टोवियन ह्यूम ने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, 'क्योंकि ह्यूम पक्षीप्रेमी थे, भारत की धरती से, यहाँ के लोगों से उन्हें प्यार था, जो स्काटलैण्ड में उत्तर पूर्व किनारे के गाँव में जोसेफ ह्यूम के घर में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकर होकर भारत चले आये थे और उन्होंने अपने पुत्र को बंगाल में सिविल सर्विस अधिकारी बनवा दिया'[4] भारत चले आए। ह्यूम ने 1884 बम्बई में जहाँ पूना की सार्वजनिक सभा, प्रजाहित वर्धक सभा (सूरत), सिंध सभा (करांची), महाजन सभा (मद्रास) के अनेक भारतीय मूल के नेताओं से चर्चा की। ह्यूम ने मुस्लिम, पारसियों का प्रतिनिधित्व करने वाली तिकड़ी क्रमश: श्री पी.एम. मेहता, श्री के.टी. तेलंग तथा बी.तैयबजी से विस्तृत चर्चा की तय हुआ कि अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाया जाए, जिससे आम हिन्दू जनता के इरादों व समर्थन का पता लग जाए।

थियोसोफिकल सोसायटी इतिहास और संस्कृति की भावना लोगों में भर रही थी। थियोसोफिस्टो के दस सूत्रीय कार्यक्रम की इस सभा में जिसका वर्णन The Emergence of the Indian National Congress

* अतिथि विद्वान, शासकीय न. महाविद्यालय, तेंदूखेड़ा, जिला, नरसिंहपुर (म.प्र.) भारत

"Indian national congress" एस.आर. मेहरोत्रा यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन पृष्ठ 390–391, कलकत्ता के 'इंडियन मिरर' के सम्पादक 'एन.एन. सेन' जनवरी–फरवरी 1885 के अंक Page no. xxxvii- Calcutta में किया है, जिन्होंने स्वयं इस मीटिंग में भाग लिया था उन्होंने कहा है – No sooner was the Indian National Congress born, than the theosophists began to claim it as their child. Oleott asserted in 1886 that "the Theosophical society was the parents of the Indian National Congress for it had first shown the possibility of bringing men of the different parts of the country together into a friendly relation which had never been known before.' 5 श्री ए.ओ. ह्यूम ने 1884 में पक्की धारणा बना ली थी कि भारत के प्रमुख राजनीतिक वर्ष में एक बार कहीं मिल बैठें और सामाजिक मुद्दों पर खुलकर बातचीत करें। श्री डब्लू.सी. बैनर्जी का कहना है कि 'श्री ह्यूम राजनीति पर चर्चा करने के पक्ष में अधिक नहीं थे। कांग्रेस का आधार ही था कि ब्रिटिश राज भारत में स्थायी तौर पर बना रहे।'6 मार्च 1885 में 'इंडियन नेशनल यूनियन' का सम्मेलन 25 से 31 दिसम्बर को पूना में करने के निमंत्रण भारतीय राजनीतिज्ञों (अंग्रेजी जानने वाले) को ही भेजे गए। इस सम्मेलन का उद्देश्य था – राष्ट्रीय प्रगति के कामों की आपसी जानकारी तथा राजनीतिक कार्यकलापों की रूपरेखा का निर्धारण करना। नेटिवपार्लियामेंट के अंकुर कैसे पनपे इस पर अनौपचारिक चर्चा भी इस अधिवेशन का मुद्दा था। अप्रत्यक्ष रूप से इस परिषद् का उद्देश्य ही देशी पार्लियामेंट का एक ऐसा रूप तैयार करना था, जिससे इस बात का धब्बा मिट सके कि हिन्दुस्तान के लोग प्रतिनिधिक शासन व्यवस्था के लिए बिल्कुल अयोग्य हैं, बाद में यही सभा पार्लियामेंट का रूप ले लेगी।

क्रिसमस के दौरान व सम्मेलन के कुछ दिन पूर्व पूना में भीषण हैजा फैल जाने के कारण यह निर्णय लिया गया कि तत्कालीन राजनीतिक केन्द्र पूना की बजाय, कांग्रेस का पहला सम्मेलन बम्बई में ही किया जाए। 'इस बीच इंडियन नेशनल यूनियन की इस कांफ्रेंस (परिषद्) को 'कांग्रेस' का नाम दे दिया गया। बम्बई प्रेसीडेंसी एसोसिएशन के प्रयास से तथा मैनेजर 'गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कालेज' की कृपा से महाविद्यालय के विस्तृत भवन में सोमवार 28 दिसम्बर 1885 ई. दिन के बारह बजे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन प्रारम्भ हुआ जिसमें 41 वर्षीय श्री डब्लू.सी. बैनर्जी सर्वसम्मति से कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बनाए गए।[7] 1885 में स्थापित कांग्रेस का यह सम्मेलन राष्ट्रीय आंदोलन की शुरूआत भारत की धरती से प्रारम्भ करता है जो भारतीय इतिहास का ऐतिहासिक उदाहरण था क्योंकि भारतीय जनमानस के लिए यह पहला अनुभव था। उस समय भारत का जीवन एक दूसरे से कटा हुआ और वर्तमान समय की तरह संगठित नहीं था। भारतीय नेता सामान्य भारतीयों से कतई जुड़े हुए नहीं थे। कांग्रेस के अध्यक्ष ने अपने भाषण में कांग्रेस के उद्देश्य को स्पष्ट किया।[8]

1. साम्राज्य के विभिन्न भागों में देश के हित के कार्यो में संलग्न ऐसे सभी व्यक्तियों में परस्पर घनिष्ठता और मित्रता को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करना जो अत्यधिक उत्साही है।
2. अपने सभी देश–प्रेमियों में जाति, धर्म या प्रांतीयता के सभी सम्भव पूर्वाग्रहों को सीधे मित्रतापूर्ण व्यक्तिगत संपर्क से दूर करना और राष्ट्रीय एकता की उन भावनाओं को पूरी तरह विकसित और संगठित करना, जिनका जन्म उनके प्रिय लार्ड रिपन के अविस्मरणीय शासनकाल के दौरान हुआ था।
3. आज की कुछ अधिक महत्वपूर्ण और ज्वलंत सामाजिक समस्याओं के बारे में शिक्षित वर्ग के परिपक्व व्यक्तियों के साथ पूरी तरह से विचार विमर्श करने के बाद बहुत सावधानी से इनका प्रामाणिक लेखा–जोखा तैयार करना।
4. जिन दिशाओं में और जिस तारीख से अगले बारह महीनों में देश के राजनीतिज्ञों को लोकहित के लिए कार्य करना चाहिए और उनका निर्धारण करना।

इनमें से पहले तीन उद्देश्यों पर गम्भीरतापूर्वक विचार हुआ। बैनर्जी ने इंग्लैण्ड की पश्चिम शिक्षा के अनमोल योगदान की महान सराहना की। इस सम्मेलन के बारे में विशेष बात यह थी कि भारत के भविष्य की रूपरेखा जो नेता तैयार कर रहे थे, वे भारतीय जनमानस से यथार्थ में जुड़े हुए नहीं थे, इसके बावजूद उनमें बला की दूरदर्शिता एवं पकड़ थी, प्रशासन का ज्ञान था। हम गरीब लोग अपने देश की बनी उपलब्ध चीजों की बजाए विदेश में बनी मंहगी चीजें क्यों खरीदें? बढ़ती कीमतें तथा सिविल शासकों द्वारा विदेश में धन खर्च, इण्डियन सिविल सर्विस की भारत में परीक्षा करने की बात उठायी गयी। आयु सीमा बढ़ाने की मांग भी की गई, सेना पर व्यय वृद्धि रोक, वर्मा का भविष्य, भारत के सभी प्रदेशों में 'राजनीतिक संघ' (political association) की स्थापना आदि अनेक ऐसे मुद्दे थे जो बाद में 'स्वयं शासन' की राजनीतिक मांग के रूप में उभर कर सामने आए। इंग्लैण्ड की महारानी तथा भारत की साम्राज्ञी की जयजयकार के साथ कांग्रेस का पहला अधिवेशन इस प्रकार समाप्त हुआ – 'हम जिसके प्रिय हैं जिनके लिए हम सब बच्चें हैं – उन महान कृपालु, दयामय, महामहिम, महारानी–साम्राज्ञी की बार–बार जयजयकार करते हैं तथा उन्हें साधुवाद देते हैं।[9]

इस प्रकार भारत की धरती पर एक राष्ट्रीय आंदोलन की शुरूआत का जन्म होता है जिसके जन्मदाता थे श्री.ए.ओ. ह्यूम जिन्हें इस सम्मेलन में अत्यंत शालीन तरीके से धन्यवाद दिया गया था। इससे पूर्व कलकत्ता के स्नातकों को एक खुले पत्र में श्री ह्यूम ने मातृभूमि की सेवा की गुहार की थी और उन्हें धरती का लवण कहा था तथा राष्ट्रीयता का बोध उत्पन्न किया था। लंदन में श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने 1913 में कहा था 'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कोई भारतीय कर ही नहीं सकता था। यदि ऐसा अखिल भारतीय आंदोलन प्रारंभ करने के लिए कोई भारतीय आगे आता तो अधिकारी उसे अस्तित्व में आने ही नहीं देते। यदि कांग्रेस के संस्थापक एक महान अंग्रेज और अवकाश प्राप्त विशिष्ट अधिकारी न होते तो, चूंकि उन दिनों राजनीतिक आंदोलन संदेह से देखा जाता था, शासन ने कोई न कोई बहाना ढूंढ कर उस आंदोलन को दबा दिया होता।[10] तत्कालीन राजनीतिक स्थिति वास्तव में कुछ ऐसी ही थी। भारतीयों के हर राजनीतिक प्रयास को अंग्रेज अधिकारी व प्रशासन समाप्त करने पर तुले हुए थे।

1885 में कांग्रेस की स्थापना से राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म होता है। कांग्रेस स्थापना के सिंहावलोकन से इस राष्ट्रीय आंदोलन की तीन मुख्य अवस्थाएँ दृष्टिगोचर होती है। 1885–1905 के पहले चरण में इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्येय धुंधला, अस्पष्ट तथा संदिग्ध सा था। यह आंदोलन यह आंदोलन केवल थोड़े से शिक्षित मध्यमवर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग तक ही सीमित था जो पाश्चात्य उदारवादी और अतिवादी विचारधारा (Western liberal and radical thought) से प्रेरणा लेता था। दूसरे दौर (1905–1919) में कांग्रेस प्रौढ़ हो गई और इसका उद्देश्य तथा उसकी सीमाएँ अधिक विस्तृत हो गई। अब यह जनता के सर्वतोन्मुखी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक विकास के लिए प्रयत्नशील थी। राजनीतिक क्षेत्र में उद्देश्य, पूर्ण स्वराज्य था। इस बीच कुछ उग्रवादी दल के लोगों ने

पाश्चात्य साम्राज्य-वाद को समाप्त करने के लिए पाश्चात्य क्रांतिकारी ढंग अपनाए। अंतिम चरण (1919-1947) में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक विशेष भारतीय ढंग से अहिंसात्मक असहयोग, अपनाकर आंदोलन किया।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. गुप्त, डॉ. बल्देवराज, कांग्रेस का इतिहास, पृ. 6, वाराणसी 1998
2. विद्यालंकार, सत्यकेतु, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास, पृ.32 श्री सरस्वती सदन नई दिल्ली 1995
3. गुप्त, वहीं पृ. 7
4. गुप्त, वहीं पृ. 7
5. गुप्त, वहीं पृ. 8
6. गुप्त, वहीं पृ. 8
7. गुप्त, वहीं पृ. 9
8. गुप्त, वहीं पृ. 11
9. गुप्त, वहीं पृ. 11
10. दे वरूण, अमलेश त्रिपाठी, विपिन चंद्रा, स्वतंत्रता संग्राम, पृ. 56, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया नई दिल्ली 1972,

****

नमक आन्दोलन में काशी की नारियों का योगदान

डॉ. संजय कुमार सिंह *

प्रस्तावना – 19 जनवरी 1930 को संयुक्त प्रान्तीय काँग्रेस कमेटी की बैठक कानपुर में हुई। प्रान्तीय काँग्रेस के निर्देशानुसार सम्पूर्ण प्रान्त में उत्साहपूर्वक स्वाधीनता दिवस मनाया गया, जगह–जगह झण्डे फहराए गए और स्वाधीनता का घोषणा पत्र पढ़ा गया। कुछ जुलूस भी निकाले गए जिसमें महिलांए भी सम्मिलित हुई। 15 जनवरी 1930 को काँग्रेस की कार्यसमिति ने अपनी बैठक में गाँधी जी को सविनय अवज्ञा आन्दोलन करने का अधिकार दिया। काँग्रेस कार्यकारिणी समिति के निर्णय का स्वागत संयुक्त प्रान्तीय काँग्रेस कमेटी ने 25 फरवरी 1930 को इलाहाबाद में हुई बैठक में किया। गाँधी जी ने आन्दोलन का मूलाधार नमक कानून भंग करना बनाया। 12 मार्च 1930 को उन्होंने अपने 79 कार्यकर्त्ताओं के साथ दाण्डी के लिए प्रस्थान किया। 12 मार्च को सम्पूर्ण प्रान्त में सत्याग्रह दिवस मनाया गया। बनारस विश्वविद्यालय में छात्र–छात्राओं की सम्मिलित सभा हुई उसमें स्वाधीनता के प्रस्ताव को दोहरते हुए कहा गया कि विश्वविद्यालय के युवक और युवतियाँ कोई भी त्याग देश के लिए करने को उद्यत है।

6 अप्रैल 1930 को गाँधी जी के दाण्डी में नमक कानून तोड़कर सत्याग्रह आरम्भ किया। महिलाओं के लिए संदेश में उन्होंने कहा, 'मेरा विश्वास दिन–प्रतिदिन दृढ़ होता जा रहा है कि स्वाधीनता की प्राप्ति में स्त्रियाँ पुरुषों से अधिक समझती हैं। यह इसलिए नहीं कि वे अबला हैं बल्कि इसलिए कि सच्चे त्याग और साहस की भावना उनमें पुरुषों से कहीं अधिक है। आन्दोलन की सफलता हेतु महिलांए विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकानों पर धरना दें, विदेशी वस्त्र पहनने वालों और बेचने वालों को रोकें और घर–घर कताई का कार्य प्रारम्भ करें। श्रीमती सम्पूर्णानन्द ने महिलाओं से विशेष अपील में कहा कि आपके लिए घर के बाहर निकलने का समय आ गया है। महिलाएं अछूतोद्धार में भाग ले सकती हैं, मद्य निषेध में सहायता दे सकती हैं, सत्याग्रहियों की सेवा कर सकती हैं और आवश्यकता होने पर खुद स्वयं सेविका बन सकती हैं।[1] गाँधीजी व देश का आह्वान महिलाओं ने सुना और वे आगे आयीं। इधर आन्दोलन न प्रारम्भ हुआ तो सरकार ने भी आन्दोलन का दमन करने के लिए प्रेस आर्डीनेन्स, द प्रिविन्सन ऑफ इण्टीमिडेशन और अन ला फुल इन्टीगेशन आर्डीनेन्स जारी किए।[2]

बनारस में लोगों को उत्साहित करने के लिए जगह–जगह सभाँए की गयी।[3] महिलाओं ने आगे आकर जगह–जगह नमक बनाया और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया। 17 अप्रैल 1930 को बनारस में बंगली टोला की महिलाओं का एक जुलूस विदेशी वस्त्र एकत्र करते और नमक बेचते हुए केदारघाट, शिवालय, सोनपुरा और गणेश मोहल्ले के रास्ते में घूमा। इस जुलूस ने कुल 30 का नमक बेचा। सायंकाल एकत्र किए गए विदेशी वस्त्रों की होली जलायी गयी।[4] दो तीन दिन बाद 28 अप्रैल को बंगाली टोले से 40 महिलाओं का एक और जुलूस राष्ट्रीय गीत गाते हुए, वन्दे मातरम् और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए मानस मंदिर, त्रिपुरा रानी कुँआ, लक्खी चोराहा और नन्दन साहब का मुहल्ला नामक स्थानों से नमक बेचते और विदेशी वस्त्र एकत्र करते हुए निकला।[5] 26 अप्रैल को श्रीमती स्वर्णलता के नेतृत्व में 115 महिलाओं का जुलूस दशाश्वमेध घाट, विश्वनाथ की गली चौक, गुदौलिया होता हुआ देशबन्धु पार्क गया जहाँ महिलाओं ने रात्रि 8:00 बजे तक नमक बेचा।[6] नमक बेंचने के साथ ही महिलाओं ने विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर भी धरना देने का कार्य और शोर के साथ प्रारम्भ किया। एक दिन मथुरा प्रसाद की दुकान पर धरना चल रहा था कि उसी समय एक महिला वहाँ कुछ कपड़े खरीदने आयी। स्वयं सेविकाओं ने उनसे विदेशी कपड़ा न खरीदने की प्रार्थाना की। इस पर दुकानदार ने पास की गली में से जाकर उस महिला के हाथ कपड़े बेचे और उनके घर तक पहुँचाने के लिए तैयार हो गया लेकिन तब तक स्वयं सेविकाएं भी गली में पहुँच गयी और दुकानदार को कपड़ा घर पहुँचाने से रोकने लगी। ऐसा करने पर दुकानदार ने श्रीमती रामदेवी को थप्पड़ मारे और उनका हाथ मोड़ दिया, परन्तु इस घटना के बाद भी धरना चलता रहा। इस प्रकार की मार खाना महिलाओं के लिए अपमान की नहीं सम्मान की बात हो गयी थी। महिलाएं उस दुकान के सामने बैठ गयी। कुछ समय बाद पुलिस के आ जाने पर 4 स्वयं सेविकाएं गिरफ्तार की गयी।[7] इन महिलाओं की गिरफ्तारी पर अहिल्याबाई घाट पर एक सभा हुई जिसमें विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार पर जोर दिया गया। धीरे–धीरे धरने ने यहाँ जोर पकड़ा और बहुत से वस्त्र विक्रेता विदेशी वस्त्र न बेचने के लिए सहमत हो गए। बनारस में महिलाओं ने अधिक से अधिक संख्या में जुलूसों में भाग लेकर दफा 144 की निषेधाज्ञा तोड़ी। महिलाओं के जत्थे के जत्थें पूरे शहर में घूमते रहे। इनमें भाग लेने के कारण श्रीमती प्रफूल्ल मोहनी घोष, श्रीमती गिरिबाला, श्रीमती रुक्मणी, श्रीमती राधारानी सेन, श्रीमती लीलावती, श्रीमती वीणा पणि, सरोजनी बसु और श्रीमती मोक्षदा सुन्दरी गिरफ्तार कर ली गयी। 26 जनवरी 1932 को उत्साहपूर्वक स्वाधीनता दिवस मनाया गया। महिलाओं ने भी जुलूस निकाले। श्रीमती भगवन्ती देवी के नेतृत्व में एक चेतगंज बाजार से सरायगोवर्धन तेलियाबाग होता हुआ जैसे ही बेनियाबाग पहुँचा उसी समय सादी पोशाक पहने खुफिया पुलिस ने आकर जुलूस रोक दिया और कहा कि आप सभी लोग गिरफ्तार किये जाते है। इस पर जुलूस वालों ने कहा कि आप वर्दी में नहीं है, इसलिए हमें गिरफ्तार नहीं कर सकते और उन्होंने स्वाधीनता सम्बन्धी प्रतिज्ञा दोहराना प्रारम्भ कर दिया।

इस प्रकार हम कह सकते है कि काशी में महिलाओं ने आन्दोलन के दौरान जुलूसों और सभाओं में भाग लेकर अपने उत्साह का परिचय दिया।

* सहायक प्राध्यापक (इतिहास) डॉ0 भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय, अनौगी, कन्नौज (उ.प्र.) भारत

अत: इस उल्लिखित शोध प्रबन्ध में 'नमक आन्दोलन में काशी की नारियों का योगदान' का उद्देश्य है, महिलाओं के राष्ट्रीय निर्माण में किए गए योगदान को प्रस्तुत करना है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. गाँधी मोहनदास कर्मचन्द, स्त्रियों और उनकी समस्याएं नवजीवन प्रकाशन मंदिर अहमादाबाद, 1959 पृ0 10-13
2. सुचेता कृपलानी, 'नारियों के नेता और शिक्षक' एस0 राधा कृष्णन सम्पादित महात्मा गाँधी 100 वर्ष सर्वोदय साहित्य प्रकाशन वाराणसी, 1969 पृ0 111
3. यू0 एस0 मोहनराव उपर्युक्त, पृ0 107
4. गाँधी मोहनदास कर्मचन्द, उपर्युक्त, पृ0 49
5. एस0 के0 गाँधी, विमेन एण्ड सोशल इन जस्टिस नवजीवन पब्लिशिंग हाऊस अहमदाबाद, 1947 पृ0 100
6. रोमा-रोला, महात्मा गाँधी दर्शन, लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद 1986 पृ0 581-587
7. वही, पृ0 32

****

विन्ध्य प्रदेश में कल्चुरि स्थापत्य कला और भग्नावशेष

सुभाष कुमार तिवारी *

प्रस्तावना – हैहय, चेदि या कल्चुरि स्थापत्य कला के अभी जो भग्नावशेष हैं, वे वर्तमान जबलपुर जिले या विन्ध्यप्रदेश के बघेलखण्ड क्षेत्र में मिलते हैं, जिनमें से प्रधान रीवा, मैहर, नागौद और पन्ना की रियासतें हैं, या छत्तीसगढ़ के प्राय: सभी भागों में मिलते हैं। त्रिपुरी के नरेशों के स्थापत्य के अवशेष तीन भागों में बाँटे जा सकते हैं। प्रथम भाग में उनके अवशेष आते है, जिन्हें युवराज देव प्रथम, लक्ष्मणराज, शंकरगण और युवराज देव द्वितीय ने बनवाये थे और जो गोरगी, चन्द्रेह, बिलहरी, भेड़ाघाट और छोटी देउरी में हैं। दूसरे भाग में कर्ण देव, उनके पिता और उनके पुत्र के बनवाए मंदिरों के अवशेष हैं। ये रीवा राज्य के सोहागपुर, अमरकण्टक, बैजनाथ और मैहर राज्य के मइई स्थान में हैं। तृतीय भाग में त्रिपुरी नरेशों की अन्तिम पीढ़ी नरसिंह देव, जय सिंह देव और उनके पुत्र विजय सिंह देव के निर्माण के हैं। प्रथम भाग के मंदिरों में सभी शिव के है अथवा शैव्य महात्माओं के बनवाए मठ आदि आते हैं। इनके शिखर, मंदिर और गर्भ गृह सभी गोल है। इनमें चन्द्रेह और गोरगी के खण्डहर मुख्य है।

गोरगी – गोरगी के भग्नावशेष तीना भागों में बाँटे जा सकते हैं। प्रथम है रेहुँटा, जिसे राजा कर्ण डहलिया या डाहल नरेश कर्ण देव ने बनाया हुआ कहते हैं। इसमें बहुत से मंदिरों के खण्डहर थे, जिनके पत्थर और मूर्तियाँ तस्करों द्वारा गायब किए जा चुके हैं।

दूसरा भाग गोगेज का टीला स्वयं है। इसकी चोटी पर एक विशाल शिव मंदिर बना हुआ था। इसमें जिस मूर्ति की स्थापना की गई थी, उसे हर-गौरी या शिव पार्वती कहते हैं। यह बारह फुट आठ इंच लम्बी और पाँच फुट तीन इंच चौड़ी है। मूर्ति के चरण के समीप नन्दी की भी मूर्ति है। यह मूर्ति महाराज गुलाब सिंह के शासन काल में गोरगी से लाई जाकर रीवा नगर के मध्य पद्मधर उद्यान में विन्ध्य प्रदेश के तत्कालीन लेफ्टिनेन्ट गवर्नर कस्तूरी संथानम् द्वारा स्थापित करायी गई है। इस मंदिर के तोरण द्वारा को रीवा के महराजा विश्वनाथ सिंह के आदेश से तत्कालीन दीवान बंशीधर पाण्डेय मडरिहा द्वारा गोरगी से निकलवाकर रीवा लाया गया। यह तोरण महाराज रघुराज सिंह के शासन काल में किले के पूर्वी द्वार पर लगवाया गया, जिसे तब से पुतरिया या झूला दरवाजा कहा जाने लगा। ऐसा अनुमान है कि इस मंदिर की ऊँचाई लगभग सौ फीट रही होगी ओर गोरगी के टीले के नीचे से मंदिर के शिखर तक ऊँचाई लगभग डेढ़ सौ फीट रही होगी। गोरगी के इस मंदिर का निर्माण युवराज देव प्रथम ने कराया था।

तीसरे भाग में गोरगी के निकट महसाँव गाँव का एक छोटा मंदिर आता है, जो एक तालाब के किनारे स्थित है। इसके अतिरिक्त गोरगी से हटाई, चुराई हुई असंख्य मूर्तियाँ है, जो बीस-पच्चीस मील के घेरे में प्राय: हर गाँव में कहीं पर तो देव प्रतिमा के रूप में और कहीं दीवारों में पत्थर के स्थान पर जोड़ी मिलती है। गोरगी के निकट ही सिलचट गाँव में एक देवी की मूर्ति थी, जिसे काली की मूर्ति कहते हैं।

चंद्रेह – चंद्रेह का मंदिर और उसके निकट बने विशाल मठ कल्चुरि संवत् 724 अर्थात् ईसवी सन् 972 के आसपास के हैं। यह मंदिर जैसा पहले लिखा गया है, गोल गुम्बज वाला है और इसका गर्भ गृह भी गोल है। मठ जो इसके समीप ही है, वह दो मंजिला था। अब उसकी एक मंजिल ध्वस्त हो चुकी है। भीतर एक बड़ा आँगन है। उसके चारों ओर कमरे हैं और कमरों के सामने बरामदे हैं। बाहर भी आँगन है। उसके चारों ओर कमरे हैं और कमरों के सामने बरामदे हैं। बाहर भी एक बरामदा है। नीचे के कमरे संभवत: महन्तों एवं आचार्यो के रहने के लिए होंगे और ऊपर का भाग अध्ययन, अध्यापन के काम में आता रहा होगा।[1]

यह गोरगी मठ के आचार्य प्रभाव शिव द्वारा एकान्त में शोण और बनास के संगम पर तपस्या करने के लिए बनवाया गया था। यह रीवा से 28 मील दूर शिकारगंज के निकट स्थित है। इसके निकट शिकारगंज का उक्त दोनों नदियों का संगम स्थल भ्रमरसेन के नाम से प्रसिद्ध है। इस आश्रम में शोण नदी तुषारों के कारण शीतल वायु बहती है। यहाँ रात्रि में सिंह की घोर गर्जना से आकाश निनादित हो उठता है, चारों ओर की पहाड़ियों पर जब भ्रमर सदृश्य वाले बादल मड़राते हैं, तब यहाँ की औषधियों की चमक से लोगों को यह भ्रम होता है कि बिजली चमक रही है।[2] इस मठ में लगे शिलालेख ने यहाँ ही नहीं अपितु बाहर के भी अनेक कवियों और साहित्यकारों का आकर्षण प्रेरणा स्वरूप किया है।

बिलहरी के भग्नावशेष – यह स्थान मुड़वारा तहसील कटनी बीना लाइन पर कटनी से लगभग 10 मील पर स्थित है। यहाँ पर लक्ष्मण सागर नामक एक बड़ा तालाब है। जिसके पास एक बड़े मठ का खण्डहर है। इसे बैद्यनाथ का मठ कहा जाता था। इसे युवराज देव प्रथम के पुत्र लक्ष्मणराज ने महात्मा हृदय शिव को डाहलदेश से लाकर समर्पित किया था। बिलहरी गाँव से दो मील पर काम कन्दला में मंदिर का अवशेष है। इसके पास ही पटपर पठार की पहाड़ियाँ हैं।

बड़गाँव के खण्डहर – कटनी-बीना रेलवे लाइन पर रीठी स्टेशन से आठ मील उत्तर बड़गाँव के मंदिरों के खण्डहर हैं। यद्यपि ये यहाँ ऐसा अवस्था में है कि इनके निर्माण काल का निर्णय करना कठिन है किन्तु बनावट की दृष्टि से यह काम कन्दला मंदिर का समकालीन प्रतीत होता है।

सोहागपुर – कटनी बिलासपुर लाइन के शहडोल स्टेशन से लगभग दो मील की दूरी पर सोहागपुर गाँव में विराटेश्वर मंदिर तथा अन्य खण्डहर है। इस मंदिर की बनावट चन्द्रेह और गोरगी के मंदिरों से भिन्न है। परन्तु यह उससे अधिक विस्तृत ओर कला की दृष्टि से अधिक सुन्दर है। इसकी कारीगरी

* शोधार्थी (इतिहास) श्री गुरू सदन वार्ड नं. 13 घरौला, शहडोल (म.प्र.) भारत

खजुराहों की मूर्तियों के ढंग की है। ऐसा जान पड़ता है कि यह युवराज देव प्रथम के बाद का बनाया हुआ है। इस मंदिर के अतिरिक्त उसकी काल की मूर्तियों और कटे पत्थरों का बहुत बड़ा संग्रह ठाकुर साहब सोहागपुर के महल राजा बाग में है, जो तत्कालीन खजुराहो कालीन कला का सुन्दर प्रतिनिधित्व करता है। ये कृतियाँ भी सम्भवत: कर्णदेव के काल की हैं।

अमरकंटक – नर्मदा और सोन के उद्गम स्थान अमरकंटक में उच्चकोटि की कल्चुरि कला का प्रतिनिधित्व हुआ है। अमरकण्टक के मंदिर दो भागों में बाँटे जा सकते हैं। प्रथम भाग में कर्ण डहलिया या डाहल नरेश कर्ण देव के प्रसिद्ध तीन मंदिर आते हैं। इन मंदिरों की कला उत्तर भारत के तत्कालीन कला से भिन्न है।

कर्ण देव मंदिर – इसमें एक ही चबूतरे पर बने हुए तीन मंदिर हैं, जो चतुर्भुज की तीन भुजाओं पर स्थित हैं। चौथी भुजा सम्भवत: तीन भुजाओं को मिलाते हुए एक मण्डप के रूप में रही है, जो अब नष्ट हो चुकी है। कहा जाता है कि तीनों मंदिरों से एक ब्रह्मा का, दूसरा विष्णु का और तीसरा शिव का है।

बैजनाथ – रीवा–सतना सड़क पर रीवा से 9 मील दूर बेला ग्राम से एक मील उत्तर पर बैजनाथ ग्राम का मंदिर है। यह मंदिर बैजनाथ महादेव का है और सम्भवत: त्रिपुरी नरेश लक्ष्मणराज द्वारा शैव्य महात्मा हृदय शिव को भेंट किया गया था। इतिहासकारों का कहना है कि इस मंदिर के अतिरिक्त एक विशाल शैव्य मठ भी इस स्थान पर था, जो अब नष्ट हो चुका है।

मैहर – कैमोर पर्वत के उत्तरी किनारे पर मैहर के निकट मड़ई ग्राम है, जहाँ एक पहाड़ी के किनारे एक तालाब है, वहाँ पर कई मंदिरों के खण्डहर हैं। कला की दृष्टि से ये मंदिर सोहागपुर, अमरकण्टक और बैजनाथ की कोटि के ही हैं और ग्यारहवीं शताब्दी के बने हुए जान पड़ते हैं। यह निश्चित है कि मैहर राज्य कलचुरि चेदि साम्राज्य का एक भाग था।

त्रिपुरी के खण्डहर – हैहय वंशीय कल्चुरियों की आदि राजधानी त्रिपुरी का प्रतिनिधित्त्व अब तेवर नामक बड़ा गाँव करता है। यद्यपि यह एक विशाल राज्य की राजधानी रहा है, किन्तु समय की गति के साथ उसका ऐसा ध्वंस हुआ है कि कोई चिन्ह भी नहीं बचे हैं। जबलपुर से भेड़ाघाट जाते हुए सड़क से दो मील दूर पर कर्ण बेल के खण्डहर हैं, जो राजा कर्ण की बनवाई हुई कर्णपुरी के अवशेष हैं। यहाँ पर कुछ ऊँचे टीले हैं, जिनमें केवल ईंटें ही बची हैं। पत्थर का सारा भाग रेलवे और पुलों के निर्माण में सरकारी इंजीनियरों और ठेकेदारों ने नष्ट कर दिया है। तेवर से तीन मील की दूरी पर कारी तराई की पहाड़ी के पास भी कुछ भग्नावशेष हैं।

भेड़ाघाट – जबलपुर से तेरह मील दूर भेड़ाघाट नाम का प्रसिद्ध दर्शनीय स्थान है, जहाँ संगमरमर की चट्टान दर्शनीय दृश्य है। यहाँ पर त्रिपुरी नरेश कर्ण देव का पुत्र गया कर्ण की रानी अल्हण देवी का बनवाया हुआ विशाल मंदिर है, जो संभवत: सन् 1155–56 में बना था। इसे गौरी शंकर का मंदिर कहते हैं। यह एक टीले पर स्थित है। ऐसा जान पड़ता है कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया है। इसके चारों ओर 64 योगिनियों की मूर्तियाँ एक गोलाकार अहाते की दीवारों पर लगी हैं। कहा जाता है कि किसी समय यहाँ गोलकी मठ नाम का बहुत बड़ा मठ भी था, जिसे राजा युवराज देव प्रथम ने अपने गुरु को समर्पित किया था।

देवतालाब – जबलपुर से बनारस जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक सात पर रीवा से 26 मील दूर देवतालाब नामक गाँव में तीन प्राचीन मंदिर हैं। इनमें से सबसे बड़ा सोमनाथ का मंदिर है। दूसरा भैरव जी का है। इनके अलावा एक छोटा शिव मंदिर है। उपर्युक्त मंदिरों के अतिरिक्त रीवा, पन्ना, नागौद, मैहर तथा जबलपुर जिले में कलचुरियों के बनवाए कई मंदिर हैं, जो उपर्युक्त श्रेणी में ही आते हैं किन्तु पुरातत्व विभाग द्वारा अभी इनका पर्यवेक्षण नहीं हो पाया है।

रत्नपुर के खण्डहर – बिलासपुर से लगभग बारह मील दूर रत्नपुर की कलचुरि शाखा बनवाये हुए किला, महल, तालाब और मंदिर अब भी हैं। तालाबों की संख्या किसी समय चौदह सौ बतायी जाती थी किन्तु इनमें से तीन सौ अब भी हैं, इनमें से कई एक के किनारे छोटे–बड़े मंदिरों के खण्डहर हैं। रत्नपुर नरेश के किले का खण्डहर भी है, जो आज ध्वंशावस्था में है। पर इनमें जो लोग रहते हैं उन्हें उसके इतिहास का कोई ज्ञान नहीं है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. राखाल दास बनर्जी–Haihayas of Tripuri and their Monuments, व्योहार राजेन्द्र सिंह और विजय बहादुर श्रीवास्तव–त्रिपुरी का इतिहास, पृ. 145–156
2. डॉ. वा.वि. मिराशी–कलचुरि नरेश और उनका काल, पृ. 85

****

मजदूरों के बच्चों में शैक्षिणिक समस्याओं का अध्ययन

आकाश गुप्ता *

शोध सारांश – निर्धनता वैश्विक परिप्रेक्ष्य में एक अभिशाप के रूप में व्याप्त है, वास्तव में निर्धनता अशिक्षा की आधारभूत जननी है। आज भारत में बीमारू राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य पर कलंक लगा हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य कृषि प्रधान राज्य है एवं कृषिगत कार्यों के पश्चात् मजदूरी यहाँ के श्रमिकों का मुख्य व्यवसाय है। मजदूर की आजीविका अत्यंत दयनीय रहती है। अत: उनका जीवन स्तर भी बुरा रहता है। और आजीविका हेतु उन्हें अपने बच्चों की शिक्षा को बीच में रोकते हुए मजदूरी कार्य में सम्मिलित कर लेते है, जिससे उनका भावी जीवन तबाह हो जाता है ।

कुंजी शब्द – सर्वविदित ,सामाजिक परिवेश, प्रदर्शन, बहुमुखी, सर्वांगीण , समायोजन, क्रमित, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, वैश्विक परिप्रेक्ष्य ।

प्रस्तावना – आधुनिक युग समाजवाद का युग है, सभी समाज की इकाई व्यक्ति है, सर्वविदित है कि मजदूर समाज के सबसे बड़ा पोषक है । वह अत्यन्त गरीब व शोषित होते हुए भी समाज से अत्यंत उदार है। बदलते जीवन मूल्य और बदलते सामजिक परिवेश के कारण के कारण मजूदरों के जीवन में आर्थिक समस्या सदैव बनी रहती है। बालकों पर विशेष प्रभाव पड़ता है मानव को जन्म से लेकर मृत्यु तक शिक्षा की आवश्कता होती है। प्रत्येक समय में उसका प्रभाव किसी ना किसी रूप में अवश्य विद्यमान रहता है।

शिक्षा का महत्व – शिक्षा का प्रकाश वह स्त्रोत ही जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्ति का सच्चा पथ प्रदर्शन करती है। शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की बहुमुखी उन्नति और सभ्यता की बहुमुखी प्रगती का आधार शीला है। शिक्षा के बालक या व्यक्ति स्वयं को ज्ञानी ओर अनुभव का धनी बनाता है। ज्ञान अनुभव और समायोजन द्वारा अपने व्यवहार को परिवर्तित कर उपयोगी और कल्याणकारी बनाता है।

मजदूरो के बच्चों में शिक्षा की समस्याऐं – मजदूरो के बच्चों के शैक्षिण स्तर बहुत ही कमजोर है, इसका एक बड़ा कारण यह है कि परिवार के भरण पोषण हेतू मजदूर एक राज्य से दूसरे राज्य जाकर मेहनत मजदूरी करता है।

मजदूरों में गरीबी की समस्या – भारत में गरीब की श्रेणी में कौन आता है?शहरों में रहने वाले जनजातिय लोग, दलितों और मजदूर वर्ग, जैसे खेतिहर मजदूर और सामान्य मजदूर अब भी बहुत गरीब हैं, और भारत के सबसे गरीब वर्ग में आते हैं।

भारत में ज्यादातर गरीब लोग कहां रहते है ? 60 प्रतिशत गरीब बिहार , झारखंड, ओडिशा , मध्यप्रदेश , छत्तीसगढ़ , उत्तरप्रदेश और उत्तराखंड के राज्यों में रहते हैं। इन राज्यों में मजदूरो की गरीबी की समस्या निरंतर बनी रहती हैं, जिन्हें हल करने हेतु सरकार द्वारा बहुत सी योजनाओं का प्रारंभ किया जा रहा है।

मजदूरों में शिक्षा संबंधी अज्ञानता की कमी – बहुत से मजदूरों में जीवन यापन हेतु प्रारंभ से ही मजदूरो कार्यो में लगे होते है, जहाँ पर उन्हें प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती है। जिससे वह शिक्षा के सबंधं में उन्हें जानकारी करने का अभाव रह जाता है. जो उनके बच्चों मे शिक्षा की समस्या तथा अज्ञानता बनकर जन्म लेती है।

मजदूरों में सरकारीं योजनाओं की जानकारी ना होना – बहुत से मजदूरों में जीवन यापन हेतु प्रारंभ से ही मजदूरी के कार्यो में लगे होते है, जहाँ पर उन्हें प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती है। जिससे उनमें शिक्षा से सबंधित जानकारी का अभाव रह जाता है, जो उनके बच्चों में शिक्षा की समस्या तथा अज्ञानता बनकर जन्म लेती है।

चंगोरी ग्राम पंचायत के अन्तर्गत मजदूरों के बच्चो के शैक्षणिक समस्या संबंधित आकड़े इस प्रकार है–

शासकीय माध्यमिक विद्यालय चंगोरी की संख्या संबंधी सारणी

सारणीक्रमांक–1

कक्षा	छात्र	छात्राएं
6	25	13
7	22	19
8	21	18

जातिगत आधार पर कक्षा– 6 की संख्या सारणी

सारणीक्रमांक–2

क्रमांक	जाति	बालक	बालिका
1	अन्य पिछड़ावर्ग	6	3
2	अनुसूचितजाति	5	5
3	अनुसूचितजनजाति	7	3
4	सामान्य	7	2

रिगोरी ग्राम के लोगो की व्यवसाय संबंधी विवरण

सारणीक्रमांक– 3

क्रमांक	व्यवसाय	प्रतिशत
1	मजदूरी	30
2	कृषि	60
3	कुम्भकार	10
4	अन्य	10

* शोधार्थी (समाज कार्य)डॉ. सी. वी. रामन् विश्वविद्यालय, करगी रोड़, कोटा, जिला–बिलासपुर(छ.ग.) भारत

चंगोरी ग्राम के लोगों का परिवार की मासिक आय संबंधी विवरण
सारणीक्रमांक-4

क्रमांक	आय (हजार रूपये में)	प्रतिशत
1	1000 से 4000	40
2	4000 से 5000	30
3	5000 से 10000	30

शासकीय योजनाएँ –बल श्रम उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना एंव स्वीकृत की गयी हैं, करीब 1.05 लाख बच्चों को शामिल करते हुए 76 बाल श्रम परियोजना एंव स्वीकृत की गयी है करीब 1.05 लाख बच्चों केा विशेष स्कूलों में नामांकित किया जा चुका है। श्रम मंत्रालय ने योजना आयोग से वर्तमान में 250 जिलों की बजाय देश के सभी 600 जिलों को राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना में शामिल करने के लिए 1500 करोड़ रूपये देने को कहा है। 57 खतरनाक उद्योगों ढ़ाबा और घरों में काम करने वाले बच्चो को (14 साल से कम उम्र) इस परियोजन के तहत् लाया जायेगा। सर्वशिक्षा अभियान जैसी सरकारी योजनाएँ भी लागु की जा रही है।

शैक्षिणक समस्या – 1991 की जनगणना के अनुसार देश के बाल-मजदूरी करने वाले बच्चों की कुल संख्या 11.28 मिलियन है। जबकि NSS के 1999 - 2000 सर्वेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार यह संख्या 10.40 मिलियन थी। इसके अंतर्गत यह प्रस्तावित है कि जोखिम भरे उद्योग में कार्यरत बच्चो का क्रमित रूप पुनर्वास कार्य प्रांरभ हो। जोखिम भरे व्यवसायों में काम करने वाले बच्चों का सर्वेक्षण कर, उन्हें वहाँ से हटाकर विशेष स्कूलों (पुनर्वास -सह-कल्याणक्रेन्द्र) में दाखिला के लिए लाया जाए ताकि सरकारी स्कूलों व्यवस्था की मुख्यधारा से उन्हें जोड़ा जा सके। 10 वीं योजना के रणनीति के अंतर्गत उन्हें व्यवासायिक प्रशिक्षण प्रदान करने की भी योजना है।

समाधान वा सुझाव :

1. जब किसी बच्चो को शोषित होते हुए देखें, तो उसकी व्यक्तिगत मदद करें।
2. बच्चों की सुरक्षा के लिए कार्यरत संगठनों के लिए स्वेच्छा से समय निकालें।
3. व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से कहें कि यदि वे बच्चों का शोषण बन्द नहीं करते है, तो उनसे कुछ भी नही खरीदेंगें।
4. बालश्रम से मुक्त हुए बच्चों के पुनर्वास और शिक्षा के लिए कोष जमा करने में मदद करें।
5. 10 अक्टूबर 2006 से घरों और ढाबों में बच्चों में बच्चों से मजदूरी कराना दण्डनीय अपराध है।

निष्कर्ष – मजदूरों के बच्चों के शैक्षणिक समस्या के संबंध में जहाँ पर मजदूर वर्ग के लोग अपने दैनिक जीवन व्यतीत करने हेतु परस्पर संर्घष करते रहते है, साथ ही एक स्थान से दुसरे स्थान परिवार के भरण पोषण हेतु मजदूर एक राज्य से दूसरे राज्य जाकर मेहनत मजदूरी करता है. इस हेतु मजदूरों के बच्चों मे शैक्षणिक समस्या का जन्म होता है, जहाँ पर वह मजदूर एक राज्य से दूसरे राज्य जाता है, वहां पर वह अपने बच्चों को भी ले जाता है। जहाँ पर मजदूरों के बच्चों में शिक्षा का आभाव उत्पन्न होता है, एक स्थान पर केन्द्रित ना होकर एक राज्य से दूसरे राज्य जाने पर उनकी शिक्षा पूर्ण नहीं हो पाती साथ ही गरीबी की समस्या के कारण भी यह स्थिति उत्पन्न होती है। इस हेतु मजदूरो को सरकारी योजनाओं के तहत जानकारी दी जाये और उनका तथा उनके बच्चो का शैक्षणिक जीवन सुधारा जा सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. ठाकुर सिंह श्रीवास्तव-माता-पिता के शिक्षा का प्राथमिक शाला के बच्चों कि शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ने वाले प्रभाव पर **अध्ययन** ।
2. सक्सेना एस.सी.- श्रम समस्या एवं समाजिक सुरक्षा मेरठ 456-458।
3. भटनागर आर.पी.-शिक्षा अनुशंधान मेरठ 223 -227
4. समाजकार्य-जी. आर. मदन।
5. सामाजिक शोध व सांख्यिकी -रवीन्द्रनाथ मुखर्जी।
6. इंटरनेट

****

विकासखण्ड घरघोड़ा में गोंड जनजातीय शिक्षा का स्वरूप

डॉ. काजल मोइत्रा * मंगल सिंह जाँगड़े **

शोध सारांश – शिक्षा सभी के जीवन में व्यक्तित्व निर्माण, ज्ञान और कौशल में सुधार करके के सभ्य मनुष्य बनाने में महान् भूमिका निभाती है। शिक्षा अपने साथ कुछ विशेष और नवीन सामाजिक जीवन का निर्माण करता है, जो अधिकतर परम्परागत गोंड़ आदिवासी रीति रिवाजों और मूल्यों से मेल नहीं खाते है और कहीं कहीं बिलकुल ही विरूद्ध रहते है। शिक्षा के फलस्वरूप कुछ गोंड़ जनजातियों का जीवन स्तर ऊँचा उठा है, कुप्रथाओं के प्रभाव में कमी आई व्यक्तिगत स्वतंत्रता में वृध्दि हुई है। शिक्षा मानवीय मस्तिक का सकारात्मक ओर मोड़ती है, और सभी मानसिक और नकारात्मक विचारधाराओं को हटाती है। अच्छी शिक्षा जीवन में बहुत से उद्देश्य सामाजिक, राजनैतिक चेतना बढ़ी है वहीं दूसरी ओर इस तथ्य को भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि शिक्षा ने नगरीय मनोवृत्तियों को बढ़ावा दे कर व्यक्तिवादी लाभ की भावना अनावश्यक प्रतिस्पर्धा, औपचारिक संबधों तथा भौतिकवादी जीवन शैली के प्रति आर्कषण पैदा कर जनजातीय समाज में अनेक समस्याओं को भी उत्पन्न किया है। परम्परा तथा आधुनिकता का सघर्ष हो रहा है। सम्पर्क तथा मिश्रण से आदिवासी समाज एक नया रूप ले रहा है। शहरी सभ्यता के सम्पर्क से वे लोग अपनी भाषा से ज्यादा बाहरी भाषा को अपनाने लगे है। शिक्षा उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक उपकरण है, मानव जीवन में शिक्षा के इस उपकरण का प्रयोग करके सर्वांगीण विकास कर सकते है।

शब्द कुंजी – शिक्षा, पराम्परागत संस्कृति, विकास ।

प्रस्तावना – शिक्षा एक सामाजिक तथा गतिशील प्रक्रिया है। मानव जीवन में शिक्षा की भूमिका अत्यंत महत्व है, शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। जिसके द्वारा बालक की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों का विकास हो जाता है। इससे वह समाज का एक उत्तरदायी घटक एवं राष्ट्र का प्रखर चरित्र सम्पन्न नगरिक बनकर समाज कि सर्वांगिक उन्नति में अपनी शक्ति का उत्तरोत्तर प्रयोग करने की भावना से ओत प्रोत होकर संस्कृति तथा सभ्यता को पुनजीवित तथा पुन: स्थापित करने के लिए प्ररित हो जाता है। शिक्षा बालक का सर्वांगीण विकास करके उसे तेजस्वी, बुद्धिमान, चरित्रवान, विद्वान तथा वीर बनाती है, उसी प्रकार दूसरी ओर शिक्षा समाज की उन्नति के लिए भी एक आवश्यक तथा शक्तिशाली साधन है। शिक्षा द्वारा मानव की जन्मजात पाशविक प्रवृत्तियों का शोधन तथा मार्गन्तरीकरण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह एक सामाजिक प्राणी बनता है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता हैं, जब से मानव सभ्यता का उदय हुआ है, तभी से शिक्षा का विकास हुआ है।

अध्ययन उद्देश्य – प्रस्तुत अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य रायगढ़ जिले में घरघोड़ा विकासखण्ड में गोंड़ जनजाति में शिक्षा का स्तर, विकास तथा संस्कृति का प्रभाव को प्रकाश में लाना, जिसके आधार पर गोंड़ जनजातियों की शिक्षा स्तर का विकास की दिशा सुनिश्चित किया जा सके।

विधि तंत्र – प्रस्तुत अध्ययन द्वितीयक ऑकड़ो पर आधारित है, अध्ययन में विश्लेषणात्मक विधितंत्र का प्रयोग किया गया है,

अध्ययन क्षेत्र – रायगढ़ जिला छ.ग. का एक पूर्वी जिला है जिसकी सीमाएँ पूर्व में उड़िसा प्रांत उत्तर पूर्व में झारखण्ड प्रांत के गुमला जिले से लगती हैं। रायगढ़ जिले का गठन 1 जनवरी 1948 को हुआ है। जिसमें रायगढ़ जिले का कुल क्षेत्रफल 6836.35 वर्ग किमी. है। जलवायु की दृष्टि से रायगढ़ जिले को दो भागों में बंटा हुआ है, आक्षांश 21'55'' से 22'48'' डिग्री उत्तर की ओर तथा देशांश 84'52'' से 83'48'' पूर्व की ओर है। समुद्र तल से यह जिला 267 मीटर ऊँचाई पर स्थित है। वर्तमान में इस जिले में 09 विकासखण्ड है। जिसमें 04 सामुदायिक विकासखण्ड रायगढ़, बरमकेला, पुसौर, एवं सारंगढ़ तथा 05 आदिवासी विकास खण्ड धरमजयगढ़, तमनार, लैलुंगा, खरसिया एवं घरघोड़ा शामिल हैं। जिला मुख्यालय से 40 किमी. दूरी पर आदिवासी विकासखण्ड घरघोड़ा स्थित है, घरघोड़ा विकासखण्ड का विस्तार 22.17° उत्तर तथा 83.35° पूर्व विस्तारित हैं। समूद्रतल से घरघोड़ा 258 मीटर ऊँचाई पर स्थित हैं। विकासखण्ड का क्षेत्रफल 469.00 वर्ग किमी. पर स्थित है। जनसंख्या 79425 है जिसमें पुरूष 39330 व महिलाएँ 40095 है, अनुसूचित जनजाति 46718 तथा अनुसूचित 6096 जनसंख्या स्थित है। घरघोड़ा क्षेत्र की कुल अनुसूचित जनजाति साक्षारता 73.70 प्रतिशत है जिसमें पुरूष 65.20 तथा महिला 53.57 प्रतिशत हैं। गोंड़ जनजाति की कुल साक्षर 53.31 प्रतिशत है।

विश्लेषण एवं व्याख्या – शिक्षा घरघोड़ा विकासखण्ड के गोंड़ जनजाति समाज में परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण कारक रहा है। आधुनिक समाज की प्रमुखस विशेषताओं में शिक्षा को मुख्य सूचक माना गया है। नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा स्तर के प्रतिशत में काफी अन्तर है। शिक्षा ने लोगो के जीवन स्तर को एक नयी ऊँचाई प्रदान कर रहा है, तथा परम्परा, जनजातीय संस्कृति में भी भारी परिवर्तन दिखाई देने लगा है। सामाजिक एवं राजनैतिक जागरूकता में वृद्धि हुई है, शिक्षा का तीव्रतम प्रमुख नगरीकरण के रूप में प्रकट हुआ है जिससे जनजातीय जीवन में नगरीय मूल्यों को समाविष्ट करने का प्रयास किया गया है। शिक्षा के प्रभाव से जनजातीय, गॉव पर अत्मनिर्भर नष्ट हो गयी तथा जनजातीय गॉव की परम्परागत संस्कृति में नगरो ककी नयी संस्कृति का प्रभाव घट गया।

यद्यपि शिक्षा के कारण जनजतीय जीवन स्तर में सुधार हुआ है, लेकिन इसके साथ है अनेक समस्याओं की भी प्रादुर्भाव हुआ है। जैसे: स्वार्थ लाभ की भावना, प्रतियोगिता, रोजगार, आदि। शिक्षा में स्त्री–पुरूष अनुपात में

* एसोसिएट प्राध्यापक (भूगोल) डॉ. सी. वी. रामन् विश्वविद्यालय, कोटा, जिला–बिलासपुर (छ.ग.) भारत
** एम. फिल शोधार्थी (भूगोल) डॉ. सी. वी. रामन् विश्वविद्यालय, कोटा, जिला–बिलासपुर (छ.ग.) भारत

भी काफी अन्तर पाया गया है। शिक्षा के अनेक योजनाएं संचालित है किन्तु शिक्षा के स्तर में वृद्धि संतोषजनक नहीं है। शिक्षा के कारण गोंड़ समाज में अनेक परिवर्तन हुए है जो निम्न है।

1. **व्यावसायिक कुशलता का विकास –** शिक्षा कार्य बालकों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना होता हैं, शिक्षा प्राप्त करने के साथ ही वह किसी एक व्यावसायिक कुशलता की प्रप्ति की जा सकती है।
2. **जीविकोपार्जन में सहायक –** शिक्षा का कार्य व्यक्ति व्यावसायिक कुशलता का विकास कर जीविकोपार्जन में सहायता करता है।
3. **व्यावसायिक उन्नति में सहायक –** शिक्षा का कार्य बालक तथा व्यक्ति के व्यावसायिक उन्नति में सहायता करना है। शिक्षा द्वारा नवीन तकनीकी का ज्ञान होती है। जिससे व्यवसायिक उन्नति सम्भव है।
4. **चरित्र निर्माण में सहायक –** शिक्षा का उद्देश्य बालक का चरित्र निर्माण करना है। चरित्र को स्पष्ट करते हुए डॉ. राधाकृष्णन ने कहा है कि, चरित्र भाग्य है, चरित्र वह वस्तु जिस पर राष्ट्र के भाग्य का निर्माण होता है। तुच्छ चरित्र वाले मनुष्य श्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते।
5. **सांस्कृतिक विकास –** संस्कृति वह सम्पूर्ण जटिलता है, जिसमें वे सभी वस्तुएँ सम्मिलित है, जिन पर हम विचार करते है, कार्य करते है और समाज का सदस्य होने के नाते अपने पास रखते है। संस्कृति में जीवन जीने कार्य करने एवं विचार करने के उन सभी तरीकों को सम्मिलित करते है, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित होते है। अत: शिक्षा का उद्देश्य अपनी विशिष्ट संस्कृति को हस्तांतरित करने का उद्देश्य होना चाहिए । शिक्षा के द्वारा संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार किया जाता है।
6. **शारीरिक विकास –** शिक्षा का उद्देश्य बालक का शारीरिक विर्कास करना है, जिससे बालक एक वयस्क के रूप में समाज में अपना जीवन निर्वाह कर सके। शिक्षा के द्वारा विद्यालय या विद्यालय की परिधि के बाहर विभिन्न प्रकार के शारीरिक विकास से सम्बधित गतिविधियों का आयोजन किया जाना चाहिए।
7. **व्यक्तित्व का विकास –** शिक्षा का उद्देश्य मानव के व्यक्तित्व का विकास करना है। व्यक्तित्व की परिभाषा अत्यंत ही व्यापक है। व्यक्तित्व का विकास छात्र के केवल किसी एक पक्ष के विकास से नही वरन् सभी पक्षों के विकास से होता है। सभी पक्षों से तात्पर्य शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, चरित्रिक इत्यादि है।

निष्कर्ष – उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि आज शिक्षा फलस्वरूप गोंड़ जनजातीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ हो रही है, शिक्षा से व्यक्तियों के जीवन में व्यापक परिवर्तन हुआ है। शिक्षा ने जनजातीय जीवन के विभिन्न पक्षों को प्रभावित कर जनजाति समुदाय में महत्वपूर्ण संरचनात्मक तथा संस्थात्मक परिवर्तन उत्पन्न किया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. जनगणना 2011
2. जिला कलेक्टर संख्यिकी विभाग
3. कार्यलय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, घरघोड़ा
4. पण्डा बी. पी. (1988) जनसंख्या भूगोल हिन्दी साहित्य ग्रंथ अकादमी मध्यप्रदेश
5. चन्द्र आर. सी. (1992) जनसंख्या भूगोल कल्याणी पब्लिकेशन नई दिल्ली

चित्र : 1

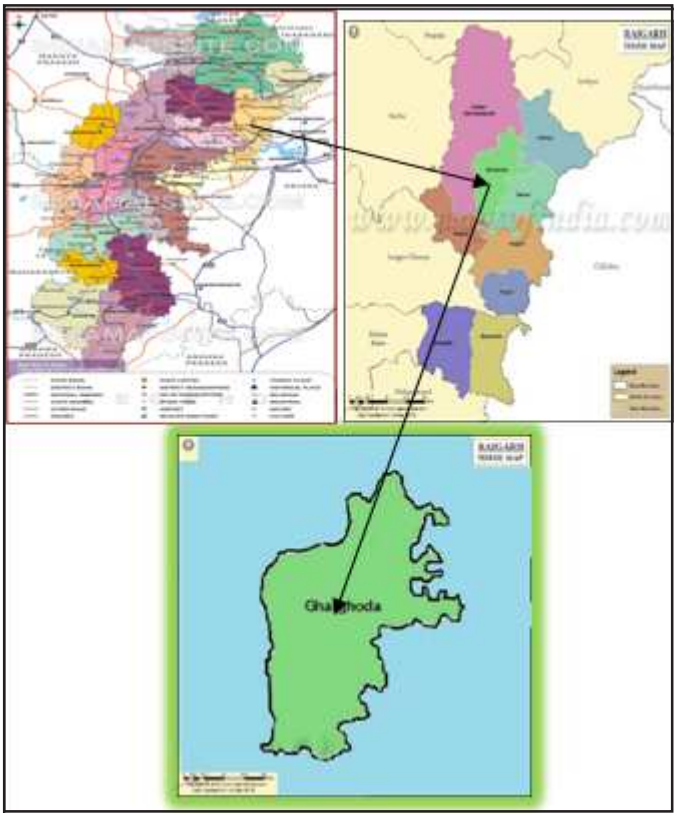

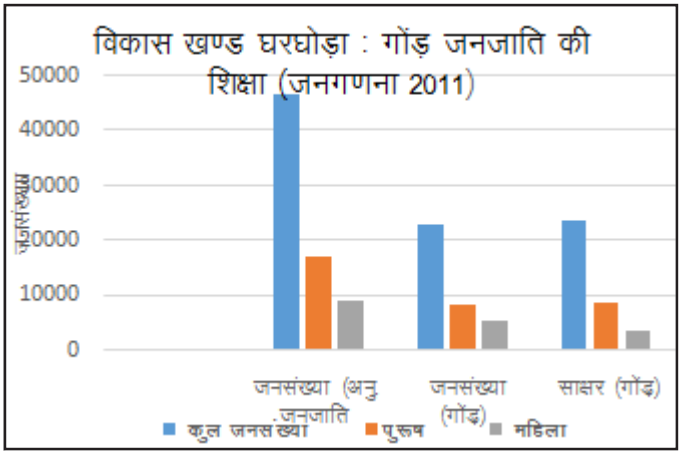

क्र.	जनसंख्या (अनु. जनजाति)			जनसंख्या (गोंड़)			साक्षर (गोंड़)		
	कुल	पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	46718	22983	23735	17285	8504	8781	9215	5527	3688

Human Predicament and Meaninglessness of Life in the Works of Arun Joshi

Dr. Ajay Bhargava * Batul Attarwala **

Abstract - The predicament and meaninglessness of modern man has been delineated by certain recent Indian novelists in English. In the works of Arun Joshi we see that how man has lost his spiritual moorings. All the heroes of Joshi are "men engaged in the meaning of life." In all his works Joshi, the novelist tries to sketch the pen picture of the urbanized and industrialized modern civilization along with its dehumanizing impact on the individual who is ever eager to find out the meaning of all life and existence. In the third world literature we find the theme of individuals' predicament in the form of rootlessness and crisis of identity.

Introduction - Arun Joshi's first novel *The Foreigner* examines the problem of isolation and involvement and man's despair at being unable to find a meaning in existence. The protagonist, Sindi Oberoi is irritated and embarrassed to find himself in the predicament of an outsider. Sindi Oberoi, compares himself with a tree without roots. He feels himself an orphan and a stranger everywhere: in Boston, in Kenya where he was born, in London where he was educated, and in India, the land of his ancestors, where he has come back. Sindi's pessimistic attitude is aggravated by the fact that he does not have faith in anything: neither in God, nor in the motherland, nor in revolution nor in love. He does not have any ideals. The author tries to convey only the external impulses of man.

Billy, of *The Strange Case of Billy Biswas*, like Sindi, is also in search of human world of emotional fullness – a world of meaningful relatedness, which can be find either in white America or in the upper class Indian society. Though Billy withdraws from the humdrum world, he does not withdraw from the world of love and pain, or from the world of sensuality and sensitiveness and this he finds in the Saal forests, among the aboriginals, in his relationship with Bilasia who reflects the primitive force which Tuula had long ago sensed in Billy. It is in this life that Billy finds fulfillment and identification and the essence of human existence. Later, when he discloses his identity there is no underlying motive to return to the civilized world. Only a desire to prevent bloodshed. While civilized world destroys him the tribal world seeks to perpetuate the memory of the man-god by building him a shrine.

Ratan Rathore in *The Apprentice* becomes a whore in the pursuit of his career and ends up ultimately by accepting a bribe when he least needs money. Ratan finds himself a misfit in the modern world. All his education and intelligence did not help him. He is alienated from his true self and his ideals. In his feverish pursuit of careerism, he submits himself to all sorts of corruption that the modern world offers. In spite of all the material comforts available to him, discontentment becomes a way of life. He leads a frustrated and exhausted family life. His corrupt deal at the end costs the life of the Brigadier, his closest friend. He realizes the gravity of his sin. At last his alert consciousness alienates him from the degenerated society. The highly sophisticated civilization has produced an average typical dilemma for Ratan. With a troubled conscience Ratan goes from place to place without finding any peace or solace.

The Last Labyrinth also aims at delineating the human predicament. It probes into the turbulent inner world of an industrialist, Som Bhaskar who becomes a millionaire at the age of thirty. The novel plunges into a haunting world of life, love, God and Death, the greatest of all mysteries– "the last labyrinth". In his own estimation, he is wondering, curious, analyzing, correlating but getting nowhere. The root cause of Som's problems is that he is relentlessly chased by undefined hungers. He is always haunted by mysterious voices. As a result of his grim experience in life, Som develops a new loathing for the squalid world. He is disgusted with people and himself. To know the meaning of life Som is urged on by a keen desire. The questions about life and death continue to haunt him throughout his life.

In Arun Joshi's novels the awareness of self is inspired by a confrontation with some crisis or catastrophe – the death of June Blyth for Sindi, the seduction of Rima Kaul for Billy, the death of the Brigadier for Ratan Rathore and the death of Anuradha for Som Bhaskar. His novels, nevertheless, go a long way to affirm the value of meaningfulness in life. They seem to indicate that one can

*Prof. & Head (English) Govt. College, Barnagar, Distt. Ujjain (M.P.) INDIA
** Research Scholar (English) Vikram University, Ujjain (M.P.) INDIA

realize the essence of life by liberating the self from the clutches of mercenary civilization and by paying due heed to authentic calls of the inner being. This seems to Joshi to be the only way out of saving man from terrifying degradation and purposelessness of the contemporary sordid, meaningless world.

Arun Joshi's fifth and the last novel, *The City and the River*, is a political fable, "using a mixture of fantasy, prophecy, and a startingly real vision of everyday politics, this is a novel that is truly a parable of the times." However, it will be an injustice to Joshi if this fictional work is just taken as a political novel. The political body of the novel has been adopted by the novelist to present a spiritual vision of life. Divinity dominats the whole of *The City and the River*. In the novel Joshi makes a successful attempt to show the significance of an inseparable relationship between religion and politics. In all of his earlier four novels Arun Joshi focuses on the inner turmoil of the individual protagonists, while in *The City and the River* he works on a vaster canvas depicting the predicament of the whole generation or rather the whole race. It is, in fact, an account of human predicament and divine salvation of mankind. Throughout the novel there is an eternal conflict between allegiance to man and allegiance to God. *The City and the River* exhibits that it is ego, empowering desire and self-centered attitude that cause the predicament of mankind ; and it is only through purification, suffering and sacrifice that divinity is attained that in turn leads to the salvation of mankind.

References :-

1. M. K. Naik and Shyamala A. Narayan, Indian English Literature 1980-2000 : A Critical Survey (Delhi : Pencraft International, 2001)Print.
2. O. P. Mathur, New Critical Approach to Indian English Fiction (New Delhi : Sarup and Sons, 2001)Print.
3. R. p. Rama, Indo-Anglian Review, Arun Joshi's The Foreigner, Indian Writing Today (July – September, 1970) Vol IV, No. 3

✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻

The Romantic Revival

Dr. Rashmi Nagwanshi *

Introduction - In romantic revival, the revolution in form and style matters more than in most. The classicism of the previous age had been so fixed and immutable. It had been enthroned in high places, enjoyed the esteem of society, arrogated to itself the acceptance which good breeding and good manners demanded. Dryden had been a court poet, careful to change his allegiance with the changing monarchy. People had been the equal and intimate of the great people of his day, and his followers, if they did not enjoy the equality enjoyed at any rate the patronage of many noble lords. The effects of this were to give the prestige of social usage to the verse in which they wrote and the language they used.

Here was one avenue of revolt from the tyranny of artificiality, the getting back of common speech into poetry, But there was another, earlier and more potent in its effect. The eighteenth century, weary of its own good sense and sanity, turned to the middle Ages for pictures queens and relief. Romance of course, had not been dead in all these years, when pope and Addison made wit and good sense the fashionable temper for writing. There was strong romantic tradition in the eighteenth century, though it does not give its character to the writing of the time, Dr. Johson was fond of old romances.

A similar longing to the rid of the precision and order of everyday life drove them to the mountains, and to the literature of Wales and the high hands, to Celtic or Pseudo-Celtic romance.

The Love of mediaeval quaintness and obsolete words however, led to a more important literary even the publication of Bishop Pears edition of the ballads in the Percy folio relinquish of Ancient poetry.

The romantic revival goes deeper than any change, however momentous of fashion or style. It meant certain fundamental changes in human outlook. It the first place, one notices in the authors' of the time an extraordinary development of imaginative Sensibility; the mind at its countless points of contact with the sensuous world and the world of thought, seems to become more alive and alert. It is more sensitive to fine impressions, to finally graded shades of difference. Outward objects and philosophical ideas seem to increase in their content and their meaning, and acquire a new power to enrich the in tensest life of the human spirit. Mountains and lakes, the dignity of the peasant, the terror of the supernatural, scenes of history, mediaeval architecture and armor and mediaeval thought and poetry, the arts and mythology of Greece all became springs of poetic inspiration and poetic joy. The impressions of all these things were unfamiliar and ministered to a sense of wonder, and by that very fact they were classed as romantic as modes of escape from a settled way of life.

Romantic revival brought to literature a revival of the sense of the connection between the visible world and another world which is unseen of all the aspects of the revival, however, the new sensitiveness and accessibility to the influences of external nature was the most pervasive and the most important. Wordsworth speaks for the love that is in homes where poor men lie, the daily teaching that is in

"Woods and rills;
The silence that is in the starry sky
The peace that is among the lonely hills."

The imaginative sensibility of the romantics not only depend their communion with nature, it brought them into a truer relation with what had before been created in literature and art. The romantic revival is the Golden age of English criticism; all the poets were critics of one sort or other- either formally in essays and prefaces, or in passing and desultory flashes of illumination in their correspondence.

The prose writers of the Romantic Movement brought back two things into writing which had been out of it since the seventeenth century. They brought back egotism and they brought back enthusiasm.

References :–

1. Modern English literature, G.H. Mair srishti book Distributors New Delhi, 2014.
2. Dr. Neerja Garg, Modern English Literature, Murari Lal & Sons, New Delhi, 2010
3. Ajay Das, A short History of English Literature, Omega Publications, New Delhi 2009

* H.O.D. (English) Govt. College, Junnardeo (M.P.) INDIA

मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यासों में स्त्री विमर्श

प्रीति शुक्ला *

प्रस्तावना – आधुनिक काल के हिन्दी साहित्य में 'स्त्री–विमर्श' साहित्य का मुख्य विषय रहा है। इसका प्रभाव उपन्यास के क्षेत्र में भी है, मैत्रेयी पुष्पा ने इस समय के उपन्यासकार के रुप में ख्याति प्राप्त की है। इनके उपन्यासों में स्वभाविकता है, इनके उपन्यास में वर्णित पात्र समाज में देखने को मिलते है, जो यथार्थ की कसौटी पर खरे उतरते हैं।

राजकिशोर के अनुसार 'इन्हें भारतीय उपन्यास की परम्परा को आगे बढ़ाने वाली एक नई कड़ी कहा जा सकता है'।

पुरुष नारी का चरित्र–चित्रण आदर्श रुप में कर सकता है, किन्तु अनुभूति के अभाव में सत्य तक नहीं पहुँच पाता है। मैत्रेयी पुष्पा के पास अपना भोगा हुआ अनुभूत सत्य होने के कारण नारी चित्रण में संजीवता आई है। इन्होंने बुंदेलखण्ड के अंचल को समग्र रूप से चित्रित किया है, इसका प्रमाण इनके उपन्यासो को पढ़ने के बाद मिलता है। मैत्रेयी पुष्पा ने 'बेतवा बहती रही', इदन्नमम, अगनपारवी, चाक, अल्माकबूतरी, झूलानट, विजन, कही ईसुरी फाग, त्रिया–हठ, कस्तूरी कुण्डल बसै, जैसे उपन्यासों का सृजन कर हिन्दी साहित्य जगत में अपना स्थान कायम किया है।

मैत्रेयी पुष्पा के अधिकतर उपन्यासों में ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण है। 'विजन' एक मात्र उपन्यास है, जिसमें नगरीय परिवेश आया हैं। 'विजन' उपन्यास की कथावस्तु चिकित्सा जगत से संबंधित है, अन्य सभी उपन्यासों का केन्द्र ब्रज और बुन्देलखण्ड का ग्रामीण परिवेश है।

मैत्रेयी पुष्पा ने 'बेतवा बहती रही' में उर्वशी के संघर्ष को सामाजिक रुप देकर बड़ी बखुबी से प्रस्तुत किया है। इनके साहित्य के दो छोर है, एक ग्रामीण और दूसरा स्त्री। इन्होंने अपने उपन्यास साहित्य के माध्यम से भारतीय समाज में महिलाओं की सामाजिक स्थिति का सही अंकन किया है।

महिलाओं के वास्तविक जीवन का अंकन करते समय उन्होंने समाज के बंधन भी तोड़ दिए है। उपन्यास की नारियाँ पति के अलावा अन्य पुरुषों से शारीरिक संबंध स्थापित करते समय समाज अथवा परिवार की चिंता नहीं करती है। समाज में नारी का स्थान हमेशा दोयम रहा है, 'चाक' उपन्यास की सारंग अपने पति के खिलाफ चुनाव में खड़ी होती है, उसका पति उसके इस रुप को शिक्षित होकर भी नहीं स्वीकारता है। 'इदन्नमम' उपन्यास की मंदाकिनी में सोनपुरा गाँव के मजदूरों को इकट्ठा कर उनको आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करने का सामाजिक कार्य आरम्भ किया, तब पूँजीपति वर्ग ने उसका विरोध किया।

आज समाज में महिलाओं को अनेक बंधनों से बाँध दिया जाता है, वे घर से बाहर न निकल सके, इसलिए उसे पावित्रय, नैतिकता, पतिव्रता आदि में जकड़ दिया है। 'चाक' उपन्यास में चरनसिंह बोहरे कहता है– 'लोग माने या न माने स्त्री आदमी से दो गुना खाती है, चार गुनी लज्जाशील, छ: गुनी हिम्मती और आठ गुनी कामिक, तभी तो इसे गहनों से बाँध–छेदकर रखा जाता है'।

'कस्तूरी कुण्डल बसै' उपन्यास में अपनी आत्मकथा को लिखते हुए मैत्रेयी ने कहा है, मैत्रेयी का विवाह तय करने के लिए माँ कस्तूरी जब रिश्ता देखने जाती थी। तो रिश्तेदार किसी पुरुष को साथ लाने की बात कहते है, वे औरत के साथ रिश्ते की बात चलाना नहीं चाहते है, ऐसा करना वह पुरुष जाति का अपमान समझते है।

ऐसे ही एक प्रसंग में कहा है– 'माताजी बेटी का रिश्ता लेकर गयी तो पाठक ने रिश्ता ठुकराया। पाठक ने भगवानदास से कहा कि रिश्ते तो बहुत आ रहे है, तुम्हारे गाँव की राँडी भी चार बार चक्कर मार गयी। तुम्हारे गाँव वाला रिश्ता ठीक लग रहा था पर उस राँड़ी की क्या साख, कहकर रिश्ता ठुकराया।'

आज समाज में एक स्त्री अपनी बेटी के लिए रिश्ता भी लेकर नहीं जा सकती है, उसे अन्य पुरुष को भेजना होगा। इससे स्पष्ट होता है कि महिलाओं का समाज में दोयम स्थान है। ऐसी स्थिति आज भी भारतीय समाज में पायी जाती है।

भारतीय परिवार की नारी के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। वह खाना तो पकाए लेकिन पति के भोजन करने के बाद खाए और यदि इस रिवाज को तोड़ा तो उसे सजा का प्रावधान है। 'कस्तूरी कुंडल बसै' की राधा भाभी ने रोटी पकाते समय एक रोटी खाई सास ने उसे देखा तो सजा के डर से वह खेतों की तरफ भाग गई। एक रात नहीं लौटी, सबेरा हुआ तो देखा कि दूसरे गाँव का धोबी उसे अपने संग ला रहा है। धोबी ने हाथ जोड़े, कसम खाई कि राधा उसकी बहन के समान है, मगर सास का मन कर रहा था। उस हरजाई की जान ले ले। चलो जीभ पर चिमटा दागकर छोड़ दिया।म

धोबी के कहने पर भगवान राम ने पत्नी सीता का त्याग कर दिया था यह तो मनुष्य है। चारित्र का न्याय पुरुष व स्त्री को समान नहीं है यदि पुरुष एक रात अपने घर से बाहर रहे और बदचलनी करे तो उसे पुरुषार्थ माना जाता है। आज शिक्षा तथा समाज सुधार के माध्यम से इसमें परिवर्तन अपेक्षित है। महिला लेखिकाएँ भी अपने साहित्य के माध्यम से इस परिवर्तन की अपेक्षा कर रही है।

'इदन्नमम' उपन्यास की मन्दाकिनी पुरुष समाज के बारे में कहती है– एक ओर तो पतिव्रत धर्म की परिभाषा करता राम के साथ सीता का वनगमन तथा दूसरी ओर उसी निष्ठा को तोड़ता मर्यादा पुरुषोत्ताम राम का सीता की अग्नि परीक्षा लेना। सीता ने क्यों नहीं माँगा कोई सबूत कि भगवान कहे जाने वाले राम तुम भी तो उस अवधि में मुझसे अलग रहे हो, अपने पवित्र रहने का साक्ष्य दो।लेकिन ऐसी सीता को इस समाज में रहने का अधिकार

* शोधार्थी (हिन्दी) शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

नहीं, उसे अग्नि जला नहीं सकती तो उसे भूमि प्रवेश करना होगा।

मैत्रेयी के 'चाक' उपन्यास की सारंग अपने गाँव के विकास के लिए राजनीति में आना चाहती है, उसका शिक्षित पति अपनी पुरुष सत्ता बरकरार रखने के लिए उसका विरोध करता है, तब भी सारंग चुनाव के लिए पर्चा भरती है और तब दोनों में झगड़ा होता है और उसे पति के विरोध को सहन करना पड़ता है।

'झूलानट' उपन्यास की शीलो अपने परिवार को चलाने के लिए खेती में कौन सी फसल लगाई जाए, इसका निर्णय लेती है, यह कार्य पुरुष का माना जाता है। शीलो की सास उसके हर फैसले का विरोध करती है।

'अगनपाखी' की भुवनमाहिनी पुरुष प्रधान संस्कृति की शिकार होती है। उसे सती करवाकर उसके हिस्से की जमीन छीनने का प्रयास किया जाता है।

'बेतवा बहती रही' की उर्वशी पुरुष प्रधान संस्कृति का विरोध करते हुए अपने जीवन की यात्रा समाप्त करती है।

'विजन' उपन्यास का शहरी परिवेश होने के बावजूद इसकी पात्रा डॉ. आभा को उसके ससुर अपने बेटे डॉ. अजय के ही अस्पताल की जिम्मेदारी सौपते है। जो पति से काबिल डॉक्टर है, फिर भी वह पति से आगे न निकल जाए, यह सोचकर उसकी प्रतिभा को कुंठित किया जाता है।

शहर हो या गाँव भारत में पुरुष प्रधान संस्कृति के कारण नारी को हर जगह पर दोयम स्थान मिला है। उसकी प्रतिभा को गहनों की बेड़ियो में जकड़कर पर्दे में कैद किया गया है, आज आधुनिक समय में भले ही परिवर्तन की बात कहीं जा रही है, फिर भी समस्या वही है। आज भी विवाह तय करते समय लड़का अपने से कम शिक्षित लड़की चाहता है, तथा लड़की भी अपने से ज्यादा पढ़ा-लिखा लड़का चाहती है। पुरानी परंपरा को चलाने की यह नई व्यवस्था बनती जा रही है।

यह दु:ख की बात है, समाज में स्त्री पुरुष संबंधों में कई प्रकार की समस्याएँ पायी जाती है। इनका एक प्रमुख कारण स्त्री को कमजोर व अबला माननी की दृष्टि है।

'बेतवा बहती रही' उपन्यास की गजरा कुरुप होने के कारण उसका पति उससे प्यार नहीं करता, यहाँ तक की उसने पत्नी से दूर रहने के लिए बैरागी का रुप धारण कर लिया, लेकिन पति के त्यागने पर भी गजरा उसे ही प्यार करती है और जब एक्सीडेन्ट में उसका पति घायल होता है तब उसने ही उसकी सेवा की, उसकी ईश्वर से एक ही गुहार थी- प्रभो इनकी साँसो में मेरी साँस मिला दो। मेरा जीवन काट कर इनकी आयु में 'इसी में मेरा मोक्ष है, खुशी है, संतोष'।

इस प्रसंग का आधार यह है कि पुरुष स्त्री के साथ बुरा व्यवहार करता है किन्तु स्त्री अपने पुरूष के साथ नहीं।

'इदन्नमम' की कुसुमा का दाऊ से अनैतिक संबंध है, इस संबंध पर कुसुमा को कोई अपराध बोध भी नहीं है। दाऊ जू के संबंध के बारे में कुसुमा मंदाकिनी से कहती है- 'दाऊ जू आ गए हमारे बीहड़ में। सीतल झरना होकें बहने लगे। उजाड़ जिंदगानी के टूटे-फूटे मंदिर में, ज्यों पिरभू देवता का रुप धरकर खड़े हो गए हो। बस -साई हम उनकी सरन में जा गिरे जोगिन तपसिन की तरह।'

'बेतवा बहती रही' उपन्यास का सर्वदमन अपनी पत्नी उर्वशी को समझाता है- 'कभी मैं न रहूँ उर्वशी तो तुम रहना, देख रही हो सामने सही का चौरा, ऐसे सती मत हो जाना यह कायर थी, तुम कायर नहीं हो उर्वशी तुम मेरी पत्नी हो, सर्वदमन की अर्धांगिनी साहसी 'निर्भीकम' इस उपन्यास की भुवनमाहिनी सती रूप में मरना नहीं चाहती है, लेकिन गाँव में चर्चा फैल गई की भुवन सती होने वाली है। 'घरवालों की योजना संपत्ति हड़पने की थी वह भागना चाहे भी तो भाग नहीं सकती। सती-सतीं का जाप चल रहा है। पति चला गया, उसको जाना होगा। शोक नहीं दिखाया भय सता रहा है। बदकार की तरह थर-थर काँपने लगी। वह हत्यारी है। पति की प्राणघातिनी, अब पति का सिर गोद में लेकर चिता पर बैठे, जेठ जी दाग दे, आग की लपटों के बीच मौत की ओर जाते हुए लोग उसे देखे, तभी पाप क्षमा होगा।'

मैत्रेयी पुष्पा ने अपने उपन्यासों के नारी पात्रों को विद्रोही रुप में खड़ा किया है। 'चाक' की मंदाकिनी 'झूला नट' की शीलो आदि नारी पात्र विद्रोह का शंख फूकती है। एक उदाहरण दृष्टव्य है- 'इदन्नमम' की कुसुमा मंदा से कहती है- बिन्नु एक बात समझाओ, अरथाओ कि ये रिश्ते-नाते संबंध और मरजाद किसने बनाई? किसने सिरजी है बंधनों की रीत? जो नाम लेती हो उनने? मनु-व्यास ने? रिसियों-मुनियों ने? देवताओं ने, की राच्छसों ने?

यह नारी, परंपराओं से चली आ रही व्यवस्था का विरोध कर रही है! रिश्ते-नाते में आई खटास का कारण नारी ढूँढना चाहती है। इस संवाद से शोषण के खिलाफ कुसुमा का विद्रोह स्पष्ट होता है।

मैत्रेयी पुष्पा ने अपने उपन्यासों में इन समस्याओं पर प्रकाश डाला है। दहेज अथवा भोगलिप्सा के लिए आए, दिन नारी की हत्या हो रही है 'चाक' उपन्यास में रेशम की हत्या होती है, अंतरपुर गाँव के इतिहास में दर्ज दास्ताने बोलती है- रस्सी के फंदे पर झूलती रुकमणी, कुँए में कूदने वाली रामदेई, करबन नदी में समाधिस्थ नारायणी' ये बेबस औरतें सीता मईयां की तरह 'भूमि प्रवेश' कर अपने शील सतीत्व की खातिर कुरबान हो गई।

नारी शोषण का एक और कारण है- यौन शुचिता। इसके नाम पर समाज में नारी शोषण आज भी हो रहा है। जो स्त्रीं अपनी कामवासना की पूर्ति के लिए व्यभिचार करती है, उसे दंड दिया जाता है। दंडित करने वालों में माता-पिता, पति या समाज के अन्य लोग होते है। ऐसा ही एक प्रसंग 'चाक' उपन्यास में आया है। इस उपन्यास की पांचव्वा बीबी ने सव्वू फकीर के साथ शारीरिक संबंध रखा, बाप को पता चलते ही उसने नथिया भंगिन को बुलाकर दंड देने की योजना बनायी। उसे इस कर्म की सजा देने के लिए चिमटा आग में दहकाया और उन लाल जलती हुई लोहे की पत्तियों को नथिया भगिन ने पाचव्वा बीबी की छातियों की काली जगह पर रख दिया। ऐसे पाशवी कार्य में एक पिता भी शामिल है, यह बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है।

मैत्रेयी पुष्पा के 'अल्मा कबुतरी' उपन्यास में कबूतरा स्त्रियाँ अवैध शराब बनाने का काम करती है। उनके पति चोरी कर जंगल भाग जाते हैं। तब इन स्त्रियों का पुलिस शारीरिक शोषण करते हैं। वह चुपचाप सहतीं हैं। एक प्रकार की वेश्यावृति है। वेश्यावृति समाज में कोई भी स्त्री अपनी इच्छा से स्वीकार नहीं करती है। समाज की व्यवस्था ही स्त्री को वेश्या बनने के लिए मजबूर करती हैं। पुरुष अपनी काम पिपासा पूरी करने के लिए धन का लालच देकर स्त्री का संग प्राप्त करता है। रखैल रखता हैं। समाज व्यवस्था स्त्री को इस रास्ते पर जाने के लिए मजबूर करती हैं।

स्त्री का विद्रोही स्वरूप - समाज की शोषण मूलक व्यवस्था का स्त्री विद्रोह करती हैं। मैत्रेयी पुष्पा ने अपने नारी पात्रों की निर्मिती के माध्यम से विद्रोह का स्वर यंत्र-तंत्र मुखरित किया है। 'इदन्नमम' उपन्यास की मन्दाकिनी द्वारा पुराणों के प्रसंग को लेकर विद्रोही स्वरूप दिखाया गया है- 'महाभारत में कुन्ती का पर पुरुषों (इन्द्र, अग्नि, वरुण) से संतान प्राप्त करना केवल इसलिए कि वंश का नाश न हो जाए, कतई उचित नहीं और अर्जुन द्वारा स्वयंवर करके लाई गई द्रोपदी को अपने पाँचों पुत्रो में बाँट देना, तुम्हें अच्छा

लगा होगा बऊ, हमें तो एक औरत के प्रति दूसरी औरत को घोरतम अन्याय और कुकर्म लगा।

समग्र ऑकलन – आधुनिक नारीवादी दृष्टिकोण में जो तथ्य उभरकर सामने आता है, उसमें साहित्य और समाज के स्तर पर अपने तन-मन के साथ स्त्री का जागरूक अस्तित्व बोध प्रगट होता है। पारंपरिक स्त्रीवादी धारणाओं में जहाँ स्त्री की चुप्पी एवं सहनशीलता को पृथ्वी जैसे धैर्य से जोड़कर व्याख्यायित किया गया है, स्त्री का यह धैर्य टूटता हुआ दिखाई देता है। वह अपने जीवन की परिभाषा नए ढंग से, नए सामाजिक अर्थों में गढ़ने की प्रक्रिया से गुजर रहीं है। उसका चिंतन भेद से अभेद की ओर अग्रसर है। स्त्री-पुरूष के द्वैत को तोड़कर वह जीवन के स्तर पर अपनी व्यक्ति-सत्ताा में अद्वैत का संघान कर रही है। स्त्री एक जटिल सामाजिक संरचना में उलझे हुए अपने अस्तित्व की सार्थक अर्थवत्ता की पहचान करने की प्रक्रिया से गुजर कर अपनी स्वाधीन चेतना का उद्घोष कर रही है। स्त्री के अनुभव-वृत्तों उसकी अभिव्यक्ति में नि:संकोच प्रगट होते दिखाई देते हैं और इन अनुभव-वृत्तों की अभिव्यक्ति के प्रति उत्पन्न होने वाले पुरूषवादी प्रश्नों से वह सहमत नहीं है।

स्त्री के जीवन-संघर्ष से प्राप्त उसकी उपलब्धियों के प्रति समाज की दृष्टि का दोहरापन स्त्री की चेतना को आहत करने वाला एक प्रमुख कारक है। स्त्री की अर्जित सफलता में उसकी योग्यता के स्थान पर उसके दैहिक संदर्भों को देखने की सामाजिक प्रवृत्ति के प्रति नारीवादी चिंतन में तीव्र आक्रोश दिखाई देता है। आधुनिक स्त्री-चिंतन अभिव्यक्ति और संगठन के स्तर पर यर्थावादी दृष्टिकोण से परिचालित है और पितृसत्तात्मक व्यवस्था से उत्पन्न उन स्थितियों के प्रति विद्रोह है जो स्त्री की द्वितीयक नियति को निर्धारित करने की भूमिका निभाती आई है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. चाणक्य विचार-पृ. 9
2. मैत्रेयी पुष्पा: चाक: पृ. 407
3. मैत्रेयी पुष्पा: कस्तूरी कुंडल बसे: पृ. 62
4. मैत्रेयी पुष्पा: कस्तूरी कुंडल बसे: पृ. 24
5. मैत्रेयी पुष्पा: इदन्नमम: पृ. 269
6. मैत्रेयी पुष्पा: बेतवा बहती रही: पृ. 67
7. मैत्रेयी पुष्पा: इदन्नमम: पृ. 81
8. मैत्रेयी पुष्पा: अगनपाखी पृ. 168
9. मैत्रेयी पुष्पा: बेतवा बहती रही: पृ. 116
10. मैत्रेयी पुष्पा: इदन्नमम: पृ. 83
11. मैत्रेयी पुष्पा: इदन्नमम: पृ. 269

****

नवीन आर्थिक दृष्टिकोण – बदलते पारिवारिक रिश्ते और उभरते नये मूल्य (हिन्दी के प्रमुख उपन्यासों के विशेष संदर्भ में)

डॉ. आई. के. बेक * डॉ. दीपक कुमार गुप्ता **

प्रस्तावना – प्राचीन युग में पारिवारिक संबंधों को सौहार्द्रपूर्ण बनाए रखने में नैतिक एवं धार्मिक मूल्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आधुनिक युग के वैज्ञानिकता एवं बौद्धिकता के परिणामस्वरूप परम्परागत पाप–पुण्य मूलक धार्मिक धारणाओं का भय तो रहा नहीं इसलिए पारिवारिक संबंधों को जोड़े रखने का एक मात्र आधार अर्थ ही शेष रह गया है। अब अर्थ के कारण जहाँ भी स्थितियों में तनाव उत्पन्न होने लगता है, वहीं पारिवारिक संबंधों की बखिया उधड़ने लग जाती है। स्वांतत्र्योत्तर भारत में बढ़ते औद्योगीकरण, शहरीकरण तथा अर्थाभाव एवं अर्थ चेतना के परिणाम स्वरूप पूर्व स्थापित पारिवारिक मूल्य लड़खड़ाने लगे हैं। अर्थ लोलुपता के कारण समाज में पारिवारिक मूल्यों का विघटन न केवल माँ–बाप में हुआ है, बल्कि ऐसे भी अनेक स्थितियाँ सामने आई हैं जहाँ पुत्र अथवा पुत्री की आर्थिक स्वार्थ परता पारिवारिक मूल्यों के विघटन का कारण बन ही जा रही है। अर्थ केंद्रित पारिवारिक संबंधों एवं अर्थाभाव से टूटते पारिवारिक मूल्यों का वर्णन हिन्दी के प्राचीन एवं आधुनिक उपन्यासों में देखा जा सकता हैं।

स्त्री–पुरूष संबंधों के – विघटन का स्वरूप – भारतीय समाज के पारिवारिक संबंधों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण संबंध पति–पत्नी का होता है। अत: स्वांतत्र्योत्तर पारिवारिक मूल्यों का समग्र अध्ययन करने के लिए पति–पत्नी के संबंधों का आकलन करना अत्यावश्यक है। स्वांतत्र्योत्तर भारतीय समाज में आधुनिकता एवं नवीन शिक्षा के प्रचार और नारी चेतना के बावजूद भी पति पत्नी के परम्परागत संबंध वर्तमान में निहित है।

मनुस्मृति कालीन संबंधों के अनुसार पत्नी, पति को देवता के समान पूज्य मानती है। वह पति के लिए अपने आपको समर्पित समझती हैं। पति के गुण, स्वभाव, कर्म आदि को आधार बनाकर पतिव्रत्य धर्म का पालन करती है। हजारों वर्षों से चले आ रहे ये संस्कार आज भी भारतीय समाज में विद्यमान हैं। पति–पत्नी के बीच एकांगी संबंध पुरूष प्रधान संस्कृति की विकृतियों को ही सिद्ध करते हैं। यहाँ पति तो पत्नी बंधन में नहीं बंधने के लिए स्वतंत्र है, किन्तु पत्नी पति के व्यक्तित्व में ही अपने व्यक्तित्व को विलीन कर देने के लिए बाध्य है। पुरूष प्रधान संस्कृति के संस्कार पति को अधिनायकत्व सौंपते हैं, तो पत्नी को पति के प्रति समर्पण की गुलामी। ऐसी स्थिति में सम्बंध पारस्परिक संस्कारों के सूत्रों में जुड़े हुए होते हैं – वैयक्तिक आचरण और स्वत: स्फुरित प्रेरणाओं से नहीं। संस्कारों की जकड़न में व्यक्तित्व का स्पंदन जड़ हो जाता है। इस प्रकार के संबंधों का मूल्यीकृत रूप समाप्त होकर परम्परा–निर्वाह का आग्रह शेष रह जाता है, जिसमें व्यक्ति और समाज दोनों का ही हित उपेक्षित हो जाता है। अत: ऐसे संबंधों को मूल्य की संज्ञा नहीं दी जा सकती, वरन् उनका विघटित रूप ही समझा जा सकता है।

स्वांतत्र्योत्तर भारतीय समाज में पति–पत्नी के संबंधों की प्राचीन धारणा के प्रति दृढ़ विश्वास अधिकांशत: या तो पुरानी पीढ़ी की वृद्धाओं – जो कि प्राचीन संस्कारों में ही जन्मी और पली हैं– ये देखा जाता है या फिर ग्रामीण समाज में जहाँ कि अब भी प्राचीन संस्कारों को ही अपनाया जाता है। शहरों की नवीन चेतना को अपनाने वाली नारी में नये मूल्यों और पुरानी परम्पराओं के बीच द्वंद्व की स्थिति जन्म ले चुकी है तथा नारी वर्ग में परिस्थिति की जटिलता एवं जीवन की यथार्थता को समझने की चेतना तो हैं किन्तु उसके मस्तिष्क में प्राचीन संस्कार और सामाजिक परम्पराएं इतनी मजबूत और गहरी है कि वह उनसे उबर ही नहीं पाती। इसलिए उनमें एक ओर प्राचीन संस्कारों को स्वीकार करने का मोह है, तो दूसरी ओर उसको त्याग देने का विद्रोह भी, किन्तु अंत में यह तथाकथित आधुनिक नारी भी अधिकांशत: पति–पत्नी के संबंध के रूप में प्राचीन वैवाहिक व्यवस्था को ही स्वीकारती हुई देखी जाती है।

परम्परागत विवाह पद्धति – समाज में परिवारिक मूल्यों का विवेचन विवाह संबंधी धारणाओं के बिना अपूर्ण रह जाता है, क्योंकि परिवार का मूलभूत संबंध पति–पत्नी का संबंध है और इस संबंध का स्वरूप निर्धारण विवाह पद्धति के अनुसार निश्चित होता है। स्वांतत्र्योत्तर भारत में सामाजिक व्यवस्था के परिवर्तन के साथ–साथ वैवाहिक मूल्य भी बदल रहे हैं। किन्तु अभी भी समाज में परम्परा की जटिलता इतनी अधिक विद्यमान है कि विवाह पद्धति की रूढ़ता ही अधिक प्रचलित है। जहाँ विवाह में व्यक्ति का महत्व न होकर खान–दान, जाति तथा सामाजिक परम्परा का ही महत्व होता है।

स्वांतत्र्योत्तर काल में परम्परागत विवाह पद्धति और उनमें दहेज के लेन–देन जैसी कुरीतियाँ भी मौजूद हैं, जो विवाह में वैयक्तिक संबंधों को गौण करके धन की सौदेबाजी को प्रमुखता देती हैं। परम्परागत वैवाहिक मूल्य व्यक्ति केन्द्रित न होकर समाज केंन्द्रित होने के कारण उनके विवाह में सदा व्यक्ति की हितेषणा गौण रहती है और लोक मर्यादा प्रमुख समाज में आज भी पुनर्विवाह एवं विधवा विवाह का विरोध किया जाता है, जो कि विवाह के परम्परागत विवाह स्वरूप का द्योतक है, वैवाहिक मूल्यों का नहीं। यद्यपि समाज में व्यक्ति स्वातंत्र्य के प्रसार के कारण विवाह संबंध अब वैयक्तिक संबंधों के आधार पर भी निर्धारित होने लगे हैं, किन्तु उन्हें भी सामाजिक व्यवस्था में ही परिवर्तित करने की संस्कारिता दृष्टिगत होती है।

परम्परागत विवाह पद्धति एवं स्वरूप – स्वांतत्र्योत्तर भारतीय समाज में बढ़ रही नवीन चेतना का प्रभाव ग्रामीण और अशिक्षित वर्ग पर उतना नहीं पड़ा है, इसीलिए उनमें अब भी परम्परागत वैवाहिक धारणाएँ ही विद्यमान हैं, किंतु कस्बों, शहरों और विशेषकर महानगरों के परिवेश में तीव्रगति से

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बुढार, जिला शहडोल (म.प्र.) भारत
** सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बुढार, जिला शहडोल (म.प्र.) भारत

बदलाव आ रहा है और वहाँ एक ओर प्राचीन वैवाहिक विचार-दृष्टियों का विरोध किया जा रहा है, तो दूसरी ओर वैचारिक धारणाओं का समर्थन भी विवाह निर्धारण में जब जहाँ जाति, वंश और क्षेत्र आदि की उपेक्षा की जाने लगी है, वहाँ पर जन्म पत्रियाँ मिलाना और ग्रह-नक्षत्र की समानता देखने को भी महत्वपूर्ण नहीं माना जाता, क्योंकि शादियाँ जन्म-पत्रिकायें मिलाकर की जाती है, उसके बावजूद भी उनके ग्रह-नक्षत्र एक दूसरे से कुत्ते-बिल्ली की भाँति लड़ने लगते हैं। इसीलिए इन धार्मिक कर्म-काण्डीय व्यवस्थाओं की भी समाप्ति हो रही है।

स्वांतत्र्योत्तर पीढ़ियों में जीवन शिक्षा, आधुनिक विचारधारा एवं पाश्चात्य वैवाहिक मूल्यों के प्रभाव स्वरूप प्रेम-विवाह का प्रचार अधिक बढ़ने लगा है। जाति, वंश-गोत्र, धन आदि को अनावश्यक मानकर व्यक्ति व्यक्तित्व को महत्ता देने में ही नवीन वैवाहिक मूल्यों में अंतर्जातीय प्रेम विवाह का प्रसार होने लगा है, जिसमें जाति सीमाए विचाराधीन नहीं है। जातीय मर्यादाए मध्य वर्ग में ही अधिक निभायी जाती है, उच्च वर्ग और उच्च-मध्य वर्ग में इस प्रकार की सामाजिक जकड़न शिथिल हो गई है। इसी कारण जहाँ पहले जाति वंश, गोत्र के साथ-साथ 'मनु-महाराज' की विवाह संबंधी उम्र धारणा के सामने व्यक्ति गौण हो जाता था वहीं अब व्यक्ति साध्य पर आधारित नवीन वैवाहिक मूल्य स्थापित होने लगी है। इस प्रकार अब स्त्री और पुरूषों में व्यक्तिनिष्ठ विवाह संबंधों के प्रति धारणाएँ सुदृढ़ होती जा रही है। क्योंकि 'जहाँ सच्चा प्रेम होगा वहाँ कभी असफल विवाह नहीं होगें।'

स्वांतत्र्योत्तर भारतीय समाज में परम्परागत स्त्री-पुरूष संबंधों की अवहेलना करके पति-पत्नी के संबंधों की नवीन विचार दृष्टि अपनायी जाने लगी है। स्त्री-पुरूष संबंध निर्वाह में प्राचीन पाप-पुण्य एवं नैतिकता-अनैतिकता की बात तो शेष रही नहीं, इसलिए पति-पत्नी के प्राचीन एक निष्ठता मूलक मूल्यों में भी परिवर्तन हो रहा है। पति-पत्नी की खोज अब सामाजिक अथवा आर्थिक संरक्षक की खोज नहीं है, बल्कि अपने मनोकूल की खोज है। व्यक्तिवादी विचारधारा के कारण जीवन साथी का अर्थ उस जीते जागते व्यक्तित्व से होता है, जो अपने साथी के समानांतर ही जीवन को जी सकें, जो पूर्णत: उसके साथ तादात्म्य कर सकें। इस प्रकार की नवीन विचारधारा के कारण पति अथवा पत्नी के रूप में जीवन की पूर्णता की माँग होने लगी हैं।

प्रणय या यौन संबंध – प्रणय एवं यौन संबंध मानव की रागात्मक वृत्ति है। करूणा के समान यह भी अपने लोक कल्याणकारी रूप में मानवीय मूल्य हैं। यौन एक प्राकृतिक भूख है तो विवाह एक सामाजिक आवश्यकता है। प्रेम जीवन के इन दोनों ही तत्वों से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। स्वांतत्र्योत्तर हिन्दी उपन्यास साहित्य में दाम्पत्य प्रणय संबंधी मूल्य धारणा के साथ ही शारीरिक आकर्षण के आधार रूप में भी प्रणय भावना का अंकन हुआ है। इसके साथ ही प्रेम के सूक्ष्म उदान्त रूप की मान्यता के अतिरिक्त बुद्धिवादिता के प्रभाव के कारण प्रणय के अस्तित्व को ही नकारे जाने का अंकन भी मिलता है।

स्वांतत्र्योत्तर समाज की बढ़ती हुई जटिलताओं और जीवन के अभावों के साथ-साथ परम्परागत प्रणय धारणा का विरोध भी होने लगा हैं। अब स्त्री-पुरूष के भावात्मक संबंध का कुछ अर्थ ही नहीं लगाया जाता। वर्तमान संघर्ष-संकुल जीवन में व्यक्ति की मानसिक बनावट ही ऐसी हो गई है कि उससे परम्परागत आदर्श परक प्रणय संबंधी मूल्यों का ह्रास ही नहीं हो रहा है, वरन् प्रणय की धारणा ही निरर्थक होती दिखाई देती हैं।

जातीय एवं सामाजिक समरसता का मूल्य – भारतीय समाज की संरचना की आधारशिला जाति व्यवस्था रही है। हजारों वर्षों के काल चक्र से गुजरती हुई यह सामाजिक व्यवस्था भारत में आज भी विद्यमान है। इतिहास साक्षी है कि भारत में जाति व्यवस्था में जहाँ एक ओर हिन्दू समाज एवं संस्कृति को स्थायित्व प्रदान किया है, वहीं दूसरी ओर ऊँच-नीच का निर्धारण, वैवाहिक संबंध तथा कर्मकाण्ड आदि इसी के परिणाम है। इसलिए जाति व्यवस्था जो कभी भारतीय समाज का आधार बनी थी, वर्तमान परिवेश में एक समस्या होकर नितांत अवांछित तत्व हो गई। आधुनिक शिक्षा, नगरीकरण, औद्योगीकरण, व्यक्तिवादिता एवं आधुनिक विचारधारा के विकास के कारण परम्परागत जाति व्यवस्था में परिवर्तन की प्रवृत्तियाँ तेजी से बढ़ने लगी हैं। एक ओर तो जाति व्यवस्था में शिथिलता आई हैं, तो वहीं दूसरी ओर जातीय चेतना प्रबल भी हुई हैं, यह विरोधी स्थिति स्वतंत्र भारत की जाति व्यवस्था की विचित्र उलझन भरी समस्या बनी हुई है। भारतीय समाज में जाति व्यवस्था का दुष्परिणाम केवल शादी विवाह तक ही सीमित नहीं है; बल्कि वह शैक्षणिक, नैतिक आर्थिक, राजनीतिक आदि सभी क्षेत्रों में विद्यमान है। जो समाज की समस्याओं को सुलझाने के सिवाय उसमें रोड़ा अटकाती है।

आजादी के बाद बढ़ रही चेतना के कारण अब जाति व्यवथा का विरोध किया जाने लगा है। निम्न जातियों में संगठन की भावना विकसित होने लगी है क्योंकि समाज में अपने आपकों उच्चकोटि का सिद्ध करने में संकट रहा है। सरकार द्वारा निम्न जातियों को समर्थन प्राप्त होने लगा तथा सामाजिक चेतना के फलस्वरूप निम्न जातियाँ भी अब अपने आपकों उच्च जातियों के समान समझती है।

इस प्रकार के अर्थ संघर्ष के परिवेश में जाति व्यवस्था जैसी अनुपयोगी संस्थाएं समानता मूलक व्यापक सामाजिक मूल्य धारणा को ही अवरूद्ध करती है। भारतीय समाज में जहाँ भी यह संस्था विद्यमान है, वहाँ सामाजिक मूल्यों का ह्रास ही प्रतीत होता है और जहाँ जाति प्रथा का अंत हो गया है वहाँ सामाजिक समानता की भावना प्रकट हो रही है, वहाँ नये सामाजिक मूल्य भी प्रतिस्थापित होते जा रहे हैं।

सामाजिक समरसता का मूल्य – भारतीय समाज सैकड़ों वर्षों से सामाजिक विषमताओं के चंगुल में जीवन यापन करता रहा है। सामाजिक विषमता देश की चेतना में इतनी बुरी तरह घुल-मिल गई है कि इससे मुक्त हो पाना सहज नहीं हैं। भारतीय समाज में सामाजिक मूल्य का विघटन जन-मानस में होने वाली नाजुक प्रतिक्रियाओं का अंकन हिन्दी उपन्यास में परिलक्षित होती है। सामाजिक विषमताओं का प्रभाव इतना व्यापक होता है कि लोगों के मन में नफरत! शक! डर की भावना बनी रहती है। ऐसे परिवेश में व्यक्ति भले ही व्यक्तिगत तौर पर मानवीय मूल्यों का निर्वाह करता है किन्तु वास्तविक सामाजिक मूल्यों की धारणा टिक नहीं सकती। भारत में दंगों का इतिहास बड़ा पेचीदा है। जहाँ व्यक्तिगत तौर पर तो प्रेम, सहानुभूति और विश्वास जैसे मूल्यों का स्थान प्राप्त है किन्तु आंतरिक रूप से नफरत और दुश्मनी है।

आर्थिक मूल्य – स्वतंत्रता के पश्चात भारत देश का लक्ष्य सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में समानता प्राप्त करना था। लम्बे समय की अर्थ-विपन्नता से क्षुब्ध भारतीय समाज के लिए अर्थ का आकर्षण प्रबल होने के कारण उसका ध्यान अर्थ प्राप्ति की ओर अधिक रहा हैं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास की ओर कम। इसीलिये स्वांतत्र्योत्तरहमारे देश में परिवर्तन का अर्थ व्यवस्था, आर्थिक साधन, आर्थिक स्तर आदि माना गया है, बढ़ती अर्थ चेतना के समक्ष मनुष्य सामाजिक एवं सांस्कृतिक चेतना पिछड़ गई है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति की अर्थ चेतना सांस्कृतिक चेतना पर हावी होती दिखाई देती है। भारतीय समाज में आर्थिक मूल्यों के प्रति आस्था कम और आर्थिक स्वार्थों

की पूर्ति की भाग दौड़ अधिक दिखाई देती हैं। यदि मनुष्य समस्त मानवीय मूल्यों की उपेक्षाकर अर्थ प्राप्ति में जुटता हैं तो इस प्रकार की वृत्ति को उसकी अर्थग्रस्तता ही कहीं जाती है। स्वतंत्रता के पूर्व भारतीय समाज में देश को आजाद कराने का आदर्श था। इस आदर्श को प्राप्त करने के लिए समाज तन-मन और धन का भी त्याग करता था। किन्तु देश के स्वतंत्र होते ही 'आदर्शवाद' का युग समाप्त हो गया है। अब आदर्शवाद एक नारा-भर रह गया है।

स्वांतत्र्योत्तरसमाज में एक ओर अर्थ विपन्नता गरीबी, पूँजीपति वर्ग की अर्थ लोलुपाता तथा व्यक्ति की बढ़ती हुई अर्थ भोग की प्रवृत्ति है, जो कि आर्थिक मूल्यों के ह्रास का परिचायक है, तो दूसरी ओर मार्कसवादी दृष्टिकोण से प्रभावित समान्य व्यक्ति में स्वस्थ आर्थिक चेतना भी मौजूद है - जिसे मूल्य की कोटि में शामिल किया जा सकता है। भारत देश में जनतंत्र की स्थापना करके समाजवादी समाज की स्थापना करना मुख्य लक्ष्य है और उसी के अनुरूप समाज के कल्याण हेतु अर्थ नीतियों एवं अर्थ दृष्टियों का निर्धारण किया जा रहा है, जो मूल्य निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अमृत और विष - अमृतलाल नागर
2. समाज शास्त्र भाग- 3 म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी।
3. हिन्दी उपन्यास उद्भव और विकास डॉ. प्रताप नारायण टण्डन - कल्पकार प्रकाशन लखनऊ
4. परीक्षा गुरू - प्रामाणिकता -लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद।
5. शब्द, समय और संस्कृति भारतीय ज्ञानपीठ दिल्ली
6. प्रेमचन्द्र के उपन्यास

****

दिनकर के संस्मरण - एक विवेचनात्मक अध्ययन

डॉ. रेखा सनवाल *

प्रस्तावना - प्राय: ऐसा देखा जाता है कि भावुकता कवि की सीमा बन जाती है और वह बौद्धिकता से दूर होता जाता है, परन्तु दिनकर एक विचारक भी है, इसलिए उनकी बौद्धिकता एक नए दृष्टिकोण से उनकी गद्य रचनाओं में अभिव्यक्ति प्राप्त करता है। गद्य क्षेत्र में उनकी प्रतिमा विविध गद्यात्मक विधाओं को रूपकार देने में सक्षम हुई है। एक ओर उनका अथाह गंभीर निबंध साहित्य उपलब्ध होता है, दूसरी ओर उन्होंने गद्य की अधुनातन विधाओं-संस्मरण, डायरी, रेडियो-रूपक तथा यात्रा साहित्य इत्यादि में भी अपने विचारों एवं भावों को निबद्ध किया है।

'संस्मरण' हिन्दी की नव-विकसित विधाओं में से सर्वाधिक मर्मस्पर्शिणी विधा है। 'संस्मरण' शब्द की व्युत्पति सम्+स्मृ+ल्यूट(अण) से हुई है, जिसका अर्थ है, सम्यक् स्मरण। सम्यक् का तात्पर्य है : आत्मीयतापूर्वक तथा अधिक गम्भीरतापूर्वक। स्पष्ट ही हिन्दी का सस्मरण शब्द अधिक आत्मपरकता का सूचक है।' [1] वस्तुत: संस्मरण एक ऐसी साहित्यक विद्या है, जिसमें लेखक ने जो कुछ स्वयं देखा, सुना एवं अनुभूत किया है, उनका वर्णन अपनी स्मृति के आधार पर संवेदनात्मक अभुभूति के साथ करता है।

श्री रामधारी सिंह दिनकर के संस्मरण लिखने से पूर्व की संस्मरण-विद्या अपने समस्त तात्विक स्वरूप के साथ विकसित हो चुकी थी। दिनकर जी की प्रथम संस्मरण कृति 'वट पीपल' नाम से सन् 1961 ई0 मे प्रकाशित हुई है। 'लोक देव नेहरू' एवं 'संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ' उनकी अन्य संस्मरण कृतियां हैं। संस्मरण-लेखक का काल सातवां दशक रहा है। इस काल के प्रमुख संस्मरण लेखकों में श्री बनारसी दास चतुर्वेदी, पं0 श्रीराम शर्मा, शिव पूजन सहाय तथा हरिवंशराय बच्चन का नाम उल्लेखनीय हैं।

चतुर्वेदी जी ने अपने संस्मरणों में देश-विदेश के साहित्यकारों, पत्रकारों क्रांतिकारियों तथा राजनीतिज्ञों को स्थान दिया है। इनकी शैली व्यंग्यात्मक, परिसंपूर्ण एवं साधारण वार्तालाप की शैली है। पं0 श्री राम शर्मा की 'बोलती प्रतिमा' में एक चौदह वर्ष के रोगी की घ्राण, श्रवण, एवम् स्मरण शक्ति का सुन्दर चित्रांकन है। जनपदीय शब्दों का प्रयोग करते हुए कथात्मक शैली के माध्यम से रोचक एवं हृदयस्पर्शी वर्णन इनके लेखन की सबसे बड़ी विशेषता है। विनय मोहन शर्मा प्रमुख रूप से रेखाचित्रकार हैं, इनमें संस्मरणात्मक तथ्व अपेक्षाकृत गौण है। शिव पूजन सहाय के संस्मरण तथा रेखाचित्र 'वे दिन वे लोग' में चित्रात्मकता का गुण व्यंग्य विनोद की प्रवृति तथा मुहावरेदार भाषा उपलब्ध होती है। शांतिप्रिय द्विवेदी ने अपने 'स्मृतियाँ और कृतियाँ' में अपने व्यक्तित्व विकास में बाधक परिस्थितियों का सुन्दर आंकलन किया है। विष्णु प्रभाकर जी ने अपने 'कुछ शब्द कुछ रेखाएं' में तत्कालीन सामाजिक परिवेशों एवं उनके भीतर छिपी हुई विसंगतियों का सुन्दर एवं सटीक विश्लेषण किया है। माखन लाल चतुर्वेदी जी के 'समय एवं पाँव' में गम्भीर एवं भावपूर्ण रेखाचित्रों की अधिकता है। अपने 'नऐ पुराने झरोखे' में हरिवंशराय बच्चन जी ने आधुनिक हिन्दी साहित्य पर सटीक टिप्पणी देते हुए उनकी दुर्बलताओं एवं सबलताओं का सशक्त एवं प्रभावकारी चित्रण किया है। 'क्या भूलूं क्या याद करूं' बच्चन जी द्वारा रचित आत्मचित्रण है। इस प्रकार दिनकर जी के संस्मरण लेखन से पूर्व संस्मरण विद्या पूर्णतया विकसित हो चुकी थी। किन्तु दिनकर पूर्ववर्ती संस्मरणकारों की तुलना में अपने युगीन परिवेश से अधिक सम्पृष्ट बहिर्मुखी थे। उनका व्यक्तित्व बहिर्मुखी, सामाजिक एवं राजनैतिक व्यक्तित्व था, जिसके फलस्वरूप उनके मित्रों की संख्या अधिक थी। इसी के फलस्वरूप उनके संस्मरण साहित्य का क्षितिज भी अत्यन्त विस्तृत हो गया। इसमें राजनैतिक एवं राष्ट्रीय विभूतियों में डा0 राजेन्द्र प्रशाद, डा0 राधाकृष्णन, पं0 जवाहरलाल नेहरू जैसे लोक विख्यात महापुरूष हैं। वहीं मैथिलीशरण गुप्त और निराला जैसे महाकवि भी हैं, जहां आचार्य शिवपूजन सहाय और कांशीप्रशाद जायसवाल जैसे साहित्य और इतिहास मनीषी हैं, वहीं रामवृक्ष बेनीपुरी और किशोरीदास वाजपेयी जैसे गद्यकार भी हैं।

'लोकदेव नेहरू' में दिनकर जी ने नेहरू जी के जीवन के अन्तरंग पक्ष को उद्घाटित किया है। इस कृति में दिनकर ने उनकी रूचि-अरूचि, नेहरू जी के अन्य लोगों से सम्बंध एवं अपने साथ उसकी घनिष्ठता के विभिन्न आयामों को प्रकट किया है। मूलरूप से इस कृति में ग्यारह संस्मरणों को संग्रहीत किया गया है। जो इस प्रकार हैं : जवाहर लाल नेहरू, गाँधी और स्तालिन के संस्मरणो में पण्डित जी की कार्यक्षमता, न्यायप्रियता, जनता के प्रति विश्वास, अविचल धैर्य, शालीनता, अन्तर्मन की विमलता, राजनैतिक विवेकइत्यादि गुणों को प्रकट करने वाले विभिन्न संदर्भो से जुडे हुए संस्मरण इस कृति में संकलित है। इन संस्मरणों के अतिरिक्त इस कृति में कतिपय संस्मरणात्मक लेख भी हैं जो पंण्डित जी के गाँधी जी से संबंधों, उसके जीवन दर्शन और भारतीय एकता संबंद्ध संदर्भो को प्रस्तुत करते हैं।

इस कृति का नाम 'लोकदेव नेहरू' सार्थक और साभिप्राय है क्योंकि इस कृति में नेहरू जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर लेखक ने जिस दृष्टिकोण से विचार किया है, वह उनके लोक नेतृत्व करने की क्षमता को अभिव्यक्त करता है। उनका स्वभाव, उनकी राजनीति, गतिविधयां, उनका जीवन दर्शन एवं भारतीय एकता की अक्षुण्णता के प्रति सजगता उन्हें सहज ही लोकदेव बना देती हैं। स्वयं दिनकर इस संबंध में कहते हैं-'किन्तु उनका असली रूपरूप उनके स्वर्गरोहण के बाद प्रकट हुआ। जब विनोबा जी उन्हें श्रद्धांजली अर्पित करने लगे, उन्होंने जवाहरलाल जी को 'लोकदेव' के नाम से अभिहीत किया है। यही कारण है कि इस छोटी सी पुस्तक का नाम मैंने 'लोकदेव

* सहायक प्राध्यापक, कैम्ब्रिज कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन, बिरार, झज्जर (हरियाणा) भारत

नेहरू' रखना पसन्द किया। पंडित जी सचमुच ही भारतीय जनता के देवता थे।' (2) इस प्रकार नेहरू जी की विराट लोक प्रियता को सूचित करने वाली यह कृति संस्मरण की श्रेष्ठ उपलब्धि है।

'लोकदेव नेहरू' में दिनकर ने नेहरू के समस्त जीवन को अपना वर्णय विषय नहीं बनाया है। जब से दिनकर जी जवाहरलाल नेहरू के सम्पर्क में आए तब से लेकर नेहरू जी के स्वर्गारोहण तक की अनेक घटनाएँ संवेदनात्मक अनुभूति के साथ व्यक्त की गई हैं। विशेष रूप से दिनकर ने उन्हीं घटनाओं को आधार रूप में ग्रहण किया है, जिनके फलस्वरूप उनका और नेहरू जी का परस्पर संबंध जुडा रहा है।

वस्तुत: आदमियों का स्नेह भी कम अमूल्य नहीं होता, इस तथ्य का महत्व भी दिनकर भली भांति जानते थे। अपने चरित नायक की रक्षा में तत्परता दिनकर की नेहरू के प्रति निष्ठा का परिचायक है। इसी नियम के अधीन होकर दिनकर ने नेहरू पर लगाए अनेक आरोपों का भी खण्डन किया है।

'स्तालिन और जवाहर लाल' शीर्षक के अन्तर्गत दिनकर ने इन दोनों महापुरूषों में साम्य और वैषम्य दिखलाया है। पंडित जी तानाशाही के विरूद्ध थे। इसलिए भारतीय परतंत्रता दिवसों में भी उन्होंने हिटलर व मुसोलिनी से मिलना पसन्द नहीं किया था। किन्तु 'तब भी पंण्डित जी के मिजाज में तानाशाही की छोंक काफी थी। वे अपनी तानाशाही प्रवृतियों का विरोध करने वाले को बर्दाशत नहीं करते थे। वे चाहते थे कि दूसरे लोग उनकी ऐसी प्रवृति को भी दुहराए और उनका साथ दें।' (3) नेहरू जी की सबसे बडी विशेषता जो उन्हें तानाशाह से अलग करती हैं, उनका स्वयं को मनोविश्लेषित करना है।

तानाशाही स्तालिन ने नेहरूजी की तुलना में यत्र-तत्र दिनकर निष्पक्ष होने के साथ-साथ सहृदय भी रहे हैं। वे नेहरू जी के दोषों का उद्घाटन निर्ममता से न करके, उस दोष के मूल कारण को भी अन्वेषित करते हैं। यथा 'गाँधी जी भी जब तक अपनी इच्छा दूसरों पर लादने के अभ्यासी रहे थे। गाँधी जी की इस तकनीक का प्रयोग जवाहरलाल ने एक दो बार अपनी पार्टी पर किया था।' (4)

संस्मरण और श्रद्धांजलियां शीर्षक संग्रह एवं 'बट पीपल' संग्रह के कतिपय संस्मरण भी इस विद्या के अन्तर्गत आते हैं। इन संग्रहों में तद्युगीन प्रमुख साहित्यिकों एवं राजनैतिक नेताओं पर लिखे गए संस्मरण संग्रहित हैं। इन संग्रहों में कुछ संस्मरण शुद्ध संस्मरण की श्रेणी में आते हैं और कुछ संस्मरण श्रद्धांजली के रूप में और डायरी अंकित शैली में लिखे गए हैं। इन संग्रहों के समस्त संस्मरण अन्तरंग परिचय पर आधारित हैं। साहित्यकारों के साहित्यिक व्यक्तित्व को प्रस्तुत करने के साथ-साथ दिनकर ने उन्हें घरेलू एवम् सामाजिक व्यक्तित्व की विशेषताओं को भी अंकित किया है।

श्री राहुल सांकृतयायण नामक संस्मरण रेखाचित्र के अधिक निकट पड़ता है। इस संस्मरण के अध्ययन उपरान्त ज्ञात होता है कि यद्यपि दिनकर जी को राहुल जी के सम्पर्क में आने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, किन्तु वे उनके व्यक्तित्व से प्रभावित रहे हैं। उनके व्यक्तित्व की प्रभावपूर्ण झाँकी दिनकर के शब्दों में उद्धरणी है- 'पीले उत्तरीय से आवृत एक दीर्घकाय मनोरम मूर्ति नख से शिख तक प्रतापवान होठों पर अन्तरतम से पल-पल उल्लसित आनन्द की हल्की रेखा, आँखों की ऐसी प्रभा जैसे अनके पीछे बहुदृष्टता का कोष छिपा हो, आकृति प्रसन्न, आनन्द के चतुर्पिक अमोघ शांति का अलोक राहुल जी सचमुच अपनी परम्परा के गुरू तथागत से मिलते जुलते है। (5)

पं0बालकृष्ण शर्मा नवीन को भी दिनकर ने अपने संस्मरण का पात्र बनाया है। छायावाद काल मे राष्ट्रीय कवियों में श्री नवीन जी का नाम भी श्रद्धापूर्वक लिया जाता है। वे कवि योद्धा और देश भक्त के रूप में सर्वत्र प्रशंसित है। उनका मानवतावादी दृष्टिकोण भी महत्वपूर्ण है। दिनकर जी के उनके साथ अनौपचारिक संबंध थे। दिनकर ने उन्हें नर-शार्दूल कहा है- 'जब उस नर-शार्दूल के बोलने की बारी आती तो बादलों में दरारें पड जाती, छतें चरमराने लगती और सत्य का प्रकाश अपने स्वाभाविक रूप में खुलकर बाहर आता था। (6) संभवत: दिनकर जी की कविता पाठ करते समय जोरदार गर्जना प्रवृति उन्हीं से प्रभावित थी, इसी कारण वे उन्हें कवि-शार्दूल कहा करते थे।'

'निराला' संबंधी संस्मरण में दिनकर ने निराला के जीवन के आर्थिक अभावों, प्रियजनों का बिछोह, साहित्य संसार से मिली उपेक्षा आदि का उल्लेख करते हुए उनके हृदय की स्वच्छता एवंविक्षिप्तता का वर्णन की दीवार टूट गयी है। स्वप्न में बोलते-बोलते वे जागृत अवस्था में चले जाते है और जागृत में बोलते-बोलते वे स्वप्न में लौट जाते है। उनकी हर बात का कोई ना कोई अर्थ होता था। वे प्रतीक में बोलते थे अन्योक्ति में अभिव्यक्ति करते थे। मैं रवीन्द्रनाथ का पुत्र हूँ, यह कहकर वे कोई बात कहना चाहते थे और इलाबाद के कुत्ते मुझे फाड खाओगे, इस वाक्य का भी कोई अर्थ रहा होगा।(7)

'आचार्य रधुबीर' दिनकर की दृष्टि में ऐसी महान् विभूति है जिनकी समकक्षता करने वाला कोई अन्य विज्ञान कभी जन्म लेगा यह संदिग्ध है। उनका कार्यक्षेत्र वर्मा, थाईलैण्ड, इण्डोनेशिया, लाओस, वियतनाम, चीन, जापान और मंगोलिया तक फैला था। 'दिनकर' कहते है कि 'वे अकेले एक संस्था नहीं लगभग एक राष्ट्र थे। (8) दिनकर ने उनकी तीन महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ मानी हैं- एक तो उन्होंने वैद्धिक साहित्य का सम्पादन किया, दूसरे 'सरस्वती विहार' नामक विद्या का अर्न्तराष्ट्रीय संस्थान स्थापित किया और तीसरा कार्य हिन्दी में नए शब्दों का निर्माण किया।

दिनकर जी के संस्मरण साहित्य के इस परिचायात्मक विवेचन के उपरान्त उनके संस्मरण साहित्य को कतिपय विशेषताएँ उभर कर आती हैं जिनका विवेचन करना भी यहाँ अपेक्षित है।

संस्मरण विद्या की एक विशेषता यह है कि उसमें एक प्रकार की कथात्मकता रहती है, यद्यपि संस्मरण कोई कहानी अथवा उपन्यास नामक विद्या नहीं है। तथापि संस्मरण अपने पात्र को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि कथा सूत्र स्वयंमेव बनता चला जाता है। इस दृष्टिकोण से दिनकर के संस्मरण साहित्य पर विचार करें तो उसमें भी यह विशेषता दिखाई देती है। उदाहरणार्थ- 'लोकदेव नेहरू' के संपर्क मेंआने के पश्चात् के समस्त क्रियाकलापों, घटनाओं, विचारों तथा विविध मान्यताओं एवं आदर्शों को एक कथात्मक शैली में प्रस्तुत किया है। 'संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ' संस्मरण कृति में भी विभिन्न साहित्यक तथा राजनैतिक मित्रो से सम्बंद्ध संसमरण रोचक कथा की भांति प्रतीत होते हैं।

'संस्मरण' साहित्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृति होती है, वरित नायक का चित्रण। संस्मरणकार अपने पात्र के बाह्य एवं अन्तर व्यक्तित्व का बडे प्रभावपूर्ण ढंग से प्रकाशित करता है । इस दृष्टि से दिनकर के संस्मरणों के संदर्भ में उद्देश्य का प्रश्न है, तो अपने पात्रों के भव्य व्यक्तित्व एवं कृतित्व को सामने लाना ही उनका एकमात्र लक्ष्य है। 'लोकदेव नेहरू जी, निराला, महादेवी, लालबहादुर शास्त्री इत्यादि विद्धवानों पर संस्मरण लिखकर दिनकर ने इनके महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं कृतित्व को ही अभिव्यक्ति दी है।'

संस्मरण विद्या की एक अन्यतम विशेषता होती है। संस्मरण पात्र के साथ संस्मरणकार का भावत्मक व्यक्तिगत संबंध 1 दिनकर को समस्त

संस्मरण उनके पात्रों के साथ उनके घनिष्ठ संबंधो के दस्तावेज हैं। नेहरू जी से उनकी कैसी घनिष्ठता थी, यह लोकदेव नेहरू पढ़कर स्पष्ट हो जाता है। मैथिली शरण गुप्त एवं नवीन जी से उनका कैसा अधिकार भावना से युक्त भावात्मक संबंध था, यह दोनों विद्धानों से संबंद्ध संस्मरणों को पढ़कर स्पष्ट हो जाता है।

जहाँ तक इन संस्मरणों की भाषा शैली का प्रश्न है, दिनकर जी ने बड़ी भाषा एवं रोचक शैली मे अपने संस्मरणों को अभिव्यक्ति दी है। दिनकर की शैली मे सर्वत्र स्पष्टता के दर्शन होते हैं।

इस प्रकार निष्कर्षत: रूप में कहा जा सकता है कि दिनकर जी का संस्समरण साहित्य भी उनके गद्य में अपना विशिष्ट महत्व एवं स्थान रखता है। विभिन्न साहित्यकारों तथा राजनीतिज्ञों पर लिखित होने के कारण यह संस्मरण हमारे ज्ञान को बढ़ाने मे तो सक्षम है ही साथ ही उन महान आत्माओं के व्यक्तित्व एवं कवित्व के महत्वपूर्ण तथ्यों को भी उजागर करने मे समर्थ है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :–

1. 'मानक हिन्दी कोष' सम्पादक रामचन्द्र वर्मा पृष्ठ 245
2. 'लोकदेव नेहरू' दिनकर निवेदन मे उद्धृत ।
3. 'लोकदेव नेहरू' दिनकर पृष्ठ, 61
4. 'लोकदेव नेहरू' दिनकर पृष्ठ, 64
5. ''वट–पीपल' दिनकर पृष्ठ, 19
6. ''वट–पीपल' दिनकर पृष्ठ, 33
7. संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ, दिनकर पृष्ठ 60
8. 'संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ', दिनंकर पृष्ठ 79

****

A Study Of Pupil Teacher's (B. Ed Students) Attitude Towards Awareness Of Internet

Dr. Anjani Kr. Mishra *

Introduction - Today information is everything and it forms the part of any progressive thinking. Information is being recovered, published and disseminated through saved media. Through the print media still dominates. Now a days, scholars work require the application on border scale of new methods and means of searching processing. Storage and transfer of information. Controlling information has a direct relation with the information explosion, which is one of the ever avowing phenomena in the world. So the government of India's ministry of education has recently started implementing a project of computer education in the country.

The planet earth is experiencing the impact of the development and product of science and technology. One of its main contribution is computer. The introduction of computers in the 1950's to process data has led to many changes in office, practice in officer, shops and schools as well as in large industrial and commercial organization. The computer accupy a key role in our day to day life. It is know fact that no field is untouched by computers. Unless one has the ability to make us of computers in the respective field, he/she is considered to be an illiterate, in the modern era. Even through having a computers is considered to be a status symbol and many are posing as if then are using the computers and their operating procedures. It is because of the fact that many people are very mach afraid of operating the computer's as the operations involve many technical terms. There fore are many a occasions they keep them selves a little a way from computer circle, even though the computers have a lot of applications and used friendly in nature. If any one having favorable attitude computers and then may be tempted he/she may be tempted gain knowledge about the computers. So it is felt need to study attitude of people towards awainess of internet. The reform an attempt has been make to find out the public teachers (B. Ed students) attitude towards awareness of internet because they would be teachers who are going to shape entire modern community.

Need & Significance of the study - We are all living in the age of information and communication technology. (I C T) the role of computers and internet is an inevitable part of the society. Even a piece of information or knowledge is communicated to us through the communication (internet). A massage conveyed by the internet is of create importance, because we know the effect of it. When we compared to a massage conveyed by a printed page. We could understand how fast, clear and effective it was. Internet improves teaching learning process. Online learning and online tutoring are the two examples for that.

The main purpose of the awareness internet in education is the benefit more students with fewer teachers. There is no study has been done previously on the awareness of internet attitude of pupil teachers (B.Ed students) of Jaunpur District, there fore the investigator selected the study entitled "A study of pupil teachers (B. Ed students) attitude towards awairness of internet."

Aims of Study - A study of pupil teacher's (B.Ed Student) attitude to wards awareness of internet based on sex, locality, teaching groups and qualifications.

Hypothesis of the Study - There is no significant difference between the pupil teachers (B. Ed Student) attitude towards awareness of internet based sex, locality teaching groups and qualifications.

Research Design - A well developed design provides the structure and extracts dependable answer to the question raised by the problems hypothesis a study can not be evaluated unless its procedure are reported in sufficient details make such an evaluation possible.

Method of study - In order to realize the aforesaid objectives nor motive survey method is employed in the present study. Normative survey method studies desirables, what exists at present. They are concerned with existing condition or relation prevailing praetices beliefs and attitude etc.

Sample - In the presents study sample was selected as the B.Ed college students of Jaunpur District. The data was collected from government Aided college as R.H.S. P.G. College Singramau Jaunpur & T.D. P.G. College Jaunpur and 2 self finance college as S.B. P.G. College Badlapur & Vansa devi P.G. College Gajadharpur Jaunpur from 120 Pupil teacher's in four B.Ed college which were selected at purposive.

Description of Tools - In the present study the tools used by the investigator to study the B.Ed Students attitude to wards awairness of internet was belt developed. This tools consists 20 statements, 10 of them favorably warded is set

*Assistant Lecturer (Education) R.H.S. P.G. College, Singramau, Jaunpur, (U.P.) INDIA

against a five pont scale of strongly agree, agree undecided, disagree and strongly disagree. The arbitrary of weight of 4,3,2,1,0 are given the order for the favorable statement and the scoring is reversed for the unfavorable statements. An individual score is the sum of all the scores to 20 statements. The score in the scale range from 0 to 80 in the direction of most unfavorableness. Any one who get a score of above 40 indicates that he/she has a favorable attitude to wards awairness of internet. The maximum score one can get in this scale is 80.

Statically Techniques - The mean, S.D. and T. Test were adopted to relize the give objectives and to test the hypothesis. The mean and stander deviation of the attitude scores of the entire sample were calculated. The mean and S.D. of the attitude score of all sub sample were also calculated. The test of significance of difference between any two means of attitudes awareness of using internet scores of the sub samples involved in this study.

Analysis of the attitude towards awareness of internet scores of pupil teacher's (B.Ed students) the mean and standerd deviation of the attitude towards awareness of internet scores of the entire sample were computed. The meand rang from 43.71 to 45.03 and standed deviation range from 6.11 to 6.91 for the entire sample. It is found that 76.4% of pupil teacher (B.Ed students) have a favorable attitude to wards awareness of internet and only 23.6% of them have an unfavorable attitude towards awareness of internet.

Discussions of the results - The finding got out by the investigator for the present study are prescribed in the light of the empirical studies made earliest in this field. In the present study a large number of pupil teacher's have a favorably attitude towards awareness of internet. This get support from a few earlier students, but in an earlier study the gender causes no significant difference in respect of their attitude towards awareness of internet. In the present investigation educational qualification causes no significant difference in respect of their attitude towards awareness of internet, even through a large number of pupil teachers (B. Ed students) have relatively favorable attitude towards awareness of internet.

References :-

1. Agrwal Y.P. (1998) : Statical methods, concepts application and computation III edition starling Pub.Pvt. Ltd., new delhi.
2. Anand C.L (1989) : Aspects of teacher education, sultanchand and company Pvt. Ltd.. New delhi.
3. Best John W (1997) : Research in education (iv edition) Printesh hall of India Pvt Ltd., New Delhi.
4. Garret (2000) : Statistics in psychology and education simence public Ltd., Bombay.
5. Joseph M.K. (1996) : Modern Media and communication, Anmol Publication, new Delhi.
6. Kerlinger F.N. (2009) : Foundation of Behavioral Research, Surjeet Publication, Kamla Nagar, Delhi.
7. Kothari C.R. (2009) : Research Methodology New Age International Publishers, Daryaganj, Delhi.
8. Koul Lokesh (1997) : Methodology of Educational research III edit Vikash Publising house, New Delhi.
9. Mangal S.K. (2002) : Statistics in Psychology & education priness hall of India Pvt. Ltd., New Delhi.
10. Radha Mohan (1999) :The internet invention of how will the teacher educators cope, journal of higher education, NewDelhi.
11. Sampath K.A. P. Salvan, A and S santhanam (1989) : Introduction to educational technology, sterling press, New Delhi.
12. Tay Vaugham (1997) : Multimedia making it work, tata mac grow hill, New

Table-1

The details of attitude to wards awairness of internet scores of the entire sample.

Variables		Number	Mean	S.D.
Pupil teacher(B.Ed student)	Male	17	43.91	6.80
	Female	13	45.01	6.11
Pupil Teacher(B.Ed student)	Rural	16	44.01	6.11
	Urban	14	45.03	6.30
Pupil Teacher(B.Ed student)	Art Group	15	44.51	6.30
	Science Group	15	44.10	6.91
Pupil Teacher	Graduate	13	43.74	6.43
	Post Graduate	17	44.30	6.28

****

शासकीय एवं अशासकीय हाईस्कूल के छात्र-छात्राओं की बुद्धिलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन (ग्वालियर शहर के सन्दर्भ में)

विभा तिवारी * डॉ. रमा त्यागी **

प्रस्तावना – आज शिक्षा के क्षेत्र में बुद्धि का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ईश्वर ने दुनिया में हर किसी व्यक्ति को अलग-अलग सोचने, समझने की शक्ति प्रदान की है। वास्तव में संसार के कोई दो व्यक्ति पूर्णरूपेण एक दूसरे के समान नहीं होते हैं, विभिन्न शारीरिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक गुणों तथा क्षमताओं की दृष्टि से व्यक्तियों में अन्तर देखे जा सकते हैं। शारीरिक गुणों में अन्तर तो प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, जबकि सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक गुणों में अन्तर व्यक्तियों के विभिन्न व्यवहार तथा क्रियाकलापों में परिलक्षित होते हैं। व्यक्ति के व्यवहार के अध्ययन की दृष्टि से मनोवैज्ञानिक गुणों में अन्तरों का विशेष महत्व है।

विद्यार्थियों में भी बुद्धि को लेकर व्यक्तिगत विभिन्नताएँ पाई जाती हैं जो उनके व्यक्तित्व, अध्ययन आदतों एवं शैक्षणिक उपलब्धि को प्रभावित करती हैं। जिस प्रकार की विद्यार्थी की बुद्धि होगी उसी प्रकार से वह सोचेगा, समझेगा तथा व्यवहार करेगा। तीव्र बुद्धि वाले विद्यार्थियों की उपलब्धि अधिक होती है।

प्रस्तुत शोध पत्र शासकीय एवं अशासकीय हाईस्कूल के छात्र-छात्राओं की बुद्धिलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन (ग्वालियर शहर के सन्दर्भ में) शीर्षक के अन्तर्गत किया गया है, जिसमें शोधार्थी द्वारा छात्र-छात्राओं की बुद्धिलब्धि के मध्यमानों की तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर उन्हें सारणीबद्ध किया है तथा निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं।

समस्या की सीमाएँ –

1. प्रस्तुत शोध अध्ययन को ग्वालियर शहर तक परिसीमित किया गया।
2. प्रस्तुत शोध में 14 से 16 वर्ष तक की आयु समूह के विद्यार्थियों तक परिसीमन किया गया।
3. प्रस्तुत शोध अध्ययन को केवल हाईस्कूल स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों तक परिसीमित किया गया।
4. ग्वालियर क्षेत्र में सी.बी.एस.ई. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों संख्या अधिक है और इससे छात्र-छात्राओं की संख्या अधिक थी इसलिए इन विद्यालयों में से कुछ सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों को चुना गया ताकि अच्छा न्यादर्श मिल सके। कुल छात्र-छात्राओं की संख्या काफी है उसमें से 500 न्यादर्श लिया गया।

उद्देश्य –

1. हाईस्कूल स्तर पर शासकीय विद्यालयों के छात्र एवं छात्राओं की बुद्धिलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. हाईस्कूल स्तर पर अशासकीय विद्यालयों के छात्र एवं छात्राओं की बुद्धिलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन करना।
3. हाईस्कूल स्तर पर शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के छात्रों की बुद्धिलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन करना।
4. हाईस्कूल स्तर पर शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों की छात्राओं की बुद्धिलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन करना।

परिकल्पनाएँ –

1. शासकीय विद्यालयों के छात्र-छात्राओं की बुद्धिलब्धि में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।
2. अशासकीय विद्यालयों के छात्र-छात्राओं की बुद्धिलब्धि में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।
3. शासकीय विद्यालयों के छात्र एवं अशासकीय विद्यालय के छात्रों की बुद्धिलब्धि में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।
4. शासकीय विद्यालयों की छात्राओं एवं अशासकीय विद्यालय की छात्राओं की बुद्धिलब्धि में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।

समस्या कथन – शासकीय एवं अशासकीय हाईस्कूल के छात्र-छात्राओं की बुद्धिलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन (ग्वालियर शहर के सन्दर्भ में)

शोध विधि – प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु सर्वेक्षण विधि का चयन किया गया। प्रस्तुत अध्ययन में हाईस्कूल स्तर अध्ययनरत विद्यार्थियों में से यादृच्छिक प्रतिचयन विधि द्वारा 500 विद्यार्थियों का चयन किया गया। जिनमें 250 शासकीय विद्यार्थी (125 छात्र+ 125 छात्राएं) एवं 250 अशासकीय विद्यार्थी (125 छात्र+ 125 छात्राएं) सम्मिलित किए गए हैं।

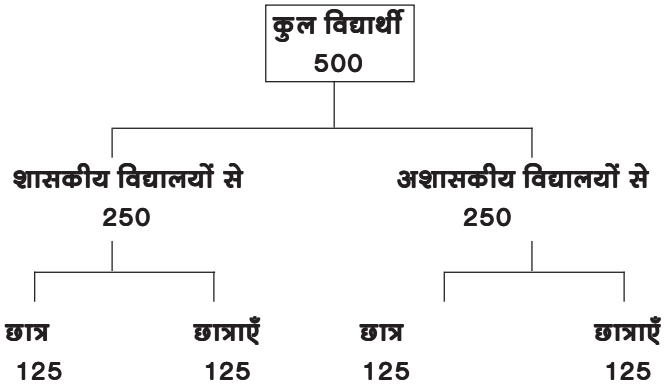

शोध में प्रयुक्त उपकरण –

प्रस्तुत अध्ययन में निम्न उपकरण का प्रयोग किया गया –

विद्यार्थियों की बुद्धिलब्धि ज्ञात करने के लिए **डॉ. श्याम स्वरूप जलोटा द्वारा निर्मित 'मानसिक योग्यता की संशोधित सामूहिक परीक्षा (72)'** – परीक्षण का प्रयोग किया है। यह परीक्षण विद्यालय के विद्यार्थियों

* सहायक प्राध्यापक, आई.पी.एस. कॉलेज ऑफ एजूकेशन, ग्वालियर (म.प्र.) भारत
** प्राचार्य, आई.पी.एस. कॉलेज ऑफ एजूकेशन, ग्वालियर (म.प्र.) भारत

की सामान्य मानसिक योग्यता का मापन करता है। इसका प्रयोग 10–16 आयु तक के बच्चों तथा दोनों लिंगों के विद्यार्थियों पर किया जा सकता है।

प्रदत्तों का संकलन – प्रदत्तों के संकलन के लिए अलग–अलग स्रोतों का प्रयोग किया गया है एवं इसके आधार पर शोधकर्ता द्वारा मानकीकृत उपकरण का प्रयोग किया गया है और प्रदत्तों का संकलन किया गया है।

परिकल्पनओं का सत्यापन –

परिकल्पना 1 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

248 df पर t का प्रामाणिक मान 0.01 सार्थकता स्तर पर 2.60 होता है तथा 0.05 सार्थकता स्तर 1.97 होता है। गणना से प्राप्त t का मान 1.16 इन दोनों मानों से कम है, अत: असार्थक है। अर्थात् अशासकीय विद्यालयों के छात्र–छात्राओं की बुद्धिलब्धि में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है। परिकल्पना सत्य सिद्ध होती है।

परिकल्पना 2 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

248 df पर t का प्रामाणिक मान 0.01 सार्थकता स्तर पर 2.60 होता है तथा 0.05 सार्थकता स्तर 1.97 होता है। गणना से प्राप्त t का मान 1.16 इन दोनों मानों से कम है, अत: असार्थक है। अर्थात अशासकीय विद्यालयों के छात्र – छात्राओं की बुद्धिलब्धि में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है। परिकल्पना सत्य सिद्ध होती है।

परिकल्पना 3 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

248 df पर t का प्रामाणिक मान 0.01 सार्थकता स्तर पर 2.60 होता है तथा 0.05 सार्थकता स्तर 1.97 होता है। गणना से प्राप्त t का मान 10.98 इन दोनों मानों से अधिक है, अत: सार्थक है। अर्थात शासकीय विद्यालयों के छात्र एवं अशासकीय विद्यालय के छात्रों की बुद्धिलब्धि में सार्थक अन्तर होता है। परिकल्पना असत्य सिद्ध होती है।

परिकल्पना 4 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

248 df पर t का प्रामाणिक मान 0.01 सार्थकता स्तर पर 2.60 होता है तथा 0.05 सार्थकता स्तर 1.97 होता है। गणना से प्राप्त t का मान 11.46 दोनों सार्थकता स्तर से अधिक है, अत: सार्थक है। अर्थात शासकीय विद्यालयों की छात्राए एवं अशासकीय विद्यालय की छात्राओं की बुद्धिलब्धि में सार्थक अन्तर होता है। परिकल्पना असत्य सिद्ध होती है।

शोध के निष्कर्ष –

1. शासकीय विद्यालयों के छात्र–छात्राओं की बुद्धिलब्धि में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है। परिकल्पना सत्य सिद्ध होती है। शासकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी एक जैसे वातावरण में ही पढ़ते हैं। शिक्षकों द्वारा पढ़ाए गए पाठ को आत्मसात करते हैं। विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए एक जैसी ही तैयारी करवाई जाती है, इसलिए इनकी बुद्धिलब्धि में अन्तर नहीं होता है।
2. अशासकीय विद्यालयों के छात्र–छात्राओं की बुद्धिलब्धि में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है। परिकल्पना सत्य सिद्ध होती है। अशासकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी भी एक जैसे ही वातावरण शिक्षा प्राप्त करते हैं। परीक्षा के लिए एक जैसी ही अध्ययन आदतें दोनों में विकसित होती हैं। इसलिए इनकी बुद्धिलब्धि में अन्तर नहीं होता है।
3. शासकीय विद्यालयों के छात्र एवं अशासकीय विद्यालय के छात्रों की बुद्धिलब्धि में सार्थक अन्तर होता है। परिकल्पना असत्य सिद्ध होती है। चूंकि शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के वातावरण में काफी अन्तर होता है। शिक्षक भी अलग तरह से शिक्षा देते हैं, इसलिए इन विद्यालयों के विद्यार्थियों की बुद्धिलब्धि में अन्तर देखा जा सकता है। अशासकीय विद्यालयों में अतिरिक्त शैक्षिक कार्यों के साथ–साथ रचनात्मक कार्य भी करवाए जाते हैं। जिससे इनकी बुद्धिलब्धि शासकीय विद्यालय के छात्रों से भिन्न प्रकार की पाई जाती है।
4. शासकीय विद्यालयों की छात्रायें एवं अशासकीय विद्यालय की छात्राओं की बुद्धिलब्धि में सार्थक अन्तर होता है। परिकल्पना असत्य सिद्ध होती है। शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं का एक जैसा प्रदर्शन नहीं होता है। शासकीय विद्यालय में निर्धन परिवार की पढ़ती हैं तथा छात्राए अपने पाठ को गंभीरतापूर्वक पढ़कर अपनी शैक्षिक उपलब्धि के प्रति सचेत रहती हैं। जबकि अशासकीय विद्यालय की छात्राए तकनीकी पर अधिक निर्भर रहती हैं इस कारण उनकी रचनात्मकता एवं बुद्धिलब्धि कम रहती है। इसलिए शासकीय विद्यालयों की छात्रायें एवं अशासकीय विद्यालय की छात्राओं की बुद्धिलब्धि में सार्थक अन्तर होता है।

सुझाव

1. विद्यार्थियों को अध्ययन के समय किसी अन्य कार्य में बंधित न करके उनकी अधिगम प्रक्रिया को पूर्ण सहयोग देना चाहिए।
2. विद्यार्थियों को अध्ययन हेतु प्रोत्साहित कर सकारात्मक उपलब्धि पर उन्हें पुरस्कृत करना चाहिए।
3. अभिभावकों को शिक्षा के महत्व को दृष्टिगत रखकर अपने स्वयं के तथा आस–पड़ोस के सभी शाला अप्रवेशी एवं शाला त्यागी बच्चों को शाला में प्रवेश दिलाने हेतु प्रयास करना चाहिए।
4. अभिभावकों को शासन की शिक्षा के लोकव्यापीकरण की नीतियों में क्रियान्वयन में अपना पूर्ण सहयोग देना चाहिए।
5. अपने बालक–बालिकाओं की उच्च शैक्षिक उपलब्धि के लिए अभिभावकों को अभिभावक–अकादमिक सहभागिता को बढ़ाना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. विलियम एफ. एन्डर्सन – छात्रों पर सामाजिक वर्ग तथा बौद्धिक क्रियाओं के संबंध में अध्ययन पी.एच.डी. शिक्षा न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय।
2. भार्गव महेश – 'आधुनिक मनोवैज्ञानिक परीक्षण + मापन'।
3. ढोंढ़ियाल एवं फाटक – 'शैक्षिक अनुसंधान का विधि शास्त्र, 1982 राजस्थान ग्रन्थ अकादमी, जयपुर 1982
4. गर्ग ओमप्रकाश एवं डॉ. सुधा चतुर्वेदी – अधिगम का मनो सामाजिक आधार एवं शिक्षा।
5. कौल, लोकेश – शैक्षिक अनुसंधान की कार्यप्रणाली।
6. पाठक पी.डी. – शिक्षा मनोविज्ञान।
7. रावल एवं कपूर – शिक्षा में मापन मूल्यांकन एवं सांख्यिकी।

परिकल्पना 1

शासकीय विद्यालयों के छात्र-छात्राओं की बुद्धिलब्धि में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।

	मध्यमान (M)	प्रामाणिक विचलन (SD)	स्वतंत्रता अंश (df)	प्रामाणिकता स्तर		टी मान
शासकीय छात्र	52.35	7.9	248	0.01	2.60	2.2
शासकीय छात्राए	54.38	6.1		0.05	1.97	

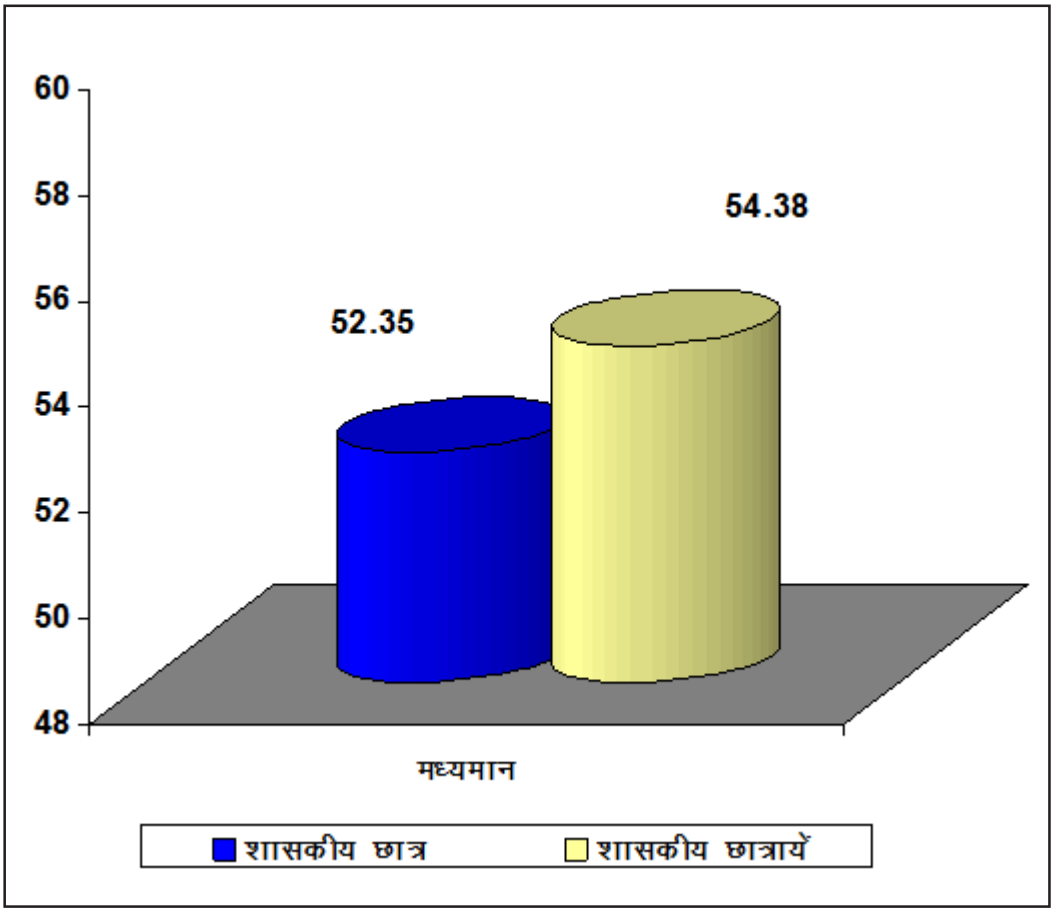

परिकल्पना 2

अशासकीय विद्यालयों के छात्र-छात्राओं की बुद्धिलब्धि में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।

	मध्यमान (M)	प्रामाणिक विचलन (SD)	स्वतंत्रता अंश (df)	प्रामाणिकता स्तर		टी मान
अशासकीय छात्र	38.92	11.15	248	0.01	2.60	1.16
अशासकीय छात्राए	40.62	11.95		0.05	1.97	

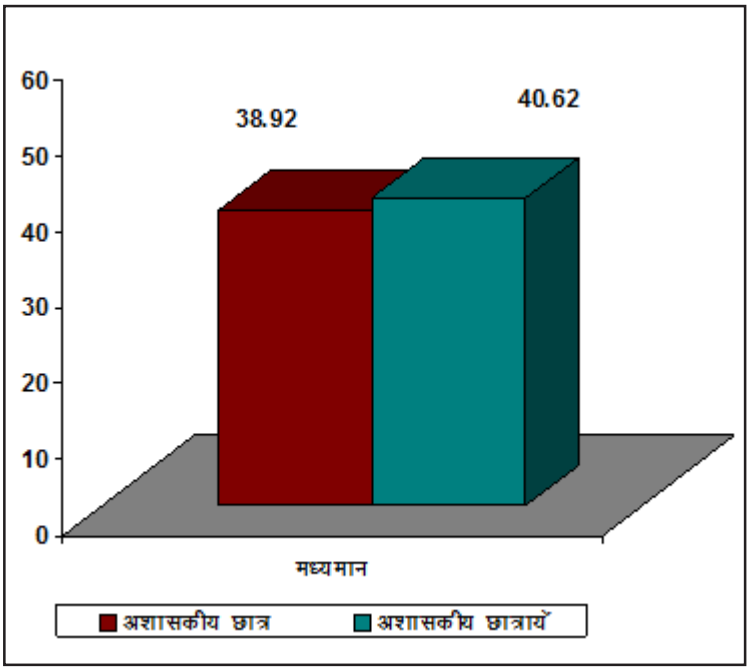

परिकल्पना 3

शासकीय विद्यालयों के छात्र एवं अशासकीय विद्यालय के छात्रों की बुद्धिलब्धि में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।

	मध्यमान (M)	प्रामाणिक विचलन (SD)	स्वतंत्रता अंश (df)	प्रामाणिकता स्तर		टी मान
शासकीय छात्र	52.35	7.9	248	0.01	2.60	10.98
अशासकीय छात्र	38.92	11.15		0.05	1.97	

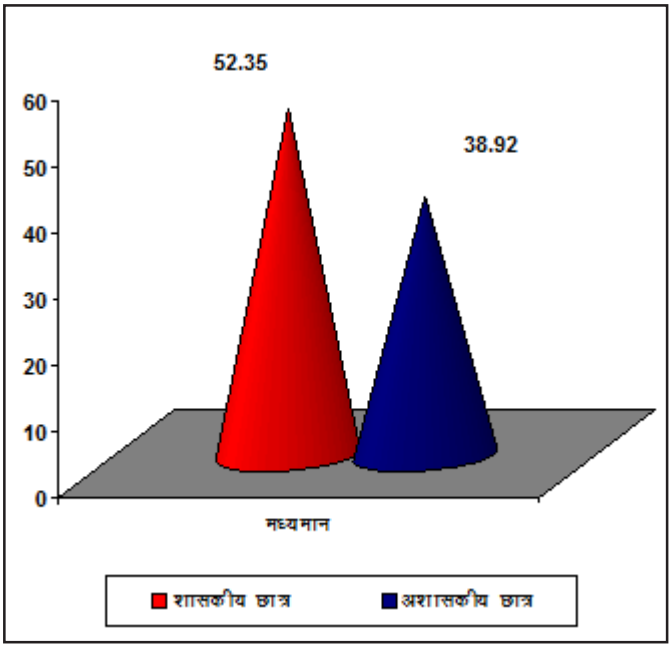

परिकल्पना 4

शासकीय विद्यालयों की छात्राओं एवं अशासकीय विद्यालय की छात्राओं की बुद्धिलब्धि में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।

	मध्यमान (M)	प्रामाणिक विचलन (SD)	स्वतंत्रता अंश (df)	प्रामाणिकता स्तर		टी मान
शासकीय छात्राए	54.38	6.1	248	0.01	2.60	11.46
अशासकीय छात्राए	40.62	11.95		0.05	1.97	

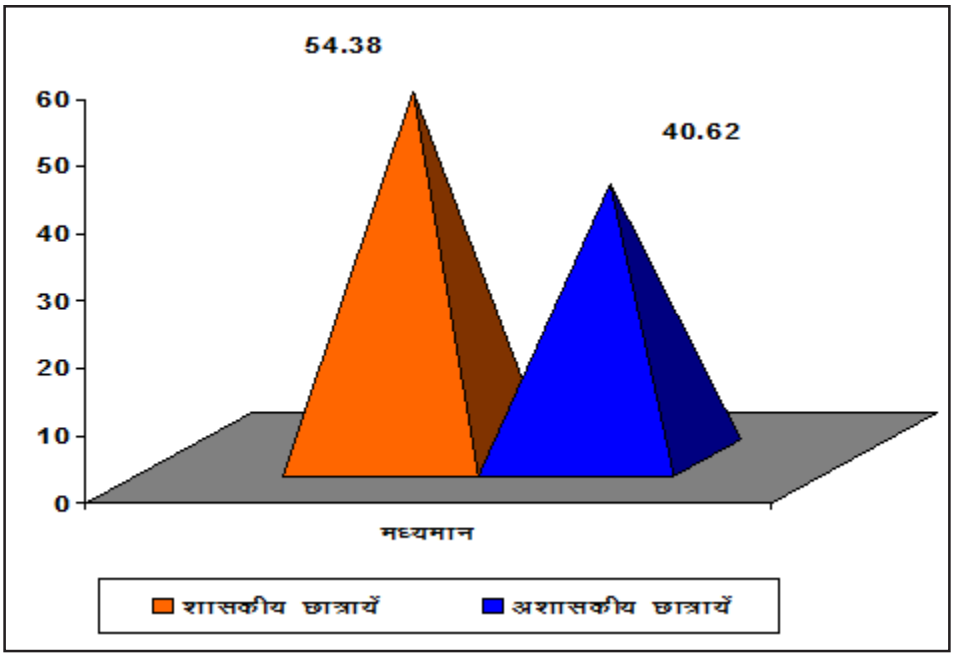

****

Effect of motivational training on performance of racers of Uttar Pradesh

Dr. Gajender Singh Saroha * **Ashish Kumar** **

Abstract - The impact of motivational training on 30 district level athletes who take part in 100 meter race and 30 district level athletes who take part in 200 meter race was studied. The racers for the study were selected from Agra & Mathura. Intensive motivational training was given once in a week to all the selected racers for 12 weeks. The performance of athletes prior to training and after training was compared. It was found that there is a significant impact of motivational training. Speed of district level racers increased significantly due to such training in both categories of racers.

Key Words - motivational training, 100 meter race, 200 meter race and district level racers.

Introduction - It is sometimes found that even after best efforts racers performance can't improve. There are few coaches who also take assistance of psychologists and counselors. Is it really worthwhile to have their consultancy or it is sheer luck which is experimented when nothing seems working. The use of sports psychologists & their involvement in preparation of sportsmen is rising. Considering this fact it was decided to conduct a research whether there can be any improvement in performance of racers after motivational training by psychologists.

Sample - 30 district level 100 meter racers and 30 district level 200 meter racers from Agra & Mathura were selected randomly for the study.

Type of racer	Agra	Mathura	Total
100 meter racer	15	15	30
200 meter racer	15	15	30
Total	30	30	**60**

Hypothesis :

H1 There is no significant effect of motivational training on performance of 100 meter racers.

H2 There is no significant effect of motivational training on performance of 200 meter racers.

Research Tool - Motivational videos were shown to the racers once in a week for 12 weeks & these videos were simply explained by the trainer to boost up the morale of racers. The time taken by the racers prior to training & after training was measured and compared.

Statistical Tool - Paired T test was used to test the significance of motivational training on performance of 100 & 200 meter racers.

Testing of Hypothesis :

Chart - 1 : Impact of motivational training on performance of 100 meter racers

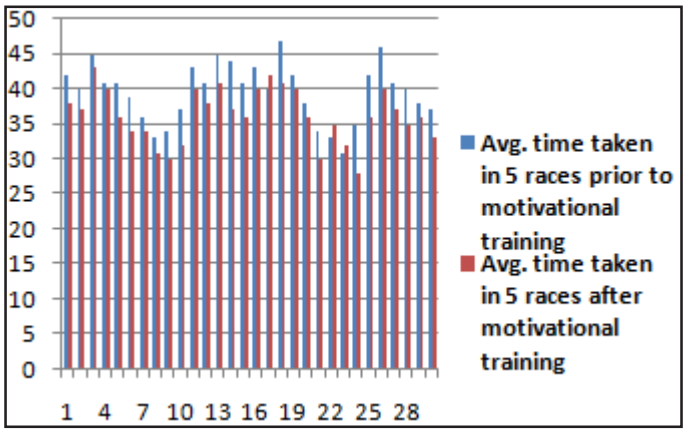

On observation of pre & post motivational training performance of 100 meter racers it is found that it generally improves the performance.

The P value for paired T- test was found 1.90897E-05 which is less than the level of significance .05 so we reject hypothesis H1, proving that there is highly significant effect of motivational training on performance of 100 meter racers. Average time taken in 100 meter race reduces significantly after motivational training.

Chart – 2 (See in next page)

*Associate Professor, Pacific College of Physical Education, PAHER University, Udaipur (Raj.) INDIA
** Research Scholar, Pacific College of Physical Education, PAHER University, Udaipur (Raj.) INDIA

Chart - 2

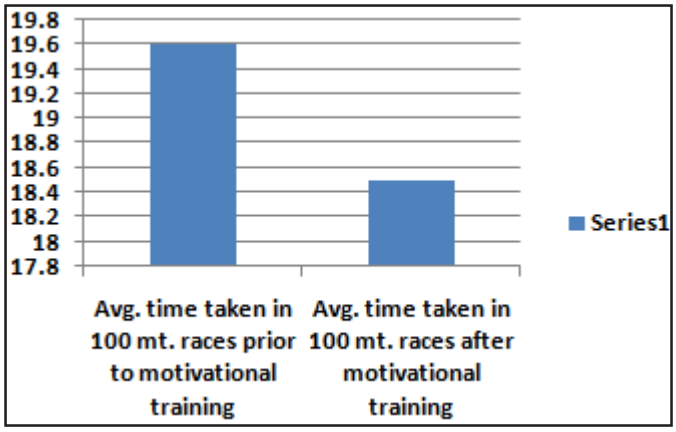

Chart 2 reflects that average time taken by 100 meter racers reduces by 5.61% after motivational training so the training is fruitful.

Chart - 3 : Impact of motivational training on performance of 200 meter racers

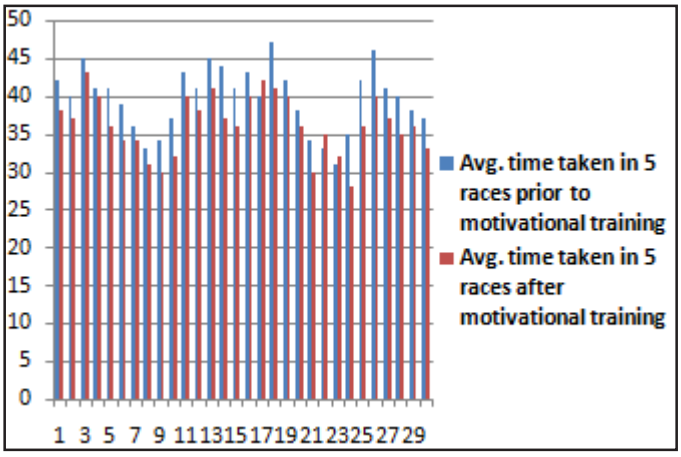

On observation of pre & post motivational training performance of 200 meter racers it is found that it generally improved the performance.

The P value for paired T- test was found 4.83246E-09 which is less than the level of significance .05 so we reject hypothesis H2, proving that there is highly significant effect of motivational training on performance of 200 meter racers. Average time taken in 200 meter race reduces significantly after motivational training.

Chart – 4

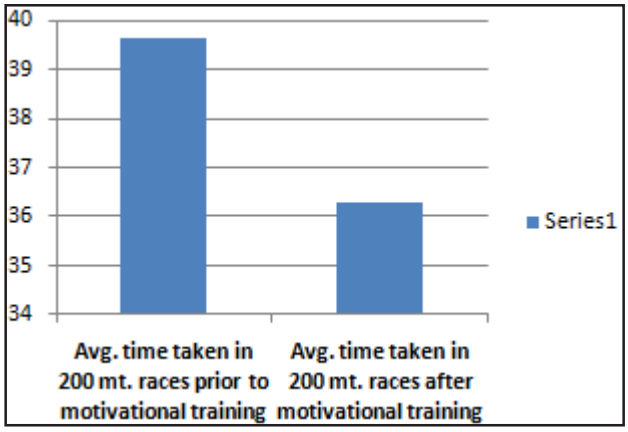

Chart 4 reflects that average time taken by 200 meter racers reduces by 8.48% after motivational training so the training is fruitful.

Conclusion :

1. There is significant effect of motivational training on performance of 100 meter racers. It improves the performances of racers by an average of 5.61% .
2. There is significant effect of motivational training on performance of 200 meter racers. It improves the performances of racers by an average of 8.48%

References :-

1. Bosco, C., P. Komi and K. Sinkkonen, “Mechanical power, net efficiency and muscle structure in male and female middle distance runners”, Scand.J. Sports Sc., 1980, 2(2), 47-51.
2. Berg K, Miller M and Stephens L. Determinants of 30 meter sprint time in pubescent males. J Sports Med 26(3): 225-231, 1986.
3. J. C. Williamson, R. O. Torres-Isea, and C. A. Kletzing, “Analyzing linear and angular momentum conservation in digital videos of puck collisions,” Am. J. Phys. 2000, 68(9), 841– 847.
4. Schnabel, A. and W. Kindermann, “Assessment of Anaerobic Capacity in Runners”, Eur. Jour, of Appl. Physiol., 1983, 52, 42-46.

****

वैकल्पिक विवाद निवारण सम्बन्धी विधियाँ एवं उनका मूल्यांकन

डॉ. सीमा राजपूत *

प्रस्तावना – अधिकार और कर्त्तव्य की सापेक्षता में विवादोत्पत्ति की सदैव सम्भावना रहती है। विकसित सभ्यता के पूर्व व पश्चात् जैविक प्रवृत्तियों से प्रेरित अतिक्रमण और आक्रमण की समस्या का निराकरण, सामाजिक व्यवस्था तन्त्र का प्रमुख अंग रहा है। राजवाड़े की प्रशासनिक व्यवस्था के उद्गम होने के पूर्व विवादों का निपटारा और समस्या का निराकरण प्रबुद्ध और पंच विचार द्वारा किया जाता रहा। पंच के मंच से वास्तविक न्याय-निर्णय की परम्परा विकसित हुई और पंच को परमेश्वर के उद्धोधन का अलंकरण प्राप्त हुआ।

वर्तमान प्रकार के राज्य की अवधारणा के विकास के साथ-साथ प्रशिक्षित एवं चुने गए न्यायाधीशों के द्वारा न्यायालयों का प्रारूपित तौर पर संचालन कर न्याय प्रदान किया जाने लगा इन अभिकरणों द्वारा संचालित न्याय व्यवस्था कभी कभी कष्टकारी और अत्यधिक समय और खर्च लेने वाली होती है।

भारतीय संदर्भ में विशेषत: सभी व्यक्ति वादों का खर्च नहीं वहन कर सकते हैं, तात्पर्य यह है कि न्याय पाना एक खर्चीला कार्य है। इसके अतिरिक्त दुरूह प्रक्रिया तथा समय के अनावश्यक खर्च के कारण सामान्य जन का न्याय प्रणाली से विश्वास उठता सा लग रहा है। रूढ़ीवादी न्याय पद्धति द्वारा न्याय पाना अथवा विवादों का निपटारा एक टेढी खीर साबित हो रहा है। इन सब कारणों ने पारम्परिक न्याय व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, तथा इस बात की महती आवश्यकता महसूस की जा रही है कि प्रक्रियात्मक जटिलताओं को कम करते हुए त्वरित न्याय उपलब्ध कराया जा सके, जो हमारे संविधान में अन्तर्निहित भावनाओं के अनुरूप हो।

विवादों को वैकल्पिक प्रकार से निपटाना मूलत: गैर न्यायिक प्रकृति का है, ये तरीके प्राय: उन सभी प्रकार के विवादों के सम्बन्ध में उपयोग में लाए जा सकते हैं, जो पक्षकारों के बीच समझौते के द्वारा निपटाए जा सकते हैं। ये तरीके दीवानी प्रकृति के वादों में तथा विशिष्ट व्यावसायिक, वाणिज्यिक, औद्योगिक पारिवारिक विवादों में प्रयोग में लाए जा रहे हैं तथा इसके उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त हुए हैं। इन तरीकों के द्वारा बैंकिंग संविदा सम्बन्धी मामलें, निर्माण सम्बन्धी संविदायें और बीमा सम्बन्धी मामलें शीघ्रता से हल कर किए जा रहे हैं, इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक विवादों के लिये भी ये तरीके उपयुक्त समाधान साबित हुए है।

वैकल्पिक रूप से विवाद निपटाने की युक्ति कोई नयी संकल्पना नहीं है। प्राचीन भारत में इस प्रकार की प्रक्रिया देखने को मिलती है। **डॉ. प्रियनाथ सेन** ने अपनी पुस्तक **'हिन्दू विधिशास्त्र के सामान्य सिद्धान्त'** में धर्मशास्त्रों के समय में प्रचलित विभिन्न विवाद निपटान संस्थाओं के बारें में वर्णन किया है। उनके अनुसार **'कुल श्रेणी और पुगास'** के द्वारा ही प्राय: सभी विवादों को सुलझा दिया जाता था।

ये उपरोक्त प्राचीन संस्थाए मोलवियों की संस्था, काजी और अंग्रेजों की अदालत के साथ-साथ भी चलती रही। ये संस्थाए अपने कार्यशैली तथा प्रक्रिया के कारण विवादों को निपटाने के लिए उचित फोरम थी। अंग्रेजों द्वारा लायी गयी ब्रिटिश पद्धति के कारण न्याय प्रशासन का कार्य प्रारूपिक तौर पर होने लगा। उनके द्वारा प्रक्रियात्मक बाध्यताओं का कड़ाई से पालन किया जाने लगा। अंग्रेजों द्वारा इस प्रकार न्याय प्रशासन करने से उपरोक्त संस्थाओं का महत्व घटने लगा तथा ये अपने महत्वपूर्ण स्वरूप को खोती चली गयी और लुप्त प्राय: सी हो गयी।

विवादों के वैकल्पिक निपटान का प्राथमिक उद्देश्य है कि सभी को न्याय की सुलभता हो तथा शीघ्र और कम खर्च में न्याय मिल सके, जिससे न्याय का उद्देश्य विफल न हो।

1. **संविधान –** भारतीय संविधान के अनुच्छेदों के प्रावधानों के अंतर्गत भी माध्यस्थम् सम्बन्धी प्रावधान देखने को मिलता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का, राज्यों के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण सम्बन्धों के बनाए रखने का, एक दुसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का और अंतर्राष्ट्रीय विवादों का मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 से 258, एवं 260 में केंद्र और राज्य के बीच में सम्बन्धों का उल्लेख करता है, कि केन्द्र और राज्यों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न न हो और उन्हीं अनुच्छेदों द्वारा दर्शाया गया है कि केन्द्रों और राज्यों के बीच परस्पर सहयोग एवं समन्वय आवश्यक हैं एवं आपसी विवादों को समझौता और समन्वय द्वारा दूर किया जाना चाहिए अमेरिका, कनाड़ा एवं ऑस्ट्रेलिया में केन्द्र और राज्यों के बीच अनेक विवाद हुए किंतु उनके बीच सहयोग, समझौता एवं विचार विमर्श के द्वारा विवादों का निपटारा किया गया।

इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद् के द्वारा भी कुछ राज्यों के बीच में उत्पन्न विवादों की जाँच करेगी, कुछ या सब राज्यों के संघ और एक या अधिक राज्यों के पारस्परिक हित से संबंद्ध विषयों का अनुसंधान और विचार विमर्श करेगी और ऐसे विषय के बारे में अच्छे समन्वय हेतु नीतियाँ कार्यवाहियों की सिफारिश करेगी इसी प्रकार केन्द्र और राज्य के बीच पारस्परिक सहयोग एवं सद्भाव को बढ़ाकर राष्ट्र को सशक्त बनाया जा सकता है।

अनुच्छेद 262 के अंतर्गत संसद विधि द्वारा अन्तर्राज्यिक नदियों या नदी घाटियों के जल प्रयोग वितरण या नियत्रंण से सम्बन्धित किसी विवाद

* (विधि) शासकीय जे. एन. एस. महाविद्यालय, शुजालपुर, जिला – शाजापुर (म.प्र.) भारत

के न्याय निर्णयन के लिए उपबंध करती है। जल विवाद अधिनियम के अंतर्गत केन्द्र और राज्यों को ऐसे विवादों को निपटाने के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई है। इस न्यायाधिकरण को निर्दिष्ट किसी विवाद पर उच्चतम न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय की अधिकारिता होगी और ऐसे निकायों द्वारा केन्द्र एवं राज्यों के उपयुक्त विवादों को बिना कटुता पैदा किये विचार विमर्श द्वारा सुलझाया जा सकता है।

कावेरी जल विवाद अधिकरण, के मामले में निम्न तथ्य थे। कावेरी नदी के जल के बँटवारे के संबंध में कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में विवाद था। केंद्र सरकार ने इस विवाद के निपटारें के लिए एक अधिकरण की नियुक्ति की। अधिकरण ने जून 1991 में कर्नाटक राज्य को एक निश्चित मात्रा में नदी का जल तमिलनाडु को देने का आदेश दिया। कर्नाटक राज्य ने इस आदेश का विरोध किया और एक अध्यादेश जारी करके सरकार को यह शक्ति प्रदान कर दी कि वह अभिकरण के निर्णय का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। तमिलनाडु राज्य ने इस कार्यवाही का कड़ा विरोध किया। विरोध को बढ़ता हुआ देख राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 143 के अधीन उच्चतम न्यायालय को सलाह के लिए सौपा, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कर्नाटक राज्य द्वारा प्रस्थापित आदेश अध्यादेश अविधिमान्य है क्योंकि वह केन्द्रीय अधिनियम के अधीन नियुक्त किया गया है। जिसे अनुच्छेद 262 के अधीन बनाया गया है और वह अपने मामलें में स्वंय एक न्यायाधीश की भूमिका धारण कर लेता है। जो विधि शासन और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का अतिक्रमण करने के कारण असंवैधानिक है।

इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है, अत: उच्चतम न्यायालय को निम्नलिखित पक्षकारों के बीच में किसी विवाद के संबंध में प्रारंभिक अधिकारिता है संघ तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच, संघ और कोई राज्य एक ओर तथा एक राज्य दूसरी ओर, तथा दो या दो से अधिक राज्यों के बीच, उच्चतम न्यायालय द्वारा ही विचार विमर्श द्वारा विवादों को हल करवाना जिससे दोनों राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न होने पर कोई पक्षकार हारे जाते नहीं और दोनों को उचित हिस्सा मिल जाए और उच्चतम न्यायालय द्वारा ही सुलह समझौता एवं अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू किया जाता है।

इसी प्रकार नीति निर्देशक तत्व व मूल अधिकार इनमें जब असामन्जस्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और व्यक्तिगत हित और लोकहित इनमें जब सामन्जस्य का प्रयास करना पड़ता हैं, तब अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय एक मध्यस्थ की भूमिका अदा करता है। इसे सीधे तरीके से मध्यस्थ तो नहीं कह सकते हैं, उसमें देखा गया है कि लोकहित महत्वपूर्ण है, तो क्या मूल अधिकार को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता है, इसी तरह यह सामन्जस्य स्थापित करने का प्रयास करता है।

इसी प्रकार नीति निर्देशक तत्व एवं मूल अधिकारों के मध्य उच्चतम न्यायालयों से संबंधित विवादों को एवं परस्पर टकराव को समझौतों द्वारा दूर किया गया है, यद्यपि नीति निर्देशक तत्व प्रवर्तनीय नहीं है, फिर भी न्यायालयों द्वारा मूल अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्वों में समझौता कराने का प्रयास करता हैं। जैसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जब सिलिंग एक्ट डाला गया अनुच्छेद 31 A,B,C,D उसमें भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी कानूनों को वैधता दी गयी और उच्चतम न्यायालय को चुनौती दिये जाने से संरक्षण प्रदान करता है और एक समन्वयकारी नीति अपनाता है।

2. सिविल प्रक्रिया संहिता – परम्परागत न्यायालयों द्वारा ज्यादा समय लेने के कारणों के निदान का भी प्रयास 1 जुलाई 2002 को सिविल प्रक्रिया संहिता में संशोधनों के माध्यम से किया गया है जिससे ये परम्परागत न्यायालय अपने कार्य में तेजी ला सके और मामलों को शीघ्रता से निपटा सके।

सिविल प्रक्रिया संहिता के सन् 1999 के संशोधन के द्वारा धारा 89 जोड़ी गई है।[1] और वैकल्पिक विवाद निस्तारण की श्रृंखला में लोक अदालत की अहम् भूमिका की संसदीय मान्यता व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 89 में भी संदर्भित की गयी है।

3. दण्ड प्रक्रिया संहिता – सन् 1973 की दंड़ प्रक्रिया संहिता में इस बात पर विशेष ध्यान दिया कि न्याय निर्णय में विलंब को यथा सम्भव कम किया जाए, दो वर्ष तक दण्डनीय अपराधों को सक्षिप्त विचारण द्वारा निपटाया जा सक तथा पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति दिलाई जा सके। दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 437 में अग्रिम जमानत संबंधी प्रावधान भी जोड़ा गया है, तथा क्षुद्र मामलों में अभियुक्त द्वारा डाक से अपना अपराध स्वीकार किया जाने पर उसे न्यायालय में उपस्थित होना आवश्यक नहीं रखा गया, धारा 69 का उद्देश्य साक्षियों पर समन की तामील होने वाले विलंब से बचाना है।

3. दण्ड प्रक्रिया संहिता – दण्ड़ प्रक्रिया संहिता की धारा 235(2) के अंतर्गत दण्ड़ के बारे में अभियुक्त को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है। इसी प्रकार अभियोजन पक्ष को भी अभियुक्त को दिए गए दण्ड़ के औचित्य के बारे में अपने विचार न्यायालय के समक्ष रखने का अवसर प्रदान किया जाता है। धारा 304 में अभियुक्त को राज्य के व्यय पर विधिक सहायता उपलब्ध किया जाना अनिवार्य किया गया है। इसी प्रकार दण्ड़ प्रक्रिया संहिता की धारा 320 अपराधों के शमन अर्थात समझौते का प्रावधान करती है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में नवीनतम संशोधन (2005) द्वारा **'सौदेबाजी' (**Plea Bargaining) की नई व्यवस्था लागू की गई है, जो अध्याय **21-ए** के रूप में **धारा 265'क'** से **265'ठ'** में जोड़ा गया है।

4. लोक अदालत – न्याय को सस्ता और सर्वजन बनाने के उद्देश्य से लोक अदालतों की स्थापना का विचार साकार किया गया। जैसे, प्राचीन काल में पंचायतों के जरिए छोट-मोटे आपसी विवाद समाप्त कर लिए जाते थे, उसी तर्ज पर न्याय दिलाने के लिए लोक अदालतें अपनी सार्थक भूमिका अदा कर रही है। भारत के **पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी.एन.भगवती ने कहा कि 'न्याय चला निर्धन से मिलने', 'न्याय चला गाँवों की ओर'।** उनका विचार था कि आपसी सुलह समझौतें से विवादों को सुलझाना अधिक हितकर होगा।

प्राचीन कहावत है कि - **'विलम्ब से मिला न्याय नहीं के बराबर होता है।' दुसरे शब्दों में विलम्ब न्याय को विफल कर देता है।' न्याय वही है जो समय पर मिले**। विलम्ब से मिले न्याय की सार्थकता एवं प्रासंगिकता समाप्त हो जाती है। वर्तमान में न्याय में अत्यधिक विलम्बता एवं खर्चीला हो गया है। वर्षो तक न्यायालय में आते-आते पक्षकारों की कमर टुट जाती है। न्याय उन्हें मृगतृष्णा लगने लगता हैं कई बार यह कहा जा सकता हैं कि 'वादी मर जाता है पर वाद अमर रहता हैं ' 'ऐसी स्थिति में न्याय के प्रति आम आदमी की धारणा भी डगमगाने लगती हैं।'

भारतीय संविधान के भाग चार में राज्यों को नि:शुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के लिए कहा गया कि कोई व्यक्ति न्याय प्राप्ति से वंचित न रह

जाए। इस दायित्व का निर्वहन करने के प्रयोजन से सन् 1980 में विधिक सहायता प्रवर्तन योजना समिति की स्थापना हुई इस समिति द्वारा लोक अदालत नामक ईकाइयों की स्थापना की गई **न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती** लोक अदालत व्यवस्था के जनक कहे जा सकते हैं। विधिक सहायता योजना प्रवर्तन के लिए समिति का गठन सन् 1980 में हुआ। इसका संबंध सुलह, समझौतों के माध्यम से विवादों के हल के लिए लोक अदालतों के गठन से है।

भारत के **न्यायमूर्ति पी.एन.भगवती** के शब्दों में जहाँ अब तक पक्षकारों को न्यायालय के दरवाजे खटखटाने पड़ते थे, अब लोक अदालत की व्यवस्था के अंतर्गत न्याय स्वयं पक्षकारों के दरवाजे पर जाकर उन्हें राहत दिलाएगा।

5. ग्राम न्यायालय – भारत गाँवों का देश है, इसकी 80 प्रतिशत आबादी गाँवों में रहती है, जो कृषक है, अशिक्षित है, और निर्धन भी। वे अपने अधिकारों एवं कर्त्तव्यों से भी अवगत नहीं है। कानूनों की जानकारी होना तो असम्भव बात है। यही कारण है कि अधिकांश लोग न्याय से वंचित रह जाते है। वे अर्थाभाव या अन्य किसी कारण से न्यायालय में दस्तक नहीं दे पाते। दीर्घकालीन और खर्चीली न्याय व्यवस्था होने के कारण आम आदमी को न्याय सुलभ नहीं हो पाता।

न्याय में विलम्ब पर चिंता जताते हुए **राजेन्द्र सिंह बनाम प्रेम** के मामलें में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि मामलों के निस्तारण में अत्यधिक विलम्ब से लोगों की न्यायपालिका के प्रति आस्था घट रही हैं। इसी प्रकार **एस.रामाकृष्णा बनाम एस.रामीरेड्डी**[2] के मामलें में उच्चतम न्यायालय द्वारा ही यह अभिव्यक्त किया गया है कि मामलों में त्वरित विचारण व्यक्ति का मूल अधिकार है। किसी भी मामलें को अनिश्चित समय के लिए लम्बित रखना न्यायोचित नहीं हैं।

संविधान के 73 वें संशोधन से पूर्व की पंचायती राज व्यवस्था में, जो राष्ट्रपिता के 'ग्राम स्वराज' की परिकल्पना पर आधारित थी, एक लम्बे अन्तराल के बाद शासन– प्रशासन का ध्यान पुन: इस व्यवस्था पर गया और एक नई अवधारणा 'ग्राम न्यायालयों' की सामनें आई। ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 इसी की परिणति हैं।

केंद्र सरकार ने सामाजिक संगठनों, महिला संगठनों तथा **विधि आयोग की 59वीं रिपोर्ट** को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में सन् 1984 में कौटुम्बिक न्यायालय अधिनियम को मान्यता दी। इसके अंतर्गत राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से दस लाख की आबादी वाले शहर या कस्बे में कौटुम्बिक न्यायालय की स्थापना कर सकती हैं, यदि राज्य सरकार उचित समझे तो उच्च न्यायालय के दस लाख से आबादी वाले शहर या कस्बें में कुटुम्ब न्यायालय का गठन उच्च न्यायालय के परामर्श से कर सकती है। भारत में सर्वप्रथम कौटुम्बिक न्यायालय की स्थापना गुलाबी शहर जयपुर में की गई है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. डॉ. एच. पी दगुप्ता – भारत का संविधान।
2. डॉ. एन. वी.परांजपे – विधि शास्त्र एवं विधि के सिद्धांत।
3. ए. के. सक्सेना – विधि एवं योजनाएँ – एक परिचय।
4. डॉ. जय नारायण पाण्डे – भारत का संविधान।

****

महिला उत्पीड़न और घरेलू हिंसा अधिनियम

डॉ. रेखा माली *

प्रस्तावना – आधुनिक युग परतंत्रता और पीड़ितों के उत्थान का युग रहा है। उनके उत्थान से मानव समाज के सभी क्षेत्रों में आशातीत बदलाव हुए है। 21वीं सदी का समय महिलाओं के उत्थान, चिन्तन और विकास का युग कहा जा सकता है। सदीं के इस दौर में कोई भी क्षेत्र महिलाओं की सहभागिता से वंचित नहीं है। समाज के अनेक संबंधों का केन्द्र होने के कारण भारतीय महिला विशेष रूप से नई पीढ़ी की नारी में जो अस्थिरता पैदा हुई है, उसने रूढ़िगत परम्पराओं और अनेक मान्यताओं को विखंडित कर दिया है, जिसके फलस्वरूप अनेक समस्याओं का प्रादुर्भाव हुआ है।

आज भारतीय महिलाएँ घर और बाहर दोनों ओर नये समीकरण रचने एवं अपार संभावनाओं के रूप में अवतरित हुई है। दृढ–संकल्पता, एकाग्रता, आत्मचिंतन, कुछ करने की लालसा, शीर्ष तक पहुंचने की अपेक्षित उमंग और इसके साथ ही निर्मल मन व आंतरिक सौम्यता उसकी सफलता के ठोस आधार है।

किन्तु विडम्बना यह है कि जैसे–जैसे समाज मे नारी स्वतंत्रता और उन्मुक्त आधुनिकीकरण का वातावरण बढता जा रहा है, वैसे–वैसे पुरूषों की पाशविक वृत्तियाँ और अधिक भंयकर रूप से महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा है। विभिन्न समाचार, पत्र–पत्रिकाओं, टी.वी. चैनल, सर्वेक्षणों से यह तथ्य उभरकर सामने आया है कि महिलाओं के प्रति अपराधों का बढता ग्राफ जिसमें शारीरिक, यौन शोषण मौखिक, भावनात्मक या आर्थिक रूप से प्रताड़ना, दहेज, अत्याचार एवं घरेलू हिंसा आदि है।

घरेलू हिंसा – घरेलू हिंसा की जडें हमारे समाज, समुदाय और परिवार में गहराई से जमी हुई हैं। इसे व्यवस्थागत समर्थन भी मिलता है। घरेलू हिंसा के विरूद्ध अगर कोई समाज और परिवार में आमूल–चूल बदलाव की बात होगी। प्राय: देखा जाए तो घरेलू हिंसा के मामले दिनोंदिन बढते जा रहे है। जिसको नियन्त्रित करने हेतु सरकार ने घरेलू हिंसा संरक्षण कानून बनाकर एक महत्वपूर्ण पहल की।

घरेलू हिंसा के खिलाफ एक उम्मीद – महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा कानून 26 अक्टूबर, 2006 से लागू हो गया है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य पत्नियों का पुरूष मित्र के साथ रहने वाली महिलाओं को अपने पति या साथी की हिंसा से संरक्षण प्रदान करता है, घरेलू हिंसा कानून के दायरें में वास्तविक प्रताड़ना, शारीरिक, यौन शोषण, मौखिक, भावनात्मक या आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने को सम्मिलित किया गया है। महिला या उसके रिश्तेदारों से दहेज की मांग करना भी इसमें शामिल है। साथ ही साथ यह कानून न केवल पत्नियों, बल्कि बहनों, विधवाओं या माताओं को भी संरक्षण प्रदान करता है।

इस कानून के पक्ष में महत्तवपूर्ण तीन बातें कही जा सकती है–

- एक तो यह कि समाज में हिंसा की सबसे ज्यादा शिकार महिलाएँ ही होती है।
- दूसरे, उनके उत्पीड़न की ज्यादातर घटनाओं में उनके परिजनों का हाथ होता है।
- तीसरे, आरोपियों को सजा न मिल पाने की सबसे ऊँची दर औरतों के खिलाफ होने वाले अपराध के मामलों में है।

घरेलू हिंसा के प्रमुख कारण – महिलाओं के भरण–पोषण में पुरूष सत्ता अधिक महत्व रखती है, इसलिए लड़की को कमजोर तथा लड़के को साहसी माना जाता है। लड़की के स्वतंत्र व्यक्तित्व को आरंभिक अवस्था में ही कुचल दिया जाता है

प्रमुख कारण–

1. शिक्षा की कमी
2. महिलाओं के चरित्र पर संदेह
3. शराबी प्रवृत्ति
4. रूढिगत प्रथाएँ एवं परम्पराएँ
5. मीडिया का दुष्प्रभाव
6. महिलाओं का आत्मनिर्भर न होना

घरेलू हिंसा में शामिल है–

शारीरिक हिंसा –

- मारपीट, डांटना
- थप्पड़ मारना
- धक्का देना
- अन्य किसी तरह की शारीरिक चोट पहुँचाना

आर्थिक हिंसा –

- महिला–बच्चों को भरण–पोषण हेतु पैसा नहीं देना
- नौकरी करने में बाधा डालना
- अपने वेतन का उपभोग न करने देना
- घर से बाहर निकाल देना

मौलिक व भावनात्मक हिंसा –

- बेइज्जत करना
- महिलाओं के चरित्र व कार्यो पर आक्षेप करना
- पुत्र न होने पर अपमानित करना
- आत्महत्या की धमकी देना
- दहेज न लाने पर ताना देना

* व्याख्याता, पेसिफिक विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

- नौकरी करने से रोकना

अन्य कोई भी मौखिक व भावनात्मक हिंसा

संविधान के नीति-निर्देशक तत्वों में महिलाओ के अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं तथा स्त्री एवं पुरूषों के बीच भेदभाव समाप्त किया गया समानता के अधिकार के अन्तर्गत स्त्री-पुरूषों को समान माना गया है। संविधान के विभिन्न अनुच्छेद 14,15(3),16,19,21,23,24,39(घ), 243 घ, न, 42,47,330 तथा 332 में महिलाओं के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए हैं-

समाज में महिलाओं के साथ होने वाले अपराध एवं सजा का प्रावधान (देखें)

लिहाजा, महिलाओं के लिए कानूनी संरक्षण प्रदान करने हेतु बहुत से कानून बने हुए है, लेकिन महिलाओं के कानूनी संरक्षण बढ़ाने की दिशा में एक और कदम 'घरेलू हिंसा निषेध अधिनियम' का औचित्य साफ है

निष्कर्ष – इन सारे उपायों के बावजूद सबसे अहम् सवाल यह है कि कानून के सहारे घरों में स्त्रियों के साथ होने वाले बुरे बर्ताव को रोकने की उम्मीद कहाँ की जा सकती है। घरेलू रिश्ते ऐसे नहीं होते कि दुर्व्यवहार, अपमानजनक भाषा के प्रयोग, शारीरिक या भावनात्मक शोषण को आसानी से परिभाषित किया जा सके। ऐसे में कई बार यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि जिस चीज की शिकायत की जा रही है। उसे अपराधिक माना जाए या नहीं। फिर हमारे समाज में अधिकतर महिलाएँ जीवनयापन और सामाजिक सुरक्षा के लिए घर के पुरूषों पर निर्भर है। इसलिए असल चुनौती तो स्त्रियों के प्रति नजरिए को अधिक से अधिक सामाजिक स्वीकृति दिलाने की है कि स्त्रियाँ भी पुरूषों जैसे मानवीय हक और सम्मान पाने की हकदार है।

उपयुर्क्त बातों से स्पष्ट है कि घरेलू हिंसा एक प्रचलित क्रुर एवं जंघनीय व्यवहार है, जो समाज में व्यापक रूप से फैला हुआ है। निश्चित ही इस सिविल कानून को अगर सफल एवं प्रभावी बनाना है। तो महिलाओं को आगे आकर उनके खिलाफ होने वाली किसी भी किस्म की घरेलू हिंसा के खिलाफ शिकायत करने के लिए तैयार होना होगा। साथ ही सरकार को भी इस कानून के क्रियान्वयन में प्रभावी कदम उठाने होंगें। हमारे पुरूष सत्तात्मक समाज में पुरूषों को महिलाओं के प्रति अपने नजरिए एवं मानसिकता मे बदलाव लाना अत्यधिक अपरिहार्य और आवश्यक है क्योंकि जब तक समाज का प्रत्येक पुरूष महिला को अपने समान हक एवं औहदा नहीं देगा। तब तक महिलाओं के लिए उत्पीड़न को रोकने हेतु कई कानून बना दो समाज में बदलाव लाना केवल औपचारिकता ही होगी।

समाज में महिलाओं के साथ होने वाले अपराध एवं सजा का प्रावधान

अपराध	भारतीय दंड संहिता धारा	भारतीय दंड
कत्ल	302	आजवीन कारावास
दहेज की वजह से मृत्यु	304बी	आजवीन कारावास
आत्महत्या के लिए दबाव	306	10 वर्ष
कत्ल करने की कोशिश	307	आजवीन कारावास
मारपीट, गंभीर चोट पहुँचाना	319,323	3 माह से 7 वर्ष
जानबूझकर दूसरो को गंभीर चोट पहुचाना नजरबंद करना	340 344	3 वर्ष 7 वर्ष
औरत की शालीनता भंग करने की मंशा से हिंसा या जबरदस्ती करना	354	2 वर्ष
अपहरण, भगाना या औरत को शादी के लिए मजबूर करना	366	10 वर्ष
नाबालिग लड़की को कब्जे में रखना	366 ए	10 वर्ष
बलात्कार (सरकारी कर्मचारी द्वारा या सामूहिक बलात्कार अधिक गंभीर माना जाता है)	376	2 वर्ष से 10 वर्ष
विश्वास भंग करना या विच्छेद	405,406	1 वर्ष से 7 वर्ष

****

Status Of Women's Legal Right In India

Dr. Deepika Bhatnagar *

Key Words - Discrimination, Empowerment, Harresment, Violence, Gender Sensitisation.

"You can tell the condition of a Nation by looking at the status of its Women."

- Pt. Jawaharlal Nehru

Introduction - Manu, the great law-giver, said long ago, 'where women are honoured there reside the gods'.

The Indian women have been suffering discrimination, injustice and dishonour since time immemorial. Women is always considered the subordinate and under the men.

In India, During 2013, a total of 3, 09,546 cases of crime against women were reported which indicates a total raise of 26.7% compared to 2012 (NCRB, 2013). The figure very much provides the insight that how much unsafe is women in the present society, the dream of our Bapu is still a dream.

Women's rights are secured under the constitution of India mainly, equality, dignity, and freedom from discrimination further, India has various statutes governing the rights of women. Though the provisions contained in the Indian constitution mandates equality and non discrimination on the grounds of sex, women is always discriminated and dishonoured. Though women in India have been given more rights as compared to men, even then the condition of women in India is miserable.

Hillary Clinton, the then First Lady of the United States, on 5 September 1995, at the United Nations Fourth World Conference on Women in Beijing said "Women's Rights Are Human Rights"

'Empowerment' may be described as a process which helps people to assert their control over the factors which affect their lives.Literature reveals that in ancient India, the women enjoyed equal status with men in all fields of life. In addition they were even educated in the Vedic period. The Indian woman's position in the society further declined during the medieval period. Practices like, Sati, child marriages, devadasi, ban on widow remarriages, Purdah, zenana became part of social life for medieval Indian women. Polygamy was widely practiced. It is Raja Ram Mohan Roy who started the movement against women's suppression and also due to the influence of British Indian culture the position of women once again underwent a change.

As a human being every individual is entitled for their basic rights that are human rights. They are the minimum rights, which are compulsorily obtainable by every individual. Indian Women is having inferior status in equality, education, employment, and power. Although legally women have equal rights with men, there are not enough jobs for women and working women are not adequately protected from exploitation. Women were overburdened with the household responsibilities; their capabilities were underestimated and were not given any chance to walk out for performing any kind of task. Women are generally presumed to be weak, passive, dependent and people oriented whereas, men are considered strong, aggressive, independent and things oriented. Assumptions became reality when society prepares males and females for performance in presumed roles.

Prime Minister Shri Narendra Modi has stressed for protection of women from violence and other abuses, and access to healthcare and sanitation. He has urged members of parliament to establish model villages with better infrastructure and modern sanitation facilities in rural areas, and, in his first public speech, called for a decade-long moratorium on communal divisions and discrimination. Some groups of women face compounded forms of discrimi -nation due to factors such as their age, ethnicity, disability, or socio-economic status — in addition to their gender.

There are many issues on which Indian Women are concerned related to their rights

1. Child Marriage
2. Domestic Violence
3. Matrimonial Disputes
4. Women's Property and inheritance Rights
5. Sexual Harassment at work place
6. Acid Attacks
7. Honour killing
8. Gender based discrimination etc

The International framework - At the International level the International Covenant on Civil and Political Rights and the other International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Discrimination based covenants. Under which article 3 prohibits the discrimination in sex basis. In addition, there are treaties and expert bodies specifically dedicated to the realization of women's human rights. The convention on the elimination of discrimination against women also defines the Constitutes of the discrimination as well as the agenda for national action to end such discrimination. Year 2010 Human Rights established a

*Reader & Head Academics, Shri Vaishnav Institute of Law, Indore (M.P.) INDIA

Working Group on the current issues of discrimination against women. As per the United Nations Development Programme's Human Development Report 2013: India stood at 132nd position out of 187 countries on the gender inequality index—performing worse than Pakistan whose position is 123.

National Level - As per Equal Remuneration Act no one can be discriminated on the basis of sex for wages or salary. Sexual Harassment at workplace gives right to file a complaint against harassment. Women who have been sexually assaulted may record her statement alone in the camera preceding. Another act which protects the women who is in Live-in-partner or a wife can file complaint against her husband or male from domestic violence. Maternity Benefits are also the rights of women so that she cannot suffer any loss of earnings. At the national level women also get benefits related to The Conception and Pre Natal Diagnostic Techniques. A women has a right that she cannot be arrested after sunset and also before sunrise. Same process is in the medical examination that an accused women should be examined before the presence of an another women. Indian women have a right to inherit the right in the property since 2005.

Violation of Human Rights of Women: Causes - In India, women's fundamental rights are violated physically, mentally, emotionally, and sexually. This violation also occurs in the place where population is marginalised and that is very acute type of violation.

Legal reforms were introduced in response to the 2012 Delhi gang-rape and murder, but at time of writing the Indian government have yet to introduce monitoring and reporting mechanisms to track their implementation.In the Indian Context, the Educated Women percentage is very less and not at all satisfactory and this is very important factor of the violation of Human rights. Large population of the women in the villages are illiterate which is a reason that they are unaware of their rights .Young girls are denied even to have basic education. Despite the improvement in the literacy rate after independence, there continues to be large gap between the literacy levels of men and women. Almost half the women population is even unable to recognize language characters. Maternal mortality rates have declined in India but remain a concern because of poor access to medical assistance in many parts of the country. Malnutrition is the major cause of female infertility. The World Bank estimates that India is ranked second in the world of the number of children suffering from malnutrition.

In the organised industrial sector, in production process almost all women are out. In agricultural sector ,the Agriculture technological changes are the turning point of the women defeat .The women workers are concentrated only for certain jobs, which require so – called female skills. Thus, Indian labour market is adverse to women workers. It shows that, the role of Dalit populations is already vulnerable, and become even more so in areas affected by conflict. Women in large-scale industries and technology-based businesses are very limited.

Conclusion - The Position of Independent Indian women is poor and not satisfactory. There are many reasons behind the declined position of the Indian women. The position is a matter of thinking otherwise the gap between men and women growth is increasing very fast. A nation cannot claim to be a free and prosperous society, where half of its population is being oppressed .Which striving nation can afford to oppress half of its population? The answer to that question is: none!

Without the participation and empowerment of women, sustainable and long-term development is not possible. Only if women participate in the economic and societal development, the full potential of Indian society will be unfolded.

Aristotle had compared the superiority of the educated over the unlettered and had said that it is as much as the living to the dead. The importance of education for upliftment of physical, intellectual and moral of an individual cannot be overemphasized and its success lies in releasing the individual from the clutches of ignorance in all possible permutation and combinations.Through legal aid and counselling women can get help in their legal matters like divorce, domestic violence, matrimonial remedies, guardianship, custody of the child, property rights, and sexual harassment and so on. Through legal education and training for social activists, we should work to integrate women's issues into the general discourse on justice and human rights. Judicial colloquia and legal consultations should be the crucial aspect of support of women's work.

Gender sensitisation training in schools, colleges and other professional institutions are a must for bringing about framework changes in Indian society. Women have to swim against the stream that requires more strength. Such strength comes from the process of empowerment. The women empowerment can be done through providing proper education, health and nutrition facilities.

Presently the women themselves desire that their status and position in society should rise higher. Though a proper climate for such a change is still wanting, yet there have been many structural and statutory innovations for the improvement of their position. The traditional status and role sets of women are breaking up

"Woman is an incarnation of 'Shakti'—the Goddess of Power. If she is bestowed with education, India's strength will double. Let the campaign of 'Kanya Kelavni' be spread in every home; let the lamp of educating daughters be lit up in every heart."

- Shri Narendra Modi

References :-

1. Sandhya Rani Das, "Empowerment of Women: A Holistic Approach", Women Education & Development, Discovering Publishing House, New Delhi, 2006, pp. 42-43.
2. S. Manikandan, V. Raju and T. Taghu, "Women Empowerment for India's Development", Also see, V.S. Ganeswamurthy, op.cit., pp. 173-174, 2008

Open Access Initiatives Only LIS Literature : India

Devendra Prasad Kushwah *

Abstract - Open access is a new trend in scholarly communication which aims at providing free access to scholarly literature over the internet and has gained enormous momentum in the recent years. sThe origin of open access movement can be traced back to 1960 with the launch of 'Project Guttenberg' by Michel Hart. It is deemed as the first main milestone of the movement. Emergence of OA journals formally is attributed to the later part of 1980s with publication of the journal 'Psychology' as a free online journal by Stevan Harnad in 1989. In this paper explain Introduction of OAI , Definition of OAI , Strengths of Open Access , Open Access Journals , Open Access Initiatives In India. Open Access initiative (OAI) emerged as a revolutionary movement that promotes free access to scholarly publications over the Internet, removes the price and permission barriers and ensures the widest possible dissemination of research.

Introduction - Today, establishment of open courseware and cross-archive services are new fronts of open access initiatives. Indian information professionals are experimenting with open source software in the establishment of Institutional Repository (IR) systems in local libraries, using Greenstone, DSpace or EPrints software. Once an IR is successfully implemented in the local library set up, it is then up scaled to institution-wide application through campus networks or intranet. Similarly, it may open up to wider audiences once the authorities of the institution are convinced.

As of 17 December 2010, there were 5,897 open access journals listed in the Directory of Open Access Journals or DOAJ [www.doaj.org] (data accessed on 17 December 2010), and of these 276 are from India. Another database, Open J-Gate106, developed by the Bangalore-based Informatics India Ltd, lists 7,967 open access periodicals worldwide which include 4,773 peer-reviewed journals including 339 peer-reviewed Indian Journals. There are a few other Indian open access journals which are yet to be listed in DOAJ and indexed in Open J-Gate.

An open access journal makes articles it publishes freely accessible online. Some open access journals cover their costs by charging the author's institution or funder for publication. The Government may cover such open access publication costs where funds are available and needed. Many journals absorb publication costs in other ways and make no charge.

OA exists where there is free, immediate & unrestricted availability of digital content. Open Access (OA) refers to free and unbridled access to scholarly information. It aims to provide users with information unencumbered by the motive of financial gain or profits. "Open access (OA) literature is digital, online, free of charge, and free of most copyright and licensing restrictions" (Suber, 2012). We can say that OA is "barrier-free" access.

Objectives :-

1. To find out the growth of the repository of open access journals.
2. To investigate the number of foreign journals archived in the repository.
3. Explain the concept of Open Access (OA).
4. Discuss the need for OA.
5. Trace the history of OA and OA movement.
6. Identify and explain the related strands of OA like Open data and Open Educational Resources.

Need Of The Study - There have been incessant studies on the growing trends of open access journals/archives in the field of LIS. The trend has given new dimensions and understanding about open access journals (OAJs) in Library and Information Science and other fields. However, the present study aims to highlight aspects which are related to the source of publication and their language. It is evident to understand as which are the countries who are publishing LIS journals with open accessibility. Thus, to trace this trend, the popular open access database i.e. DOAJ is selected. The very study may further encourage the researchers to understand the country-wise and language-wise distribution of LIS OAJs on other platforms/databases.

Directory Of Open Access Journals (DOAJ) - The Directory of Open Access Journals (**DOAJ**) is a website that lists open access journals and is maintained by Infrastructure Services for Open Access (IS4OA).

The aim of the DOAJ is to increase the visibility and ease of use of open access scientific and scholarly journals thereby promoting their increased usage and impact. The

* **Librarian, Govt. College, Harsud, Distt. Khandwa (M.P.) INDIA**

Directory aims to be comprehensive and cover all open access scientific and scholarly journals that use a quality control system to guarantee the content. The DOAJ (2010) defines open access journals as journals that use a funding model that does not charge readers or their institutions for access.

From the DOAJ definition of 'open access', DOAJ takes the right of users to "read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full-texts of these articles" as mandatory for a journal to be included in the directory.

The proliferation of freely accessible online journals, the development of subject specific preprint and e-print archives and collections of learning objects provide a very valuable supplement of scientific knowledge to the existing types of published scientific information (books, journals, databases etc.). However, these valuable collections are difficult to overview and integrate in the library and information services provided by libraries for their user constituency (DOAJ, 2010).

Conclusion - After studying DOAJ database it was found that maximum productivity in the field of Library and Information Science is in the Information and Communication Technology subfield, followed by Library and society, Library association and then by Management. The least productivity has been noticed in the subfield of Library association, Altmetric, Web metric, Public library, Special Library, Library classification. Authorship pattern showed that contribution of single author's productivity on research articles is very high in numbers and more than three

Author's contribution to publish research articles is very low. So, we must try to concentrate on the fields where the research articles productivity is very low. Otherwise this subfield will be wiped out.

References :-

1. Hulagabali,C.S. (2012). Open Access Movement in the Age of Innovation & ICT .Bibliometric Study on LIS Journals Archived in DOAJ., 6 & 7, from http://176.31.141.23:8081/jspui/bitstream/123456789/77/1/NKC-OAM-A10.pdf
2. Jamdade,L.M., Jamdade,M.P. (2013). A Bibliometric Study of Directory of Open Access Journals: Special Reference to Library & Information Science. Asian journal of multidisciplinary studies, 1 (1), from http://ajms.co.in/sites/ajms/index.php/ajms/article/view/8
3. Howland, J., Wright, T., Boughan, R., & Roberts, B. (2009). How scholarly is Google Scholar?: A comparison to library databases. College & Research Libraries, 70 (3), 227-234
4. Hulagabali, S. C. (2012). Bibliometric Study on LIS Journals Archived in DOAJ. In A. Jose, P. A. Gokhale & S. C. Hulagabali (Eds.), Open Access Movement in the Age of Innovation and ICT: Trends, Challenges and Opportunities. Mumbai: Himalaya Publishing House Pvt. Ltd. pp.107-116. ISBN: 978-93-5051-722-2 http://www.nkc.ac.in/uploaded_files/Bibliometric%20Study-LIS%20Journals-DOAJ-Santosh%20C%20Hulagabali-Open%20Access.pdf (Retrieved on July 14th, 2016.)
5. Thavamani, K. (2014).Directory of open access journals: A bibliometric study of Library and information science. http://collaborativelibrarianship.org/index.php/jocl/article/viewArticle/259 (Retrieved on July 14th, 2016.) Collaborative Librarianship.
6. http://Doaj.org (Retrieved on July 13th, 2016.)
7. Directory of Open Access Journals (http://www.doaj.org/oai). DOAJ. Retrieved on 16 May 2015.
8. www.wikihow.com/special:articlecreators?t=open-access-initiative-only-LIS-literature-in-india

****

वायु-प्रदूषण : बढ़ता हुआ खतरा

अनिता सिंह * रागिनी सिंह **

प्रस्तावना - मातृ प्रकृति ने अपनी सभी संतानों को उनकी आवश्यकतानुसार प्रत्येक वस्तु शुद्ध तथा प्रचुर मात्रा में प्रदान की है। किंतु अपनी स्वार्थपरता के कारण मनुष्य ने प्रकृति प्रदत्त प्रत्येक वस्तु को प्रदूषित कर दिया। मनुष्य द्धारा उत्पन्न प्रदूषण ने हमारे दैनिक जीवन के मूलभूत तत्वों पृथ्वी, जल तथा वायुमंडल को भी अपना शिकार बनाया। इन मूलभूत तत्वों में होने वाले परिवर्तन जो प्राणी तथा वनस्पति जगत पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, पर्यावरण प्रदूषण के नाम से जाने जाते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के लिए मानवीय तथा प्राकृतिक दोनों ही पहलू समान रूप से जिम्मेदार हैं। प्राकृतिक घटनाओं के दुष्प्रभाव तथा मनुष्यों द्धारा किए जाने वाले कार्य-कलाप जो प्राकृतिक संतुलन में हानिकारक परिवर्तन करते हैं, प्रदूषण का कारण बनते हैं।

मुख्य रूप से प्रदूषण को

1. जल प्रदूषण
2. भूमि प्रदूषण तथा
3. वायु प्रदूषण

में विभक्त किया जा सकता है। इनके अतिरिक्त ध्वनि प्रदूषण, नाभिकीय प्रदूषण आदि भी मानवीय जीवन के लिए अत्यंत हानिकारक हैं।

प्रस्तुत पेपर मुख्य रूप से वायु प्रदूषण पर केन्द्रित है।

वायुमण्डल हमारे पर्यावरण का एक प्रमुख भाग है। वायु मनुष्यों, जीव-जंतुओं तथा वनस्पति जगत की जीवनदायिनी शक्ति है। यह प्रकृति का ही चमत्कार है कि प्रकृति प्रदत्त पर्यावरण में प्रत्येक अवयवी घटक एक निश्चित अनुपात में उपस्थित है।

प्राकृतिक कारणों या मानवीय गतिविधियों द्धारा उत्पन्न अवांछित तत्वों के कारण वायु की गुणवत्ता में कमी होना जिससे वह विषाक्त हो जाए वायु प्रदूषण कहलाता है।

वायुमण्डल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नमी तथा अन्य गैसें एक निश्चित अनुपात में उपस्थित रहती हैं। वायु प्रदूषण के बारे में अध्ययन करने के पूर्व वायु के घटकों के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है।

पृथ्वी-तल पर एक सीमा तक वायु के प्रमुख अवयवी घटक निम्नानुसार हैं-

क्रम	अवयव	प्रतिशत
1.	नाइट्रोजन	78.09
2.	ऑक्सीजन	20.94
3.	ऑर्गन	0.93
4.	कार्बनडाय ऑक्साइड	0.0318
5.	नियॉन	0.0018
6.	हीलियम	0.00052
7.	क्रिप्टन	0.0001
8.	हाइड्रोजन	0.00005
9.	जिनॉन	0.000008
10.	ओजोन	0.000002
11.	जल	1 - 3

वायुमण्डल में उपस्थित गैसों तथा नमी के उपरोक्त अनुपात में प्रतिकूल परिवर्तन होने की स्थिति में वायु, प्रदूषित-वायु कहलाती है।

वायु प्रदूषण का इतिहास मनुष्य के विकास के साथ ही प्रारंभ हुआ था। जैसे ही मनुष्य ने अग्नि की खोज की वायु प्रदूषण प्रारंभ हो गया, जो शनै: शनै: विकराल रूप लेता गया।

औद्योगिक क्रांति ने इस प्रदूषण को द्रुत-गति से आगे बढ़ाया, यद्यपि वायु प्रदूषण के लिए मानवीय कार्य कलाप तथा प्रकृतिजन्य कारण दोनों ही जिम्मेदार है तथापि प्राकृतिक कारणों से होने वाला वायु-प्रदूषण अपेक्षाकृत कम हानिकारक है।

प्राकृतिक कारणों से होने वाले वायु प्रदूषण में मुख्य रूप से प्राकृतिक घटनाऐं यथा दावाग्नि के कारण उत्पन्न होने वाली गैंसे, राख तथा धुँआ, प्राकृतिक विपदाओं के पश्चात्वर्ती फैलने वाली महामारी, दलदली क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाली मिथेन गैस, ज्वालामुखी के फटने से उत्पन्न होने वाला लावा, छोटे-छोटे चट्टानी टुकड़े आदि वायु को प्रदूषित करने का कारण हैं।

मानवीय क्रियाकलापों से होने वाले वायु-प्रदूषण में वनों का विनाश, कृषि कार्यों में उपयोग में लाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कीटनाशक, घरेलू कार्यों में लकड़ी, कोयला, कंडे आदि के दहन से उत्सर्जित हानिकारक गैसें आदि वायु प्रदूषण का कारण हैं।

रेफ्रिजरेटर तथा एयर कंडीशनर का उपयोग भी वायु प्रदूषण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। वायुप्रदूषण में एक बड़ा योगदान यातायात के साधनों का भी है। विश्व में लगातार पेट्रोल तथा डीजल चलित वाहनों की संख्या बढ़ रही है, जो वायु प्रदूषण में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं।

विश्व के अधिकांश राष्ट्रों द्धारा आर्थिक विकास के लिए उठाये कदम वायु को प्रदूषित करने का कारण बने। आण्विक हथियारों के परीक्षण के दौरान उत्पन्न विकिरण न केवल वायु प्रदूषित करता है वरन् लंबे समय तक जन्म लेने वाले शिशुओं में भी विकृति का कारण बनता है।

उद्योग-धंधों से निकलने वाली गैसें तथा धुँआ भी लगातार वायु को विषाक्त करते रहते हैं।

* सहायक प्राध्यापक (गणित) माता जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत
** सहायक प्राध्यापक (भौतिकी) माता जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत

वायु प्रदूषण का भयावह रूप अभी-अभी दिल्ली में देखने को मिला जहाँ कुछ दिनों तक आकाश में धुंध तथा कुहरा छाया रहा। दिल्ली की इस दुर्दशा के लिए लगातार द्रुत-गति से बढ़ रहीं डीजल तथा पेट्रोल चलित गाड़ियों के साथ ही आसपास के राज्यों में किसानों द्वारा फसलों के अवशिष्ट को जलाया जाना भी है।

दिल्ली में डीजल चलित वाहनों का प्रतिशत गैस तथा पेट्रोल चलित वाहनों की अपेक्षा कहीं अधिक है और डीजल चलित वाहनों द्वारा फैलने वाला वायु प्रदूषण गैस तथा पेट्रोल चलित वाहनों की अपेक्षा कहीं अधिक होता है। प्रदूषित वायु के कारण दिल्ली की स्थिति यहाँ तक बिगड़ गयी कि वहाँ स्कूलों को बंद तक करना पड गया था। दिल्ली की इस स्थिति के लिये मुख्य रूप से SO_2, NO_2 तथा पार्टिकुलेट मैटर अर्थात् अन्य किस्म के कण जिम्मेदार हैं। ये सीधे फेफड़ों में प्रवेश कर श्वसन संबंधी समस्या उतपन्न करते हैं।

प्रदूषित वायु का प्रतिशत मानवीय स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त घातक होता जा रहा है, स्थिति यहाँ तक आ गयी है कि प्रदूषित वायु दैनिक कार्यकलापों के लिए भी समस्या बन गयी है।

वायु प्रदूषण विश्व के सामने एक विकराल समस्या के रूप में खड़ा हुआ है। बीजिंग की स्थिति भी वायु प्रदूषण के कारण शोचनीय बनी हुई है।

इस वर्ष की विश्व-स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की लगभग 90 फीसदी जनसंख्या विषाक्त वायु में साँस ले रही है।

प्रदूषित वायु सर्वाधिक वायुमण्डल को प्रभावित करती है। अवांछित तत्वों की उपस्थिति वायुमंडलीय संरचना के अनुपात को असंतुलित कर इसे हानिकारक सीमा तक पहुंचाने के लिये जिम्मेदार रहती है।

प्रदूषित वायु के प्रभाव से जहाँ मनुष्यों में सांस लेने में असुविधा, दमा, उल्टी, आंखों में जलन, फेफड़ों का कैंसर आदि देखने में आते हैं, वहीं वनस्पतियों में परागण की कमी, श्वसन प्रक्रिया में रूकावट आना, पत्तियों का पीला पड़ जाना, बीज तथा फल बनने में कमी तथा उनकी वृद्धि प्रभावित होना पाया जाता है।

प्रदूषित वायु ऐतिहासिक इमारतों को भी क्षतिग्रस्त करने का कारण बनती है। अत: वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु विश्व के राज्यों को वायु प्रदूषण पर एकजुट होकर प्रयास करना अत्यन्त आवश्यक है।

वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु कुछ मुख्य उपाय जो इसे प्रभावी रूप से कम कर सकते हैं निम्नानुसार हैं -

1. धुंआ उगलने वाले वाहनों पर सतत निगरानी रखना तथा मानक स्तर से अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को मुख्य-धारा से हटा दिया जाना चाहिए।
2. वाहनों में उपयोग में लाए जाने वाले ईंधन की गुणवत्ता में सुधार लाया जाना चाहिए।
3. यातायात के सार्वजनिक साधनों के अधिकाधिक उपयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए।
4. दैनिक कार्यों हेतु ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों यथा सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे लकड़ी, कोयला, कंडे आदि के दहन से उत्पन्न होने वाला वायु प्रदूषण रोका जा सके।
5. नगरीय तथा ग्रामीण इलाकों में पानी के निकास की पर्याप्त व्यवस्था होना चाहिए जिससे दलदली भूमि का विस्तार कम किया जा सके एवं विषैली गैसों का उत्पादन रोका जा सके।
6. किसानों द्वारा फसलों के अवशिष्ट को जलाने पर रोक लगायी जाना चाहिए।
7. नगरीय तथा ग्रामीण इलाकों में कचरे जलाये जाने पर कठोर दंड का प्रावधान होना चाहिए।
8. फसलों में प्राकृतिक कीटनाशकों का अधिकाधिक प्रयोग किया जाना चाहिए। किसानों को जैविक खेती हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
9. नगर विकास के नाम पर बड़े वृक्षों की कटाई को सख्ती से रोकना चाहिये। यदि वृक्षों का अपने स्थान से हटाया जाना आवश्यक हो, तो उन्हें काटने के स्थान पर अन्य स्थान पर स्थापित करना चाहिए।

समय आ गया है, यदि हम भावी पीढ़ी को शुद्ध वायु में सांस लेते देखना चाहते हैं, तो हमें वायु प्रदूषण रोकने में सक्रिय सहयोग करना चाहिए, अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब पानी के पाउच के समान ही स्थान-स्थान पर ऑक्सीजन के सिलेण्डर उपलब्ध कराना अनिवार्य हो जाएगा, कुछ क्षण रूककर कुछ पैसा खर्च कर शुद्ध ऑक्सीजन में कुछ सांसें लेने के लिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. पर्यावरण - संरक्षण मनोज कुमार।
2. India Water Portal (हिन्दी)।
3. एजुकेशन हेराल्ड (21st December 2016)

****

वैदिक ज्ञान के वैज्ञानिक पक्ष

डॉ. किरण अग्रवाल * डॉ. बी. एस. धुर्वे **

प्रस्तावना – ज्ञान असीम और अपरिमित हैं सहस्त्रो मनीशियों ने ऋषियों और मुनियों ने , संन्यासियों ने, भारतीय और विदेशी विद्धावानों ने अपने गंभीर मनन और चिंतन से अनेक ग्रन्थों का प्रतिपादन किये है। जहां ज्ञान सागर के अंनत भण्डार भरे है । उन्हें जीवन में खोज कर आत्मसात करना मानव का कर्तव्य है।

वैदिक पक्ष – वैदिक ज्ञान के विषय में पूर्व और पश्चिम में दो प्रथक दृष्टिकोण स्पष्ट सामने आते है। भारतीय बैदिक ज्ञान के जिस विज्ञान और प्रोद्योगिकी के स्वरूप की परिकल्पना की वह लगभग 11 वीं 12 वीं सदी तक अस्तित्व में रही। ऋग्वेदिक विचार कृत को विज्ञान का आधार मानते है। वैदिक ज्ञान से पुरूषों ने यह माना कि सम्पूर्ण जगत विश्व, त्रिभुवन, वैदिक देवता आदि सभी एक प्राकृमि नियम के अनुसार संचालित है। उनका मानना है कि नदियों का बहना, दिन रात का होना या अन्य प्राकृतिक घटना का घटित होना सभी वैदिक ज्ञान व वैज्ञानिक पक्ष के द्धारा संचालित है।

मनुष्य जब से इस पृथ्वी पर मानव सहृदश्य रूप में आया है तब से उसकी रूचि भूगर्भ और आकाश के रहस्यों को जानने की रही। वैदिक ज्ञान में खगोल विद्या संबधी विचार गृतसंमद विश्वामित्र वामदेव, भारतद्धाज और वशिष्ट ने प्रकट किए है। वैदिक ज्ञान की मूल रूचि खगोलीय पंचाग में होने से सूर्य संबधी गणना पर विशेष ध्यान दिया । ऋग्वेद मे 27 व 28 नक्षत्रों की गणना मिलती है। वैदिक विज्ञान मे सूर्च चन्द्रमा, पृथ्वी, ग्रह सूर्य का मार्ग, सूर्यग्रहण उसकी गति, वार्षिक गति उत्तरायण व दक्षिणायान आदि की चर्चा भी उपलब्ध है।

वैदिक ज्ञान के अनुसार रात्रि मे चन्द्रमा की चमक सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि वह स्वंय प्रकाशित नहीं वरन यह चमक दमक सूर्य के कारण है। वैदिक ज्ञान मे सात ग्रहो सूर्य, चन्द्रमा, के साथ राहू केतू भी गया है। बाद मे इसी राहू केतू ग्रहण संधि सिद्धांत मे आया है। अर्थवेद और छंदो –योग परिषद में राहू का ग्रह के रूप में उल्लेख हुआ है।

वैदिक ज्ञान साहित्य में तारे नक्षत्र विधा और राशि चक्र के विषय में भी जानकारी मिलती है। जैसा कि हम जानते है। भारतीय खगोल शास्त्रियो ने कभी भी तारो के केटलांग बनाने में रूचि नही थी जिस तरह से बेजिलोन या चीन के खगोल शास्त्रियों ने की । ऋग्वेद की कई ऋचाओं मे नक्षत्रों का उल्लेख हुआ है।

समय चक्र विभजान के विविध पत्र और आयाम हमे वैदिक ज्ञान मे पर्याप्त रूप में मिलते है। दिन और रात की स्थिति का वर्णन ऋग्वेद मे मिलता है। वैदिक ज्ञान में माह की अवधारणा चन्द्र कलाओं के घटने बढने से अस्तित्व में आई जैसा कि एक वर्ष में 365 दिन 12 माह एवं मास के 30 दिन होते है। उल्लेखनीय है कि युग, वर्ष मास के विस्तार का ज्ञान मनुष्य को बहुत बाद मे प्राप्त हुआ। काल के बड़े मापक है, सूर्य और चन्द्र । लोक जीवन मे धार्मिक उत्सवों और ज्योतिषीय बातो की जानकारी के लिये भारत में ईसाईयों पारिसयों, मुसलमाने एंव हिन्दुओ द्धारा लगभग तीस पंचांग व्यवहार में लाये जाते है। वर्तमान मे हिन्दुओ द्धारा नाना प्रकार के पंचागो का प्रयोग होता है, उनमें कुछ तो सूर्य सिद्धांत पर कुछ अपेक्षाकृत पाश्यातकालीन ग्रन्थों जैसे ग्रह लाघव आदि पर आधिरित है।

वैदिक काल में कृषि कार्य हेतु हल के लिए लांगल, फाल , सीट सीता आदि शब्दो का प्रयोग है। उस काल में गेहूं चावल और जौ महत्वपूर्ण अना थे वैदिक काल के कृषक मिट्टी को उपजाऊ बनाना चाहते थे भूमि को उत्तम प्रकार से जोते जाते थे, दो फसलें ली जाती थी। फसलों के लिये सूर्य की उपयोगिता बताई गई है। पालतू पशुओं में बैल, भेड, बकरी और गाय प्रमुख थें गाय का विशेष महत्व था, उसे पृथ्वी मां का स्वरूप माना गया है।

वैदिक विज्ञान पक्ष – वैदिक ज्ञान में वनस्पतियों का विशेष महत्व है क्योंकि कई औषधि पदार्थो का उल्लेख है। वैदिक ज्ञान विज्ञान में कई प्रकार के जीव जन्तुओं का भी उल्लेख मिलता है। इस प्रकार वैदिक ज्ञान साहित्य में विज्ञान के पर्याप्त संदर्भ उपलब्ध है। जिनसे उनके विज्ञान के इतिहास और विचारो को जानना अत्यंत रोचक है। क्योंकि उसके द्धारा हमे प्राचीनतम मानवीय सभ्यता एवं संस्कृति के वैज्ञानिक पहलू, उनकी दृष्टि विज्ञान में प्रवीणता की जानकारी मिलती है। भारतीय इतिहास में वैदिक ज्ञान –विज्ञान की नींव वैदिक काल में ही रखी जा चुकी थी।

उपसंहार– ज्ञान–विज्ञान एवं तकनीक के इस युग में मनुष्य की सुख सुविधाओं में तो वृद्धि हुई है लेकिन उपभोक्तावादी संस्कृति एवं पाश्चात्य प्रभाव के कारण हमारे धार्मिक सामाजिक, राजनीतिक एव शैक्षिणिक जीवन मूल्यों का विघटन हुआ है। वर्तमान में धर्मान्ध व्यक्तियों के द्धारा यह तथ्य पूर्णत: विस्मृत कर दिया गया है। कि धर्म मनुष्य के लिये है। मनुष्य धर्म के लिये नहीं । अत: यह अति आवश्यक है कि हम अपनी विघटनकारी दुष्प्रवृत्तियों के निवारण के लिए वेदों में बतलाये गये मार्ग का अनुसरण करना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. वैदिक यज्ञ संस्था और वेद विज्ञान ।
2. म.प्र. संदेश अप्रैल 2011
3. ऋग्वेद सार ।

* एडवोकेट ,अर्थशास्त्र, शहडोल (म.प्र.) भारत
** सेवा नि. प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) पं. शम्भूनाथ शुक्ल शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शहडोल (म.प्र.) भारत

मौद्रिक नीति की समीक्षा और राजनीतिक दृष्टिकोण

क्षितिज कुशवाह *

प्रस्तावना – पिछली तिमाही के मौद्रिक नीति समीक्षा में रिजर्व बैंक के नवनियुक्त गर्वनर उर्जित पटेल द्वारा रेपो दर में कटौती बहुत चौंकाने वाला कदम माना जा रहा है, क्योंकि पूर्व गर्वनर रघुराम राजन की रेपो दर में कमी न करने का सुझाव उर्जित पटेल की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा ही दिया जा रहा था। मौद्रिक नीति की समीक्षा में रेपो दर को 0.25% से घटा कर 6.25% तक रखने के परीणाम स्वरूप शेयर बाजार में उछाल देखा गया तथा सरकार, कार्पोरेट्स और निवेशक के लिए उत्साहवर्धक रहा। रेपो दर घटाने पर आम जनता और खासतौर से कार्पोरेट्स को सस्ती ब्याज दर पर ऋण प्राप्त होगा। धन निकासी से उपभोक्ता बाजार में माँग बढ़ोतरी होगी, जो कार्पोरेट्स के लाभ में बढोतरी करेगी।

यदि इस संपूर्ण घटनाक्रम को राजनितीक दृष्टिकोण से देखा जाये तो उर्जित पटेल का यह निर्णय सामान्य ही माना जायेगा, क्योंकि कार्पोरेट्स तथा व्यापारिक संगठन जैसे ऐसोचेम, CI। लंबे समय से ब्याज दरों में कटौती की माँग कर रहे थे। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्पोरेट्स घराने से नजदीकी संबंध माने जाते है। जिनकी स्थापना उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान की थी। इसका प्रभाव उनकी कार्यशैली और उद्योगों को विशेष राहत देने वाले निर्णयों से दिखाई देता है। इसके पहले भी वित्तमंत्री अरूण जेटली राजन के कार्यकाल के दौरान कम ब्याज दरों की पैरवी करते रहे थे। इस कारण सरकार और रीजर्व बैंक में टकराव रहा।

राजन रेपो दर को अधिक रख मँहगाई को कम रखने के पक्षधर थे। राजन ने अपने कार्यकाल का मुख्य लक्ष्य मँहगाई को निम्न स्तर पर रखना ही माना। राजन की नियुक्ति तात्कालिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उस समय की जब देश मे मँहगाई तेजी से बढ़ रही थी। यह दशा सरकार के लिए कष्टप्रद हो गई थी। रेपो दर को अधिक रख मँहगाई को कम रखने के निर्णय में मनमोहन सरकार और कांग्रेस पार्टी के दृष्टिकोण का प्रभाव भी माना जा सकता है। मँहगाई को कम रख कांग्रेस पार्टी अपने चुनावी नारे कांग्रेस का हाथ, आम आदमी के साथ की सार्थकता बनाए रखना चाहती हो।

कांग्रेस पार्टी प्रारंभ से ही गरीबों कों अपना वोट बैंक मानती आयी है तथा उनकी योजनाएँ जैसे मनरेगा, शिक्षा का अधिकार, राजीव आवास योजना, खाद्य सुरक्षा ग्यारंटी योजना आदि गरीबों से ही जुडी थी। मँहगाई का प्रत्यक्ष प्रभाव गरीबों तथा आम आदमी पर ही पड़ता है । अत: मँहगाई को कम करने के लिए रेपो दर को हथियार के रूप में उपयोग किया।

राजन के उलट वर्तमान गर्वनर उर्जित पटेल ने रेपो दर में कटौती कर पर ब्याज मुहैया करा कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं मेक इन इंडिया, डिजीटल इंडिया को एक बडा सहारा दिया। गिरते आद्योगिक उत्पादन, मुरझाए शेयर बाजार, उदास कार्पोरेट्स जगत तथा मोदी जी के आर्थिक विकास के वादे के लिए यह निर्णय संजीवनी माना जा सकता है।

निष्कर्ष – सरकारें अपने तमाम तर्कों से रिजर्व बैंक एंव अन्य सरकारी संस्थाओं को स्वतंत्र तथा उनके निर्णयों को समय की जरूरत बताए फिर भी उन पर सत्तासीन राजनितीक पार्टी की विचारधारा का प्रभाव साफ नजर आता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. स्वयं के विचार
2. दबंग दुनिया समाचार पत्र अक्टुबर, 2016
3. www.rbi.org.in

****

* वाणिज्य संकाय, शासकीय महाविद्यालय, हरसुद, जिला –खण्डवा (म.प्र.) भारत

Domestic Violence In India - Causes, Consequences, Remedies And Legal Remedies

Aditya Jain *

Introduction - In our society, violence is bursting. It is present almost everywhere and nowhere is this eruption more intense than right behind the doors of our homes. Behind closed doors of homes all across our country, people are being tortured, beaten and killed. It is happening in rural areas, towns, cities and in metropolitans as well. It is crossing all social classes, genders, racial lines and age groups. It is becoming a legacy being passed on from one generation to another.

The term used to describe this exploding problem of violence within our homes is Domestic Violence. This violence is towards someone who we are in a relationship with, be it a wife, husband, son, daughter, mother, father, grandparent or any other family member. It can be a male's or a female's atrocities towards another male or a female. Anyone can be a victim and a victimizer. This violence has a tendency to explode in various forms such as physical, sexual or emotional.

Different Forms of Domestic Violence in India and their Causes -

Domestic Violence Against Women - This form of domestic violence is most common of all. One of the reasons for it being so prevalent is the orthodox and idiotic mindset of the society that women are physically and emotionally weaker than the males. Though women today have proved themselves in almost every field of life affirming that they are no less than men, the reports of violence against them are much larger in number than against men. The possible reasons are many and are diversified over the length and breadth of the country. According to United Nation Population Fund Report, around two-third of married Indian women are victims of domestic violence and as many as 70 per cent of married women in India between the age of 15 and 49 are victims of beating, rape or forced sex. In India, more than 55 percent of the women suffer from domestic violence, especially in the states of Bihar, U.P., M.P. and other northern states.

The most common causes for women stalking and battering include dissatisfaction with the dowry and exploiting women for more of it, arguing with the partner, refusing to have sex with him, neglecting children, going out of home without telling the partner, not cooking properly or on time, indulging in extra marital affairs, not looking after in-laws etc. In some cases infertility in females also leads to their assault by the family members. The greed for dowry, desire for a male child and alcoholism of the spouse are major factors of domestic violence against women in rural areas. There have been gruesome reports of young bride being burnt alive or subjected to continuous harassment for not bringing home the amount of demanded dowry. Women in India also admit to hitting or beating because of their suspicion about the husband's sexual involvement with other women.

In urban areas there are many more factors which lead to differences in the beginning and later take the shape of domestic violence. These include – more income of a working woman than her partner, her absence in the house till late night, abusing and neglecting in-laws, being more forward socially etc. Working women are quite often subjected to assaults and coercion sex by employees of the organization. At times, it could be voluntary for a better pay and designation in the office.

Violence against young widows has also been on a rise in India. Most often they are cursed for their husband's death and are deprived of proper food and clothing. They are not allowed or encouraged for remarriage in most of the homes, especially in rural areas. There have been cases of molestation and rape attempts of women by other family members in nuclear families or someone in the neighbourhood. At times, women are even sexually coerced by their partner themselves against their will. They are brutally beaten and tortured for not conceiving a male child. Incidents like, ripping off a woman's womb for killing the female foetus when she disagrees for abortion have also come to light especially in rural areas. Female foeticide and female infanticide continue to be a rising concern.

Also as expressed by Rebecca J. Burns in the following lines, "When I am asked why a woman doesn't leave abuser I say: Women stay because the fear of leaving is greater than the fear of staying. They will leave when the fear of staying is greater than the fear of leaving." A common Indian house wife has a tendency to bear the harassment she is subjected to by her husband and the family. One reason could be to prevent the children from undergoing the hardships if she separates from the spouse. Also the traditional and orthodox mindset makes them bear the

* Student, Narsi Munje Institute of Management Science, School of Law NMIMS, Mumbai (Maharashtra) INDIA

sufferings without any protest.

Other Forms of Domestic Violence in India - There are some more possible forms of domestic violence prevalent in India other than the ones listed above. On a serious note, family wars or clan wars are deadly forms of domestic violence across the country. The reason of such type of violence include dispute over property, physically or emotionally abusing any member of other family or clan, any religious cause or conflict arising during a religious ceremony, jealousy because of progress and financial status of other family, inter-caste marriage etc. This form of violence is common in many states like Haryana, Punjab, Andhra Pradesh etc.

One of the other forms of domestic violence is ill-treatment of servants and maids in households. In many of the affluent homes, servants are deprived of their salary and basic necessities. They are harassed and beaten and to work without even taking adequate rest. Similarly maids are molested by males in the family. Atrocities against small children working as servants are common and increasing. To some extent media is also responsible for contributing to all the above forms of violence. The exaggerated news coverage of reports of domestic violence, the daily soaps screening the torture of a daughter-in-law at the hands of family members, the films portraying an element of violence against people of all age groups etc. are some of the menaces which media is causing. It is influencing the mindset of the viewers strongly. The problem arises when instead of taking a lesson from those news clippings, films, and television shows, people start enacting the same in their homes. Comparatively, the visual media is far more influencing than the print and electronic media in these cases. Illiteracy and mob mentality of majority of Indians misguides them in all these cases.

Consequences of Domestic Violence - There are varied consequences of domestic violence depending on the victim, the age group, the intensity of the violence and frequency of the torment they are subjected to. Living under a constant fear, threat and humiliation are some of the feelings developed in the minds of the victims as a consequence of an atrocious violence. The consequences of the domestic violence in detail can be broadly categorised under – the Effect on the victim himself/herself and the family , Effect on the society and the Effect on nation's growth and productivity. The 'Effect on the victim' has been further subcategorized for women, men, children and olds.

Effect on the victim and the family - Consequences of Violence Against Women - Battered women have tendency to remain quiet, agonised and emotionally disturbed after the occurrence of the torment. A psychological set back and trauma because of domestic violence affects women's productivity in all forms of life. The suicide case of such victimised women is also a deadly consequence and the number of such cases is increasing.

A working Indian woman may drop out from work place because of the ill-treatment at home or office, she may lose her inefficiency in work. Her health may deteriorate if she is not well physically and mentally. Some women leave their home immediately after first few atrocious attacks and try to become self-dependent. Their survival becomes difficult and painful when they have to work hard for earning two meals a day. Many such women come under rescue of women welfare organizations like Women Welfare Association of India (WWAI), Affus Woman Welfare Association (AWWA) and Woman's Emancipation and Development Trust (WEDT). Some of them who leave their homes are forcefully involved in women trafficking and pornography. This results in acquiring a higher risk of becoming a drug addict and suffering from HIV/AIDS. Some of course do it by their choice.

One of the severe effects of domestic violence against women is its effect on her children. It is nature's phenomenon that a child generally has a greater attachment towards the mother for she is the one who gives birth. As long as the violence subjected to the mother is hidden from the child, he/she may behave normally at home. The day when mother's grief and suffering is revealed, a child may become upset about the happening deeply. Children may not even comprehend the severity of the problem. They may turn silent, reserved and express solace to the mother. When the violence against women is openly done in front of them since their childhood, it may have a deeper and gruesome impact in their mindset. They get used to such happenings at home, and have a tendency to reciprocate the same in their lives. It's common in especially in rural homes in India which are victimised by the evil of domestic violence.

In cases of Intimate Partner Violence (IPV), violence against women leads them to maintain a distance from their partner. Their sexual life is affected adversely. Many of them file for divorce and seek separation which again affects the life of children. Some continue to be exploited in lack of proper awareness of human rights and laws of the constitution.

Effect of Domestic Violence on the society - All the different forms of violence discussed in this essay adversely affect the society. Violence against women may keep them locked in homes succumbing to the torture they face. If they come out in open and reveal the wrong done to them for help and rescue, it influences the society both positively and negatively. At one hand where it acts as an inspiration and ray of hope for other suffering women, on the other hand it also spoils the atmosphere of the society. When something of this kind happens in the society, few families may witness the evil of domestic violence knocking their door steps. Some families try to imitate what others indulge in irrespective of it being good or bad for the family.

Effect on the productivity - As mentioned earlier, domestic violence affects the productivity level of the victim negatively. Men and women lose interest in household activities. If they are employed they fail to work with full capabilities in workplace. Children are found to concentrate less on

studies. They drop out of school and do not get the education which otherwise they might have got if they were not tormented and thus the country loses a productive asset. Therefore, the nation's productivity altogether gets affected because of domestic violence in homes. When old people are tortured and physically abused, they separate themselves from family members and their daily activities are restricted to themselves. The guardianship they can provide out of their experience, the moral values which they can instil in the grandchildren are all not done as they are unwanted in their own homes. People need to spend their part of income for medication when they are met with worse forms of domestic violence which again leads to loss in productive use of a family's income. The cumulative effect of the domestic violence at all levels and across all regions is the country's hindered development and slow economic growth.

Remedies for Domestic Violence -

What exactly do we want? - A very important question in wake of domestic violence remedies is that what exactly we are looking for in the process of minimising their occurrences. Is it so that we want to gather more information about such cases for just expressing our concern over this issue with more accuracy, having facts and figures at hand? Or instead of just raising our voices, we want to clean up the mess with shear force and determination?

Fighting the 'Domestic Violence' Evil - A recent study has concluded that violence against women is the fastest-growing crime in India. According to a latest report prepared by India's National Crime Records Bureau (NCRB), a crime has been recorded against women in every three minutes in India. Every 60 minutes, two women are raped in this country. Every six hours, a young married woman is found beaten to death, burnt or driven to suicide.

The response to the phenomenon of domestic violence is a typical combination of effort between law enforcement agencies, social service agencies, the courts and corrections/probation agencies. The role of all these has progressed over last few decades, and brought their activities in public view. Domestic violence is now being viewed as a public health problem of epidemic proportion all over the world – and many public, private and governmental agencies are seen making huge efforts to control it in India. There are several organizations all over the world - government and non government - actively working to fight the problems generated by domestic violence to the human community.

Need for Stringent Laws - In 1983, domestic violence was recognised as a specific criminal offence by the introduction of section 498-A into the Indian Penal Code. This section deals with cruelty by a husband or his family towards a married woman. The main legislative measures at the national level for the children who become a victim of child labor include The Child Labor Prohibition and Regulation Act -1986 and The Factories Act -1948. The first act was categorical in prohibiting the employment of children below fourteen years of age, and identified 57 processes and 13 occupations which were considered dangerous to the health and lives of children. The factories act again prohibits the employment of children less than fourteen years of age.

The Government of India passed a Domestic Violence Bill, 2001, "To protect the rights of women who are victims of violence of any kind occurring within the family and to provide for matters connected therewith or incidental thereto"*

An act called Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 [DVA, 2005] also has been passed". This Act ensures the reporting of cases of domestic violence against women to a 'Protection Officer' who then prepares a Domestic Incident Report to the Magistrate "and forward copies thereof to the police officer in charge of the police station within the local limits of jurisdiction…"**

Unfortunately, at present there is no single law in the Indian Constitution which can strictly deal with all the different forms of 'Domestic Violence' as discussed in this essay. There is an urgent need for such a law in the country. In fact, there has also been misuse of section 498-A and DVA, 2005 because of restricted definition of cruelty subjected to married women.

Role of Non-Governmental Organizations (NGOs) - The role of non-governmental organizations in controlling the domestic violence and curbing its worse consequences is crucial. Sakshi - a violence intervention agency for women and children in Delhi works on cases of sexual assault, sexual harassment, child sexual abuse and domestic abuse and focuses on equality education for judges and implementation of the 1997 Supreme Court's sexual harassment guidelines. Women's Rights Initiative - another organization in the same city runs a legal aid cell for cases of domestic abuse and works in collaboration with law enforcers in the area of domestic violence.

Police and Health Care - Police plays a major role in tackling the domestic violence cases. They need to be sensitized to treat domestic violence cases as seriously as any other crime. Special training to handle domestic violence cases should be imparted to police force. They should be provided with information regarding support network of judiciary, government agencies/departments. Gender training should be made mandatory in the trainings of the police officers. There should be a separate wing of police dealing with women's issues, attached to all police stations and should be excluded from any other duty.

Authorities should take steps to recognize Domestic Violence as a public health issue. A crisis support cell needs to be established in all major Government and Private Hospitals with a trained medical social worker for provide appropriate services. Training programmes must be organized for health professionals in order to develop their skills to provide basic support for abused people. Documentation on the prevalence and the health consequences of domestic violence should be undertaken by the concerned government departments, health care

institutions, NGOs and counselling centres. A nodal agency should also be set up for the annual consolidation of the documented work and publish the same for wider publicity among the masses for increasing awareness.

Conclusion - To prevent violence against women and to protect the rights of aggrieved women, the legislation 'The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005' was passed by the parliament. According to this act every women who have been deprived of their right to life by the act of husband or relatives of the husband, can file a complaint to the protection officer, police officer or magistrate in the form of 'Domestic Incident Report' (Similar to FIR). Complaint can be filed by the victim /aggrieved person or relatives, it will be considered as the prima-facie evidence of the offence. Every 'Domestic Incident Report' has to be prepared by the Protection Officer which will assist in the further investigation of the incidence. The protection officer will pass certain orders i.e. protection of the women, custody of respondent and order of monetary relief to the victim.

The Government of India should come out with some more stringent laws to protect the rights of women who are victims of violence of any kind occurring within the family, so that it will work as the preventive measure to eradicate the crime. A strict law to be passed to punish those women who are filing a false compliant against husband or relatives by misusing of Domestic Violence Act so that there will be fair justice to all.

References :-

1. Panda, P. and Agarwal, B. 2005. Marital Violence, Human Development and Women's Property Status in India. World Development. 23(5): 823-850.
2. Panda, P. 2004. Domestic Violence Against Women in Kerala. Kerala Research Programme on Local Level Development Centre for Development Studies. 6: 1-44.
3. Koenig, A. M., et al. 2006. Individual and Contextual Determinants of Domestic Violence in North India. American Journal of Public Health. 96(1): 132-138.
4. Martin L. S. et al. 1999. Domestic Violence in Northern India. American Journal of Epidemiology. 150(4): 417-426.
5. UNICEF. 2000. Domestic Violence Against Women And Girls. UNICEF Innocenti Digest. 6: 1-29.
6. Centre for Women's Studies & Development the Research Institute. 2005. A Situational Analysis of Domestic Violence Against Women In Kerala: 1-31.
7. 7)Kishwar, M. 2005. Laws Against Domestic Violence. Retrieved from http://www.indiatogether.org/manushi/issue120/domestic.htm on 25/08/2009. 11:15:13 pm : 1 -6.

****

Status Of Women In The Society And Impact Of Laws On Women

Prerana Choudhary *

Introduction - Women are half of the part of the human species. The work hard for their human and affection to their children and family members. They do domestic works political leaders and wrtiers give honor to women by saying. "Women are half in the sky" Where a women weeps, there will be no peace, money etc. However practically women are neglected in every seat, tribe, religion country. They are treated, as servants. In human treatment towards women starts from the family. It has crept to the society. Every society in the world is male dominated. Every walk of human life is filled with majority of men. In Parliament also, female MP's can be calculated in fingures. Harassment, Humiliation, Torture, etc. are done on women. Crimes against women are many types in innumerable

The term "Crime against women" is very difficult to put in words, but for the purpose of the study, we may limit the term by excluding the general crimes such as murder, robbery, cheating etc. Although, A women may be a victim of a general crime but there are some special crimes where only a women is targeted. Offences against women ; An effective mechanism has also introduced :-

a. Sexual Crimes - The Protection of children from sexual offences Act,2012 has been passed in June 2012 and came into force with effect from 14th November 2012. The major amendments in sexual offences under IPC had taken place with effect from 3rd February 2013 by the Criminal law (Amendment) Act 2013. The existing law pertaining to sexual crimes. May further be devided into three categories.

- Penetrative sexual assault.
- Sexual assault or sexual intended act, and
- Sexual intended behaviour to insult women had.

Firstly penetrative sexual assault includes rape under section 376 of IPC. Along with aggravated forms of rape under section 376-A, gang rape 376-D and repetition of rape or gang rape under section 376-E.

Secondly, Sexual assault or sexual intended act is punishable as assault or use of criminal force to women with intended to outrage her modesty (Molestation) under section 354. Sexual Harassment under 354-A, Disrobing under section 354-B, Voyeurism under section 354-C, and stalking a women under section 354-D of IPC. In sexual assault, penetration is not required. Such offence may cover sexual touch or harassment.

Thirdly, Sexual intended behaviour to insult women hood is punishable under section 509 of IPC. Where speaking of word, gesture or act is intended to insult the modesty of a women(eve teasing). We have special statutory provisions too, to protect the dignity of women against sexual acts.

b. Crimes relating to institution of marriage - Irrespective of offences under section 493 to 498 of IPC relating to mock marriage, bigamy, adultery, criminal elopement with wife of other, maximum number of offences are committed under section 498-A of IPC. i.e. Cruelty by husband and relatives. Abetment to Suicide under Section 306, dowry death under section 304-B IPC. And offences under the dowry prohibition act, 1961 are also offence against the institution of marriage.

c. Kidnapping and trafficking of women - Irrespective of general kidnapping or abduction, procuring of a minor girl, below the age of 21 years, for commercial exploitation is special offence under section 366-A. Or import of a girl from foreign country is also a special offence under 366-B. Besides, selling or purchasing of a girl for the purpose of prostitution is an offence under section 372 and 373 of IPC.

Delhi Rape Case - Crime against women are committed frequently across the country of Delhi gang rape a of 23rd year old medical student shocked the nation in December 2012 and many of us suddenly said that there is no worst crime than such kind of gang rape with brutal injury. Every News Channel discussed the issue for more than a week.

After Delhi Rape Case Justice Verma Committee submitted its Report within a months. The amendment has also introduced death sentence for repeater of rape offender under section 376-E, and for aggravated form of rape under 376-A. The Imprisonment for life is also redefined to imprisonment for remaining life of the offender.

The amendment has also introduced for kinds of sexual assaults and harassment under section 354-A, 354-B, 354-C, 354-D and Police Officer who fails to records the complaints of the victim of sexual offence is made punishable under section 166-A of IPC and the Medical Officer (Government or Private) if refuses to treat a rape victim is also made is punishable under section 166-B of IPC.

Highlights Of Crimes Against Women(2012) -

*LL M - III sem, Vaishnav Institute of Law Indore (M.P.) INDIA

- Crime against Women = 244270(669 in a day, 28 in ever hour).
- Rape Cases = 24923(68 in a day, 3 in a every hour).
- Molestation under Section 354-A= 45352 (124 in a day, 5 in ever hour).
- Eve teasing under Section 509 = 9173 (25 in a day).
- Dowry Death = 8233 (24 in a day).
- Cruelty Husband and his Relatives = 106527 (292 in a day, 12 in every hour).
- Kidnapping = 38262 (105 in a day).
- Trafficking and other sexual intended offences = 2763 (8 cases in a day).
- It is Estimated that less than half of the committed cases are reported.
- Rape Cases increased by 1.5 times in last decade.
- Cruelty Husband and his Relatives increased twice in last decade.
- Kidnapping has increased to thrice in last decade.

Laws Relating To Empowerment Of Women - In the past women were not equal to men. Women were struggling hard to acquire equal status and position in comparison to men. Still, they have been fighting for the same cause. It is the duty of the society and particularly of men to fully cooperate women to achieve their goal.

International Steps -

1. UNO charter of 1945 - It was declared that the united nations shall place no restriction on the eligibility of men and women to participate in any capacity under equal conditions of equality in all its organs.
(Article 8 of 4 UNO Charter 1945)

Under Fundamental Duties - Constitution of India imposes fundamental duties on every citizen of India, To renounce practices derogatory to dignity of women in 1990, The Government enacted The National Women Commission for Women (NCW) under fundamental duties Article 51 A(e).

National Commission For Women - In this Act, The National Commission for Women, Act 1990, There is a provision to constitute A Commission for Women which looks after matters relating to the safeguard for women under The Constitution and other laws.

Important Court Interventions and inquiries by NCW.

Bhateri Gang Rape Case (Rajasthan) - The Commission suo moto took up the case of Mrs.Bhanwari Devi and extended its full support in going for appeal and also providing security to the victim and appointment of a Special Public Prosecutor to argue her case. Bhanwari Devi "Sathin" Associated with WDP in Rajasthan who was raped in retaliation for her intervention in a child marriage 22September, 1992.

Obscenity Cases - The High Court of Delhi put an injunction on the launching of + 21 Adult Channel by the Ministry of Information and Broadcasting Government of India. The NCW had moved The Hon'ble High Court of Delhi against Star T.V., Zee T.V., etc. For showing obscene pictures on Television and other Media.

Maimon Bhaskari's Nuh (Haryana) Case - The NCW took up the Case of Mrs. Mainmon Bhaskarie's who was allegedly a victim of torture and rape for marrying a person of her choice. The Supreme Court has United The People.

Compulsory Registration Of Marriage Case - In The Matter of Smt. Seema V/s Ashwani Kumar, Transfer Petition (Civil), No.291 of 2005, The Supreme Court, Issued Notice to The Commission, for placing its views on the Registration of Marriages and the proposed legislation prepared by the Commission. Finally, Court has ordered for compulsory registration of every marriage.

Simrana RAPE CASE - The Inquiry Committee was constituted to inquire into the alleged rape of one lady, resident of Charthawal, in District Muzzaffar Nagar by her father in law. The incident was reported by the " Asian Age " and other News Papers, on which the National Commission for Women took to Register immediate cognizance and issued notices to the District Police, Directing then to register a case of rape. Finally, The father in law was awarded 10 Years Imprisonment by Session Court.

Some Other Acts For The Benefit Of Other Women -

1. Empowerment of Women under Factories Act, 1948.
2. The Immoral Trafficking (Prevention) Act, 1956.
3. Probation of Offenders Act,1958.
4. The Dowry Prohibition Act,1961.
5. The Maternity Benefit Act,1961.
6. The Medical Termination of Pregnancy Act,1971.
7. Equal Remuneration Act,1976.
8. The Commission of Sati (Prevention) Act,1987.
9. The Pre-Conception and Pre Natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse Act. 1994).
10. Other Laws and Judgments- Muslim Women also entitled to maintenance under Section 125 of Cr.pc.

Conclusion - " Women Are Superior, Not Equal To Men"

It is not only the men,who have not treated the women equally, but, nature itself has treated the women indifferent ways and made them biologically different. Some people call the women as inferior but, it is not so. Look into the history, the women was called SHAKTI. SHAKTI means power, women is the power of a man. Similarly, you will filled that every powerful man has the hands of a woman behind his successes. In fact, women not equal to men, but superior; They should not be treated as inferior in any sense women have one natural and extraordinary capacity to give birth to child, which is given by nature. If woman is having extra efficiency then a man, no one must say that she is inferior. Women has neither inferior nor equal; but always superior. The word woman includes man; she includes he; and female includes male. So women are every where superior to men.

The Government is approaching women empowerment, but is still far away from the goals set up by the constitution and Indian Commitments to the International Fora. The Introduction of women reservation in local self Government has surely Empowered them to participate in

decision making bodies helps them to participate in family decision.

On other hand, trend of crimes against women is constantly increasing but most of them are domestic violence like cruelty by husband and his relatives, molestation, eve teasing and sexual harassment which are result of another form of women empowerment, as now they have courage to report the incidents. The approach of police and prosecution and judiciary also has changed to words the victim women in cooperating with her in creating women friendly environment. These legislation,policies and schemes are not decorated by words on paper but create rights for women. We should train and educate our male children to respect women of any age.

" Just as a bird could not fly with one wing only, a nation would not march forward if the women are left behind."

A Beautiful Poem Dedicated to All Women of the World

तू किसलिये हताश है, तु चल, तेरे वजूद की
समय को भी तलाश हैं ..... समय को भी तलाश हैं।
जो तुझसे लिप्टी बेडिया..... समझना इनको वस्त्र तू
जो तुझसे लिप्टी बेडिया..... समझना इनको वस्त्र तू
ये बेडिया पिघाल के.... बनाले इनको शस्त्र तू
तू खुद की खोज में निकल, तू किसलिये हताश हैं
तू चल, तेरे वजूद की, समय को भी तलाश हैं.... समय को भी तलाश है।
चरित्र जब पवित्र है.....तो क्यों है ये दशा तेरी
ये पापियों को हक नहीं... कि ले परीक्षा तेरी.... कि ले परीक्षा तेरी।
तू खुद की खोज में निकल तू किसलिये हताश तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है।
जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, तू आरती की लौ नहीं .... तू क्रोध की मशाल है
तू खुद की खोज में निकल तू किसलिये हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है।
चुनर को उड़ा ध्वज बना गगन भी कमकपायेगा, अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भुकम्प आयेगा।
तू खुद की खोज में निकल तू किसलिये हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है।

****

An Overview Of Dowry Prohibition Act, 1961 And Protection Of Women From Domestic Violence Act 2005

Purva Porwal *

Introduction - Dowry refers to the property, money, ornaments or any other form of wealth which a man or his family receives from his wife or her family at the time of marriage (Haveripeth, 2013). The practice began with the intention to assist a newlywed couple to start their life together with ease; however,now it has become a commercial transaction in which monetary considerations receive priority over the personal merits of the bride. In far eastern parts of India, dowry is called Aaunnpot.[1]

Dowry related violence has been regarded as a universal phenomenon, cutting across all sorts of boundaries and is on continuous increase in India. The abuse leads to heinous crimes committed against women, viz, female infanticide, domestic violence, and neglect of the girl child, denial of educational and career opportunities to daughters, rape, extortion, homicide and discrimination against women. These offences have created an atmosphere of insecurity for women in the society.

In this context, it is necessary to understand the extent of dowry related violence and the present study attempts to examine the legal steps taken to counter the menace caused by this curse.[1, 2]

II. Laws against dowry - The first all-India legislative enactment relating to dowry to be put on the statute book was the the Dowry Prohibition Act, 1961 and this legislation came into force from July 1, 1961. It marked the beginning of a new legal framework of dowry harassment laws effectively prohibiting the demanding, giving and taking of dowry. Although providing dowry is illegal, it is still common in many parts of India for a husband to seek a dowry from the wife's family and in some cases leads to forms of extortion and violence against the wife.To further strengthen the anti-dowry law and to stop offences of cruelty by the husband or his relatives against the wife, new provisions were added to the Indian criminal law - section 498A to Indian Penal Code and section 198A to the Criminal Procedure Code in 1983. In 2005, the

Protection of Women from Domestic Violence Act was passed, which added an additional layer of protection from dowry harassment. Although the changes in Indian criminal law reflect a serious effort by legislators to put an end to dowry-related crimes, and although they have been in effect for many years now, they have been largely criticised as being ineffective.

A. Dowry Prohibition Act, 1961 and its amendments - At first in the year 1961, the Dowry Prohibition Act is enacted to eradicate the practice of dowry.It consists of 10 sections. The penalty for giving and taking dowry is incorporated in Section 3 of the Act. But the Act contains so many loopholes, also the punishment prescribed for demanding,taking and giving dowry were very low. So the Act has been amended from time to time to be effective.

The Dowry Prohibition (Amendment) Act of 1984 prescribes a minimum punishment of two years imprisonment and fine to anyone demanding dowry. Because of this Dowry Prohibition Act,a person who gives or takes, or helps in the giving or taking of dowry can be sentenced to jail for 5 years and fined Rs.15,000/- or the amount of the value of dowry, whichever is more. This Act is prohibited to give or to agree to give, directly or indirectly, any property or valuable security,in connection with a marriage. The giving of or agreeing to the giving of any amount either in cash of kind, jewelry, articles, properties, etc. in respect of a marriage is absolutely prohibited by the Dowry prohibition Act. Even the making of a demand for dowry is also prohibited and it is punishable with imprisonment of 6 months and can extend to 2 years and a fine of Rs.10,000/- In Order to provide more teeth to dowry prevention laws, the Government has decided to make it mandatory for couples to make list of gifts exchanged during the ceremonies of marriage.The Dowry Prohibition (Maintenance of List of present to the Bride and Bridegroom) Rules were introduced in 1985 in pursuance of the same purpose. It clearly stated that the list of gifts, in form of a sworn affidavit, has to be notarised, signed by a protection officer or a dowry prohibition officer and kept by both the parties. Failing this can invite heavy penalty including a three-year term in jail for not only bride and groom but also their parents.[3]

B. Relevant Sections of Indian Penal Code - To stop the offences of cruelty by husband or his relatives on wife, Section 498-A has been added in the Indian Penal Code, and Section 198-A has been added in the Criminal Procedure Code since the year 1983. In the case of suicide by a married woman, within 7 years from the date of her

* First Year (LLB), Gyan Mandir Law College, Neemuch (M.P.) INDIA

marriage, the Court may presume that such suicide has been abetted, encouraged by her husband or his relatives. Provision to this effect has been added in the Indian Evidence Act, by adding

Section 113-A since the year 1983. Sec.304-B is incorporated in the Indian Penal Code in 1983. It deals with Dowry Death. It states that where the death of a woman is caused by any burns or bodily injury or occurs otherwise than under normal circumstances within seven years of her marriage and it is shown that soon before her death she was subjected to cruelty or harassment by her husband or any relative of her husband for, or in connection with, any demand for dowry, such death shall be called dowry death and such husband or relative shall be deemed to have caused her death. 8,233, 8,083, and 8,455 cases were registered under section 304B of the Indian Penal Code in the country in 2012, 2013 and 2014 respectively.

Clause(2) of Sec.304-B stated that whoever commits dowry death shall be punished with impris- onment for a term which shall not be less than seven years but which may extend to imprisonment for life.[3]

C. Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 Of all forms of discrimination in society, gender-based discrimination is the most intriguing.This is because this discrimination is not on the basis of racial origin or economic status or ethnic identity. This discrimination is based on social construction of biological differences. A consequence of any form of discrimination is violence. Violence against women is very much rampant in our society. Violence against women is a product of social values, social status of women, and legal protection that women get. The Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 recognizes the right of a woman to live in violence free home and provides legal remedies if this right is violated. This is a civil law aimed at providing immediate support to women facing domestic violence. It is different from criminal law, which is directed at providing punishment to perpetrators of violence (those who commit violence) through imprisonment or fines. The advantage of a civil law is that it is victim-oriented and the woman is not dependent on the police to initiate action.

1. **Definition of Domestic Violence -** The domestic violence constitutes a. Any form of abuse causing harm or injury to the physical and / or mental health of the woman or compromising her life and safety.

b. Any harassment for dowry or to meet any other unlawful demand.

c. Threats to cause injury or harm.

2. Forms of abuse recognized under the law The forms of abuse are mentioned below:

a. Physical abuse- any act that causes bodily injury or hurt. E.g.- beating, kicking, punching, etc.

b. Sexual abuse- any humiliating or degrading sexual act.E.g.- forced sexual intercourse by the husband, making a woman watch pornography against her will etc.

c. Verbal and emotional abuse-insults, ridicule and threat causing harm or injury.
E.g.- name calling, ostracizing, blaming a woman for not having a male child etc.

d. Economic abuse- deprivation of the basic necessities of life and entitlements that causes injury or harm. E.g.- denial of food, disposing off household assets to the detriment of the woman, disposing off her own assets (such as Stridhan) against her will etc.A woman can file a complaint against any adult male perpetrator of an act of violence. In cases where the woman is married, or lives in a relationship that is in the nature of marriage, she can also file a complaint against the male or female relatives of the husband/ male partner who have perpetrated the violence and can get reliefs from the court. These include Protection Order,Residence Order, Monetary relief, Compensation Order, Custody Order and Interim / Ex parte order.[4]

III. Criticisms on the enforcement of dowry laws - Although Indian laws against dowries have been in effect for decades, they have been largely criticised as being ineffective.[5] Despite the Indian government's efforts, the practice of dowry deaths and murders continues to take place unchecked in many parts of India and this has further added to the concerns of enforcement.[6] There is criticism by women's groups that India's dowry harassment.

Laws are ineffective because the statutes are too vague, the police and the courts do not enforce the laws and social mores keep women subservient and docile, giving them a subordinate status in the society.[7]

Further, many women are afraid to implicate their husbands in a dowry crime simply because the Indian society is viewed as having conditioned women to anticipate or expect abuse and in some sense eventually, endure it.[8] While the laws give great powers, they are not effectively enforced by the police or by courts. It can take up to 10 years for a case to go to court and even once in court, husbands and in-laws end up getting away with extortion or even murder because the women and their families cannot prove 'beyond reasonable doubt' that they are the victims of such crimes, as there are rarely any outside witnesses.[9] Moreover, when deaths occur through bride burning,evidence itself is usually lost in flames.[10]

IV. Criticisms on the abuse of dowry laws - Despite a significant reduction in the number of domestic violence cases registered in the country in the past three years, thousands of people get thrown behind bars over petty domestic disputes, many of which have nothing to with dowry.

According to the National Crime Records Bureau statistics, in 2012, nearly 200,000 peopleincluding 47,951 women, were arrested in regard to dowry offences. However, only 15% of the accused were convicted. The figure makes the Protection of Women Against Domestic Violence Act (498A) one of the most abused laws in the

country. These abuses pave the way to the birth of NGOs like Save Indian Family Foundation to combat abuses of IPC 498A.[11]

An example of such false cases is the Nisha Sharma dowry case (2003-2012). The anti-dowry lawsuit began in 2003 when Nisha Sharma accused her prospective groom, Munish Dalal, of demand-ing dowry. The case got much coverage from Indian and international media and Nisha Sharma was portrayed as a youth icon and a role model for other women. The case ended in 2012, after the court acquitted all accused and the Chief Judicial Magistrate observed that Nisha was in a relationship with another person Navneet, who she really wanted to marry.[12]

The Supreme Court has said in an order in 2015 that Section 498A has "dubious place of pride amongst the provisions that are used as a weapon rather than a shield by disgruntled wives". In July 2014, in the case of Arnesh Kumar v. State of Bihar Anr., a two-judge bench of the Supreme Court reviewed the enforcement of section 41(1)(A) of CrPC which instructs state of following certain procedure before arrest, and went on to observe that the 498A had become apowerful weapon in the hands of disgruntled wives where innocent people were arrested without any evidence due to non-bailable and cognizable nature of the law. The decision got mixed reviews drawing criticism from feminists but at the same time was welcomed as landmark judgment to uphold the human rights of innocent people by others.[13]

V. Pending bill to amend the section 498A IPC On April 19, 2015, the Indian government sought to introduce a bill to amend Section 498A IPC based on the suggestions of the Law Commission and Justice Malimath committee on reforms of criminal justice. News reports indicate that the proposed amendment will make the offence compoundable and this would facilitate couples to settle their disputes.[14]

VI. Conclusion - Despite the enactment of laws, formulation of reformative legal processes, provision of legal aid to the needy, extensive use of the provision of Public Interest Litigation, conduct of Family Courts, Women/Family counseling centers, etc., women in India has a long way to go in concretizing their Constitutional Goals into reality. Lack of political participation due to social-economic constraints is another reason why woman has not been able to assert herself and protect against this evil. This is also considered the failure of male- oriented polity by some experts. Due to all these disadvantageous position of woman, we fail to solve this problem even after all attention and focus on it. Women's education and enhanced participation in political process, position in decision-making bodies will improve the situation. Adequate social awareness and education is necessary, along with legal punishment, to do away with this evil practice.

References :-

1. Dowry as a factor of violence in Marriage: A study of Women seeking help in Family Counseling Centers in Chandigarh by Ms. Mahek Singh
2. Dowry-The Cancer of Society by Mrs. Reshma et al
3. http://www.legalindia.com/an-overview-on-dowry-prohibition/
4. LAWYERS COLLECTIVE: WomenâÃ•s Rights Initiative FAQs on Protection of Women from Do-mestic Violence Act 2005
5. Practical Steps towards Eliminating Dowry and Bride-Burning in India by Manchandia, Purna (2005)
6. A "Lesser" Crime: A Comparative Study of Legal Defenses for Men Who Kill Their Wives by Spatz,Melissa (1991)
7. The Dilemma of Dowry Deaths: Domestic Disgrace or International Human Rights Catastrophe? By Laurel Remers Pardee (1996)
8. Bumiller, Elisabeth (1991). May You Be the Mother of a Hundred Sons: A Journey Among the Womenof India. Ballantine
9. Kishwar, Madhu (2001). "India's New Abuse Laws Still Miss the Mark"
10. "Dowry Deaths in Bangalore" by Parvathi Menon, Frontline, 16(17) August 14-27, 1999., p. 64-73
11. Flipside of dowry law: Men recall how Section 498(A) is unfairly used against them by FirstPost. Mar 25, 2015
12. "All let off in Nisha Sharma dowry case after 9 years". IBNLive. 1 March 2012. Retrieved 28 March 2015
13. "Arnesh Kumar Judgment": http://www.shoneekapoor.com/arnesh-kumar-vs-state-of-bihar-and-anr/
14. Centre set to prevent misuse of anti-dowry harassment law; India Today; March 12 2015

****

Women's Rights And Labour Statutes

Dr. V. K. Jain * Dr. N. K. Patidar **

Introduction - Measures in regard to health safety and welfare for women The efficient working process needs sound health of the women engage therein, safety of the workers from accidents causing partial or total disablement and sudden misfortunes affecting the victims and their dependents. Unless the workers are physically and mentally healthy they cannot perform their duties effectively. Smooth and proper working cannot be possible by the workers unless body, mind and life of workers is secured. The basic aim of the welfare services in an industry is to improve the living and working conditions of workers and 176 promoting the physical, psychological and general well being of the working population. It is quite natural that if the facilities are provided to the women workers they may be carefree and mentally satisfied and so they would in a position to work in the factory without worry, mental disturbance and in high spirit. Thus, it is necessary to adopt measure to maintain their health and to provide safety and welfare to the women workers and to regulate their working conditions. There are various labour laws which deals with health, safety and welfare to women workers which are as follows:

A. The Factories Act, 1948 - The Factories Act is a welfare legislation enacted with an intention to regulate working conditions in the factories and to provide health, safety and welfare measures.1 Besides, the Act envisages to regulate the working hours leave holidays, overtimes, employment of children, women and young persons etc.

B. The Act was drastically amended in 1987 whereby safeguards against use and handling of hazardous Substances and procedures for setting up hazardous industries were laid down. Special provisions relating to women

C. Latrine and Urinal - Facilities Separate conservancy facilities are provided to women workers in Factories Act, 1948.3 The Factories Act, 1948 makes it obligatory for every factory to maintain an adequate number of latrines and urinals of the prescribed type separately for men and women workers. Such facilities are to be conveniently situated and accessible to workers at all times while they are in factory.

D. Prohibition of work in Hazardous Occupations - The Factories Act, 1948 prohibits employment of women in dangerous occupations. Section 22(2) of the Factories Act, 1948 provides that no women 177 shall be allowed to clean, lubricate or adjust any part of a prime mover or of any transmission machinery while the prime mover or transmission machinery is in motion, or to clean, lubricate or adjust any part of any machine if the cleaning, lubrication or adjustment thereof would expose the women to risk of injury from any moving part either of that machine or of any adjacent machinery.

E. **Washing and Bathing Facilities** - Separate facilities washing and bathing are provided for women workers under the Factories Act. According to Section 42 (1)(b) of the Act, separate and adequately screened washing facilities shall be provided for the use of male and female workers. Such facilities shall be conveniently accessible and shall be kept clean. However, the State Government is empowered to prescribe standards of adequate and suitable facilities for washing.

F. Hours of Work Under the Factories Act, 1948 - The daily hours of work of adult workers have been fixed at Though the Act permits men under certain circumstances to work for more than 9 hours on any day it does not permit women to work beyond this limit. The maximum permissible hours of work for men and women are 48 per week in factories.16 The daily spread over of working hours has been limited to 10½ hours in factories. The Act provides that no adult worker whether man or woman employed in factories shall be allowed to work for more than 5 hours at a stretch without a rest pause of atleast half an hour.

G. Maximum Permissible Load - To safeguard women against the dangers arising out of lifting to heavy weight, the Factories Act authorise the appropriate Governments to fix the maximum load that may be lifted by women. Rules framed by all the State Governments (Except U.P.) have fixed the following maximum weights for women employed in factories. Adult females : 65 lbs Adolescent females : 55 lbs Female children : 30 lbs However, under the U.P. Factories Rules the following weights have been fixed: Category For intermittent work For continuous work Adult females 66 lbs 44 lbs Adolescent females 50 lbs 38 lbs Female children 30 lbs 20 lbs 180 7.

H. Prohibition of Night work - The Factories Act, 1948 prohibit the employment of women during night hours. It is under special circumstances and in certain industries that this restriction may be relaxed. According to Section 66(1)(b) of the Factories Act 1948, no woman shall be required or allowed to work in any factory between the hours of 6 a.m. and 7 p.m.

I. General Provisions -

1. Health Provisions

* Professor (Commerce) Govt. P.G. College, Neemuch (M.P.) INDIA
** Professor (Commerce) Govt. College, Pipliya Mandi (M.P.) INDIA

(a) Drinking water - Every employer of a plantation shall make effective arrangements at convenient places, for the supply of wholesome drinking water for all workers.

(b) Medical Facilities - The employers are required to provide and maintain the prescribed medical facilities for the plantation workers and their families. If in any plantation the requisite medical facilities have not been provided, the Chief Inspector may cause such facilities to be provided and maintained and recover the cost thereof from the defaulting employer.

2. Welfare Measures -

(a) Canteens - In every plantation wherein 150 workers are ordinarily employed, one or more canteens shall be provided and maintained for the use of workers in accordance with the rules framed in respect thereof.

(b) Recreational Facilities - The employer may be required to provide suitable recreational facilities for the workers and children employed in his plantation.

(c) Educational Facilities Where the number of children, between the ages of 6 and 12 years, of the workers employed in any plantation is more than 25, the employer may be required to provide educational facilities of the prescribed standard for the benefit of those children.

(d) Housing Facilities - It is the duty of every employer to provide and maintain necessary housing accommodation (a) for every worker and his family residing in the plantation and (b) for every worker and his family who is residing outside the plantation and who having put in '6 months' continuous service in the plantation, expresses a desire in writing, to reside in that plantation. The condition of 6 months service will not, however, apply to worker who is a member of the family of a deceased worker who, immediately before his death, was residing in the plantation. The housing facilities should be provided in accordance with the rules made in this regard.

(e) Employer's Liability in case of Accident due to House Collapse - If death or injury is caused to any worker or a member of his family as a result of the collapse of a house provided by the employer and the collapse is not solely and directly attributable to a fault on the part of any occupant of the house, or to a natural calamity, the employer shall be liable to pay compensation as per the provisions of the Workmen's Compensation Act, 1923.

(f) Other Facilities - The employer may be required to provide the workers with such number and type of umbrellas, blankets, rain coats or other like amenities for the protection of workers from rain or cold as may be prescribed under the rules.

J. Meaning of Maternity Benefit - Prior to the amendment of 1989, if a woman employee could not avail of the six weeks' leave preceding the date of her delivery, she was entitled to only six weeks leave following the day of her delivery. However, by the above Amendment, the position has changed. Now, in case a woman employee does not avail six weeks' leave preceding the date of her delivery, she can avail of that leave following her delivery, provided the total leave period, i.e., preceding and following the day of her delivery, does not exceed 12 weeks.

K. Conclusion - From the foregoing discussion, it is clear that to provide security against various risks, peculiar to their nature, women workers have been given various rights, benefits, concessions, protection and safeguard under different labour legislations. The main objective for enactment of labour laws was to prohibit the violation of rights of women workers and to provide them security and protection. But despite this all, much remains to be achieved. Women workers are still made to suffer discrimination in social and economic spheres and continue to be the most exploited lot. Most of the labour legislations apply to the organised sector only, leaving unorganised sector, where a majority of the women work, unattended. Even in organised sector, where these legislations apply, the statutory provisions are not strictly complied with. In many cases it has been found that protective measures such as crèches, maternity benefits, separate toilet and washing facilities etc. are neither provided nor properly maintained. The Penal provisions of these enactments are not deterrent enough to prevent the employer from violating then. The machinery for inspection and enforcement is inadequate and ineffective. It is true that laws are made for the welfare and benefit of people but laws and Constitution do not by themselves solve all the problems. It is the sincere and strict implementation which matters. Although, the need for more and more laws is always felt in a welfare state like ours, yet the existing labour laws, with necessary modifications and amendments are sufficient, for the time being to take care of the women workers in the organised sector leaving unorganised sector of employment unattended. Therefore, these laws should be extended to unorganised sector also where women workers are in a large number. Let us try to be honest in the implementation of these labour laws. The employers should be made to change 275 their attitude towards women labour by strengthening the enforcing agencies and by imposing stringent punishment on the guilty. Women workers should be treated as partners in industry and not as products. Moreover, much also depends upon the women workers themselves. Their ignorance and lack of awareness about their right is also responsible for the evasion of these beneficial legislations. Therefore, the need of hour is that women should get fully conscious about their rights and should get courageous enough to fight for their rights by participating in the various activities of trade unions.

References :-

1. Suresh V. Nadagoudar, "Right of Women Employees at their work place," Lab. IC. Feb. 2007, p. 35.
2. Ajay Garg, "Labour Laws one should know", 22nd edition 2007, Pub. Nabhi Publication, New Delhi, p. 120.
3. G.Q. Mir, "Women workers and the law," 1st edition, 2002, p. 162.
4. Section 19 of the Factories Act, 1948.
5. Hindustan Times, May 4, 2005.

✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻

Securities And Laws For Women Wokingforce In India

Anita Sen *

Introduction - Working force or laour force is the number of individuals in an economy who either are employed or are seeking employment. In this way workforce of a country includes both the employed and unemployed. The labour force participation rate (LFPR) is a measure of the active portion of an economy's labour force. Work force of labour force of a country is an essential tool for economic growth. Rising size of work force presents an opportunity to drive economic expansion and increase gross domestic product (GDP).

India is the second most populous country in the world with 1.21 billion people. In India some 800 million people, 64% of the poplation are of working age, a number that is likely to hincrease and may push economic growth. India's labour force participation is low at 58% due to low rate of women working force participation. Women comprises 48.5% of the total population. Labour force participation of women remains woefully low in India, and this could be a major drag, not just on the empowerment of women but on the India story as well.

While male participation is high, women or female labour force participation (FLFP) has been dropping at an alarming rate. According to data from National Sample Survey Organization (NSSO), FLFP fell from a high point above 40 per cent in the early-to-mid 1990s to 29.4 per cent in 2004-05, 23.3 per cent in 2009-10 and 22.5 per cent in 2011-12. This low average masks considerable variation between rural and urban areas. In 2009-10, when overall FLFP was 23.3 per cent, it was 26.5 per cent in rural areas and incredibly low in urban areas at 14.6 per cent.

A report by the International Labour Organization (ILO) found that by 2009-10, India's FLFP was ranked 11th from the bottom out of 131 countries. When it comes to women's economic participation, India's position seems fixed at the bottom even when we compare it to the entire world and not just the 20 major economies. It ranks 124 out of 136 nations, according to a World Economic Forum (WEF) report from last year.

Why Women Working Force In India Needs Laws And Securities - Women labour foce participation in india is lower than many other emerging market economies, ans been declining sinc 2000s . moreover there is a large gape in labour force participation rate of men and women in India. This gender gap should e narrowed to fully harness India's demographic dividend. A number of policy and laws could be used to address this gender gap in Indian labour force participation. Women are known to work on farms, in road and housing construction, in factories manufacturing garments and electronic assembly plants. Skilled women workers also have been working in traditional village industries either as self employed or as paid workers. In hill areas, search for forest products including fuel wood engages a fairly large number of women. The majority of women work in the unorganized sector for low wages and at low levels of skills. The number of women workers during the last four decades has more than doubled from 40 million to 90 million. In urban areas, on an average wage/salary paid to females is only 75% of that paid to males, while in rural areas females are paid 58% of what is paid to the males. This wage disparity differs across sectors and education levels. Women constitute a significant part of the workforce in India but they lag behind men in terms of work participation and quality of employment. Women are more vulnerable to exploitation and harassment at work in developing countries. In India, they earn 62% of the men's salary for equal work, according to WEF. They are also unable to effectively fight against harassment. Because of all above causes women working force need security and laws so that they can earn equal to men with security.

Laws For Women Working Force In India -

1. The Factories Act, 1948 - The Factories Act is a legislation to secure to the workers employed in a factory, health, safety, welfare, proper working hours, leave and other benefits. The Factories Act aims at protecting workers employed in factories from unfair exploitation by their employers. The Factories Act also has exclusive provisions for women workers.

2. Maternity Benefit Act, 1961 - With the object of providing maternity leave and benefit to women employee Maternity Benefit Bill was passed by the both Houses of Parliament and subsequently it received the assent of president on 112, December 1961 to become an Act under short title and numbers "THE MATERNITY BENEFIT ACT,1961(53 of 1961)"

The Maternity Benefit Act is an Act to regulate the employment of women in every factory, plantation or mine, irrespective of the number of employees, and to all shops and establishments employing or having employed 10 persons or more. The Maternity Benefit Act **was enacted to bring a uniform code for maternity benefit to women**

*Research Scholar, School of Studies in Economics, Devi Ahilya University, Indore (M.P.) INDIA

workers across industries. The Act provides many benefits of pregnant women workforce.

Maternity Benefit (AMENDMENT) Act, 2016 - The Prime Minister Narendra Modi on August 10 gave its ex-post facto approval for amendments to the Maternity Benefit Act, 1961 by introducing the Maternity Benefit (Amendment) Bill 2016. It aims to raise maternity leave for women from 12 to 26 weeks. The Maternity Benefit Act, 1961, protects the employment of women during the time of maternity and entitles them of a full paid absence from work to take care for the child. The amendment bill seeks to increase maternity leave to 26 weeks in all establishments, including private sector.

3. The Equal Remuneration Act ,1976 - This Act provides for the payment of equal pay for equal work for both man and woman. It also provides for the prevention of discrimination in payment of wages on the ground of sex against women in the matter of employment and for the matter commented therewith or incidental thereto. Article 39 of our Constitution directs that States shall in particular have policies towards securing equal pay for equal work for both men and women,

Under the Equal Remuneration Act,

a. Employers shall pay equal remuneration to its male and female employees who are carrying out the same or similar work.
b. Employers cannot discriminate between men and women while recruiting, unless there is a restriction under law to employ women in certain industries

4. Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 -The Sexual Harassment at The Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act and Rules, 2013 have been notified by the minsitry of Women and Child Developrment . The legislation has in force from December 9, 2013. The **Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013** is a legislative act in India that seeks to protect women from sexual harassment at their place of work. This statute superseded the Vishakha Guidelines for prevention of sexual harassment introduced by the Supreme Court of India. It was reported by the International Labour Organization that very few Indian employers were compliant to this statute of WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT NOTIFICATION New Delhi, The 9th December, 2013. The enactment of the SHA has brought the much needed relief to the women workforce.

The definition of sexual harassment in the Sexual Harassment Act is in line with the Supreme Court's definition in the Vishaka Judgment and includes any unwelcome sexually determined behaviour (whether directly or by implication) such as;

a. physical contact and advances,
b. demand or request for sexual favours,
c. sexually coloured remarks,
d. showing pornography,
e. or any other unwelcome physical verbal or non-verbal conduct of sexual nature.

5. Shops and Establishments Acts ("SEA") - The State Governments enact their respective shops and establishments act, regulates the working conditions of employees in a shop or commercial establishment. The SEAs provide for various provisions including provisions pertaining to (a) notice period for termination, (b) leave entitlement, and (c) working conditions like weekly working hours, weekly off, overtime, etc.

However, due to the nature of work of certain industries, they may require their female employees to work beyond the prescribed limits, for which they will need to take prior permission from the authorities. The approvals for allowing women to work late nights always comes with special conditions and obligations, on the part of the employer, such as, providing a safe working environment, providing adequate security during the night hours, provide transport to their residence after the late working hours, women employees should be placed in a group while working at nights and not alone, etc

Conclusion - Strengthening anti- discriminating legislation in employment across all occupation will be essential for expanding employment opportunities for women. In addition, reducing the large gaps in wages and working conditions often observed between men and women. If India can increase women labour force participation by 10% (68 million more women) by 2025, India could increase its GDP 16% by the report of Mckinsey Global Institute.

References :-

1. www.kaanoon.com/indian-law/what-protection-does-a-woman-have-against-sexual-harassment/
2. www.catalyst.org/knowledge/women-workforce-india
3. https://mahakamgar.maharashtra.gov.in/lc-equal-remuneration.htm
4. http://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS
5. www.hindustantimes.com/static/indian-women-leaving-workforce/index.html
6. www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—asia/—ro-bangkok/—sro-new_delhi/documents/genericdocume
7. www.thefreedictionary.com
8. http://labour.gov.in/womenlabour/equal-remuneration-acts-and-rules-1976
9. www.essayinhindi.com
10. /www.prsindia.org/billtrack/the-maternity-benefit-amendment-bill-2016-4370/
11. www.lawyerscollective.org/updates/sexual-harassment-workplace-act-rules-2013-notified.html
12. www.imf.org/Women Workers In India: Why So Few AMONG So Many?/march2015.
13. Niti.govt.in./Decline In Rural Female Labour Force Participation In India: A Relook In To The Causes
14. www.indianlabourorg/ Working Women Labour Laws
15. http://indianlabour.org/index.php/labour-laws-institutes/labour-laws/working-women-laws

Dowry Prohibition & Domestivilence Act & Women

Madhuri Sameer *

Introduction - What is Dowry? In simple terms dowry can be understood as a demand for money or valuables by the family of the groom from the family of the bride in lieu of their marriage. It is in a sense compensation or value being demanded by the groom's family for the groom. In all possibility dowry system of harassing women is peculiar to Indian society only. Dowry is another dimension of gender inequality being practiced in our country.

Origin of Dowry - The origin of this social ill can be traced back to the custom or tradition of giving gifts to brides in marriage and this system of gifts was a voluntary system which had its sanction in our religious beliefs that the father of a girl has a duty to give a part of his property to his daughter in her marriage as after marriage she would be going to another home and the son would be getting the rest of the property of the father. So it was considered as a moral duty of father to gift a portion of his earnings or property to his daughter also.

Dowry Death or Bride Burning - Related to the system of dowry and as an outcome of it is the inhuman practice of Dowry death or bride-burning. Each year thousands of young brides are burnt or killed by their in-laws because they fail to fulfill their ever-increasing demand of money or property.

Records show that there is an alarming increase in cases relating to harassment, torture, abetted suicides and dowry deaths of young brides. Only in 2010, more than 9,000 dowry related deaths have been reported which shows the level of violence being faced by the young brides.
Dowry Prohibition Act

The Dowry Prohibition Act, 1986 makes both giving and demanding of dowry a punishable offence. But despite the Act, dowry system is continuing unabated and in fact it's increasing by the day

The Dowry Prohibition Act, 1986 failed to check the evils of dowry system and it also lacked in providing solutions to the ever increasing menace of dowry deaths. So, the Parliament thought it fit to bring a specific provision to deal with the said crime of bride burning. Thus, through an Amendment, a new section i.e. Section 304-B was inserted in the IPC which creates a new offence in the name of 'dowry death'. The provision in detail provides ingredients which are to be looked into in case of death of a married woman and if those ingredients are there such death would be considered as dowry death. As per the provision, maximum punishment of life imprisonment has been provided for dowry death to the husband or any relative of husband.

Legal Steps - At first in the year 1961, the **Dowry Prohibition Act** is enacted to eradicate the practice of dowry. It consists of 10 sections. The penalty for giving and taking dowry is incorporated in Section 3 of the Act. But the Act contains so many loopholes, also the punishment prescribed for demanding, taking and giving dowry were very low. So the Act has been amended from time to time to be effective.

The **Dowry Prohibition (Amendment) Act of 1984** prescribes a minimum punishment of two years imprisonment and fine to anyone demanding dowry. Because of this Dowry Prohibition Act, a person who gives or takes, or helps in the giving or taking of dowry can be sentenced to jail for 5 years and fined Rs.15,000/- or the amount of the value of dowry, whichever is more. This Act is prohibited to give or to agree to give, directly or indirectly, any property or valuable security, in connection with a marriage. The giving of or agreeing to the giving of any amount either in cash of kind, jewelry, articles, properties, etc. in respect of a marriage is absolutely prohibited by the Dowry prohibition Act. Even the making of a demand for dowry is also now prohibited and it is punishable with imprisonment of 5 years and a fine of Rs.10,000/-

To stop the offences of cruelty by husband or his relatives on wife, Section 498-A has been added in the **Indian Penal Code**, and Section 198-A has been added in the **Criminal Procedure Code** since the year 1983. In the case of suicide by a married woman, within 7 years from the date of her marriage, the Court may presume that such suicide has been abetted, encouraged by her husband or his relatives. Provision to this effect has been added in the Indian Evidence Act, by adding Section 113-A since the year 1983.

Sec.304-B is incorporated in the **Indian Penal Code in 1983**. It deals with Dowry Death.

Role of New Generation in Eliminating Dowry System

*Student, Gyanmandir Law College, Neemuch (M.P.) INDIA

The real problem lies with the society as a whole which directly or indirectly supports and encourages the system of dowry. And there seems to be no ray of hope that the situation would improve in near future. Materialism is the main driving force for the people and in search of the modern day life style and comfort; people are willing to go to any extent, even to burn their own wives or daughter-in-laws.

May be the only hope lies in new generation of young boys and girls who are educated and of modern thoughts. They should come out in open and fight against this social evil and also starts protesting within their own families, if any such incident happens there.

Also, young brides should start protesting if any dowry demands are made by their in-laws and immediately make a complaint to police or proper authorities; they must stop being a victim and start to think themselves empowered as laws are there to protect them and empower them.

****

कामकाजी महिलाएं और कानून

संगीता निमवाल *

प्रस्तावना – सन् 1660 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ। इंग्लैड और भारत के बीच मुक्त रूप से व्यापार की शुरूआत हुई। भारतीय स्त्री – पुरूषों की विशाल संख्या संगठित और असंगठित उद्योगो में जुटी। जब कि कुछ पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योग में ही टिक रहे। 9 वीं सदी में राजा राममोहन राज्य सें लेकर डॉ. बाबासाहेब अम्बेडर तक सभी के कारण सुधारवादियों ने स्त्री जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काफी प्रयास किए। स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के कारण महिलाओं का व्यक्तिगत विकास हुआ। वे अपने कर्तव्य और अधिकार के बारे में अधिक सजग होने लगी। बढ़ती हुई महंगाई और अन्य पारिवारिक समस्या के कारण महिलाएं अधिक संख्या में अर्थार्जन करने लगी।

1975 से 95 तक के काल में महिला समस्याओं का महिलाओं के दृष्टिकोण से विचार करने के लिए चार अंतरराष्ट्रीय महिला सम्मेलन संपन्न हुए। इसमें स्त्री–पुरूष समानता, लिंग भेद समाप्त करना, विकास कार्य और विश्वशांति प्रक्रिया में महिलाओं की सहभागिता प्रमुख बिन्दु थे। चतुर्थ विश्व महिला सम्मेलन (1995) के लिए अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का नारा था और आज भी है कि सभी महिलाएं श्रमजीवी महिलाएं है। इस नारे को सामने रखते हुए कामकाजी महिलाओं को पहचानो, उनकी रक्षा करो, उन्हें आगे बढ़ाओ जैसे संकल्प तय किए गए।

शोध के उद्देश्य – 1990 से ही देश की आर्थिक नीति वैश्वीकरण की दिशा में चलनी प्रारंभ हुई। 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था वैश्वीकरण, पूंजीवादी विचार से निजीकरण और उदारीकरण की ओर मुड़ने लगी। मानव की समस्या जैसे गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक और सामाजिक स्तर पर विषमता, साक्षरता, पिछड़ापन, समान अवसर, सामाजिक सुरक्षा, ऐसे मुद्दों पर सारी दुनिया में सिर्फ अर्थविशेषज्ञ ही नहीं, तो हमारे राजकीय नेताओं ने भी बोलना बंद कर दिया और बाजारीकरण, विनिवेश, निजीकरण, कम्प्यूटरीकरण, सूचना प्रौद्योगिकी , सरकार पर दबाव, श्रम कानून में बदलाव (जो देश की जनता और कामगारों के खिलाफ है) इसके बारे में ज्यादा चर्चा होने लगी।

वैश्वीकरण के प्रभाव से रोजगार की स्थितियों में बदलाव आया। आर्थिक बदलाव होने के कारण श्रमिक बाजार में लचीलापन आया।उत्पादन क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के कारण भी काफी बदलाव हुआ। इसी कारण संगठित क्षेत्र में अनौपचारिक क्षेत्र निर्माण हो गया। ये सारे काम ठेके पर या बाहर से करा लेने की पद्धति से होने लगे। इसमें भी बड़ी संख्या में महिलाएं काम करती है। लेकिन उनके लिए कोई सेवा शर्ते या कानूनी सुविधा नहीं, इसलिए काम की असुरक्षितता और शोषण बढ़ गया है। उदारीकरण के कारण कुछ क्षेत्रों में नये कामगारों की संख्या तो नहीं बढ़ी, लेकिन पहले जो कामगार थे, उनका रोजगार चला गया। जैसे कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारतीय सागर में मुक्त प्रवेश मिलने से इस क्षेत्र में मछली मारने का काम मुख्यत पुरूष करते है और बड़ी संख्या से महिलाएं मछलियों की बिक्री उनका प्रसंस्करण , सुखाई, माल चढ़ाने उतारने से लेकर जाल बुनने तक का काम करती है। उनकी जगह अभी बड़े–बड़े जहाजो ने ले ली है। भारतीय उत्पादनों की जगह विदेशी उत्पादनों ने ले ली। विदेश से आया हुआ चीन व कोरिया का सिल्क धाग आने से बिहार की सूतकताई करने वाली और समेटने वाली हजारों महिलाओं का रोजगार चला गया। इसी प्रकार सूडान से सस्ता गम खरीदने से गुजरात में बावल वृक्ष से गम इकठठा करने वाली सभी महिलओं का रोजगार चला गया ।

यांत्रिकीकीरण और आधुनिक तकनीक के कारण महिलाओं पर नकारात्मक परिणाम हो गया है। हस्तशिल्प, भवन निर्माण और खाद्य पदार्थ बनाने वाले उद्योगों में काम करने वाली महिला बेरोजगार हो गयी। नयी आर्थिक नीतियों के कारण कुछ क्षेत्रों में रोजगार बढ़ा। टेक्सटाइल, रेडिमेड गारमेंट, कम्प्यूटर, बीपीओ, कॉलसेंटर्स, सूचना प्रौद्योगिकी, मार्केट रिसर्च ऐसे नये क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध हुए है। लेकिन यह क्षेत्र फैक्टरी शॉप कानून के दायरे के बाहर रखा है। इसलिए वहां कानून की न कोई पाबंदी है, न कोई टोक। रात्रि पाली में महिला कर्मचारियों को काम की असुरक्षितता, अनिश्चितता , काम की अनिर्धारित अवधि, अनुचित कामगार प्रथा के अंदर काम करना पड़ता है।

महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल – निर्भया का बहुचर्चित मामला जब घटित हुआ और उसे लेकर जो देश भर में गुबार उठा, उससे एकबारगी लगा कि स्थिति में कुछ विशेष बदलाव तो जरूर ही आएंगे, मगर यह स्थिति कब दिवास्वप्न में बदल गयी, इसका आभास ही किसी को न हुआ। आज के आधुनिक युग में भी लड़कियां किस हद तक असुरक्षित हैं, इस बात की बानगी आपको लगभग रोज के ही अखबारों देखने को मिल जाएगी, जो ताजा मामला अभी सामने आया है, उसने बड़े स्तर पर चर्चा बटोरी है तो इस बात की भूमिका भी तैयार की है कि हम इस तरफ ध्यान दें कि लड़कियों की सुरक्षा करने में प्रशासन कितना सजग है तो समाज में किस स्तर का बदलाव है।

आखिर, मेट्रो शहरों में लड़कियां घर से बाहरनिकलती ही हैं, देर शाम तक कार्य भी करती हैं, ऐसे में अगर ऑटो और कैब ड्राइवर्स उनका शोषण करने लगें वह भी गैंग के रूप में, तब यह पूरे शहर और हमारे कल्चर के लिए ही चिंता का विषय बन जाता है।

पिछले अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर उपलब्ध आंकड़े बताते है कि महिलाएं, पुरूषों से किसी लिहाज से पीछे नहीं है, देश में करीब 2.70

* विद्यार्थी, ज्ञान मन्दिर विधि महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.) भारत

करोड़ महिलाएं कमाती है और अपने दम पर परिवार चलाती हैं, जहां तक देश में महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है, कानून तो है, लेकिन उन्हें दरकिनार कर अपराध होते रहे है।2009 में सीबीआई के मुताबिक 30 लाख लड़कियों की तस्करी की गई, जिनमें से 90 फीसदी देह-व्यापार में धकेल दी गई, नेशनल क्राइम ब्यूरो का कहना है कि 1971 से 2012 के बीच दुष्कर्म के मामलों में 880 फीसदी बढ़ोतरी हुई है। तो गत तीन वर्षो में कन्या भ्रण हत्या के 1.2 करोड़ मामले दर्ज हुए है, यहाँ तक कि ग्रामीण इलाकों की 56 फीसदी महिलाए सुरक्षा कारणों से स्कूल-कॉलेजो नही जाती हर साल 9 हजार महिलाएं दहेज की बलिवेदी पर कुर्बान हो जाती है, इन आंकड़ो को थोड़ा और व्यापक करें तो उसनेस्टी इंटररनेशनल कर रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में हर 15 सेकंड में एक महिला मारपीट या किसी प्रकार के अत्याचार का शिकार होती है। हर साल करीब 7 लाख महिलाएं दुष्कर्म की पीड़ा झेलती है, रिपोर्ट का दुखद पहलू यह है कि 40 फीसदी भारतीय महिलाएं पति की षिकार बनती है, यह आंकड़ा तो तब है जब घरेलू हिंसा यौन शोषणा के 50 प्रकरणों में से एक ही पुलिस तक पहुंचता है

कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा का सवाल - सर्वे में पता कि 386 यानी 86 प्रतिशत संस्थानों को केंद्र सरकार के यौन उत्पीड़न के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध व निवारण) अधिनियम-2013 के बारे में पता ही नहीं है।

निजी कंपनियों या संस्थानों में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के मामले पर सख्ती दिखाते हुए केंद्र सरकार ने करीब चार माह पहले कार्यस्थलों पर यौन हिंसा संरक्षण संबंधी आंतरिक समिति के गठन का निर्देश दिया था, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद ऐसा करने में सफलता नहीं मिल सकी है। महिला एवं बाल विकास मंत्री की ओर से राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ-साथ औद्योगिक संगठन फिक्की, सीआईआई एसोचैम, पीएचडीसीआई को चिट्ठी लिखने के बाद भी इस मामले में सुस्ती बरकरार है। इससे पहले मंत्रालय के सचिव की ओर से भी राज्यों के संबंधित विभाग के सचिवों को चिट्ठी लिखी गई थी। लेकिन यह मामला ठंडे बस्ते में ही है। केंद्र के दखल के बाद राजधानी, महानगरों और उसके इर्द-गिर्द के इलाकों में कंपनियों में समितियों का गठन काफी हद तक हुआ है।

ऑफिस में महिलाओं की सुरक्षा पर सिर्फ तीन प्रतिशत संस्थान ही ध्यान देते है। चौंकाने वाली बात यह है कि मुंबई में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को लेकर बने कानून के बारे में ज्यादातर कामकाजी महिलाओं और संस्थानों को जानकारी ही नहीं। कॉम्पलाई करोय नामक कंपनी द्वारा किए गए सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ है। इस सर्वे में दक्षिण मुंबई के 449 ऐसे संस्थानों की महिलाओं से बात की गई जहां 10 से अधिक लोग काम करते है।

सर्वे में पता चला कि 386 यानि 86 प्रतिशत संस्थानों को केंद्र सरकार के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध व निवारण) अधिनियम - 2013 के बारे में पता ही नहीं है। 49 यानि 10.9 प्रतिशत संस्थानों को इस कानून की जानकारी है लेकिन वे उस पर अमल नहीं करते है। गौरतलब है कि ऐसे ही एक मामले में एक निजी कंपनी पर सितम्बर 2014 में 1.68 करोड़ रूपए का जुर्माना मद्रास उच्च न्यायालय ने लगाया था। इसके बावजूद देश के ज्यादातर प्राइवेट संस्थान कानून के प्रावधानों को लागू नहीं करते है। दक्षिण मुबई में हुए इस सर्वे की रिपार्ट जो कुछ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंताजनक पहलुओं को उजागर करती है।

यही स्थिति अमूमन संपूर्ण भारत की है, यहां दो महत्वपूर्ण प्रश्न उभर आते है, पहला तो यह कि क्यों कामकाजी महिलाओं को अपनी सुरक्षा के प्रति मिले अधिकारों की जानकारी नही है ? और दूसरा यह कि क्यों निजी संस्थान यौन उत्पीड़न अधिनियम-2013 की पालना नहीं करते ? दो प्रश्नों का उत्तर एक ही विचारधारा के समीप घूमता है और वह है अस्थाई जाग्रत, जब कभी भी देश के किसी कोने में यौन उत्पीड़न की घटना होती है। तो कामकाजी महिलाएं अपनी सुरक्षा एवं अधिकारों के विषय में चिंतित नजर आती है और निजी संस्थान यौन उत्पीड़न कानूनों को लागू करने की घोषणाएं भी करते है, परंतु कुछ वक्त व्यतीत होते ही यह जागरूकता शांत हो जाती है।

बीते दशकों में भारतीय समाज की अधोसंरचना में एक आमूलचूल परिवर्तन आया जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव देश की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर भी पड़ा, वे महिलाएं जिनकी सीमाएं सिर्फ घर की चारदीवारी के भीतर तक निश्चित की गई थी, वे इससे बाहर निकली, स्त्री आत्मनिर्भरता सिर्फ अपने परिवार को आर्थिक सुदृढ़ीकरण देने की पहल मात्र नहीं थी, अपितु यह उसके आत्मविश्वास को बनाएं रखने के लिए बेहद अहम बिंदु था दरअसल, भारतीय समाज में स्त्री-जीवन की किसी भी समस्या को आमवर्ग से लेकर खास तक संवेदनशीलता से नहीं लिया जाता है और जब बात कार्यस्थल पर उत्पीड़न की हो तो उसे कार्य व्यवस्था का एक हिस्सा मानने की मानसिकता जगजाहिर है। पर क्या यह किसी भी सभ्य समाज का रूप हो सकता है?

संकीर्णता में लिपटी इस विचारधारा को धक्का तब लगा जब 1977 में उच्चतम न्यायालय ने विशाखा एवं अन्य द्वारा राजस्थान राज्य एवं अन्य के विरूद्ध दायर याचिका क्रमांक 660-70 में अपना सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्णय दिया और यौन उत्पीड़न रोकने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। उनके अनुसार भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के निर्देशों का क्रियान्वयन किया जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने विभिन्न राज्य सरकारों को सूचित किया था कि वे कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोके। महिला सशक्तिकरण की दिशा में बने कानूनों में यह मील का पत्थर साबित हुआ।

कामकाजी महिलाओं की समस्याएं पर अनुच्छेद -

विस्तार बिंदु -

1. कामकाजी महिलाएं सामान्य हुई हैं, किंतु उनकी समस्याएं बढ़ गयी है।
2. कामकाजी महिलाओं के एक क्षेत्र संदर्भ में भी, जैसे- रोजगार में संलग्न शहरी महिलाओं के सम्बन्ध में भी विभिन्न समस्याएं है।
3. काम पाने की समस्य।
4. असमान पारिश्रामिक।
5. कामकाजी महिलाओं से कठिन परिश्रम की अपेक्षा बढ़ी है।
6. महिलाओं के कार्य की सामाजिक पहचान/ प्रतिष्ठा नहीं है।
7. कामकाजी माताओं की समस्याएं महत्तार है।
8. कामकाजी महिलाओं द्वारा लैंगिक हताशा का सामना।
9. महिलाओं की समस्याओं का समावेश बहुलत: सामाजिक दृष्टिकोण में निहित है।
10. महिलाओं की बेहतर स्थिति हेतु सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन अनिवार्य है।

निश्चित रूप से, आज महिलाओं के गैर-पारंपरिक कामकाज के विचार पर लोगों की भंवे तनी हुई नहीं है। सेवा क्षेत्र में पुरूषों ओर महिलाओं की समानता के विचार को भी बल मिल रहा है।लेकिन आज भी कोई इस बात से इंकार नहीं कर सकता कि कामकाजी महिलाओं को लिंग- भिन्नता के

आधार पर अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रासंगिक रूप से यहां यह कहा जा सकता है कि जब हम कामकाजी महिलाओं की बात कर रहे है। तब हमारा ध्यान वेतनभोगी कामकाजी महिलाओं की तरफ हैं।

वस्तुत: महिलाओं की भूमिका के संदर्भ में कानून की तुलना में सामाजिक दृष्टिकोण अति-विलम्बित है। इस सामाजिक दृष्टिकोण के अंतर्गत, महिलाएं कुछ निश्चित (पारंपरिक) कार्यो के लिए ही दुरूस्त है, उन क्षेत्रो के लिए नहीं,जिनमें महिलाएं आत्मनिर्भरता हेतु नियुक्त की जाती है।

इस तरफ, महिलाएं आसानी से नर्स, डॉक्टर शिक्षिकाएं, निगरानी पदों, कुर्क,सचिवों इत्यादि के लिए रोजगार प्राप्त कर लेती है, अर्थात राक निर्धारित कार्य-प्रणाली के रूप में। लेकिन, यदि उच्च शिक्षा प्राप्त कर महिलाएं, इंजीनियर , प्रबधंक अथवा भू-गर्भशास्त्री भी बन रही है, तब सम्बद्ध पदों पर भर्ती हेतु समान शिक्षा प्राप्त पुरूषों को प्राथमिकता दी जाती है।

स्पष्टत:, नियुक्ति के प्रथम चरण में ही लिंग - भेद अवरोधक बन जाता है। कामकाजी महिलाओं की दूसरी समस्या पारिश्रमिक के संबंध है। कानूनी रूप में समानता की घोषणा की गई है, किन्तु व्यवहार में इसका वास्तविक अनुपालन नहीं हो रहा है।

मिथ्यात्म्क एवं भ्रामक यह है कि पुरूषों की तुलना में महिलाएं कार्यक्षमता एवं प्रशासन व न्याय-प्रबंधन की दृष्टि से हनतर होती है और कम पारिश्रमिक देने का यही आधार है। कोरियाई गणराज्य में पुरूषों की तुलना में महिलाएं समान कार्य हेतु पुरूषों के वेतन का मात्र 47 प्रतिशत अंश वेतन प्राप्त करती है। जापान में वेतन का यह स्तर 51 प्रतिशत मात्र है। इस संदर्भ में भी विषय भेदभाव है।

स्त्रियों पर हावी होने पर पुरूषोचित अंहकार- प्रवृत्ति की पुरानी अवधारणा महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर विविध बाधाएं पहुंचाती है। विकास और प्रगति के उच्चस्तर बिंदु पर महिलाएं, पुरूषों की तुलना महिलाएं, पुरूषों में तुलना में अपनी प्रतिभा एवं क्षमता को ही अपना सोपान बनाने में सफल हुई है।

लिंग-विभेद के संदर्भ में विडम्बना यह है कि उच्चतर विकास बिंदु पर पुरूष सहायक एवं सहकर्मी पुरूष अधिकारी की तुलना में महिला अधिकारी से अधिक विशेषज्ञता एवं निपुणता की अपेक्षा रखते है। दुर्भग्यपूर्ण स्थिति यह है कि सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक परंपरा से प्राप्त महिलाओं को अपने ही लिंग से सहयोग अधिक नहीं मिल पाता है।

स्वाभाविक रूप से, इन विषम परिस्थितयों में काम करने से पुरूषों की तुलना में स्त्रियों को अत्यधिक तनाव,श्रम और हताश का सामना करना पड़ता है। इन बाधाओं का प्रतिकूल प्रभाव महिलाओं के मानस पटल पर पड़ता है और कैरियर में वे काम महत्वाकांक्षी होने लगती है।

वास्तविक स्थिति यह है कि पर्याप्त क्षमता के बावजूद अधिसंख्य महिलाएं अल्प मांग वाले रोजगार क्षेत्रों में प्रवेश करने लगती है। स्पष्ट है कि इस प्रकार के मानसिक समझौतो का कुप्रभाव उनकी कार्य प्रणाली एवं कार्य-सीमा पर पड़ता है। दीर्घकाल तक अपनी प्रतिभा के अनूकूल नौकरी न मिलने के कारण, हताशा की शिकार कामकाजी महिलाएं हो जाती है।

वस्तुत, वेतनभोगी महिलाएं रोजगार मात्र तक सीमिति नहीं होती है। उन्हें घर-गृहस्थी के उस भार को भी अच्छी तरह सम्भालना पड़ता है, जिनके प्रति लोगों में न तो कोई कृतज्ञता है और न ही इनका कोई आर्थिक प्रतिलाभ, जब कि महिलाओं का यह दायित्व अति सरलता से आवश्यक सेवा क्षेत्र घोषित किया जा सकता था।

यदि रोजगार में महिलाओं का यह दायित्व के अदृश्य निवेश को सामाजिक पहचान दी जाती तो संभवत महिलाओं से जुडी समस्याएं आज विस्फोटक रूप से अभिव्यक्त नहीं होती। लेकिन, महिलाओं द्वारा दैनिक कार्य के रूप में संपादित किए जाने वाले उन कार्यो के प्रति किसका ध्यान जाता है, जो रूग्णावस्था में भी स्थापित नहीं होते है उदाहरण स्वरूप खाना पकाना, सफाई - धुलाई , बच्चों - बड़ो एवं बीमारो की देखभाल इत्यादि। लिंग विभेद से उत्पन्न समस्याओं का सामना महिलाओं को औद्योगिक क्षेत्र में भी करना पड़ रहा है। तकनीकी विकास का प्रत्यक्ष प्रभाव महिलाकर्मियों की छंटनी के रूप में द्रष्टव्य है। उनकी यांत्रिक युक्ति के प्रोत्साहन के प्रति किसी का ध्यान नहीं है।

मातृत्व लाभ अधिनियम के कार्यन्वयन के कारण महिलाकर्मियों को रोजगार मिलना जटिल हो रहा है क्योंकि पूंजी निवेशक अपने लाभ के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नही करना चाहते। इधर,श्रम संगठनो का भी महिलाकर्मियों के सुधार की दिशा में प्रयास आंशिक है।

पंजीकृत श्रम- यूनियनों में आज भी महिलाओं की सदस्यता मात्र 10 प्रतिशत है। महिला श्रमिकों से सम्बधित मुद्दों को आज भी इन श्रम - संगठनो के कार्यो में वरीयता नहीं दी जाती है। गैर-पारंपरिक दृष्टि से काम के लिए बाहर निकलना लिंग-प्रकृति के बिंदु पर स्त्रियों के लिए उत्पीड़क होता है। सार्वजनिक यातायात प्रणाली कष्टप्रद है कि उस विषम अवस्था का दुरूपयोग पुरूष सहयात्री करते है और यहां भी स्त्रियां अपनी शारीरिक सुरक्षा हेतु तनावग्रस्त रहती है। कार्यालयों में भी इसी प्रकार की मानसिक प्रताड़ना महिलाकर्मियों को पुरूष सहकर्मियों के अवांछित ध्यानाकर्षण से झेलनी पड़ती है। यहाँ तक कि परिस्थिति का दुरूपयोग उच्चाधिकारी भी करते पाए गए है। महिलाकर्मी द्वारा उनके प्रस्ताव को अस्वीकृत किए जाने पर उच्चाधिकारियों द्वारा उनकी स्थिति दयनीय बना देने के भी उदाहरण सामने आए है। दूसरी ओर, ऐसी भी अवस्था द्रष्टव्य है कि अपनी प्रतिभा एवं क्षमता द्वारा प्रोन्नत एवं प्रशंसित की गई महिलाओं पर उनके ही सहकर्मी अपनी प्राकृतिक संरचना के दुरूपयोग के आरोप लगाते है।

सचमुच। इस प्रकार के मनोवैज्ञानिक दबाव कभी-कभी इतने उत्पीड़क हो जाते है कि महिलाएं नौकरी छोड़ने तक पर मजबूर हो जाती है। आवास की समस्या से भी विकट रूप से महिलाओं को गुजरना पड़ता है। छोटे एवं शहरों में सुविधाजनक आवास की प्राप्ति कठिन है, मकान मालिक युवा महिलाकर्मी को शंकित होकर किराए पर मकान नहीं देते है। हॉस्टल की सुविधाएं मांग की तुलना में अपर्याप्त है। इसलिए महिलाओं को गैर-स्थानांतरित नौकरियां करनी पड़ती है। फलत: उन्हें अपनी पसंद की नौकरियों के साथ समझौता भी करना पड़ता है।

निश्चित रूप से कामकाजी महिलाओं की मुख्य समस्याएं महिलाओं की स्थिति के सामाजिक पहलू में अंतनिर्हित है। पारम्परिक रूप से पुरूष भोजन/व्यवसाय- विजेता के रूप में एवं महिलाएं घर और बच्चों की देखभाल के रूप में देखी गई है। इस तरह से वर्गीय दायित्व महिलाओं के हितों पर प्रहार कर रहे है।

विधि के संदर्भ में भी, अब यह अनुभव किया जा रहा है कि विधि कार्यान्वयन ने भी पुरूषों के लिए लाभात्मक उद्देश्य प्राप्त किया है। निर्माता, प्रभावकर्ता एवं रक्षक एवं वे महिलाएं भी, जो कि विधि -प्रक्रिया में संलग्न है। अल्पांश में ही कामकाजी महिलाओं की मौलिक बाध्यताओं को समझने में सफल हुई है। इनके अतिरिक्त, महिलाकर्मियों की संख्या अभी तक उनकी कार्यस्थितियों को परिवर्तित करने हेतु पर्याप्त नहीं है।

प्रासंगिक रूप से, सबसे बड़ी आवश्यकता वेतनभोगीकर्मियों, नीति-

निर्माताओं, पारिवारिक सदस्यों , रिश्तेदारों और जन–सामान्य के मानसिक दृष्टिकोण में बदलाव की है। विवाह, मातृत्व एवं बच्चों की देखभाल पुरूषों द्वारा मात्र सम्मानित करने की नहीं, अपितु इन्हें स्त्री और पुरूष–दोनों की समान व सामान्य कर्तव्य के रूप में विश्लेषित करने की जरूरत है। नीति–निर्माताओं को अब यह समझना ही चाहिए कि महिलाएं एक विशिष्ट एवं अपरिहार्य व्यक्तित्व है, न कि पुरूषों के रिश्तों में संलग्न प्राणी मात्र। यदि महिला पुरूष की भांति बाहर काम करती है, तो घरेलू कामों में पूरे परिवार को सहयोग देना चाहिए।

कामकाजी महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने हेतु वस्तुत: विभिन्न समस्याओं के परिवर्तनकारी समाधान की जरूरत तो है ही। पितृत्व अवकांश प्रणाली वैतनिक अथव अवैतनिक रूप से आरंभ किए जा सकते है ताकि पिता गृहस्थी के दैनिक कार्यो में सहभागी तथा नवजात शिशु की देखभाल में मददगार बन सके। इस कार्य को अत्यावश्यक रूप से राष्ट्रीय मातृत्व एवं शिशु कल्याण नीति का मुख्य भाग बनाना चाहिए ताकि संगठित अथवा असंगठित– औद्योगिक, कृषि अथवा सेवा–क्षेत्रों में संलग्न कामकाजी महिलाओं की आवश्यकताओं को सहयोग मिल सके।

वास्तविकता है कि रातो–रात सामाजिक पहलुओं एवं दृष्टिकोण में पूर्ण परिवर्तन लाना संभव नहीं है किन्तु एक स्पष्ट राज्य नीति द्वारा सामाजिक विचारों को मोड़ने एवं प्रभावित करने में अति महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह दीर्घावधिक अवश्य होगी, किंतु विधि एवं विनिमय के अंतर्गत राज्य इस तरह के व्यापक परिवर्तन ला सकता है।

राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कामकाजी महिलाओं के समक्ष भारत में बल्कि यह कहें कि संपूर्ण विश्व में एक समस्या सर्वाधिक जटिल है और वह यह कि इन महिलाओं को यौन– उत्पीड़न का भी शिकार होना पड़ता है। पूर्व में केवल फिल्म–जगत् से जुड़े महिला कलाकारों के संबंध में ऐसी बातें उठती थी, जबकि वर्तमान में समाज के हर क्षेत्र में यह समस्या उत्पन्न होने लगती है। अशिक्षित लोगों द्वारा तो उन्हें सताया जाता ही था, अब तथाकथित शिक्षितों द्वारा भी उन्हें सताया जा रहा हैं।

इस संदर्भ में यह तथ्य भी ध्यातव्य है कि आजकल पुरूष अपाने–आप को आधुनिकतावादी कहते है, परंतु जब नारियां उनके साथ कार्यालय में बैठकर काम करना चाहती है या उनके साथ बैठकर यात्रा करना चाहती है, तो उनके साथ अभद्र व्यवहार करते है।

कुछ समय पूर्व न्यायालय ने अपने एक फैसले में यह कहा था कि,'न केवल महिलाओं के साथ शारीरिक छेड़–छाड़ दण्डनीय अपराध है, अपितु उनके साथ अश्लील शब्दों का प्रयोग भी दण्डनीय अपराध है', परंतु केवल कानूनों के निर्माण से समाज की सोच को तो नहीं बदला जा सकता।

महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि संक्रमण काल में सामाजिक मनोवृत्तियां सामाजिक वास्तविकताओं से पीछे छूट जाती है। पुरूष–सदस्यों सहित संपूर्ण परिवार की भूमिका सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कामकाजी महिलाओं के संदर्भ में सार्थक हो सकती है।

श्रम विधि और महिला सशक्तिकरण (एक कानूनी नजर) – किसी भी समाज में महिला एवं पुरूष उस समाज रूपी गाड़ी के दो पहियों के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं एवं समाज एवं उस राष्ट्र की प्रगति के लिए इन दोनों पहियों का सुचारू संचालन अत्यंत आवश्यक हैं। विडम्बना यह है कि हमारे समाजों द्वारा हमेशा एक ही पहिए यानी कि पुरूष को ही आज तक विशेष महत्व दिया गया और महिलाओं को उपेक्षित रखा गया जिसका परिणाम यह हुआ कि महिलाओं की स्थिति शोचनीय हो गयी। महिलाओं की ऐसी दुर्दशा के लिए समाज की पौरूष मानसिकता ही जिम्मेदार थी जिसका शिकार इन महिलाओं को होना पड़ा है।

यद्यपि पिछली शताब्दियों में भारत में नारी की छवि और उसकी सामर्थ्य में आधारभूत परिवर्तन आया है किन्तु अभी भी पुरूष की तुलना में महिला इतनी अशक्त है कि उसको सशक्त करने के लिए भारत में सन 2001 को महिला सशक्तिकरण का वर्ष घोषित किया गया। अब तक की महिलाओं की स्थिति में सुधार होने लगा है और वर्तमान समाज महिला के द्वारा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यो और पुरूषों से कन्धे से कन्धा मिलाकर उनके बराबर भूमिका निभाने से महिलाओं में निहित शक्ति को पहचानने लगा है और नारी की शक्ति का सदुपयोग करने की ओर अग्रसर हुआ है।

इस प्रकार उक्त समस्त विवेचन से लगता है कि हमारी वर्तमान श्रम विधियों एवं पंचवर्षीय योजना व संविधान एवं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ महिला कर्मकारों के सशक्तिकरण हेतु लगातार प्रयासरत है। हालाँकि महिलाओं की नियोजनों में सहभागिता पिछले कुछ दशकों में विस्तृत रूप से विकसित हुई मगर अभी बहुत ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता हैताकि प्रत्येक तरह के नियोजन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जा सके।

****

नई भूमिकाओं में महिलाएँ एवं उभरती हुई चुनौतियाँ

डॉ. संजय जोशी *

प्रस्तावना – भारतीय समाज के इतिहास में महिलाओं की स्थिति व स्थान में परिवर्तन होता रहा है। वैदिक काल में नारी की स्थिति बहुत अच्छी थी। उन्हें पुरुषों के समान शिक्षा, राजनीति, धर्म, सम्पत्ति आदि में अधिकार प्राप्त थे। उत्तर वैदिक काल से स्त्रियों की स्थिति एवं अधिकार में पतन होना प्रारंभ हुआ और आगे चलकर उनकी स्थिति अत्यन्त ही निर्बल होती चली गई। 18वीं शताब्दीं एक बार पुन: महिलाओं के लिए सुखद स्थिति के शुरुआत का संदेश लेकर आई। अनेक समाज सुधारकों के नेतृत्व में महिलाओं के लिए प्रचलित कुप्रथाओं, रुढ़ियों व अंधविश्वासों के विरुद्ध प्रखर विरोध प्रारंभ हुआ और अंतत: इनके उन्मूलन हेतु तत्कालिन ब्रिटिश शासन ने अनेक कानून पारित किए। इस प्रकार धीरे–धीरे महिलाओं की स्थिति में बदलाव आने लगा। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् तो इनकी स्थिति में तेजी से परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगा। आज कोई भी ऐसा क्षेत्र एवं ऐसा कोई कार्य नहीं है, जहाँ इनकी सशक्त दस्तक नहीं हो। शिक्षा, चिकित्सा, राजनीति, पुलिस, सेना, यातायात, संचार, अभियांत्रिकी, कानून, परिवहन, रेलवे, एयर होस्टेज, पायलट, कैप्टन, प्रशासनिक अधिकारी। इस प्रकार इन सभी क्षेत्रों में महिलाओं की उपस्थिति इस बात का परिचायक है कि महिलाओं के लिए अब कोई भी कार्य क्षेत्र ऐसा नहीं है, जो उनके लिए दुष्कर हो।

भारत में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या 121.05 करोड़ है। इनमें से 62.31 करोड़ पुरुष तथा 58.74 करोड़ स्त्रियाँ हैं। सन् 2011 में स्त्री और पुरुष अनुपात 943 था। स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय भारत में साक्षरता की दर 18.33 प्रतिशत थी। जिसमें महिला साक्षरता मात्र 8.86 प्रतिशत थी। वहीं 2011 में बढ़कर 74.04 हो गया, जिसमें महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत 65.46 प्रतिशत हैं।

उपभोक्तावादी सांस्कृतिक दौर में एक ओर यदि महिला की स्थिति मजबूत हुई है, तो दूसरी और अनेक चुनौतियाँ भी उभरकर सामने आई हैं। वैदिक युग जो महिलाओं के लिए स्वर्णिम काल कहा जाता है। निश्चित तौर पर सभी अर्थो में वह स्वर्णिम युग था। सभी क्षेत्रों में महिलाओं को वो ही अधिकार एवं सम्मान प्राप्त था, जो पुरुषों को प्राप्त था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी क्षेत्रों में कार्य करते हुए उसके समक्ष उसकी अस्मिता एवं स्थिति संतुलन से संबंधी गंभीर चुनौतियाँ नहीं थी। वर्तमान समय में महिलाएँ शिक्षा, संपत्ति एवं अर्थ प्राप्त कर अपनी प्रस्थिति मजबूत बना रही है किन्तु इसी प्रस्थिति परिवर्तन के फलस्वरुप कई गंभीर सामाजिक, पारिवारिक एवं उसकी अस्मिता से जुड़ी समस्याएँ भी उभर रही हैं। जो नीति–निर्माताओं, कानूनविद्दों, समाजशास्त्रियों एवं प्रशासकों के लिए चिन्ता का विषय है।

अंग्रेजों के आगमन के पूर्व भारत गाँव एवं कृषि प्रधान समाज था। 95 प्रतिशत भारतीयों की आजीविका का प्रमुख साधन कृषि एवं पशुपालन था। शेष 5 प्रतिशत भारतीय शिल्पकारी, दस्तकारी, छोटे–छोटे कुटिर उद्योगों एवं जाति आधारित व्यवसायों में संलग्न थे। अंग्रेजों ने भारत में उद्योगों की स्थापना की। बड़े–बड़े कल कारखानों में कार्य करने के लिए बड़ी संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती थी। यह जरुरत गाँवों में निवास करने वाले संयुक्त परिवारों के एक या दो सदस्य जाकर पूरी करने लगे। संयुक्त परिवारों से सदस्यों की पृथकता की यह प्रथम शुरुआत थी। संयुक्त परिवार लम्बे समय तक भारतीय सामाजिक संरचना की एक प्रमुख पहचान रहे हैं। कृषि एवं पशुपालन कार्य एक या दो व्यक्तियों के द्वारा नहीं किया जा सकता इसी जरुरत के कारण संयुक्त परिवारों का जन्म हुआ। धीरे–धीरे गाँव से शहर जाकर उद्योगों में कार्य करने वाले ये ग्रामीण कुछ समय पश्चात् गाँव से अपनी पत्नी व बच्चों को भी अपने साथ शहर ले आए। औद्योगिकरण व नगरीकरण का यह पहला दुष्प्रभाव भारतीय सामाजिक संरचना पर पड़ा जहाँ संयुक्त परिवार कमजोर होने लगे।

समय बीतते–बीतते एकल परिवारों की संख्या बढ़ने लगी। एकल परिवार में पत्नी की प्रस्थिति हर मामले में संयुक्त परिवार की तुलना में कहीं बेहतर होती है। उसे पहली बार समानता, स्वतन्त्रता व सम्मान का अनुभव होने लगा। आजादी के बाद विकास ने और रफ्तार पकड़ी व स्त्रियों के लिए भी आगे बढ़ने के समान अवसर उपलब्ध होने लगे। आज की भारतीय नारी 100 वर्ष पहले की महिला की स्थिति की तुलना में कहीं बेहतर स्थिति में है। शिक्षा प्राप्त कर आज वह लगभग हर क्षेत्र में कार्य कर रही है। 100 वर्ष पहले की स्त्री की तुलना यदि आज की नारी से करें तो वह हर मायने में उससे भिन्न दिखाई देगी। आज की महिला अपनी पुरानी परिधि से बाहर आकर विभिन्न भूमिकाओं में कार्य करते हुए देखी जा सकती है।

इसमें कोई दो मत नहीं है कि आज की स्त्री के समक्ष आगे बढ़ने के तमाम अवसर व द्वार खुले हुए हैं। आज की महिला को जो स्वतंत्रता, आर्थिक मजबूती, प्रतिष्ठा, निर्णय लेने एवं पसंद की स्वतंत्रता प्राप्त है वह 50 वर्ष पूर्व के समाज की महिला को नहीं थी। इन सबका एक चिंतनीय पहलु यह भी है कि महिला की इस नई भूमिका ने कई प्रकार की गंभीर पारिवारिक, सामाजिक व उनकी अस्मिता से लेकर समस्याओं व चुनौतियों को उत्पन्न किया है। जिनका भी उचित समाधान खोजे जाने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है।

इनमें से कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियों के विषय में निम्नानुसार बिंदुवार प्रकाश ड़ाला गया है –

* सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (समाजशास्त्र) स्वामी विवेकानंद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.) भारत

1. **संयुक्त परिवारों का पतन** – उद्योगीकरण, नगरीकरण, व्यक्ति–वादिता, संकीर्ण मनोवृत्ति के साथ ही संयुक्त परिवारों की महिलाओं के लिए दमघोटू प्रकृति ने भारत की सदियों पुरानी संयुक्त परिवार नामक संस्था को तोड़ने में अहम भूमिका अदा की। संयुक्त परिवार बच्चों के लिए लालन–पालन, व्यक्तित्व विकास, शिक्षा, संस्कार, नैतिक मूल्य प्रदान करने व सामाजिकता का पाठ सिखाने की आदर्श पाठशाला हुआ करते थे। समूह के बीच रहते हुए अनुकुलन व समायोजन सिखते थे। संयुक्त परिवारों के पतन के साथ ही यह पक्ष व उसकी भूमिका समाप्त हो गई है। इससे नई समस्याएँ व चुनौतियाँ उभरी है।

2. **वृद्धाश्रमों व शरणगृहों की वृद्धि** – वृद्ध व बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए संयुक्त परिवार सबसे बेहतरीन आसरा होते थे। संयुक्त परिवारों में रहते हुए उनकी देखभाल व पोते–पोतियों के बीच उनका ठीक प्रकार से समय भी व्यतीत होता था एवं बच्चे भी उनके जीवन भर के व्यावहारिक अनुभवों से सीख व शिक्षा प्राप्त करते थे। महिलाओं की नई भूमिका से आज वृद्ध सबसे अधिक उपेक्षित व दयनीय अवस्था में है तथा बच्चे जीवन जीने के सबसे महत्वपूर्ण अनुभवों व सीख से वंचित हो गए हैं।

3. **बच्चों की उचित परवरिश का संकट** – महिलाओं द्वारा घर से बाहर निकलकर विभिन्न कार्य क्षेत्रों में प्रवेश करते हुए नई भूमिका में आने से सबसे ज्यादा गंभीर समस्या व चुनौती परिवार के बच्चों व वृद्धों की उचित परवरिश व देखभाल की हुई है। यह स्थिति संयुक्त परिवारों की तुलना में एकल परिवारों में और भी विकट रुप से प्रकट हुई है। माँ बच्चों के लिए दुनिया की सबसे पहली शिक्षक व उनको गढ़ने वाली सबसे महत्वपूर्ण शिल्पी होती है। किन्तु घर से बाहर नई भूमिका में होने की वजह से वह अपने परिवार को समय देने की स्थिति में नहीं है। इसका सबसे बुरा प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है। उन्हें संस्कार देने वाला, सामाजिक नियत्रंण, संयम, आचरण व जीवन की शिक्षा देने वाला परिवार में अब कोई नहीं है। पिता तो आर्थिक उपार्जन की भूमिका की वजह से पहले ही बाहर था। महिलाओं द्वारा भी यह कार्य करने लग जाने की वजह से बच्चों के प्रति यह जिम्मेदारी निभाने वाला अब एकल परिवार में कोई नहीं है। समाज में बढ़ते हुए अपराधों के लिए आज सबसे बड़ा कारण भी यही है कि आज की युवा पीढ़ी के बच्चे काफी स्मार्ट, तेज तर्रार व होशियार होने के बाद भी संस्कार विहिन हैं, मूल्यविहिन हैं, दिशाहीन हैं, आचरण व व्यवहार कौशल में शून्य हैं। ईमानदारी, आज्ञापालन, सहनशीलता, दया, प्रेम, भातृत्व भाव एवं दूसरों को आदर व सम्मान प्रदान करने संबंधी गुणों से रिक्त हैं और यही कारण है कि संस्कार व नैतिक गुणों से विहिन यह युवा पीढ़ी किसी भी प्रकार के अपराध व दुराचरण करने से परहेज नहीं करती है। यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराधों के लिए स्वयं महिलाएँ ही जिम्मेदार हैं क्योंकि उन्होंने अपनी मूल भूमिका व बच्चों व परिवार के प्रति अपने पहले कर्त्तव्य को पद, पैसा, प्रतिष्ठा पाने में व पुरुष के बराबर समानता करने के छद्म अंहकार के कारण छोड़ दिया है। एक माँ जैसा बच्चे का निर्माण व परवरिश कर सकती है वह पालना घर, नन व दाईयाँ नहीं कर सकती। स्त्री परिवार की धुरी होती है। स्त्री के ईद–गिर्द ही बच्चे, वृद्ध व पति की भूमिकाएँ पूर्ण होती हैं व इनका अस्तित्व बना रहता है। आवश्यकता है, परिवार के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य के बाहर आ जाने की वजह से परिवार में जो रिक्तता व असंतुलन पैदा हुआ है उसे पूरा कर, नए समाधान व उपाय खोजकर इस संक्रमण काल से उचित तरीके से बाहर आया जा सकें।

4. **विवाह विच्छेद की संख्या में तेजी से वृद्धि** – एकल परिवारों के अस्तित्व में आने के बाद विवाह विच्छेद की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। पत्नी के घर से बाहर निकलकर विभिन्न व्यवसायों में संलग्न होने से घर का संतुलन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। परिवार के लिए पति व पत्नी के पास आज समय नहीं है। महिलाओं की महत्वकांक्षा व व्यक्तिवादिता में इतनी वृद्धि हुई है कि अब एकल परिवार में भी वह अनुकुलन व समायोजन नहीं कर पा रही है।

5. **चेन स्नेचिंग** – महिलाओं का कार्य के लिए बाहर जाने के कारण उनके साथ चेन स्नेचिंग के रुप में एक नए प्रकार के अपराध ने जन्म लिया है। धन के लूटने के साथ उसके जीवन के लिए भी यह कभी–कभी संकट पैदा कर रहा है।

6. **यौन दुराचरण** – कार्य स्थल व कार्य के लिए घर से बाहर निकलने पर उसके साथ यौन दुराचरण की घटनाओं में अत्यधिक वृद्धि दर्ज हुई है।

7. **बलात्कार की घटनाओं में वृद्धि** – लड़कियों के शिक्षा प्राप्त करने हेतु घर से बाहर जाने के दौरान व महिलाओं के लिए कार्य हेतु बाहर निकलने पर उनके साथ बलात्कार का अत्यन्त अमानवीय कुकृत्य एक गंभीर समस्या के रुप में प्रकट हुआ है। घर से बाहर निकलने के बाद महिलाएँ व लड़कियाँ आज अपनी अस्मिता के प्रति सुरक्षित नहीं है।

8. **युवा पीढ़ी में संस्कारों व मूल्यों का अभाव** – माँ द्वारा पूरा दिन कार्यक्षेत्र पर बिताने के कारण उससे मिलने वाले अपनत्व, उचित लालन–पालन, शिक्षा व संस्कार से आज के बच्चे पूरी तरह वंचित हो गए हैं। माँ का प्रथम शिक्षक होने वाली अवधारणा अब समाप्त होती जा रही है। यदि कहा जाए कि आज महिलाओं का नई भूमिका में आना व पुरानी भूमिका को भूल जाना ही समस्त प्रकार के अपराध व समस्याओं के लिए जिम्मेदार है तो यह अतिरेक नहीं होगा।

9. **पारिवारिक सांमजस्य व व्यवस्था संतुलन का संकट** – पुरुष के साथ ही महिला का भी अब पद, प्रतिष्ठा, स्टेट्स सिंबल, स्वतंत्रता, अर्थोपार्जन के लिए घर से बाहर निकल जाने के कारण सबसे बुरी तरह कोई प्रभावित हुआ है, तो वह परिवार है। परिवार नामक संस्था जो सुकुन, सहारा, सहानुभूति व संवेदना प्रदान करने वाली होती थी वह आज विरान व सुनसान हो गई है। कार्य के लिए पति व पत्नी दोनों का बाहर निकल जाने के कारण पारिवारिक सामंजस्य व व्यवस्था संतुलन का सबसे विकट संकट पैदा हो गया है।

10. **धन व समय का अपव्यय** – पुरुष के लिए यह कहा जाता था कि एक पुरुष के अर्थोपार्जन से परिवार के 5 सदस्य आसानी से पलते थे व उनकी आवश्यकता की पूर्ति होती थी किंतु आज पति के साथ महिलाओ के अर्थोपार्जन करने के पश्चात् भी परिवार में चार लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी सहज नहीं हो पा रही है। शायद इसका एक बड़ा कारण महिलाओं के द्वारा अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा महँगे व आवश्यकता से अधिक परिधानों का क्रय करना, ब्यूटी पार्लर, फैशन, आधुनिक गाड़ियाँ, विलासिता पूर्ण जीवन, सुविधा एवं ऐष्वर्यभोगी महँगे साधन, महँगे एंड्राइड फोन का उपभोग करना है।

11. **लीव इन रिलेशनशिप से परिवार नामक संस्था के विलुप्त होने का संकट** – महिलाओं के नई भूमिका में आने की वजह से अब परिवार नामक संस्था के अस्तित्व पर एक बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है। लड़के व लड़की दोनों के द्वारा 8–8 घंटें या 12–12 घंटें ऑफिस या घर से बाहर

कार्य करने की वजह से अब घर की जवाबदारी कोई नहीं उठाना चाहता है। इसी कारण विवाह के बंधन में भी वे बंधना नहीं चाहते हैं, बच्चों को जन्म देना, उनकी परवरिश, देखरेख की जवाबदेही भी अब लेना नहीं चाहते हैं इसी कारण वे विवाह नहीं करते हुए लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। यह स्थिति धीरे–धीरे परिवार नामक संस्था को ही विलुप्त कर देगी जो समाज व देश के लिए एक भयावह स्थिति निर्मित करेगी।

12. एसिड अटैक – महिलाओं के घर से बाहर निकलकर सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करने के पश्चात् उनके ऊपर एसिड अटैक की एक अत्यन्त विभत्स समस्या व चुनौती हमारे समक्ष उभरी है। समाज के विकृत मानसिकता वाले दानवों के द्वारा महिलाओं के साथ किए जाने वाले इस कुकृत्य ने प्रशासकों, पुलिस व न्यायाधीशों के लिए इस चुनौती से पार पाने हेतु गंभीर नीति व क्रियान्वयन हेतु सोचने को विवश कर दिया है।

समाधान – सदियों तक महिला ने घर में रहकर परिवार को संजाने, संवारने व बिखरने से रोके रखा था। घर में उसका किरदार सबसे महत्व का होता था। घर में उसके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का आकलन इसी बात से किया जा सकता है कि बच्चें, वृद्ध एवं पति की समय पर सभी आवश्यकताओं को वह बहुत ही कुशलतापूर्वक व गुणवत्तायुक्त तरीके से पूरी करती थी। उसके समर्पण, सेवा, त्याग, ममता व अपनत्व से ही सभी के व्यक्तित्व का उचित विकास होता था एवं देखभाल होती थी। किंतु पुरुष के अंहकार ने कभी उसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण सेवा को सम्मान नहीं प्रदान किया। उसके व्यक्तित्व को पुरुष प्रधान समाज पूरी तरह से निगल गया। पर्दे के पीछे सारी जिम्मेदारियों का वहन करने वाली नारी को मानवोचित सम्मान व गरिमा भी प्राप्त नहीं हो पाई। समाज का संतुलित विकास हो एवं स्त्री को भी उसका अधिकार, सम्मान व स्वतंत्रता प्राप्त हो सके इस हेतु कुछ उपाय एवं समाधान यहाँ पर प्रस्तुत किए जा रहे है –

1. महिला को भी उसकी योग्यतानुसार बाहर कार्य करने के अवसर प्राप्त हों किंतु शासन को यह प्रावधान करना चाहिए कि उसके कार्य की समयावधि 4 घंटे से अधिक ना हो एवं उनकी पदस्थापना उनके गृह निवास या उनके निकटतम स्थान पर हो।
2. बच्चे छोटे होने की स्थिति में उनकी उचित परवरिश हेतु महिला को कम से कम 5 वर्ष का अवैतनिक अवकाश बिना उसकी वरिष्ठता व सेवा ब्रेक किए मिलना चाहिए। जिससे वह उचित तरीके से संतान को संस्कारवान बना सके।
3. महिलाओं के साथ अश्लील अपराध, बलात्कार व चेन स्नेचिंग करने वालो के लिए अरब देशों मे प्रचलित मध्यकालीन कानून व दण्ड व्यवस्था का प्रावधान किया जाए।
4. महिलाएँ घर से बाहर निकलने पर अपने चेहरे व शरीर को पूरी तरह आवरणयुक्त कर बाहर निकलेगी तो संभवत वे एसिड अटैक, अश्लील दुराचरण व यौन अपराधों से अपने आप को सुरक्षित रख पाएँगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. Kapadia, K.M. 1958. "Marriage & Family in India". London: Oxford university Press.
2. Baghel, D.S. 1990. "Demography". Delhi: Vivek Prakashan.
3. Ahauja, Ram. 1982. "Indian Social System". Jaipur: Rawat Publications.
4. Shrivastav, A.P. 2004. "Social Change & Problems in India". Jaipur: Divya Prakashan.
5. सिंह, रश्मि 2012 ' स्त्री शक्ति – महिला सशक्तिकरण', योजना, नई दिल्ली।
6. मिश्र, अनिल कुमार 2010 ' महिला सशक्तिकरण– दिशा और दिशाए', (एड.) डॉ. वीरेन्द्र सिंह यादव, नई सहस्त्राब्दी का महिला सशक्तिकरण, अवधारण चिन्तन एवं सरोकार, भाग 3, दिल्ली: ओमेगा पब्लिकेशन्स।
7. भारतीय, ओमप्रकाश 2010 'वृद्ध महिलाओं की सामाजिक समस्याएँ', वाराणसी: कला प्रकाशन।
8. अग्रवाल, उमेशचंद्र ' बढ़ते बुजुर्ग, घटती सुरक्षा', वर्ष 55, अंक 12, अक्टुबर 2009

****

महिलाओं की सुरक्षा हेतु अपराध विधि एवं प्रतिकर - एक परिचय

कृष्ण वल्लभ विश्वकर्मा *

प्रस्तावना – किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सर्वोत्तम मापदंड वहाँ की महिलाओं के साथ होने वाला व्यवहार है। इस दृष्टि से महिलाओं की शिक्षा, सामाजिक स्थिति, नारी पुरूष सहचर, न्याय और अभिरक्षा और सांस्कृतिक परम्परा और आदर्श, विवाह और तलाक, वैधत्व जीवन और नारी का भरण पोषण, आर्थिक निर्भरता और स्वाधीनता सामाजिक राष्ट्रीय जीवन में कर्म की स्वतंत्रता और पुरूष वर्चस्व के क्षेत्रों में नारी का प्रवेश, यौन और सामाजिक वर्जनाएं जैसे अनेक विषयों पर विचार करना आवश्यक हो गया है। वर्तमान परिदृश्य में महिलाओं एवं बलिकाओं के विरूद्ध विभिन्न अपराधों की घटनाएं चिंतनीय विषय है, जो न केवल उनकी शारीरिक अखंडता को नष्ट करता है बल्कि व्यक्तिगत सामाजिक संबंधों के उनकी विकास की क्षमता को बाधित कर उनके जीवन व जीविका का भी प्रभावित करता है।

कुछ दशकों में विधिवेत्ताओं का ध्यान इस और आकर्षित हुआ है कि सिर्फ अपराधी को दंड देने मात्र से ही न्याय के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। वह महिला, जिसके प्रति अपराधी ने कोई अपराध कारित किया है, वह उस अपराध प्रणीति की पीड़ा को साथ लेकर सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा को भोगती रहती है। उसकी पीड़ा में इस बात से कोई अंतर नहीं आता है कि अभियुक्त को सजा दी गई है या वह दोष मुक्त हो गया है। उसकी समस्या जस की तस रहती है। अत: महिला पीड़ित को भी प्रभावी न्याय दिलाए जाने की आवश्यकता होती है। इसी तारतम्य में विधि में प्रतिकर संबंधित प्रावधान दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 357 में रखें गये है एवं समय-समय पर उसमें आवश्यकता अनुरूप संशोधन किये गयें है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से सरकार द्धारा महिलाओं की स्थिति सुधारने हेतु एवं उनके उत्पीड़न को रोकने हेतु कई संवैधानिक एवं विधिक प्रावधान किए गए है।

संवैधानिक प्रावधान – भारत का संविधान सभी भारतीय नारियों को समान अधिकार, समान अवसर, समान सुविधाएं एवं समान सुरक्षा उपलब्ध कराने की गारंटी देता है। जिनमें अनुच्छेद 14,15,15(3) 16, 39() 39(इ) 39;बद्ध एवं अनुच्छेद 42 विशेष महत्व रखते है।

अनुच्छेद 14 में समता का सामान्य नियम दिया गया है।संविधान की प्रस्तावना में परिकल्पित समता का आदर्श अनुच्छेद 14 में निहित है।

अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश,जाति,**लिंग,** जन्म स्थान के आधारों पर विभेद का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 15(3)के अनुसार इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।

अनुच्छेद 16 सार्वजनिक नियोजन के मामलों अवसर की समानता की गारन्टी करता है।

अनुच्छेद 39 के अनुसार राज्य अपनी नीति का, विशिष्टतया, इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से-

(क) पुरूष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो ;

(घ) पुरूषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो ;

(ड.) पुरूष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरूपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकुल न हो।

अनुच्छेद 42 राज्य काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करेगा।

अनुच्छेद 51 क, के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह -

(ड) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हों, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें, जो स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध है।

विधिक प्रावधान – भारतीय दण्ड संहिता 1860 में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों जैसे हत्या, आत्महत्या हेतु दुष्प्रेरण, दहेज मृत्यु, बलात्कार, अपहरण एवं व्यपहरण आदि को रोकने के प्रावधान है।

(अ) बलात्संग – बलात्संग के बारे में भारतीय दंड साहिता 1860 की धारा 375, 376 एवं 228 ए में प्रावधान है। धारा 354 भारतीय दण्ड संहिता में शीलभंग के बारे में और धारा 377 में अप्राकृतिक कृत्यों के बारे में प्रावधान हैं।

(ब) घरेलू हिंसा – संविधान में महिलाओं के अधिकारों एवं महिलाओं का उत्पीड़न रोकने के लिए अनेक प्रावधानों के पश्चात् भी अपने ही घर में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, भावनात्मक रूप से उत्पीड़ित किया जाता है। इसके निवारण के हेतु घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 अधिनियमित किया गया जो पूरे भारत में 26 अक्टूम्बर 2006 को लागू हो गया है।

(स) दहेज मृत्यु एवं क्रूरता – भारतीय समाज को नियंत्रित करने के उद्देश्य से दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 लागू किया गया। दंड विधि संशोधन अधिनियम 1983 के द्धारा धारा 304 ख दहेज मृत्यु एवं धारा 498 (क) क्रूरता पूर्ण व्यवहार से मृत्यु, के प्रावधान है –

(द) लैंगिक उत्पीड़न – भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 क मैं लैंगिक

* शोधार्थी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

उत्पीड़न से संबंधित प्रावधान इस प्रकार हैं –

1. ऐसा कोई निम्नलिखित कार्य अर्थात –

(1) शारीरिक संपर्क और अग्रक्रियाएं करने, जिनमें अवांछनीय और लैंगिक संबंध बनाने संबंधी स्पष्ट प्रस्ताव अतंर्वलित हो ; या

(2) लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई मांग या अनुरोध करने ; या

(3) किसी स्त्री की इच्छा के विरूद्ध बलात् अश्लील साहित्य दिखाने ; या

(4) लैंगिक आभासी टिप्पणियां करने, वाला पुरूष लैंगिक उत्पीड़न के अपराध का दोषी होगा।

2. ऐसा कोई पुरूष, जो उपधारा 1 के खण्ड (1) या खण्ड (2) या खण्ड (3) में विनिर्दिष्ट अपराध करेगा, वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

3 ऐसा कोई पुरूष, जो उपधारा (1) के खण्ड (4) में विनिर्दिष्ट अपराध करेगा, वह दोनो मे से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

धारा 354 ख विवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग – ऐसा कोई पुरूष, जो किसी स्त्री को किसी सार्वजनिक स्थान में विवस्त्र करने या निवस्त्र होने के लिए बाध्य करने के आशय से उस पर हमला करेगा या उसके प्रति आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, या ऐसे कृत्य का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 354 ग दृश्यरतिकता – ऐसा कोई पुरूष, जो कोई ऐसी किसी स्त्री को, जो उन परिस्थितियों के अधीन जिनमें वह यह प्रत्याशा करती है कि उसे अपराध करने वाला या अपराध करने वाले के कहने पर कोई अन्य व्यक्ति देख नहीं रहा होगा, किसी प्राइवेट कृत्य में लगी किसी स्त्री को एकटक देखेगा या उसका चित्र खीचेंगा अथवा उस चित्र को प्रसारित करेगा, प्रथम दोष सिद्ध पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नही होगी किन्तु जो तीन वर्ष की हो सकेगी दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा और द्वितीय अथवा पश्चातवर्ती किसी दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम, की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 354 घ. पीछा करना –

1. ऐसा कोई पुरूष जो –

(1) किसी स्त्री का उससे व्यक्तिगत अन्योन्यक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, उस स्त्री द्वारा स्पष्ट रूप से अनिच्छा उपदर्शित किए जाने के बावजूद, बारंबार पीछा करता है और संपर्क करता है या सम्पर्क करने का प्रयत्न करता है; अथवा

(2) जो कोई किसी स्त्री द्वारा इंटरनेट, ई–मेल या किसी अन्य प्रारूप की इलेक्ट्रौनिक संसूचना का प्रयोग किए जाने को मॉनीटर करता है;

ऐसिड द्वारा उपहति किए जाने के बारे में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 326 में प्रावधान हैं।

सुप्रीम कोर्ट नें ऐसिड अटेक के पीड़ितों के इलाज और सुविधाओं के लिए कई तरह के प्रावधान जारी किए है जो इस प्रकार है –

1. कोई भी अस्पताल ऐसिड अटेक से पीड़ित के इलाज से मना नहीं कर सकता।
2. सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों को ऐसिड अटेक पीड़ित को तत्काल कम से कम तीन लाख रूपये की मदद करनी होगी।
3. पीड़ित को मुफ्त इलाज उपलब्ध कराना भी सरकार का उत्तरदायित्व है।
4. मुफ्त इलाज का मतलब पीड़ित के अस्पताल के अलग कमरे खाने और दवाईयों के साथ–साथ सर्जरी का भी खर्च सरकार ही करेगी।
5. राज्य में ऐसिड की खुली ब्रिक्री पर रोक लगाई जाय।

प्रतिकर का अर्थ – महिला पीड़ित के सदर्भ में प्रतिकर का तात्पर्य महिला के प्रति किए जाने वाले अपराध से, महिला को होने वाली शारीरिक, मानसिक या आर्थिक क्षति की पूर्ति हेतु दिलाये जाने वाली आर्थिक सहायता हैं। प्रतिकर दिलाये जाने के विभिन्न आधार हो सकते है।

प्रतिकर से संबंधित विधिक प्रावधान – कुछ दशक पूर्व विधि आयोग की 41वी रिपोर्ट के आधार पर प्रतिकर से संबंधित प्रावधान दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा 357 में किए गए है। सन् 2008 में भारत सरकार नें महत्वपूर्ण संशोधन दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 में किए एवं पृथक से ही पीड़ित को प्रतिकर दिए जाने के प्रावधान एवं प्रतिकर संबंधित योजनाओं के लिए शासन को निर्देश उपबंधित किए हैं।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 358 निराधार के अन्तर्गत निराधार गिरफ्तार करवाए व्यक्ति को प्रतिकर देने का उपबंध किया गया है।

अपकृत्य विधि के अन्तर्गत पीड़ित व्यक्ति के लिए अनिर्धारित क्षतिपूर्ति एवं संविदा विधि के अन्तर्गत संविदा भंग द्वारा हानि से पीड़ित व्यक्ति के लिए परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की गई है।

विधि द्वारा अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 की धारा 5 के अधीन भी प्रतिकर से संबंधित प्रावधान इस प्रकार दिए है –

धारा 5 छोडे गए अपराधियों से प्रतिकर और खर्च देने की अपेक्षा करने की न्यायालय की शक्ति –

(1) धारा 3 या धारा 4 के अधीन अपराधी को छोडने का निर्देश देने वाला न्यायालय, यदि ठीक समझता है, तो उसी समय अतिरिक्त आदेश कर सकेगा। जिसमें उसे निम्नलिखित संदत्त करने के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा –

(d) अपराध के किए जाने से किसी व्यक्ति की हानि या क्षति के लिए इतना प्रतिकर जितना न्यायालय युक्तियुक्त समझता है, और

(k) कार्यवाहियों के इतने खर्चे जितने न्यायालय युक्तियुक्त समझता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन संदत्त किए जाने के लिए आदिष्ट रकम संहिता की धारा 386 और 387 के उपबंधों के अनुसार जुर्माने के रूप में वसूल की जा सकेगी।

(3) उसी मामले से जिसके लिए अपराधी अभियोजित किया जाता है उत्पन्न होने वाले किसी वाद का विचारण करने वाला सिविल न्यायालय नुकसानी दिलाने में उस किसी रकम को गणना में लेगा जो उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर के रूप में संदत्त या वसूल की गयी हो।

प्रतिकर की राशि तथा न्यायिक कार्यवाहियों पर हुए व्यय की राशि, दोनों की ही वसूली भू राजस्व संहिता की बकाया की वसूली की तरह की जा सकती है।

महिलाओं को परिवार की सम्पत्ति में पुरूषों के समान अधिकार दिए गए। दहेज पर कानूनी प्रतिबंध लगा। अब सरकार लिव इन रिलेशनशिप पर

भी विचार कर रहीं है।

सम्मान के साथ जीने अधिकार जीवन के अधिकार में शामिल है, जिसे भारत का संविधान हर नागरिक के लिए सुनिश्चित करता है। मानव होने की स्वभाविक गरिमा तथा महिलाओं को किसी भी प्रकार की हिंसा से बचानें के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों तथा घोषणाओं जैसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमेन राईट्स (UDHR) तथा महिलाओं के खिलाफ होने वाली सभी प्रकार की हिंसाओं के उन्मूलन पर आयोजित सम्मेलन का एक हिस्सा बना है। आवश्यक है समाज के संतुलित विकास के लिए अपराध के पीड़ित पक्ष की और भी ध्यान देना भी आवश्यक है। समाज को अपराध मुक्त बनाने के लिए दण्ड शास्त्र को प्रगतिशील बनाने के साथ-साथ उत्पीड़न शास्त्र का भी विकास किया जाना चाहिए, जैसा कि यूरोपीय देशों में हो रहा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. एन. वी.परांजपे विधि शास्त्र एवं विधि के सिद्धांत।
2. डॉ. जय नारायण पाण्डे भारत का संविधान।
3. डॉ. एन. वी. परांजपे अपराध शास्त्र एवं दंड प्रशासन।
4. डॉ. एन. वी. परांजपे दण्ड प्रकिया संहिता 1973

****

भारतीय समाज में महिलाओं की सामाजिक स्थिति और लैंगिक न्याय के परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन परक अध्ययन

अंसीम कुमार शर्मा *

प्रस्तावना – भारतीय समाज में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक स्थितियों का अध्ययन भारतीय समाज की धार्मिक व पारिवारिक तथा सांस्कृतिक व्यवस्थाओं के परिप्रेक्ष्य में करना आवश्यक है। भारत के समाज में सामाजिक मूल्यों में नारी के पिछड़ेपन का मुख्य कारण यौन शुचिता की पुरूष प्रधान मानसिकता है, जिससे बाल विवाह, बेमेल विवाह, पराया धन, दहेज जैसी बुराईयों को जन्म दिया। ऐसा नहीं है कि भारतीय समाज व्यवस्था में नारी को पिछड़ापन ही मिला है। इस देश की धार्मिक व्यवस्था ने महिला को देवी भी माना है। सीता के प्रति राम का उदाहरण भी है। परन्तु समय और हालातों में बदलते हुए सामाजिक जीवन ने महिलाओं को पुरूषों की तुलना में दूसरे दर्जे पर पहुँचा दिया। इसका विपरीत प्रभाव महिलाओं की शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, उनकी आर्थिक सामर्थ्य पर पड़ा। पुरूषों की तुलना में महिलाओं में अशिक्षा, आर्थिक अक्षमता, कुपोषण, उत्पीडन जैसे व्यवहार अधिक परिलक्षित हुए परन्तु अब संवैधानिक शासन व्यवस्था और विकास के आयामों ने विचारों और मूल्यों में परिवर्तन को जन्म देना शुरू कर दिया है। आज महिलाएँ शिक्षा में आगे आई है। आर्थिक रूप से सशक्त हुई है। सामाजिक परंपराओं का जंजाल तोड़कर मनपसंद विवाह, वस्त्रों को धारण करने की स्वतंत्रता, पुरूषों के साथ कन्धा मिलाकर काम करने की, बराबरी से जीने की आजादी महिलाओं ने प्राप्त की है।

संविधान और महिलाओं का पक्ष – लैंगिक न्याय व लिंग असमानता के मुद्दे पर भारत के संविधान ने भाग 3 मूल अधिकारों में संरक्षात्मक विभेदीकरण के माध्यम से एक ओर तो महिलाओं को समानता का अधिकार दिया वहीं दूसरी ओर उनके लिए विशेष संरक्षात्मक कानूनों को अधिनियमित करने की राज्य को अनुमति दी। संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्वों में महिलाओं के उत्थान, विकास एवं कल्याण के कई सारे तत्वों को शामिल किया। इनमें सबसे प्रबल समान काम के लिए समान वेतन एवं प्रसूति सहायता के उपबंध हैं। जो विशेष रूप से महिलाओं के कल्याण के लिए हैं। हमारे संविधान की प्रस्तावना[1] में प्रतिष्ठा और अवसरों की समता, तथा व्यक्ति की गरिमा जैसे शब्दों का प्रयोग हमारे समाज में लैंगिक न्याय की अवधारणा को पुष्ट करते हैं और महिलाओं को व्यक्तित्व विकास और गरिमापूर्ण जीवन की संकल्पना से जोड़ते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 मूल अधिकारों में विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण महिलाओं और पुरूषों को समानता प्रदान करता है। अनुच्छेद 15 में लिंग आधारित भेदभावों को निषिद्ध किया गया है, और लैंगिक न्याय की अवधारणा को बल दिया है। यह अनुच्छेद समस्त नागरिकों को लिंग समानता की प्रत्याभूति देता है। संविधान का अनुच्छेद 15(3) राज्य को महिलाओं के लिये विशेष उपबंध करने के लिये सशक्त करता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 16(1) लोक नियोजन में अवसरों की समानता का अधिकार देकर लिंग समानता के अधिकार को प्रत्याभूत करता है। अनुच्छेद 16(2) लैंगिक समानता की अवधारणा को और अधिक विशेषीकृत करता है।

इन मूल अधिकारों का निर्वचन करने में न्यायालयों ने भी सहयोगात्मक भूमिका निभाई है। एक निर्णय में जब यह प्रश्न उठाया गया कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 497 में जार कर्म के लिए पुरूषों को तो दण्डित किया जा सकता है, परंतु महिलाओं को दुष्प्रेरण के लिये दण्डित नही किया जा सकता, जो कि असंवैधानिक और समानता के विरूद्ध है। न्यायालय ने कहा कि भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को देखते हुए यह धारा असंवैधानिक नहीं है और महिलाओं को संरक्षण देना जरूरी है।[2] एयर इंडिया बनाम नरगिस मिर्जा[3] के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने एयर इंडिया द्वारा बनाए गए नियमों को इसलिये असंवैधानिक घोषित कर दिया क्योंकि वे अयुक्तियुक्त और मनमाने थे। इस मामले में महिलाओं की वैवाहिक स्वतंत्रता और गर्भधारण के संबंध में एयर इंडिया द्वारा नियम बनाए गये थे। यह निर्णय लिंग समानता की दिशा में महत्वपूर्ण रहा है। प्रगति वर्गिज़ बनाम सिरिल जार्ज वर्गिज़[4] के निर्णय में बम्बई उच्च न्यायालय ने भारतीय तलाक अधिनियम की धारा 10 को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित किया कि वह लिंग आधारित भेदभाव करती है और अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण करती है, अत: असंवैधानिक है। इस मामले में भारतीय तलाक अधिनियम की धारा 10 के अनुसार ईसाई महिलाओं को तलाक के लिए क्रूरता के अतिरिक्त जारकर्म या परित्याग भी साबित करना आवश्यक था। जबकि पति के लिए सिर्फ जारकर्म साबित करना आवश्यक था, न्यायालय ने माना कि यह अनुच्छेद 14 एवं 15 का अतिलंघन करती है। डेनियल लतीफी बनाम भारत संघ[5] के मामले में मुस्लिम महिला (तलाक के अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 की धाराओं 3 और 4 की संवैधानिकता को चुनौती दी गई। इन धाराओं में एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला को इद्दत की अवधि के बाद भी भरण पोषण मांगने का अधिकार दिया गया है, अगर वह कमाने में असमर्थ है। उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया कि यह अधिनियम विधिमान्य है और अनुच्छेद 14 का अतिलंघन नहीं करता है। भगवन्ती बनाम भारत संघ[6] के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने माना है कि परिवार पेंशन देने में सेवा के दौरान विवाह और सेवा से निवर्तमान होने के बाद विवाह के आधार पर भेद करना सही नही है और अनुच्छेद 14 के विरूद्ध है। न्यायालय ने कहा कि सेवा से निवर्तमान होने के बाद सरकारी कर्मचारी की विवाहित पत्नी और बच्चे परिवार पेंशन पाने के हकदार हैं। लतासिंह बनाम उत्तरप्रदेश राज्य[7] का निर्णय विवाह की स्वतंत्रता के अधिकार पर महत्वपूर्ण है। इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि एक वयस्क बालिका को

* अतिथि विद्वान, शासकीय विधि महाविद्यालय, शाजापुर (म.प्र.) भारत

अपनी इच्छा से किसी भी व्यक्ति के साथ विवाह की स्वतंत्रता है, चाहे विवाह अंतर्जातीय ही क्यों न हो। विक्रमदेवसिंह तोमर बनाम बिहार राज्य[8] के निर्णय में न्यायालय ने नारी निकेतन की दुर्व्यवस्था पर 'मानव गरिमा से जीने के अधिकार' का पक्ष लेते हुए नारी निकेतन के भवन की मरम्मत वास योग्य सुविधाए जिनमें स्वच्छ पेयजल, प्रकाश, स्वच्छ माहौल प्रदान करने की बात कही। आर.डी. उपाध्याय बनाम आंध्रप्रदेश राज्य[9] के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने जेल में विचारण के दौरान रहने वाली महिलाओं के बच्चों की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि इन महिलाओं के बच्चों को भोजन, चिकित्सा सहायता, वस्त्र आदि सुविधायें पाने का हक है। बोधिसत्व गौतम बनाम शुभ्रा चक्रवर्ती[10] के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि बलात्कार जैसे जघन्य अपराध से पीड़ित महिला को अंतरिम प्रतिकर न्यायालय दे सकता है।

न्यायिक सक्रियता का नारी सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान – भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने विशाखा मामले के निर्णय में एक क्रांतिकारी कदम उठाया और विधान की अनुपस्थिति में मार्गदर्शक सिद्धान्तों को प्रस्तुत कर विधान मण्डल से चार कदम आगे बढ़कर महिलाओं के यौन उत्पीडन जैसे गम्भीर प्रश्न को संरक्षण के विधिशास्त्र से जोड़ा। नारी उत्थान से जुडा यह न्यायिक निर्णय न्यायिक सक्रियता का परिचय देता है। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य[11] के निर्णय में श्रमिक महिलाओं के साथ उनके कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीडन को रोकने के लिए कानून न बन जाने तक विस्तार से मार्गदर्शक सिद्धांत लागू करने की बात कही। न्यायालय ने माना कि हमारे देश के कानून कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीडन से बचाने हेतु पर्याप्त संरक्षण प्रदान नहीं करते हैं और अब तक इस विषय पर कोई ठोस कानून नहीं है। (अब बन चुका है।) अत: जब तक विधान मण्डल कानून नहीं बनाता है, तब तक इन मार्गदर्शक सिद्धांतों का अनुसरण किया जाये। न्यायालय ने कहा कि प्रत्येक नियोक्ता और अन्य व्यक्तियों की यह जिम्मेदारी है कि काम के स्थान या अन्य स्थानों में चाहे निजी हो या सार्वजनिक, श्रम कार्य करने वाली महिलाओं को यौन शोषण से बचाने के लिये समुचित व्यवस्था की जाए। इसी प्रकार का एक अन्य निर्णय जो कि न्यायिक सक्रियता का परिचय देता है, दिल्ली डेमोक्रेटिक वर्किंग वुमेन फोरम बनाम भारत संघ[12] का निर्णय है। इस मामले में महिलाओं के साथ घट रहे यौन अपराधों को लेकर न्यायालय ने ऐसे अपराधों के शीघ्र विचारण तथा पीडित महिलाओं को प्रतिकर एवं पुनर्वास करने पर बल देने हेतु मार्गदर्शक सिद्धांत विहित किए हैं। इस निर्णय में न्यायालय ने महिलाओं को प्रतिकर और पुनर्वास के लिये निम्न सिद्धांत विहित किये हैं –

1. यौन अपराध से पीड़ित महिला को आपराधिक न्याय प्रणाली में अन्वेषण, विचारण, अपील जैसे प्रत्येक स्तर पर एक योग्य अधिवक्ता की विधिक सहायता उपलब्ध कराने की बात कही तथा कहा कि महिला को विधिक सहायता के इस अधिकार की बात बताई जाए और ऐसे मामले में आखिरी तक उस अधिवक्ता की सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
2. ऐसी कानूनी सहायता थाने पर देना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि महिला की मनोवैज्ञानिक स्थिति व्यथित होती है।
3. ऐसी विधिक सहायता की जानकारी पुलिस द्वारा पुलिस रिपोर्ट में उल्लेखित की जानी चाहिए।
4. पुलिस थाने में ऐसे वकीलों की सूची होनी चाहिए, जो ऐसे मामलों में काम करना चाहते हैं।
5. बलात्कार के सभी मामलों में पीडित की पहचान गुप्त रखनी चाहिए।
6. संविधान के अनुच्छेद 38 के प्रकाश में आपराधिक क्षति प्रतिकर बोर्ड का गठन किया जाए जो उन्हें सहायता दे क्योंकि ऐसा व्यक्ति आर्थिक अक्षमता का शिकार होता है क्योंकि यह अपराध मानसिक रूप से तोड़ देते हैं, जिससे काम करने की क्षमता कम हो जाती है।

भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण से जुडे विधिक प्रयास – भारत में महिलाओं के कल्याण एवं विकास का कानूनी पक्ष भारतीय संविधान के लागू होने के बाद प्रबल रूप से सामने आया। इस संबंध में महत्वपूर्ण परिवर्तन स्वीय विधियों का संहिताकरण जो कि हिन्दू विधि में हुआ, अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार चार महत्वपूर्ण कानून हिन्दू विवाह अधिनियम 1955, हिन्दू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम 1956 अत्यंत महत्वपूर्ण है। विशेष विवाह अधिनियम 1954 भी इस क्षेत्र में है। इस प्रकार महिलाओं को तलाक, भरण पोषण, उत्तराधिकार जैसे आवश्यक उपचार मिले, जो महत्वपूर्ण है। दत्तक ग्रहण और संरक्षकता के विषय पर महिलाओं के अधिकारों को बल मिला। दहेज प्रतिषेध कानून 1961 के माध्यम से दहेज जैसी सामाजिक बुराई के विरूद्ध आपराधिक कानून का आना एक आवश्यक कदम था। मद्रास देवदासी निवारण अधिनियम 1947 ने देवदासी प्रथा की समाप्ति की।

प्रसूति प्रसूविधा अधिनियम 1961 – प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम का उद्देश्य महिला कर्मकारों को सामाजिक न्याय प्रदान करना है। अत: इस अधिनियम के उपबंधों की व्याख्या करते समय न्यायालय को उदारवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जिससे कि न केवल महिला कर्मकारों का भरण पोषण हो सके। वरन् वे अपनी खोई हुई शक्ति को वापस प्राप्त कर सके, शिशुओं का पालन पोषण हो सके तथा अपनी पूर्व कार्य क्षमता को बनाए भी रख सके।[13]

खान अधिनियम 1952 – इस कानून में भी खानों में बच्चों के काम पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि किसी भी महिला को किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी किसी खान में जो भूमिगत है, नियोजित नहीं किया जायेगा। किसी भी महिला को खान में जो भूमि की सतह के ऊपर है, सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बाद नियोजित नहीं किया जाएगा।

समान मजदूरी अधिनियम 1976 – इस कानून के अंतर्गत महिलाओं के साथ मजदूरी संदाय में पुरूषों की तुलना में किसी भी भेदभाव को निषेध किया गया है। इस कानून की धारा 4 में कहा गया है कि कोई भी नियोजक किसी भी कर्मकार को जो उसके यहाँ काम करता है, जो महिला है, उसी के समान कार्य करने वाले अन्य कर्मकारों की अपेक्षा कम मजदूरी नही दे सकता है।

इरेन फर्नान्डिस बनाम न्यू फार्मा प्राइवेट लिमिटेड[14] के निर्णय में न्यायालय ने यही बात कही कि जहाँ समान मजदूरी की मांग की जाती है, तो उस व्यक्ति के लिए यह सिद्ध करना जरूरी हो जाता है कि उसके कार्य का दायित्व, कार्यकुशलता तथा परिश्रम उसी प्रकार का है, जैसा कि उसके विपरीत लिंग का है। मैकिमान मैकेन्जी बनाम आडरी डी कोस्टा[15] के निर्णय में न्यायालय ने यह व्यक्त किया कि एक ही व्यवसाय अथवा संगठन में एक ही प्रकार के संलग्न पुरूषों और स्त्रियों के पारिश्रमिक में कोई विभेद नहीं होना चाहिए।

कारखाना अधिनियम 1948 – इस कानून की धारा 19 के अंतर्गत

शौचालय तथा मूत्रालय की पर्याप्त व्यवस्था तथा महिला एवं पुरूषों के लिए उचित घेरा और निजी स्थान होना चाहिए। इस प्रकार के स्थान पर हवा और प्रकाश की व्यवस्था पर्याप्त होना चाहिए। धारा 48 के अनुसार प्रत्येक ऐसा कारखाना जहाँ 30 से अधिक महिला कर्मकार नियोजित है, ऐसी महिला कर्मकारों के 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए पालन पोषण की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए।

निष्कर्ष – महिलाओं के विकास एवं कल्याण में जितने भी विधिक उपाय किए जा सकते थे, अधिकांशत: किए गए हैं, यद्यपि कार्यपालिक कार्यों में अभी और भी बहुत से काम किए जाने हैं, जो कि महिलाओं के विकास से जुडे नीतिगत ढांचे में प्रशासनिक जवाबदेही के संबंध में किए जाने हैं। इसके अतिरिक्त सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं में भी वृद्धि करनी होगी। योजनाओं का लाभ भ्रष्टाचार से बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है, जो कि भारत जैसे विकास की ओर बढते हुए राष्ट्र में महिलाओं के विकास में बहुत बड़ी बाधा है।

शोधकर्ता ने अपने शोधपत्र में जब कई सारे प्राथमिक स्त्रोत के डाटा का विश्लेषण किया तो पाया कि योजनाओं में विशेषकर महिलाओं के रोजगार से जुडी योजनाओं में भारी भ्रष्टाचार है। बालिका शिक्षा में अभी भी अपेक्षित गति नहीं है। सरकार को और ज्यादा सुदूर ग्रामीण एवं कस्बाई क्षेत्रों में शैक्षिक संस्थाओं का विकास करना होगा क्योंकि ग्रामीण एवं कस्बाई इलाकों के लोग अभी भी बालिकाओं के प्रति वैचारिक पिछडापन रखते हैं और बच्चियों को स्कूल नहीं भेजते हैं।

कानूनी तौर पर महिलाओं के कल्याण एवं विकास में कई सारे कदम उठाए हैं। लिंग समानता और लैंगिक न्याय आज विधिक क्षेत्र की सर्वाधिक महत्वपूर्ण चिंता भी है। दिल्ली में घटी आपराधिक घटना और महिलाओं के विरूद्ध बढते अपराधों को देखते हुए संसद ने यौन अपराधों के विरूद्ध कडे कानूनी प्रावधान किए हैं, परंतु शोधकर्ता ने अपने व्यवहारिक अध्ययन में पाया कि हमारे देश की आपराधिक अन्वेषण प्रणाली अब भी वैज्ञानिक और सामाजिक सहयोग की नहीं है, जिसके फलस्वरूप कानूनों के क्रियान्वयन में अपेक्षित कुशलता नहीं है। अभी भी कानूनों के प्रति जनजागरूकता का वहाँ अभाव है, जहाँ वास्तव में शोषण और अपराध है और दूसरी ओर ऐसे भी मामले सामने आए हैं, जहाँ झूठे मामले और झूठी रिपोर्ट कराई जाती है। ये एक प्रकार की दुविधापूर्ण स्थिति है और इससे निपटकर न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के निर्माण में जनसहयोग की ज्यादा अपेक्षा है। वैज्ञानिक साक्ष्यों का अत्यधिक उपयोग फॉरेन्सिक विज्ञान की ढांचागत व्यवस्था द्वारा समुचित समय में अन्वेषण एवं न्यायिक विचारण में साक्ष्य की उपलब्धता जैसे विषय पर अभी आवश्यक काम करना होगा। पुलिस प्रशिक्षण यौन अपराधों के लिए आयोजित करना जरूरी है, ताकि ऐसे मामलों में सामाजिक–विधिक–वैज्ञानिक सहयोगात्मकता को प्रभावी बल मिले।

महिलाओं के विकास में चाहे कितने भी कानूनी एवं योजनागत प्रयत्न कर लिए जाए, सब अधूरे हैं, अगर हम सामाजिक जागरूकता और सहयोगी रवैया नहीं बना पाते हैं, आज भी महिलाओं के विषय में यह बात जरूरी है कि हम बालिका अशिक्षा, कुपोषण मुक्ति, बेटा–बेटी का भेद, दहेज प्रथा जैसा सामाजिक–पारिवारिक रवैयों में बदलाव न कर दें। कानून प्रभावी नहीं होता, जब तक समाज जागरूक नही होता। भारत में कानूनों की असफलता का मुख्य कारण सामाजिक जाग्रति का अभाव और जनवर्गों का आवश्यक मुद्दों पर उपेक्षापूर्ण रवैया है। यह शोधपत्र यही निष्कर्ष पाता है कि हमें सामाजिक–विधिक–पारिवारिक सहयोगी कदम उठाने होंगे। तभी महिलाओं के कल्याण का संवैधानिक–विधिक–सामाजिक लक्ष्य पूरा हो पायेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. उद्देशिका, भारत का संविधान ।
2. युसुफ बनाम मुम्बई राज्य, ए.आई.आर. 1954 एस.सी. 321
3. ए.आई.आर. 1981 एस.सी. 1829
4. ए.आई.आर. 1997 बम्बई 349
5. ए.आई.आर. 2002 एस.सी. 3958
6. ए.आई.आर. 1989 एस.सी. 2038
7. ए.आई.आर. 2006 एस.सी. 2522
8. ए.आई.आर. 1988 एस.सी. 1782
9. ए.आई.आर. 2006 एस.सी. 1946
10. (1996)1 एस.सीसी. 490
11. ए.आई.आर. 1997 एस.सी. 3011
12. (1995) एस.सी. 14
13. वी. शाह बनाम लेबर कोर्ट, कोयम्बटूर, ए बाई आर 1978, सु.को.12
14. 1997 (76) एफ एल आर 530
15. 1987 (54) एफ एल आर 530

****

समाज में महिलाओं की स्थिति और कानूनों का उस पर प्रभाव

संध्या वर्मा *

प्रस्तावना – 'यत्र नार्यस्तु पुज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता:।'

आज हमारा देश विकास के क्षेत्र में उत्कृष्टता की ओर अग्रसर है। फिर भी हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति तथा उनके प्रति होने वाले अपराधों की संख्या में बढोत्तरी हो रही है। विभिन्न प्रकार के कानूनों के प्रावधान होने पर आज भी महिलाओं के प्रति अत्याचार हो रहे है। जो बहुत ही दयनीय स्थिति को स्पष्ट करते है क्योंकि स्त्री समाज का एक अभिन्न अंग है।

महिलाओं की परिस्थिति किसी समाज के मानवीय सामाजिक सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों का मापमान है। महिला और पुरूष दोनों के समन्वय से ही परिवार और परिवार से ही समाज का निर्माण होता है। प्रसिद्ध समाज शास्त्री कान्टे ने कहा है कि समाज सामाजिक सम्बन्धों का ज्ञान होता है। बिना महिला और पुरूष के परिवार और परिवार से समाज की कल्पना करना असम्भव है। परन्तु हमारे वर्तमान समाज का आधा हिस्सा आज भी विभिन्न प्रकार के गम्भीर और विकट परिस्थितियों का सामना कर रहा है। मानव सभ्यता के प्रारम्भ से ही महिलाओं को समाज में अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। समाज पुरूष प्रधान रहा है। इसलिये पुरूष जाति में महिलाओं को दासी का दर्जा दिया हैं या देवी का, लेकिन समानतया या समकक्षता का दर्जा कभी भी नहीं दिया है

नारी को लक्ष्मी के रूप में माना जाता है, वह परिवार की आधारषिला होती है। समाज तथा देश का विकास बहुत कुछ उसके प्रयत्नों पर निर्भर करता है। नारी समाज की धरोहर होती है। वह गृहस्थ जीवन की धुरी होती है। नारी के बिना परिवार की कल्पना करना असम्भव है। महात्मा गॉधी ने अपने शब्दों में कहा है कि एक नारी को शिक्षित करना हर परिवार को शिक्षित करना है किन्तु एक पुरूष को शिक्षा देना केवल एक व्यक्ति को शिक्षित करना है। प्रकृति में महिला नारी के रूप में मूर्त होकर नर के लिए अनन्तकाल से प्रेरणा और शक्ति का स्रोत रही है। नारी से शक्ति प्राप्त कर नर शक्तिवान कहलाता है। अक्षय शक्ति की स्रोत नारी के जीवन विकास पर ही पुरूष के जीवन का उत्कर्ष निर्भर है। नारी पुरूष के जीवन की उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक प्रभावित और निर्देशित करती रहती है। नारी पुरूष जीवन के सृजन, पोषण और उन्नयन की आधार शिला है। समाज में व्यवस्था, शान्ति और यश की अवस्थापना में नारी का महत्वपूर्ण योगदान होता है।

समाज रूपी रथ, नर एवं नारी इन दो पहियों पर ही प्रतिमान होता है। यदि एक भी पहिया दुर्बल होता है तो उस समाज रूपी रथ की गतिशीलता प्रभावित होती है। वास्तव में नारी अपने उदात्त वृत्तियों को लगाकर अज्ञानाथ मानव को मानव कहलाने की अधिकारी बना देती है। इसमें कोई दो मत नहीं के सदियों से नारी का शोषण होता आया है। नारी को उपेक्षित माना गया है तथा उसे विभिन्न प्रकार की यातनाए सहनी पड़ी है।

प्राचीनकाल में स्मृतियों में नारी को अति आदर की दृष्टि से देखा गया है कि प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल में देश में बहुत अन्दर जा चुका है। नारी का स्थान सर्वदा पुरूषों के नाम से प्रथमत्तर रहा है। इसी कारण राधेश्याम ने राधिका का नाम पहले गौरीशंकर, सीताराम में नारी का नाम पहले लिखा जाता है।

भारतीय समाज में नारी दुर्गा, लक्ष्मी सरस्वती एवं शक्ति स्वरूपा होती है। वह कई रूपों में जैसे माता, पत्नि, बहिन, बेटी, सेविका आदि होती है। महिलाओं की स्थिति में सुधार लाए बिना किसी भी सभ्य समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। 'स्त्री' ही व्यक्ति को बनाती है घर कुटुम्ब बनाती है जाति और देश को भी।'

इसमें कोई शक नहीं है कि सदियों से नारी का शोषण होता आया है, नारी को उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया है। उसे विभिन्न प्रकार के कष्टों और यातनाओं को सहना पड़ा है। मध्यकाल में मुसलमानों के आक्रमण से हिन्दू समाज का मूल ढॉचा चरमरा गया है और वे परतंत्र होकर मुसलमान शासकों का अनुसरण करने लगें। नारी मात्र एक भोग विलास और वासना तृप्ति का साधन रह गयी। नारी को एक निर्जीव सम्पत्ति की तरह आदान–प्रदान का साधन माना गया। विष कन्याओं का प्रयोग अपने प्रतिद्धन्दी के विरूद्ध किया गया। बदलते सामाजिक परिवेश में महिलाओं के विधिक अधिकारों की प्रासंगिकता और उनके प्रति सजगता सामाजिक जीवन का अहम मुद्दा है। जहॉ आज न केवल चेतन समाज वरन् पेड़ पौधे पर्यावरणीय अधिकारों के लिए विधि निर्मित हो गए है। वहीं नारी सदियों से केवल व्यवहारिक विधियों के सहारे जीवन की इतिश्री कर लेती है। महिलाओं के अधिकारों के छिना जा रहा था, उसके ऊपर कई प्रकार के वज्रपात हो रहे थे। इन सब समस्याओं के समाधान के लिए आन्दोलन चलाया गया। आजादी के बाद नारी अधिकारों की रक्षा के लिए विधिक स्तर पर सर्वाधिक प्रयास हुए फिर भी महिला उत्पीड़न के मामले में वृद्धि ही हुई है। वर्तमान समय में महिलाओं की प्रकृति में बहुत अन्तर आ गया है। समस्त आधार–विचार, खान पान, रहन–सहन बदल चुका है। वैचारिकता के सम्बन्ध षिथिल हो चुके है। जिसमें महिलाओं की स्थिति में बदलाव आया है।

ऐसी स्थिति में विचार उठता है कि हम चाहें कितना ही विधि क्यों न बना दे उससे कोई लाभ नहीं होगा। केवल विधि को बना देने से उन पर होने वाले अत्याचार बन्द नहीं होगें। समाज में सामाजिक दृष्टिकोण और चिन्तन में परिवर्तन लाने से ही उन पर अत्याचार बन्द होगें।

आज आवश्यकता इस बात की है कि नारी को शिक्षित और जागरूक बनाया जाए। उसे अपने अधिकारों का बोध कराया जाए तथा इस योग्य बनाया जाए कि वह स्वयं अपने अधिकारों की रक्षा कर सके तथा कुरीतियों

* सहायक प्रवक्ता, चौ0 चरण सिंह विधि महाविद्यालय, हैंवरा, इटावा (उ.प्र.) भारत

का विरोध व विनाश कर सके जिससे नारी को समाज में बराबरी का दर्जा मिल सके।

आज विकसित सामाजिक परिवेश में महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में पदार्पण हो रहा है। जिसमें कि पुरूष अपने पुरूष अपने पुरूषार्थ का परिचय देते रहे है। वर्तमान समय में महिलाए राजनीति से लेकर वैज्ञानिक, आर्थिक एवं वैज्ञानिक क्षेत्रों में क्रान्तिकारी कार्य कर रही है। इनकी समाज सेवा भी ऐसी है। जिसके लिए मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की जा सकती है। मान्टेसरी की शिक्षा क्रान्ति, फ्लोरेंस, नाइटिगल का रेडक्रास आन्दोलन मैडमक्यूरी का वैज्ञानिक अनुसंधान मदर टैरेसा, मेरीस्टोप का परिवार नियोजन कार्यक्रम ऐसी उपलब्धियॉ है, जिनका चिर काल तक भाव भरा स्मरण होता रहेगा।

वर्तमान समय में महिला अधिकार एक विकसित पदावली है। महिलाओं के अधिकारों को आवश्यकतानुसार समय-समय पर विधि द्वारा विनिर्मित अधिनियमित एवं संरक्षित किया जा रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए बहुत पहले से ही प्रयास प्रारम्भ हो गये थे। महिलाओं को न्याय समानता और अधिकारों के लिए प्रथम महिला अधिकार सम्मेलन वर्ष 1948 अमेरिका में सम्पन्न हुआ। इससे पूर्व सन् 1611 में अमेरिका में मेसाच्युसेटस राज्य में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला जिसे सन् 1780 में वापस ले लिया गया था। जबकि इसी वर्ष फ्रांस में राजनीतिक कांड सेंट में महिलाओं का शिक्षा नौकरी प्रदान करने तथा राजनीतिक में भाग लेने की मॉग की थी। वर्ष 1840 में अमेरिका में लुक्रिषिया ने इक्कल राइट एसोसियेशन अर्थात समान अधिकार संगठन की स्थापना करके अन्य महिलाओं की भांति निग्रो महिलाओं के समान अधिकारों की मॉग की थी। महिला अधिकार के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण पड़ाव 08 मार्च 1857 में आया जब कार्यरत महिलाओं ने पुरूषों के समान वेतन एवं 10 घण्टे के कार्य दिवस के निर्धारण हेतु हड़ताल की थी। सन् 1851 में आया जब कार्यरत महिलाओं ने पुरूषों के समान वेतन एवं 90 घण्टे कार्य दिवस के निर्धारण हेतु हड़ताल की थी। सन् 1851 में सोवियत संघ के सॅन्टपीटर्सबर्ग मे महिला मुक्ति आन्दोलन का सुत्रपात हुआ था। सन् 1869 फ्रांस के प्रसिद्ध लेखक विक्टर ह्युगों के संरक्षण में महिला अधिकार, संगठन की स्थापना की। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इसी प्रकार महिला अधिकार और सशक्तिकरण की बात उठती रही और उसके प्रयास होते रहे, जिसका एक विस्तृत इतिहास है।

मानव अधिकार सम्बन्धी संधियों के अन्तर्गत भारत द्वारा स्वीकृत महिलाओं की स्थिति में सुधार से सम्बन्धित स्वीकृत दायित्वों के अतिरिक्त इस सम्बन्ध में संवैधानिक उपबन्ध भी भारतीय गणराज्य से यह अपेक्षा करते है कि वह महिलाओं के मौलिक अधिकारों एवं बुनियादी स्वतंत्रताओं के प्रोत्साहन तथा संरक्षण के लिये आवश्यक विधिक, प्रशासानिक एंव अन्य उपाय को तथा आवश्यक उपगम रणनीति कार्य योजनाओं एवं कार्यक्रमों को विकसित एवं लागू करे।

इस प्रकार नैतिकता सम्बन्धित दोहरे माप-दण्ड में चिन्तनशील सामाजिक व्यक्तियों को इस दिशा में सोचने और महिलाओं की स्थिति सुधारने लिए प्रेरित किया। राजाराम मोहन राय ने 1829 में सती प्रथम विधि द्वारा बन्द करवाया। ईश्वर चन्द्रविधा सागर ने बहुपत्नि विवाह एवं पुनर्विवाह निषेध का विरोध किया। जिसके फलस्वरूप सन् 1856 में विधवा पुन: विवाह अधिनियम पारित किया गया। सन् 1872 में विशेष विवाह अधिनियम पारित किया गया जिसके द्वारा विधवा पुनर्विवाह एवं अन्तर्जातीय विवाह को मानवता प्रदान की गयी। इस अधिनियम के द्वारा एक विवाह प्रथा को अनिवार्य कर दिया गया।

सन् 1917 में महिलाओं के हितों पर ध्यान देते हुए भारतीय महिला समिति गठित की गई। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय महिला संघ, अखिल भारतीय स्त्री शिक्षा संस्था कस्तूरबा गॉधी स्मारक ट्रस्ट आदि महिला संगठनों में महिलाओं की निर्योग्यता को दूर करने सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने एवं स्त्री शिक्षा का प्रसार करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण कार्य किया। वर्तमान में नारी की भूमिका अहम हो चुकी है। किसी भी समस्या में सभ्यता का स्तर समृद्धि और विकास की दर जानने के लिए वहॉ की महिलाओं की दशा जानना जरूरी है। महिलाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने, आर्थिक रूप से सम्पन्न, स्वावलम्बी एवं आत्म निर्भर बनाने तथा समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारे संविधान में कुछ विशेष व्यवस्थाएं की गयी है। भारतीय संविधान द्वारा महिलाओं को पुरूषों के समकक्ष सुविधाए और अवसरों की गारन्टी प्रदान की गई है। संविधान के अनुच्छेद 14 में महिलाओं को पुरूषों के समान अधिकार दिया गया है। संविधन के अनुच्छेद 15 में लिंग के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है अनुच्छेद 15(3) में स्त्रियों के कल्याण के लिये विशेष प्रावधान बनाने का अनुमति दिया गया है और अनुच्छेद 16 में लोक अनुच्छेद 21 में बुरे चरित्र वाली महिला की भी एकान्तता का अधिकार दिया गया है और काम करती महिलाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 क में समान न्याय नि:शुल्क विधिक सहायताएवं अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता अनुच्छेद 51क में मूल कर्तव्य अनुच्छेद 243 (छ) में ग्राम पंचायत व नगर निकाय में महिला आरक्षण व्यवस्था लागू किया गया है। इसके अलावा हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 में महिलाओं को पुरूषों के समान विशेष परिस्थिति में विवाह-विच्छेद की व्यवस्था द्विविवाह पर रोक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 हिन्दू स्त्री के समिति सम्पत्ति के अधिकार को समाप्त करके सम्पत्ति का सम्पूर्ण स्वामित्व प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 32, 226 में सुप्रीम कोर्ट, हाईकोट, महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन के लिए याचिका दायर करके प्रतिकर प्राप्त कर सकती है। इसके अलावा भारतीय दण्ड विधान में भी महिलाओं के मानव अधिपकारों को उचित महत्व देते हुए उनके ऊपर होने वाले अत्याचारों के सम्बन्ध में सुरक्षा प्रदान की है। दहेज सम्बन्धी मामले धारा-304, धारा 498ए, गर्भपात 312 से 316 लज्जा भंग के उद्देश्य से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोगधारा 365, 359 से धारा 366 की एवं धारा 363 वेश्यावृत्ति के संदर्भ में, धारा 375 पर बलात्कार, धारा 376 ए,बी, सी और डी धारा 509 कामकाजी महिलाओं यौन शोषण आदि प्रावधानों द्वारा महिला मानवाधिकारों को भारतीय कानून व्यवस्था द्वारा सुरक्षित किया गया है।

हिन्दू नाबालिग और संरक्षकता अधिनियम, हिन्दू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम स्त्रियों और कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोध अधिनियम तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 पारित किया गया।

महिलाओं का संविधान द्वारा प्रदत्त समानता के सभी अधिकारों को वास्तविकता में परिणित कराने हेतु कुछ अधिनियम जैसे गर्भावस्था में नष्ट करने के उद्देश्य से भ्रूण का पता लगाने को रोकने के लिए प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1964 वेश्यावृत्ति से मुक्ति हेतु वेश्यावृत्ति निवारण अधिनियम 1956 प्रसूति लाभ हेतु प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 समान कार्य के लिए समान वेतन अधिनियम 1976 स्त्री अशिष्ट निरूपण निषेध अधिनियम 1986, दहेज निषेध अधिनियम-1963, संविदा श्रम

अधिनियम–1970, फैक्ट्री एंड 1948, समान रिमूनरेशन एक्ट–1976, इंसीडेन्ट, रिप्रिन्टेशन, ऑफ वूमेन एक्ट–1986, कमीशन शक्ति एक्ट–1987, बाल विवाह निषेध अधिनियम–1929, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेन्ट एक्ट–2013, सैक्स्युअल हरिसमेन्ट ऑफ वूमेन एक्ट–2013 इसके अलावा भारतीय दण्ड संहिता में भी महिलाओं को प्राप्त सुरक्षा देने एवं शोषण से बचाने हेतु अनेक प्रयास किए गए है।

महिलाओं के हितों की रक्षा एवं उनके विकास के लिए सन् 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। अन्य देशों की भॉति प्रत्येक वर्ष 08 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। सन् 2001 को भारत सरकार ने महिला अधिकारिता वर्ष घोषित किया था तथा सन् 2003 को राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाया। सन् 2005 में संप्रग सरकार ने काम काजी एवं घरेलू महिलाओं को ध्यान में रखते हुए घरेलू महिला हिंसा निवारण अधिनियम, 2005 पारित किया। जिसे 2006 में लागू किया।

सरकार की ओर से महिलाओं के लिए अनेकों योजनाएं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढाओं, कन्या विद्या धन योजना, 1090 वूमेन पावर लाइन आदि समस्याओं के निदान के लिए व प्रोत्साहन के लिये चलायी जा रही है।

महत्वपूर्ण वाद –

प्रो0 चेरीयाकया बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया,[1] में मामले में केरल उच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि 'शिक्षा का अधिकार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में सन्निहित है। राज्य का यह कर्तव्य है कि वह इसी परिप्रेक्ष्य में शिक्षा का समुचित प्रबन्ध करें।'

यूनीकृष्णन बनाम स्टेट ऑफ आन्ध्र प्रदेश,[2] के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यहॉ तक अभिनिर्धारित किया गया है कि चौदह वर्ष के बालकों को नि:शुल्क शिक्षा देना राज्य का संवैधानिक दायित्व है।

उत्तराखण्ड महिला कल्याण परिषद बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश[3] के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि समान पद पर समान कार्य करने वाले पुरूष शिक्षकों एंव महिला शिक्षकों एवं महिला शिक्षकों के वेतन में विभेद नहीं किया जा सकता है।

सरला मुद्गल बनाम यूनियन ऑफ इंण्डिया[4] के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा सरकार से अनुशंसा की गयी कि वह संविधान के अनुच्छेद 44 पर नया दृष्टिकोण अपनाये जिसमें सभी नागरिकों के लिए एक 'समान सिविल संहिता' बनाने का निर्देश दिया गया है।

1. ए0 आई0 आर0 1994 केरल 27
2. 1993 एस0 सी0 सी0 645
3. ए0 आई0 आर 0 1992, एस0 सी0 1965
4. (1995) 3 एस0 सी0 सी0 635

मोहिनी जैन बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक[5] के मामले में उच्चतम न्यायालय ने मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए कर्नाटक से बाहर के छात्रों के लिए 60,000 रूपये के शुल्क को अनुचित ठहराते हुए इसे संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना।

विशाखा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान[6] एक महत्वपूर्ण मामला है, इसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने हेतु कई दिशा निर्देश जारी किये गये है। जिन्हें विशाखा गाइड लाइन्स के नाम से जाना जाता है।

प्रगति वर्गीज बनाम सिरील जार्ज वर्गीज[7] के मामले में मुम्बई उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा भारतीय तलाक अधिनियम 1869 की धारा 10 को अबैध घोषित कर दिया गया है।

5. (1992)3 एस0 सी0 सी0 666
6. ए0 आई0 आर0 1997 एस0सी0 3043
7. ए0 आई0 आर0 1997 बम्बई 349

निष्कर्ष – महिलाओं की सुरक्षा के लिये आज जो कानून समाज में है। उनके द्वारा कुछ संस्थाओं एवं प्राधिकरण, एन0जी0ओ0 नियोजित एवं शक्तियॉ प्रदान की जानी चाहिए तथा नियम बनाने के सुचारू रूप से कार्य करें और सही तरह से महिलाओं पर होने वाले अपराधों को रोकने के लिए नये कानूनों का निर्माण करना चाहिए और जरूरत हो तो पुराने कानूनों को संशोधित करके उसे लागू किया जाए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. मनुस्मृति।
2. महिला एवं बाल कानून डॉ. बसन्तीलाल बाबेल, सेण्ट्रल लॉ एजेन्सीज इलाहाबाद संस्करण 2003
3. भारत में मानवाधिकार प्रो0 मधुसुदन त्रिपाठी, ओमेगा पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
4. भारतीय संविधान डॉ. जे0एन0 पाण्डेय, सेण्ट्रल पब्लिकेशन इलाहाबाद संस्करण 2012
5. भारत में मानवाधिकार दशा और दिशा डॉ. इफ्तिखार हसन, नवराज प्रकाशन दिल्ली संस्करण 2013

****

दहेज प्रतिषेध एवं घरेलू हिंसा रोकथाम कानूनों का क्रियान्वयन और महिलाएं

आरती पालीवाल *

प्रस्तावना – जब जब स्त्री अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती हैं तब तब जाने कितने रीति रिवाजों, परम्पराओं, पौराणिक आख्यानों की दुहाई देकर उसे गुमनाम जीवन जीने पर विवश कर दिया जाता है। भारत में महिलाओं की स्थिति सदैव एक समान नहीं रही हैं। इसमें युगानुरुप परिवर्तन होते रहे हैं। प्राचीन काल में पुरुषों के साथ बराबरी की स्थिति से लेकर मध्ययुगीन काल के निम्न स्तरीय जीवन व साथ ही कई सुधारकों द्वारा समान अधिकारों को बढ़ावा दिए जाने तक, भारत में महिलाओं का इतिहास काफी गतिशील रहा है। 21वीं सदी महिला सदी है। वर्तमान समय में महिलाओं ने स्वयं के अनुभव के आधार पर अपनी मेहनत व आत्म विश्वास के आधार पर अपने लिए नई मंजिलों, नए रास्ते व उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया हैं।

भारत एक महान देश है, महान है इसकी परंपराएं किंतु कभी कभी व्यक्तिगत स्वार्थो के कारण इसकी महानता कलंकित हो जाती है। प्राचीन समय में जो परंपराएं व रीति रिवाज महिला की सुरक्षा, सम्मान के लिए बनाए गए थे वहीं परम्पराएं वर्तमान समय में महिलाओं की दयनीय स्थिति व उनकी प्रगति में अवरोध के साथ ही नारी जाति के अस्तित्व पर प्रश्नवाचक चिन्ह छोड़ गई हैं।

मत बांधों ऐसी परम्पराओं से कि अहिल्या सी जड़ हो जाऊं,
सशक्त बनाओं इतना की आत्मनिर्भर हो जाऊं।

परिवारों में होने वाली पीड़ा, दमन व अत्याचार को रोकने के समाज सुधारों ने काफी कोशिश की लेकिन पारिवारिक दायरे को निजी माना जाता है और राज्य का दखल इस निजी संस्था की पवित्रता पर हमला समझा जाता है। इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत महिलाओं के लिए जीवन व संपत्ति का अणिकार लागू होने के बावजूद सामाजिक नियमों प परंपराओं की आड़ में पूरी तरह अमल में नहीं लाया जाता है।

विवाह का बंधन तो सहज स्नेह की धारा में,
फिर बांध रखा क्यों जीवन को कर दहेज की कारा में।

महिलाओं को अक्सर दहेज के लिए सताया जाता है। दहेज प्रथा समाज में सदियों से चली आ रही है। दहेज जो कि पहले एक रिवाज था, उसे विधायी संस्था में दहेज प्रतिषेध अधिनियम है किया गया करार अपराध दंडनीय तहत के 1961 इ है। गया रखा में श्रेणी की अपराध जघन्य के वध नवमा तहत के बी 304 धारा को हत्या की ? महिलाओं लिए के।दहेज धारा को अपराधिक विधि संशोधन अधिनियम ने सरकार प्रकार इस है। गया रखा में संहिता दंड भारतीय अंतर्गत के 1986 अभाव का जागरूकता की महिलाओं लेकिन है कियसा प्रयास लिए इसके, अशिक्षा,जटिल न्याय व्यवस्था, असुरक्षित भविष्य, लचर प्रशासन, महिलाओं का आत्मनिर्भर न होना आदि अनेक कारण है। जिस वजह से ये पूरी तरह से अमल में नहीं आते है।

दहेज क्या है – परंपरागत रुप से दहेज से आशय पुत्री के विवाह के अवसर पर दिए जाने वाले उपहार से है। दहेज शब्द प्राचीन हिंदू प्रथा, कन्यादान से आया है। जिसमें पिता अपनी बेटी की शादी के मौके पर गहने और कपड़े देता है और वरदक्षिणा की रस्म में वह वर को धन व अन्य वस्तुएं भेंट देता है। पहले यह प्रथा स्वैच्छिक रुप से अपने प्रेम व लगाव को प्रदर्शित करने के लिए निभाई जाती थी। लेकिन वर्तमान समय में शादी के लिए शर्त तौर पर दहेज आज की समाज के लिए अभिशाप बन गई है। युवक अपनी उच्च शिक्षा और आत्मनिर्भरता के बावजूद इस समस्या को कम करने के बजाय वे भी दहेज प्रथा से सहमत दिखाई देते रहे है।

दहेज़ का समाज पर कुप्रभाव – दहेज के परिणामस्वरुप समाज में अनेक समस्याओं ने जन्म लिया है जैसे बालिका वध, कन्या भ्रूण हत्या, पारविारकि विघटन, हत्या व आत्महत्या, ऋणग्रस्तता, निम्न जीवन स्तर, विवाह विच्छेद, बहुपत्नी विवाह, बैमेल विवाह और अनैतिकता, अपराण को प्रोत्साहन, मानसिक बीमारियां, स्त्रियों की निम्न स्थिति, आत्मसम्मान की रक्षा के लिए विवाह नाम क संस्था की समाप्ति आदि प्रमुख हैं।

दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 – दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 को देहज निषेध अधिनियम संशोधन अधिनियम 1984 और 1986 के तौर पर संशोधित किया गया जिसमें दहेज को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है – **(देखे अन्तिम पृष्ठ पर)**

कितनी गीता गंगा मां की गोदी में सो जाती हैं, कितनी सीता रेल पटरियों पर लहू हो जाती है। कौन कुएं में कूद गई, गिरी कौन मीनारों से। कौन गिनेगा इनकी संख्या रोज रंगें अखबारों से।।

उपर्युक्त वर्णित अधिनियम में अनेक कमियां थी जिसें कारण यह असफल रहा। इस अधिनियम को सुदृढ़ बनाने, दहेज लेने और देने को ज्ञातव्य अपराध घोषित करने, ताकि पुलिस व अदालत स्वयं ऐसे मामलों के विरुद्ध कार्यवाही कर सके तथा दंड की मात्रा बढ़ाने की दृष्टि से सरकारी स्तर पर दहेज निरोधक अधिनियम में सन में 1986 अधिनियम यह अब गए। किए संषोधन आवश्यक, देहज निरोधक, संशोधित अधिनियम 1986 के नाम से जाता है। इस अधिनियम में दहेज लेने वाले अपराधी की जमानत नहीं होती है। इस अधिनियम को अधिक धारदार बनाने के लिए 2009 में राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस अधिनियम में कुछ परिवर्तन प्रस्तावित किए थे। इन सिफारिशों पर एक अंतर मंत्रालयी बैठक में विचार विमर्श किया गया व विधि एवं न्याय मंत्रालय के परामर्श से दहेज निषेध, संशोधन, विधेयक 2010 की रुपरेखा तैयार की गई। दहेज निषेध के लिए धारा 406, 304, 498 को लागू किया जाता है। इस प्रकार सरकार द्वारा निरंतर कानूनों को प्रभावी बनाने की कोशिश की जा रही है।

* एम.ए. (राजनीति विज्ञान), पी.जी.डी.सी.ए., डीकेन (म.प्र.) भारत

घरेलू हिंसा रोकथाम कानून 2005 – हमारा भारतीय समाज सदियों से पुरुष प्रधान समाज रहा है। भारत में अधिकांश महिलाएं घर की चारदीवारी में रहकर बेटी, पत्नी व मां की भूमिका निभाती है। बदकिस्मती से महिलाएं घर की चारदीवारी के अंदर महफूज नहीं है। उसे घर परिवार के लोगों द्वारा हमेशा से प्रताड़ित किया गया है। महिलाओं के साथ घर के अंदर ऐसी घरेलू हिंसा की जाती है जिसे किसी कानून में अपराध घोषित किया जाना रिश्तों की नाजुकता के कारण मुश्किल है व जिसका उनके परिवार के सदस्यों व घर की आस होता नहीं भी ज्ञान को वाले रहने पास है। 1979 में यूएनओं में घरेलू हिंसा कानून को अंतर्राष्ट्रीय कानून का रुप दिया गया था।

घरेलू हिंसा के कारण – अनेक ऐसे कारण है जो घरेलू हिंसा को प्रोत्साहित करते है। जिसमें प्रमुख – पुरुष प्रधानता, स्त्रियों की पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता, शिक्षा, महिलाओं के प्रति विद्वेष, सामाजिक कुप्रथाएं, पारिवारिक तनाव, पीड़िता द्वारा भड़काना, स्त्री का व्यवहार ही ऐसा होता है जो पति को अत्याचार के लिए प्रेरित करता है। नशा, अपराधी के प्रति निष्क्रियताएं, भमंडलीकरण का प्रभाव, पुरानी व नई सोच में असमानता, अवैध संबंध, नैतिक मूल्यों का ह्रास, कामकाजी महिला पर बढ़ता दबाव, स्वास्थ्य, स्त्री का वर्तमान समय में गिरता स्वास्थ्य जिसकी वजह से मानसिक तनाव बना रहता है, सोशल मीडिया का दुरुपयोग आदि है। साथ ही सबसे बड़ा कारण यह भी है कि वर्तमान समय में विवाह की औसत आयु अधिक है। अत: महिलाओं के अपने सपने पर सोच विकसित हो जाती है, जिनका पूरा न हो पाना घरेलु हिंसा का बढ़ाता है।

घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 – कुटुम्ब के भीतर होने वाली हिंसा से निपटने के लिए घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम बनाया 2005 (2) धारा की अधिनियम इस है। प्रभावशाली से 2006 अक्टुबर 26 जो गया 6 व 3 के अनुसार शारीरिक दुर्व्यवहार अर्थात शारीरिक पीड़ा, अपहानि या जीवन या अंग या स्वास्थ्य को खतरा या लैंगिक र्दुव्यवहार अर्थात महिला की गरिमा का उल्लंघन, अपमान या तिरस्कार करना या अतिक्रमण करना या मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार अर्थात अपमान, उपहास, गाली देना या आर्थिक दुर्व्यवहार अर्थात आर्थिक या वित्तीय संसाधनों जिसकी वह हकदार है, से वंचित करना, यह सभी घरेलू हिंसा कहलाते हैं। घरेलू हिंसा में किस प्रकार का शोषण सम्मिलित है – **(देखे अन्तिम पृष्ठ पर)**

भारत में अभी भी घरेलू हिंसा निरंतर बढ़ रही है, जो कि हमारे लिए एक चिंता का विषय है। सरकार द्वारा आवश्यक प्रयास किए गए है तथा सरकार द्वारा महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा को रोकने के लिए बनाया गया यह कानून बहुत दूर तक सफल भी हुआ है लेकिन समाज में स्वस्थ जनमत की आवश्यकता है।

कानून का दुरुपयोग – जो अधिनियम कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए थे, अब कुछ महिलाओं द्वारा अपने व्यक्तिगत हित साधने के लिए इन कानूनों का दुरुपयोग किया जा रहा है। महिलाएं जब सुसराल पक्ष में अपना दबदबा स्थापित करना चाहती है या अपनी माँगें स्वीकार करवाना चाहती हैं या विवाह विच्छेदन चाहती हैं, अवैध संबंध आदि होने पर इन कानूनों के द्वारा सुसराल पक्ष के सदस्यों को परेशान कर अपना हित साधने का प्रयास करती है। कभी कभी कानून के दुरुपयोग में महिला के परिवार का भी हाथ होता है। वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पर चिंता जताई है व कानूनों में अनेक संशोधन किए है जिससे कि कानूनों के दुरुपयोग को रोका जा सके।

सुझाव – घरेलू हिंसा अधिनियम व दहेज प्रतिषेध अधिनियम महिलाओं के हित में बनाए गए है। इनके द्वारा महिलाओं को घरेलू हिंसा को दहेज से बचाया भी गया है लेकिन इन अधिनियम में कही कहीं कुछ ऐसी बातें है जिनका उपयोग बचाव पक्ष वाले कर लेते हैं व उन्हें रियायत मिल जाती है। घरेलू हिंसा अधिनियम में संशोधन आवश्यक है जैसे – न्याय के संबंध की बात है तो अधिनियम में प्रयास करने शब्द का प्रयोग कर दिया गया है यही वजह है कि 2 माह की जगह पेशी पर पेशी बढ़ती जा रही है और कुछ किया नहीं जा सकता, महिलाओं के संरक्षण का कानून भी पारित होना चाहिए, इन प्रकरणों के निपटारे के लिए विशेष अदालतों का गठन हो आदि संशोधन अनिवार्य है। इसके अलावा दहेज से बचाव के लिए हमें सामाजिक स्तर पर बदलाव करने होगें। जैसे स्त्री शिक्षा पर बल देना व उसे आत्मनिर्भर बनाना, जीवनसाथी के चुनाव की स्वतंत्रता, अंर्तराज्जीय विवाह को समर्थल दिया जाना चाहिए, लड़कों को स्वालंबी बनाया जाए, युवा जनमत देहज के विरोध में होना चाहिए, दहेज के विरोध में स्वस्थ जनमत इक्ट्ठा किया जाए आदि। इसके अलावा समाज को पुरानी परंपराएं जो वर्तमान समय में समाज में समस्याओं को जन्म देती है। उन्हें छोड़कर नए वैश्वीकरण के युग में वैचाारिक परिवर्तन के साथ कदम रखना चाहिए।

समय के परिवर्तन में तुम्हें बदलना होगा,
छोड़ पुरानी राह नयी पर चलना होगा।

इसी प्रकार घरेलू हिंसा से बचाव के लिए निम्न उपाय अपनाने चाहिए जैसे महिलाओं के आश्रय की व्यवस्था एवं रोजगार की व्यवस्था एवं शिक्षा की सुविधा प्रदान की जाए, दंड की व्यवस्था, महिला न्यायालयों की स्थापनाएं कानूनी सहायता व परामर्श, महिला संगठनो का निर्माण,सोशल मीडिया का सही उपयोग व साथ ही साथ हमें वर्तमान समय के साथ ऐसा संतुलन बनाना होगा कि महिलाएं दोहरी जिम्मेदारी निभाने में सक्षम बन सके।

घरेलू हिंसा अधिनियम में वर्तमान समय में दिनांक 7 अक्टूबर 2016 को किया गया संशोधन एक सराहनीय कदम है। घरेलू हिंसा विधेयक 2016 सेक्शन 2 क्यू में यह प्रावधान था कि घरेलू हिंसा मामले में केवल वयस्क पुरूष शब्द को हटा दिया है। घरेलू हिंसा विधेयक के तहत अब शिकायत किसी भी व्यक्ति के खिलाफ की जा सकती है , आरोपी चाहे पूर्व पुरूष हो या महिला इसमें एक महिला दूसरी महिला पर घरेलू हिंसा का मामला दर्ज करा सकती है।

इस प्रकार घरेलू हिंसा अधिनियम को अधिक सख्त बनाने की कोशिश की गई है। वर्तमान समय में घरेलू हिंसा को रोकने व महिलाओं के सम्मान पूर्ण जीवन यापन के लिए वैवाहिक बलात्कार को भी अपराध की श्रेणी में रख कर कानून बनाने की आवश्यकता है। जिससे की महिलाओं का सवौगीण विकास मध्यप्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई उषा किरण योजना भी सराहनीय कदम है। अधिनियम में ऐसे संशोधन की आवश्यकता है जिससे इन कानूनो का दुरूपयोग नहीं किया जा सके। महिलाओ के जागरूकता व कानूनो का ज्ञान होना अति आवश्यक हो गया है। जागरूकता के अभाव में कानूनों का क्रियान्वयन संभव नही है।

उपसंहार – अब समय आ गया है कि सदियों में फैली पुरानी परपराओं को तोड़ एक नए परिवर्तन के साथ इस भूमंडलीकरण के युग में महिला व पुरूष कंधे से कंधा मिलाकर देश के विकास में सहयोग प्रदान करे। इसके लिए महिला का सर्वागीण विकास जरूरी है। महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा व अपराध के बढ़ते आंकड़े चिंता का विषय है। सरकार द्वारा निरंतर इन

अपराधों को रोकने के लिए नए कानून बनाए जा रहे है व पुराने में संशोधन कर उन्हें सशक्त बनाया जा रहा है परंतु जब तक समाज का प्रत्येक व्यक्ति जागरूक होकर इन अपराधों को मिटाने में सहयोग नहीं देगा तब यह सही रूप में क्रियान्वित नही हो सकेगें व अपराध कम नहीं होगे। साथ ही महिलाओं को अपने अधिकारो के प्रति जागरूक होना होगा, स्त्री शिक्षा पर बल देना होगा व महिलाओं को अपने लिए बनाए गए कानूनो की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। महिलाओं को कानून के दुरूपयोग से बचना चाहिए , इसमें एक गलत छवि बनती है साथ ही पुरूषों का भी उत्पीड़न होता है व समाज विकृत बनता है। सामाजिक तौर पर महिलाओं को त्याग , सहनशीलता व शर्मीलेपन का ताज पहनावा गया है, जिसके भार में दबी महिला कई बार जानकारी होते हुए भी इन कानूनों का उपयोग नहीं कर पाती। अत: समय आ गया है कि महिलओं को ही रही हिंसा के खिलाफ चुप्पी तोड़कर आवाज उठानी होगी। महिलाओं का एक सशक्त जागरूक व प्रभावी कदम ही इन कानूनो को सही रूप में क्रियांवित करने की क्षमता रखता है, तो में यही कहना चाहूंगी कि आओ हम सब मिलकर दहेज व घरेलू हिंसा को भारतीय समाज में उखाड़ फेके।

बदल रहा समाज है, वक्त का आगाज है। कदम उठे गगन छुएं वे सदी का पैगाम है। ममतामय ऑचल रहे, प्रेममयी छवि रहे, दुशासन जो बने कोई, तो चीरती तलवार बनें। कदम ताल ठोस हो एक लक्ष्य ध्यान केंद्रित रहे, असुर जो बढ़े कोई, शक्ति पुंज खुद बनेलाल।

दहेज संबंधी विधि दहेज क्या है धारा 2 दहेज का अर्थ प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर दी गई कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति सुरक्षा या उसे देने की सहमति । विवाह के एक पक्ष द्वारा विवाह के दूसरे पक्ष को या विवाह के किसी पक्ष के अभिभावकों द्वारा या विवाह के किसी पक्ष के किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को, शादी के वक्त या उससे पहले या उसके बाद कभी भी जो उपरोक्त पक्षों से संबंधित हो जिसमें मेहर की रकम सम्मिलित नहीं की जाती अगर व्यक्ति पर मुस्लिम पर्सनल लॉ, शरियत लागू होता है।	धारा 3 व 4 दंडनीय है। 1. दहेज देना। 2. दहेज लेना, कम से कम 5 वर्ष का कारावास वह कम से कम रुपये 15000 या उतनी राशि जितनी कीमत उपहार की हो इसमें से जो भी ज्यादा हो के जुर्माने की सजा दी जा सकती है। 3. दहेज लेने व देने के लिए उकसाना। 4. वधू के माता पिता या अभिभावकों द्वारा सीधे तौर पर दहेज की मांग, कम से कम 6 माह अधिकतम के वर्षो 2 सकता हो जुर्माना का तक 10000 रुपये व सजा की कारावास है।

शारीरिक शोषण	**यौन शोषण**	**मौखिक और भावनात्मक शोषण**	**आर्थिक शोषण**
पीड़ित व्यक्ति के प्रति आरोपी का कोई भी ऐसा व्यवहार जो निम्नलिखित प्रकार की शारीरिक पीड़ा या क्षति का कारण हो, जीवन के लिए खतरा पैदा करना, विकास या उन्नति में बाधक बनना, शारीरिक शोषण के उदाहरण है। अपराधिक बल का प्रयोग, अपराधिक रुप से डराना, धमकाना, हमला करना	यौन प्रकृति का कोई ऐसा व्यवहार जिसमें अपमान, क्षय, शोषण या महिला की गरिमा को क्षति पहुंचती हो, उदाहरण के लिए अप्राकृतिक यौन संबंध के लिए दबाव डालना, यौन संबंध से वंचित करना, हिसंक घटना के बाद यौन संबंध की मांग करना, सुरक्षित यौन संबंध के लिए मना करना, देह व्यापार , पोर्नोग्राफी या बच्चे का यौन शोषण करना	अपमानित करना, गाली देना, बेइज्जती करना, मजाक उड़ाना, निंसतान होने पर और खासतौर पर पुत्र न होने की स्थिति में ताने मारना, जिसे पीड़ित व्यक्ति सुरक्षित करना चाहता है उसे हानि पहुंचाना, व्यंग्यात्मक टिप्पणी या कटाक्ष इत्यादि	संयुक्त संसाधनों के उपयोग से वंचित करना, आर्थिक या वित्तीय संसाधनों से वंचित करना, संयुक्त संपत्ति से दूर करना या उसके संबंध में अकेले फैसला लेना, स्त्रीधन लौटाने से मना करना, घर के खर्चे के लिए रकम देने से मना करना, बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्चा देने के लिए मना करना, आर्थिक शोषण प्रतिवादी की आर्थिक क्षमता व पीड़ित के विधि अधिकारों पर निर्भर करता है।

****

महिला सुरक्षा – मानवाधिकार व कानून के संदर्भ में

पूजा पालीवाल *

प्रस्तावना – प्रकृति प्रदत्त भगवान द्वारा रचित सबसे अनुपम कृति मानी जाती है, मानव जाति। मानव जाति पुरूष व महिला के परस्पर सहयोग व सहअस्तित्व पर निर्भर करती है किन्तु मानव जाति में मध्य युग के साथ साथ काफी परिवर्तन आने लगे तथा एक क्रम शुरू हुआ जो असंतुलन का क्रम महिला पुरूष के अधिकार प्रधानता, स्वतंत्रता, समानता आदि में असंतुलन का क्रम। आधुनिक काल इसका चरम काल का था स्थिति यह हुई कि मानवाधिकार जो कि प्रत्येक मानव (स्त्री तथा पुरूष) तथा के प्राकृतिक , आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार थे वह धीरे–धीरे सिमट कर एक ध्रुवीय अवस्था में सिमट गए। जीवन व आजाद रहने का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार , कानून के सामने समानता,सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार, काम करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार,गरिमा से जीवन जीने का अधिकार आदि सभी जो मानव के विकास के लिए आवश्यक व मूलभूत अधिकार थे। वह आज मानवाधिकार के रूप में परिभाषित किए गए है। वह उस चरम काल में महिलाओं को मानव के बजाय महिला रूपी कमजोर तथा दुर्बल वर्ग के चश्में में मर्यादाओं तथा रीति–रिवाजों व प्रथाओं के बेड़ियों से बांध दिए गए। कुछ परंपराएं वह रिवाज महिला सुरक्षा के लिए बनाए गए किन्तु इस सुरक्षा में एक मानव की जरूरतों उसके विकास के लिए आवश्यक तत्वों को भूला दिया गया। एक ध्रुवीय अवस्था सदैव ही असंतुलन को बढ़ावा देती है, ऐसा ही आधुनिक काल में पुनर्जागरण काल तक चला। किन्तु असंतुलन कभी भी स्थिरता नहीं ला सकता है स्थिरता के लिए संतुलन का कार्य आधुनिक काल में पुनर्जागरण के बाद कई महान विचार को द्वारा शुरू किया गया जिसमें प्रमुख थे राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, ईश्वरचंद्र विद्यासागर तथा कई विचारक जो इस असंतुलन को समझ गए तथा उन्होंने अपना ज्ञान केंद्रित किया सामाजिक संतुलन की ओर। यह कार्य अनवरत ब्रिटीश शासन से भारत की आजादी तक तथा आज भी अनवरत रूप से जारी है।

भारत की स्वतंत्रता के समय सन् 1947 में महिलाओं को मानवाधिकार तथा स्वतंत्रता , समानता तथा गरिमा प्रदान करने के लिए संविधान निर्माता ने अपने लक्ष्य भारत के संविधान के उद्देश्यिका में वर्णित कर दिए तथा भारत के संविधान में मौलिक अधिकार प्रदत्त किए गए। जो कि प्रत्येक नागरिक चाहे वह स्त्री हो या पुरूष को उसके विकास के लिए तथा जीवन के लिए आवश्यक तत्वों के लिए प्रदान किए गए।

यद्यपि यूँ तो भारत 1947 में आजाद हो गया तथा आज तक भारत में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक रूप से काफी बदलाव भी दृष्टिगोचर हुए है, तथा भारत एक विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर है किंतु भारत के नागरिकों के मस्तिष्क,विचारों तथा कई आधार पर कर्म में भी कुछ इतिहास की बातें जड़ रूप में स्थिर हो गई है। जिन्हें समूल नष्ट करने में भारत के नागरिकों को मानसिक जद्दोजहद, सामाजिक क्रांति, वैचारिक तौर पर क्रांति तथा कुछ कड़वी दवाओं का घुट चखने के बाद भी मुक्ति नहीं मिल पा रही है।

आज हम महिला सुरक्षा की बात करते है क्योंकि क्यों नहीं यह बात पुरूष सुरक्षा की उठी, महिला असुरक्षित है क्योंकि कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में वह कमजोर है। यह बात इसलिए उठी क्योंकि आज भी पुरूष प्रधानता समाज में मौजूद है। एक ध्रुवीय अवस्था आज भी कायम है। वह असुरक्षित है क्योंकि आज भी वह अपनी ताकत अपने अधिकार से अनभिज्ञ है। आज भी वह सशक्त नहीं है। महिला असुरक्षित है क्योंकि वह निर्भर है, अपने पैरो पर खड़ी नहीं है, भला अपने कदमों पर चलने का विश्वास हो जाने के बाद कौन लाठी का सहारा लेगा ?

इसी और असुरक्षा को खत्म करने तथा महिला को सशक्त बनाने तथा महिलाओं की सुरक्षा की इन्हीं तिलतिल कर काटती दीमकों का खात्मा करने के लिए आज भारत सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण कानूनों का क्रियान्वयन शुरू किया है, कई योजनाएँ बनाई गई है तथा आज के समय में भारत सरकार तथा साथ ही महिला व पुरूष भी अब मानवाधिकार के लिए अग्रसर हो रहे है। वैश्विक पटल पर उठती मानवाधिकार की आवाज सचमुच आज महिला सुरक्षा का तथा सशक्त महिला की ढाल बना है। हम सभी को न्याय की देवी की प्रतिमा की तरह समाज की तराजू का पलड़ा बराबर रखना होगा तथा जो भी इस पलड़े में असंतुलन पैदा करने की कोशिश करें उसे प्रतिमा के दूसरे हाथ में चमचमाती तथा तेज धार वाली तलवार के साथ समूल नष्ट करना होगा। तभी बनेगा

"The one India, The Great India"

हिंसा नहीं सम्मान चाहिए, जीवन का आधार चाहिए।
स्त्री पुरुष का बंटवारा नहीं, एक सूत्र में बंधा समाज चाहिए।

महिला सुरक्षा व मानवाधिकार – वर्तमान समय में भारत में महिला सुरक्षा के कई आयामों पर ध्यान देते हुए महिलाओं को सशक्त बनाने तथा उन्हें सुरक्षित करने के लिए महिला से जुड़े प्रत्येक आयाम को दृष्टिगत रखते हुए कानूनों तथा योजनाओं का निर्माण तथा क्रियान्वयन किया जा रहा है। महिला सुरक्षा के विभिन्न आयाम यहां चार्ट में प्रदर्शित किए गए है –

(चार्ट देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

वर्णित सभी आयामों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने कई कानूनों का निर्माण किया है, साथ संविधान में कुछ मूलभूत अधिकारों तथा नीति

* एम.ए. (राजनीति विज्ञान), पी.जी.डी.सी.ए., डीकेन (म.प्र.) भारत

निर्देशक तत्वों का समावेश किया गया है जो कि महिला सुरक्षा के लिए आवश्यक है।

भारतीय संविधान कुछ उद्देश्यों का जो कि भारत के नागरिकों के लिए आवश्यक है स्पष्ट रुप से उनका वर्णन किया गया है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचारा, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की शमावता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित कने वाली बंधुता बढ़ाने के लिऐ दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 जनवरी 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत दो हजार छह विक्रमी को एतद द्धारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12.35 तक नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार तथा भाग 4 में कुछ नीति निर्देशक तत्व प्रदान किए गए हैं,जो कि महिला सुरक्षा को आधार प्रदान करने है, यह मौलिक अधिकार निम्नानुरुप है –

- समानता का अधिकार अनुच्छेद 14, 18
- स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19, 22
- शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23, 24
- धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25, 28
- संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29, 30
- संविधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32

मानवाधिकार क्या है – मानवाधिकारों को हम प्राकृतिक अधिकारों के रुप में भी देखते है। यह मानव की सहज एवं स्वाभाविक प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति है। मानव को न्यास, उचित सम्मान, गौरव एवं अधिकारों, व्यापक स्वतंत्रता, समानता, जीवन स्तर को ऊँचा उठाना, स्वास्थ्य संबंधित अधिकार आदि अधिकार शामिल किए गए हैं। यह अधिकार सामाजिक, आर्थिक न्याय व कल्याण के लिए एक आदर्श है। भारत में इन अधिकारों को मूल अधिकार व राज्य के नीति निर्देशक तत्व में समावेषित किया गया है। साथ ही कुछ कानून भी इन अधिकारों की प्राप्ति के लिए बनाए गए है। उपर्युक्त अधिकार महिला सुरक्षा उसके सुदृढ़ विकास तथा सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है। अतएव महिलाओं की सुरक्षा के लिए तथा उसके मानवाधिकारों के लिए कई कानून बनाए गए है। मानवाधिकारों को बनाए रखने के लिए तथा प्रत्येक नागरिक को मानवाधिकार प्राप्त हो सके तथा उनका संरक्षण किया जा सके। इनके लिए भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 बनाया गया। साथ ही इसी अधिनियम के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन करने का प्रावधान है।

महिला सुरक्षा व कानून – वर्तमान समय में जब से भूमंडलीकरण का दौर शुरु हुआ है, विश्व का प्रत्येक देश उसकी संस्कृति, सभ्यता तथा समाज अन्य दूसरे देशों के सपंर्क में आए हैं जिससे महिलाओं में एक सार्वभौम मानवाधिकार तथा अपनी सुरक्षा तथा समानता, स्वतंत्रता को लेकर सजगता बढ़ी है। वर्तमान समय में बढ़ते अपराध के आंकड़े, लिंगानुपात में असंतुलन, बढ़ती बलात्कार की घटनाएं, हिंसात्मक घटनाएं, मातृत्व मृत्यु दर की घटनाएं आदि सभी आँकड़ों पर दृष्टिपात करने पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि महिलाओं को आज के समय में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, स्वास्थ्य आदि सुरक्षा की महती आवश्कता है। जिससे की एक सशक्त महिला तथा सशक्त समाज का निर्माण हो सके। सरकार ने महिला सुरक्षा के कई कानून बनाए है तथा महिला की जागरुकता ने भी काफी हद तक बदलाव किया है किंतु कानूनो का सही क्रियान्वयन तथा उसकी जानकारी प्रत्येक महिला तक पहुँच सके यह प्रयास किया जाना चाहिए। इसमें शिक्षा का पाठ्यक्रम तथा जन चेतना फैलाने वाले विज्ञापन, सिनेमा में महिला सुरक्षा के पहलू को बताना आदि कुछ उपाय किए जा सकते हैं।

महिला सुरक्षा से जुड़े कानून निम्नवत् है –

- कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण, रोकथाम, निषेध और निवारण, अधिनियम 2013
- घरेलू हिंसा अधिनियम 2005
- दहेज प्रतिषेध अधिनियम
- बलात्कार पर कानून धारा 375, 376, 376 क, 376 ख, 376 ग, 376 घ भारतीय दंड संहिता
- छेड़खानी पर कानून धारा 509, 294 भारतीय दंड संहिता
- स्त्री अशिष्ठ रुप प्रतिबंध अधिनियम 1986
- अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956
- तलाक का अधिकार
- भरण पोषण का अधिकार
- अलिवइन रिलेशनशिप से जुड़े अधिकार
- सरोगैसी से जुड़े नियम व अधिकार
- संपत्ति का अधिकार
- आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013
- मातृत्व लाभ अधिनियम 1961
- समान पारिश्रामिक अधिनियम 1976
- अपहरण पर कानून धारा 362, 364, 364क, 365, 366, 367, 369 भारतीय दंड संहिता
- महिला आरक्षण
- बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006

महिला सुरक्षा आर्थिक सामाजिक राजनीतिक स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा के लिए चलाई जाने वाली योजनाएं – उज्जवला योजना, स्वाधार, स्वावलंबन, स्वयं सिद्धा, महिला समृद्धि योजना, जननी सुरक्षा योजना, सबला महिला प्रशिक्षण एवं रोजगार सहायता कार्यक्रम, बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं, स्टैंड अपस्टार्ट अप, जनधन योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना आदि महत्वपूर्ण योजनाएं सरकार द्धारा चलाई जा रही है जो कि महिलाओं को सुरक्षा देने का कार्य कर रही है जिससे कि वह आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा शारीरिक रुप से सुदृढ़ हो सके तथा अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके। इसके अलावा स्वयं सहायता समूह महिलाओं के लिए आर्थिक सुरक्षा का एक क्रांतिकारी कदम साबित हुआ है।

सुझाव – महिला सुरक्षा आज 21वीं सदी में आधी आबादी के लिए गंभीर विषय बन गया है। भारत जैसे देश में जहां वर्तमान मे इसे युवा लोकतंत्र कहा जा रहा है ऐसे में महिला सुरक्षा के लिए कदम उठा कर क्रांतिकारी बदलाव की जा सकते है क्योंकि युवा बदलाव के वाहक होते है।

महिला की सुरक्षा के लिए समय समय पर कई कानून बनाए गए है तथा उनका क्रियान्वयन भी किया जा रहा है किंतु कानून के बारे में जानकारी का अभाव, कानूनों के क्रियान्वयन में लालफीताशाही का प्रभाव तथा न्यायिक व्यवस्था की लंबी प्रक्रिया आदि ने कहीं न कहीं इन कानूनों को महिला सुरक्षा प्रदान करने में भूमिका अदा नहीं की जो की जा सकती थी।

यद्यपि न कानूनों से बदलाव की एक चिंगारी समाज में प्रस्फुटित है, जिसे हवा के द्वारा अलग अलग दिशा में फैलाना चाहिए।

इसके लिए सर्वप्रथम महिलाओं में जागरुकता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम में महिला सुरक्षा तथा उसके लिए किए जा रहे प्रयास को शामिल किया जाना चाहिए, सिनेमा तथा गांव में नुक्कड़ नाटक जागरुकता फैलाने का एक बहुत बड़ा साधन है। महिलाओं से संबंधित वाद को निपटाने के लिए फास्ट ट्रेक कोर्ट का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए।

कानूनों के द्वारा महिला सुरक्षा के साथ साथ कुछ अन्य कदम सामाजिक व मानसिक तौर पर उठाने होगें, जिससे समाज में महिला सुरक्षा को दृढ़ किया जा सके। महिला सुरक्षा को भय जितना अधिक पुरुष से है उतना ही उसको सुरक्षा भी पुरुष ही प्रदान कर सकता है। पुरुष यदि अपनी मानसिकता, पुरुषवादी सोच को त्याग कर यदि मानवीकरण सोच को प्राथमिकता दें तो इसमें काफी बदलाव लाया जा सकता है। मनुष्य की संवेदना को मानवीय स्तर पर ले जाना होगा। स्त्री व पुरुष से पहले उसे मानव के प्रति व्यवहार को जगाना होगा।

महिलाओं के लिए बनाए गए आदर्श जैसे सहनशीलता की मूर्ति, दयावान, सुशीला आदि भी उसे कमजोर बनाते है क्योंकि इन आदर्शो को प्राप्त करने में प्रयासरत महिलाएं अपनी स्वतंत्रता को खो देती है तथा हर समय उन्हें इनके आदर्शो के भंग होने का डर सताता रहता है, महिलाओं की स्वतंत्रता पर लगाई गई बंदिशें भी उसे सबल बनने से रोकती है, जो कि उसकी और सुरक्षा का सबसे बड़ा कारण हैं। महिला सुरक्षा में सेंध मारने का कार्य एक और बड़ा दीमक करता है वह है तनाव तथा संयुक्त परिवार का विघटन व समाज में बढ़ता नशे का प्रचलन। संवेदनहीनता, नैतिक शिक्षा का अभाव, भौतिकवादी जीवन, सब कुछ तुंरत पा लेने की महत्वकांक्षा तथा अहम आदि कुछ प्रमुख कारण है। जो महिला को असुरक्षित बनाते हैं। इनसे महिला को सुरक्षित करने का उपाय यह है कि व्यक्ति को भौतिकवादीता व मानवीयता के बीच सामंजस्य बैठाने की ओर अग्रसर करना होगा जिसका कार्य आने वाली नई पीढ़ी से किया जा सकता है जो शैक्षणिक, पारिवारिक तथा समाजीकरण द्वारा संभव हो सकेगा।

निष्कर्ष – महिला सुरक्षा के लिए कई कानून बनाए गए है तथा उनका क्रियान्वयन भी किया जा रहा है। मानवाधिकारों के लिए आवाज उठाई जा रही हैं। महिलाएं मानवाधिकार को लेकर सजग भी हुई है। शनि शिगणापुर मंदिर तथा हाजी अली दरगाह में महिलाओं का प्रवेश, तीन तलाक को हटाए जाने की मांग आदि इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। महिला को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कानून समाज को सहारा प्रदान करते है। असली बदलाव समाज में विचारो की क्रांति तथा पुरानी पड़ रही मानसिकता तथा सामाजिक बदलाव के द्वारा ही लाया जा सकता है।

बिंदु बिंदु जब जब जुड़े, तो बने एक आकार। कानून समाज जब जब बढ़े, तो ला एक बदलाव।।

विचार पूंज को झकझोर कर, निकला एक ही सार। सुरक्षित जीवन जीना, है महिला का अधिकार।।

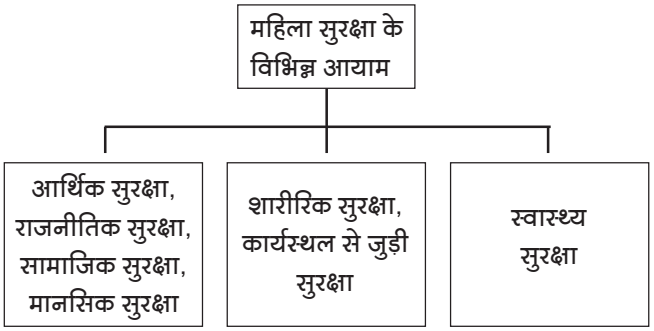

****

विभिन्न विवाह कानून और महिलाएं

नम्रता ताम्रकर *

प्रस्तावना – 'विवाह' शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से दो अर्थो में होता हैं। इसका पहला अर्थ क्रिया, संस्कार, विधि या पद्धति हैं, जिससे पति–पत्नि के स्थाई संबंध का निर्माण होता है। प्राचीन एवं मध्य काल के धर्म शास्त्री तथा वर्तमान युग के समाजशास्त्री समाज द्वारा अनुमोदित परिवार की स्थापना करने वाली किसी भी पद्धति को विवाह मानते हैं।

मनु स्मृति के टींकाकार मेघातिथि (3/20) के शब्दों में, विवाह एक निष्चित पद्धति से किया जाने वाला, अनेक विधियों से सम्पन्न होने वाला तथा कन्या को पत्नि बनाने वाला संस्कार है।

रघुनंदन के मतानुसार उस विधि को विवाह कहते हैं, जिससे कोई स्त्री किसी की पत्नि बनती है।

वेस्टर मार्क ने इसे एक या अधिक पुरूषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ ऐसा संबंध बताया है, जो इस संबंध को करने वाले दोनों पक्षों को तथा उनकी संतानो को कुछ अधिकार एवं कर्तव्य प्रदान करता है।

विवाह का दूसरा अर्थ समाज में प्रचलित एवं स्वीकृत विधियों द्वारा किया जाने वाला दाम्पत्य सम्बन्ध और पारिवारिक जीवन होता है। इससे जहाँ एक ओर समाज पति–पत्नि को कामसुख उपभोग का अधिकार देता है वहीं दूसरी ओर पति को पत्नि तथा संतान के पालन एवं भरण पोषण के लिए बाध्य करता है। संस्कृत में 'पति' का शब्दार्थ है: पालन तथा 'भार्या' का अर्थ हैं: भरण पोषण किए जाने योग्य नारी।

समकालीन भारत मे विवाह – आजकल भारत में प्राय: एक विवाह प्रथा ही अपनाई जाती है। प्रत्येक समाजिक धार्मिक समुदाय में विवाह की आयु बढ़ रही है। अधिकांश विवाह माता–पिता द्वारा तय किए जाते है, परन्तु संबंधित लड़के–लड़की की राय भी ली जाने लगी है। शहरी इलाको में अंतर्जातीय एवं अंतर्सामुदायिक विवाह भी होने लगे हैं। वरमूल्य (Dowery) की प्रथा उन समुदायों मे बढ़ रही है, जिनमें इसका प्रचलन नहीं था। उदाहरण के लिए मुसलमानो,ईसाईयो तथा कुछ जन–जातीय समूह में। पराम्परिक 'दहेज' एक स्वेच्छिक दान का रूप था जबकि आधुनिक 'डावरी' एक प्रकार का वर मूल्य माना जा सकता है जिसे मोलभाव के बाद कन्या पक्ष वर पक्ष को देता है। वरमूल्य की प्रथा 'समुदाय' एवं समुदायिक आदर्शो के लगातार कमजोर पड़ने तथा व्यक्ति एवं परिवार के निहित स्वार्थो के महत्वपूर्ण बनने का प्रतीक है।यह प्रचलन उस कन्या के लिए अंतहीन दुखों का कारण बनता है। जिसके माता–पिता वर के घर वालो के लालच को पूरा करने में असमर्थ होते है। भारत सरकार द्वारा दहेज निरोध कानून बनाया गया है। स्त्रियों की आर्थिक तथा उनके स्वाभिमान की भावना एवं भावी वर के ज्ञानोदय से इस प्रथा को हितोत्साहित किया जा सकता है। तलाक तथा अलगाव में वृद्धि हुई है। पत्नियां अपने अधिकारो के प्रति अधिक जागरूक हुई हैं एवं अग्राही हो रही हैं। आजकल पति के लिए घर के कामो में हाथ बटाना असमान्य नहीं है खासकर जब पत्नि भी नौकरी या व्यवसाय करती है। अन्य समाजो की तुलना में भारतीय समाज में विवाह संस्था का स्थायित्व अभी कायम है।

विभिन्न विवाह कानून एवं महिलाएं – आज के प्रगतिशील वैज्ञानिक युग में महिलाएं पुरूष के बराबर या उससे अधिक कार्य कर रही हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के आधार पर भी यह स्वीकारा गया है कि 'विश्व की आर्थिक व्यवस्था में 45% योगदान महिलाओं का है।' महिलाओं के इस योगदान के पश्चात भी महिलाओं को अन्य या दूसरे दर्जे का नागरिक भी माना जाता है। विश्व की आधी जनसंख्या आज भी अपनी शक्ति, योगदान और प्राप्त अधिकारों से अनभिज्ञ है।

भारत की आजादी के उपरांत सरकार द्वारा प्रजातांत्रिक मूल्यों को देश के संतुलन को ध्यान में रखते हुए नारी विकास के लिए समय–समय पर अनेक अधिनियम बनाए गये। कानून और संविधान ने जो अधिकार दिए हैं महिलायें उन अधिकारों का लाभ उठा रहीं हैं। सरकार ने बहुत से ऐसे अधिनियम बनाये हैं। जिनमे महिलाओं के समाजिक पक्षपात, महिलाओं के उत्पीडन को रोकने, उन्हें समाज में प्रतिष्ठित स्थान दिलवाने, महिलाओं के संरक्षण के लिए अनेक अधिनियम पारित किए गए हैं जिनमे अपराधियों को कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। लिहाजा जहाँ विवाह एवं तलाक संबंधी कानूनो में संशोधन हुये, वहीं घरेलू हिंसा व सहजीवन(Live-in Relitionship) के संबंध में भी स्त्री अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई।

कुछ महत्वपूर्ण कानूनो व संशोधनो के बारे में जानकारी निम्न है –

1. **विशेष विवाह अधिनियम, 1994 –** इस अधिनियम के अंतर्गत कोई महिला अपना धर्म परिवर्तन किए बिना किसी भी धर्म वाले व्यक्ति से विवाह कर सकती है। इस अधिनियम में भरण पोषण से संबंधित संशोधन हुआ है वर्ष 2001 में इसकी धारा 38 में संशोधन किया गया, जो बच्चों की कस्टडी से संबंधित है। इसके अनुसार, यदि स्त्री अपने व बच्चे का भरण पोषण एवं शिक्षा भत्ते का मुकदमा करेगी, तो उसका निपटारा विपक्षीय को सूचना मिलने के 60 दिनों के भीतर–भीतर किया जाएगा।

2. **हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955–** हिन्दू विवाह अधिनियम के पारित होने के बाद किसी पुरूष अथवा स्त्री को एक से अधिक विवाह करने की अनुमति नहीं है। विवाह न निभाने की दशा में कोई भी पक्ष विवाह–विच्छेद के लिए अदालत में याचिका दे सकता हैं। जैन, बौद्ध, सिक्ख, हिन्दू सभी इसी हिन्दू अधिनियम द्वारा शासित होते हैं।

इस अधिनियम के तहत कोई भी हिन्दू पति–पत्नि एक दूसरे से विवाह विच्छेद की और न्यायिक पृथक्करण की याचिका अदालत में दायर कर सकते

* शोधार्थी, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत

हैं बषर्ते कि दूसरा पक्ष या व्याभिचार, पाशविकता, बलात्कार, अत्याचार, धर्मपरिवर्तन अथवा दो वर्षो तक परित्याग किए रहने का दोषी हो अथवा असाध्य पागलपन, असाध्य कुष्ठ रोग या संक्रामक प्रकृति के यौन रोग से पीड़ित हो अथवा संसार का त्याग कर धार्मिक आश्रम में प्रवेश कर चुका हो अथवा लगातार 7 सालो तक उसके जीवित होने की जानकारी न मिली हो। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम में 1976 में हुये संशोधन के अनुसार कोई भी हिन्दू पति–पत्नि बिना कोई कारण बताये आपसी सहमति से तलाक ले सकते हैं।

इस अधिनियम में एक विवाह को वैध बनाया गया है और कानूनी रूप से विवाह करने के लिए यह अनिवार्य शर्त रख दी गई है कि विवाह के समय दोनों पक्षों मे से एक का भी पति या पत्नि जीवित नहीं होनी चाहिऐ। यदि कोई भी विवाहित पुरूष या स्त्री पहले विवाह को कानून तलाक लेकर भंग किए बिना दूसरा विवाह कर लेता हैं, तो दूसरा विवाह अवैध होगा और इस प्रकार विवाह करने वाला कानून द्वारा दण्डित होने का अधिकारी होगा।

3. हिन्दू (विधवा पुनर्विवाह) अधिनियम, 1856 – समाज सुधारको ने 18वीं तथा 19वीं शताब्दी में प्रचलित बाल विवाह प्रथा पर गहरी चिंता व्यक्त की। बाल विवाह के कारण स्त्रियां जल्दी विधवा हो जाती थीं। इस बुराई को समाप्त करने के संबंध में अथक प्रयास 1856 में उस समय हुए जब 'हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम' पास हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत विधवाओं को भी हंसीं–खुशी, उल्लास और उमंग के साथ जीवन जीने का अधिकार दिया और विधवा होने पर ससुराल और समाज से मिलने वाली प्रताड़नाओं से बचाया गया।

5. मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम,1939– मुस्लिम विधि के मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 में पहली बार पत्नि को भी तलाक देने संबंधी कुछ अधिकार प्रदान किए गए। धारा–2 के अंतर्गत विवाहित स्त्री निम्नलिखित आधारों में से किसी एक या अधिक आधारों पर अपने तलाक के लिए डिक्री प्राप्त करने की हकदार होगी –

1. यह कि चार वर्षो से पति ज्ञात नहीं है,
2. यह कि दो वर्षो से पति ने उसके भरण पोषण में उपेक्षा की है या उसका प्रबंध करने में विफल रहा है,
3. यह कि पति को सात वर्ष या उससे अधिक अवधि के कारावास का दण्डादेश दिया गया है,
4. यह कि पति ने तीन वर्षो से बिना युक्तियुक्त कारण के अपने वैवाहिक दायित्वो को पूरा करने में विफल रहा है,
5. यह कि पति विवाह के समय नापुसंक था और वैसा ही होना जारी है।
6. यह कि पति दो वर्षो से पागल है या कुष्ठ या उग्र रजित रोगों से पीड़ित है,
7. यह कि उसके 15 वर्ष की अवस्था प्राप्त करने के पहले उसके पिता या दूसरे संरक्षक ने उसका विवाह कर दिया था और उसके 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पहले विवाह को खण्डित कर दिया गया, बशर्ते कि विवाह पूर्णता न प्राप्त हुआ हो,
8. यह कि पति उसके साथ क्रूरता का व्यवहार करता है, शौहर बीबी को मारता, पीटता और जिस्मानी तकलीफ पहुंचाता है,
9. यह कि बुरे चरित्र की औरतों के साथ रहता है या घृणित जीवन बिताता है,
10. यह कि उसे अनैतिक जीवन बिताने के लिए बाध्य करता है तथा उसे उसकी धार्मिक क्रियाऐं या प्रथा करने में बाधा डालता है,
11. किसी अन्य आधार जो मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह विच्छेद के लिए विधिक रूप से मान्यता प्राप्त हो,

मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह का विघटन न केवल तलाक द्वारा हो सकता है,अपितु पति–पत्नि के मध्य करार द्वारा भी को सकता है। (1994(2) सिविल लॉ जजमेन्ट्स 690 केरल उच्चन्यायालय)

पति द्वारा पत्नि को इस आशय का सूचना पत्र भेजा गया हो कि वह विवाह वाली रात्रि को ही तलाक दे चुका हो जबकि पत्नि विवाह वाली रात्रि को विवाह विच्छेद किए जाने के तथ्य को इंकार करती है, तो ऐसी दशा मे मत व्यक्त किया गया कि सूचना की दिनांक से तलाक होना माना जायेगा। (ए.आई.आर.1939 इलाहाबाद 592)

मुसलमानों की शफी विधि के अंतर्गत पत्नि द्वारा दाम्पत्य संबंधो की पुनर्स्थापन के लिए की जाने वाली कानूनी कार्यवाही से पति न तो पत्नि को तलाक देना स्वीकार करता है और न ही उसके साथ शारीरिक सहवास करने के कृत्य को जारी रखने के विकल्प का चयन करता है, तो ऐसी दशा में भी न्यायालय तलाक प्रभावी कर सकता है। 'जिहार' अपूर्ण तलाक का एक रूप है, यदि पति–पत्नि की तुलना उसकी माँ अथवा प्रतिषेधित श्रेणी की अन्य महिला से करता है तो पत्नि पति के लिए सहवास से इंकार कर सकती है जब तक की वह प्रायश्चित नहीं कर लेता है प्रायष्चित द्वारा पष्चाताप करने में चूक करने में पत्नि के लिए न्यायिक तलाक का आवेदन करने की अधिकारी होती है। यदि पति जिहार का पश्चाताप करना चाहता है, तो उसे या तो 60 दिनों तक का रोजा रखना होगा या 60 गरीब व्यक्तियों को भोजन कराना होगा अन्यथा पत्नि शारीरिक सहवास करने से इंकार करने की हकदार होगी।

7. मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 –मुस्लिम महिलाओं के अधिकारो के संरक्षण के लिए जिनको पतियों के द्वारा तलाक दे दिया गया है अथवा जिन्होंने अपने पतियों से तलाक पा लिया है और उनके सम्बन्धित अथवा प्रासंगिक मामलो का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम पारित किया गया है।

8. बालविवाह अवरोध अधिनियम, 1929 और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006– भारतीय समाज में बाल विवाह की प्रथा बहुत पुरानी है, इसके विरूद्ध समाज में सुधार के व्यापक अभियान चलाए गए। 1929 में बाल विवाह रोकने के लिए अधिनियम पारित किया गया। जिसमें विवाह की आयु लड़को के लिए 18 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 14 वर्ष कम से कम रखी गई। हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 5(3) के तहत विवाह के लिए लड़के की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निश्चित की गई है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में बाल विवाह पर रोक लगाने हेतु दण्ड का प्रावधान रखा गया हैं,।

9. सती निवारण अधिनियम 1987– मृत पति की चिता पर उसकी पत्नि को जिंदा जला दिया जाना क्रूर तथा स्त्री जाति के प्रति किया गया गम्भीर अत्याचार था। विधवाओं की सम्पत्ति में उनका अधिकार न देना पडे, इसलिए सुनियोजित षडयंत्र के चलते उनके रिश्तेदारों द्वारा उन्हें सती होने के लिए उकसाया भी जाता था या फिर जबरन उन्हें पति की चिता में झोक दिया जाता था। इस अधिनियम द्वारा इस प्रथा के खिलाफ सख्त रवैया अपनाने की बात कही गई हैं।

इस अधिनियम मे उपबंध किया गया हैं कि भारतीय दण्ड संहिता 1860 में किसी बात के होते हए भी, जो कोई सती कर्म करने का प्रयत्न करेगा और सती कर्म करने का कोई कार्य करेगा। वह कारावास से जिसकी अवधि

6 माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा। जो कोई सती कर्म के गौरवान्वयन के लिए कोई कार्य करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा।

10. दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 – यह अधिनियम विवाह के प्रतिफल के रूप में दहेज प्राप्त करने अथवा प्रदान करने को आपराधिक होना निरूपित करता है। दहेज रूपी बुराई से निपटने के लिए एक ओर जहॉ स्वयं समाज के द्वारा प्रभावी कदम उठाए जा सकते है। वही दहेज को प्रतिषेधित करने के लिए वह इस कृत्य को दण्डित करने हेतु विधिक उपचार आवष्यक रूप से महसूस किया गया जिसकी परिणति दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के सृजन के रूप में हुई। इस कानून में समय-समय पर संशोधन किए गए एवं आवश्यकतानुसार कठोर भी बनाया गया। दहेज लेने व देने को दण्डनीय अपराध माना गया है।

12. दण्ड प्रक्रिया संहित, 1973 की धारा 125 –भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत पहले इस धारा के तहत पत्नि, माँ और बच्चे को प्रतिव्यक्ति अधिकतम 500/-रू. तक का भरण पोषण पाने का अधिकार था, लेकिन वर्ष 2001 में इस अधिनियम में संशोधन करके धनराशि की सीमा बंधन को खत्म कर दिया गया है। अब पति-पत्नि की हैसियत केअनुसार ही धनराशि तय होगी जैसा कि हिन्दू दत्तकग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम में प्रावधान है।

निष्कर्ष- आज देश में महिला को संरक्षण एवं सुरक्षा प्रदान करने हेतु अनेक कानून हैं और जिनको इन कानूनो की जानकारी है वे इससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। आज सामान्यत: सभी परिवारो में यह सुनने को मिलता है कि हमारे लिए बहू एवं बेटियों के बीच फर्क नहीं है, अगर इस बात पर सभी परिवार पूर्ण रूप से अमल करें तो भी महिलाओं की वैवाहिक प्रस्थिति में बदलाव आ जायेगा

सुझाव- महिलाओं की वैवाहिक स्थिति को सुधारने हेतु सुझाव निम्न हैं -

1. नारी की सामाजिक स्थिति को सुधारने तथा उसे सम्मानित, भयमुक्त तथा शोषण मुक्त जीवन प्रदान करने के लिए आवश्यकता है, एक ऐसे स्त्री उन्मुख राष्ट्रीय कार्यक्रम की, जिसके अंतर्गत सही अर्थो में नारी की प्रगति के प्रयास हों।
2. एक बालिका, युवती, किशोरी तथा वृद्धा के रूप में वह कैसे पारिवारिक व सामाजिक उत्पीड़न से मुक्त हो, इसकी रूपरेखा बनाई जाये।
3. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा रेडियों, टेलीवीजन, इंटरनेट पर इस तरह के महिला अधिकारों की जागरूकता हेतु कार्यक्रम एवं एडवर्डटाईजिंग की जाए, ताकि महिलाओं को विभन्न कानूनो के तहत मिले अधिकारों की जानकारी एवं समझदारी प्राप्त हों।
4. भारत में सभी नागरिकों को एवं बच्चों को महिलाओं के उनके संरक्षण हेतु बनाए गए कानूनों की जानकारी प्राप्त कराने के लिए उपाय करना चाहिए ताकि महिलाओं के अधिकारों का उल्लघंन करने के विचारों एवं कार्यो में कमी लाई जा सके।
5. महिलाओं की सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति को सुधारने के लिए स्वयंसेवी, समाजसेवी तथा गैर सरकारी संगठनो के विस्तार का प्रयत्न करना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. जैन एस.के., 'महिलाओं का उत्पीड़न एवं विधिक उपचार', तृतीय संस्करण 2011, प्रकाशक- इंडिया लॉ हाउस, इंदौर।
2. वावेल बसंतीलाल,'विवाह एवं तलाक विधि', प्रथम संस्करण 2014, इस्टर्न बुक कम्पनी, लखनऊ।
3. स्याल शांति कुमार, 'महिलाओं के कानूनी, धार्मिक एवं सामाजिक अधिकार',2008, प्रकाशक, अत्माराम एण्ड संस दिल्ली।
4. खेत्रपाल भीमसेन एवं पूजा, 'हिन्दू विधियाँ',2014, खेत्रपाल लॉ पब्लिकेशन, इंदौर।

लेख -

1. डॉ. अरूण कुमारी सिंह, 'महिला अधिकारों की अभियुक्त: महिला जाने अपने अधिकार' नौवा अंक आरंभ 'एक युवा स्तंभ' त्रैमासिक ई-पत्रिका, जुलाई-सिंतबर-2016,आई.एस.एस.एन.-2394-6660, arambh.co.in
2. एकता शर्मा, 'महिलाओं के कानूनी अधिकार: समाज, परिवार हर जगह बराबरी का दर्जा', yyy.malhaarmaedia.com/women -news/ the-womens-rights- society-famaily-equality-everywhere 18502/
3. भारत में महिलाऐं https:/hi.wikipedia.org/s/9de.

****

भारत में महिलाओं की स्थिति मानवाधिकार और कानून के परिप्रेक्ष्य में

अश्विन पालीवाल *

प्रस्तावना – भारतीय संस्कृति में आदिकाल से ही महिलाओं को काफी सम्मान दिया जाता था तथा उन्हें त्याग व ममता की देवी के रुप में पूजा जाता था। किन्तु समय के साथ अनेक प्रकार की कुप्रथाओं ने जन्म ले लिया तथा पुरुष प्रधान समाज ने अपने स्वार्थो के लिए महिलाओं के जीवन को काफी दयनीय स्थिति में लाकर खडा कर दिया। जिसकी वजह से महिलाओं के जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं ने जन्म ले लिया। फिर 19वीं व 20वीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए अनेक समाज सुधारकों जिसमें राजाराम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद जैसे महान लोगों ने अपने स्तर पर अनेक प्रयास किए, जिसमें वे काफी हद तक सफल भी रहे। और समाज में एक नई चेतना जाग्रत करने में अपना अनुठा योगदान दिया। आजादी के पहले व बाद में समाज में प्रचलित कुप्रथाओं जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दाप्रथा आदी पर अंकुश लगाने के लिए कडें कानून बनाएं गए। जिसकी वजह से काफी हद तक इन कुप्रथाओं पर अंकुश लगाने में सफलता प्राप्त की जा सकी।

समय के बदलाव के साथ-साथ समाज में भी बदलाव आता गया। महिलाओं के खिलाफ प्रचलित कुप्रथाओं पर तो अंकुश लग गया किन्तु नये समाज में महिलाओं के खिलाफ अन्य नये अपराधों ने जन्म ले लिया। पुराने समय में दहेज हत्या के बारे में सुनने में भी नहीं आता था किन्तु आज यह महिलाओं के खिलाफ होने वाले प्रमुख अपराधों में शामिल हो गया है। भ्रुण हत्या जो की आधुनिक समाज की ही देन है, जिसमें जन्म के पहले ही कन्या को अपनी मां के गर्भ में ही समाप्त कर दिया जाता है। देह व्यापार भी आधुनिक समाज पर एक कलंक है। जिसके माध्यम से अत्यधिक पैसा कमाने के लिये छोटी-छोटी बच्चियों को अपहरण कर उन्हें जबरन देह व्यापार में धकेोल दिया जाता है । जिसकी वजह से मजबूरन उन्हे नर्क के समान जीवन व्यतीत करना पडता है।

आज हमारे देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए अनेक प्रकार के कानून प्रचलित है तथा संविधान में भी उनके लिए उचित व्यवस्था की गई है किन्तु इसका क्या मतलब यदि ये कानून उन अपराधों पर बंदिश लगाने में असफल रहे है। क्या ये कानून सिर्फ हमारे देश की कानून व्यवस्था की शोभा बढाने के लिए बनाएं गये है।

यदि हम महिलाओं के खिलाफ होने वाले विभिन्न अपराधों को आंकडों के रुप में देखे तो-

बलात्कार की घटनाएं-

2008	2009	2010	2011	2012
21,467	*21397*	*22,172*	*24,206*	*24,923*

घरेलू हिंसा की घटनाएं –

2008	2009	2010	2011	2012
81,344	89,546	94,041	99,135	106,527

दहेज हत्या की घटनाएं –

2008	2009	2010	2011	2012
8,172	8,383	8,391	8,618	8,233

आदि अनेक प्रकार के अपराध है जो कि महिलाओं के खिलाफ होते है। यदि हम इन आंकडों को देखे तो पाएंगे की हर प्रकार के अपराध में वर्ष दर वर्ष काफी बढ़ोतरी हुई है। जो की हमारे कानून व्यवस्था के फैल होने को दर्शाती है।

हमारे देश में आजादी से पहले एवं आजादी के बाद महिलाओं की सुरक्षा, विकास, एवं उज्जवल भविष्य के लिये कई कानूनों को पारित किया गया तथा उनके खिलाफ होने वाले अपराधों के लिए कठोर से कठोर दण्ड देने की व्यवस्था की गई है।

महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके विकास के लिए प्रमुख अधिनियम इस प्रकार है –

(1) भारतीय संविधान में महिलाओं के लिये विशेष प्रावधान इस प्रकार है।
अनुच्छेद 14 – विधि के समक्ष समता ।
अनुच्छेद 15 – धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध ।
अनुच्छेद 16 – लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता।
अनुच्छेद 23 – मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध।
अनुच्छेद 39 – अनुच्छेद 39(क) पुरुष और स्त्री सभी नागरिको को समान रुप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो।
अनुच्छेद 39(घ) पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो।
अनुच्छेद 44 – नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता

(2) भारतीय दण्ड संहिता के कुछ विशेष प्रावधान ।
विवाह संबंधी अपराध – धारा 493 से 498 तक
धारा 498(क) – पति या पति के नातेदारों द्वारा क्रुरता के विषय में ।
गर्भपात कारित करने, अजात षिषुओं को क्षति कारित करने, शिशुओं को आरक्षित छोड़ने और जन्म छिपाने के विषय में – धारा 312 से 318 तक ।
यौन अपराध से संबंधित – धारा 375 से 376(घ) ।

(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत महिलाओं के अधिकार एवं उपचारात्मक

* अधिवक्ता एवं विद्यार्थी, ग्रा.पो. चौरासी बडायला तह.-पिपलौदा, जिला-रतलाम (म.प्र.) भारत

उपबंध स्त्रियों के अपने पति से भरण–पोषण प्राप्त करने से संबंधित –धारा 125

धारा 98 – अपहत् स्त्रियों को वापस करने के लिए विवश करने की शक्ति।

धारा 51 – गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की तलाशी।

(4) सतीप्रथा (निवारण अधिनियम) 1987
(5) दहेज (निषेध अधिनियम) 1961
(6) स्त्री अशिष्ट रुपण (निषेध) अधिनियम 1986
(7) अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956
(8) महिलाओं का यौन उत्पीडन से संरक्षण विधेयक 2005
(9) महिला समान पारिश्रमिक अधिनियम
(10) महिला कर्मचारियों के लिये कानून
(11) घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005

इतने मजबूत कानूनों के बावजुद भी महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में कमी नहीं आई है। बल्कि यदि हम यह कहे की उनके खिलाफ होने वाले अपराधों मे बढोतरी हुई है, तो गलत नहीं होगा।

महिलाओं की मौजुदा स्थिति और कानून – पुराने दौर में हमारे देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऐसे कानून नहीं थे। फिर भी महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती थी। उनके लिए समाज में सुरक्षा का वातावरण था। किन्तु आज इतने मजबुत व कठोर कानून होते हुए भी महिलाए बाहर तो दूर की बात है, अपने स्वयं के घर में भी सुरक्षित नहीं रह गई है। जिससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे समाज का स्तर कितना नीचे गिर गया है। जिन महिलाओं को पुराने समय में बहन, बेटी व बहू के रुप में देखा जाता था। आज सिर्फ हवस व भोग विलास की वस्तु के रुप में देखा जाता है।

महिलाओं के खिलाफ होने वाले प्रमुख अपराधों में बलात्कार, अपहरण, जबरन देह व्यापार, यौन अत्याचार और दहेज हेतु प्रताडना आदि प्रमुख रुप से कारित किए जाते है। जिससे समय के साथ–साथ बढोतरी देखी गई है, जो कि हमारे कानूनों की असफलता को दर्शाती है।

जब हमारा देश आजाद हुआ तब आजाद भारत के नागरिको के लिये एक संविधान का निर्माण किया गया। सभी नागरिकों के लिए एक समान व्यवस्था कि गई। इसमें महिलाओं के लिये भी पर्याप्त व्यवस्था की गई थी। किन्तु बड़े दु:ख की बात है कि आजादी के 70 वर्ष से अधिक समय गुजर जाने के बाद भी उन पर अमल नहीं किया गया है। कभी धर्म का बहाना बनाकर, कभी सामाजिक रुढ़ी को आधार बनाकर तो कभी राजनीतिक विवषता दिखाकर। इसलिये हमारे संविधान के अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता की व्यवस्था होने के बावजूद भी उसे अमलीजामा नहीं पहनाया गया है।

आज विश्व में महिलाओं के लिये सुरक्षित देशों की श्रेणी देखे तो भारत की रैंकिंग काफी नीचे है। जिसके लिए कहीं ना कहीं हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था जिम्मेदार है। इसके लिए आवश्यक है कि हमारे देश के राजनेता अपनी जिम्मेदारी को समझे व एक दुसरे पर दोषारोपण व गंदी राजनीति करने के बजाय महिलाओं के लिए एक समान कानून की व्यवस्था करे।

हमारे देश में दहेज उत्पीड़न एवं यौन अपराध ऐसे अपराध है, जो कि सबसे अधिक मात्रा में महिलाओं के खिलाफ होते है। इसके लिये तमाम कानून भी बनाए गये है किन्तु ये कानून इन अपराधों पर लगाम लगाने के बजाए इन्होंने और दूसरे अपराधों को जन्म दे दिया है। जिसकी वजह से समाज मे ओर अधिक तनावपूर्ण वातावरण निर्मित कर दिया है। इन्होने परिवार में विश्वास के वातावरण को दूषित कर दिया है। कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग आपराधिक महिलाओं के सहयोग से सीधे साधे लोगों पर झुठे आरोप लगाकर उन्हें ब्लेकमैल करते है तथा मोटी रकम की मांग करते है। और यदि उनकी मांग नहीं मानी जाती है, तो कानूनी कार्यवाही का डर दिखाया जाता है। झुठी कानूनी कार्यवाही व अपनी बदनामी के भय से ऐसे उनकी बात मान लेते है। इस प्रकार से यह कानून ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के पुरुष व महिलाओं के लिए धन कमाने का जरिया बन गया है।

महिलाओं की स्थिति सुधारनें के लिए अनेक प्रकार के कानून बनाए गए। ऐसे कानूनों को देखकर ऐसा लगता है कि हम सिर्फ कानून बनाने का ही कार्य करते है। जब भी कोई बड़ी घटना महिलाओं के साथ होती है तो प्रिन्ट मिडिया, इलेक्ट्रोनिक मिडिया में बहुत हो हल्ला होता है और सरकार के उपर दबाव बनाया जाता है। सरकार भी अपनी साख बचाने के लिए और माहौल को शांत करने के लिए जल्दबाजी में कानून बना देती है और अपनी पीठ थपथपाना शुरु कर देती है कि देखो हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कुछ नहीं किया है।

****

मातृत्व का विकल्प दत्तक ग्रहण या सरोगेट मदर

अश्विन लोया *

प्रस्तावना – नारी की पूर्णता मातृत्व से है। संतान प्राप्ति के विकल्प हैं – प्रथम : दत्तक ग्रहण व द्वितीय टेस्ट ट्युब बेबी तृतीय सरोगेट मदर। भारत में दत्तक से संबंधित विधिक प्रावधान हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण–पोषण अधिनियम 1956 में है । टेस्ट ट्युब बेबी व सरोगेट मदर पर एक सशक्त कानून की आवश्यकता है इसलिए यह शोध–पत्र की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है।

पिछले दस वर्षों से भारत में सरोगेसी का चलन तेजी से बढ़ा है। एक अनुमान के अनुसार, लगभग 30 प्रतिशत भारतीय महिलाएं सरोगेट प्रेग्नेंसी का विकल्प चुनती हैं। 1000 से ज्यादा बच्चे प्रतिवर्ष भारत में सरोगेसी द्वारा जन्म लेते हैं और यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। नवंबर 2015 के पहले, जब भारत सरकार ने व्यवसायिक सरोगेसी पर प्रतिबंध लगाया, भारत में सरोगेसी से जन्मे 80 प्रतिशत बच्चे विदेशियों के लिए होते थे। सरोगेसी के दुरुपयोगों के चलते ही विश्व के अधिकांश देशों में व्यावसायिक सरोगेसी पर प्रतिबंध लगा है। ऐसी हालत में यह जानना जरुरी है कि सरोगेट मदर कौन हो सकती है और इसका चुनाव कैसे करें।

भारत में क्या हाल – सरोगेसी रेग्युलेशन बिल के अनुसार देश में सरोगेसी के द्वारा जन्मे बच्चे को वही सब अधिकार होते हैं, जो जैविक संतान को होते हैं। भारतीय दंपती जो बांझपन के शिकार हैं। जिनकी उम्र 23–50 वर्ष (महिला) और 26–55 (पुरुष) जिनकी शादी को पांच वर्ष हो गए हैं वो सरोगेसी का विकल्प चुनने के पात्र हैं। व्यावसायिक सरोगेसी, सरोगेसी से जन्मे बच्चे को अपनाने से मना कर देना, मानव भ्रूण को बेचना या आयात करने को गैर–कानूनी घोषित कर दिया गया है। भारतीय सरोगेट मदर द्वारा विदेशी दंपतियों के संतान प्राप्ति पर भी प्रतिबंध है।

उपकल्पना – संतान प्राप्ति के लिए सरोगेट मदर की तुलना में दत्तक ग्रहण एक सुविधाजनक विकल्प है।

शोध का प्रकार – उपकल्पना की सत्यता की परख के लिए शोधार्थी ने नॉन डॉक्ट्रिनल पद्धति को अपनाया।

शोध का क्षेत्र – शोध के लिए महानगर क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र की नि:संतान दंपती जिनके विवाह को पांच वर्ष व्यतीत हो गये हैं। ऐसी सौ महिलाओं का चयन किया है।

शोध का विश्लेषण – शोधार्थी ने शोध के लिए 1600 महिलाओं को चुना है। चयन के लिए दो वर्ग बनाए एक शहरी क्षेत्र एवं दुसरा ग्रामीण क्षेत्र जिनको उपशीर्षकों में विभाजित किया निरक्षर एवं साक्षर, घरेलू महिला कामकाजी महिला व लोप्रोफाईल महिला एवं हाइप्रोफाईल महिला। एक प्रश्नावली तैयार की गई।जिसका प्रश्न नं एक– संतान के लिए आप कौन सा विकल्प चुनेंगी?

अ. दत्तक ग्रहण ब. सरोगेट मदर स. पता नहीं

प्र. दो – दत्तक ग्रहण ही क्यों अ. परंपरागत सोच ब. विकल्प का अभाव

प्र. तीन–सरोगेट मदर क्यों नहीं? अ. चिकित्सकीय सुविधाओं का अभाव

ब. जानकारी का अभाव स. पता नहीं।

अ. निरक्षर महिला – 80 प्रतिशत निरक्षर महिलाओं ने दत्तक ग्रहण द्वारा संतान प्राप्ति के विकल्प को चुनां सरोगेट मदर का विकल्प 0 प्रतिशत महिलाओं ने चुना। 20 प्रतिशत महिलाओं ने पता नहीं का विकल्प चुना।

दत्तक के पक्ष में	सरोगेट मदर के पक्ष में	पता नहीं
80 %	0 %	20 %

शोध का निष्कर्ष – 80 प्रतिशत शहरी निरक्षर महिलाओं ने संतान प्राप्ति के लिए सरोगेट मदर की तुलना में दत्तक – ग्रहण एक सुविधाजनक विकल्प का चयन किया। यहॉ उपकल्पना की व्यावहारिक स्वीकार्यता 80 प्रतिशत है ।

ब. साक्षर महिला –

अ. लो प्रोफाईल शिक्षित महिला – लो प्रोफाईल शहरी शिक्षित महिलाओं में से 85 प्रतिशत ने संतान प्राप्ति के लिए सरोगेट मदर की तुलना में दत्तक – ग्रहण एक सुविधाजनक विकल्प का चुनाव किया । यहां उपकल्पना की व्यावहारिक स्वीकार्यता 85 प्रतिशत सिद्ध हुइं।

दत्तक के पक्ष में	सरोगेट मदर के पक्ष में	पता नहीं
85 %	01 %	14 %

ब. हाई प्रोफाईल शिक्षित महिला

दत्तक के पक्ष में	सरोगेट मदर के पक्ष में	पता नहीं
50 %	30 %	20 %

शोध का विश्लेषण – हाई प्रोफाईल शहरी शिक्षित महिलाओं में 50 प्रतिशत ने संतान प्राप्ति के लिए सरोगेट मदर की तुलना में दत्तक ग्रहण एक सुविधाजनक विकल्प है, का चुनाव किया। यहां भी उपकल्पना की व्यावहारिक स्वीकार्यता 50 प्रतिशत सिद्ध हुई।

सरोगेट मदर के विकल्प का सर्वाधिक चयन 30 प्रतिशत हाई प्रोफाईल शिक्षित महिलाओं ने किया है,जो इस संकेत की ओर इंगित करता है कि हाई प्रोफाईल शहरी शिक्षित महिलाओं में सरोगेट मदर के प्रति रुझान बढ़ा है।

अ. घरेलू महिला – सौ घरेलू महिलाओं का अलग – अलग क्षेत्रों से चयन किया जिसमें 90 प्रतिशत महिलाओं ने दत्तक के प्रति परंपरागत रुझान को प्रकट किया और 10 प्रतिशत महिलाओं ने सरोगेट मदर के विकल्प को चुना।

दत्तक के पक्ष में	सरोगेट मदर के पक्ष में	पता नहीं
90 %	10 %	0 %

संतान प्राप्ति के लिए सरोगेट मदर की तुलना में दत्तक ग्रहण एक सुविधाजनक विकल्प है। इस पर 90 प्रतिशत महिलाओं ने सहमति प्रकट कर उपकल्पना की व्यावहारिक स्वीकार्यता 90 प्रतिशत सिद्ध हुई।

* शोधार्थी , विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

ब. कामकाजी महिला – सौ कामकाजी महिलाओं का अलग – अलग क्षेत्रों से चयन किया

शोध का विश्लेषण – कामकाजी महिलाओं में 60 प्रतिशत ने दत्तक ग्रहण। 30 प्रतिशत सरोगेट मदर व 10 प्रतिशत पता नहीं का विकल्प चुना।

दत्तक के पक्ष में	सरोगेट मदर के पक्ष में	पता नहीं
60 %	30 %	10 %

संतान प्राप्ति के लिए सरोगेट मदर की तुलना में दत्तक ग्रहण एक सुविधाजनक विकल्प के लिए 60 प्रतिशत कामकाजी महिलाओं ने सहमति प्रकट की। उपकल्पना की व्यावहारिक स्वीकार्यता 60 प्रतिशत सिद्ध हुई। 30 प्रतिशत कामकाजी महिलाओं ने सरोगेट मदर के प्रति रुझान प्रकट तेजी से बदलती हुई सोच के प्रति ध्यान आकृष्ट किया।

शोध निष्कर्ष –

1. शोध निष्कर्ष से भारतीय नि:संतान महिलाओं में कहीं कम कहीं अधिक परंपरागत दत्तक ग्रहण की सोच का प्रभाव देखने में आया।
2. हम दो – हमारे एक के परिवार नियोजन की सामाजिक प्रतिबद्धता के उद्घोष से दत्तक देने या लेने की संभावना कमजोर हो रही है। एक ही संतान को कैसे दत्तक दे इस विवषता ने सरोगेट मदर के विकल्प की ओर ध्यान आकृष्ट किया।
3. चिकित्सकीय सुविधाओं की अनुपलब्धता एवं ज्ञान की कमी से दत्तक ग्रहण की विवषता प्रकट हुई।

सुझाव –

1. सरोगेट मदर की पहचान गुप्त रखी जावे।
2. सरोगेट मदर निकटस्थ रिश्तेदार हों।
3. सरोगेसी की व्यावसायिकता पर प्रतिबंध लगे। जिससे बच्चों के विक्रय को रोका जा सके।
4. समय पूर्व उत्पन्न बच्चे या दिव्यांग बच्चे के भविष्य को सुरक्षित करने का प्रावधान हो।
5. सरोगेसी मदर को पर्याप्त आर्थिक अनुतोष का प्रावधान हो।
6. विदेशी जोड़े के लिए भारत में सरोगेसी के विकल्प चयन पर प्रतिबंध हो।
7. दत्तक की सार्थकता के लिए परिवार नियोजन संस्था द्वारा संतान की संख्या पर प्रतिबंध की अनिवार्यता का प्रावधान हटना चाहिए।
8. सरोगेट मदर पर प्रभावी कानून की आवश्यकता प्रतीत होती है।
9. चिकित्सकीय सुविधाओं की उपलब्धता बढे।
10. सरोगेट मदर विषय पर जन जागृति का प्रयोग (सोशल अवेयरनेस)

****

विभिन्न दण्ड कानूनों का क्रियान्वयन और महिलाओं की स्थिति

दीक्षा तनेजा *

प्रस्तावना – 'मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी,
नंदन वन सी फूल उठी, यह छोटी सी कुटिया मेरी।'

सुभद्रा कुमारी चौहान जी की मार्मिक पंक्तियाँ, हृदय में जलतरंग की भांति स्त्री सत्ता के महत्व को दर्शाती है। जीवन सृजन के असीम वरदान के साथ स्त्री गुणों की एक खदान तो है ही, साथ ही साथ विश्व की लगभग आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व स्त्री करती है। इस महत्व के साम्पाश्वर्क भारत ही नही विश्व में भी ऐसे अवसर आए जब, नारी महत्व तो छोड़िए अपने अस्तित्व के लिए भी लड़ने हेतु वीरांगना बनी।

संसार में आपका जन्म हुआ और आप मानव बन गए, हर मानव जीव को जन्म से एक तोहफा मिलता है, मानवाधिकार का। स्त्री को तो यह तोहफा प्राप्त होकर भी छीन लिया गया। सृजनपुंज को दोयम दर्जे का एक – मानव मानकर तिरस्कृत किया और उपेक्षित छोड़ दिया गया। अपितु यह भी सत्य है। सृजन में भी विनाश समाहित है। नारी ने भी पुनर्जागरण की एक श्रृंखला का उद्धार कर अपने अधिकारों हेतु एक नया संस्करण विमोचित किया और इस विजयघोष में साथी बनी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका स्वर्ण अक्षरों से लिखे गए उसके अधिकारों से निष्पादन के तारों और न्यापालिका द्धारा दिए गए कुशल निर्णयों के माध्य से – महिलाएँ सशक्त हुई और स्वयं के मूलभूत अधिकारों को प्राप्त कर पाई।

इसी तारतम्य में महिलओं के संबंध में हर क्षेत्र में संरक्षक कानून, बने। अत: इस हेतु पूर्व की स्थिति वर्तमान परिपेक्ष्य व कानूनी परिस्थिति जानना अत्यन्त आवश्यक है, जो इस प्रकार है –

(i) सुरक्षा का संचार –

(a) लज्जा भंग से संरक्षण – स्त्री को एकातंता का अधिकार है और सर्वप्रथम – स्त्री के स्वरूप को भावनात्मक तौर पर क्षीण इसी अपराध के द्धारा किया जाता है। यद्यपि स्त्री की लज्जा भंग हेतु कानूनी परिप्रेक्ष्य में वृहद परिवर्तन 'निर्भया मामले' में आया और भारतीय दण्ड संहिता की कुछ धाराओं को जोड़ कर सुरक्षा का नया अध्याय जोड़ा गया।

(1) धारा 354 –स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से या संभाव्य जानते हुए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा – वह 1 वर्ष से कम नही, किन्तु पांच वर्ष के कारावास से दण्डित होगा तथा जुर्माने से भी दण्डित किया जाऐगा।

(2) धारा 354 A –लैंगिंग उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दण्ड – किसी भी महिला के साथ शारीरिक संपर्क और अग्रकियाएँ करने का प्रस्ताव, लैंगिक स्वीकृति की मांग या अनुरोध, अशलील साहित्य दिखाना तथा लैंगिक आभासीय टिप्पणी करना, इसके अन्तर्गत आएगा।

(3) धारा 354 B – महिला गरिमा को सर्वाधिक सम्मान या संरक्षण देने वाली धारा है। कि किसी महिला को विवस्त्र या निर्वसत्र करने के लिए हमला, आपराधिक बल का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

(4) धारा 354 C – दृश्यरतिकता – कोई पुरूष महिला को उस स्थिति में नहीं देखेगा जहाँ वह प्रत्याशा करती है कि वह एकांत में है। महिला को एकटक देखना या प्राईवेट कार्य में लगे रहने के दौरान चित्र खींचने की सहमति दी है, तो भी उसकी सहमति के बिना उस चित्र को प्रसारित नहीं किया जाएगा।

(5) धारा 354 D – पीछा करना – किसी महिला के साथ अन्योनक्रियाएं बढ़ाए जाने या अनिच्छा दर्शित किए जाने के बाद भी बारम्बार पीछा करना इस श्रेणी में आएगा। एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह भी है कि इंटरनेट या किसी अन्य इलैक्ट्रोनिक माध्यम से भी किसी स्त्री का पीछा करना इस श्रेणी में आएगा।

(ii) बलातसंग से मनोबल का हरण व संरक्षण –

(1) धारा 375 में 7 परिस्थितियाँ दी गई है, जब स्त्री के साथ किया गया कृत्य बलातसंग की श्रेणी में आएगा।

(2) धारा 376 को भी अतिविस्तृत करते हुए 14 भागों में कुछ श्रेणीयों के व्यक्यिों को रखा है जैसे पुलिस अधिकारी, लोक सेवक , जेल व अस्पताल के प्रबंधक, अध्यापक, प्रतिपाल्य संरक्षक आदि द्धारा अपराध किए जाने की दशा में गुरोत्तर दण्ड का प्रावधन किया गया है।

(3) धरा 376 अ –अगर पीड़ित की मृत्यु बलातसंग के दौरान कारित होती है या महिला लगातार विकृतशील अवस्था में रहती है तो – अपराधी – मृत्युदण्ड से या आजीवन कारावास से दण्डनीय होता है।

(4) धारा 376 इ – विवाह के दौरान अगर पृथकरण की डिकी दी गई है और पति द्धारा पत्नि के साथ मैथुन करने पर पत्नि को संरक्षण प्रदान किया गया है ।

(5) धारा 376 उम्रें सामूहिक बलातसंग को दण्डनीय बनाते हुए अपराधी को आजीवन कारावास से दण्डित करने का प्रावधान किया गया है।

(6) पुरावृत्ति भी अपराध है अर्थात एक बार दोषसिद्ध होने के पश्चात अपराधी उक्त धाराओं में वर्णित अपराध पुन: करता है, तो इस गंभीर अपराध हेतु मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास का दण्डादेश दिया जाता है।

उपचार – दण्डप्रक्रिया संहिता का धारा 357 B के तहत पीडित धारा 376 D और 326 अ के तहत प्रतिकर पृथकत: भी प्राप्त करने की अधिकारी है।

(iii) सामाजिक अपराधों में महिलाओं के विरूद्ध अम्लीय हमला आज की ज्वलंत संमस्या बन गया है। इस हेतु धारा 326 A व धारा 326 B के

* शोधार्थी , गुना (म.प्र.) भारत

तहत अमल देना या फेंकना या देने या फेंकने का अपराध भी दण्डनीय बनाया गया है।

इसी परिपेक्ष्य में **लक्ष्मी विरूद्ध भारत संघ** के वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिशा निर्देश देते हुए आदेश दिया है कि अमलीय हमलें में घायल, पीड़ित महिला को तुरंत उपचार दिया जाना चाहिए। **मध्य प्रदेश सरकार** द्वारा **पीड़ित प्रतिकर योजना 2015** लागू कर इन निर्देशों को मूर्त रूप दिया।

(iv) प्रथम सूचना रिर्पोट पंजीबद्ध नहीं करना भी अपराध है, इस हेतु भारतीय दण्ड संहिता की धारा 166 इ व धारा 166 उ में प्रावधान किया गया है। उपरोक्त वर्णित उपराधों की प्रथम सूचना लेखबद्ध करने से इंकार करना या किसी असहमति दण्डनीय अपराध बनाकर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया है।

(v) दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज देना लेना व मांग दण्डनीय बनकर, महिलाओं के संबंध में एक प्रशसंनीय पहल की गई है। यद्यपि भारतीय साक्ष्य. अधिनियम की धारा 113अ में आत्महत्या के दुष्प्रेरण व धारा 113 इ में दहेज मृत्यु के संबंध में उपधारणा का प्रावधान किया गया है। ताकि पीड़ित महिला और उसके परिवार का सबूत भार हल्का हो सके तथा उचित न्याय प्राप्त हो। साथ ही भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304अ के तहत दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास का दण्ड दिया जाने का भी प्रावधान है।

(vi) घरेलू हिंसा से महिलाओं क संरक्षण अधिनियम 2005 – यह पूर्ण अधिनियम महिलाओं को भावनात्मक, शारिरिक, मानसिक, लैंगिक और आर्थिक हिंसा के विरूद्ध महिलाओं को संरक्षरण प्रदान करता है। किन्तु इस अधिनियम का व्यापक रूप में दुरूपयोग होने से माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा धारा 2(q) के तहत– महिला भी घरेलू हिंसा की दोषी हो सकेगी निर्णय दिया है।

(vii) बाल विवाह के संरक्षण – बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत महिला जिसका विवाह 18 वर्ष की कम आयु में किया गया हो वह, उस विवाह को शून्यकरणीय घोषित करा सकती है तथा आपवादिक दशाओं में शून्य भी घोषित करा सकती है।

(viii) कार्यस्थल पर महिलाओं के शोषण से संरक्षण – माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **विशाखा विरूद्ध राजस्थान** राज्य में दिशा निर्देश दिए तथा सामाजिक और पेशेवर दवाब से हट कर महिला स्वयं की गरिमा की इफाजत कर सकती है।

(ix) कुछ संवैधानिक प्रावधान भी अवलोकनीय है जैसे अनुच्छेद 14 के तहत महिलाओं के साथ समान व्यवहार होना चाहिए किन्तु उनके संरक्षण हेतु अनुछेद 42 के तहत राज्य का एक नितिनिर्देश तत्व है कि महिलाओं को प्रसूती सहायता प्राप्त हो तथा अनुच्छेद 39 (व) के तहत महिलाओं को पुरूषों के समान समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। स्त्रीयों का सम्मान करना भी अनुच्छेद 51(श) के तहत एक मौलिक कर्त्तव्य है।

इन दण्ड कानूनों में महिलाओं की स्थिति – महिलाओं के संरक्षण, सुरक्षा हेतु आदि काल से वर्तमन में भी परिवर्तन, सृजन और संसोधन का क्रम जारी है। मुख्यत: सभी कानून सशक्त है, फिर भी महिलाओं के विरूद्ध अपराधों में निरंतर वृद्धि हो रही है। जिस अनुपात में विधि बनती है। उससे असंख्य प्रतिशत में अपराधों का सृजन हो रहा है। इसका मुख्य कारण है, कानून के क्रियान्वयन की इच्छाशक्ति का अभाव । पुरूष को विद्यालय में यह पढ़ाया जा सकता है कि – हिंसा अपराध है, पर वह सीखेगा जब ही जब अपने पिता को उसकी माता का सम्मान करते देखेगा।

यद्यपि यह तो सिक्के का एक पहलू है, महिलाएँ स्वयं भी क्रियान्वन व निष्पादन में बाधक है। कानून का दुरूपयोग व मिथ्या जानकारी देना आज समाज की मुख्य समस्या बन गया है। इस कृत्य से हितग्राही कानून का फायदा नहीं उठा पाते क्योंकि उन्हें भी संशय की नजर से देखा जाता है।

कुछ समस्याओं के होते हुए भी निष्पादन जितना भी हो रहा है वह महिलाओं को एक आत्मनिर्भता प्रदान करते हुए सशक्त करता है। कुछ विसंगतियाँ भले ही हो जैसे की ट्रिपल तलाक जैसे प्रावधान जो मुस्लिम महिलाओं को संरक्षा से अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, छोड कर – महिलाएँ आज एक स्वतंत्र, स्वच्छंद समाज का प्रतिविम्ब बनकर उभर रही है, जो एक बेहतर कल का आगाज है, इसकी परिध्वनि ओलम्पिक खेलों में स्वर्ण अक्षरों से लिखी व सुनी गई।

****

कामकाजी महिलाओं की शौषण से सुरक्षा और श्रम कानून

डॉ. बद्रीलाल मालवीय *

प्रस्तावना – महिला समाज का अंग हैं। **संस्कृत वाङ्मय** मैं कहॉ गया है कि **'यत्र नार्यस्तु पुज्यन्तें रमंते तत्र देवता:'** इस प्रकार अतीत से महिला का समाज में महत्वपूर्ण स्थान रहा हैं। उसे सुख व समृद्धि का प्रतीक माना जाता रहा हैं। यह स्थिति काफी समय तक चलती रही, किन्तु समय अनुक्रम में मनुष्य ने स्वार्थवश महिला को मात्र भोग विलास की वस्तु मान लिया। इसके फल स्वरूप समाज में उसकी स्थिति दयनीय हो गई। **कविवर मैथिलीशरण गुप्त** ने आधुनिक महिला का चित्रण इस प्रकार किया है– **'अबला तेरी यही कहानी, आँचल में दुध आंखों में पानी'।**

लंदन स्कूल ऑफ हाईजीन एण्ड ट्रापिलकल मेंड़िसिन की प्राध्यापक **शेरलोट वॉट्स** ने बताया– महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा को जादु की कोई छड़ी खत्म नहीं कर सकती। लेकिन साक्ष्य हमें बताते है कि, रवैये और बर्ताव में बदलाव लाना संभव हैं। तथा इसे एक पीढ़ी से कम समय के अंदर हासिल किया जा सकता हैं।

गांधीजी ने कहा था– महिलाओं को कानुनी अधिकार मिलना चाहिए, मैं किसी भी हालत में महिलाओं के अधिकारों के विषय पर समझौता नहीं कर सकता। मेरे विचार में कानूनी असमर्थता के तहत महिलाओं को काम नही करना चाहिए। मैं तो लड़के व लड़कियों को समान स्तर पर पूर्ण समानता का पक्ष पाती हूँ।

कामकाजी महिलाओं का यौन उत्पीड़न – कामकाजी महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने वाला एक महत्वपूर्ण मामला **विशाखा** बनाम **स्टेट ऑफ राजस्थान ए.आई.आर. 1997 एस.सी. 3011** का सामने आया हैं यह कहना गलत नहीं होगा कि बदलते परिवेश में महिलाए कामकाज के क्षेत्र में आगे आई हैं। वे पुरूष के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगी हैं। लेकिन जब कामकाजी महिलाए के साथ यौन उत्पीड़न किया जाता हैं तो उनके जीने के अधिकार का हनन होता हैं । अत: कामकाजी महिलायें का यौन उत्पीड़न रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय ने उक्त मामले में कतिपय आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं, यथा–

संस्था व कार्य स्थलों के नियोजकों या अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों का कर्तव्य – यह संस्था के एवं कार्यस्थलों के नियोक्ताओं का एवं जिम्मेदार अधिकारियों का कर्तव्य होगा कि इन स्थलों पर कार्यरत महिलाओं के यौन शोषण को निवारित करें, घटित होने से रोकें तथा ऐसे कृत्यों के निदान, निष्पादन एंव अभियोजन के लिए अपेक्षित उपाय करें।

परिभाषा – यौन शौषण में निम्न का समावेश हैं।

(क) शारीरिक सम्पर्क या इसकी कोशिश,
(ख) यौन सम्पर्क का तकाजा या इसका अनुरोध,
(ग) अश्लील टिप्पणियाँ,
(घ) कामुक चित्र दिखाना,
(ड़) अन्य अशोभनीय शारीरिक, मौखिक या गैर मौखिक आचरण।

यौन शोषण में उक्त सभी प्रकार का प्रत्यक्ष या परोक्ष अश्लील व्यवहार शामिल हैं।

निवारण के उपाय – सभी जारी निर्देशों को सूचना पटटों पर लिखाया जावें इन्हें वितरित किया जावे और इन्ही निर्देशों की तरह लोगों को समझाया जावे ताकि वे ऐसी गलतियाँ नही करे। निजी एंव सरकारी कार्य स्थलों पर कार्य करने वाली महिलाए के खिलाफ दुराचार के लिए सजा दिए जाने का प्रावधान करने के लिए निर्देश जारी किया जावें

कार्य स्थलों पर महिलाओं सम्बंधी कार्यो में उन्हें पूरी सुविधा उपलब्ध करायी जावें कार्य स्थलों पर महिलाओं को स्वास्थ, छुटटी एवं अन्य सुविधाओं से वंचित नहीं रखा जावें इन सुविधाओं से वंचित रखना महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार माना जावेगा। सरकारी व निजी संस्थानों के प्रबधंक भी इन निर्देशों का पालन करेंगे।

आपराधिक प्रक्रिया– यौन उत्पीड़न के मामले मे जहॉ पर कोई आचरण भारतीय दंड संहिता के या अन्य विधि में विनिर्दिष्ट अपराध हो वहां नियोजक विधि अनुसार उचित कार्यवाही करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी महिला को या साक्षीगण को किसी प्रकार से पीड़ा नहीं पहुचॉई जावे। यौन उत्पीड़क या यौन उत्पीड़न कर्ता को विकल्प प्राप्त हो कि वे अपना स्थानान्तरण करवा लेवें।

अनुशासनात्मक कार्यवाही – जहां पर संगत सेवा नियमो में ऐसा आचरण सेवा में दुराचरण हो वहाँ पर यौन उत्पीड़नकर्ता के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही नियोजक द्धारा की जानी होगी।

परिवाद तंत्र – चाहे ऐसा आचरण विधि में किसी अपराध का अथवा सेवा नियमों की अवहेलना गठित करता हैं या नहीं पीड़ित महिला द्धारा की गई। शिकायत का निदान करने के लिए, नियोजक संगठन में एक परिवाद तंत्र का गठन किया जाना होगा। ऐसा परिवाद तंत्र एक निश्चित समय सीमा में इसका निपटारा करेगा।

परिवाद समिति – परिवादी की यौन उत्पीड़न की शिकायत सुनने व उसके निस्तारण के लिए शिकायत समिति बनायी जावेगी। जिसकी अध्यक्ष महिला होगी और इस समिति में कम से कम आधी महिलाए सदस्य होगी। यह समिति शिकायत का लेखा जोखा रखेगी और वर्ष के अंत में इसकी रिपोर्ट सरकार को देगी।

कर्मचारियों द्धारा पहल – कर्मचारियों को यौन शोषण के मामलों को उनकी सभाओं में तथा उचित अधिकरण के समक्ष उठाने की अनुमति होगी। इन बिन्दुओं को कामगारो एवं उनके नियोजकों की सभाओं में सकारात्मक व दृढ़ता से उठाया जाकर विचार विमर्श किया जाना चाहिए।

जागरूकता – महिला कर्मचारियों में यौन शोषण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए इन दिशा निर्देशों को प्रमुखता से प्रकाशित एवं प्रसारित किया जाना चाहिए।

* अतिथि विद्वान, शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय, शाजापुर (म.प्र.) भारत

अजनबी व्यक्तियों द्वारा यौन शोषण – जहाँ यौन उत्पीड़न कार्यालय अथवा संस्था के बाहर के व्यक्ति द्वारा किया जा रहा हो तो नियोजक द्वारा उस महिला को समुचित संरक्षण मार्गदर्शन एवं सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

केन्द्र/राज्य सरकारों को निर्देश – केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों को निर्देश है कि वे यौन शोषण निवारण हेतु समुचित उपाय करें और विधान बनाकर इन दिशा निर्देशों का उसमें समावेश कर यह सुनिश्चित करें कि इनकी अनुपालना निजी क्षेत्रों में भी हो।

अपवाद – मानवाधिकार संरक्षरण अधिनियम 1993 द्वारा प्रदत्त अधिकारो का ये दिशा निर्देश उल्लंघन नहीं करेंगे।

वस्त्र निर्यात संवर्धन समिति बनाम **ए.के.चौपड़ा का मामला ए. आई. आर. 1999 एस.सी. 625** – कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न का यह एक और महत्वपूर्ण मामला हैं, इसमें वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद के अध्यक्ष के सचिव द्वारा एक महिला लिपिक को टाइप के लिए ताज पैलेस में बुलाया गया। जहाँ उसके साथ छेड़छाड़ एवं अभद्र व्यवहार किया गया तथा उससे यौन सम्पर्क करने का प्रयास किया गया। उच्चतम न्यायालय ने इसे अत्यंत गंभीरता से लेते हुए कहॉ कि यह लिंग आधारित न्याय के मूल अधिकारों का अतिक्रमण हैं। ऐसे व्यक्तियों को सेवा में रहने का कोई अधिकार नही हैं।

दिसम्बर 2012 के **ऐसोचेम** के सर्वे के अनुसार, कामकाजी महिलाओं की कार्यकुशलता में 50 फिसदी की कमी आ गई हैं।

महिला सुरक्षा संबंधी श्रम कानून – देश के विकास, औद्योगिक विकास के साथ–साथ कारखानो, खदानो, फैक्ट्रियों, एवं अन्य संस्थानो में महिलाओं के लिये रोजगार के अवसरो में निरंतर प्रगति हुई हैं। औद्योगिक विकास के साथ साथ महिला कर्मियों की समस्याएं भी बढ़ी हैं। महिलाओं के बाहर काम पर जाने के कारण पारिवारिक जीवन में अनेक प्रकार की समस्याये भी पैदा हुई हैं। माता पिता की गैर मौजूदगी में बच्चों का संतुलित विकास नहीं हो पाता। बच्चों की पढ़ाई पर विपरित असर पड़ता हैं। कुछ अन्य समस्यायें भी है, जैसे– महिला श्रमिकों को दुसरे दर्जे का कर्मी समझा जाना, अपर्याप्त मजदुरी का भुगतान होना, उनके लिए स्वास्थ्य की सुरक्षा और कल्याणकारी स्थिति न होना आदि। विभिन्न क्षेत्रों में श्रमिक महिलाओं की संख्या बहुत हैं किन्तु उन्हें कानून द्वारा दिए गए अधिकारों एवं सुविधाओं की जानकारी नही हैं। यह आवश्यक है कि उन्हें कानून द्वारा दी गई सुविधाओं एवं अधिकारों का ज्ञान हो।

कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा के लिए विभिन्न श्रम कानून निम्नानुसार हैं –

1. **अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1979–** कुछ विशेष नियोजनों में महिलाओं के लिए अलग शोचालय तथा स्नानागारो की व्यवस्था करना आवश्यक हैं।
2. **समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976–** सामान कार्य हेतु महिलाओं को भी पुरूषों के सामान पारिश्रमिक का प्रवाधान करना।
3. **बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976–** लौह मेगनीज एवं अयस्कखान श्रमिक कल्याण निधि **अधिनियम 1976**, चुना, पत्थर और डोलोमाईट खान श्रमिक कल्याण निधि **अधिनियम 1972**–इन अधिनियमों के अंतर्गत नियुक्त सलाहकार समिति में एक महिला सदस्य की नियुक्त अनिवार्य करना।
4. **ठेका श्रम अधिनियम, 1970 –** महिला श्रमिकों से बागानो में प्रात: 6.00 बजें से सांय 7.00 के बीच 9 घंटे के बाद काम लेने पर रोक लगाना।
5. **प्रसुति प्रसुविधा अधिनियम, 1961–** 80 कार्य–दिवस पुरे होने पर महिला कर्मियों को प्रसव/गर्भपात हेतु आवश्यक रूप से निर्धारित अवकाश तथा चिकित्सासुविधा दिया जाना।
6. **बीड़ी एवं सिगार कर्मकार अधिनियम, 1966–** निर्धारित सीमा में महिला कर्मकारों के होने पर उनके बच्चो हेतु **'शिशु सदनोय** की आवश्यक रूप से व्यवस्था करना।
7. **खान अधिनियम, 1952** – भूमिगत खानो में महिलाओं के नियोजन पर प्रतिबंध लगाया जाना।
8. **कर्मचारी राज्य बिमा विनियमन अधिनियम, 1952** – प्रसुति लाभ के लिये दावा को चिकित्सकी प्रमाण की तिथि से मान्य किया जाना
9. **बागान श्रम अधिनियम, 1951–** महिला कर्मकारों को अपने बच्चो को दुध पिलाने हेतु आवश्यक रूप से अवकाश दिया जाना।
10. **कारखाना अधिनियम, 1948** – महिला श्रमिकों को यह संरक्षण प्राप्त है कि उन्हें खतरनाक कारखानों में नही लगाया जाये। तथा रात्रि का 10:00 बजे पश्चात व 6:00 बजे के पहले कभी भी कार्य पर नही बुलाया जाए।

भारतीय संविधान के अनुछेद्द 39 (क) – पुरूष की तरह स्त्रियों को भी जीविका के सामान अवसर प्रदान किए गए हैं। अब महिला पुरूष के समान प्रत्येक क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सकती हैं। इसके साथ ही **अनु0 39 (घ)** – में पुरूषों व स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जावेगा।

घरेलु हिंसा से महिलाओं का सरंक्षण 2005– घरेलु हिंसा कानून के दायरे में वास्तविक प्रताड़ना, शारीरिक, यौन, मौखिक, भावनात्मक या आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने को भी शामिल किया गया हैं।

कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण निषेध एवं निदान)अधिनियम 2013

निष्कर्ष– इस प्रकार कहॉ जा सकता हैं कि, आँफिस, फैक्ट्रि या अन्य तरह के कार्यस्थल जहां महिलाए कार्य करती हैं, वहां उनकी सुरक्षा का दायित्व उस कार्य स्थल के प्रमुख का हैं। वहां कार्यकारी महिलाओं के साथ कोई आशोभनीय हरकत करता हैं या कोई अपराध करता हैं, तो वहीं पर उसकी शिकायत की जा सकती हैं। कार्यालय प्रमुख को तत्काल इस शिकायत पर कार्यवाही करनी होती हैं, जिसमें विभागीय कार्यवाही के साथ–साथ पुलिस कार्यवाही भी शामिल हैं। कार्यालय में शिकायत निवारण कमेटी भी बनाई जानी चाहिए, जिसमें कार्यकारी महिलाओं की शिकायतों की सुनवाई हो सके। समस्त कर्मचारियों या काम करने वालों की जानकारी में यह बात होना आवश्यक हैं कि किसी भी कार्यकारी साथी महिला कर्मचारी के साथ किसी भी प्रकार का अशोभनीय आचरण करने पर वह दंड का भागी होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. भारत का संविधान– डॉ. जयनारायण पांण्डे।
2. भारत का संविधान – डॉ. बंसतीलाल बाबेल।
3. विधि एवं योजनाए एक परिचय– ए.के. सक्सेना।
4. अपराध शास्त्र एंव दण्ड प्रशासन – डॉ.एस.एस. श्रीवास्तव।
5. मानव अधिकार – डॉ. जय जय राम उपाध्याय।
6. प्रतियोगिता दर्पण – अक्टुबर 2002/501
7. घटना चक्र – नवम्बर 2010/69

दहेज प्रतिषेध अधिनियम और घरेलू हिंसा रोकथाम कानूनों का क्रियान्वयन और महिलाएं

डॉ. सुनीता श्रीवास्तव *

प्रस्तावना – कहा जाता है कि कोई व्यक्ति अथवा समाज कितना सुसंस्कृत है, इस का पता उस समाज व व्यक्ति के द्वारा नारी के प्रति किए जाने वाले व्यवहार से लगाया जा सकता है। हम अपने देश की सदियों पुरानी सभ्यता एवं संस्कृति पर नाज करते नहीं थकते है, नारी के प्रति बढ़ रही घरेलू एवं बाहरी हिंसा क्या हमारी संस्कृति विरासत को कलंकित नहीं करती है।

हमारे यहाँ नारी को देवी का दर्जा तो दिया गया मगर उसके साथ मनुष्यता का व्यवहार कम ही किया गया। स्त्री की स्तुति के श्लोक व स्त्रोत तो बहुत लिखे गए, परन्तु उसके शोषण, संघर्ष और उत्पीड़न की गाथाओं का चित्रण नहीं किया गया। उसके सौंदर्य पर काव्यों की रचना तो बहुत की गई परन्तु उसकी पीड़ा का संगीत कम रचा गया। उसे शास्त्र सम्मत विंदुषी कहकर अनुसुइया, मैत्रेयी व गार्वी के उदाहरण तो खुब दिए गए घर के अंदर उसे गृहणी और गृहलक्ष्मी के सम्बोधनों से सम्बोधित तो किया गया परन्तु घर में ही दहेज में लक्ष्मी न लाने पर उसे जिन्दा जलाने के अत्यन्त अमानुषिक कार्य करने में कोई संकोच नहीं किया गया।

दहेज निश्चय ही हमारे समाज का अभिशाप हैं, यह उस प्रवृति का प्रतीक हैं। जिसमें मनुष्य अपनी मनुष्यता भूलकर मनुष्य को वस्तु की तरह खरीद फरोख्त का साधन बनाता हैं। दहेज प्रथा समाप्त करने के लिए न जाने कितने शब्दो का व्यय किया जा रहा हैं। परन्तु दहेज प्रथा उत्तरोत्तर बढती जा रही हैं। इसका कारण यह हैं कि हम ऊपरी तौर पर इसका विरोध अवश्य करते हैं, परन्तु मूल रूप से समस्या का निदान नहीं करना चाहते हैं। दहेज प्रथा की विभत्सता ने न जाने कितनी स्त्रियों के प्राण लिए हैं। और न जाने कितनी स्त्रियो का जीवन कंटकाकीर्ण बनाया हैं।

1961 में दहेज निरोधक कानून आने के काफी वर्षो बाद 1986 में भारतीय दण्ड संहिता में संशोधन कर धारा 304(बी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113(बी) को लाया गया। और इस तरह विवाहित स्त्री की दहेज के लिए की जाने वाली हत्या को धारा 302 के तहत् वर्णित हत्या से अलग करते हुए 'दहेज हत्या' का रूप दे दिया गया।

उच्चतम न्यायालय ने दहेज प्रथा से निपटने की लिए केन्द्र और राज्य सरकारों को मई 2005 में प्रथम सप्ताह में विशेष निर्देश जारी किए हैं। न्यायालय ने कहा हैं, कि सरकारो को सरकारी नौकरी के इच्छुक युवको से विवाह में लिए गए दहेज का विवरण मांगना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए की दहेज का सामान पत्नी के नाम किया गया या नहीं।

विषय को आगे बढ़ाते हुए यह बताना चाहूंगी कि चतुर्थ विश्व महिला सम्मेलन जो कि 1995 में बीजिंग में हुआ था, में यह कहा गया था कि महिलाओं के अधिकार मानव अधिकार है। महिलाओं के विरूद्ध सार्वजनिक एवं निजी जीवन में हिंसा के मामलों को मानवाधिकार के मामले माने जाएंगे। बीजिंग उद्घोषणा एवं कार्य योजना में घरेलु हिंसा को एक मानवाधिकार वाद बिन्दु के रूप में स्वीकार किया गया था महिलाओं के अधिकारों को प्रभावशाली संरक्षण उपलब्ध कराने के लिये जो कि परिवार में किसी भी प्रकार की हिंसा की शिकार है घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम 2005 संसद द्वारा अधिनियमित किया गया तथा 26 अक्टूबर 2006 से इसे लागू किया गया।

यह व्यापाक विधि है और महिलाओं से संबंधित समस्त मुद्दों को सम्बोधित करती है, यह पहला अवसर है, जब महिलाओं के उत्पीड़न संबंधी समस्त मुद्दों को ऐसे विस्तृत रूप में सम्बोधित करने के लिए विधि बनायी गई है।

पति या साथ रहने वाले भागीदार को भी जो घरेलू हिंसा के दोषी हो को एक वर्ष का कारावास या 20,000/– रू. का अर्थदण्ड या दोनों से दंडित किया जा सकता है। इस अधिनियम के अधीन किए गए समस्त अपराध अजमानतीय है।

घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला को पुलिस की सेवाओं का आश्रयगृहों और स्वास्थ्य स्थापनाओं से सेवाएँ लेने अधिकार है उसे इनके साथ ही स्वयं धारा 498 क भा.द.स. के अधीन परिवाद प्रस्तुत करने का भी अधिकार है। अब मूल प्रश्न यह उठता है कि महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या मात्र पुरूष वर्ग को ही दोषी ठहराकर अन्य परिस्थितियों को नजरअंदाज कर सकते है और समस्या का समाधान हो जायेगा, लेकिन नहीं घरेलू हिंसा के लिए अन्य कारणों को नजरअंदाज किया जाना हमारी भूल होगी। घरेलू हिंसा के लिए अन्य कारण भी जिम्मेदार है जो निम्नलिखित है –

1. स्त्री का पराश्रिता व परावलम्बी होना।
2. स्त्री संरक्षण कानूनों के उचित क्रियान्वयन का अभाव।
3. दोषपूर्ण तथा ढीली ढाली प्रक्रिया।
4. स्त्री शिक्षा का अव्यावहारिक स्वरूप।

उपरोक्त कारणों पर विचार करने के बाद हम यह देखगें कि क्या अधिनियम उन उद्देश्यों पर खरा उतर रहा है जिनके लिए यह पारित किया गया था। या इस अधिनियम में भी कुछ कमियां है, जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है।

कमियाँ –

1. इस अधिनियम से पूर्व महिलाओं के अधिकारों को लेकर विभिन्न अधिनियम बनाए गए किन्तु उनका निष्पादन आज दिनांक तक सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। अनेक कारणों में से कुछ कारण है जैसे सामाजिक चेतना की कमी, दहेज अपराध के विचारण में लम्बी चौड़ी प्रक्रिया का अपनाया जाना।
2. सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन केवल कानून बनाने और सरकारी डंडे के बल पर नहीं हो सकता जब तक लोगों की मानसिकता में बदलाव नही आएगा तब तक दहेज जैसी समस्याएं खत्म होने वाली नहीं। इस समस्या के लिए वर पक्ष तो दोषी है ही लेकिन वधू पक्ष को भी क्लीन

* सहायक प्राध्यापक (विधि) श्री जवाहरलाल नेहरू विधि महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.) भारत

चिट नहीं दी जा सकती।

3. ऐसे विधायन लागू कराने में राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव।
4. लोक सेवकों द्वारा पहल का अभाव तथा अपने दायित्व से बचते रहने का रवैया। प्रशासी तथा वित्तीय साधनों का अभाव सामाजिक अंतरचेतना तथा सामुदायिक ग्राह्यता का अभाव।
5. ऐसे कानून अधिनियमित तो किए गए है, किन्तु आंचलिक सतह से जुड़े नहीं है केवल कागजी श्वेतपत्रों तक सीमित है।
6. सरकारी तंत्रो तथा एजेन्सी के मध्य समन्वय का अभाव अनभिज्ञता और निरक्षरता के कारण सामदायिक चेतना का अभाव।
7. लोक सेवकों को इन विधियों को लागू करने में अपनी ईमानदारी और तत्परता बरतनी चाहिए। तभी हम इन तमाम विधियों का लाभ महिलाओं तथा बच्चें को दिला सकेंगे जिनके लिए ये विधि बनाई गई है।
8. अपने देश में महिलाओं की सामाजिक स्थिति के सुधार करने के लिए अधिनियम और कानून बनाए जाते है किन्तु उनका क्रियान्वयन और उनकी समाज द्वारा स्वीकृति संतोषजनक नहीं रही है।
9. महिलाओं को कानूनों का ज्ञान नहीं होता। उनमें अनभिज्ञता, अज्ञानता और निरक्षरता के कारण सामुदायिक चेतना का अभाव होता है। अत: इस संबंध में महिलाओं को जागरूक बनाने की प्राथमिक आवश्यकता है, तभी वे सामाजिक अत्याचारों से मुक्त हो पाएगी।

उपरोक्त कमियों को दूर करने के लिए कुछ सुझाव दिए जा रहे है जो निम्नलिखित है –

सुझाव –

1. हमारे देश की परम्परा नारी को बहुत अधिक सम्मान देने की रही है। नारी को पुरूष का अर्धांग मानने वाली एकमात्र संस्कृति वाले देश में दहेज प्रथा एवं नारियों पर बढ़ती घरेलू हिंसा निश्चित ही चिंता एवं शर्म का विषय है। यद्यपि कानून बनाये गये है इन्हे दूर करने के लिए लेकिन सार्थक परिणाम सामने नहीं है। वस्तुत: यह एक ऐसी सामाजिक समस्या है जिसका निदान कानून बनानकर नहीं किया जा सकता, इसके लिए आवश्यक है पूरे समाज की मनोवृत्ति में परिवर्तन हो।
2. दहेज प्रथा के निवारण के लिए लड़के लड़कियों और उनके माता–पिता आदि सबको सहयोग देना चाहिए। उनमें जंहा एक और मानवीय भावनाओं का विकास होना चाहिए। वहीं दूसरी और अन्याय का विरोध करने की दृढ़ता और संकल्प भी।
3. दहेज रूपी महादानव के विनाश के लिए जातीय दायरो को भी तोड दिया जाना चाहिए। यदि बिना दहेज के अन्तरजाती विवाह होते हैं, तो उन्हें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। दहेज प्रथा किसी समाज के लिए गौरव की वस्तु नही हो सकती।
4. यदि हर लड़की का पिता यह तय कर ले कि आपनी लाड़ली का विवाह ऐसे घर में नहीं करेगा। जहां दहेज मांगा जाये तो समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी।
5. सैद्धान्तिक रूप से सामुहिक विवाह निश्चय ही एक प्रगतिवादी व सकारात्मक कदम हैं। जिसके माध्यम से दहेज प्रथा, दिखावा, विधुत व प्रदर्शन साधना का अपव्यय, बेमेल विवाह, अवयस्क लड़कियों के हाथ पीले करने जैसी बुराईयों पर काबू पाया जा सकता हैं।
6. शादी सादगीपूर्ण हो, यही हर व्यक्ति की भावना, कामना व क्रिया होनी चाहिए। तब ही वर वधु को हम सच्चा आशिष दे सकते हैं, तथा दहेज के दानव से सुरक्षा प्रदान की जा सकती हैं।
7. समाज की निम्न, मध्यम तथा ग्रामीण स्त्रियों को संगठित किया जाना चाहिए तथा उन्हें उनके अधिकारों व नारी संरक्षण कानूनों की जानकारी दी जानी चाहिए ताकि वे अपने ऊपर होने वाले अपराधों का संगठित होकर प्रतिरोध कर सकें।
8. एक सुस्पष्ट एवं सुविचारित महिला नीति का निर्माण किया जाना चाहिए जिसके अन्तर्गत महिलाओं को आत्म निर्भर, शिक्षित तथा जागरूक बनाने हेतु आवश्यक उपायों का समावेश किया जाना चाहिए।
9. प्राय: महिलाओं पर महिलाओं के साथ पारिवारिक उत्पीड़न करने तथा लडकियों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया जाता है यह आरोप समस्त स्त्री जाति के लिये अत्यन्त शर्म की बात है। जब तक वह स्वयं महिलाओं का सम्मान नहीं करेगी तब तक उनकी सामाजिक स्थितियों में सुधार संभव नहीं है।
10. सामान्यत: लोक दूरदर्शन को देखने में अधिक रूचि लेते है अत: महिलाओं की दशा सुधारने संबंधी कार्यक्रम, पत्र पत्रिकाओं, आकाशवाणी, दूरदर्शन के माध्यम से समाज की गतिविधियों में परिवर्तन लाया जाए।
11. प्रत्येक सुशिक्षित महिला का कर्तव्य है कि वह कम से कम एक महिला को घरेलू हिंसा से मुक्त कराये।
12. केवल अधिनियम महिलाओं के विरूद्ध भेदभाव को समाप्त नहीं कर सकता है, भेदभाव समाप्त करने के लिये सभी व्यक्तियों को जितना शीघ्र संभव हो बचपन से ही महिलाओं के प्रति व्यवहार एवं दृष्टिकोण को बदलना चाहिए।
13. सरकार की भूमिका मानव अधिकारों के उल्लंघन रोकने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। विधिक एवं प्रशासनिक प्रणाली में सारभूत परिवर्तन किया जाना अपेक्षित है। इसे अपनी नीतियों का निर्माण एवं विधियों का अधिनियमन इस तरीके से करना चाहिए कि व्यक्तियों के अधिकारों विशेष रूप से कमजोर वर्गो की स्त्री एवं बालकों के अधिकार का अतिक्रमण न किया जा सके।[15]

इस प्रकार उपरोक्त सुझावों के पश्चात् निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि भारत में नारी स्थिति अत्यन्त विरोधाभासी रही है। एक तरफ तो नारी को समाज में परम्परा से शक्ति के रूप में माना गया है तो दूसरी तरफ उसे अबला की संज्ञा भी दी गई है। इस अतिवादी व्यवस्था ने नारी के विकास में बाधा उत्पन्न की है। नारी को हमेशा पुरूष प्रधान समाज द्वारा छला जाता रहा है, परन्तु नारी के दूसरे पहलू को देखे तो बडी तस्वीर सामने आती है इस दयनीय स्थिति की जिम्मेदारी पुरूष के साथ–साथ स्वयं नारी की भी है। आज समाज दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, लड़कियों को जन्म से पूर्व मार देने जैसी समस्याओं से ग्रसित है जिसमें कहीं न कहीं उसका भी दोष है। अत: नारी शिक्षित एवं जागरूक हो तो इन कुरीतियों को रोका जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. डॉ. अग्रवाल एच.ओ. – मानवाधिकार।
2. डॉ. तिवारी आर.पी. एवं भारतीय नारी वर्ग समस्या और डॉ. शुक्ला डी.पी. भाव समाधान।
3. वाधवा एस.के. घरेलू हिंसा एवं यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण कानून।
4. मानचंद खंडेला आधुनिकता और महिला उत्पीडन।
4. विभिन्न पत्र एवं पत्रिकाएँ।

****

भारतीय महिलाएँ एवं मानवाधिकार

डॉ. कविता शर्मा * प्रियंका भालिया **

प्रस्तावना – पूर्व मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अधिकार मानव के सामाजिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकताऐं हैं। उनके बिना उसके व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं है। प्रो. लास्की के शब्दों में – 'एक राज्य अपने नागरिकों को जिस प्रकार के अधिकार प्रदान करता है, उन्हीं के आधार पर राज्य को अच्छा या बुरा कहा जा सकता है। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। इस कारण हमारे यहाँ मानवाधिकारों की मूलभूत धारणाओं को शुरु से ही मान्यता मिली हुई हैं। हमारे संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सम्मिलित किया गया है। मौलिक आधार प्रजातंत्र के आधार स्तंभ है।

मानवाधिकार – 10 दिसंबर को पूरी दुनिया में 'मानवाधिकार दिवस 'के रुप में मनाया जाता है। '10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा ने संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को अंगीकृत किया गया। इसमें प्रस्तावना एवं 30 अनुच्छेद है।' इसकी प्रस्तावना में कहा गया है कि 'मानव समुदाय के सभी सदस्यों के गौरवपूर्ण जीवन एवं समानता के अधिकार, विश्वव्यापी स्वतंत्रता, न्याय एवं शांति के अधिकार के लिए है, जहाँ पुरुष एवं महिला अच्छे सामाजिक विकास के साथ अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सके। अर्थात अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 20 तक व्यक्ति के नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों की व्याख्या की गई है तथा अनुच्छेद 21 से 30 तक व्यक्ति के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक अधिकारों को सम्मिलित किया गया है।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने शांति स्थापना एवं विकास यात्रा में महिलाओं की भूमिका के महत्व को भी रेखांकित किया हैं। संघ ने अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए जिसमें महिलाओं को पुरुष के समान उत्थान का अधिकार दिया। इस प्रक्रिया में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा से पूर्व 1946 में महिला प्रस्थिति के अध्ययन के लिए गठित समिति की घोषणा महत्वपूर्ण रही, जिसको 'कमीशन ऑन द स्टेट्स ऑफ वूमेन' का नाम दिया गया।

मानवाधिकार एवं महिलाऐं – 1967 में सयुक्त राष्ट्र संघ महासभा द्वारा महिलाओं के प्रति भेदभाव समाप्त करने संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया। इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि महिलाओं को चाहे वे विवाहित हो या अविवाहित, पुरुषों के साथ आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में सभी समान अधिकार प्रदत्ता किए जाने के लिए समुचित व्यवस्था की जाएगी और किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा।

महिलाओं के उत्थान व विकास के संदर्भ में संपूर्ण विश्व में महिला उत्थान व विकास के प्रति चेतना जगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र की महासभा में 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया गया था।

सन् 1975 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में सयुक्त राष्ट्र संघ ने महिला कल्याण हेतु 1975 से 1984 दशक को महिला दशक घोषित किया, जिसमें महिला शिक्षा, रोजगार, लिंग भेदभाव मिटाने, नीति निर्धारण में महिलाओं को सम्मिलित करने एवं समान राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, नागरिक अधिकार देने आदि की घोषणाएँ की गई।

दिसंबर 1993 को संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा के भीतर महिलाओं के प्रति हिंसा निष्कासन की घोषणा को स्वीकार किया गया एवं महिलाओं के प्रति हिंसा को सात भागों में बाँटा गया –

1. समुदाय तथा परिवार के भीतर शारीरिक जैविक तथा मनौवैज्ञानिक हिंसा जिसमें पत्नी को पीटना, लड़की का अनैतिक शोषण, दहेज संबंधी हिंसा, वैवाहिक बलात्कार, महिला जनन अंगों की काँट–छाँट तथा अन्य महिलाओं के प्रति घातक पारम्परिक क्रियाएँ।
2. अवैवाहिक हिंसा।
3. असंतोष आधारित हिंसा।
4. शैक्षणिक संस्थाओं एवं अन्य स्थानों में कार्यस्थल पर धमकी तथा यौनिक उत्पीड़न।
5. महिला को बेचना तथा व्यापारीकृत करना।
6. वैश्वावृत्ति हेतु दबाव डालना।
7. राज्य द्वारा क्षमादान तथा अपराधी हिंसा।

मानवाधिकार एवं महिलाऐं – वर्तमान स्थिति – महिलाओं के प्रति शोषण, अत्याचार तथा उत्पीड़न वर्तमान स्थिति में एक सार्वभौमिक तथ्य है। आज सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र को पूर्ण हुए इतने वर्ष बीत गए, फिर भी मानवाधिकारों का उल्लंघन समाज में प्रतिदिन दिखाई देता है, विशेष तौर पर महिलाओं के प्रति। महिलाओं को सदा से ही सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, विधिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक क्षेत्र में उपेक्षा सहनी पड़ी हैं एवं उन्हें समाज में सदैव दोहम दर्जा ही प्राप्त हुआ है। शारीरिक रुप से कमजोर और आर्थिक रुप से पुरुषों पर निर्भर होने के कारण सदियों से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, शोषण और यौन उत्पीड़न होता आ रहा है और यही कारण है कि उन्हें अपने मानवाधिकारों के लिये अधिक संघर्ष करना पड़ता है।

यूनिसेफ के एक अनुमान के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष 50 लाख भ्रूण हत्याएँ होती है, जिनमें अधिकतर मादा भ्रूण हत्या हैं। महिलाओं की आर्थिक गतिविधि कुल आर्थिक गतिविधि का लगभग 50 प्रतिशत है। शिक्षा के अवसर निरन्तर बढ़े है, किन्तु बहुसंख्यक बालिकाओं को लाभ नहीं मिल पाया है। विडम्बना यह है कि विकास की गति के बावजूद महिलाओं की प्रस्थिति में आशानुकुल सुधार नहीं हुआ हैं, बल्कि कुछ क्षेत्रों में तो स्थिति

* अतिथि विद्वान, शासकीय महात्मा गांधी महाविद्यालय, जावद (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

बदत्तर हुई है।

20वीं शताब्दी मानवाधिकारों के क्षेत्र में सोच विचार को नवीन आयाम प्रदान करने के लिये इतिहास में एक विशिष्ट स्थान रखती है। महिला जनसंख्या के अधिकांश भाग के लिए भारते में ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व में मानवाधिकार आज भी मिथक है। महिलाओं की स्थिति को सुधारने एवं उनके विकास के लिए उन्हें समाज एवं संविधान ने कई अधिकार दे तो दिए है, ताकि वह अपने हक को पा सके, किंतु क्या इन अधिकारों के बनने से ही उनकी स्थिति सुधर जाएगी..... ? उनके जीवन में तभी प्रसन्नता आएगी , जब उन्हें समाज में समानता का अधिकार प्राप्त होगा, इससे एक कुशल समाज का निर्माण होगा।

इसके साथ ही, स्वयं महिलाओं को भी अपनी मनोवृत्तियों में परिवर्तन लाना होगा। यह परिवर्तन शिक्षा एवं आर्थिक स्वायत्ता, चेतना एवं संगठनात्मक प्रयासों द्वारा संभव है। अत: विश्व समाज में महिला चेतना एवं उसके अधिकारों के प्रति जो उत्साह जागा है, उसका लाभ सारी विषमताओं व असमानताओं के रहते हुए भी भारतीय महिलाओं को क्रमिक रुप से धीरे-धीरे मिल सकता है। महिलाओं को जो अधिकार मिले, साधिकार मिले, इसी में महिलाओं की, समाज की प्रसन्नता एवं प्रगति है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मानव अधिकार और महिलाएँ - डॉ. ममता चंद्रशेखर।
2. राष्ट्रीय महिला आयोग और भारतीय नारी, ज्योति प्रकाशन, अंसारी एम.ए., जयपुर, 2005
3. 20 मार्च 2011 (जनजागरण), नंदकिशोर कुमावत।
4. समाज में स्त्रियों की स्थिति (अधिकार एवं कानून के संदर्भ में), डॉ. परवीन कुमारी रमा, 20 फरवरी 2015
5. मानव अधिकारों की सार्थकता एवं संरक्षण, देशपांडे दिव्य।
6. www.google.com

****

भारतीय समाज में वृद्ध महिलाओं की स्थिति एवं वैधानिक संरक्षण

सलिल पाण्डेय *

प्रस्तावना – पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी द्वारा 'जीवन बीत चला' नामक कविता में वृद्धवस्था का बहुत ही मार्मिक चित्रण दिया गया है, जिसके कुछ अंश इस प्रकार हैं–

पहरा कोई काम न आया, रसघट रीत चला, जीवन बीत चला।
मुझे हाट में छोड़ अकेला, एक-एक कर मीत चला, जीवन बीत चला।

वृद्धावस्था और मृत्यु ये जीवन की जटिल प्रक्रियाएँ हैं। जीवन के अंतिम हिस्से में व्यक्ति गतिमन्दता और शारीरिक ह्रासोन्मुखता के दौर से गुजरता हुआ अंतत: मृत्यु को प्राप्त होता है। वृद्धावस्था में व्यक्ति को प्यार-दुलार, भरण-पोषण और सहारे की आवश्यकता बिल्कुल एक अबोध बालक की भाँति होती है। भारत में 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्ति को वृद्धजन या वरिष्ठ नागरिक माना जाता है।

माता संसार की सबसे बड़ी दौलत है। माँ सभी प्रकार के दु:खों को सहते हुए बच्चे का ख्याल रखती है और उसका पालन-पोषण करती है। बच्चे को जब भूख लगती है, तो माँ की भूख खत्म हो जाती है, जरूरत पड़ने पर खुद भूखी रहकर भी माँ बच्चे को खिलाती है। रात में जब बच्चे की नींद टूटती है, तो माँ की नींद खत्म हो जाती है ओर रात-रात भर जागकर माँ बच्चे का ख्याल रखती है। यही बच्चा जब बड़ा होता है और माँ वृद्ध हो जाती है तो वह वृद्ध माँ का ध्यान नहीं रखता, उनका पालन-पोषण नहीं करता और उनको अपमानित तक करता रहता है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें परिवार के सदस्यों द्वारा वृद्धों के साथ मार-पीट, प्रताड़ना और यहां तक कि उनकी हत्या भी की गई है।

प्राचीन भारतीय समाज में संयुक्त परिवार प्रणाली का प्रचलन था, जिसमें न केवल वृद्ध माता-पिता का पालन-पोषण अच्छी तरह से होता था बल्कि उन्हें उचित सम्मान मिलता था तथा उन्हें परिवार का मुखिया माना जाता था। भारत में परंपरागत समाज में वृद्ध महिलाए गहन श्रद्धा और सम्मान की पात्र समझी जाती थी। परिवार में वृद्ध महिला की आज्ञा और निर्देश का पालन एक रिवाज था। परिवार की बहू-बेटियाँ वृद्ध महिला के निर्देशानुसार कार्य तथा आचरण करती थीं। आज भी भारतीय संयुक्त परिवारों में वृद्ध महिलाओं का आदर किया जाता है और उनकी अच्छी देख भाल की जाती है।

किन्तु समय बीतने के साथ-साथ स्थिति में धीरे-धीरे परिवर्तन होता जा रहा है। समाज की परंपरागत जीवन शैली में बदलाव आ रहा है। जीवन शैली में आ रहे बदलाव का प्रमुख कारण है औद्योगीकरण, शहरीकरण, सामाजिक गतिजता, संचार के सुलभ साधन तथा व्यक्तिवाद। आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिक उन्नति में आई परिवर्तन की लहर ने परंपरागत रिश्तों और पुराने भावात्मक संबंधों को प्रभावित किया है। युवा पीढ़ी अपने ग्रामीण परिवेश को छोड़कर शहरी क्षेत्र में जाकर बस रही है। ऐसे हालात में वृद्ध अकेले पीछे रह जाते है और जर्जर हो चुके शरीर के साथ जर्जर घरों में रहते हुए वृद्धावस्था का दंश भोगते रहते हैं। एकल परिवार प्रणाली का भारत में बढ़ता चलन वृद्ध महिलाओं की समस्या में वृद्धि कर रहा है क्योंकि एकल परिवार प्रणाली में वृद्ध सदस्य का स्थान नहीं होता और उन्हें उपेक्षित किया जाता है। युवा पीढ़ी से जो कि अत्याधुनिक जीवन शैली की आदी होती जा रही है, वृद्धजनों का वैचारिक टकराव भी बढ़ता जा रहा है।

वृद्ध होना महिलाओं के लिए अधिक तकलीफदेह होता है। क्योंकि अधिकांश महिलाए आत्मनिर्भर नहीं है और पेंशन जैसी सुविधाओं से वंचित हैं। बुढ़ापे की ओर एकाकी अग्रसर हो रही अनेक महिलाओं की शोचनीय दशा के लिए विधवा पुनर्विवाह पर सामाजिक अंकुश जिम्मेदार है। स्वास्थ्य खराब होना, आर्थिक अस्थिरता तथा काम काज का न होना, उनमें नैराश्य तथा अधिकारहीनता की भावना उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार सुरक्षा, प्रेम स्नेह और मानसिक संतुष्टि के अभाव में वृद्ध महिलाएँ जीवन गुजारने के लिए मजबूर रहती हैं। इसलिये वृद्ध महिलाओं के मानवाधिकारों को संरक्षित किये जाने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी।

वृद्ध महिलाओं की सोचनीय दशा में सुधार हेतु अनेक वैधानिक प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग-4 के अंतर्गत अनुच्छेद 41 में उपबन्धित है कि – 'राज्य अपनी सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम पाने, शिक्षा पाने तथा बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और अंगहानि तथा अनर्ह अभाव की दशाओं में सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का कार्य साधक उपबन्ध करेगा।' स्पष्ट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के अंतर्गत बुढ़ापे में सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार का उपबंध किया गया है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 में वृद्धों के भरण-पोषण एवं संरक्षण हेतु प्रभावी उपबंध किया गया है। धारा 125 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने माता-पिता का जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, भरण पोषण करने में उपेक्षा करता है, या भरण पोषण करने से इन्कार करता है, तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ऐसी उपेक्षा या इन्कार के साबित हो जाने पर ऐसे व्यक्ति को माता-पिता का भरण पोषण करने के लिए निर्देश दे सकता है।

हिन्दू विधि में भरण पोषण को वृहत् रूप में लिया गया है, इसके अंतर्गत भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, चिकित्सीय परिचर्या के लिए उपबंध किया गया है। संयुक्त कुटुम्ब के सदस्यों को संयुक्त कुटुम्ब कोष में से भरण पोषण पाने का अधिकार है, चाहे उनकी कुछ भी आयु या संस्थित क्यों न हो। वृद्ध जनकों के भरण-पोषण का दायित्व प्रत्येक हिन्दू का है। हिन्दू दन्तक ग्रहण तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 20 में उपबन्धित है

* शोधार्थी (विधि) अ. प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत

कि हिन्दू अपने जीवन काल के अभ्यन्तर वृद्ध या दुर्बल जनकों का भरण-पोषण करने के लिए बाध्य है, यदि वे स्वयं अपने उपार्जन या अन्य सम्पत्ति से अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं। जनक के अन्तर्गत सौतेली माता भी आती है।

मुसलमानों पर भी वृद्ध माता तथा पिता के भरण-पोषण तथा संरक्षण का दायित्व है। कुरान के अध्याय 17 में उल्लिखित है कि - 'अल्लाह का आदेश है कि तू अपने माता-पिता के प्रति दयावान रह, यदि उनमें से कोई एक या दोनों तेरे साथ रहते हुए बहुत वृद्ध हो जाए। उनसे यह न कह कि तुम्हें धिक्कार है, न ही उसका तिरस्कार कर बल्कि उनसे सम्मान के साथ बोल और उनके साथ मृदु स्नेह एवं नम्रता से व्यवहार कर और कह कि - ऐ खुदा, उन दोनों पर कृपा रख, क्योंकि उन्होंने मुझे बाल्यकाल से पाला-पोसा है और जो तेरे कुटुम्बी हैं, उनके प्रति अपने उचित कर्तव्य का पालन कर।'

उपरोक्त वर्णित प्रावधानों के मौजूद होने के बाद भी वृद्धों के संरक्षण हेतु एक वृहद् अधिनियम की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इसलिए भारतीय संसद द्वारा 'माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007' पारित किया गया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है- 'संविधान के अधीन प्रत्याभूत और मान्य माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण एवं कल्याण हेतु और उससे सम्बन्धित या आनुशांगिक मामलों हेतु उपबंध करना।' यह अधिनियम वृद्ध महिला को संरक्षण देने में पूर्ण रूपेण सक्षम है।

स्पष्ट है कि वृद्ध महिलाओं की स्थिति प्राचीन भारतीय समाज में सम्माजनक थी तथा उन्हें भरण-पोषण, चिकित्सा आदि मूलभूत सुविधा संयुक्त कुटुंब में सहज ही उपलब्ध हो जाती थी। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप संयुक्त परिवार प्रणाली का विघटन हुआ और परिवार के वयस्क सदस्य जीविकोपार्जन के लिए शहरों की ओर पलायन करने लगे जिससे एकल परिवारों का चलन बढ़ा और वृद्ध महिलाओं की स्थिति खराब होने लगी। हम यह कह सकते हैं कि भारत में वृद्ध महिलाओं के संरक्षण हेतु वर्तमान में पर्याप्त वैधानिक उपबन्ध उपलब्ध हैं, परन्तु आज भी बड़ी संख्या में वृद्ध महिलाए बेसहारा हैं और उन्हें भीख मांगकर जीवन यापन करना पड़ रहा है, इससे स्पष्ट है कि उपलब्ध विधियों का ठीक से क्रियान्वयन होना अभी शेष है। जब हर व्यक्ति को वृद्धवस्था के दौर से गुजरना है, तो क्यों न इसे सुन्दर, संरक्षित एवं सम्मानजनक बनाने के लिए सम्मिलित प्रयत्न किया जाए। वृद्ध महिलाओं का भरण-पोषण एवं संरक्षण एक विधिक दायित्व हैं और यह सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने वृद्ध माता-पिता का संरक्षण एवं भरण-पोषण करना अपना नैतिक दायित्व तथा महान धार्मिक कर्तव्य भी समझें।

****

घरेलू हिंसा की शिकार होती महिलाएं -जन-जन से जुड़ी दास्तान

रश्मि बोरीवाल *

प्रस्तावना – भारतीय समाज में महिलाओं पर अत्याचार होना कोई नई बात नहीं है। यहां पुरूष वर्चस्व को बरकारार रखने के लिए हमेशा महिलाओं के स्वाभिमान और उनके जीवन की आहुति दी जाती रही है। सब कुछ सहती हुई वह कभी अपने साथ हो रहे दुर्व्यवहार और अत्याचार के विरोध में अपनी आवाज नहीं उठा पाई। क्योंकि कहीं ना कहीं वह यह जानती थी कि इस पुरूष प्रधान समाज में उसकी व्यथा कोई नहीं सुनेगा। इसीलिए अपने इसी जीवन को अपनी नियति मानती हुई वह सब कुछ सहन करना ही अपने और अपने परिवार के लिए बेहतर समझती थी।

प्राय: देखा जाता है कि महिलाएं परिवार के भीतर ही कभी पिता तो कभी पति,किसी न किसी रूप में पुरूष के दमन और शोषण का शिकार हो जाती हैं। जिसका सबसे बड़ा कारण यह है कि प्रकृति ने महिला को पुरूषों की अपेक्षा शारीरिक तौर पर कमजोर बनाया है, जिसकी वजह से जल्द ही पुरूषों के क्रोध और ईर्ष्या की शिकार बन जाती है। वहीं हमारे देश में यह माना जाता रहा है कि पति को पत्नी पर हाथ उठाने का अधिकार शादी के बाद ही मिल जाता है, लेकिन अब परिस्थितियां इसके ठीक उलट हो गई है, जिनकी सहायता से कभी अबला और असहाय समझे जाने वाली महिलाएं आज अपने अधिकारों के प्रति आवाज बुलंद करने लगी है। वर्ष 2006 में भारत सरकार द्वारा घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 लागू किया गया। जिसके अनुसार महिला, वृद्ध अथवा बच्चों के साथ होने वाली किसी भी प्रकार की हिंसा अपराध की श्रेणी में आती है और इसके दोषी पाए जाने पर कड़ी सजा का भी प्रावधान है। अर्थात कोई भी महिला यदि परिवार के पुरूष द्वारा की गई मारपीट अथवा अन्य प्रताड़ना से त्रस्त है, तो वह घरेलू हिंसा की शिकार मानी जाएगी। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 महिला को घरेलू हिंसा के विरूद्ध संरक्षण और सहायता का अधिकार प्रदान करता है। इस कानून का मुख्य बिन्दु यह है कि इसके द्वारा सांझा घर जैसी योजना का निर्धारण किया है। इसके अंतर्गत किसी भी महिला, चाहे वह बहन, विधवा, माँ, बेटी, अकेली अविवाहित महिला आदि, को घरेलु संबंधों में सम्मिलित किया जाना जरूरी करार दिया गया है। उन्हें संपत्ति का अधिकार ना देते हुए भी, आवास संबंधी सभी सुविधाएं मुहैया कराना परिवार के मुखिया की जिम्मेदारी होगी।

घरेलू हिंसा के मुख्य कारण क्या हैं? – हमारे समाज में बेटी पैदा होने से ही उसके साथ भेदभाव होना शुरू हो जाता है, उसकी स्वतंत्रता को कुचल देना भारतीय पुरूषों की आदत रही है। कहीं अगर वह अपनी आजादी और अस्तित्व के लिए आवाज उठाती है, तो उसके साथ गलत व्यवहार और मारपीट कर उसे चुप करा दिया जाता है, सरकार द्वारा घरेलू हिंसा और महिला संरक्षण कानून परिवार के भीतर रहने वाले पुरूषों के इसी स्वभाव पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से ही लागू किया गया है। इस कानून के अंतर्गत महिलाओं के प्रति होने वाली शारीरिक या मानसिक हिंसा के निम्नलिखित कारण है।

समतावादी शिक्षा व्यवस्था का अभाव – हमारे पुरूष प्रधान समाज में लड़कियों की शिक्षा को न्यूनतम महत्व दिया जाता है। शहरी क्षेत्रों में तो फिर भी हालत बेहद महत्वपूर्ण ढंग से परिवर्तित हुए है, जिसके फलस्वरूप लड़कियां भी अब अपने पैरो पर खड़ी हो, पुरूषों के ही समान सशक्त बनने लगी हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में आज भी लड़कियां शिक्षा और जागरूकता से वंचित है। इसके अलावा हमारे परिवारों में पितृसत्ता अत्याधिक महत्व रखती है। इसीलिए यहां माता-पिता के घर में भी लड़कियों से ज्यादा लड़को को महत्व दिया जाता है।

महिला को स्वावलंबी बनने से रोकना – पुरूष वर्ग महिलाओं को अपने अधीन रखने में ही विश्वास रखता है, उसे आर्थिक तौर पर आत्म-निर्भर बनने से रोकना महिला के खिलाफ हिंसा को जन्म देता है।

शराब की लत – शराब की लत व्यक्ति को कुछ भी करने लिए विवश कर देती है। वह सही या गलत की फिक्र किए बगैर छोटे से झगड़े में ही अपनी पत्नी पर हाथ उठाने और उसके साथ मारपीट करने पर उतारू हो जाता है।

घरेलू हिंसा के प्रकार कौन से हैं ? – परिवार का कोई भी पुरूष सदस्य अगर महिला को मारता है, उसके साथ अभद्र भाषा में बात करता है या उसे किसी भी चीज के लिए विवश करता है, तो वह महिला घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उसके खिलाफ मामला दर्ज करा सकती है। व्यापक तौर पर घरेलू हिंसा के निम्नलिखित प्रकार है।

शारीरिक हिंसा – मारपीट करना, धकेलना, ठोकर मारना, लात मारना, मुक्का मारना, किसी अन्य रीति से शारीरिक पीड़ा या क्षति पहुंचना।

लैंगिक हिंसा – बलात्कार करना, अश्लील साहित्य या कोई अन्य अश्लील तस्वीरों को देखने के लिए विवश करना, महिला के साथ दुर्व्यवहार करना, अपमानित करना, महिला की पारिवारिक और सामाजिक प्रतिष्ठा को आहत करना।

मौखिक और भावनात्मक हिंसा – अपमान करना, चरित्र पर दोषारोपण करना, पुत्र ना होने पर अपमानित करना,दहेज इत्यादि न लाने पर अपमानित करना, नौकरी ना करने या उसे छोड़ देने के लिए विवश करना, विवाह ना करने की इच्छा के विरूद्ध विवाह के लिए जबर्दस्ती करना, उसकी पसंद के व्यक्ति से विवाह ना करने देना, किसी विशेष व्यक्ति से विवाह करने के लिए विवश करना, आत्महत्या करने की धमकी देना,कोई अन्य मौखिक दुर्व्यवहार करना।

आर्थिक हिंसा – बच्चों की पढ़ाई और उनके संरक्षण के लिए धन उपलब्ध न कराना, बच्चों के लिए खाना, कपड़ा, दवाईयां उपलब्ध न कराना, रोजगार

* विद्यार्थी, ज्ञान विधि मन्दिर महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.) भारत

चलाने से रोकना या उसमें रूकावट पैदा करना, वेतन इत्यादि से प्राप्त आय को ले लेना, घर से निकलने के लिए विवश करना, निर्धारित वेतन या पारिश्रमिक न देना।

पीड़िता को कैसे राहत मिल सकती है? – इस अधिनियम के अन्तर्गत अगर कोई महिला घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराती है तो जिला मजिस्ट्रेट आरोपी को क्षति–पूर्ति करने का आदेश और सांझा घर के अंतर्गत निवास उपलब्ध कराने के आदेश जारी कर सकताहै।

अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत अगर आरोपी दिए गए आदेशों का पालन नहीं करता तो एक वर्ष तक का दंड एवं बीस हजार रूपए तक का जुर्माना या दोनों का दंड दिया जा सकता है।

व्यथित महिला या पीड़िता किससे सम्पर्क करे? – पीड़ित महिला घरेलू हिंसा से संबंधित अधिकारी जैसे उपनिदेशक, महिला एवं बालविकास, बाल विकास परियोजना अधिकारी आदि से शिकायत दर्ज करा सकती है।

किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संगठन से संपर्क किया जा सकता है, जो महिलाओं और बच्चों के लिए काम करती हो।

पुलिस स्टेशन से संपर्क कर सकती है – किसी भी सहयोगी के माध्यम से अथवा स्वयं जिला न्यायालय में प्रार्थना पत्र डाल सकती है।

वैश्विक स्तर पर घरेलू हिंसा की क्या स्थिति है? – महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा को अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक (1975–85) के दौरान एक पृथक पहचान मिली थी। विश्व के अधिकांश देशों में पुरूष प्रधान समाज है जहां महिलाओं को हमेशा ही दोयम दर्जे का स्थान दिया गया है। यही कारण है कि पुरूष प्रधान समाज में महिलाओं के प्रति अपराध तथा उनका शोषण करने की प्रवृत्ति देश में भी महिलाओं के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है। अमेरिका में एक नियम है कि अगर एक परिवार में मां और बेटा है तो कानूनी तौर पर वह एक ऐसे घर के हकदार है, जिसमें एक ही शयन कक्ष हो। इससे स्पष्ट है कि अमेरिका जैसे देश में भी महिलाओं के प्रति भेदभाव किया जाता है। दुनिया के सबसे अधिक शक्तिशाली व उन्नत राष्ट्र होने के बावजूद अमेरिका में अनेक क्षेत्रों में महिलाओं को पुरूषों के समान अधिकार प्राप्त नहीं है।

भारत में घरेलू हिंसा की क्या स्थिति है? – देश की राजधानी दिल्ली के एक सामाजिक संगठन द्धारा कराए सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है कि देश में लगभग 5 करोड़ महिलाएं घरेलू की शिकार हैं, लेकिन इनमें से केवल 0.1 प्रतिशत महिलाओं ने ही इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।

****

घरेलू हिंसा की विभिन्न गतिविधियाँ एवं स्वरूप

राजेन्द्र सिंह परमार *

प्रस्तावना – ऐसे दो व्यक्ति जो साझी गृहस्थी में एक साथ रहते है, घरेलू नातेदारी कहलाती हैं, इसके अंतर्गत रहने वाली महिला के साथ होने वाली हिंसा, घरेलू हिंसा कहलाती हैं तथा ऐसी महिला को कानून की दृष्टि में व्यथित व्यक्ति की संज्ञा दी गई हैं।घरेलू हिंसा से तात्पर्य केवल शारीरिक पीड़ा नहीं है इसके अंतर्गत निम्न बिंदू आते हैं –

- दहेज या अन्य संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए विधि विरूद्ध मांग।
- शारीरिक दुरूपयोग या उसके जीवन, अंग या स्वास्थ्य को खतरा।
- लैंगिक दुरूपयोग जिसमें महिला की गरिमा का दुरूपयोग।
- मौखिक और भावनात्मक दुरूपयोग।
- आर्थिक दुरूपयोग जिसमें व्यथित महिला को घरेलू तथा निजी आवश्यकता की पूर्ति पर रोक या रखरखाव संबंधित खर्च से वंचित किया जाना।

इसके अतिरिक्त और भी कई मानसिक एवं शारीरिक पीड़ाएं साझा परिवार में रक्त संबंधियों या वैवाहिक संबंध या दत्तक पुत्र द्वारा दी जाती हैं। अत: ऐसी महिलाओं के लिए संविधान के अधीन प्रत्याभूत अधिकारों के अधिक प्रभावी संरक्षण और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अधिसूचना कृं का–आ 1776(अ) दिनांक 17 अक्टूबर 2006 भारत का राजपत्र (असाधारण) भाग–2 खण्ड 3(पप) दिनांक 19/10/06 पृष्ठ एक पर प्रकाशित घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की (2005 का 93) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के द्वारा उक्त अधिनियम प्रवृत्त किया गया हैं।

कहने को लोग बड़े गर्व से कहते है कि आज की नारी 21वीं सदी की नारी हैं, जो हर बंधन और दरों दीवारों को पार कर चुकी हैं। घरेलू कामकाजों से लेकर कानून की दहलीज तक और खेतों की दूनिया से लेकर देश के शीर्ष पदो तक यह अपनी कामयाबी के झण्डे फहरा रही हैं, लेकिन यही 21वीं सदी इस क्रूर यथार्थ की साक्षी है कि समाज का आधा हिस्सा महिलाएं अवांछित भेदभाव और अन्यायपूर्ण व्यवस्था की शिकार है और इस तथ्य में जरा भी संदेह नहीं है कि परिणाम स्वरूप संपूर्ण प्रगति व विकास विकलांक प्रतिफलों से ग्रस्त हैं। हर जगह अपनी क्षमता को साबित करने के बावजूद भी इसे अभी भी घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न जैसे मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है।

अपराध एवं हिंसा एक सार्वभौमिक धारणा है, जबसे मानव की उत्पत्ति हुई है, हिंसा किसी न किसी स्वरूप में जरूर विद्यमान रही है। हिंसा को किसी भी समाज में सकारात्मक रूप में नहीं देखा जाता है, इसके बावजूद हिंसा विभिन्न स्वरूपों में प्रत्येक समाज में देखी जा सकती हैं। हिंसा एक जटिल एवं व्यापक धारणा है। इसे विभिन्न रूपों में परिभाषित किया गया हैं, इसके बावजूद यदि सामान्य स्वरूप में देखे तो किसी भी व्यक्ति को शारीरिक मानसिक व अन्य तरीकों से प्रताड़ित करना हिंसा की श्रेणी में ही आते हैं। इसी आधार पर घरेलू या पारिवारिक हिंसा से आशय को भी स्पष्ट किया जा सकता हैं।

हिंसात्मक गतिविधियाँ विभिन्न स्तर पर विभिन्न स्वरूपों में समाज में क्रियाशील होती हैं, घरेलू हिंसा भी हिंसात्मक प्रयास का एक स्वरूप हैं। यह हिंसा परिवार के किसी भी सदस्य के प्रति संभव है। प्रमुख रूप से घरेलू हिंसा से प्रभावित वर्ग महिला एवं बच्चों का होता हैं। परिवार में सब कुछ सामान्य एवं सकारात्मक आधार पर संभव सम्पन्न हो, हमेशा संभव नहीं हैं।घरेलू हिंसा संयुक्त परिवारों में ही नहीं बल्कि एकाकी परिवारों में, प्रत्येक प्रकार के आयु वर्ग में एंव रोजगार में संलग्न महिलाओं में भी देखी जाती हैं। यह एक सामाजिक अपराध है, जो न केवल स्वयं में एक सामाजिक समस्या है वरन् अन्य सामाजिक समस्याओं को जन्म देती हैं।

घेरलू हिंसा में पति द्वारा पत्नी को पीटना, मारना, गाली–गलौच करना, प्रताड़ित करना, दहेज के लिए सताना, बच्चों को मारना पीटना, छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार करना, उन्हें वेश्यावृत्ति के लिए बेच देना, बच्चों से मजदूरी करवाना, बुजुर्गो को अपमानित करना, उन्हें घर से निकाल देना आदि शामिल होता हैं परन्तु घरेलू हिंसा का संबंध प्रमुखतया महिलाओं के प्रति हिंसा से हैं।

विश्व के 80 प्रतिशत पति ऐसे होते हैं, जिन्होंने अपने दाम्पत्य जीवन में कभी अपनी पत्नी पर हाथ उठाया होता है। इनमें से 45 प्रतिशत पति ऐसे होते है, जिन्होंने पत्नी को पीटना अपनी आदत बना लिया है और शायद ही कोई दिन ऐसा जाता हैं, वह बेवजह पति की मार से बची हो। घरेलू हिंसा के इस तांडव से समूची नारी जाति पीड़ित हैं।

भारत में पत्नी के रूप में नारी की प्रतिष्ठा रही है और उसे यहां गृहलक्ष्मी की संज्ञा से संबोधित किया गया है। पत्नी को पुरूष की अर्द्धांगिनी, सहधर्म चारिण, धर्म पत्नी भी कहा जाता है, यहां पत्नी के अभाव में पति द्वारा किए गए धार्मिक कार्यो को निष्फल माना गया है, किन्तु यह तस्वीर का एक पहलू हैं। पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करने एवं उसे मारने–पीटने की घटनाएं भी कई बार सुनने में आती हैं। विवाह के बाद पति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी पत्नी का भरण–पोषण करेगा,उसे प्रेम करेगा और संरक्षण प्रदान करेगा। भारत में पति के लिए 'भर्ता' शब्द का प्रयोग किया गया हैं।

* शोधार्थी (विधि) बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

जिसका अर्थ है, भरण–पोषण करने वाला।

नारी की यह मजबूरी है कि उसके साथ हिंसा का व्यवहार होने पर भी वह आर्थिक व सामाजिक कारणों, बच्चों के प्रति अपने दायित्वों एवं सामाजिक निन्दा से करने, आदि कारणों से सब कुछ शांत भाव से सहन करती रहती हैं। वह इसे ही अपना भाग्य मानती है, पूर्व जन्म के कर्मो का फल मानती है। समाज के लोग भी उसे सहिष्णु होने का ही उपदेश देते रहते हैं। उसे कहा जात हैं– 'पति के घर में डोली में बैठ कर आयी थी, अब तो यहां से तुम्हारी अर्थी ही उठेगी। और वह बेचारी जहर के घूंट पीकर जिंदा लाश की तरह घर में बनी रहती हैं।'

महिलाएँ शिक्षित होती है तथा अच्छी नौकरी कर सकती है परन्तु उन्हें उनकी शिक्षा का सही उपयोग नहीं करने दिया जाता है तथा उन्हें घर की चार दिवारी तक ही सीमित रखा जाता हैं। क्योंकि यदि महिलाएँ आगे बढ़ेगी कमाने लगेगी तो आत्म निर्भर हो जाएगी और शोषण के विरूद्ध आवाज उठाने लगेगी इसलिए उन्हें चार दिवारी तक ही सीमित रखा जाता हैं।

भारत में विशेष रूप से हिन्दूओं में विधवाओं की एक गम्भीर समस्या है, क्योंकि हिन्दूओं में विवाह एक धार्मिक संस्कार माना गया हैं, और यह पति–पत्नी का जन्म जन्मान्तर का बंधन है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। अत: पति की मृत्यु के बाद पत्नी को दूसरा विवाह करने की छूट नहीं है, यही कारण है कि पति की मृत्यु के बाद से ही विधवा स्त्री के दु:ख प्रारम्भ हो जाते हैं। उसके सिर को मुंडवा दिया जाता था। वह अच्छे वस्त्र नहीं पहन सकती, श्रृंगार नहीं कर सकती, इत्र व तेल का प्रयोग नहीं कर सकती, सार्वजनिक उत्सवों एवं शुभ कार्यो में उसकी उपस्थिति को अपशकुन माना जाता हैं। सास–ससुर एवं पति के परिवार के लोग विधवा पर अत्याचार करते हैं, उसे डायन की संज्ञा देते हैं, जिसने अपने पति को ही खा लिया है। विधवाओं के भी अनेक प्रकार हो सकते हैं, जैसे बिना बच्चों वाली युवा विधवा, एक दो बच्चों वाली प्रौढ़ विधवा एवं अधिक उम्र वाली विधवा, अधिकांशत: युवा एवं प्रौढ़ विधवाओं की समस्याएं ही अधिक हैं। अधिक उम्र वाली विधवा तो अपने बच्चों के परिवार का अंग बन जाती है, वह अपने पोते, पोतियों की देखभाल करने, खाना पकाने, घर के कार्यो में मदद करने एवं मार्गदर्शन करने की दृष्टि से उपयोगी मानी जाती हैं, युवा एवं प्रौढ़ विधवाओं की समस्याएं गम्भीर होती है। उन्हें पीटा जाता हैं, गालियां दी जाती है, उनके साथ व्यभिचार एवं लैंगिक दुर्व्यवहार का प्रयत्न किया जाता है, उन्हें पति की संपत्ति से वंचित किया जाता हैं।

महिलाओं पर अत्याचार करने के लिए उनका केवल विधवा होना ही कारण नहीं होता है,जो महिलाएं विधवा नहीं होती हैं तथा छोटी–छोटी बच्चियों के साथ भी अपराध किया जाता है। पुरूष महिलाओं के साथ अपराध करने से पूर्व यह नहीं सोचता है कि वह किस दशा या परिस्थिति में हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. डॉ. ए.एन. अग्निहोत्री, महिला सशक्तिकरण और कानून।
2. महिलाओं के कानूनी अधिकार, नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया नई दिल्ली।
3. गुप्ता एम.एल. और शर्मा बी.डी., भारतीय सामाजिक समस्याएँ।
4. शर्मा, दिवाकर महिलओं के प्रति अपराध, पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरों नईदिल्ली।
5. नरसिम्हा आर.के. (1995), ह्यूमन राइटस एण्ड सोशल जस्टि, कामनवेल्थ पब्लिशर्स, नई दिल्ली।

****

भारतीय रेलों में महिलाओं की सुरक्षा, मानवधिकार और कानून के संदर्भ में

शिव कुमार कुर्रे *

प्रस्तावना – 'जब से संसार पर जीवन का पता चला है, उस क्षण से ही उसके जीने के अधिकार निर्धारित है, जो उसे मानव होने के नाते जन्म से प्राप्त है, किन्तु आज वर्तमान समय में नजर डालें तो मानव अधिकार की मुल रूप इस तरह है जिसे सन् 1215 का मैग्नाकार्ट, सन् 1628 का पिटीशन राइट, सन् 1689 का विल आफॅ राइट, सन् 1776 का घोषणा पत्र (अमेरिका), सन् 1789 का मानव व नागरिक अधिकार पत्र (फ्रांस), सन् 1920 में राष्ट्रसंघ की शुरूआत (स्थापना) अक्टूबर सन् 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म हुआ जो मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए स्थापित किए गए थे। सभी देशो के उद्देश्यो को पूरा करने के लिए आर्थिक व समाजिक परिषद् को मानव अधिकार की रक्षा के लिए उचित कदम उठाने का दायित्व सौंपा गया और इसी आर्थिक व समाजिक परिषद् के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर की धारा 68 के तहत् सन् 1946 को मानवाधिकार का गठन किया जिसमें श्रीमती एलोनोर रूजवेल्ट को अध्यक्षता दी गई थी।

मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा – संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सन् 1948 में स्वीकार किया गया था। जिसमें नागरिक, आर्थिक, समाजिक अधिकारों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इन अधिकारों में 'संसार में स्वतंत्रता, न्याय और शान्ति' ही आधार है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मुल रूप से अधिकारों जिसमें मनुष्य की गरिमा के साथ पुरूष और महिलाओं को बराबरी का विश्वास दिलाया है।

उच्चतम न्यायालय की आदेशानुसार मानवाधिकार द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रमों में विशेष ध्यान – आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी मानव अधिकारों की गरिमा व सुरक्षा के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को सपन्न कराने के लिए मानवाधिकार को निर्देशित किया जाता रहा है जो निम्न है।

1. बंधुआ श्रम का उन्मूलन
2. रेल में महिला यात्रियों का उत्पीड़न रोकना
3. रांची, आगरा एवं ग्वालियर के मानसिक अस्पतालों का कामकाज
4. शासकीय महिला सुरक्षा गृह, आगरा का कामकाज
5. भोजन का अधिकार
6. बाल विवाह निषेध अधिनियम की समीक्षा 1929
7. बाल अधिकार प्रोटोकॉल के लिए कन्वेंशन
8. सरकारी कर्मचारियों द्वारा करवाए जाने वाले बालश्रम की रोकथाम: सेवा नियमावली का संशोधन
9. बालश्रम उन्मूलन
10. बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा पर मीडिया के लिए गाइडलाईन बुक
11. महिलाओं और बच्चों के अवैध व्यापार – लिंग संवेदी करण के लिए न्यायपालिका मैनुअल
12. सेक्स पर्यटन और तस्करी की रोकथाम पर संवेदनशील कार्यक्रम
13. मातृ रक्ताल्पता और मानव अधिकार
14. वृन्दावन में बेसहारा औरतों का पुनर्वास
15. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकना
16. सफाई उन्मूलन पुस्तिका

रेल यात्रा के दौरान महिलाओं के विरूद्ध अपराध – वर्तमान में हम विभिन्न कानूनों के होने के कितना भी दम भर ले लेकिन वास्तविक रूप से इनके होने के बावजूद भी अधिकार व मानवाधिकार की संकल्पना से कोसो दूर है। वर्तमान में अपराधों की संख्या में नजर डालें तो पता चलता है की महिलाओं के ऊपर होने वाले अपराधों की संख्या में निरंतर इजाफा हुआ दिखता है। आज रेल सफर करना भी महिलाओं के लिए साहसीय कदम के समान हो गया क्योंकि हर तरफ अपराध जैसे–चोरी, लुट, चैन स्नैचिंग, छेड़खानी, बलात्कार जैसे विभत्स अपराध हो रहे है। जबकि भारतीय रेल्वे की प्रमुख प्राथमिकता में सुरक्षा व्यवस्था अहम् है। भारतीय रेल्वे द्वारा महिलाओं के सुरक्षा के लिए विशेष कार्य जैसे – लोकल रेलगाड़ियों में महिला डिब्बो में रेल्वे सुरक्षा बल व शासकीय रेल्वे पुलिस की गस्ती करवाई जा रही है, मैट्रोपोलिटन नगरों में चलने वाली सभी महिला रेलगाड़ियों की निगरानी महिला रेल्वे सुरक्षा बल द्वारा करवाई जा रही है, महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेल्वे सुरक्षा बल द्वारा मोबाईल फोनो में सिक्यूरिटी एप लॉच करना सुनिश्चित, निर्भया फंड़ योजना के तहत संवेदनशील स्टेशनो में सी.सी.टी.वी. की व्यवस्था की जा रही है। भारतीय रेल्वे में रेल स्टेशनों व यात्रा के समय अपराधों का रोकथाम की जिम्मा रेल्वे सुरक्षा बल व शासकीय रेल्वे पुलिस की जिम्मेदारी है जिसमें मामलों का पंजीयन व जॉच राज्य का दायित्व है।

भारतीय रेल्वे में महिलाओं की विशेष सुरक्षा व्यवस्था –

- राजकीय रेल्वे पुलिस 'भारतीय रेल्वे' में अपराधों की रोकथाम की जिम्मेदारी राज्य के विषय है। जो स्टेशन परिसर व यात्रा के दौरान होने वाले अपराधो पर नियंत्रण करता है। जिसे राजकीय रेल्वे पुलिस कहते है। राजकीय रेल्वे पुलिस का कार्य अपराधों के पंजीकरण उसकी जॉच व स्टेशनों या रेल्वे मे कानून व्यवस्था को बनाये रखना राज्य सरकार के जिम्मेंदारी है। जिसको सम्बंधित राज्यों के द्वारा राजकीय रेल्वे पुलिस की सहायता से कराती है।
- रेल्वे सुरक्षा बल द्वारा सन् 1966 से मूलरूप से रेल्वे की सम्पत्ति की सुरक्षा की जाती थी, लेकिन इसके पश्चात हुये संशोधनों के द्वारा रेल्वे सुरक्षा बल को और अधिक शक्तिशाली व जिम्मेदारी दी गई तथा इस संशोधन में मामलों के जॉच करना तथा सांदिग्ध व्यक्तियों को सजा

* शोधार्थी , पं. रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) भारत

देने तक की शक्ति प्रदान की गई है। हालाकि रेल्वे में अपराधों के प्रकरणों की रिपोर्ट राजकीय रेल्वे पुलिस के पास करायी जाती हैं, उसकी पंजीकरण एवं मामलों की जॉच करती है।

रेल्वे सुरक्षा बल द्वारा आपरधिक क्षेत्रों में राजकीय रेल्वे पुलिस की सहायता करती है और साथ ही समय के अनुसार जिला पुलिस की सहायता लेकर कार्य करती है। महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराध को रोकने के लिए जोनल स्तर पर राजकीय रेल्वे पुलिस के समंजस्य के साथ उचित कदम उठाये जा रहे है जो निम्न है–

1 भारतीय रेल्वे के 202 संवेदनशील स्टेशनों में सुरक्षा तंत्र के रूप क्लोज सर्किट, टेलिवीजन, कैमरा नेटवर्क, एक्सेस कन्ट्रोल तोड़ फोड़ जॉच के जरिए करेगी।
2 आप विभिन्न राज्यों में राजकीय रेल्वे पुलिस के द्वारा 2200 रेलों के देखरेख के अलावा संवेदनशील लाईनों 1600 रेल गाड़ियों की सुरक्षा बल के द्वारा प्रतिदिन निगरानी की जा रही है।
3 महिलाओं की सुरक्षा महिला रेल्वे सुरक्षा बल द्वारा मेट्रोपोलिटिन शहरों में की जाती है।
4 भारतीय लोकल रेलों में महिला वार्डो में अधिक भीड़भाड़ के समय राजकीय रेल्वे पुलिस/रेल्वे सुरक्षा बल द्वारा गस्त की जाती है।
5 स्टेशनों में अवैध रूप से प्रवेश के विरूद्ध रेल्वे सुरक्षा बल/राजकीय रेल्वे पुलिस व व्यवसायिक अभियान समय समय पर की जाती है।
6 आज इलेक्ट्रोनिक व प्रिंट मीड़िया द्वारा समय समय पर जागरूकता अभियान चालया जा रहा है।
7 रेल्वे सुरक्षा बल द्वारा नियमित रूप से राजकीय रेल्वे पुलिस के साथ बैठक रखती है।
8 महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए मोबाईल फोनों में लॉच की गई है, जो रेल्वे सुरक्षा बल को सावधान करता है।
9 भारतीय रेल्वे में निर्भया फण्ड योजना के तहत् 1,000 रेल्वे स्टेशनों में सी.सी.टी.वी. की व्यवस्था की गई है।

मानव अधिकारों के समान रेल्वे सुरक्षा बल द्वारा भी रेल गाड़ियों को अपराध मुक्त कराने के लिए मुख्यता: महिला, बुजुर्ग, बच्चे जैसे निर्बल समूहों की सुरक्षा निर्धारित करने के लिए रेल्वे सुरक्षा बल ने निगरानी की जाने वाली रेल गाड़ियों की संख्या रोजाना 1200 से बढ़ाकर 2400 की गई है। भारतीय रेल्वे आज सुरक्षा की दृष्टि से कमजोर पड़ती नजर आ रही है। दिन प्रतिदिन की आंकड़ों को नजर ड़ाले तो मन मैला हो जाता है। इतनी खराब स्थिति को स्वयं राज्य सरकार द्वारा आंकड़े के रूप में प्रदर्शित करते रहे है जिसमें सन् 2015 में नेषनल क्राईम रिकार्ड ब्यूरों के अनुसार सफर के दौरान 73 बलात्कार के अपराध हुए है जो अब तक सबसे अधिक है।

शोध विधि – यह शोध पत्र द्वितीय तथ्यों पर आधारित है, जिसमें विभिन्न प्रकार की पुस्तकों, पत्रिका, राज्यसभा प्रश्न उत्तरीय रेल्वे सुरक्षा बल, राजकीय रेल्वे पुलिस से पूछताछ के द्वारा ली गई है।

शोध के उद्देश्य–

1 वर्तमान में भारतीय रेलों में स्टेशनों व यात्रा के दौरान महिलाओं पर अपराधों की ओर ध्यान आकर्षित कराना।
2 महिलाओं पर हो रहे अपराधों की पहचान कर उनका निवारण करने के लिए प्रस्ताव देना।

सुझाव–

1 महिलाओं को रेल्वे पर होने वाले अपराधों के बारे में जागरूक करना चाहिए।
2 यात्रा के समय हमेशा महंगी आभूषणों के साथ यात्रा करने से बचना चाहिए।
3 यात्रा के समय किसी भी अनजान व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार खाद्य पदार्थ को खाने से बचना चाहिए।
4 वर्तमान में महिलाओं की सुरक्षा के लिए मोबाईल एप लॉच हो गई उसकी उपयोग के बारे रेल्वे व समाचार पत्रों के माध्यम से जागरूक करना चाहिए।
5 हम हमेशा अपने अधिकारों के ही बात करते है, लेकिन हमें महिलाओं के साथ हो रहे विभत्स अपराधों के रोकथाम चाहते है। तो हमें अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य की ओर भी ध्यान देना होगा तभी अपराध मुक्त यात्रा व सफर की कामना पूर्ण होगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची–

1. जैन, उर्मिला, मानव अधिकार और हम, परमेश्वरी प्रकाशन, संस्करण 2013.
2. चंद्रशेखर, ममता, मानव अधिकार और महिलाएँ, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल।
3. महरोत्रा, ममता, महिला अधिकार और मानव अधिकार, प्रभात प्रकाशन, प्रथम संस्करण, 2011.
4. पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार, रेल मंत्रालय नई दिल्ली, 28 अप्रैल 2016
5. पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार, रेल मंत्रालय नई दिल्ली। http://www.pib.nic.in/newsite/hindifeature.aspx?relid=9042
6. राष्ट्रीय बल अधिकार संरक्षण आयोग, http://hi. vikaspedia.in/education/child-right/national-commission-for – protection of child-right
7. भारतीय रेल मंत्रालय नई दिल्ली, (स्वेत पत्र) पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली 26 अगस्त 2010

****

महिलाओं के विधिक अधिकार का सच - मालती जोशी की कहानियों के संदर्भ में

डॉ. बीना चौधरी *

प्रस्तावना - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 में देश के प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार दिया गया है। समानता, स्वतंत्रता व न्याय का अधिकार महिलाओं और पुरूषों को समान रूप से प्राप्त है, बल्कि अनुच्छेद 15 में महिलाओं/लड़कियों की सुरक्षा व संरक्षण का भी प्रावधान है। अनुच्छेद 19 व 23 में भी महिलाओं को स्वतंत्रता व गरिमा की रक्षा का अधिकार है। इसके अतिरिक्त अन्य कई नियम अधिनियम हैं, जो महिलाओं के विकास एवं सुरक्षा के लिए बने हैं; जिनमें प्रमुख हैं - घरेलु हिंसा रोकथाम कानून (2005), दहेज निवारक कानून (1961), कार्यस्थल पर सुरक्षा संबंधी कानून (विशाखा), सम्पत्ति का अधिकार, महिला आरक्षण आदि। इन सब विधिक अधिकारों के साये में महिलाओं के विकास का ग्राफ आज कुछ बढ़ा तो है, लेकिन कहीं कोई है, जो उसके मार्ग का रोड़ा भी बन रही है, उसकी स्वतंत्रता व समानता के अधिकारों को लील रही है। आज की सुप्रसिद्ध कहानीकार मालती जोशी की कहानियों में महिलाओं की स्वतंत्रता व समानता को लीलने वाली कई स्थितियों का चिट्ठा प्रस्तुत है। वस्तुत: महिलाओं की विधिक एवं सामाजिक स्थिति में अंतर्विरोध है। कानून द्वारा अनेक अधिकार प्रदत्त किए जाने पर भी सामाजिक तौर पर उसका विकास नहीं हो रहा है। यह संकेत है कि महिलाओं को उनके अधिकारों के उपयोग का अवसर नहीं मिल पा रहा है। इसके कई कारण हैं - एक तो समाज में उसको पुरूष से कमतर मानना, दूसरा उसके अधिकारों की आड़ में किसी और का अधिकारोपभोग करना। दफ्तरों में भी महिला अधिकारी का उतना सम्मान नहीं होता, जितना पुरूष अधिकारी का होता है। यद्यपि वर्तमान में शिक्षा के प्रसार तथा स्वयं के परिश्रम, लगन व साहस के बल पर महिलाओं ने अपने को प्राप्त कानूनी अधिकारों का उपयोग करना आरम्भ किया है, जिसके कारण उसका आर्थिक विकास हुआ है और वह कई पदों पर आसीन हुई है, फिर भी सामाजिक स्तर पर पूर्ण अधिकार व सम्मान पाने हेतु कुछ और की आवश्यकता है।

मालती जोशी की कहानियों में इन्हीं सामाजिक स्थितियों की ओर संकेत है, जो नारी को उसके अधिकारों से वंचित करती है। कभी दहेज प्रथा, तो कभी पुरूष सत्ता प्रधान समाज, कभी मध्यवर्गीय रूढ़िवादिता, तो कभी अंधविश्वास और कई बार उसकी अपनी मानसिकता ही उसके विकास की बेड़ी बन जाती है, जो सदियों से उसे घुट्टी में पिलाई जाती रही है।

मालती जोशी की कहानियाँ नारी मन के सूक्ष्म विश्लेषण के साथ ही उनके जीवन में घटित होने वाले अनेकानेक प्रसंगों और घटनाओं का विस्तृत विवेचन करती है, जो नारी दंश की विविध स्थितियों एवं अंतर्बाह्य संघर्ष को चित्रित करने में पूर्णत: सफल है।[1]

भारतीय समाज आज भी पुरूष सत्ता प्रधान समाज हैं, जहाँ पुरूष को प्रथम और नारी को दोयम स्थान दिया गया है। नारी की भावनाओं की विशेष कद्र नहीं की जाती है, लड़की के जन्म से लेकर माता-पिता के सामने चिंताओं के पहाड़ टूट जाते हैं, उसके व्यक्तित्व निर्माण, सुरक्षा, अध्ययन, चरित्र-गठन, विवाह संबंधी अनेकानेक समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ता है। लड़कियाँ मानो बोझ स्वरूप होती हैं, जिसे उतारने के लिए माता-पिता अथक परिश्रम करते हैं। कहीं इच्छानुकूल वर नहीं मिलतें हैं, कहीं दहेज के कारण अनेक समझौते करने पड़ते हैं। इस समाज में सारे ही नियम लड़कियों के लिये लागू किए जाते हैं।

मालती जोशी की कहानी 'कवच'[2] में समाज की ऐसी कई स्थितियों का प्रदर्शन है, जहॉ महिलाओं की दशा विरूप है।

दहेज कानूनन अपराध है, किन्तु समाज में इसका चलन कितना व कैसा है, हम सब जानते हैं। 'कवच' कहानी का नायक विनय, जो वर है, दहेज लेने का विरोध प्रदर्शित करता है, किन्तु लालची बुजुर्गों की नीयत कन्या पक्ष को लूटने की है, विवाह के पूर्व ऐन वक्त पर स्कूटर और फ्रिज की मांग को कन्या का पिता विवश होकर पूरी करता है, विनय विरोध करता है, पर ताऊजी के सामने उसकी एक नहीं चलती है। वस्तुत: लेखिका ने विनय जैसे युवाओं की लाचारी और मानसिक क्षुब्धता को भी उकेरा है, जो दहेज प्रथा का विरोध तो करता है, पर वास्तव में कुछ कर नहीं पाता।

इसी प्रकार अंधविश्वास के कारण किसी के सम्मान को ठेस नहीं लगाए जाने संबंधी कानून तो है, पर इसी 'कवच' कहानी में एक विधवा स्त्री अपने पुत्र को विवाह के पूर्व आशीर्वाद भी नहीं दे सकती, क्योंकि शुभकार्य में उसकी उपस्थिति से बेटे का अमंगल हो सकता है, यह कैसा समाज है? जहाँ माँ की भावना को अमंगलकारी माना जाता है, जो बेटे के लिए संघर्ष करती है। परन्तु मालती जोशी ने इस कहानी में एक सकारात्मकता प्रस्तुत की है कि दूल्हा विनय ऐसी रूढ़िवादी परम्परा को नहीं मानता है और वह माँ से आशीर्वाद लेकर ही घर से निकलता है। स्वयं मालती जोशी कहती हैं- 'बच्चों में ऐसे तेवर आज अपेक्षित है।'[3] हमारे कानून की नजरों में स्त्री-पुरूष समान है। समाज में नारी-पुरूष समानता का नारा सुनने पर तो आदर्शवादी लगता है, किन्तु यथार्थ स्तर पर कितने लोग इसे व्यवहार में लाते हैं? यह प्रश्न विचारणीय है।

दैनंदिन जीवन में पुरूष की अहंभावना के सामने नारी विवश और निरीह हो जाती है। मालती जोशी की कहानियाँ नारी के इसी दमित और शोषित रूप में उजागर करती है।[4]

यदि कहीं पति/पत्नी या प्रेमी/प्रेमिका दोनों नौकरी करते हैं, तो दोनों को ही समान रूप से प्रमोशन पाने का अधिकार है, परन्तु कई बार नारी कैसे आहत होती है, मालती जोशी की कहानी 'चाहत'[5] इसकी कलई खोलती है।

* प्राध्यापक (हिन्दी) श्री सीताराम जाजू शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.) भारत

यहाँ नायिका का प्रेमी उससे कहता है कि अगर मुझे सच्चे मन से प्यार करती हो तो प्रमोशन मत लो। परन्तु जब नायिका ने कठोर मेहनत के प्रतिफल में मिलने वाले प्रमोशन को स्वीकार कर लिया, तो उसके प्रेमी के अहं या हीन भाव को ठेस लगी और अन्ततः दोनों का विवाह ही नहीं हो पाया। यहाँ एक और विसंगति या पुरूष की सोच को लेखिका ने उद्घाटित किया है।
स्वयं कहानीकार के शब्दों में –

नायिका कहती है – 'अगर तुम कहो तो मैं नौकरी छोड़ सकती हूँ, पर नौकरी करते हुए प्रमोशन नहीं ठुकरा सकती।'

इसके उत्तर में उसने जो कहा उसे सुनकर मैं सन्न रह गई। उसने कहा तुम्हारी माँ ठीक ही कहती थी।
'क्या कहती थी?' 'यही कि तुम एक नंबर की जिद्दी, नकचढ़ी और सेल्फ सेंटर्ड लड़की हो।'[6]

इस प्रकार की मानसिकता कि कमाऊ पत्नी भी चाहिये और अपने से उच्च स्तर पर उसका होना भी गवारा नहीं। पुरूष का यह अहं और स्वार्थ दोनों ही कानूनन त्याज्य होते हुए भी समाज में भरे पड़े हैं।

कानून के अनुसार लड़का व लड़की को जन्म का भी समान अधिकार है, किन्तु हम समाज की मानसिकता से भली भाँति परिचित है, जिसकी कई कहानियों में मालती जोशी ने कलई खोली है – 'चाहत' कहानी में ही एक दृष्य देखिये –
'हे भगवान, फिर लड़की? बाबूजी के स्वर में निराशा साफ झलक रही थी।
'एक बेटा हो जाता?' अम्मा बुदबुदाई।

'सच दिलीप ने बड़ी गलती की। एकदम से जचगी की खबर सुना दी। कुछ पहले से अता-पता होता तो मैं कुछ उपाय करती। मनौतियाँ मानती। कुछ नहीं तो पंडितजी से कुंडली दिखाकर एकाध अनुष्ठान ही करवा लेती।'[7]

इस प्रकार के अंधविश्वास और उससे कन्या भ्रूण को हानि या माता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ हमारे समाज के लिए आम बात है।

हमारे कानून द्वारा महिलाओं को स्वतंत्रता का उतना ही अधिकार प्राप्त है, जितना के पुरूषों को। किन्तु हमारे समाज में महिलाओं को मनमर्जी से जीने का हक नहीं हैं। 'परम्परा' कहानी में अम्मा के माध्यम से मालती जोशी इसी बात को उजागर करती है –

'अम्मा' एक फीकी-सी हंसी हँस दी। 'अपनी मर्जी क्या होती है, यह तो कभी जाना नहीं बेटी। बचपन में अपने बाबूजी की कही करते थे। शादी के बाद तुम्हारे बाबूजी की कमान में रहे। उनकी हर बात सर माथे ली। ..... उनके बाद अब अजय बाबू ही घर के मालिक हैं। उनका कहा तो मानना ही होगा न। चौथापन में बेटे से बिगाड़ करके मेरा क्या बनेगा? अंत में आग-पानी तो उसी को देना है।'[8]

कितने नपे तुले शब्दों में वास्तविक रूप में जो समाज में स्थिति है उसे प्रस्तुत किया गया है, सच्चाई में नारी जीवन को परिभाषित किया गया है, उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं है। वह हमेशा से पुरूष के अधीन रही है, चाहे वह पिता हो, पति हो या बेटा। यही उसकी नियति है, यही त्रासदी है और यही परम्परा है। मालती जोशी इन सब स्थितियों को परत दर परत उघाड़ती ही नहीं वरन् उनके समाधान का मार्ग भी सुझाती है।

वे निर्देशित करती हैं कि वे परम्पराएँ जो महिलाओं के विकास के मार्ग में बाधक है, जो रूढ़ि बनकर उन्हें जकड़ रही है, उन्हें तोड़ दें। लड़का एवं लड़की दोनों को संस्कार दें और स्त्रियाँ आर्थिक रूप से मजबूत बनें।

समग्रतः महिलाओं को प्रदत्त विधिक अधिकार प्रशंसनीय है किन्तु आवश्यकता है उन्हें लागू करने वाली सामाजिक मानसिकता को दुरूस्त करने की, समाज की सोच बदलने की और मध्यवर्गीय मानसिक गुलामी की दासता से मुक्त होने की।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सृजन के विविध आयामा – डॉ0 राधा गिरधारी, पृ0 51
2. मालती जोशी की कहानियाँ – ('कवच कहानी), मालती जोशी
3. दस प्रतिनिधि कहानियाँ (भूमिका)– मालती जोशी, पृ0 10
4. सृजन के विविध आयाम – डॉ0 राधा गिरधारी, पृ0 37
5. बाबुल का घर – ('चाहत' कहानी), मालती जोशी,
6. बाबुल का घर – ('चाहत' कहानी), मालती जोशी, पृ0 81
7. बाबुल का घर – ('चाहत' कहानी), मालती जोशी, पृ0 85
8. बाबुल का घर – ('परंपरा' कहानी), मालती जोशी, पृ0 110-111

****

महिलाएं और मानवाधिकार – नीमच जिले के ईंट भट्टा उद्योग के विशेष सन्दर्भ में

डॉ. एम.एस. सलूजा * डॉ. विवेक नागर **

प्रस्तावना – प्रकृति ने सभी मनुष्यों को अस्तित्व प्रदान किया हैं और इस नाते जीने के प्राकृतिक अधिकार उसे जन्मजात उपलब्ध हुए है। प्रकृति ने मनुष्य को जीने की आवश्यक सुविधाएं उसके पैदा होने के पूर्व से ही जुटाई है मसलन सूर्य की धूप, वर्षा, पानी, हवा, उपजाऊ जमीन आदि किन्तु जीवन के अन्य क्षेत्रों में 'समाज',राज्य व्यवस्था और धर्म आदि के नाम पर अनेक प्रतिबन्ध लगाये है और प्राचीनकाल से ही ताकतवर लोगों ने हमेशा अपनी स्वार्थ पूर्ति हेतु निर्बलों का भयानक शोषण किया हैं।

स्त्री भी समाज का कमजोर वर्ग रही है और स्त्री की सुरक्षा ,चरित्र शुद्धता को आधार बनाकर उस पर अनेक प्रतिबन्ध लाद दिए। यद्यपि स्वतंत्र भारत में महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करते हुए हमारे सविंधान में तथा अन्य कानूनों द्वारा संरक्षण प्रदान किए गए है।

शोध विषय चयन का मूल आधार – जब हम ईंट–भट्टा उद्योग को संचालित अवस्था में देखते हैं या उसमें संलग्न श्रमिक समूहों के जीवन स्तर को देखते हैं, तो समाज के अन्य वर्गों की तुलना में कुछ भिन्न दृष्टिगोचर होता है तथा इनका शैक्षणिक स्तर भी निम्न स्थिति में दिखाई देता हैं। मानव की मूलभूत आवश्यकता रोटी ,कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य एवं शिक्षा है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा शासन की आवास निर्माण योजनाओं को पूरा करन के लिए ईंट आवश्यक सामग्री है किन्तु ईंट निर्माण में संलग्न व्यक्तियों की कमजोर स्थिति को देखकर यह जिज्ञासा जाग्रत हुई कि क्यों नहीं ईंट भट्टा उद्योग की वर्तमान स्थिति का अध्ययन विशेषकर महिलाओं की स्थिति का विश्लेषण करके किया जावे ताकि इनकी स्थिति का सही आंकलन किया जा सके। चूंकि शोधकर्ता का आवास एवं कार्य क्षेत्र दोनों के आसपास ईंट भट्टे प्रमुख रुपसे संचालित होते हैं, आते–जाते इनकी स्थिति को बहुत ही नजदीक से देखा जो बहुत ही दयनीय महसूस हुई। इसलिए हमारे मन में यह जिज्ञासा स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हुई कि मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़े इस उद्योग में कार्यरत व्यक्तियों की एवं इनमें भी विशेष रूप से महिलाओं की दषा इतनी दयनीय क्यों व कैसे हैं ?

शोध का क्षेत्र – प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु नीमच जिले का चुनाव किया गया है। नीमच जिले के तीनों विकास खण्ड नीमच, जावद एवं मनासा को अध्ययन क्षेत्र में शामिल किया गया है। **(नक्शा देखे अगले पृष्ठ पर)**

ईंट भट्टा उद्योग और मानवाधिकार – महिला कामगारों की स्थिति – महिलाओं के कार्य की प्रकृति एवं परिस्थितियां प्रारम्भ से ही अध्ययन की विषय वस्तु रही हैं। महिलाओं के कार्य के अनुभव के अनुसार संगठित और असंगठित क्षेत्र के बीच बहुत पतली रेखा है। 20 वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध के दौरान विभिन्न उद्योगों में पुरूष रोजगाार की तुलना में महिला रोजगार काफी कम था। निर्माण कार्य के क्षेत्र में भी पुरूषों ने महिलाओं कों विस्थापित किया। 20वीं शताब्दी के अन्दर अनेक कानूनी प्रावधान महिलाओं से संबंधित किए गए लेकिन वास्तविकता के धरातल पर इन प्रावधानों के पर्याप्त क्रियान्वयन का अभाव दिखाई देता है। विशेष तौर पर असगंठित क्षेत्र की महिला श्रमिकों के सन्दभ में मानवाधिकार उल्लघंन के मामले अधिक पाए गए है इसके प्रमुख कारण इस प्रकार है –

1. अशिक्षा
2. प्रशिक्षण का अभाव
3. शासकीय नीतियों एवं कानूनों की जानकारी का अभाव
4. पुरूष सदस्यों का असहयोगात्मक रवैया।
5. प्रदूषित वातावरण के कारण अस्वस्थ्यता एवं चिकित्सा सुविधाओं का अभाव
6. कमजोर आर्थिक स्थिति
7. शासन का उपेक्षित रवैया एवं स्पष्ट नीति का अभाव
8. स्थानीय शासन एवं ईंट भट्टा व्यवसाइयों के बीच मुकदमेंबाजी, आदि है।

निवारण हेतु सुझाव –

1. शिक्षा के प्रति जागरूकता का लाया जाना आवश्यक है।
2. प्रशिक्षण शासन स्तर पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
3. शासकीय नीतियों,मानवाधिकारों एवं कानूनों की जानकारी विधिक साक्षरता शिविरों के माध्यम से दी जावे।
4. महिलाओं हेतु चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार कर नियमित रूप से जांच की जाने की आवश्यकता है।
5. विपणन सुविधाए उपलब्ध कराई जावे।
6. ईंट भट्टा उद्योग हेतु शासन द्वारा स्पष्ट नीति का निर्माण किया जाना चाहिए।
7. महिला एवं बाल विकास विभाग अपने स्तर पर महिलाओं हेतु खाली समय में अचार, पापड, आदि से संबंधित घरेलू उद्योगों का प्रशिक्षण देकर आर्थिक रूप से सक्षम बना सकता है।

ऐसा ही एक आधारभूत संरचना से जुडा हुआ उद्योग है – ईट भट्टा उद्योग जो भारत की प्राचीन सिन्धु घाटी सभ्यता, हडप्पा एवं मोहनजोदडों की संस्कृति से लेकर आज तक यह उद्योग आधारभूत संरचना को विस्तार देता आया है लेकिन नीमच जिले मे आधारभूत संरचना से जुडे इस उद्योग मे विशेष रूप से महिला कामगारों की स्थिति दयनीय है। यद्यपि इनसे संबंधित कई कानून मौजूद है.फिर भी इन कानूनों का लाभ इन तक नहीं पहुंच पा

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.) भारत
** प्राचार्य, ज्ञान मन्दिर विधि महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.) भारत

रहा है।

अत: वर्तमान परिस्थितियों में ईटं भट्टा उद्योग से जुडी महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए उन्हे समान पारिश्रमिक, प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता, बढते अपराधों से संरक्षण, विधिक साक्षरता शिविरों के माध्यम से अधिकारों की जानकारी, कार्यस्थलों पर यौन उत्पीडन के विरूद्ध कानून की जानकारी तथा इन नियमो और कानूनों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना उचित होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ.एम.एस.सलूजा - मध्यप्रदेश में ईंट भट्टा उद्योग-लागत आगम विश्लेषण (नीमच जिलें के विशेष संदर्भ में) पी.एच.डी. थीसिस ,2013
2. डॉ.विवेक नागर - महिलाए और मानवाधिकार-कामकाजी महिलाओं के वैधानिक संरक्षण के संदंर्भ में पी.एच.डी. थीसिस, 2015
3. डॉ.राजबाला सिंह, मानवाधिकार और महिलायें, आविष्कार पब्लिशर्स, जयपुर, 2006
4. डॉ.निशांत सिंह ,मानवाधिकार और महिलाएं, राधापब्लिकेशन्स, नईदिल्ली ,2008
5. नीरा देसाई एवं उषा ठक्कर, भारतीय समाज में महिलायें, नेशनल बुक ट्रस्ट इण्डिया

शोध अध्ययन क्षेत्र जिला - नीमच (म.प्र.)

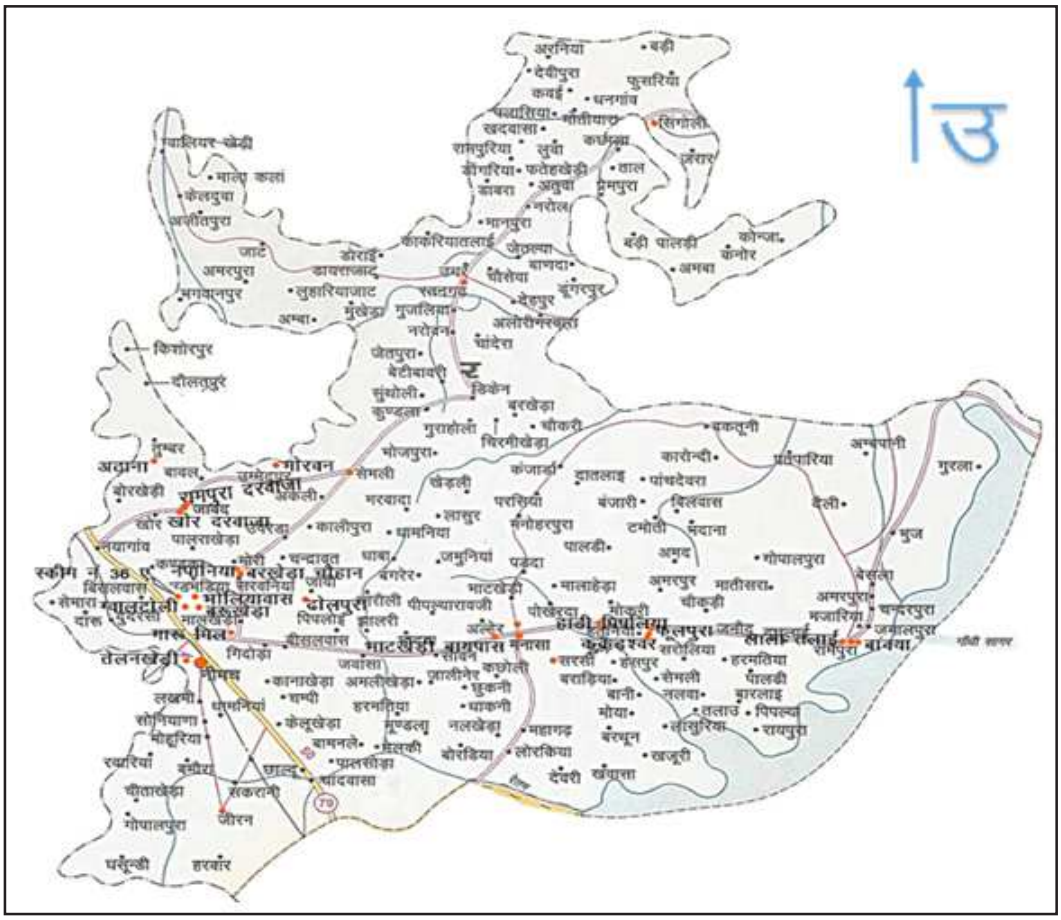

****

भारत में महिलाओं की स्थिति मानवाधिकार और कानून के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न विवाह कानून और महिलाएं – मुस्लिम विधि के अंतर्गत

अर्पिता संघवी *

प्रस्तावना – मुस्लिम विधि में विवाह को निकाह कहा जाता है। विवाह एक संस्था है। यह संस्था मानव तहज़ीब का आधार है। 'कुरान में लिखा है, हमने पुरूषों को स्त्रियों पर हाकिम बना कर भेजा है।'निकाह एक अरबी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ स्त्री और पुरूष का यौन संयोग विधि में इस का अर्थ है 'विवाह'।

मोहम्मद साहब के अवगमन के पूर्व अरब देशों में स्त्रियों की दशा दयनीय थी। मोहम्मद साहब के आने के पश्चात् उनकी दशा में सुधार हुआ और उन्हें समाज में सम्मान जनक दर्जा प्राप्त हुआ। अरब देशों में 4 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। जिसमें प्रथम विवाह आज के विवाहों के समान था, जबकि शेष 3 विवाह वैश्यावृति से बेहतर कोटी के ना थे।

मुस्लिम विवाह को संविदा समझा जाता है, लेकिन भारत में इसे धर्म निष्ठा से सम्बधिंत माना जाता है। भेजी ने मुस्लिम विवाह के 3 दृष्टि कोण बताये है।

1. वैधानिक दृष्टिकोण
2. सामाजिक दृष्टिकोण
3. धार्मिक दृष्टिकोण

उद्देश्य – तिरमिजी (पुस्तक) विवाह के उद्देश्यों का उल्लेख करती है।

1. काम वासना का नियमन।
2. गृहस्थ जीवन का नियमन।
3. वंश की वृद्धि।
4. पत्नी व बच्चों की देखभाल जिम्मेदारी में आत्मसंयम सदाचारी बच्चों का पालन।

पैगम्बर साहब ने विवाह के उद्देश्य का अत्यंत सुन्दर चित्रण किया है जिसके अनुसार 'पुरूष स्त्रियों से विवाह उनकी धर्मनिष्ठा सम्पति या उनके सौन्दर्य के लिए करते है परन्तु उन्हें विवाह केवल धर्म निष्ठा के लिए करना चाहिए।' **तिरमजी पुस्तक से ।**

विवाह की प्रकृति – विवाह की प्रकृति के संबंध में विधि शास्त्रियों ने विभिन्न मत प्रकट किए कुछ विधि शास्त्रियों के अनुसार विवाह संविदा है और कुछ विधि शास्त्रियों के अनुसार विवाह एक संस्कार है।

संविदा की दृष्टि से मुस्लिम विवाह की मुख्य विशेषताएँ है –

1. संविदा की तरह विवाह भी पक्षकारों की सहमति के बिना नहीं किया जा सकता है।
2. संविदा की तरह विवाह को भंग करने के लिए अनेक उपचार उपलब्ध है।
3. वैधानिक परिसिमाओं में रहते हुए विवाह की संविदा की शर्तों के अंतर्गत व्यक्तिश: वाद संस्थित किया जा सकता है।

मेहर – अरब देशों में मोहम्मद साहब के आने के पूर्व लड़की का पिता मेहर की राशि प्राप्त करता था। मोहम्मद साहब ने विवाह में मेहर का अधिकार महिलाओं को देकर उनकी दयनीय स्थिति को सुधारने का कार्य किया है। कुरान में कहा गया है 'कि तुम यदि अपनी पत्नी से अलग होते हो तो उन्हें सौहार्द से विदा करों, जो वस्तुएँ तुमने उन्हें कभी दी हो उन्हें फिर उनसे लेने को निषेध किया गया है।'वर्तमान में मेहर को पत्नी की सुरक्षा की दृष्टि से पति पर अध्यारोपित दायित्व माना जाता है, जिससे की वह अपनी तलाक देने की शक्ति का मनमाना प्रयोग नहीं कर सकता । उसके साथ ही पति को बहुविवाह करने पर भी रोक लगाता है। इसलिए मोहम्मद साहब ने मेहर को इस्लाम में स्त्रियों की दशा सुधारने में प्रयोग किया है।

मेहर नहीं दिए जाने पर महिलाओं के अधिकार –

1. **सम्पत्ति में अधिकार –** मेहर एक अप्रतिभूत प्रकरण है लेकिन पत्नी पति की मृत्यु पर अपने पति की सम्पत्ति में से अन्य महाजनों की तरह ही वसूल कर सकती है।
2. **समागम से इनकार करने का अधिकार –** जब तक पत्नी को मेहर की राशि नहीं मिल जाती है। तब तक वह समागम से इंकार कर सकती है।
3. **पति की सम्पत्ति पर काबिज रहने का अधिकार –** जब तक मेहर पति द्वारा भुगतान नहीं कर दी जाती। तब तक पति की सम्पत्ति पर पत्नी का कब्जा बना रह सकता है।

तलाक – इस्लाम धर्म के पूर्व तलाक द्वारा विवाह विघटन काफी सरल और आम घटना मानी जाती थी। उस समय पति को विवाह विच्छेद के असीमित अधिकार प्राप्त थे। मोहम्मद साहब का यह कहना था अल्लाह को सबसे बुरी लगने वाली बात विवाह विघटन है। कुरान में कहा गया है कि तलाक हलाल होने के बाद भी गलत माना गया है।

तलाक मुख्यत 2 प्रकार से दी जाती है।

1. **तलाक उल – सुन्नत –** तलाक ए सुन्नत से अधिप्राय है कि तलाक पैगम्बर साहब के अनुसार दिया जाना । इसकी दो श्रेणियाँ है।

(i) **तलाक – ए – अहसन –** अरबी भाषा में अहसन का अर्थ सर्वश्रेष्ठ है। यह तलाक मोहम्मद साहब की परम्पराओं पर आधारित है। इसलिए इसे सबसे अच्छा तलाक माना जाता है।

(ii) **तलाक – ए – हसन –** अरबी भाषा में हसन का अर्थ उत्तम् होता है। इस तलाक के लिए कुछ शर्तो की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के तलाक में पति पत्नी को प्रत्येक माह के मासिक धर्म में तलाक कहता है , तो तलाक पूर्ण हो जाता है यदि इस बीच पति पत्नी के बीच समागम हो जाता है, तो तलाक भंग हो जाता है।

* एल.एल.बी.– 4 सेमेस्टर, ज्ञान मंदिर विधि महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.) भारत

2. **तलाक – उल – बिद्दत –** तलाक–उल–बिद्दत को अनियमित पाप मय कहा गया है। मुस्लिम विधि में हनफी और शफी शाखा इस तलाक को मान्यता देती है। इस तलाक में पति द्धारा पत्नी को एक ही तुह के दौरान तीन उच्चारण द्धारा यह तलाक किया जाता है कि मैं तुम्हे तलाक देता हूँ , मैं तुम्हे तलाक देता हूँ , मैं तुम्हे तलाक देता हूँ।

इस तलाक को तिहरा तलाक भी कहा जाता है, जो कि वर्तमान समय में बहस का विषय है। जिसमें कानून विद्धों के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 14 में समता व समानता का अधिकार प्रदान किया गया है, लेकिन मुस्लिम विधि में ह्यास होता दिखाई देता है। जिस प्रकार अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार दिया गया है, तो महिलाओं को यह अधिकार क्यों नहीं की वह भी तिहरा तलाक पुरूषों को दे सकें। 'सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके संविधान के अनुच्छेद 14 तथा 15 के अनुसार तीन तलाक को गलत बताया है।' **(नई दुनिया या नवरंग 23 अक्टूम्बर 2016)**

शिया समुदाय ट्रिपल तलाक को नहीं मानता तथा 2005 में जारी किए गए मॉडल निकाहनाम के अनुसार ट्रिपल तलाक अस्वीकार्य है।
(नई दुनिया या नवरंग 23 अक्टूम्बर 2016)

इसका परिणाम अकेले भोपाल में पिछले 10 महिनों में मुस्लिम महिलाओं द्धारा 3 तलाक के दूरूपयोग के विरूद्ध 494 शिकायतें आई जिनमें से 228 महिलाओं ने अदालत में अर्जी दायर की। मध्यप्रदेश के खरगोन जिले एक गॉव में 23 मुस्लिम महिलाएँ ट्रिपल तलाक का शिकार होकर अभिशप्त जीवन बिता रही है। इसी वजह से 22 से अधिक इस्लामिक देश ट्रिपल तलाक को अस्वीकार कर चूके है।**(नई दुनिया या नवरंग 23 अक्टूम्बर 2016)**

इसी मुद्दे पर भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन ने 2013 में 10 राज्यों में 4710 महिलाओं में सर्वे किया था। जिसमें 9201 फिसदी महिलाएँ 3 तलाक की पद्धति के खिलाफ थी।

संविधान के अनु. 14,19 व 21 के अनुसार नागरिक को चाहे वह किसी भी धर्म का हो या किसी भी लिंग का हो समान अधिकार होना चाहिए।
(दैनिक भास्कर 5 नवम्बर 2016)

इद्दत – इद्धत का अर्थ सामान्य एक अवधि से है, जिसमें जिस स्त्री के विवाह का पति की मृत्यु या तलाक द्धारा विवाह विच्छेद हो गया है, तो उसे एकान्त में रहना तथा दूसरे पुरूष से विवाह न करना अनिवार्य है। मुस्लिम विधि में कोई मुस्लिम स्त्री जिसका विवाह विच्छेद या पति की मृत्यु हो जाती है, तो वह निश्चित अवधि तक पुनर्विवाह नहीं कर सकती है उस निश्चित अवधि को इद्दत कहते हैं।

हलाला नियम – हलाला कुरान का एक नियम है, जिसका मुख्य उद्देश्य तलाक को रोकना है। हलाला एक ऐसा नियम है, जिसके अंतर्गत यदि कोई पति अपनी पत्नी को गुस्से में या मजाक में तीन बार तलाक बोल देता है तो षरीयत के अनुसार तलाक हो जाता है। यदि तलाक के पश्चात् पति दोबारा उसी महिला से निकाह करना चाहता है, तो उसे पहले उस महिला का निकाह दूसरे पुरूष से करना होता है फिर उस पुरूष द्धारा उस महिला को तलाक दिया जाता व 4 माह 10 दिन इद्दत करनी होती है। उसके पश्चात् उस महिला से उसका पूर्व पति निकाह कर सकता है।

महिलाओं के अधिकार –

1. निकाह के लिए सहमति का अधिकार।
2. मेहर तय करने का अधिकार।
3. विवाह के पश्चात् पुरूष की सम्पति में अधिकार मेहर मॉगने का अधिकार।
4. तलाक से इद्दत तक की अवधि का भरण पोषण का अधिकार।

महिलाओं की स्थिति – भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 व 19 में जिस प्रकार सभी लिंग व जाति को समान अधिकार प्रदान किए गए है। उसी के विपरीत मुस्लिम समाज में महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार महिलाओं को अनुच्छेद 14 व 19 के अंतर्गत समानता का अधिकार दिया गया है, कहीं न कहीं यह मुस्लिम महिलाओं में ह्यास का विषय है।

1. **मुस्लिम महिला को दत्तक ना लेने का अधिकार–** मुस्लिम महिलाओं के दत्तक नहीं ले सकती है, जो कि अन्य विधियों की तुलना में अलग सी प्रतीत होती है।
2. **भरण पोषण का अधिकार न होना –** मुस्लिम महिलाओ को भरण पोषण अधिकार नहीं है जो कि तलाक के पश्चात् पत्नी को दिया जाता है जिसके कारण महिलाओं को भविष्य में तलाक के पश्चात् कहीं न कहीं परेषानी देखनी पडती है, मुस्लिम महिलाओं को भरण पोषण के लिए वक्फबोर्ड में आवेदन करना होता है। यदि वक्फबोर्ड चाहे जितनी ही भरण पोषण की राशि निर्धारित करता है, जो कि कहीं न कहीं महिलाओं के अधिकार के विपरीत है।
3. **तलाक ना लेने का अधिकार –** महिलाओं को मुस्लिम विधि में यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वह पति को तलाक दे परन्तु पति तलाक दे सकता है, जो कि अनुच्छेद 14 के विपरीत है।

पर्दाप्रथा – मुस्लिम समाज में प्राचीनकाल से ही पर्दाप्रथा रही है तथा जो वर्तमान में भी है।जिससे महिलाओं को कई अधिकार से वंचिम रहना होता है।

शोध ग्रन्थ – 1 मुस्लिम विधि 2. हैदामा 3. तिरमिली 4. दैनिक भास्कर 5. नई दुनिया 6. दशपुर।

निष्कर्ष – मुस्लिम विधि में महिलाओं की स्थिति दयनीय है। जिसमें पुरूष की चार निकाह करने की इजाजत है। जबकि महिला को तलाक देने का भी मुस्लिम विधि अधिकार नहीं देती है क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 व 19 में विपरीत है क्योंकि उसमें सभी को समान दर्जा दिया गया है।

सुझाव – मुस्लिम विधि में महिलाओं की स्थिति बहुत है। उन्हे पुरूषों पर ही निर्भर रखा गया है। इसे परिवर्तन करके महिलाओं को भी कुछ अधिकार प्राप्त होने चाहिए, जैसे तलाक देने का अधिकार ,भरण पोषण के लिए सीधे 154 के तहत सीधे कोर्ट में अर्जी देने का अधिकार चाहिए।

****

समाज में महिलाओं की स्थिति और कानूनों का उस पर प्रभाव

डॉ. रश्मि शर्मा *

प्रस्तावना – हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति सदैव एक समान नहीं रही है। उनकी स्थिति में वैदिक युग से लेकर आधुनिक काल तक अनेक उतार-चढ़ाव आते रहे है तथा उनके अधिकारों में उसी के अनुरूप बदलाव भी होते रहे हैं।

स्त्रियों और पुरूषों के बीच समानता को बढ़ावा देने और स्त्रियों की प्रास्थिति को सुधारने की प्रेरणा संयुक्त राष्ट्र संघ की मानव अधिकारो की सार्वभौम घोषणा से प्राप्त हुई। जिसने गैर- भेदभाव के एक सामान्य मानक की स्थापना की, लिंग पर आधारित भेदभाव अनुज्ञेय नही है। सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि सभी मनुष्य जन्म से ही गरिमा और अधिकारों की दृष्टि से स्वतंत्र और समान हैं, उन्हें परस्पर मातृत्व की भावना से कार्य करना चाहिए। अनुच्छेद 2 में अभिकथित है कि प्रत्येक व्यक्ति इस घोषणा में उपवर्णित सभी अधिकारों और स्वतत्रताओं का हकदार हैं, इसमें मूलवंश, लिग, भाषा, धर्म, राजनैतिक या अन्य विचार, राष्ट्रीय या सामाजिक उद्भव, सम्पत्ति, जन्म या अन्य प्रास्थिति के आधार पर कोई विभेद नही किया जायेगा।

भारतीय संविधान ने महिलाओं को पुरूषों के बराबर अधिकार दिए हैं। भारतीय संविधान के अनु. 14 में कहा गया है कि कानून के सामने स्त्री और पुरूष दोनों बराबर हैं। अनु.15 के अंतर्गत महिलाओं को भेदभाव के विरूद्ध न्याय का अधिकार प्राप्त है। अनु.21 के अंतर्गत संविधान द्वारा गारंटी दी गई है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी तरीके से किसी व्यक्ति को जीवन या निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। अत: कहा जा सकता है कि महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने हेतु हमारे संविधान में अलग से कानून बनाए गए है या समय-समय पर इनमें संशोधन किया गया हैं।

आज महिलाओं ने शैक्षिक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, प्रशासनिक, खेलकूद आदि विविध क्षेत्रो में उपलब्धियों के नए आयाम तय किए। अत: आज महिलाए आत्मनिर्भर स्वनिर्मित, आत्मविश्वासी हैं, जिसने पुरूष प्रधान चुनौतीपूर्ण क्षेत्रो में भी अपनी योग्यता प्रदर्शित की है। कहा जा सकता कि महिलाओं का विकास होने पर समाज का विकास स्वत: हो जायेगा **गांधीजी ने कहा था कि** 'एक लड़की की शिक्षा एक लड़के की शिक्षा की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि लड़के को शिक्षित करने पर वह अकेला शिक्षित होता हैं किन्तु एक लड़की की शिक्षा से पूरा परिवार शिक्षित हो जाता हैं। शिक्षित महिलाओं को राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय होने में बहुत मदद मिली। इन सबके बावजूद उन पर होने वाले अन्याय, बलात्कार, प्रताड़ना, शोषण, आदि में कोई कमी नहीं आई है और कई बार तो उन्हें अपने अधिकारों के बारे में जानकारी तक नहीं होती, ऐसे में महिलाओं को भी भारतीय कानून द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रति जागरूकता होनी चाहिए-

1. अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 39(घ) के अनुसार समान पारिश्रमिक अधिनियम के अनुसार वेतन या मजदूरी हेतु लिंग के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जा सकता।
2. यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत महिलाओं को कार्य स्थल पर हुए यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का पूरा अधिकार है (**विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य ए. आई. आर. 1997 एस. सी. 3011**)
3. घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत घरेलू हिंसा के खिलाफ भी महिलाओं को अधिकार प्राप्त है। घरेलू हिंसा अधिनियम मुख्य रूप से पति, पुरूष, लिव इन पार्टनर या रिश्तेदारों द्वारा पत्नी, महिला, लिव इन पार्टनर या फिर घर में रह रही किसी भी महिला जैसे मां या बहन पर की गई घरेलू हिंसा से सुरक्षा करने के लिए बनाया गया है, ऐसे में महिला या उनकी ओर से कोई भी शिकायत दर्ज करा सकता है।
4. मातृत्व लाभ कामकाजी महिलाओं के लिए सुविधा नहीं बल्कि अधिकार है। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 एवं मातृत्व लाभ (संशोधन) विधेयक 2016 के अंतर्गत माता को प्रसव के बाद 12 सप्ताह का अवकाश सवेतन प्राप्त होता है।
5. बलात्कार की शिकार हुई किसी भी महिला को मुफ्त कानूनी मदद पाने का पूरा अधिकार हैं, साथ ही बलात्कार की शिकार महिला को नि:शुल्क इलाज सरकारी या निजी अस्पताल में कराने का अधिकार है तथा ऐसी पीड़ित महिलाओं को समाज में पुनर्स्थापित करने के लिए जिला एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को प्राधिकृत किया गया है (दण्ड प्रक्रिया संहिता 357(स) और भारतीय संविधान 39(अ) के संदर्भ में)।
   यौन उत्पीडन की शिकार महिलाओं को नाम न छापने देने का अधिकार है। बलात्कार के सभी मामलों में पीड़ित व्यक्ति की पहिचान को न खुलना बनाए रखा जाएगा **दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग विमेन्स फोरम बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया(1995) 1 एस. सी. सी. 14** दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 327 परंतुक 3 में भी यह प्रावधन है।
6. भारतीय दंड संहिता की धारा-498ए के तहत किसी भी शादीषुदा महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित करना कानूनन अपराध है। अब दोषी को सजा के लिए कोर्ट में लाने या सजा पाने की अवधि बढ़ाकर आजीवन कर दी गई है।
7. एक महिला को सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद गिरफ्तार नहीं

* अतिथि विद्वान, शासकीय विधि महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

किया जा सकता, किसी खास मामले में एक प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही ये संभव है।

8. दण्ड प्रक्रिया संहिता कि धारा 125 के अंतर्गत पत्नी को भरण–पोषण का अधिकार प्राप्त है।
9. हिन्दू विवाह अधिनियम 1995 के तहत निम्न परिस्थितियों में कोई भी पत्नी अपने पति से तलाक ले सकती है– पहली पत्नी होने के बावजूद पति द्वारा दूसरी शादी करने पर, पति के सात साल तक लापता होने पर, परिणय संबंधो में संतुष्ट न कर पाने पर, मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने पर, धर्म परिवर्तन करने पर, पति को गंभीर या लाइलाज बीमारी होने पर, यदि पति ने पत्नी को त्याग दिया हो और उन्हें अलग रहते हुए एक वर्ष से अधिक समय हो चुका हो।
10. तलाक की याचिका पर शादीशुदा स्त्री हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 24 के तहत गुजारा भत्ता ले सकती है। तलाक के निर्णय के बाद धारा 25 के अंतर्गत परमानेंट एलिमनी लेने का भी प्रावधन है। विधवा महिलाएँ यदि दूसरी शादी नहीं करती हैं तो वे अपने ससुर से भरण–पोषण पाने का अधिकार रखती हैं। इतना हीं नहीं, यदि भरण–पोषण की राशि कम लगती है, तो वह पति को अधिक खर्च देने के लिए बाध्य भी कर सकती है।
11. हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005 के तहत नए नियमों के आधार पर पुश्तैनी सम्पत्ति पर महिला और पुरूष दोनों का बराबर हक है।

वर्तमान समय में भारतीय सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक कार्यक्रम एवं योजनाओं का संचालन तो किया जा रही हैं लेकिन इन योजनाओं का क्रियान्वयन निचले स्तर तक उचित ढंग से न पहुँच पाने के कारण स्त्रियों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है। यह सत्य है कि वर्तमान समय में स्त्रियों की स्थिति में काफी बदलाव आए हैं, लेकिन साक्षरता और जागरूकता के अभाव में महिलाएं अपने खिलाफ होने वाले अन्याय के विरूद्ध आवाज ही नहीं उठा पाती।

आज आवश्यकता इस बात की है कि महिलाएं खुद अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों, अपने साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएं, कानून की जानकारी हासिल करें और उनका सही उपयोग करें। साथ ही समाज को भी महिलाओं के प्रति अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाना होगा तो फिर शायद वे न्यायपूर्ण और सम्मानजनक जीवन जी सकेंगी।

संदर्भ गंथ सूची :–

1. कमलेश कुमार गुप्ता, महिला सशक्तिकरण, बुक एनक्लेव, जयपुर।
2. करण बहादुर सिंह, महिला अधिकार व सशक्तिकरण, कुरूक्षेत्र, मार्च 2006
3. डॉ. राजनारायण, स्त्री विमर्श और सामाजिक आन्दोलन।
4. जय नारायण पाण्डे, भारत का संविधान।
5. डॉ.जय जय राम उपाध्याय, मानवाधिकार।
6. डॉ.टी.पी.त्रिपाठी, मानवाधिकार।

****

भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति और कानूनों का उस पर प्रभाव

डॉ. नरेन्द्र शर्मा *

प्रस्तावना – प्राचीन काल से वर्तमान समय तक भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति परिवर्तनशील रही है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही है। इन सब के बावजूद उन पर होने वाले अन्याय, बलात्कार, प्रताड़ना, शोषण आदि में कोई कमी नहीं आई है, हालांकि भारतीय संविधान ने महिलाओं को पुरूषों के बराबर अधिकार दिए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से सरकार द्वारा उनकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनैतिक स्थिति में सुधार कर उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन किया गया है। महिलाओं के विकास के लिए शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें अपने अधिकारों के लिए सचेत किया गया और उनकी सोच में परिवर्तन लाने के प्रयास किए गए। आर्थिक रूप से महिलाओं को समृद्ध करने के लिए अनेक योजनाएँ क्रियान्वित की गई। संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के अलावा भी समय-समय पर महिलाओं के मान-सम्मान की रक्षा के लिए कानून बनाए गए हैं या समय-समय पर इनमें संशोधन किया गया है। लेकिन जागरूकता के अभाव में महिलाएँ अपने खिलाफ होने वाले अन्याय के विरूद्ध आवाज ही नहीं उठा पाती।

मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि सभी मनुष्य जन्म से ही गरिमा और अधिकारों की दृष्टि से स्वतंत्र और समान हैं, उन्हें परस्पर मातृत्व की भावना से कार्य करना चाहिए। अनुच्छेद 2 में अभिकथित है कि प्रत्येक व्यक्ति इस घोषणा में उपवर्णित सभी अधिकारों और स्वतत्रताओं का हकदार हैं, इसमें मूलवंश, लिग, भाषा, धर्म, राजनैतिक या अन्य विचार, राष्ट्रीय या सामाजिक उद्भव, सम्पत्ति, जन्म या अन्य प्रास्थिति के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा।

आज महिलाएँ आत्मनिर्भर, स्वावलम्बी बन रही है। इसी आत्मविश्वास के साथ महिलाएँ पुरूषों के चुनौतिपूर्ण क्षेत्रों में भी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर रही है। महिलाएँ सर्वोच्च पदों पर स्थान बना कर अपने निर्बल और असहाय होने की परिकल्पना को दूर कर रही है। भारतीय संविधान महिलाओं को समानता के अधिकार प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद-14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। **एयर इण्डिया बनाम नरगिस मिर्जा ए.आई.आर 1981 एस.सी. 1829** उच्चतम न्यायालय ने एयर इण्डिया और इण्डियन एयर लाइन्स द्वारा बनाए गए विनियमों को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया कि उनके अधीन वायुयान-परिचारिकाओं की सेवा शर्तो को विनियमित करने वाली शर्ते अयुक्तियुक्त और विभेदकारी है और अनुच्छेद-14 का अतिक्रमण करती है। अनुच्छेद-15 में धर्म, मूलवंश, जाति, जन्मस्थान के साथ ही लिंग के आधार पर भी विभेद का प्रतिषेध करता है। **प्रगति वर्गीज बनाम सिरील जार्ज वर्गीज ए.आई.आर 1997 बम्बई 349** के मामले में बम्बई उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने भारतीय तलाक अधिनियम 1869 की धारा 10 को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया कि यह लिंग के आधार पर विभेद करता है और अनुच्छेद-14 और अनुच्छेद-15 दोनों का उल्लंघन करती है अत: अवैध घोषित किए जाने योग्य है।

अनुच्छेद-16 लोक सेवाओं में अवसर की समानता का अधिकार प्रदान करता है, धर्म, मूलवंश, जाति, उद्भव, जन्मस्थान, निवास के साथ ही लिंग के आधार पर कोई भी नागरिक अपात्र नहीं होगा और न ही उनसे विभेद किया जायेगा।

अनुच्छेद-21 में व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जाएगा। इस अनुच्छेद को और अधिक व्यापकता न्यायालय ने अपने निर्णयों से प्रदान की और महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा का सजग प्रहरी बना। **विक्रमदेव सिंह तोमर बनाम बिहार राज्य ए. आई. आर. 1988 एस. सी. 1782** के मामले में लोकहित वाद द्वारा नारी निकेतन पटना में महिलाओं की दयनीय दषा से न्यायालय को अवगत किया गया। न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि 'मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार' प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है और राज्य का यह कर्तव्य है कि मानव गरिमा को सुरक्षित करने के लिए अपेक्षित सुविधाएँ प्रदान करे।

दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग विमेन्स फोरम बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया(1995) 1 एस. सी. सी. 14 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने महिलाओं के साथ बढ़ते हुए यौन अपराधों के प्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त की और ऐसे मामलों के शीघ्र परीक्षण तथा उन्हें प्रतिकर प्रदान करने एवं उनके पुनर्वास के लिए विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धान्त विहित किये है।

बोधिसत्व गौतम बनाम शुभ्रा चक्रवती (1996) एस. सी. सी 490 में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि न्यायालय को बलात्कार की शिकार महिला को अंतरिम प्रतिकर देने की शक्ति है, जब तक कि परीक्षण न्यायालय अभियुक्त के ऊपर लगाए गए आरोप पर अपना निर्णय नहीं दे देता।

श्रमजीवी महिलाओं का यौन उत्पीड़न से संरक्षण **विशाखा बनाम राजस्थान ए.आई.1997 सु.को. 3011** के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि श्रमजीवी महिलाओं के प्रति काम के स्थान में होने वाले यौन उत्पीडन को रोकने के लिए, जब तक कि इस प्रयोजन के लिए विधान नहीं बन जाता है, विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धान्त विहित किए है। अनुच्छेद 39-(क) के अंतर्गत पुरूष और स्त्री सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है और अनुच्छेद 39-(घ) में

* अतिथि विद्वान, शासकीय विधि महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

पुरूष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य हेतु समान वेतन के उपबंध किए गए है। इस आधार पर संसद द्वारा समान परिश्रमिक अधिनियम 1976 पारित किया है। **रनधीर सिंह बनाम भारत राज्य ए. आई. आर. 1982 एस. सी. 879** के मामले में यह अभिनिर्धारित किया कि संविधान के अधीन समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धान्त एक मूल अधिकार नहीं है लेकिन अनुच्छेद 14, 16, एवं 39 के अधीन यह निष्चय ही एक संवैधानिक लक्ष्य है जिसकी प्राप्ति संवैधानिक उपचारों द्वारा की जा सकती है।

मातृत्व लाभ कामकाजी महिलाओं के लिए सुविधा नहीं बल्कि अधिकार है। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 एवं मातृत्व लाभ (संसोधन) विधेयक 2016 के अंतर्गत माता को प्रसव के बाद 12 सप्ताह का अवकाश सवेतन प्राप्त होता है।

यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं को नाम न छापने देने का अधिकार है। बलात्कर के सभी मामलों में पीड़ित व्यक्ति की पहिचान को न खुलना बनाए रखा जाएगा **दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग विमेन्स फोरम बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया(1995) 1 एस. सी. सी. 14** दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 327 परंतुक 3 में भी यह प्रावधान है।

पति, पुरूष, लिव इन पार्टनर या रिश्तेदारों द्वारा की गई घरेलू हिंसा से सुरक्षा करने के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 बनाया गया।

मूलर बनाम ओरेगन 208 यू. एस. 412, 1908 के मामले में अमेरिकन न्यायालय ने कहा कि 'अस्तित्व के संघर्ष में स्त्रियों की शारीरिक बनावट तथा उनके स्त्री जन्य कार्य उन्हें दु:खद स्थिति में कर देते है। अत: उनकी शारीरिक कुशलता का संरक्षण जनहित का उद्देश्य हो जाता है। जिससे जाति, शक्ति और निपुणता को सुरक्षित रखा जा सके।' इसी प्रकार महिलाओं को विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों, विधियों, नियमो द्वारा संरक्षण प्रदान करने का प्रयास किया गया है। भारतीय सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक कार्यक्रम एवं योजनाओं का संचालन तो किया जा रहा हैं लेकिन इन योजनाओं का क्रियान्वयन निचले स्तर तक उचित ढंग से न पहुँच पाने के कारण स्त्रियों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है।

अत: आज आवश्यकता इस बात की है कि महिलाएं साक्षर हो और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों, साथ ही समाज को भी महिला सम्मान और सशक्तिकरण के लिए एकजुट होना पड़ेगा तभी कानूनी दृष्टि से महिलाओं को प्राप्त पूर्ण समानता के सिद्धांत और वास्तविकता का अंतर खत्म होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. डॉ.एच.पी.गुप्ता, भारत का संविधान।
2. जय नारायण पाण्डे, भारत का संविधान।
3. बसंतीलाल बावेल, भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता।
4. घरेलू हिंसा अधिनियम 2005
5. कमलेश कुमार गुप्ता, महिला सशक्तिकरण।
6. डॉ. राजनारायण, स्त्री विमर्श और सामाजिक आन्दोलन।
7. डॉ.जय जय राम उपाध्याय, मानवाधिकार।

****

श्रम कानून और महिलाएं

रूचि वर्मा *

प्रस्तावना – नारी शक्ति स्वरूपा है। नारी जगत–जननी है और वर्तमान में नारी एक समाज, एक परिवार की आधारशिला है। इतना ही नहीं वर्तमान में तो नारी घर एवं कार्यस्थल की दोहरी भूमिका में नज़र आने लगी है। साधारण कार्यों से लेकर कल–कारखानों और राजनीति में महिलाओं का प्रवेश हो चुका है। स्त्री अधिकारों की निरंतर वृद्धि हो रही है। शनै: शनै: उनके अधिकारों को मान्यता प्राप्त होने लगी है।

नारी ने श्रम के क्षेत्र में अद्भुत शक्ति का परिचय देकर अपनी शक्ति–स्वरूपा छवि का निरंतर मान रखा है। किंतु, नारी वहाँ कमजोर सी नज़र आने लगती है, जहाँ यह पुरूष प्रधान समाज नारी की शक्ति की अवहेलना कर उससे लिंग के आधार पर भेदभाव करने लगता है। अपनी ऊर्जा से अधिक समर्पित नारी को श्रम के क्षेत्र में दबा–कुचला कर पुरूष वर्चस्व स्थापित करना चाहता है।

किंतु भावनाओं की इस विचित्र बेड़ियों में जकड़े समाज में कुछ ईश्वरीय शक्तियाँ काम कर गयी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही इस लोकतांत्रिक देश में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए कानूनों का निर्माण निरंतर जारी है। महिला श्रमिकों के लिए कोशिश की गयी है। भारतीय संविधान से लेकर विभिन्न कानूनों तक में महिलाओं का स्तर उँचा उठाने का भरसक प्रयास किया जाता रहा है। भारतीय संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि केवल लैंगिक स्तर पर भेदभाव बरतना निषिद्ध है।

श्रम के क्षेत्र में महिलाओं को जहाँ दोहरी भूमिका का सामना करना पड़ता है, वहीं उन्हें सबसे अधिक दिक्कत का सामना गर्भावस्था के दौरान करना पड़ता है। प्रकृति ने औरत को सृष्टि के संचालन हेतु बच्चों को जन्म देने की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी है। इस उत्तरदायित्व के एवज में उन्हें पर्याप्त आराम व सुविधाएँ दी जाना चाहिए।

करीब एक सदी पहले सन् 1919 के अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में इस ओर कदम उठाया गया। इसके पश्चात् भारत में सन् 1924, 1926–1945 में इस संबंध में अधिनियम बने किन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् व्यापक अध्ययन के पश्चात् भारत सरकार ने 1961 में 'प्रसूति सुविधा अधिनियम, 1961'पारित किया। स्त्रियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के दृष्टिकोण से बनाए गए। इस अधिनियम ने वास्तव में बहुत लंबे समय से चली आ रही महिला कर्मकारों की एक निहायत मानवीय मांग को पूर्ण किया है।'

इसके साथ ही विभिन्न श्रम कानूनों में महिलाओं के लिए विभिन्न प्रावधानों का निर्माण किया गया है, जिनका विस्तृत विवरण अगले बिन्दू में किया गया है।

श्रम कानूनों में महिलाओं के अधिकार –

अ. संविधान में – भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में महिलाओं को विभिन्न अधिकार प्रदान किए गए हैं–

1.	अनुच्छेद 14	–	कानूनी समानता
2.	अनुच्छेद 15 (3)	–	जाति, धर्म, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव न करना
3.	अनुच्छेद 16 (1)	–	लोक सेवाओं में अवसर की समानता
4.	अनुच्छेद 39 (घ)	–	पुरूष व स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन
5.	अनुच्छेद 40	–	पंचायती राज संस्थाओं में आरक्ष की व्यवस्था
6.	अनुच्छेद 42	–	प्रसूति सहायता प्रापित व्यवस्था
7.	अनुच्छेद 51(क)(ड)	–	ऐसी प्रथाओं का त्याग जो स्त्री सम्मान के विरूद्ध हैं।

ब. कारखाना अधिनियम में –

1. स्त्रियों का नियोजन, काम के घण्टे संबंधी प्रावधान – इस अधिनियम की धारा 22 (2) से स्पष्ट है कि जब कोई प्राइम मूवर ट्रांसमिशन मशीन गतिशील है, तो किसी स्त्री को उसे साफ करने, तेल देने या संयोजित करने के लिए समनुज्ञान नहीं किया जाएगा। किसी भी स्त्री को रूई–धुनली के समय रूई दबाने के कारखाने में नियोजित नहीं किया जाएगा तथा 50 से अधिक स्त्रियों वाली जगह शिशु–सदनों की भी व्यवस्था की जाएगी। इसी प्रकार मेल्टिंग, ब्लोईंग, शीरे के अनीलिंग या खुले कड़ाहों में वाईन के वाष्पीकरण की प्रक्रिया में भी नियोजित नहीं किया जाएगा। साथ ही लेड व जिंक संबंधी कामों में भी उनका नियोजन प्रतिषिद्ध है।

इसी प्रकार इस अधिनियम में स्त्रियों के काम के घण्टों के लिए भी प्रावधान बनाया गया है व उनके अतिकाल कार्य को वर्जित किया गया है

स. प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम में –

1. **मातृत्व अवकाश** – 1961 के अधिनियम में प्रसव, गर्भपात या गर्भ के चिकित्सकीय समापन के लिए 12 सप्ताह का अवकाश दिया जाने का प्रावधान था। जो सवैतनिक था।
   '2016 के संशोधन विधेयक द्धारा इसकी सीमावधि बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दी गई है।'
2. 50 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रविष्ठानों के लिए शिशु कक्ष (क्रेच) की व्यवस्था अनिवार्य होगी।
3. माताओं को प्रतिदिन 4 बार शिशु कक्ष जाने की अनुमति होगी। ऐसी व्यवस्था न करने वाले संगठनों के लिए एक साल तक दण्ड का प्रावधान भी है।
4. दूसरा महत्वपूर्ण अधिकार है, प्रसव के निमित्त 6 सप्ताह की छुट्टी पर

* एल.एल.बी. – 6 सेमेस्टर, ज्ञान मन्दिर विधि महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.) भारत

जाने के एक माह पूर्व से महिला की लिखित प्रार्थना पर नियोजक उससे कठिन कार्य न ले सकेगा।

5. इसके साथ ही उसे 6 सप्ताह का अग्रिम वेतन भी छुट्टी पर जाते वक्त दिया जायेगा।
6. उनके वेतन में से कोई कटौती नहीं की जाएगी।
7. उन्हें 3500रू. का मेडिकल बोनस भी वेतन के अतिरिक्त दिया जायेगा।
8. उन्हें दुग्धपान के लिए अवकाश प्रदान किए जाएंगे।
9. गंभीर दुराचरण के अतिरिक्त उन्हें नियोजन से निलंबित या निष्कासित नहीं किया जाएगा।
10. नसबंदी ऑपरेशन के लिए भी 2 सप्ताह तक की छुट्टी दी जाएगी।
11. सबसे विशिष्ट प्रावधान 2016 में यह किय गया है कि प्रत्येक प्रतिष्ठान हर महिला को उसकी नियुक्ति के समय उसे प्राप्त होने वाली समस्त सुविधाओं के बारे में जानकारी अवश्य देगी।

3. अधिनियम की कमियाँ व सुझाव –

1. संशोधन विधेयक, 2016 की सबसे बड़ी कमी यह है कि यह विधेयक मात्र संगठित क्षेत्र की महिलाओं पर ही लागू होता है। इसका लाभ मात्र 18 लाख महिलाओं को ही मिलेगा जबकि असंगठित क्षेत्रों की 8–10 करोड़ महिलाएँ इससे वंचित हैं।
2. इस अधिनियम में यह भी प्रावधान किया जाना चाहिए कि महिलाओं को नियोजन के समय प्रावधानों की जानकारी अनिवार्य होने के साथ–साथ इसके उल्लंघन पर दण्ड प्रावधान हो।
3. वर्तमान में यह अधिनियम 26 सप्ताह का लाभ 2 बच्चों तक ही देता है क्योंकि 2 बच्चों का भारत में आदर्श लक्ष्य है। इसके पश्चात् यह अवकाश 12 सप्ताह ही रह जाता है। किंतु प्रसूता की शारीरिक वेदना सभी बच्चों में एक समान होती है अत: आवश्यकता इस बात की है कि सभी बच्चों पर समान अवकाश प्रदान किया जाना चाहिए, चाहे वेतन में कटौती कर ली जाए।
4. सभी नियोजकों के लिए 50 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए शिशु कक्ष (क्रेच) अनिवार्य नहीं है, अत: ऐसे प्रतिष्ठानों के लिए कम से कम एक आया, जो कि बच्चों की देखभाल कर सके, की व्यवस्था अनिवार्य की जानी चाहिए।
5. निरीक्षकों के लिए प्रतिमाह कार्यस्थल का निरीक्षण अनिवार्य किया जाना चाहिए तथा उन्हें स्वयं कार्यवाही की शक्ति दी जानी चाहिए।
6. सबसे अधिक आवश्यकता कानूनों के व्यापक प्रचार–प्रसार की है, क्योंकि कई अशिक्षित महिलाएँ उद्योगों में लगी होती हैं, जिन्हें कानूनों का कोई ज्ञान नहीं होता तथा वे शोषण का शिकार हो जाती हैं। अत: कानूनों का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए।
7. सर्वविदित है कि शिशु की देखभाल की जिम्मेदारी मात्र महिलाओं की नहीं होती। भारत में बढ़ती एकाकी परिवार पध्दति में गर्भवती महिला द्वारा स्वयं व शिशु दोनों को संभालना मुष्किल होता है। ऐसे में मातृत्व अवकाष के साथ–साथ पितृत्व अवकाष की मांग को भी अवष्य पूर्ण किया जाना चाहिए।

4. निष्कर्ष/उपसंहार – वास्तव में देखा जाए तो भारतीय संविधान को लेकर विभिन्न श्रम कानूनों की श्रृंखला ने श्रमिक व कामकाजी महिलाओं की स्थिति बेहतर बनाने व पुरूषों के समान अवसर प्रदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। किंतु भारत वर्ष में महिलाओं की अशिक्षा व पिछड़ेपन ने उन्हें कानूनों का लाभ उठाने से वंचित कर रखा है। अत: कानूनों का पूर्ण एवं सुचारू संचालन व महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए आवश्यक है कि सर्वप्रथम महिलाओं को शिक्षा दी जाए व कानूनों के संबंध में जागरूकता फैलायी जाए। उपरोक्त सुझावों पर अमल करके वर्तमान कानूनों को भी और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. श्रमिक विधियाँ – इंद्रजीत सिंह (CLA)
2. संशोधन विधेयक, 2016
3. दैनिक भास्कर, दिनांक – 13.08.2016

****

विभिन्न विवाह कानून और महिलाएं

राघवेन्द्र गौड़ *

प्रस्तावना – 'श्रिय एता: स्त्रियो नाग सत्कार्या भूतिमिच्छिता।
पालिता गृहीता च श्री: स्त्री भवति भारत।।'

वेद व्यास (महाभारत)

किसी भी समाज और राष्ट्र की उन्नति के लिए महिला शक्ति एवं सक्रियता का विशेष महत्व है। उस समाज और राष्ट्र ने बहुत उन्नति की है, जहाँ महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ एवं अधिकार सम्पंन है।

भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है।यहाँ भिन्न–भिन्न धर्म एवं सम्प्रदाय के लोग निवास करते हैं। भारत के संविधान में मूल अधिकारों के अन्तर्गत धर्म स्वातन्त्र्य का अधिकार दिया गया है। इस प्रकार व्यक्ति अपने निजी मामलों जैसे विवाह ,विवाह–विच्छेद आदि मामलों में व्यक्तिगत कानूनों का मानने का अधिकार रखता है।ज्ञातव्य है कि व्यक्तिगत विधि एवं,सामान्य विधि में विरोधाभास होने पर व्यक्तिगत विधि ही प्रभावी होती है। विधि की श्रेष्ठता के लिए आवश्यक है कि उसमें देश काल और परिस्थिति के अनुरुप परिवर्तन हो।

महिला जो कि समाज और राष्ट्र के विकास का मूल आधार है ,की सामर्थ उनको समाज मे मिले अधिकार पर निर्भर करती है। यह चिन्तनीय विषय है कि सभी धर्मो में विवाह की संकल्पना का एक जैसा उद्देश्य होने पर भी भिन्न–भिन्न धर्मो में विवाह एवं विवाह–विच्छेद को लेकर बहुत अधिक भिन्नताएं हमारे देश में हैं, परिणाम यह है कि विवाह पश्चात् कतिपय विषयों पर महिलाओं के अधिकारों की भिन्नता व न्यूनता उनको एक विशेष कमजोर स्थिति में लाकर खडा कर देती है। जो निम्न तुलनात्मक अवलोकन से परिलक्षित होती है –

हिन्दु विधि –

विवाह – हिन्दु ,बौद्ध,जैन,सिख इत्यादि धर्म मानने वाले पुरुष, महिला विवाह पर हिन्दु विवाह अधिनियम 1955 लागू होता है। आमतौर पर यह अधिनियम अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होता है जब तक सरकार विशेष आदेश द्वारा इसे किसी जनजाति पर यह लागू न करे। इस अधिनियम की धारा 5 में हिन्दु विवाह के लिए शर्ते दी गयी है।जो इस प्रकार है –

1. छानों पक्षकारों में से किसी का पति या पत्नी विवाह के समय जीवित नहीं है।
2. विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से कोई पक्षकार –

क. चित्त विकृति के परिणाम स्वरुप विधिमान्य स्वीकृति देने में असमर्थ न हो।

ख. विधिमान्य स्वीकृति देने में समर्थ होने पर भी इस प्रकार के या इस हद तक मानसिक विकार से ग्रस्त न हो कि वह विवाह और सन्तानोत्पत्ति के अयोग्य हो; या

ग. उसे उन्मत्ता का दौरा बार बार न पडंता हो।

3. वर ने 21 बर्ष की आयु और वधु ने 18 बर्ष की आयु विवाह के समय पूरी कर ली है।
4. जब कि उन दोनों को शासित करने वाली रुढ़ि या प्रथा से उन दोनों के बीच विवाह अनुज्ञा न हो, पक्षकार प्रतिषिद्ध नातेदारी की डिग्रियों के भीतर नहीं हैं;
5. जब तक कि उनमें प्रत्येक को शासित करने वाली रुढ़ि या प्रथा से उन दोनों के बीच विवाह अनुज्ञात न हो पक्षकार एक दूसरे के सपिण्ड नहीं हैं।

विवाह–विच्छेद – अधिनियम की धारा 13 में पुरुष एवं महिला को समान आधारों विवाह–विच्छेद के अतिरिक्त महिलाओं को विवाह–विच्छेद के अतिरिक्त आधार भी दिए गए हैं।

मुस्लिम विधि –

निकाह – मुस्लिम विधि दो हिस्सों में बटी है। सुन्नी मुसलमानों के लिए नफी कानून है और शिया मुसलमानों के लिए इस्नाआशरी कानून है। मुस्लिम विधि में विवाह एक संविदा है। जिसमें शादी का प्रस्ताव लड़के की तरफ से किया जाता है और लड़की उसको कबूल करती हैं।

मुस्लिम विधि में मान्य विवाह की शर्ते इस प्रकार है –

1. प्रस्ताव एवं स्वीकृति (इजब एवं कबूल)

अ. इजब एवं कबूल स्पष्ट शब्दों में दोनों पक्षकार या उनके अभिकर्ता सुन सके ऐसा होना चाहिए।

ब. उक्त संव्यवहार एक ही बैठक में होना चाहिए।

स. सुन्नी विवाह में दो वयस्क गवाह की उपस्थिति जिसकी न्यूनतम आयु 18 की हो जरुरी है।यदि दोनों गवाह पुरुष नहीं हैं तो एक पुरुष और दो औरते भी गवाह बन सकते हैं परन्तु केवल महिलाऐं निकाह की गवाह नहीं बन सकती हैं।

द. निकाह हेतु सहमति स्वतंत्र होनी चाहिए।केवल हनफी विधि के अन्तर्गत ही दबाव या जबरदस्ती के कारण किया गया निकाह पूर्णत: वैध और मान्य है।

निकाह, मेहर ओर तलाक के संबंध में मुस्लिम विधि भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 के प्रावधानों से मुक्त है।

लड़की एवं लड़के के मुस्लिम होने के साथ–साथ दुल्हा दुल्हन की आयु न्युनतम 15 वर्ष की होने पर शादी जायज हो जाती है। यद्यपि इसे बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है। शिया संप्रदाय में निकाह के समय गवाह की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। सुन्नी निकाह जायज(मान्य), नाजायज(शून्य), या फासिद(अमान्य) हो

* बी. एस.सी. प्रथम वर्ष, वीर सावरकर शासकीय महाविद्यालय, पचोर, जिला –राजगढ़ (म.प्र.) भारत

सकता है।किन्तु शिया निकाह जायया नाजायज ही हे सकता है।सुन्नी में जो निकाह फासिद है, वह शून्य माना जाता है।

तलाक – मुस्लिम महिला अपने पति से तलाक, **तलाक इ ताफवीज** एवं **खुला** के माध्यम से ले सकती है। पुरुष को केवल तलाक कहकर विवाह को समाप्त करने का अधिकार दिया गया है।जिसमें न्यायालय से कोई आदेश प्राप्त करने की जरुरत नहीं रहती, जबकी कोई भी मुस्लिम महिला न्यायालय से तलाक केवल मात्र मुस्लिम विवाह विच्देद अधिनियम 1939 में दिए गए आधारों को सिद्ध होने पर ही प्राप्त कर सकती है।

मुस्लिम महिला दो तरीकों से तलाक ले सकती है –

पहला, अदालत के बिना तलाक

क. तलाक इ ताफवीज – कोई पति तलाक देने की अपनी शक्ति का प्रत्यायोजन किसी तीसरे पक्ष को जो पत्नी भी हो सकती है,को दे सकता है।यह व्यवस्था निकाह के पूर्वया पश्चात भी हो सकती हैकि कुछ विशेष परिस्थितियों में पत्नी ,पति की और से स्वंम को तलाक दे सकती है।इसमें ऐसा माना जायेगा जैसे पति ने ही पत्नी को तलाक दिया है। ताफवीज के बावजूद तलाक देने की शक्ति पति के पास भी होती है।

ख. खुला – यह पत्नी के द्वारा पति से खरीदा गया तलाक होता है।जो पत्नी की प्ररणा और सम्मति से पति देता है।इसमे पत्नी की और से प्रस्ताव होता हैऔर पति की और से प्रतिकर के बदले में प्रस्ताव की स्वीकृति होती है। मेहर में दी जा सकने वाली विषय वस्तु प्रतिकर हो सकती है।

दूसरा –अदालत के जरिये तलाक – कोई भी मुस्लिम महिला न्यायालय से तलाक केवल मात्र मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 में दिये गये आधारों को सिद्ध होने पर ही प्राप्त कर सकती है। ये आधार निम्न हैं –

1. चार वर्ष तक पति का लापता होना।
2. भरण पोषण देने में पति की असफलता।
3. सात वर्षो तक पति का कारावास।
4. पति द्वारा वैवाहिक दायित्वों का पालन न कर पाना।
5. पति की नपुंसकता।
6. पति का पागलपन, कुष्ठरोग तथा रतिजन्य रोग।
7. पत्नी द्वारा यौवनावस्था का विकल्प।
8. पति की क्रूरता।
9. मुस्लिम विधि में मान्य कोई अन्य आधार।

धर्म त्याग का विवाह पर प्रभाव– पति द्वारा इस्लाम का परित्याग किए जाने पर विवाह च्छिेद तुरंत हो जाता है। किसी मुस्लिम पत्नी के इस्लाम त्याग कर दूसरा धर्म स्वीकार कर लेने पर विवाह विच्छेद नहीं होता है। उक्त अधिनियम इस्लाम के प्रत्येक सम्प्रदाय की पत्नियों पर समान रुप से लागू होता है।

ईसाई विधि – ईसाई धर्म के लोगों का अपना निजी कानून है, जो कि भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम 1872 है। इस अधिनियम के अनुसार विधिवत विवाह के लिए वर और कन्या ईसाई धर्म को मानते हों जो कि रोमन कैथेलिक या प्रोटेस्ट्रैट दोनों में से एक हो सकता है। यदि दोनों में से एक भी ईसाई धर्म का है, तब भी यह विधिवत् विवाह हो सकता है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 यह अपेक्षा करता है कि राज्य भारत के समस्त राज्य–क्षेत्र में नागरिकों के लिए **एक समान नागरिक संहिता** प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

उक्त प्रावधानों में भिन्नता एवं विसंगतियों के कारण महिलाओं को सामाजिक एवं विधिक असमानताओं का सामना करना पड़ता है। निजी स्वार्थों से इन विधिक शिमताओं का दुरुपयोग होता है जिसका एकमात्र हल समान नागरिक संहिता का निर्माण किया जाना है।

उच्चतम न्यायालय ने भी इस संदर्भ में ऐतिहासिक महत्व के निर्णय सरला मुदगल बनाम भारत संघ (1995) में निर्णय दिया कि राज्य संविधान के अनु. 44 पर नया दृष्टिकोण अपनाएं। साथ ही राज्य को सभी नागरिकों के लिए 'समान नागरिक संहिता' के बनाने का निर्देश दिया गया है और कहा कि ऐसा करना पीड़ित व्यक्ति की रक्षा तथा राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता की अभिवृद्धि दोनों दृष्टि से आवश्यक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. डॉ. जय नारायण पाण्डेय।
2. यू. पी. डी. केसरी हिन्दु विधि।
3. अकील अहमद मुस्लिम विधि।

****

कामकाजी महिलाओं की शोषण से सुरक्षा और श्रम कानून

माया जजवानी *

प्रस्तावना – मनुस्मृति 3/55-59

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता:।
यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते सवस्तित्राफला: क्रिया:।।

कहने को तो पुरूष और महिला एक गाड़ी के दो पहिए माने जाते हैं। किन्तु सच्चाई यह हैं, कि महिलाओं पर पुरूषों द्वारा शताब्दियों से अत्याचार हो रहे हैं। उन्हें हर सामाजिक, राजनीतिक और यहां तक कि धार्मिक परिवर्तनों के दौरान मौन होकर विभिन्न प्रकार के अत्याचारों का सामना करना पड़ता हैं।

उद्देश्य –कामकाजी महिलाएं जो शोषित हो रही हैं, उस संबंध में क्या कानून है और उन कानूनों का उपयोग कितनी महिलाएं जानती हैं? उन कानूनों का उपयोग कितनी महिलाएं जानती हैं? क्या उन महिलाओं को अपने-अपने अधिकार पता हैं? या स्वयं ही कुछ महिलाएं शोषित होती हैं?

शोध व्याख्या – साम्प्रदायिक दंगो और गृहयुद्धों जैसी स्थितियों में भी महिलाओं को बहुत कुछ अपमान, बैइज्जती और अन्याय झेलना पड़ता है। शिक्षण संस्थाओं, दफ्तरों, मनोरंजन स्थलों, कार्यस्थलों और यहां तक कि सार्वजनिक स्थानों पर भी महिलाएं यौन शोषण की शिकार होती है। हमारे देश में तो इस विषय में स्थिति इतनी गंभीर हो गई हैं, कि देश के उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय में न केवल दफ्तरों और अन्य कार्यस्थलों पर होने वाले यौन शोषण को परिभाषित किया, वरन उन स्थितियों को कैसे समाप्त किया। आज स्थिति यह हैं कि महिलाएं न तो सड़क पर सुरक्षित हैं और न ही दफ्तरों में और स्थिति तो यहां तक बिगड़ चुकी हैं, कि वे घर के भीतर अपने परिवार में भी सुरक्षित नहीं है।

"Labour History is Painful History " श्रम का लम्बा इतिहास है। महिलाएं पूर्व से लेकर आज तक शोषित होती आई है। इसके लिए श्रम कानून बनाया गया –

श्रमिकों का वर्गीकरण –

1. नियमित/स्थायी
2. अस्थायी
3. आकस्मिक
4. बदली कर्मकार
5. दैनिक कर्मकार
6. ठेके पर काम करने वाले
7. घरेलु कर्मकार (सेवक/नौकर

कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न –

यौन उत्पीड़न क्या है – विशाखा बनाम राजस्थान राज्य में सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश में दी गयी परिभाषा के अनुसार 'यौन भावना से संचालित महिला की इच्छा के विरूद्ध किए गए व्यवहार को यौन प्रताड़ना माना जाएगा' जैसे –

1. शारीरिक स्पर्श तथा कामोहीप्त चेष्टाएं।
2. यौन-स्वीकृति की मांग अथवा प्रार्थना।
3. काम वासना से प्रेरित टीका-टिप्पणी।
4. किसी कामोत्तक कार्य-व्यवहार/सामग्री का प्रदर्शन।
5. महिला की इच्छा के विरूद्ध यौन-संबंधी कोई भी अन्य शारीरिक, मौखिक या अमौखिक आचरण।

सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश (1997) सभी कार्य स्थलों, दोनों सार्वजनिक व निजी पर कानूनी तौर से लागू है। इनमें कर्मचारियों व नियोक्ताओं की जिम्मेदारियां दी गई हैं और यह कानूनी तौर से लागू हो सकती है।

कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न को –

1. केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964।
2. औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1964 में दुर्व्यव्यवहार माना गया हैं।

यौन उत्पीड़न के प्रभाव –

1. शारीरिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक परेशानी।
2. आत्म सम्मान खोना।
3. गैर-हाजरी।
4. उत्पादकता घटना।
5. आत्महत्या।
6. पारिवारिक जीन पर उसका असर।
7. नौकरी छुटना, पदोन्नति का कार्य संबंधित जैसे प्रशिक्षण।

महिलाओं की कार्यस्थल पर ऐसी स्थिति को देखते हुए अनेकानेक कानून बने और भी अन्य कानून है –

1. कारखाना अधिनियम, 1948
2. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947
3. औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम
4. व्यवसाय संघ अधिनियम
5. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
6. मजदूरी भुगतान अधिनियम
7. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
8. घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855
9. प्रसुति प्रसुविधा अधिनियम, 1961
10. कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923

* शोधार्थी (एल्डरमेन/काउन्सलर) ज्ञान मंदिर विधि महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.) भारत

11. बाल–श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986
12. बंधुआ मजदूर प्रथा निवारण अधिनियम, 1976

सुझाव –काफी सारे मामलों में नौकरी में तुरंत व अनुचित तरीकों से पदोन्नति प्राप्त करने, बिना कुछ किए पी.एच.डी. पाने, किसी पद का चयन करवाने, चुनावों में पार्टी टिकट या संगठन में पद प्राप्त करने, अपनी सुविधा की जगह तबादला करवाने जैसे कार्यो के लिए चाहे कुछ ही सही लेकिन महिलाएं ही तो अनुचित तरह से अपने को समर्पित करती है।

नियोक्ता की जिम्मेदारी (सुझाव) – यौन उत्पीड़न को गंभीर अपराध के रूप में स्वीकार करें और उसे नियम और नियंत्रण में लागू करें। कार्यस्थल पर यौन–उत्पीड़न को रोके और सजा दे।

यौन उत्पीड़न विरोधी जागरूकता प्रशिक्षण करें और स्थायी व ठेका कर्मचारियों के लिए तथा नए कर्मचारियों के लिए। यौन उत्पीड़न विरोधी नीति तैयार करें, जिसमें –

1. खुद को दोषी ना माने।
2. यौन उत्पीड़न को अनदेखा न करें, यह स्वयं समाप्त न होगा।
3. यौन उत्पीड़न की प्रकृति को पहचाने।
4. उत्पीड़क से बात करें।
5. यौन उत्पीड़न के बारे में कार्यस्थल पर अन्य व्यक्तियों से या अपने परिवार के सदस्यों से बात करें।
6. यौन उत्पीड़न की एक विस्तार और घटना क्रमानुसार लेखा–जोखा रखे।
7. यौन उत्पीड़न की घटना का एक गवाह बनाने की कोशिश करें।
8. उत्पीड़क को चिट्ठी लिखे या अपने कार्यस्थल के यौन उत्पीड़न विरोधी नीति को रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजे।
9. सुनिश्चित करे कि नियुक्ता एक समुचित यौन उत्पीड़न नीति तैयार करें और एक निवारण प्रक्रिया बनाएं।
10. निरंतर जागरूकता कार्यक्रम और प्रशिक्षण कराएं जाने की मांग करें।
11. किसी महिला संस्था के पास जाए।
12. बिना देरी किए औपचारिक शिकायत दर्ज कराएं।
13. अगर जरूरत हो, तो परामर्श ले।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. महिलाओं के प्रति अपराध (प्रज्ञा शर्मा)
2. महिलाएं, लैंगिक असमानता एवं अपराध (प्रज्ञा शर्मा)
3. श्रमिक विधियां (इन्द्रजीत सिंह)
4. आधुनिकता और महिला उत्पीड़न (मानचंद खंडेला)
5. NET

****

महिलाओं के विरूद्ध अपराध के स्वरूपों में परिवर्तन

डॉ. निधि कुमार तिवारी *

प्रस्तावना – वर्तमान समय में महिलाओं के विरूद्ध अपराध की घटनाएं जैसे आम होती जा रही है और दुर्भाग्य से हमारा समाज भी इन घटनाओं से सतर्क नहीं होता। क्या यही परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र की महिलाओं की सुरक्षा का संबंध है? आज इतना अधिक विकास होने पर भी पुरूष अपनी श्रेष्ठता के गर्व को नहीं भूल पाया और समय-समय पर महिलाओं के गुणों के कारण उसे प्रताड़ित करता हैं। सैद्धांतिक रूप से जो कह ले लेकिन व्यवहारिक रूप में महिलाएँ आज भी शोषित हो रही है, ऐसे में उनके उज्ज्वल भविष्य की कल्पना करना व्यर्थ है।

भारत का संविधान भारत की जनता के मान्य त्यागी, तपस्वी और देश प्रेम से ओत-प्रोत जनप्रतिनिधियों के द्वारा काफी गंभीर अनुसंधान और विचार विमर्श के पश्चात् तैयार किया गया था। भारत की तत्कालीन समस्याओं के अनुचित समाधान के लिए महत्वपूर्ण व्यवस्थाएँ की गई। संविधान निर्माण के समय भारत की सामाजिक व्यवस्था में सबसे बड़ी भेदजनक स्थिति भारत की महिलाओं और पुरूषों में गंभीर असमानता के वातावरण का होना था। भारत का पितृ-सत्तात्मक व्यवस्था वाला समाज देश की आधी आबादी महिलाओं को 'पैरों की जूती' मानता चला आ रहा था।

देश और समाज में महिलाओं का हर स्तर पर शोषण, उत्पीड़न और अपमान होता चला आ रहा था। ऐसी विपरीत स्थितियों में हमारे संविधान निर्माताओं ने महिलाओं को संवैधानिक दृष्टि से समानता का दर्जा ही नहीं दिया अपितु उनकी सुरक्षा और उनके उत्थान के लिए समुचित प्रावधान भी किए। आज इस बात को अच्छी तरह समझ लिया गया है कि पुरूषों व महिलाओं की योग्यताएँ एवं क्षमताएँ बराबर है और पुरूषों व महिलाओं का आचरण स्वाभाविक अंतर की बजाय सामाजिक एवं सांस्कृतिक अपेक्षाओं से अधिक निर्धारित होता है। सामाजिक क्रांति के प्रति हमारी वचनबद्धता अत्यंत विशिष्ट है। जब हमने स्वतंत्र भारत के संविधान को अंगीकार किया, तब अपने लिए एक न्यायपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था का वादा किया था; जिसमें समानता को सर्वोपरि स्थान प्राप्त था। मानवाधिकारों को संविधान के तहत् 'मूलभूत अधिकार' कहा गया है।

महिलाओं के अधिकारों के संदर्भ में जो वैधानिक प्रगति हुई है, उसका वर्तमान स्वरूप किसी भी प्रबुद्ध और सजग नागरिक को आश्चर्यचकित कर सकता है। कानूनी और वैधानिक पुस्तकों से ऐसे अनेक मामले प्रकाश में आए, जिनके गहन अवलोकन से कह सकते है कि महिलाओं को कोई अधिकार नहीं मिले, व्यावहारिक स्तर पर यही देखते है कि महिलाओं से हर स्तर पर भेदभाव किया जाता है, इसके लिए जिम्मेदार किसे मान जाए? नि:संदेह इस स्थिति के लिए पूरा समाज उत्तरदायी है। जिनमें महिला और पुरूष दोनों सम्मिलित हैं। विकासशील देशों में सदियों से ही ग्रामीण महिलाएँ कृषि एवं पशुपालन कार्य में सर्वाधिक योगदान कर रही है। कुल महिलाओं का 84 प्रतिशत कृषि एवं पशुपालन में संलग्न है। कृषि एवं पशुपालन संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम, सूचनाएँ, जानकारी एवं तकनीक पुरूष कृषकों को प्रदान की गई है प्रसार शिक्षा कार्यक्रम भी पुरूषों पर केन्द्रित कर चलाए जाते हैं।

पांचवी पंचवर्षीय योजना (1974-78) के प्रारंभ से ही सरकार का ध्यान महिलाओं की ओर आकर्षित हुआ, राष्ट्रीय महिला कमीशन (1990) का गठन हुआ। इस कमीशन का उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित करना है। इन सभी प्रयासों के पश्चात् भी आज महिलाओं की स्थिति दयनीय एवं शोचनीय बनी हुई है। आज भी अधिकांश महिलाएँ पुरूषों पर निर्भर है, सिर्फ नीतियों के निर्धारण से ही महिलाओं को सशक्त नहीं किया जा सकता है ।आवश्यकता है, इन नीतियों को लागू करने एवं ग्रामीण समाज में महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करने की, ताकि उनकी सशक्तिकरण के लिए मार्ग प्रशस्त हो। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी कई बाधाए है जैसे - महिलाओं में व्याप्त अशिक्षा, अधिकारों के प्रति उदासीनता, आर्थिक निर्भरता, तकनीकी-अज्ञानता, स्वास्थ्य के प्रति उदासीनता, सामाजिक कुरीतियाँ एवं विचार तथा पुरूषों का महिलाओं पर प्रभुत्व। प्रसार शिक्षा कार्यक्रमों के पुनर्प्रतिरूपण की अधिक आवश्यकता है। एक महिला प्रसार तंत्र बनाने की, जिसका मुख्य उद्देश्य हो महिलाओं का सार्वभौमिक सशक्तिकरण। समानता समान रूप से सशक्तिकरण के साथ जुड़ी है स्त्रियों को भू-अधिकार देने से एक ओर तो वे आर्थिक दृष्टि से समर्थ होगी और दूसरी ओर घर बाहर दोनों जगह सामाजिक और राजनीतिक लिंग भेदों की चुनौती देने की उनकी क्षमता मजबूत होगी

महिलाओं को तीन तरीकों से भूमि मिल सकती है- परिवारों से विरासत में, सरकार से हस्तांतरण में और बाजार से खरीद या पट्टे पर। कानूनी तौर पर महिलाओं को विरासत के अधिकार व्यक्तिगत कानूनों द्वारा संचालित होते है, जो विभिन्न धर्मो में अलग-अलग होते है। ये कानून अधिकांश महिलाओं को रिवाजों की तुलना में अधिक अधिकार प्रदान करते हैं। महिलाओं को विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत अधिकार प्रदान किए गए है। जैसे - खान अधिनियम, कारखाना अधिनियम, समान मजदूरी अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम आदि। खान अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक महिला जो भूमि के सतह के ऊपर कार्य करने के लिये किसी खान में नियोजित हो। कम से कम 11 घंटे का अंतराल होना आवश्यक है, जब से उसका किसी दिन का नियोजन समाप्त होता है तथा दूसरा कार्य प्रारम्भ होता है।

कारखाना अधिनियम की धारा 19 के अनुसार शौचालय तथा मूत्रालय के लिए पर्याप्त व्यवस्था होना चाहिए तथा पुरूष व महिलाओं के लिए पृथक घेरा हुआ स्थान दिया जाना चाहिए। धारा 48 के अनुसार प्रत्येक ऐसा कारखाना जहाँ 30 से अधिक महिला कर्मचारी नियोजित है, ऐसे बच्चों के 6 वर्ष तक के शिशुओं के लालन-पालन के लिए एक उपर्युक्त कमरा रखा जाएं।

महिलाओं को समान मजदूरी दिए जाने की दृष्टि से वर्ष 1976 के अध्यादेश को समान मजदूरी अधिनियम 1976 का रूप दिया गया। इसके अंतर्गत नारी के साथ मजदूरी संदाय में पुरूषों के साथ किसी भी भेदभाव को मना किया गया हैं। गर्भवती महिलाओं को भी मातृत्व लाभ अधिनियम

* सहायक प्राध्यापक (विधि) शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत

के अंतर्गत लाभ प्रदान किया गया हैं।

भारतीय संस्कृति में स्त्री शक्ति का पर्याय हैं। शिव भी बिना शक्ति के शव हैं। नारी शक्ति सृजन का प्रतिरूप हैं। फिर भी वह शोषित एवं उपेक्षित है। संस्कृति की जननी स्त्री–उपेक्षा और अपने वजूद को तलाशती और परम्परा के चक्रव्यूह में कानूनो की कैद में धीरे–धीरे अपने अस्तित्व को तलाशती, किसी की कोख में दम तोड़ती, सिसकती काँच की दीवारों में कैद सुनहरी, रूपहली मछली की भांति कानून के कटघरे में शिखर पर पहुँचने के बावजूद और स्त्री होने का वजूद होते हुए भी सुकून की सांस लेने की कोशिश करती रहती हैं।

अधिकार मानव जीवन की वे आवश्यक परिस्थितियां हैं, जिनके बिना मनुष्य अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है, न ही समाज और मानवता के विकास में अपना योगदान दे सकता हैं। अवसरों की समानता अर्थात् भेदभाव का निषेध इसी प्रकार की अनिवार्य परिस्थिति हैं। विश्व के लगभग सभी देशों में लिंग भेद अर्थात् स्त्री–पुरूष के मध्य असमानता विद्यमान हैं। महिलाओं के प्रति अत्याचार तथा शोषण के कई रूप भारत सहित विश्व के समस्त देशों में विद्यमान है, जैसे– घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, वैश्यावृत्ति, कार्य स्थल पर यौन शोषण आदि।1

महिलाओं के शोषण और उन पर अत्याचार को रोकने हेतु प्रारंभ हुए आंदोलन में संयुक्त राष्ट्र संघ की केन्द्रीय भूमिका रही हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु किए गए प्रयासों में 'महिलाओं के विरूद्ध सभी प्रकार के शोषण के अंत संबंधी अभिसमय 1979' (सीडा) का महत्वपूर्ण स्थान हैं। इसे महिला अधिकारों का अन्तर्राष्ट्रीय बिल कहा जाता हैं। इस अभिसमय में महिलाओं के विरूद्ध भेदभाव से अभिप्राय लिंग के अभिप्राय किसी भी प्रकार का अंतर, निषेध या बंधन है, जिसका उद्देश्य या प्रभाव महिलाओं के मानवीय अधिकारों व मूलभूत स्वतंत्रता के उपभोग या प्रयोग को अमान्य करना हो जिनका उपभोग पुरूषों के साथ मानवता केआधार पर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व नागरिक क्षेत्र में प्राप्त करना उनका अधिकार हैं। इस अभिसमय पर हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्र महिलाओं के विरूद्ध होने वाले हर प्रकार के शोषण को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु प्रतिबद्ध होंगे।

भारतीय संविधान में उल्लेखित अधिकारों एवं नीति–निर्देशक तत्वों के अनुसार किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, भाषा, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। राज्य की नीतियों का संचालन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि प्रत्येक नर एवं नारी को समान रूप से अधिकारों का वितरण एवं सामाजिक वर्चस्व, ऐसे ढंग से होगा, जिससे संपूर्ण समुदाय का कल्याण हो।

भारतीय संविधान में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान – भारत में स्वतंत्रता के पूर्व महिलाओं की दयनीय स्थिति को देखते हुए संविधान में महिलाओं को समाज के सभी क्षेत्रों में विकास के समुचित अवसर उपलब्ध कराने के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। महिला अधिकारों को संरक्षित करने और उन्हें विकास के समान अवसर उपलब्ध कराने वाले संवैधानिक प्रावधान संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में किये गए हैं।[2]

संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग तथा समस्त नागरिकों जैसे शब्दों के द्वारा बिना किसी भेदभाव के भारत के समस्त पुरूष एवं महिलाओं को शामिल किया गया है।संविधानिक प्रस्तावना के द्वारा भारत में समता मूलक समाज का मूल मंत्र उद्घोषित किया गया हैं। संविधान के भिन्न–भिन्न अनुच्छेदों में महिलाओं के अधिकारों के बारे में प्रावधान हैं।

अनुच्छेद 14– इस अनुच्छेद के अंतर्गत शताब्दियों से चले आ रहे महिलाओं और पुरूषों के बीच भेदभाव को समाप्त करते हुए सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समता अथवा विधि के समान संरक्षण का आदेश राज्य को दिया गया हैं।

अनुच्छेद 15– अनुच्छेद 15 के चारों प्रावधान जिसमें चार खण्ड हैं। भारतीय महिलाओं को महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच उपलब्ध कराते हैं। प्रथम और द्वितीय खण्डों के द्वारा लैंगिक भेदभाव समाप्त किया गया हैं। तथा तीसरे और चौथे के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा और उन्नति के लिए विशेष व्यवस्था करने का प्रावधान किया गया हैं।

भारतीय संविधान में यह व्यवस्था स्पष्ट हैं कि महिला–पुरूष दोनों को समानाधिकार प्रदान किया जाए अर्थात् राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के बीच कोई विशेष विभेद नहीं होगा (अनुच्छेद 15(3)) में यह भी कहा गया है कि राज्य द्वारा महिलाओं तथा बच्चों के हित को देखते हुए बनाया कोई कानून इस अनुच्छेद के विरूद्ध नहीं माना जाएगा।

अनुच्छेद 16– इस अनुच्छेद द्वारा लोक नियोजन में पुरूष तथा महिला को समान अवसर दिए जाने का निर्देश है। समान कार्य के लिए समान वेतन का निर्देश भी इसी अनुच्छेद में हैं।

अनुच्छेद 23–24 – संविधान के इस अनुच्छेद द्वारा नारी के शोषण, बलात् श्रम, महिलाओं का क्रय–विक्रय इत्यादि पर रोक लगाए जाने का निर्देश हैं।

उक्त सभी अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग 3 के अंग हैं, जो देश के नागरिकों तथा कुछ मामलों में अनागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकारों की श्रेणी में हैं। इसके अतिरिक्त नीति निर्देशक खण्ड में जिसे संविधान के भाग 4 के रूप में माना जाता हैं, इसमें भी महिला अधिकारों के संरक्षण हेतु राज्य को निर्देश दिया गया हैं। ये निर्देश इस प्रकार हैं –

अनुच्छेद 39– इस अनुच्छेद में कहा गया हैं कि राज्य ऐसी नीतियों का निर्माण करेगा जिससे (क) स्त्री–पुरूष दोनों के जीवन निर्वाह की स्थितियाँ बने। (ख) स्त्री–पुरूष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिल सके।

अनुच्छेद 42– इस अनुच्छेद में राज्य को ऐसी व्यवस्था का निर्देश है जिससे महिलाओं को प्रसूतिकाल में वे सुविधाएँ मिल सकें जो उन्हें मानवीय आधार पर मिलनी चाहिए।

इनके अलावा, भारतीय संविधान के इस भाग के अन्य अनुच्छेदों में जो भी निर्देश दिए गए हैं, उन सभी में राज्य (सरकार) से यह अपेक्षा की गई है कि वह उनके अनुपालन में जो भी कानून बनायेगा, वह स्त्री व पुरूष दोनों के सामान्य हित में होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. डॉ. ए.एन. अग्निहोत्री, महिला सशक्तिकरण और कानून, महिलाओं के कानूनी अधिकार, नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया नई दिल्ली।
2. महिलाओं के कानूनी अधिकार –नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया नई दिल्ली।
3. गुप्ता एम.एल. और शर्मा बी.डी., भारतीय सामाजिक समस्याएँ।
4. शर्मा, दिवाकर महिलाओं के प्रति अपराध, पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरो नईदिल्ली।
5. नरसिम्हा आर.के. (1995), ह्यूमन राइटस एण्ड सोशल जस्टि, कामनवेल्थ पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
6. 'भारत में सामाजिक समस्याएं', इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय।

घरेलू हिंसा और मानवाधिकार – विधि एवं नीति घरेलू हिंसा अधिनियम एवं कमियाँ

नीति निपुणा सक्सेना *

प्रस्तावना –घरेलू हिंसा एवं महिलाओं का संबंध हर युग में हो रहा है चाहे वैदिक युग हो या द्वापर या फिर कलयुग।

यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता

जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते है इस युग में शालीनता को शिरोधार्य कर संस्कारों की बलिवेदी पर चढ़ा कर हिंसा की जाती थी मुगल काल में नारी को पैरो की जूती समझा जाता था और आज पाश्चात्यीकरण स्टेटस आधुनिकता के नाम से शोषण है।

समय,परिस्थितियां,परिवेश,तरीके भले ही बदले हो हिंसा तो हर युग,हर काल में हुई है। शिक्षा एवं साक्षरता के साथ हिंसा बढ़ी ही है। इसलिए 2005 में घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के संरक्षण के लिए घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण का संरक्षण अधिनियम 2005 पारित किया गया।

2005 के पूर्व घरेलू हिंसा से पीडितों के लिए उपचार व्यवहार न्यायालय में विवाह विच्छेद तथा अपराधिक न्यायालय में 498 भारतीय दण्ड संहिता तक सीमित है, पीडितों के लिए कोई आपात अनुतोष नहीं था जो भी अनुतोष उपलब्ध थे, वैवाहिक कार्यवाहियों के संबंध में थे और न्यायालयीन कार्यवाही हमेशा लंबित थी जिसके दौरान पीडिता स्थायी रूप से दुर्व्यवहारकर्ता की दया पर निर्भर रहती थी और विवाह से बाहर के रिश्ते मान्य नहीं थे।

आज हिंसा यौन हिंसा, शोषण शारीरिक पीडा से दुरूपयोग यथा मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक एवं भावनात्मक संताप तक विस्तारित है, घरेलू हिंसा एक गंभीरतम एवं सार्वजनिक मानवाधिकारों का उल्लंघन है।

मारना पीटना धक्का ,ठोकर,धकेलना,शारीरिक हिंसा के अतिरिक्त बलात यौनाचार , अन्य उत्पीडन बालयौन के दुरूपयोग,लडकियों का उनकी इच्छा के विपरीत विवाह करने को विवश करने शारीरिक हानि एवं क्षति,शारीरिक हानि की धमकी,पीटना ,मारना एवं मनोवैज्ञानिक एवं भावनात्मक दुव्यवहार जैसे अपमान करना, उपहास करना, निन्दा करना, तानाकशी करना पुरूष संतान न होने के लिए अपमान करना,असतीत्व के मिथ्या आरोप लगाना,व्यथित व्यक्ति या उसके संबंधियों को अपहानि करने की धमकी देना,किसी शैक्षणिक संस्था में उपस्थित न होने के लिए मजबूर करना,विवाह के लिए मजबूर करना जब वह विवाह न करना चाहती हो,मादक पदार्थो का दुरूपयोग रखरखाव,भोजन कपडों,दवाईयों आदि के लिए धन प्रदान न करना, रोजगार करने से रोकना, विक्षुब्ध करना गृह से बलपूर्वक निकालना ,गृह में प्रवेश करने या गृह के किसी भाग का प्रयोग करने से रोकना या छोडने से निवारित करना, कपड़ों,साधारण घरेलू उपयोग की वस्तुओं या चीजों का प्रयोग अनुज्ञात न करना, किराये के आवास के मामले में किराए का संदाय न करना वैकल्पिक आवास का न होना,सूचित किए बिना स्त्रीधन या कोई अन्य मूल्यवान वस्तुओं को बेचना या गिरवी रखना, स्त्रीधन से बेकब्जा करना, किसी न्यायालय, द्वारा किए गये किसी सिविल या दाण्डिक आदेश, विर्निदिष्ट आदेश को भंग करना आदि।

क्रूरता भी घरेलू हिंसा में ही शामिल है, क्रूरता शारीरिक मानसिक आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रकार की हो सकती है, शाब्दिक हिंसा भी घरेलू हिंसा में सम्मिलित है, शाब्दिक हिंसा अर्थात गाली देना, महिला के चरित्र एवं आचरण पर दोषारोपण दहेज के नाम पर अपमान , इच्छित व्यक्ति को विवाह करने से रोकना ,अन्य धमकी अपमान, निंदा आर्थिक हिंसा में धन खाना, कपडा, औषधियाँ उपलब्ध न करना, रोजगार के अवसरों में बाधा डालना, महिलाओं को उनके घर से निकलने को विवश करना, निवास का किराया न देना।

घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को पुलिस की सेवाओं का, आश्रय गृहो और स्वास्थ्य चिकित्सा सेवाओं का अधिकार है वह 498 क भारतीय दण्ड संहिता में भी परिवाद प्रस्तुत कर सकती है। यह अधिनियम पीडित महिलाओं को आपात अनुतोष प्रदान करने को मान्यता देता है यह महिलाओं शिशुओं को संरक्षण प्रदान करता है जो घरेलू रिश्तो के बीच रह रहे हो एवं जिनके साथ घरेलू हिंसा की जा रही है।

महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा होने पर उक्त अधिनियम एक वर्ष की जेल एवं 20000 रूपये तक का अर्थदण्ड का प्रावधान करता है।

यह विधि कपटपूर्ण या द्विविवाह में अविधिपूर्ण माने जाने वाले विवाह में भी महिलाओं को संरक्षण प्रदान करती है। विधि यह सुनिष्चित करती है कि कोई पत्नी जो किसी धटना के कारण विधि का आश्रय लेती है को परेशान न किया जाए। पीडित पत्नी जो किसी विधि का आश्रय लेती है को ऐसा करने के लिए परेशान नहीं किया जा सकता। इस प्रकार यदि पति हिंसा करता है तो वह लंबित मामले के निराकरण के दौरान पत्नी को सहभागिता की गृहस्थी की पहुँच सहित ऐसे संसाधनों व सुविधाओं जिसके लिए वह घरेलू रिश्तेदारी के कारण अधिकृत है कि लगातार पहुँच पर रोक नहीं लगा सकता है।

मार्च माह 2009 – दैनिक भास्कर – 8 आस्कर पुरस्कार जितने वाली स्लमडाग मिलियनेयर का बाल कलाकार अजरूद्दीन ने लोगों से मिलने से मना किया तो उसके पिता द्वारा उसकी बहुत पिटाई की गयी – क्या यह घरेलू हिंसा है ?

मैराथन दौड के लिए तैयार धावक कि कहानी भी क्या इसी तरह की नही है ? अधिनियम कि विस्तृत विवेचना के बाद आइए जाने इसमें क्या कमियाँ है ? एवं घरेलू हिंसा क्यों होती है ?

(1) पुरूष इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है अर्थात पुरूषो को इस अधिनियम से किसी भी प्रकार का कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है।

किंतु महिलाऐ एवं बच्चे इस अधिनियम के अधिकार क्षेत्र में आते है उन्हें इस अधिनियम का संरक्षण प्राप्त है।

चूंकि अधिनियम में वर्णित हिंसा बहुत व्यापक अर्थ में ली गयी है अर्थात इसमें शारीरिक मानसिक आर्थिक मनोवैज्ञानिक एवं भावात्मक हिंसा

* सहायक प्राध्यापक, श्री जवाहर लाल नेहरू विधि महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.) भारत

को शामिल किया गया है।

प्रकृति ने महिलाओ एवं पुरूषो को शारीरिक रूप से भिन्न बनाया है किंतु मनौवैज्ञानिक एवं भावनात्मक हिंसा तो पुरूषों को भी प्रभावित करती है।

(2) महिलाओं को महिलाओं के विरूद्ध भी संरक्षण प्रदान किया गया है जबकि महिला की सबसे बडी दुश्मन है वह सास,बहू,ननद,जेठानी जैसे रिश्तों मे ही सबसे ज्यादा घरेलू हिंसा प्रकरण बनाते है तो अधिनियम मे महिलाओं को महिलाओं के खिलाफ संरक्षण क्यों ?

क्या हम भूमि प्रकरण जिसमें सास द्वारा नृशंस रूप से बहू को काट-काट कर पेक कर फेंक दिया गया। इस प्रकार हत्या कारित की गई थी उसके बाद उस सास का कथन मुझे अपने कृत्य पर कोई अफसोस नहीं।

(3) विकृत मानसिक मनोदशा - मानव की सोच नकारात्मकता से इतनी अधिक प्रभावित हो जाती है कि वह मानसिक विकृति के शिकंजे में कस जाता है। इस नकारात्मक के कई कारण होते है टी.वी में प्रसारित सीरियल्स,प्रतियोगी युग हमारी सोच, पारिवारिक पृष्ठभूमि इत्यादि। मानसिक मनोविकृति से प्रभावित व्यक्ति अपने फ्रस्टेशन को दूर करने के लिए घरेलू हिंसा का सहारा लेते है।

(4) पुरूष विरोधी प्रतीत होने वाला यह अधिनियम पुरूष विरोधी तो नहीं है कि पुरूषो को सुरक्षात्मक प्रावधान भी प्रदान नही करता।

(5) आज जिस युग में हम है यहाँ बाढ़, भूकम्प, प्राकृतिक आपदाओ की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हमारे देश में बढ़ते हुए अनाथालय इस बात का द्योतक है अनाथालय में रहने वाले ऐसे बच्चे जिनके लिए घर का एक ही मतलब है और वह है वह अनाथालय। क्या इन बच्चे के घरेलू रिश्ते इस अनाथालयों से नहीं हैं ?

(6) अधिनियम का दुरूपयोग बहुत ज्यादा हो रहा है क्योकि महिलाओ इस एक धारदार हथियार के रूप से उपयोग करने से भी नही चूकती। बटवारे के केस मे इस अधिनियम को बहुतायत मे उपयोग कर भी इसका दुरूपयोग किया जा रहा है।

(7) बढते हुए अनाथालय वृद्धाश्रम,विधवाश्रम,बालगृह की संख्या भी कही जाकर यह बताती है कि यह सब घरेलू हिंसा का ही परिणाम है इनकी बढती संख्या बताती है कि घरेलू हिंसा का प्रतिशत भी बढ़ रहा है।

(8) घरेलू हिंसा को फाइल करने हेतु प्रत्यक्ष साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती एवं इस प्रकार आसानी से यह अधिनियम दुरूपयोग के दायरे में आ जाता है। प्रत्यक्ष साक्ष्य की आवश्यकता इसलिए नहीं रखी गयी है क्योंकि प्राय: हिंसा ससुराल पक्ष द्वारा होती है एवं इस कारण सभी विरोधी होने से साक्ष्य को आसानी से नष्ट किया जा सकता है या साक्ष्य लाना कठिन से कठिनतम हो जाता है। प्रत्यक्ष साक्ष्य की अनिवार्यता न होने से दुरूपयोग की आशंका प्रबल से प्रबलतम होती है।

(9) घरेलू हिंसा के मामले संरक्षण अधिकारी के माध्यम से न्यायालय जाए संरक्षण अधिकारी के माध्यम से विधिक एवं चिकित्सकीय सहायता के लिए भी आवेदन किया जा सकता है।

संरक्षण अधिकारी पर इस अधिनियम के तहत अतिरिक्त कार्यभार सौंपा जाता है। अतिरिक्त कार्यभार होने के कारण वह सही एवं उचित तरीके से इस अधिनियम के अंतर्गत अपनी भूमिका नहीं निभा पाते। कई बार उन्हें अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों का पर्याप्त ज्ञान न होने से एक जागरूक एवं सशक्त भूमिका पीडितों को नहीं दे पाते।

संरक्षण अधिकारी महिला हो इस बात का अधिनियम ध्यान रखेगा किंतु संरक्षण अधिकारी सदैव ही महिला हो यह सुनिश्चित नही करता।

यदि संरक्षण अधिकारी महिला न हो तो पीडिता को अपनी बात समझाने में व्यवहारिक कठिनाई महसूस होगी तथा अन्य तरह का कोई नया अपराध उसके प्रति धटित न हो जाये ये आशंका भी बढ़ेगी।

(10)महिलाओं में शिक्षा एवं साक्षरता का अभाव घरेलू हिंसा का एक बढा कारण है। महिलाओ में साक्षरता का प्रतिशत पुरूषों से कम है एवं सभी साक्षर महिलाए शिक्षित नही है आज के परिवेश में हमारी शिक्षा प्रणाली दूषित हो गयी है यह बड़ी-बड़ी डिग्रियो के साथ साक्षरता देती हैं। शिक्षा हमें नम्रता एवं स्वाभिमान देती है। जबकि अपूर्ण या अधूरी शिक्षा हमें अहंकार एवं दंभ देती है। इन सब के अलावा महिलाओं मे अशिक्षा,जागरूकता की कमी, महिलाओं की महिलाओं से प्रतियोगिता आपसी बैर इन सब कारणो से भी महिलाओ के प्रति घरेलू हिंसा के अपराध बढ़ रहे है।

(11) Living Relationship को न्यायालयों द्वारा मान्यता दिए जाने से अब यह प्रश्न सहज ही हमारे प्रत्यक्ष है कि इस तरह के संबंध मे अगर घरेलू हिंसा हो तो क्या यह अधिनियम का संरक्षण उस पीड़िता को मिलेगा ? यह सुनिश्चित नहीं करता है।

यह अधिनियम का फायदा महिलाए नहीं उठा पा रही है इसके पीछे जो विशेष कारण दृष्टिगत होते है, उनमें उक्त कारणो के साथ पुरूष प्रधान समाज का होना, सामाजिक कुरीतियाँ जैसे बालविवाह, बहुविवाद, सतीप्रथा, शिक्षा का अभाव, भय, महिलाओं एवं पुरूषों के दृष्टिकोण में अंतर, बदलते सामाजिक परिवेश परम्पराए हमारी रूढ़िया, संस्कारो की बलिवेदी, आर्थिक निर्भरता, सामाजिक पृष्ठभूमि, हीन भावना, जाग्रतता का अभाव, अतिसहनशीलता, महिला मनोवृति, मर्यादाओ की सीमा महिला महिला की दुष्मन, जानकारी का अभाव, शिक्षा आत्मनिर्भरता का अति घंमड या अहंकार, मीडिया की positive एवं negative भूमिका आदि इत्यादि।

कारण बहुत है पर दूर करना होगा इन कारणो को / ताकि घरेलू हिंसा को रोका जा सके।

साक्षरता के साथ शिक्षा, अर्थात सोचविचार एवं मौलिक निर्णय क्षमता का विकास करना होगा।

कुरीतियो को दूर करना होगा।

परम्परा एवं संस्कारों की सीमाओं का सुनिश्चित निर्धारण करना होगा।

सामाजिक मर्यादाओं की सीमारेखा का उचित एवं सुनिश्चित निर्धारण करना होगा।

अभिमान को हटाकर स्वाभिमान से कार्य करना होगा।

सामन्जयस्य एवं समन्वय को समझ के अनुसार विकसित करना होगा।

महिलाओं को एकजुट होना होगा पारिवारिक के साथ सामाजिक जिम्मेदारी निभाना होगा।

अधिनियम के दण्डात्मक प्रावधानों को कठोर से कठोरतम करना होगा।

पुरूष प्रधान समाज में महिलाओं को उक्त के साथ अपने मे परिवर्तन सशक्ता के लाने होगे ताकि समाजरूपी रथ का दूसरा पहिया अतिशक्तिशाली हो जाए तो रथ विकास की दौड़ बहुत तीव्रता से लगा सकेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. दैनिक भास्कर समाचार पत्र।
2. एस के वाधवा - घरेलू हिंसा एवं यौन उत्पीडन से महिलाओं का संरक्षण कानून।
3. प्रतियोगिता दर्पण।

घरेलू हिंसा के भारत में बढ़ते मामलों का अध्ययन

आशीष रावल *

प्रस्तावना – वर्तमान समय में जहां हम विकास की लगातार बात करते है व सभी क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ने का दावा करते हैं, वहीं भारत में आज भी घरेलू हिंसा के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। घरेलू हिंसा महिलाओं के विरूद्ध किया जा रहा एक ऐसा अपराध है, जो हमारे समाज में आज भी होता है। महिलाओं को कई तरह से प्रताड़ित कर उनका जीवन नर्क के समान बनाना व कई बार तो इस प्रताड़ना की मात्रा इतनी बढ़ जाती है या तो महिला खुद आत्महत्या कर लेती है या उनकी हत्या तक कर दी जाती है। परन्तु मुख्य प्रश्न यह है कि घरेलू हिंसा को रोकने के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 बनाया गया है, तो क्या यह अधिनियम भी घरेलू हिंसा के मामले रोकने में कारगर साबित नहीं हो पा रहा है। जिससे कि ये घटनाएँ लगातार बढ़ती ही जा रही है। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानने की शोधार्थी के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई है।

जब हम दहेज हत्या को घरेलू प्रताड़ना से अलग करते है, तो हम पाते है कि दहेज हत्या की संख्या भी भारत में काफी अधिक है, जो कि प्रताड़ना का ही एक भयावह रूप हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में प्रताड़ना के साथ-साथ हम दहेज हत्या के उन आंकड़ों को भी देखेंगे जो कि इन वर्षो में सामने आए है।

वर्तमान कानून – घरेलू हिंसा अधिनियम का निर्माण 2005 में किया गया है और 26 अक्टूबर 2006 से इसे लागू किया गया। इसका मकसद घरेलू रिष्तों में हिंसा झेल रही महिलाओं को तत्काल और आपातकालीन राहत पहुंचाना है। दरअसल किसी भी महिला के साथ घर की चारदीवारी के अंदर होने वाली हिंसा, मारपीट, उत्पीड़न आदि के मामले घरेलू हिंसा के तहत आते हैं। इसके अलावा महिला को ताने देना, गाली देना, उसका अपमान करना, उसकी मर्जी के बिना उससे शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश, जबरन शादी के लिए बाध्य करना आदि जैसे मामले भी घरेलू हिंसा है। पत्नी को नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर करना या फिर नौकरी करने से रोकना, दहेज की मांग के लिए मारपीट करना आदि भी इसके दायरे में है। यौन उत्पीडन के मामले में अलग कानून है, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार इसे घरेलू हिंसा कानून के साथ जोड़ा जा सकता है।

लगातार हो रही ऐसे मामलों में वृद्धि – नेशनल क्राईम रिकार्ड ब्यूरों के मुताबिक पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा महिला को पीटने या प्रताड़ित करने के मामलों में वृद्धि हुई है।

महिलाओं को प्रताड़ित मामले (वर्ष 2010 से 2014)

वर्ष	मामले
2010	94041
2011	99135
2012	106527
2013	118866
2014	122877
कुल	**541446**

दहेज हत्या के मामले (वर्ष 2010 से 2014)

वर्ष	मामले
2010	8391
2011	8618
2012	8233
2013	8083

दहेज हत्या के मामले (वर्ष 2010 से 2014)

वर्ष	मामले
2010	8391
2011	8618
2012	8233
2013	8083
2014	8455
कुल –	**41780**

वर्ष 2010 से 2014 के बीच आंकड़ों को देखने पर यह बात पूर्णत: स्पष्ट हो जाती है कि प्रताड़ना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं।

घरेलू हिंसा के मामले पश्चिम बंगाल लगातार सातवें साल देश में अव्वल रहा है। वर्ष 2014 के दौरान पूरे देश में विवाहित महिलाओं पर ससुराल वालों और रिश्तेदारों की ओर से अत्याचार और हिंसा के जितने मामले दर्ज हुए उनमें से 20 फीसदी इसी राज्य में हुए है। पश्चिम बंगाल में वर्ष 2014 के दौरान घरेलू हिंसा के 23278 मामले दर्ज हुए, यानी रोजाना 64 मामलें।

प्रताड़ना के मामलों में अपराध सिद्ध ना हो पाना – घरेलू हिंसा के 90 फीसदी मामले फैसले तक पहुंचते-पहुंचते पूरी तरह से कमजोर पड़ जाते है। नेशनल क्राईम रिकार्ड ब्यूरों के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2014 में ऐसे आरोपों में 693 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें से 639 के खिलाफ आरोप तय किए गए। हालांकि सजा सिर्फ 13 को ही हुई।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा घरेलु प्रताड़ना अधिनियम में किए गए परिवर्तन – सुप्रीम कोर्ट के समाने घरेलु हिंसा के संबंध में पिछले दिनों एक मामला आने पर सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि घरेलु प्रताड़ना के मामलों में व्यस्क पुरूषों को ही आरोपी बनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि **घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 2 (क्यू) में 'व्यस्क पुरूष'** शब्द होने की वजह से नाबालिक पुरूष व घर की महिलाओं को आरोपी नहीं बनाया जा सकता

* सहायक प्राध्यापक, अल्टियस कॉलेज, इंदौर (म.प्र.) भारत

था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कड़ी आपत्ति लेते हुए अब **धारा 2 (क्यू) से 'व्यस्क पुरूष'** शब्द हटा दिया व कहा कि अब नाबालिक पुरूष व परिस्थितियों के आधार पर महिलाओं को भी आरोपी बनाया जा सकता है।

उपसंहार – घरेलू प्रताड़ना के मामलों को देखने पर लगता है कि आज भी ऐसे मामले वर्ष दर वर्ष बढ़ते ही जा रहे हैं। कानून होते हुए भी आरोपी किस तरह से अपना बचाव होने में सफल हो जाता हैं, जिसका सबसे बड़ा नुकसान पीड़ित पक्ष को न्याय देने में होता है। सुप्रीम कोर्ट का घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 2(क्यू) से 'व्यस्क पुरूष' शब्द को हटाना जाहिर है कि इस तरह अदालते अपने स्तर पर महिलाओं को पूरी तरह इंसाफ देने के प्रयास में जुटी है।

कानून बनाने का मुख्य काम विधायिका का होता है। अत: वे देखे कि कानून बनाने के साथ उनमें क्या कमियाँ रह गई है या कौन से परिवर्तन से इसे बनाने का पूर्ण उद्देश्य पूर्ण हो सके।

अदालतों व विधायिका के साथ-साथ प्रत्येक व्यक्ति का भी अपने आस-पास होने वाले प्रताड़ना के खिलाफ आवाज उठाना आवष्यक है। आज हम अपराध को देखते हुए भी जन जागरण के इस संबंध में व्यापक प्रयास निरंतर जारी रखना होंगे तभी हम घरेलु प्रताड़ना से महिलाओं को बचाने व न्याय दिलाने के उद्देश्य में सफल हो सकेंगे।

****

समाज में महिलाओं की स्थिति और कानूनों का उन पर प्रभाव

निशां कंठालिया *

प्रस्तावना – प्राचीन परिवेश से वर्तमान परिवेश तक महिलाओं की सामाजिक पृष्ठभूमि।

यत्र नार्यस्ते पूज्यन्जते रमन्ते तत्र देवता

नि:संदेह इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि, प्राचीन परिवेश में महिलाओं की स्थिति धर्म प्रधान और शास्त्रानुसार संस्कृति के अनुसार सम्मानीय रही हैऔर उसे पुरूषों के बराबर या समानता का दर्जा दिया गया है। मनुस्मृति, पुराणो और ऋग वेद और पौराणिक काल में महिलाओं को पुरूषों की अर्द्धांगिनी माना गया और उनके अस्तित्व को स्वीकारा गया साथ ही महिलाओं को और पुरूषों को गाड़ी के दो पहियों के समतुल्य मानते हुए इस शाश्वत सत्य को स्वीकारा गया कि ये दोनों एक गाड़ी के दो पहिए के समान है जो जीवन की गाड़ी को समान रह कर संतुलित रखते हुए जीवन पथ पर गति प्रदान करते है।

इतिहास इस निर्विवाद तथ्य को स्वीकारता है कि महिलाओ ने स्वतन्त्रता संग्राम में अपनी अहम भूमिका निभाई और रानी लक्ष्मीबाई ने दुष्मनो के छक्के युद्ध भूमि में छुड़ाये। राजनैतिक परिप्रेक्ष्य में भी महिलाओं ने प्रधानमंत्री (इंदिरा गांधी) राष्ट्रपति, राज्यपाल, विपक्षी पार्टी के नेतृत्व लोकसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, केन्द्रीय मंत्री जैसे गरिमामय पद को सुषोभित किया है। हमारा यह कहना भी शत प्रतिशत सत्य होगा कि वर्तमान आधुनिक परिवेश में, रक्षा, सुरक्षा, सेना, राजनीति प्रशासनिक, शिक्षा, चिकित्सा वाणिज्य अर्थव्यवस्था सम्बन्धी महत्वपूर्ण पदों पर पुरूषो के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य सम्पादन किया है।

भारतीय सांविधानिक उपबंधो के तहत महिलाओं की स्थिति – नि:संदेह भारतीय संविधान पुरूष और महिला को समानता का दर्जा देने का पक्षधर है और अनुच्छेद 14, 25, 23, 24, 39, 43, 15 (3) महिलाओं के लिये पुरूषो से असमानता चाहे वह किसी भी आधार पर हो का निषेध करते है और यही नहीं कई अधिनियम महिलाओं को समान हक अधिकार देने के हिमायती है, जो निम्नानुसार है।

1. कारखाना अधिनियम 1948
2. कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923
3. आई.एल.ओ.कन्वेशन संख्या 100
4. सप्रेशन ऑफ इम्मारल ट्रैफिक इनविमेन एण्ड गर्ल्स एक्ट 1956
5. प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961
6. इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976

वास्तविकता के धरातल पर महिलाओं की सामाजिक स्थिति का चित्रण – महिलाओं की समानता और सम्मानीय स्थिति का निर्वचन या अर्थान्वयन किया जाय तो देवी समान पूज्यनीय नारी की स्थिति कुछ यूं चित्रित होती है।

'पिता के घर पराई है, पराए घर को जाना है
शौहर के घर पराई है क्योंकि पराए घर से आई है
बेटे के घर भी पराई है शायद अब पुरानी हो चुकी है।'

अर्थात, महिलाओं को अपनेपन का अहसास नहीं उनकी अपनी कोई पहचान या नाम नहीं है उसका अपना स्वतंत्र वजूद नहीं है और पुरूष प्रधान समाज मे वह स्वयं अपने अस्तित्व की मोहताज है। वर्तमान वैज्ञानिक युग में तो भ्रूण परीक्षण के द्वारा उसे कोख में मार देने का गुनाह भी सरेआम किया जा रहा है। प्राचीन परिवेश में जन्म लेने के बाद उसे असमानता और शोषणरूपी दानव से सामना करना होता था पर आधुनिक युग में तो वह अपने जन्म के लिए भी योग्य नहीं मानी जा रही है।

Gender Inequlity Index

Value	0.563 (2014)
Rank	130th out of 157
Maternal Mortality Per	(1,00,000)-174 (2015)
Women in Parliament	12.2 % (2014)
Femal over 25 with secondary	27% (2014)
Women in Labour force	29.0%(2014)

निष्कर्ष और मूल्यांकन – आवश्यकता इस तथ्य की है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी सोच में अनुकूल बदलाव लाए और जागरूकता के साथ स्त्री शोषण असमानता के विरूद्ध प्रयासरत् हो तो शायद वह दिन दूर नहीं जब हम धर्मशास्त्रीय शक्तिरूपेण देवी स्वरूप स्त्री और संवैधानिक कानूनी उपबंधो के तहत पुरूषों के समान दर्जा रखने वाली महिलाओं को गरिमामय वातावरण मुहैय्या करवा पाए।

* व्याख्याता (विधि) डॉ.नागेन्द्र सिंह विधि महाविद्यालय, बांसवाड़ा (राज.) भारत

दहेज प्रतिषेध अधिनियम और घरेलू हिंसा रोकथाम कानूनों का क्रियान्वयन और महिलाएं

अनिता सिंह *

प्रस्तावना – जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं की सामाजिक स्थिति के उत्कर्ष से ढोल, गवांर, शूद्र, पशु, नारी सकल ताडना के अधिकारी !! से होते हुए अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी की यात्रा के दौरान बचपन में पिता की युवा अवस्था में पति की और वृद्धावस्था में पुत्रों की अभिरक्षा में रहने को विवश करने की व्यवस्था में परिवर्तित हुई। नारी की स्थिति को वैदिक काल की विवाह समारोह से जुडे कन्यादान के अनुष्ठान में वर दक्षिणा की स्वैच्छिक रीति के प्रपीड़नकारी दहेज प्रथा में परिवर्तित हुई। सामाजिक बुराई ने इस चरम अपकर्ष तक पहुंचा दिया कि राजनीतिक मंथन के पश्चात विधिक उपायों की आवश्यकता अवश्यंभावी हुई और स्वतंत्रता के पूर्व ही प्रथम प्रयास के रूप में तत्कालीन सिंध की प्रांतीय सरकार ने दहेज की बुराई से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सिंध लेती–देती अधिनियम, 1939 को पारित किया। उसी के अनुकरण में स्वतंत्रता उपरांत बिहार,आंध्र राज्य की सरकारों ने भी प्रयास किए किंतु दहेज प्रथा के विकराल स्वरूप ने केन्द्रीय सरकार को झकझोर दिया और संसद को दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 पारित करना पडा किंतु वह अपने उद्देश्य में असफल रहा तो वर्ष 1984 और 1986 के संशोधनों द्वारा अधिनियम का स्वरूप व्यापक किया गया लेकिन समग्र रूप में महिलाओं की स्थिति सुधारने में अधिनियम सफल नहीं रहा क्योंकि यह अधिनियम विवाह से जुडी समस्याओं के केवल एक ही पहलू से संबंधित था और पीडित महिला को खुद को कोई अनुतोष प्रदान नहीं कर रहा था। जो महिलाएं विवाह की औपचारिकताओं के दायरे में नहीं थीं अथवा दहेज की मांग से इतर हिंसाओं से पीडित थीं, उनको कोई अनुतोष नहीं दे रहा था।

इसलिए सीमित प्रयास के रूप में 1983 के दांडिक विधि संशोधन अधिनियम द्वारा क्रूरता को अपराध के रूप में शामिल किया गया लेकिन क्रूरता कारित करने वालों को अभियोजित किये जाने तक की प्रक्रिया में महिला को अपने माता–पिता के सहयोग के अभाव में अभियोजन असंभव ही बना दिया क्योंकि एक बार रिपोर्ट लिखाने के पश्चात उस घर में महिला का रूक पाना असंभव था। घर के बाहर उसे कोई समर्थन नहीं था। ऐसी स्थिति में जब अपराध करने वाले परिवार के सदस्य ही हों तो 'घर का मामला है','घर को मत बिगाडो''घर को बचाने की कवायद','परिवार की प्रतिष्ठा','मायके पक्ष की अन्य अविवाहित स्त्रियों के विवाह में व्यवधान उत्पन्न होने की संभावना' जैसे सामाजिक अवरोध में विधायी प्रयासों की सफलता की गति को अवरूद्ध करके रख दिया तो फिर घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 ने स्त्रियों के विरूद्ध हिंसा को समग्र रूप में निपटने के प्रयासों को साकार किया तथा विवाहित स्त्रियों,असहाय स्त्रियों, परितक्यता स्त्रियों व अभित्यक्त महिलाओं को नैतिक आधार पर अनुतोष प्रदान करने की स्थिति से अधिकार–पूर्वक अनुतोष मांगने की स्थिति में पहुंचाया और उसकी सहायता के लिए संरक्षण अधिकारी, सेवा– प्रदाता,आश्रय गृहो,चिकित्सीय सहायता की संस्था को न्यायालय के सहयोग हेतु खड़ा करके उन्हें कर्तव्य आबद्ध किया और साथ ही साझी गृहस्थी में निवास के अधिकार को प्रदान करते हुए अनुतोष पाने के लिए महिलाओं के विवाहित होने की अनिवार्यता से हटकर हर महिला को अनुतोष का हकदार बनाया तथा घरेलू मामलों में हस्तक्षेप की अधिकारिता को व्यापक किया।

क्रियान्वयन के स्तर पर उक्त भागीरथी प्रयास लगातार मूल्यांकन और निगरानी की अपेक्षा रखते हैं क्योंकि सेवा प्रदाता के रूप में मध्यप्रदेश में जो संस्था अधिकृत हुई वह पुलिस अधीक्षक के कार्यालय से जुडा एक अंग है और संरक्षण अधिकारी के रूप में महिला एवं बाल कल्याण अधिकारियों को ही पदाभिहीत किया गया व चिकित्सीय सहायता के रूप में सभी शासकीय चिकित्सालयों को अधिसूचित तो किया गया किंतु कर्तव्य से आबद्ध बताए गए उक्त अधिकारी उचित प्रशिक्षण एवं अपेक्षित अधोसंरचना के अभाव एवं समन्वयपूवर्क कार्य करने की इच्छा के अभाव के चलते एक दशक के उपरांत भी अपेक्षित परिणाम एवं प्रभाव उत्पन्न नहीं कर पा रहे है तथा वित्तीय संसाधनों के आबंटन के अभाव में संरक्षण गृहों की भूमिका अपेक्षित प्रभावी नहीं है।

स्वामी विवेकानंद के अनुसार शक्ति का अनादर ही हमारे देश के कमजोर और पिछड़े होने के कारण के रूप में दर्शित किए जाने पर उसके समाधान के रूप में दिए गए मंत्र कि हमें एक दूसरे को स्त्री और पुरूष के रूप में नही देखना चाहिए बल्कि हम सब एक दूसरे को मानव मानते हुए एक दूसरे की सहायता और सहयोग के लिए उत्पन्न होना मानकर ही कार्य करना होगा तभी महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा और राष्ट्र भी अपने गौरव को प्राप्त करेगा।अतएवं दृष्टिकोण में परिवर्तन अपेक्षित है ताकि महिलाओं के प्रति गंभीर हिंसा की उर्वरा भूमि बनने वाले हिंसा के न्यूनतम रूप के प्रति भी शून्य सहनशक्ति का सामाजिक आधार तैयार हो।

* अतिथि विद्वान (विधि) शासकीय माधव विधि महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

समाज में महिलाओं की स्थिति ओर कानून का उन पर प्रभाव

नेहा मंडोवरा * श्वेता मंडोवरा **

प्रस्तावना – भारतीय समाज की प्रगति में महिलाओं की महत्वपूर्ण भुमिका रही है । किन्तु यह एक विडम्बना ही है कि जिस देश की प्रगति में महिलओं की महत्वपूर्ण भुमिका रही है, उसी देश में महिलाओं की स्थिति बेहतर नहीं है। आज स्थिति यह है कि भारत जैसे देश में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता पड़ रही है।

समाज में महिलाओं की स्थिति – आज समाज में महिलाओं की स्थिति बेहतर नहीस है। महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार व शोषण में वृद्धि हुई है। अर्थात महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में वृद्धि हुई है।

- भारत में शहरी क्षेत्र की अपेंक्षा ग्रामीण क्षेत्र में अधिक कामकाजी महिलाए है किंतु उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। कार्यस्थल पर कार्य कर रही अधिकांशत:शोषण का शिकार होती रही है।जिसके परिणाम स्वरुप कामकाजी महिलओं की संख्या में कमी आई है।
- आज आजादी के 60 दशक के बावजुद भी भारत के अधिकांश ग्रामिण क्षेत्र मेंबाल विवाह जैसी कुरीति आज भी प्रचलित है जो महिलाओ को दलदल में धकेल रही है।
- आज जहाँ एक और भारतीय समाज प्रगति कर रहा है वही दूसरी ओर समाज के एक वर्ग पर्दा प्रथा जैसी कुरीति आज भी समाज में व्याप्त है। जिसके कराए महिलाओं की स्वतंत्रता बाधित हो रही है।
- समाज की सबसे बडी कुरीति है दहेज । समाज का चाहे काई भी वर्ग हो, यह कुरिति भारतीय समाज मे फैली है ।जिसके कारण आज अनेक बहु बेटिया हत्या और आत्महत्या की शिकार हुई है।
- इसके अतिरिक्त भी आज भारतीय समाज में अनेक कुरीतियाँ है जो भारतीय महिलाओं के विकास में बाधक है । जैसे – कन्या भ्रूण हत्या,घरेलू हिसा,शोषण आदि।

महिलाओं के लिए बनाए गए कानून ओर उनका महिलाओं पर प्रभाव:– महिलाओं की स्थिति बेहतर बनाने के लिए संविधान निर्माण के साथ ही अनेक कानून बनाना शुरु हो गये। भारत में महिलाओं के लिए बनाए गए कानूनों की लंबी श्रृंखला है। जिसमें कुछ प्रमुख अधिनियम है–

- राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990,
- दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961,
- घरेलू हिंसा एवं महिलाआं का संरक्षण अधिनियम 2005,
- कार्यस्थल पर महिलाओं का योन उत्पीड़न (निवारण,निषेध,व निदान) अधिनियम 2013, और भी अनेक कानून है। इसके अतिरिक्त महिलाओं को दस प्रकार के कानूनी अधिकार प्राप्त है।
- समानता का अधिकार ।
- काम पर हुए उत्पीडन के खिलाफ अधिकार ।
- घरेलू हिंसा के खिलाफ का अधिकार ।
- मातृत्व संबधि लाभ लेने का अधिकार ।
- रात मे गिरफ्तार न होने का अधिकार ।
- कन्या भ्रुण हत्या के विरुद्ध अधिकार ।
- मुफ्त कानूनी मदद के लिए अधिकार ।
- गरिमा व शालीनता से जीवन जीने का अधिकार ।

इसके अतिरिक्त महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों को भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं में भी अपराध मानकर दण्ड का प्रावधान रखा गया है–

बलात्संग :– भारतीय दण्ड सहिता धारा 376
दृश्य–रतिकता :– भारतीय दण्ड सहिता धारा 354
दहेज मृत्यु :– भारतीय दण्ड सहिता धारा498 (बी)
अपहरण :– भारतीय दण्ड सहिता धारा 366

इस प्रकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए भारतीय कानून व्यवस्था में अनेक प्रावधान होने के बावजूद इसका सही तरीके से क्रियान्वयन नही हो पा रहा है । जिसका मुख्य कारण महिलाओं में जागरुकता का अभाव है। भारत में महिलाए अपने ऊपर हो रहे अत्याचार व शोषण को सहन करती है, उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाती है। विभिन्न कानून होते हुए भी उनका सही उपयोग नही कर पाती।

उपसंहार –भारत में महिलाओं की स्थिति सुधरी तो है किंतु और बेहतर बनाने की आवश्यकता है। महिलाओं में कानून के प्रति जागरुकता होना आवश्यक है।कोई भी राष्ट्र या देश तभी प्रगति कर सकता है जब कि समाज में महिलाओं को सम्मानजनक स्थान प्राप्त हो समाज की सभी महिलाए अपने अधिकारों के प्रति जागरुक हो।

सुझाव:–

- महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देना चाहिए।
- महिलाओं में जागरुकता लाने के लिए जागरुकता शिविर का आयोजन किया जाना चाहिए।
- कामकाजी महिलाओं को कार्यस्थल पर पर्याप्त सुरक्षा मुहैया करवानी चाहिए।
- पुरानी परम्पराओ व कुरीतियों को समाप्त करेन का प्रयास करना चाहिए।

* पी.जी.डी.सी.ए., राधाकृष्णन कॉलेज, नीमच (म.प्र.) भारत
** एल.एल.बी. चतुर्थ सेमेस्टर,ज्ञानमंदिर विधि महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.) भारत

समाज में महिलाओं की स्थिति और कानूनों का उन पर प्रभाव

डॉ. गुलाब सिंह मेवाड़ा *

प्रस्तावना – भारत में महिलाओं की स्थिति सदैव एक समान नहीं रही है इनमें युगानुरूप परिवर्तन होते रहे है। उनकी स्थिति में वैदिक युग से लेकर आधुनिक काल तक अनेक उतार चढ़ाव आते रहे है तथा उनके अधिकारों में तदनरूप बदलाव भी होते रहे है। प्राचीन काल से ही दुनियाभर में महिलाओं को उनकी शारीरिक रचना के कारण पुरूषों की अपेक्षा निम्न स्थान दिया जाता रहा है। इसी मानसिकता का घातक परिणाम है कि महिलाओं के प्रति छेड़छाड़, बलात्कार, यातनाए, अनैतिक व्यापार, दहेज मृत्यु तथा योन उत्पीड़न जैसे अपराधों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है।

यही कारण है कि भारतीय महिलाओ को अपराधों के विरूद्ध सुरक्षा प्रदान करने तथा उनकी आर्थिक तथा सामाजिक दशाओं में सुधार करने हेतु अनेक कानून बनाए गए है। इनमें अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1984, महिलाओं का अशिष्ट-रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, गर्भधारण पूर्व लिंग-चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994, सती निषेध अधिनियम 1987, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिंक उत्पीडन (निवारण, प्रतिषेध) अधिनियम 2013 प्रमुख है।

राजधानी दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 को हुई नृशंस सामूहिक बलात्कार घटना के विरूद्ध राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित आक्रोश की पृष्ठभूमि में दंड विधि (संशोधन) 2013 पारित किया गया और यह कानून 3 अप्रैल, 2013 को देश में लागू हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया है कि तेजाबी हमला करने वालो को दस वर्ष की सजा और बलात्कार के मामले में अगर पीड़ित महिला की मृत्यु हो जाती है तो बलात्कारी को न्यूनतम 20 वर्ष की सजा हो सकती है। इसके साथ ही महिलाओं के विरूद्ध अपराध की एफआईआर दर्ज नहीं करने वाले पुलिसकर्मियों कों दंडित करने का भी प्रावधान है लेकिन त्रासदी है कि इन कानूनो के बावजूद भी महिलाओं पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है।

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की और से जारी 2015 के महिलाओं के साथ अपराध के आंकडों ने एक बार फिर मध्य प्रदेश की छवि को तार-तार कर दिया है। रेप के मामलों को लेकर मध्य प्रदेश फिर नंबर एक पर खडा है। पिछले साल देशभर में बलात्कार के 34,600 से अधिक मामले प्रकाश में आए हैं, जिनमें राज्यों में मध्य प्रदेश और केन्द्र शासित प्रदेशों में दिल्ली शीर्ष पर है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के जारी आकंडो के मुताबिक, भारत में 2015 में बलात्कार के कुल 34,651 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 33,098 मामलों में अपराधी, पीडितों के परिचित थे।

वर्तमान समय में भारतीय सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक कार्यक्रम एंव योजनाओं का संचालन तो किया जा रहा है लेकिन इन योजनाओं का क्रियान्वयन निचले स्तर तक उचित ढंग से न पहुँच सकने के कारण स्त्रियों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस सदंर्भ में युगनायक एवं राष्ट्र निर्माता स्वामी विवेकानन्द जी का यह कथन उल्लेखनीय है- 'किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सर्वोत्तम थर्मामीटर है, वहाँ की महिलाओं की स्थिति। हमें नारियों को ऐसी स्थिति में पहुँचा देना चाहिए, जहाँ वे अपनी समस्याओं को अपने ढंग से स्वयं सुलझा सके। भारतीय नारियॉ संसार की अन्य किन्हीं भी नारियों की भाँति अपनी समस्याओं को सुलझाने की क्षमता रखती है। आवश्यकता है, उन्हें अवसर देने की। इसी आधार पर भारत के उज्जवल भविष्य की संभावनाएँ सन्निहित हैं।'

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. टी. पी. त्रिपाठी-मानव अधिकार, इलाहाबाद लॉ एजेन्सी।
2. डॉ. जय जय राम उपाध्याय - मानव अधिकार, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी।
3. डॉ. जय नारायण पाण्डे-भारत का संविधान, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी।

* अतिथि विद्वान (विधि) शासकीय जे.एन. एस. महाविद्यालय, शुजालपुर (म.प्र.) भारत

Naveen Shodh Sansar
(An International Multidisciplinary Refereed Journal)

RNI No.- MPHIN/2013/60638
ISSN 2320 - 8767, E -ISSN 2394 - 3793
Impact Factor - 1.9411

MEMBERSHIP CUM AUTHOR'S BIO-DATA FORM

(Photocopy of this form may be used)

Name (Author / Member) : Mr/Mrs/Ms/Prof/Dr : .....

Name of Co-Author(s) : .....

Designation : ..... Subject : .....

Name of College/University/Institution : .....

Home / Official Address : .....

.....

State : .....Pin : ..... Country : .....

Tel. No. (Res. /Office) : .....Mobile : .....

E-mail Address : .....

Sign......

1. MEMBERSHIP will be valid for individual, University/College Institute Library-One Year SUBSCRIPTION RATES For printing/publication of one research paper.
   * Institutions Rs. 1,300/- per annum (without publication of paper)
   * Membership for Author Rs. 800/- for 1 Year.
   * Membership for Co-Author Rs. 800/- for 1 Year.
   * Publication of paper each after membership Rs. 900/- (2000 Words)
2. For Remittances can pay printing amount through DD/Cheque in favor of **'NAVEEN SHODH SANSAR'** payable at Neemuch (M.P) and send it by Registered Post. Fill information regarding Demand Draft.

D.D. No. : .....Amount ..... Name of Bank .....Date : .....

OR

You can cash deposit / Online fund transfer on **NAVEEN SHODH SANSAR** Current A/c.

Bank Detail :-
NAVEEN SHODH SANSAR
Current A/c. no.:- 32768184328
Bank Name :- State Bank Of India
Branch :- Neemuch (M.P)
IFSC code:- SBIN0030055

Editor - Ashish Sharma
Add:- "Shri Shyam Bhawan"
795, Vikas Nagar Extension 14/2,
Neemuch
(M.P) - 458441 Mob:- 09617239102
Email ID :- nssresearchjournal@gmail.com
Website :- www.nssresearchjournal.com

Note- Copyright form & Author's Guide line are availble on our web-site
{All disputes are subject to exclusive jurisdiction of NEEMUCH Court Only (M.P.)}